राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–11 आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का तेरहवां दिवस संख्या–9

मंगलवार,

दिनांक 11 जुलाई, 1989

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी ।

श्री उम्मेद सिंह : प्रश्न संख्या 184

श्री अध्यक्ष : आपका परमिशन का नहीं आया ।

श्री उम्मेद सिंह : उम्मेद सिंह मेरा नाम है ।

एक माननीय सदस्य : दो नाम हैं, साहब ।

श्री उम्मेद सिंह : पहला नम्बर ही है इसमें ।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेद सिंह । सॉरी ।

बीकानेर जिले में ग्रीन कार्ड धारकों को सुविधाएं

184. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) एवं **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बीकानेर में 1987-88 में कितने व्यक्तियों को ग्रीन कार्ड जारी किये गये व व्यक्ति-वार क्या-क्या सुविधाएं दी गयीं ? कृपया कार्ड होल्डर के नाम, पिता का नाम, जाति, स्थायी पता, प्राप्त सुविधा का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त अवधि को बीकानेर में सभी आपरेशनकर्ता को अब तक कार्ड नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक जारी कर लाभान्वित कर दिया जायेगा ?

(3) अप्रेल, 1987 से मई, 1989 तक बीकानेर जिले में कहां-कहां नसबन्दी शिविर लगाये गये ? उक्त कैम्पों में से प्रत्येक पर कितने स्त्री, पुरुषों के नसबन्दी आपरेशन किये गये ?

राज्य मंत्री, परिवार कल्याण (श्रीमती बीना काक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में बहुत ही विस्तृत जानकारी मांगी गयी है । कितने व्यक्तियों को क्या-क्या

(श्रीमती बीना काक)

सुविधाएं दी गई। कई विभागों से सम्बन्ध है इस प्रश्न का, इसके लिये समय बहुत कम है। मैं चाहूंगी कि इसे स्थगित कर दिया जाय।

श्री उम्मेद सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक ही जिले से सूचना मांगी है। सिर्फ एक जिले की है।

एक माननीय सदस्य : बहुत कम संख्या है। पहले आप दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मैं इसको स्थगित कर रहा हूं। माननीय प्रश्नकर्ता मुझ से वहां मिल लें। इसको जरा ठीक कर लेंगे, ठीक करके, फिर बाद में ले लेंगे।

श्री उम्मेद सिंह : नैक्स्ट टाइम कब रखा जायेगा ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक सीमित क्वेश्चन है, अध्यक्ष महोदय, केवल एक जिले बीकानेर से ही सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता से कह रहा हूं। मैं इसको स्थगित कर रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रोज एडजोर्न कराते हैं।

श्री उम्मेद सिंह : नैक्स्ट तारीख निश्चित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं एक निवेदन करूं....

एक माननीय सदस्य : इसी सैशन में आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : हां, जरा इसको मोडिफाई करेंगे। वहां मुझ से मिल लें थोड़ा सा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अगर इस तरह के प्रोग्राम को गवर्नमेंट टालेगी तो निश्चित रूप से इस पर बुरा असर पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर भामड़ा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : 185 लिखकर दे रखा है, साहब।

श्री अध्यक्ष : हां, लिखकर दिया है। परमिशन है।

सौर उर्जा

185. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) [श्री हरिशंकर भामड़ा (रतनगढ़) की ओर से] : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सौर ऊर्जा के लिये वर्ष 1988-89 में क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और इन लक्ष्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है ?

(2) इस स्वीकृत राशि में से कितनी कितनी राशि किन-किन कार्यक्रमों पर अब तक व्यय की जा चुकी है ?

राज्य मंत्री, सौर ऊर्जा (श्री राजेन्द्र चौधरी) : (1) वर्ष 88-89 में सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य व उनकी पूर्ति निम्न प्रकार रही :–

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(अ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 800 सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें लगाने का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष में 1073 लाइटें लगाई गयी हैं।

(ब) प्रारम्भ में 6500 सोलर कूकर बेचने का लक्ष्य रखा गया था जिसे बाद में बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया। इन लक्ष्यों की तुलना में 7001 सोलर कूकर की बिक्री वर्ष 1988–89 में की गई।

(स) करीब 45000 लीटर क्षमता के सौर ऊर्जा से संचालित गर्म पानी के संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए भारत सरकार को 50000 लीटर क्षमता के प्रोजेक्ट बनवा कर भिजवाये गये और उसकी स्वीकृति वर्ष 88–89 के अन्त के पहले ही प्राप्त कर ली गई। इनके लगाने की कार्यवाही चालू है।

(2) सौर ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत राशि एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक–दो जानकारी चाहूंगा। एक तो आपने सौर ऊर्जा से संचालित गर्म पानी करने के लिए भारत सरकार को पचास हजार लीटर की क्षमता का प्रस्ताव दिया था और वह 88–89 में आपको प्राप्त हो गया। करीब-करीब साल भर होने को आया, उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई, इसकी जानकारी आपने इसमें नहीं दी है। दूसरा मेरा प्रश्न है यह सोलर वाटर सिस्टम और यह सोलर कूकर, जो आपने वित्तीय प्रावधान 12 लाख का बताया था और 6500 लगाने का लक्ष्य था उसे आपने आठ हजार कर दिया लेकिन आपका वास्तविक व्यय 10 लाख 51 हजार हुआ है। वास्तविक व्यय जो आपने किया है वह 6500 के अगेन्स्ट में तो 12 लाख का कर दिया और आपने लगाये हैं आठ हजार उसके अगेंस्ट में आपका व्यय हुआ है 10 लाख 51 हजार। एक तो इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा। दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि जो आपने अलग अलग लगाये हैं, सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें, सोलर कूकर और गरम पानी करने वाले यन्त्र, इन तीनों को लगाने में आपको कितनी सफलता मिली है या वास्तव में आपने लगाकर ही छोड़ दिये हैं ? वास्तव में जिन लोगों के लिए लगाये हैं वह क्या उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : कृपा करके मंत्री महोदय बतायें कि क्या जयपुर सहित अनेक नगरों में सौर ऊर्जा के माध्यम से चलने वाले ट्रेफिक सिगनल लगाये गये थे ? यदि हां, तो क्या ये सारे ट्रेफिक सिगनल चालू स्थिति में हैं ? क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा के दरवाजे से लेकर दुर्लभजी हास्पिटल तक करीब 40 ट्रेफिक सिगनल सौर ऊर्जा के माध्यम से चलने वाले लगाये गये थे जिस पर करीब 2 लाख रुपये व्यय किये थे ? क्या ये 2 लाख रुपये व्यर्थ गये ? एक भी ट्रेफिक सिगनल जयपुर सहित अनेक नगरों में चालू नहीं है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने 1072 बल्ब लगाने की बात कही थी 44 लाख रुपये में, माननीय मन्त्री महोदय, क्या आपने इसको गम्भीरता से लिया है ?

(श्री दाऊदयाल जोशी)

एक बल्ब 4400 रुपये का पड़ता है तो क्या यह जस्टिफिकेशन है राजकोष के साथ । क्या यह राजकोष का दुरुपयोग मात्र नहीं है ? क्या सौर ऊर्जा केवल फ्राड है ? क्या गोबर गैस प्लांट केवल फ्राड है ? इनमें करोड़ों रुपया हमारे राजकोष का व्यय होता है और उसके बावजूद भी कोई काम नहीं होता है । क्या आपने कभी सेम्पल सर्वे कराकर देखा है ? 1072 बल्ब में से कितने बल्ब जलते हैं, कितने ट्रैफिक सिगनल चलते हैं और फिर आप, राज्य सरकार जो केन्द्र सरकार से मिलकर गरम पानी का यंत्र लगाने जा रही है क्या उसमें पैसा बरबाद नहीं होगा ? कृपा कर स्पष्ट करें ।

श्री मुल्तानाराम (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर, बाड़मेर में सौर ऊर्जा योजना के अन्तर्गत सीमान्त क्षेत्रों के गांवों में लाइटें लगाई गई थीं । वह एक अच्छी योजना थी । परन्तु इसमें मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना है कि जैसलमेर जिले में तीन वर्ष पूर्व 45 गांवों में ट्यूब लाइटें लगाई गई थीं और उसके बाद में उसके रख-रखाव और उसको ठीक रखने के लिए कोई योजना नहीं रही ? दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि यदि उसके बाद में इस पर कोई खर्च किया गया और उसको चालू रखने के लिये कोई योजना थी तो पिछले तीन वर्षों में उन पर कितना खर्चा आया और क्या वह खर्चा व्यर्थ गया ? आज की तारीख में क्या स्थिति है, ट्यूब लाइटें जल रही हैं या नहीं ? जहां तक मेरी जानकारी, है मैं जिन गावों में गया हूं कहीं भी ट्यूब लाइटें नहीं जल रही हैं । जो राज्य सरकार की, भारत सरकार की ऐसी योजना थी, वह व्यर्थ गई । सौर ऊर्जा ग्रामीणों को एक अच्छा प्रकाश का माध्यम मिल रहा था उस ओर मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । इस मसले को आप अच्छी तरह से, गम्भीरता से देखें । इसका खर्चा बेकार जा रहा है ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सौर ऊर्जा योजना के तहत जो गांवों में लाइटें लगाई जाती हैं उनको आप राजस्थान के हर जिले में किस आधार पर वितरित करते हैं ? अभी तक आपने मेरी जानकारी में जो भी वितरण किया है वह तार्किक ढंग से और किसी प्रिन्सिपल के आधार पर नहीं कर मनमाने ढंग से किया है । तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिले वाइज गांवों में इस सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिये तार्किक ढंग से और कुछ सिद्धान्तों के आधार पर वितरण होना चाहिये और यह नहीं होना चाहिए कि किसी जिले में तो आपने लगा दी और किन्हीं जिलों को उपेक्षित छोड़ दिया ।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलालजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मन्त्री महोदय, आपने यह बताया अपने उत्तर में, पहले आपका लक्ष्य 6500 सोलर कूकर बेचने का था और आपने इसको बढ़ा कर 8000 करके 7001 बेचे । तो यदि 6500 आप बेचते तो आपको इन्कम 12 लाख की होती, आपने यह लिखा है इसमें आपने बेचे हैं 7001 और इन्कम हुई 10

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लाख की । तो था तो आपने यह किया, जो रेट पहले लगाई थी वह घटाई होगी, या जो अंक आया है इतनी आपने बिक्री नहीं की । यानी 7000 आपने बेचे हैं तो 6000 के मुकाबले 12 लाख से ज्यादा होनी चाहिए थी । आपने इसमें 12 के बजाय 7000 बेचकर भी कमाये हैं 10 लाख । यह क्या घपला हुआ, कैसे हुआ इसका स्पष्टीकरण करिये आप । कीमत कम कर दी या आपने फ्री दे दिये लोगों को, क्या किया यह ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा की उपलब्धता की कमी को देखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत को बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने इस बात की ओर बहुत जोर दिया और राजस्थान में भी वैकल्पिक ऊर्जा के लिये रेडा की स्थापना की गई । उसके अन्तर्गत इस बात को विकसित किया गया कि सोलर एनर्जी के माध्यम से हम किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं । उसके अन्तर्गत जैसा कि मैंने मेरे उत्तर में बताया, जैसे ट्यूब लाइट की बात है, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, निश्चित रूप से जो ट्यूब लाइट हमने लगाई हैं, जो संख्या है 1073, जो हमारा लक्ष्य 8000 का था, उसके अन्तर्गत इस तरह से लाइटें लगाई गई हैं ।

दूसरी बात उन्होंने पूछी है, क्या उसके बाद उसके रख-रखाव की बात है । हम उसका बिल्कुल रख-रखाव करते हैं और रील के माध्यम से इसको लगा रहे हैं । हमारे पास जब सूचना आती है, चाहे जिलाधीश के माध्यम से आती है, चाहे संबंधित पंचायत समिति या बी. डी. ओ. हमको सूचना देते हैं या संबंधित सरपंच हमको सूचना देता है तो हम सीधी उसकी जानकारी देकर रेडा के द्वारा उसको ठीक करवाने की बात हैं ।

मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूंगा कि अलग-अलग जिलों से, पंचायत समितियों से इस बात की हमने सूचना मंगवाई है उसके अनुसार 2213 ट्यूब लाइट्स हैं उसके अन्तर्गत 438 ट्यूब लाइट खराब की रिपोर्ट मिली है । इस प्रकार से 80 पर्सेन्ट वर्किंग स्थिति में हैं । तत्काल उसके बाद हमारे पास सूचना जब आती है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोल लीजिये । आप सुन लीजिये, जोशीजी ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय सदस्य, आपकी बात मैंने सुनी है तो उत्तर सुनियेगा आप, उत्तर पूरा सुन लीजिये । उसमें 20 पर्सेन्ट के करीब खराब हैं । इसका बड़ा अच्छा रेश्यो है । हमारे को सूचना मिलने के बाद पेमेन्ट करने की बात है । इसके अलावा जहां तक हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि 6500 सोलर कुकर का लक्ष्य रखा गया था, जो मैंने परिशिष्ट 'क' की बात कही है उसमें मैंने यह कहा है कि 12 लाख रुपये का प्रावधान रखा है, वह इन्कम का नहीं है । हम इस पर खर्च करेंगे । इस पर खर्च करने की बात है जो हमारा लक्ष्य 6500 का था । उसके बाद महिला पोषाहार डिपार्टमेंट के माध्यम से चीफ सैक्रेटरी के यहां बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था, आई. सी. डी. एस. का जो हम फूड देते हैं उसके अन्दर उसको करने की बात है कि जो फ्यूल का पैसा दिया जाता है उसकी

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

एवज में इस तरह के सोलर कूकर दिये जायं। तो यह निर्णय हुआ था। बाद में लक्ष्य बढ़ाया गया था, पर बाद में वित्तीय स्थिति को देखते हुए वह पैसा मिला नहीं इस कारण से 8000 का लक्ष्य था वह पूरा नहीं हुआ। हमारा ओरिजिनल लक्ष्य 6500 का था उसकी एवज में 7001 सोलर कूकर बिके। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर, जो रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट की उसके हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि उसके अन्दर जो लक्ष्य रखा गया है 15 हजार का, नान कन्वेन्शनल एनर्जी की जो एनुअल रिपोर्ट आती है, 88–89 के अन्दर 15 हजार की एवज में, जो थ्रो आउट गवर्नमेंट का था, 7001 का हमने लक्ष्य प्राप्त किया। इस बात की राजस्थान को शील्ड मिली है, हमने इतना उसके अन्दर उल्लेखनीय काम किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं सारी बात आपको बता दूंगा। दूसरा, जहां तक दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा है, जयपुर के अन्दर जो लाइटें लगी हैं, उसका क्या हुआ ?

श्री दाऊदयाल जोशी : ट्रैफिक सिगनल, नॉट लाइट।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं बता रहा हूं। यहां पर जे. डी. ए. के माध्यम से कुल 8 लाइटें लगी हैं और उसमें से 6 चालू हालत में हैं। आपको जानकारी के लिये मैं बताना चाहूंगा....

श्री दाऊदयाल जोशी : निरी गप्प है। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपको चैलेंज देकर कहता हूं, 6 की जगह आप दो भी मुझे बता दें ट्रेफिक सिगनल चालू स्थिति मे। मैं आठ का स्थान बताता हूं आपको। दुर्लभजी हास्पिटल, एस. एम. एस. हास्पिटल, राजस्थान विधान सभा के दरवाजे पर, ट्रेफिक का जो दफ्तर है वहां पर, इस प्रकार आठ जगह लगी हुई हैं, आठ में से एक भी जगह चालू नहीं हैं। आपके डिपार्टमेंट ने जो जवाब दिया है, गलत दिया है। मेरा चैलेंज है, प्रश्नकाल के तुरन्त बाद आपके साथ चलूंगा, आप एक भी अगर मुझे बता दें, जैसा माधवसिंहजी दीवान ने चैक किया है उसी प्रकार चैक करें। यह इन सारे अधिकारियों को क्या आप सस्पैण्ड करने की स्थिति में हैं, मुझे आश्वासन दें। जो आपको जवाब दिया वही पढ़ दिया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय सदस्य, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं।

श्री डूंगरराम पंवार : सौर ऊर्जा तो काम नहीं कर रही है, अक्सर बिजली चली जाती है तो शोर मच जाता है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जो सूचना हमको मिली है, मैंने वह जानकारी दी है। यदि ऐसी बात सही नहीं है तो हम इसकी कार्यवाही करेंगे और आपके साथ चल कर मैं देख लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरिश्चन्द्र कुमावत। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

उठाया, आपने लगा तो दिये लेकिन वास्तव में लोगों को लाभ कितना हो रहा है, इसकी जानकारी आपके पास नहीं है। उनका सप्लीमेंट्री यही था जो मैंने प्रारम्भ में किया है।

श्री अध्यक्ष : आ गया।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह आप बताइये, दीगोद से आने वाले सदस्य की भी यह आपत्ति है और जैसलमेर से आने वाले सदस्य की भी यही है। आपने लगा दिये, डिपार्टमेंट ने आपको जो आंकड़े दिये, नम्बर दिया वह भी बता दिया लेकिन वास्तव में लाभान्वित कितने हो रहे हैं, यह जानकारी आपने नहीं दी।

श्री दाऊदयाल जोशी : सोलर कूकर केवल मात्र शानदार कांच लगा हुआ बक्सा के अलावा कुछ नहीं है। 300 रुपये में ऐसा बक्सा नहीं मिल सकता जिसमें कांच लगे हुए हों। सामान रखने के लिये बहुत बढ़िया बक्सा है। मेरा निवेदन है कि सौर चूल्हे का कोई उपयोग नहीं, सौर बिजली का कोई उपयोग नहीं, गोबर गैस प्लांट का कोई उपयोग नहीं, राज्य सरकार इन सारी मदों को गरीबों के लिये खर्च करे तो कोई उपयोग हो सकता है। मैं समझता हूं, यह फ्राड है, धोखा है, फरेब है, असत्य है। राज्य सरकार व्यर्थ में इस पैसे का दुरुपयोग कर रही है।

श्री दीनबन्धु वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था, अभी जब मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया, उसमें भी नॉन ट्रेडीशनल जो कन्वेन्शनल सोर्सेज हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत बड़ा एलोकेशन दिया है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप जो नॉन ट्रेडीशनल सोर्स हैं एनर्जी के उन पर ध्यान नहीं देंगे तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने पैदा हो जायेगी, भारत सरकार के सामने पैसा लेने में आपको परेशानी होगी। मैं यह चाहूंगा, यह जो आपका रोल है, इसके अलावा जो आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके अन्दर वाटर सोर्सेज के सारे एनर्जी के प्रोग्राम आपके यहां पैंडिंग पड़े हुए हैं, आप कृपया उनको दिखाइये। मुझे जहां तक जानकारी है, कई लोगों ने आपको अप्लाई कर रखा है, आप उनको स्वीकृति दें, लाईसेंस दें ताकि वह इसमें काम कर सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही वास्तव में मुख्य मंत्री इस बात के लिये बहुत चिन्तित हैं, उन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के विकास के लिये 110 लाख रुपये का प्रावधान 89–90 में रखा है। उसके अन्दर स्ट्रीट लाइट, जो सोलर लाइट्स हैं, के लिये 900 की संख्या रखी है। इसी तरह सोलर कूकर में 7000 सोलर कूकर की बात रखी है। इसी तरह सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम 50 हजार लीटर क्षमता का रखा है। इसी तरह पवन जेनरेटर 55 किलोवाट क्षमता का एक का प्रावधान रखा है। इसी तरह 100 पवन चक्कियों का हमने उसमें रखा है। गैसी फाइड्स के लिये 15 की संख्या रखी है।–

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

बैट्री संचालित जो वाहन हैं, एक वाहन की बात ग्राई है। बूंदी से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया था वह यह था कि किस तरीके से इसको सलेक्ट करते हैं ग्रौर कैसे लगाते हैं ? इसके लिए मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा, इलेक्ट्रिफिकेशन जिस जगह हुग्रा है उसमें पूरे स्टेट वाइज इस बात का पर्सेन्टेज हमने देखा है ग्रौर हमने वहां से देखा है जहां नॉन इलेक्ट्रिफिकेशन ज्यादा है, जहां पर्सेन्टेज ज्यादा है। ग्रौर उसमें भी ऐसे इलाके जहां बिजली की लाइन जल्दी नहीं पहुंचती, बहुत रिमोट एरिया है, दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं उनकी पर्सेन्टेज निकाल कर हमने ग्रार. एस. ई. बी. के इलेक्ट्रिफिकेशन की पर्सेन्टेज निकाली है ग्रौर उसके ग्रनुसार ही हमने इन गांवों को सलेक्ट किया है। सबसे ज्यादा हाई पर्सेन्टेज श्रीगंगानगर की 71%. नॉन इलेक्ट्रिफिकेशन की है। तो जैसा मैंने ग्रापको बताया कि प्रोग्राम जहां हम इसको चला रहे हैं बोर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के ग्रन्तर्गत वहां हमने 86–87 में 1180 लाइट दी हैं। इसी तरह जैसलमेर में भी हमने...

श्री हरिकुमार ग्रौदिच्य : ग्रापको सफलता कहां तक मिली ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने ग्रापको बताया कि प्रोग्राम को हम चला रहे हैं उसके पीछे भावना यह है ग्रौर जितनी हमको ग्राज तक सूचना मिली है उसके ग्राधार पर मैंने ग्रापको बताया कि दो हजार की एवज में टोटल 20%. करीब की रिपोर्ट मिली है, 80.% हर एक सिस्टम जो नया शुरू होता है... तो हमारी भावना यही है कि इसको चालू किया जाय। इसके ग्रलावा माननीय सदस्य यदि जानकारी देंगे तो मैं तत्काल प्रभाव से उसको दुरुस्त करवाने की कार्यवाही करूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : नैक्स्ट श्री हरिशचन्द्र कुमावत (ग्रनुपस्थित)

श्री हरिकुमार ग्रौदिच्य : वह दाऊ जी को लिख कर दे गये हैं...

श्री दाऊदयाल जोशी : 186

नागौर में व्यावसायिक विद्यालय

186. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) [श्री हरिश्चचन्द कुमावत (नावां) के स्थान पर] क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर जिले में नई शिक्षा नीति के ग्रन्तर्गत कौन कोन से स्थानों पर कब से व्यावसायिक विद्यालय स्वीकृत हुए हैं ?

(2) इनमें कौन कौन से व्यवसाय से सम्बन्धित विषय प्रारम्भ किये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक चालू कर दिये जायेंगे ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री खेमराज कटारा): (1) नागौर जिले में निम्नलिखित सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा सत्र 87–88 में प्रारम्भ हुए :–

1. रा. सी. उ. मा. वि. मकराना
2. ,, नागौर
3. ,, डीडवाना

(श्री खेमराज कटारा)

(2) उपरोक्त विद्यालयों में निम्नानुसार उनके आगे अंकित विषय प्रारम्भ किये गये:—

नाम विद्यालय	व्यवसाय क्षेत्र	प्रारम्भ पाठ्यक्रम
1. रा. सी. उ. मा. वि., मकराना	वाणिज्य	1. लेखाकर्म एवं अंकेक्षण 2. कार्यालय प्रबन्ध
2. रा. सी. उ. मा. वि., नागौर	वाणिज्य	1. शीघ्रलिपि अंग्रेजी 2. लेखाकर्म एवं अंकेक्षण
3. रा. सी. उ. मा. वि., डीडवाना	वाणिज्य	1. लेखाकर्म एवं अंकेक्षण 2. शीघ्रलिपि हिन्दी 3. सहकारिता

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि जो नये विषयों की आप स्वीकृति देते हैं उसमें क्या क्राइटेरिया तय करते हैं और यह सभी स्वीकृति देने के बाद खोले गये या नहीं या केवल स्वीकृति मात्र ही रही ?

श्री खेमराज कटारा : जहां कहीं नया व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय खोलते हैं वहां खास तौर से वाणिज्य, कृषि, विज्ञान और होम साइंस में ही खोलते हैं। जिस जगह पर ढांचा तैयार होता है जैसे कृषि के लिए लैण्ड और फील्ड, वाणिज्य के लिये टाईपिंग की सुविधा और होम साइन्स में ट्रेण्ड टीचर्स वगैरह की पहले से तैयारी होती है उसी जगह पर खोला जाता है। दूसरे जहां लिमिट संसाधन के आधार पर खोलते हैं तो पहले डिवीजन मुख्यालय फिर जिला मुख्यालय और उसके बाद सब डिवीजन में खोलते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : गत वर्ष जो कृषि विषय खोला था वहां पर किसी प्रकार की कृषि भूमि नहीं थी। राजनैतिक आधार पर आपने कृषि विषय खोल दिया जबकि इसके लिए कृषि भूमि होनी आवश्यक है। तो यह आपने किस आधार पर खोला ?

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं नागौर के बारे में पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया किस क्राइटेरिया के आधार पर स्कूल खोले जयेंगे डिवीजन स्तर पर, जिला स्तर पर और उसके बाद सब डिवीजन स्तर पर। क्या आपको पता है कि नागौर के बाद में मकराना का नाम ले रहे हैं उसमें क्या सब डिवीजन मुख्यालय है ? क्या मकराना के अलावा और भी विद्यालय ऐसे हैं जिनमें साधन ज्यादा हो सकते हैं, विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो सकती है, जनसंख्या ज्यादा हो सकती है ? तो आपने मकराना का कैसे खोला ? डीडवाना परबतसर और मेड़ता भी सब डिवीजन हैं। और नागौर पर जिला हैड क्वार्टर और सब डिवीजन दोनों को ले सकते हैं तो आपने मेड़ता और परबतसर को कैसे छोड़ा ?

श्री खेमराज कटारा : अध्यक्ष महोदय, दीगोद और लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्यों ने सवाल किये हैं। मैं पूर्व में ही

(श्री खेमराज कटारा)

निवेदन कर चुका हूं और पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं कि 87–88 में राज्य सरकार ने 51 व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय खोले थे और 88–89 में 24 विद्यालयों और व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की थी और आने वाले वर्ष में जो मुख्य मन्त्री जी ने बजट रखा है उसमें 50 सी. उ. मा. विद्यालयों में और व्यावसायिक शिक्षा खोलेंगे। तो यह जो भी 87–88, 88–89 और 89–90 में खोले जायेंगे, प्रान्त के अन्दर संसाधन के आधार पर जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसी को मद्देनजर रखते हुए खोलते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय विद्या जी।

मेवाड़ काम्पलेक्स योजना

187. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) एवं **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है? यदि हां, तो कब? योजना स्वीकृति का अन्तिम प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त योजना में कहां-कहां क्या क्या कार्य किया जाएगा? उसके लिए कितनी धनराशि किस-किस के द्वारा लगाई जाएगी? मद एवं तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें

(3) इस योजना के किस तारीख तक पूरा हो जाने की सम्भावना है? सरकार ने इसको पूरा कराने का दायित्व किसको सौंपा है?

(4) क्या सरकार ने इस योजना के प्रचार प्रसार की कोई व्यवस्था की है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, पर्यटन (सुश्री गिरिजा व्यास) : (1) मेवाड़ काम्पलेक्स की योजन भारत सरकार के विचाराधीन है। इसमें गोगुन्दा के विकास कार्यों एवं मैनाल में कैफेटेरिया निर्माण हेतु केन्द्र सरकार की सिद्धान्ततः स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ किले पर फ्लड लाइटिंग कार्य की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस योजना की स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों एवं प्रस्तावित राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। परियोजना को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 62.62 लाख रुपयों की राशि तथा राज्य सरकार द्वारा 25.84 लाख रुपयों की राशि व्यय की जाएगी। योजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

(3) परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित गोगुन्दा के विकास कार्यों हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं चालू वर्ष के दौरान इस कार्य हेतु धनराशि प्राप्त हो जाने की सम्भावना है परियोजना के अन्तर्गत शेष स्थानों के विकास कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार के पर्यटन मन्त्रालय में

(सुश्री गिरिजा व्यास)

विचाराधीन है। परियोजना को पूरा करने का दायित्व पर्यटन विभाग, राजस्थान का हैं।

(4) मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित स्थलों में पर्यटन विभाग ने कुम्भलगढ़ किले का पोस्टर एवं उदयपुर पर बंगाली, गुजराती तथा अंग्रेजी में फोल्डर प्रकाशित करवाया है। हिन्दी में फोल्डर की अनुमति दे दी है। जिनमें हल्दीघाटी एवं कुम्भलगढ़ का उल्लेख किया गया है। प्रकाशित सामग्री सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक तो यह पूछना चाहती हूं कि पिछले 9 साल में कम से कम आपने 15 जगह अलग-अलग फ्लोर आफ दी हाउस पर कहा है कि मेवाड़ काम्पलेक्स की मन्जूरी हो चुकी है मगर आज आप कह रहे हैं कि यह विचाराधीन है। क्या यह सही नहीं है कि इसकी मंजूरी 78–79 में हो चुकी थी उस पर धनराशि जो खर्च होने वाली थी वह केन्द्र सरकार को ही करनी थी और उस वक्त उसका सर्वे भी हो चुका था और वह सर्वे आपके रेकार्ड में भी होगा और केन्द्र सरकार को प्रेषित भी था। तो क्या यह सही नहीं है कि योजना की मंजूरी 78–79 में हुई, सर्वे उसका तभी हो चुका और आप इस योजना को आज तक शुरू नहीं करवा सके ?

दूसरा यह पूछना चाहती हूं कि क्या इसमें देरी का यह भी कारण है कि इनिशियली जो स्कीम बनने वाली थी वो महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित जो 5 स्थान हैं गोगुन्दा, चांवड़, हल्दीघाटी, चित्तौड़ और कुम्भलगढ़, इन्हीं स्थानों को इस योजना में शामिल किया गया था। इन्हीं स्थानों को उस योजना में शामिल किया गया था और आपके राजनैतिक कारण से या मैनुपुलेशन की वजह से अब आप इसमें और दूसरे एरियाज को शामिल कर रहे हैं, दूसरे शहरों को जैसे देवगढ़ है या और जो दूसरे शहरों को शामिल किया है उसकी वजह से इस योजना को खटाई में डाल दी है आपने। क्या यह सही है ? तीसरा मैं आपसे यह भी पूछना चाहती हूं कि फ्लड लाइट पर सैन्ट्रल आर्कियोलाजी ने आब्जेक्शन जब लगाया था और वह आब्जेक्शन आज भी क्लियर नहीं हुआ है।

एक लास्ट प्रश्न मैं यह पूछना चाहती हूं कि फोल्डर्स आपने मेरे को उदयपुर के दिये हैं, एक पोस्टर भी दिया है। क्या यह मेवाड़ काम्पलेक्स का है या रुटीन में आप जो इसकी पब्लिसिटी करते रहते हैं उसका है ? अगर मेवाड़ काम्पलेक्स का है तो पूरी काम्पलेक्स को आपको सैल करना चाहिए था। एक अलग-अलग जगह का तो आपके रुटीन में भी हो जाता। ये मेरे चार प्रश्न हैं, कृपया उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्ता हूं, मैं प्रश्न करना चाहती हूं। हम दोनों का उत्तर देने के बाद में और कोई प्रश्न कर ले।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके उत्तर आ जायें फिर कोई पूछ लेवें।

श्री अध्यक्ष : माननीय उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी, आपने जो यहां पर अपनी योजना बतायी है, इस योजना में आपने लैण्ड स्केपिंग,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कैफेटेरिया, बाथरूम केवल यह योजना बतायी है ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के लिए। आप क्या करने वाली हैं यह तो कुछ बताया ही नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि आप इस सारे काम्पलेक्स में ऐतिहासिकता को जीवित रखने के लिए क्या करने वाली हैं और यदि नहीं करने वाली हैं तो क्यों? मान्यवर, दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि हमको जो यहां पर फोल्डर्स दिये गये हैं, आप भी जरा देख लें। कुम्भलगढ़ का दिया है उसमें अंग्रेजी में राजस्थान लिखा है। इसी प्रकार गुजराती, बंगाली और अंग्रेजी तीन के फोल्डर्स दिये हैं इसमें हिन्दी का, राजस्थानी का कोई फोल्डर नहीं है। आप हिन्दी की और राजस्थानी की उपेक्षा करने के लिए ऐसा मन क्यों बनाये हुए हैं, मंत्री महोदया यह बतायें? मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी इन दोनों बातों का उत्तर माननीय विद्याजी की बात का उत्तर देने के बाद देवें।

सुश्री गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 नवम्बर, 1978 को केन्द्र में एक टूरिज्म मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स हुई थी और उसमें इस बात का निर्णय लिया गया था कि छोटे-छोटे पर्यटन स्थलों की जो योजना हम भेजते हैं उसके अतिरिक्त कोई बड़ी योजना भी भेजें और उसके तहत राजस्थान सरकार ने मेवाड़ काम्पलेक्स का प्रारूप भेजा है।

1985 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उससे पूर्व सम्पूर्ण सर्वेक्षण के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने ग्रामीण योजना संगठन, नई दिल्ली को इसके लिए लगाया जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें छह स्थानों को डवलप करने की बात कही गयी थी। रक्त तलाई, चेतक समाधि, बादशाही बाग, गोगुन्दा, चावण्ड और कुम्भलगढ़। इस प्रतिवेदन के आधार पर राज्य की इस योजना के अन्तर्गत 124.01 लाख रुपये खर्च होने वाले थे। इसके बाद विस्तृत जांच हेतु सितम्बर, 1986 में एक अलग समिति केन्द्र सरकार ने बनायी जिसमें महानिदेशक पुरातत्व सर्वेक्षण, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय पर्यटन, निदेशक पर्यटन, राजस्थान के, निदेशक, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, अतिरिक्त महानिदेशक पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार थे। मार्च, 1988 में उनका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ और इसी के तहत 17-9-1988 को संशोधित प्रस्ताव हमने केन्द्र में प्रस्तुत कर दिया। 17-9-1988 को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसके तहत दिनांक 2 फरवरी, 1989 को इसकी सिद्धान्ततः स्वीकृति मिल गयी और गोगुन्दा के लिए 3.12 लाख रुपये की मन्जूरी इसके साथ मिल गयी और इसी के साथ मैनाल कैफेटेरिया की भी मन्जूरी 31-1-1989 को मिल गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्या का यह कहना सही है कि 1978 में इस योजना का प्रारूप या इस योजना की सिद्धान्ततः स्वीकृति एक तरह से मिल गयी थी लेकिन सिद्धान्ततः स्वीकृति भी मैं उसको नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने इसके बाद से उन पर आयोग बैठाये, इसके बाद समिति बनायी उसके बाद फिर प्रतिवेदन लिया और फिर प्रतिवेदन का संशोधित प्रतिवेदन लिया और जब हमने प्रतिवेदन भेज दिया उसके बाद भी केन्द्र सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया और उन्होंने कहा था कि 124.01 लाख की जो स्वीकृति है उसको केन्द्र सरकार पूरी तरह से नहीं दे पायेगी और इसके लिए राज्य सरकार को विद्युत लाइन,

(सुश्री गिरिजा व्यास)

सम्पर्क सड़क, जलापूर्ति और पर्यावरण सुधार के लिये देना पड़ेगा। इस तरह राज्य और केन्द्र सरकार दोनों के मिले-जुले प्रयास से मेवाड़ काम्पलेक्स की पूर्ति होना सम्भव होगा। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्या को, अन्य सदस्यों को निवेदन करना चाहती हूं, वैसे मैं उनको बता देना चाहती हूं, उनके कार्यकाल में एक काम्पलेक्स की बात शुरू हुई और उसी काम्पलेक्स के तहत हमने राजस्थान को अब सात काम्पलेक्स में बांटा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि निरन्तर तब से राज्य सरकार इस ओर प्रतिबद्ध है और मैं तो निश्चित रूप से प्रतिबद्ध होऊंगी क्योंकि मैं मेवाड़ को बिलांग करती हूं। इसलिये 1988 से जब इसको सिद्धान्ततः स्वीकृति मिलने की बात हो गयी हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं और एक-एक, दो-दो योजनायें हम केन्द्र से मनवा करके इस कार्य को चालू करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि हमने विभिन्न कलेक्टर्स को यह लिख दिया है कि वे हमें पहले भूमि उपलब्ध करायें। इस बीच बहुत सी जगह की भूमि पर अवैध कब्जे हो गये हैं, बहुत सी जगह पर सरकार की बिल्डिंग बन गयी हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि हम अपना कार्य प्रारम्भ करें। कलेक्टर्स को हमने लिख दिया है, आदेश दे दिया कि वह हमें भूमि शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायें ताकि हम कार्य कर सकें।

वैसे मैं यह भी निवेदन कर दूं कि किसी भी क्षण, किसी भी दिन योजनाओं की स्वीकृति धीरे-धीरे आनी प्रारम्भ हो गई है इसलिए स्वीकृति आती रहेगी और जमीन जैसे ही उपलब्ध होती रहेगी हम अपना कार्य प्रारम्भ कराते रहेंगे। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, यह बात मैं सदन में कहना चाहती हूं।

माननीय सदस्या का दूसरा प्रश्न था, चित्तौड़गढ़ की फ्लड लाइटिंग का। उस सम्बन्ध में हमें इसके लिए पैसा केन्द्र सरकार से मिल गया है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से बातचीत चल रही है। जैसे ही हमें इसकी मन्जूरी मिलेगी वैसे ही कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

माननीय सदस्या महोदया ने काम्पलेक्स की बात और फोल्डर की बात कही। मैं उनसे निवेदन कर दूं कि इस बार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम राजस्थान को सात काम्पलेक्स बांटें। उसके अतिरिक्त राजस्थान के पर्यटन को हम थीम बेसिस पर भी लोगों के सामने प्रोजेक्ट करें। राज्य सरकार का तीसरा निर्णय यह भी है कि हम काम्पलेक्सवाइज फोल्डर्स बनायें। राज्य सरकार प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में काम्पलेक्सवाइज फोल्डर्स भी आ जायेंगे उसके पूर्व जो हमें मन्जूरी मिल गयी थी उसके तहत हमने इस फोल्डर्स को लिया। मैं इसी के तहत विद्याजी के प्रश्न का उत्तर भी दे दूं। मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हिन्दी में यह फोल्डर हो। इसका हमने कर दिया है, हिन्दी का फोल्डर बहुत शीघ्र ही आ जायेगा। पोस्टर का जहां तक प्रश्न है वह अंग्रेजी में ही है लेकिन हम अगले जो पोस्टर छपवायेंगे उसमें राजस्थानी, हिन्दी में भी लिखा दिया जायगा आपसे यह निवेदन कर दूं।

एक प्रश्न और था ऐतिहासिक स्थलों

(14)

(सुश्री गिरिजा व्यास)

के सम्बन्ध में माननीय सदस्या ने पूछा था । पर्यटन विभाग का कार्य इन स्थानों के लिए, अपने प्रकाशन के लिए, अपने दूसरे साधनों से उन्हें उजागर करके और पर्यटकों को सुविधा देने का है । इसी तरह से जहां पर्यटक पहुंचें, उन्हें सुविधा मिले इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है । पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग ऐसे स्थानों के रख रखाव का कार्य करते हैं । हमने जो योजनायें ली हैं उनकी सूचनायें हमने टेबल पर रख दी हैं ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपेक्षा यह करती थी कि जैसे पाइंटेड प्रश्न थे उनका उत्तर वैसे ही आता । माननीय मन्त्री महोदया को जो जानकारी थी वह बोल गयीं । लेकिन मेरे सवाल का उत्तर तो फिर नहीं आया । इसकी डिले की वजह से, इनकी डिलिंग की वजह से ये योजनायें खटाई में पड़ गयीं, माननीय अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहुत स्पष्ट जवाब आया है, इससे सम्बन्धित है, उनको भी सुन लें ।

श्रीमती विद्या पाठक : सीरियस हैं, पाइन्टेड है, उनका क्यों नहीं आया ?

श्री उम्मेदी लाल : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक ही बात । मेरे सब डिवीजन करौली में एक बहुत ऐतिहासिक महत्व का किला है सुमनगढ़ उस भाग में भी क्या कोई योजना बनायेंगे ? कोई योजना नहीं बनाई है ?

श्री अध्यक्ष : हां, सुमनगढ़ का भी देखना, साहब । श्री सी. पी. जोशी । बहुत इम्पार्टेंट प्रश्न है ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत पाइन्टेड क्वेश्चन मन्त्री महोदय से पूछना है । मुझे दुख है कहते हुए कि माननीया मन्त्री महोदया ने अपने जवाब में कहा कि 78–79 में मेवाड़ काम्पलेक्स की यह व्यवस्था हुई थी, अपने आप को पहले तो करेक्ट कर लें कि श्रीमती इन्दिरा गांधी हल्दी घाटी पर आयी थीं उसके बाद उनके निर्देशन पर मेवाड़ काम्पलेक्स की योजना बनी थी । इसलिए मेरा पाइन्टेड प्रश्न यह है, नंबर एक, मेवाड़ काम्पलेक्स की योजना की स्वीकृति 1985 में नहीं हुई है, माननीय मन्त्री महोदया, यह स्वीकृति 80 के अन्दर हो गई है । तत्कालीन पर्यटन राज्य मन्त्री नरेन्द्र सिंह जी भाटी ने यह कहा कि राजस्थान सरकार ने वित्तीय कन्ट्रीब्यूशन नहीं किया, इसलिये इन्सटेंट जो यूनिट बनी हुई है, उससे फाइनेंस ले करके हम उसको डवलप करेंगे । नम्बर एक, क्या आपकी जानकारी में है कि माननीय मन्त्री महोदय ने सदन को उस वक्त आश्वस्त किया था कि राजस्थान सरकार वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं करा पा रही है, इसलिए जो इंसटेंट यूनिट बनी हुई है, उससे फाइनेंशियल कोलेबोरेशन करके इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन करेंगे ? नम्बर दो, जो ओरिजिनल स्कीम थी उसमें पूरा परिवर्तन कर दिया गया है । मैं कह रहा हूं एक करोड़ चार लाख रुपये की स्कीम थी और आपके हिसाब से आज की स्कीम केवल मात्र 88.40 लाख की है । आपने स्टाप तो ज्यादा बढ़ा दिये और कास्ट उसकी कम हो गई । यह आपका पापुलिस्टिक टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम है, वहां माननीय मन्त्री महोदया

(श्री सी. पी. जोशी)

क्या आप सदन को कहना चाहती हैं कि चित्तौड़ की स्कीम कराई है आपने मेवाड़ काम्पलेक्स में ? सदन को कम से कम सही बात बतायें, आपका लैटर है इसके अन्दर यह डिपार्टमेंट में जो फ्लड लाइट सैंक्शन हुई हैं, इसका कोई संबंध मेवाड़ काम्पलेक्स से नहीं है । आप किस तरह का जवाब देना चाहती हैं ? आप जवाब दे रही हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट का । उसको आपने एक्सपांशन के लिये प्रस्ताव भेजा है **This is something else. But till today** मेवाड़ काम्पलेक्स की जो योजना थी, उस स्कीम में परिवर्तन करके आप न तो मेवाड़ काम्पलेक्स की योजना को लागू कर रही हैं और आप जवाब दे रही हैं कि हमने चित्तौड़ में फ्लड लाइट लगवा दीं, हमने गोगुंदा में यह काम करवा दिया । आप तो यह जवाब दे दीजिये आज के दिन इस मेवाड़ काम्पलेक्स की योजना चाहे संशोधित हो या वर्तमान में जो बनी हुई है, वह स्वीकृत हुई है या नहीं । यदि हुई तो उसके अन्तर्गत भारत सरकार से कितने पैसे आपको मिले ? Don't say about Chittorh and Gogunda. They are not part of Mewar complex Scheme. उनका लैटर है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम सदन में जो जवाब दें तो उसे टु दी पाइंट दें । यह जो फ्लड लाइट का जवाब है, मैं मन्त्री महोदया का लैटर पढ़ रहा हूं । यह मिनिस्ट्री आफ टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, डायरेक्टर जनरल का । इस लैटर में फ्लड लाइट का सैंक्शन मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत नहीं किया गया है । आप जवाब दे रही हैं कि हम इसमें फ्लड लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं । आप एक सीधा जवाब दें कि आज के दिन इस क्षण तक क्या भारत सरकार ने मेवाड़ काम्पलेक्स की आपकी संशोधित योजना को स्वीकृत कर दिया है ? नंबर वन । और स्वीकृत कर दिया तो उसके पेटे भारत सरकार से आपको कितने पैसे मिले ?

श्री अध्यक्ष : श्री पंचोली जी ।

श्री पंकज पंचोली (बेगूं) : माननीय मंत्री महोदया ने जवाब दिया है कि मैनाल के अंदर सिद्धांततः स्वीकृति मिल गयी है । पहला तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या मैनाल भी पार्ट है इस मेवाड़ काम्पलेक्स योजना का ?

श्रीमती विद्या पाठक : नहीं है ।

श्री पंकज पंचोली : मैनाल नाम का स्थान जो कि मानूगढ़ और बेगूंगढ़ के बीच में पड़ता है और बड़े ऐतिहासिक महत्व का स्थान है । दूसरा सवाल यह है कि सिद्धांततः स्वीकृति मिल गयी है, सिद्धांततः मतलब इसके लिये पैसा मिल गया है क्या या कब तक पूरा कर देंगे इस कैफेटेरिया को, मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री दीनबन्धु जी ।

श्री दीनबन्धु वर्मा (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि उन्होंने अथवा राज्य सरकार ने अभी तक 14 परियोजनायें भारत सरकार के विचारार्थ तथा स्वीकृति के लिए भेजी हैं । क्या इसका यह मतलब नहीं निकलता कि हमारे प्रदेश की सरकार की किसी भी प्रकार की लाबी भारत सरकार के अंदर नहीं है इसके कारण हमें एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा ? क्या

(श्री दीनबन्धु वर्मा)

मुझे इस बात का जवाब देना चाहेंगी । आप एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, दूसरी तरफ पांच साल में आपने एक भी परियोजना सैंक्शन नहीं करवायी । कृपया इस बारे में विस्तार से सदन को बतायें ।

श्री अध्यक्ष : श्री बिजेन्द्रपाल सिंह जी । संबंधित प्रश्न पूछें ।

श्री सी. पी. जोशी : मेवाड़ काम्पलेक्स के बारे में बात कर लें आप पहले ।

श्री बिजेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से । देवगढ़ के अंदर मिडवे बनाने का विचार रखती हैं या नहीं ? और अगर हां, तो कब तक इसका निर्माण हो जायगा ?

श्रीमती विद्या पाठक : वह भी मेवाड़ काम्पलेक्स का पार्ट नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी । (व्यवधान) वह आपके जैसलमेर का अलग से है । वह इसमें मिक्सअप मत करो । एक मिनट ।

श्री सी. पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, पहले मेवाड़ काम्पलेक्स की बात कर रहे हैं don't sidetrack. No, not Hon'ble Speaker. I have specific point on Mewar complex. It is not adout tourism. आप मेवाड़ काम्पलेक्स के बारे में बात करवाइये । जनरल डिबेट मत करवाइये । नहीं तो सारी भावना खतम हो जाती है हमारी । आप यह व्यवस्था दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी, आप कभी तो बैठें ।

श्री मुल्ताना राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि जैसलमेर पर्यटन की दृष्टि दुनियां के नक्शे में है ।...(व्यवधान) इससे संबंधित है, अलाउ किया है मुझे ।

श्री सी. पी. जोशी : इसका क्या मतलब हुआ ? आप हर किसी को देते रहेंगे । हमारे प्रश्न का जवाब आयेगा नहीं । आप दूसरों को बोलने दे रहे हैं। पाइंटेड क्वेश्चन है, मेवाड़ काम्पलेक्स का । आप जनरल डिबेट करा रहे हैं इस पर ।

श्री मुल्ताना राम : भाई साहब, आपसे संबंधित है ।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह सारा प्रश्न मेवाड़ काम्पलेक्स तक सीमित है । मगर चर्चा चारों तरफ होती जा रही है । मूल प्रश्न का जवाब स्पष्ट नहीं आ पा रहा है ।

श्री मुल्ताना राम : अध्यक्ष जी, विदेशी मुद्रा की करोड़ों की आमदनी सरकार को होती है ।

श्री पंकज पंचोली : इसका तो सवाल ही नहीं है, कैसे अलाउ कर रहे हैं आप ?

श्री मुल्ताना राम : मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो इससे संबंधित है कि जैसलमेर में टूरिस्ट सीजन में लोग तंबुओं में रहते हैं, वहां पर तीन वर्ष पहले ही एक गोडान गांव की योजना आपके विचाराधीन है वह कब तक आप स्वीकृति देंगे और कब उसकी कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीया मंत्री जी ।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दीजिये कि पहले केवल मेवाड़ काम्पलेक्स के बारे में ही आयेगा । डोन्ट गिव लेटीट्यूट । इसको आप लेटीट्यूट देकर क्या चाहते हैं । स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसका स्पेसिफिक जवाब दिलवाइये । आप क्वेश्चन को जनरल करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी ।

सुश्री गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो सदन में यह निवेदन करना चाहती हूं कि मेवाड़ काम्पलेक्स के ही संकीर्ण काम्पलेक्स को हमने हटा करके क्योंकि केवल महाराणा प्रताप के ऊपर ही यह छः काम्पलेक्स हुए थे, हमने कोशिश की कि एक विस्तृत मेवाड़ काम्पलेक्स बने जिसका प्रारम्भ मैनाल से हो, क्योंकि मेवाड़ का मतलब केवल महाराणा प्रताप नहीं है, मेवाड़ का इतिहास एक ऐसा इतिहास है, जो प्रारम्भ होता है आपके चित्तौड़ से, मेवाड़ से वह चला जाता है उत्तर तक । (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : महाराणा प्रताप तो मेवाड़ की नहीं पूरे राजस्थान की शान हैं । और इसकी योजना भी यही थी कि केन्द्र से सारा पैसा मिलेगा ।

श्री देवीलाल : पहले सुन तो लो माननीय सदस्य ।

श्री सी. पी. जोशी : इसका क्या मतलब हुआ ? यह स्कीम 1977 में मेवाड़ काम्पलेक्स महाराणा प्रताप के लिये बनी थी केवल ।

श्री अध्यक्ष : आप पूरा उत्तर सुन लीजिये ।

श्री सी. पी. जोशी : यह मेवाड़ काम्पलेक्स केवल महाराणा प्रताप से संबंधित जगहों के लिये हुई है । आप मेवाड़ के इतिहास की बात करना चाहते हैं ।

सुश्री गिरिजा व्यास : माननीय सदस्य, अपने आपको करेक्ट कर लें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने सारे ऐतिहासिक धरोहरों को तोड़ दिया, वहां जाकर महाराणा प्रताप का करोगे ।

श्री सी. पी. जोशी . आप अपनी बात को थ्योरीटिकल बताना चाहती हैं कि यह हो रहा है, वह हो रहा है । we want only to know about Mewar Complex relevant with Maharana आप अपनी सेफ्टी के लिये बात करना चाहते हैं । आपने जवाब यह दे दिया कि यह मेवाड़ काम्पलेक्स शुरू हो गई, वह शुरू हो गयी । और आप मेवाड़ के इतिहास की बात करना चाहती हैं । आप स्पेसिफिक कहिये 1977 में केवल मात्र महाराणा प्रताप से संबंधित जगहों को डवलप करने के लिये मेवाड़ काम्पलेक्स की योजना बनी है । आप इसका क्या करना चाहते हैं ? आप टूरिज्म डिपार्टमेंट को निवेदन कर रहे हैं । कैफेटेरिया बना रहे हैं, इनका मेवाड़ काम्पलेक्स से क्या संबंध है ? मेवाड़ जो महाराणा प्रताप की धरोहर थी केवल उसको डवलप करने के लिये बात आपको करनी चाहिये । आप कह रहे हैं हम यहां यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं । मंत्री महोदया कोशिश कर रही हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के डवलपमेंट के लिये, बट डोंट

(18)

(श्री सी. पी. जोशी)

साइड ट्रेक। जैसे यह सब टूरिस्ट को अट्रेक्ट करने के लिये किया गया हो, यह मेवाड़ के इतिहास के लिए नहीं किया गया है ? आप मेवाड़ के इतिहास को इसमें क्यों मिक्सअप करना चाहती हैं ?

श्री बिजेन्द्रपाल सिंह : इसका नाम महाराणा प्रताप काम्पलेक्स ही क्यों नहीं रखा दिया जाये। मेवाड़ काम्पलेक्स क्यों रखा है आपने ?

श्री रतनलाल ताम्बी : यह तो 77 में रखा गया था, उस समय सोचने की बात थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सुश्री गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय इसे गहराई से समझने की कोशिश करें। मैंने यह कहीं नहीं कहा कि मेवाड़ काम्पलेक्स महाराणा प्रताप से कहीं अलग है। मैंने सिर्फ यह बात कही है कि मेवाड़ काम्पलेक्स में महाराणा प्रताप से संबंधित जो स्थान हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे स्थानों को भी लिया जायेगा और लिया जाना चाहिये जैसा कि सदस्य महोदय कह रहे हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : मगर ऐसा क्यों किया गया जबकि इसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है ?

श्री सी. पी. जोशी : आपकी छोटी स्कीम थी महाराणा प्रताप की।

श्री बिजेन्द्रपाल सिंह : महाराणा प्रताप के साथ महाराणा सांगा थे, उन्होंने भी बहुत काम किये हैं, क्या बात करते हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसके पहले कृपया सुन लें।

सुश्री गिरिजा व्यास : मैं सबसे पहले नाथद्वारा से आने वाले सदस्य से एक बात पूछना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो एक प्रश्न नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य महोदय से पूछना चाहती हूं कि रक्त तलाई में जितने बड़े कार्य होते जा रहे हैं, आज रक्त तलाई में वहां पंचायत समिति के मकान बनवा दिये हैं, उन्होंने अनआथोराइज्ड् कब्जे करवा दिये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वहां पर विकास कैसे करें। आप बात कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : किसने बनवाये हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया क्या कहना चाहती हैं ? किससे कहना चाहती हैं आप ?

सुश्री गिरिजा व्यास : आपको।

श्री सी. पी. जोशी : मेरे को ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर चार्ज लगाया है। मैं मन्त्री महोदय पर आरोप लगाता हूं कि यदि एक भी मकान बनवाया है तो मेरे से त्याग पत्र ले लें अन्यथा खुद त्याग पत्र दे दें। यह भाषण इसलिये नहीं दिया है। खाली पापूलरिटी के नाम पर अखबारों में स्टेटमेंट दे रहे हैं...

सुश्री गिरिजा व्यास : पंचायत समिति के मकान नहीं बने हैं ?

श्री सी. पी. जोशी : कि कब्जा काम कर रहे हैं, यह कर रहे हैं। आज दिन तक एक

(श्री सी. पी. जोशी)

नया पैसा भारत सरकार से आप लाये नहीं, रोजाना अखबारों में स्टेटमेंट दे रहे हैं । हाडौती की स्कीम बन गई है, मेवाड़ की स्कीम बन गई है, मेवाड़ काम्पलैक्स शुरू हो गया है । कम से कम भगवान के लिए असत्य मत बोलो । आपको जो कुछ भी करना है ठीक करें लेकिन यह बात मत कहिये । रक्त तलाई पंचायत समिति कब बनी, मालूम है आपको ? पंचायत समिति बनी 1957 में...

एक माननीय सदस्य : महिला मन्त्री महोदया की बारीक आवाज है, दबाओ मत । बोलने तो दो इनको । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सी. पी. जोशी ।

श्री सी. पी. जोशी : आप खाली अपना भाषण देना चाहती हैं, न तो प्रश्न का जवाब आता है, मेरे ऊपर चार्ज लगाते हैं, किस बात के लिए ?

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी ।

श्री प्रभूलाल मीणा : आप सुनें तो सही । जवाब तो देने दें पहले । घर की लड़ाई उदयपुर में लड़ना ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती कमला (परिवार कल्याण राज्य मंत्री) माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य माननीय मंत्रीमहोदय की बात पूरी सुनें । मेवाड़ काम्पलेक्स पहले छोटा था, किसी एक विशेष दृष्टिकोण से बनाया, जैसा कि उन्होंने कहा है.

श्री दीनबन्धु वर्मा : इसका क्या मतलब हुआ साहब ? आप हमारे काम्पलेक्स के लिए कहें, यह कोई बात हुई, साहब ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय मंत्री महोदया, डोन्ट प्रोटेक्ट, सदन के अन्दर प्रोटेक्शन नहीं करें... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं प्रोटेक्ट नहीं कर कर रही हूं । मैंने इस मामले को डील-अप किया हुआ है । मेवाड़ काम्पलेक्स का मतलब मेवाड़ है न कि एक स्पेसिफिक बिन्दु है ।

एक माननीय सदस्य : यह बात तो गलत है आपकी ।

श्री सी. पी. जोशी : यह कहां से आया आपका ?

श्रीमती कमला : यह मेरे पास जब विभाग था तब भी मैंने इसको डील-अप किया था ।

श्री सी. पी. जोशी : 1977 में मंत्री महोदया, मेवाड़ काम्पलेक्स... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप इसको छोटा क्यों करना चाहते हैं ? कोई भी टूरिस्ट वहां आये, मेवाड़ की पूरी तस्वीर, मेवाड़ की पूरी जगहों को देखकर जावें, इस तरह का एक पैकेज बनाने का गवर्नमेंट का प्रोग्राम है...

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी, आप बैठिये । सुन लें पहले ।

श्री सी. पी. जोशी : किस बात पर बैठें, अध्यक्ष महोदय, ? आप प्रश्न को साइड ट्रेक करवा देना चाहते हैं । छोटी स्कीम के लिए पैसा आपके पास आ नहीं रहा है, बड़ी स्कीम बनाकर आप क्या करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुन लें ।

श्री दीनबन्धु वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि ओरिजिनली आप मेवाड़ काम्पलेक्स को बड़ा करने जा रहे हैं इससे नुकसान होगा । आप इसका एक्सटेंशन सैकण्ड फेज में लीजिये या ओरिजिनल स्कीम को आप चलने दीजिये, उससे काम चलाते रहेंगे । मैं आपको बताऊं कि जब तहसीलदार ने वहां के लोगों की जमीन भी ले ली, सारे काम ले लिये, खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं, मेरा मतलब यह है कि मन्त्री महोदय का अगर कोई प्रोग्राम भी है तो उसको फेजेज में डाल दें, बाकी ओरिजिनल मेवाड़ काम्पलेक्स को यथावत चलने दें ।

श्री अध्यक्ष : बैठें ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : सुन तो लें पहले ।

श्री सी. पी. जोशी : वहां पर 1977 से लेकर 89 तक मकान नहीं बना रहे हैं, परमिशन नहीं दी जा रही है, जमीन रोक रखी है आपने । आप नहीं बनाना चाहते, आप केन्सिल कर दें पर भगवान के लिए लोगों को क्यों तकलीफ दे रही हैं आप ? आप कह रही हैं 1977 से स्कीम चल रही है, आप मना कर दीजिये कि स्कीम नहीं बन रही है, लोगों का काम तो कम से कम...

श्री अध्यक्ष : पहले सुन लीजिये, पूरा सुन लीजिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है...

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोटेक्ट कीजिये राज्य मंत्रीजी को ।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेवाड़ काम्पलेक्स योजना जो बनी है, क्या भारत सरकार से लौटकर आई है और उन्होंने दिये हैं कि इसमें सब शामिल करके भेजी जाय । एक प्रश्न तो यह है मेरा । दूसरा प्रश्न यह है कि फेजेज में बन सकता है प्रोग्राम ? पहला प्रोग्राम लागू हो जाये इसके बाद एक्सपांशन करना चाहिये । मूल योजना ही समाप्त हो जाय, यह बात उचित नहीं है । इसलिए ये दोनों स्थिति साफ होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री शोपत सिंह : मगर आप सजेशन दीजिए, आप धमकाइये मत । सजेशन दीजिए, कम से कम मेहरबानी करके ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय भैरोंसिह जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रति.): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि ओरिजिनल मेवाड़काम्पलेक्स भारत सरकार की अनुमति से बना था । भारत सरकार के मन्त्री महोदय ने घोषणा भी की थी और बाद में भारत सरकार की ओर से इस मेवाड़ काम्पलेक्स की स्वीकृति हो गई । माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि इसका हमने विस्तार किया है । एक तो मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि, यह जो आपने विस्तार किया है, इसकी क्या भारत सरकार से आपने अनुमति ली है ? प्रश्न प्रथम । दूसरे मैं यह जानकारी चाहूंगा कि ओरिजिनल मेवाड़ काम्पलेक्स और एक्सटेन्डेड मेवाड़ काम्पलेक्स इन दोनों में आपने पब्लिक की किन-किन एक्टीविटीज पर कब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से रेस्ट्रीक्शन इम्पोज किया हुआ है ? मकान नहीं बना सकते जमीन नहीं ले सकते, इस प्रकार की पाबन्दियां आपने कब से लगा रखी हैं और इन पाबन्दियों के कारण से इस मेवाड़ काम्पलेक्स का जो ढांचा आप खड़ा करना चाहती हैं, क्या आपने उसकी कोई टार्गेटेड डेट, कार्यक्रम, लक्ष्य निर्धारित्त किये हैं और क्या उन लक्ष्यों के अनुरूप कार्य हुआ है ? मैं यह दो जानकारी चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । कृपया सुनेंगे । बीच में नहीं बोलेंगे, इंट्रप्शन नहीं करेंगे पूरा सुनेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो कब्जा दिलवाया वह भी बता दें ।

श्री अध्यक्ष : अब देखिये मेहरबानी करके आर्डर प्लीज ।

सुश्री गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूंगी कि जो मैंने पूर्व में अच्छी तरह से निवेदन किया है कि बार-बार जो कमेटीज बनीं और प्रतिवेदन भेजे, उनमें मेवाड़ काम्पलेक्स को छह योजनाएं हैं जो उन्होंने ग्रामीण विकास के द्वारा की थीं, छह योजनाएं हैं । उसके बाद मैंने दूसरा पाइंट यह कहा था कि वह योजना तो है ही जो प्रताप के जीवन से संबंधित है, यह मेवाड़ काम्पलेक्स का एक रूप है और उसका मैं संशोधित रूप भी नहीं चाहती हूं । मैं कह रही हूं कि जब तक वह योजना मंजूर होकर नहीं आती तब तक हम लोग बैठे तो नहीं रहते । हमने उसके आस-पास के क्षेत्रों का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने की कोशिश की है । आपका उत्तर दो मिनट में दे रही हूं, भैरोंसिंह जी साहब । इसलिए आप उसको एक्सटेन्डेड काम्पलेक्स भी नहीं कह सकते । लेकिन मेवाड़ काम्पलेक्स का जो छोटा रूप था, जैसा कमला जी अभी बता रही थीं, उसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया । इसका अर्थ यह कदापि नहीं हुआ कि जो पहले का मेवाड़ काम्पलेक्स को छह भागों में विकसित करने का रूप था उसे हमने परिवर्तित किया, परिवर्द्धित किया या उसको हमने ड्राप-आउट किया । उसको हमने इन्टेक्ट रखा है और हम रखेंगे, यह बात सबसे पहले मैं सदन में स्पष्ट कर देना चाहती हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने इसको बनने नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : नो इंट्रप्शन । आप जवाब देती जाइये । बीच में बोलेंगे नहीं ।

सुश्री गिरिजा व्यास : आपने यदि मुझे पूरी तरह से सुना होता तो आप समझ गये होते कि हम लोग 80 से लेकर अब तक बार-बार प्रतिवेदन भेजते रहे और माननीय सदस्य महोदय अभी बड़े जोश में बात कर रहे थे लेकिन मेवाड़ काम्पलेक्स का सबसे पहला क्वेश्चन 85 में मेरा ही था...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इंट्रप्शन न करें...

श्री सी. पी. जोशी : मैंने 80 में क्वेश्चन दिया और नरेन्द्र सिंहजी भाटी ने जवाब दिया है । अपने आपको काहे को बुद्धिमान बता रही हैं । आप बहुत बड़ी विद्वान होंगी...

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी, सुन तो लें । माननीय जोशी जी ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 80 से 85 तक सदन में रह चुका हूं और नरेन्द्र सिंह जी भाटी ने जवाब दिया। आप क्या साइड-ट्रेक करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : आप पहले अपनी पूरी इन्फार्मेशन लेकर आयें फिर जवाब दें, हाउस के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी, आप जवाब तो देने दीजिये। आप कृपया जवाब तो सुन लीजिये।

सुश्री गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, नवम्बर 85 में यह योजना पुनः भारत सरकार को भेजी गई...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया सुनें। इतने प्रश्न हो गये, बहुत टाइम हो गया।

सुश्री गिरिजा व्यास : 1985 में यह योजना पुनः भारत सरकार को भेजी गई, उसके बाद एक कमेटी बनी और पुनः हमसे प्रतिवेदन मांगा और 88 में सिद्धान्त रूप में यह योजना स्वीकृत हुई और फेजेज में इसके लिए प्रशासनिक अनुमति मिलती जा रही है और हम अपना कार्य शुरू कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिंह साहब ने दो प्रश्न पूछे थे। एक तो जो इसका एक्सटेंशन हुआ इसके लक्ष्य क्या हैं और दूसरा जो प्रश्न था कि इसमें जो आये हैं, उसमें किस तरह की रोक लगी हुई है ? मैं उनको निवेदन कर दूं-एक्शटेंशन के सम्बन्ध में तो मैंने निवेदन कर ही दिया कि वह इन्टेक्ट रूप बना हुआ है, हमने उसको बिगाड़ा नहीं है बल्कि उसको और भी विस्तृत करने की कोशिश की है। दूसरा यह है कि केवल मकानों और जमीनों पर रोक है और वह रोक इसलिए जरूरी है कि हमें कभी भी मंजूरी मिलने जा रही है इसलिए जैसे ही मंजूरी मिलेगी जैसे गोगुन्दा की मंजूरी मिल गई...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रोक कब से है ? किस तरह की रोक है ? यह है प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : तारीख नहीं है, कोई बात नहीं।

श्री शोपत सिंह : यह प्रश्न अलग से है।

सुश्री गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की तरफ से न कोई रोक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के...

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये, माननीय।

श्री सम्पत सिंह : मंत्रीजी इतना जवाब और दे दें कि मेवाड़ काम्पलेक्स में राणा और जो बाबर का युद्ध हुआ था, एक मिनट सुन लें, साहब, फिर बंद हो जायेगा, तो क्या खानवा भी इस एक्सटेंशन में शामिल है क्या बयाना में मेवाड़ काम्पलेक्स के इतिहास के संदर्भ में...

सुश्री गिरिजा व्यास : आपके प्रश्न का उत्तर में बाद में दूंगी। इस तरह की कोई रोक विभाग से नहीं है, केवल कलक्टर को हमने रिक्वेस्ट कर रखी है। मेवाड़ काम्पलेक्स में कोई इस तरह की रोक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब है, कलक्टर ने आदेश नहीं निकाले हैं ? कलक्टर ने आदेश निकाले हैं, लोगों का प्रोसीक्यूशन हुआ है...

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कलक्टर ने बिल्कुल बैन कर रखा है, मेवाड़ काम्पलेक्स के अन्दर कि न जमीन खरीद सकते हैं, न मकान बना सकते हैं और आप कह रही हैं कि कोई रोक नहीं है । आप जानकारी करेक्ट कर लें, सदन के सामने असत्य बात, मन्त्री महोदय नहीं कहें । कलक्टर ने वहां पर रोक लगा रखी है और आप कह रही हैं कि नहीं । यह योजना सिद्धान्ततः स्वीकृत नहीं हुई है तो 77 के बाद रोक कैसे लगा रखी है ?

सुश्री गिरिजा व्यास : रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रखी है, विभाग की तरफ से कोई रोक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे स्पष्ट कर दीजिये, आपने यह कहा कि कि आपके विभाग की तरफ से इस प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई बल्कि कलक्टर से आपने रिक्वेस्ट की है । क्या आपकी जानकारी में है कि आपकी इस रिक्वेस्ट के आधार पर कलक्टर ने आदेश निकाल कर लोगों के मकान बनाना या खेती की जमीन को बेचना या किसी प्रकार का परिवर्तन करने पर पाबन्दी लगा रखी है और यदि आपकी इच्छा के विपरीत लगाई है तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप सदन में घोषणा कर दें कि कलक्टर के आदेश आज के बाद निरस्त समझे जायेंगे ।

सुश्री गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने यह कहा है कि सदन के अन्दर घोषणा कर दूं । यह तो इसलिए सम्भव नहीं होगा क्योंकि निश्चित रूप से हमें यह जमीन चाहियेगी।... निश्चित रूप में हमें जमीन चाहिए, मेवाड़ काम्पलेक्स बनेगा । लेकिन हमारी जितनी रिक्वायरमेण्ट है केवल उतनी जमीन के लिए ही कहूं कि हम लेना चाहते हैं । हमें कोई आर्डर नहीं दिया था । मैं जानकारी कर लूंगी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत कोई आर्डर है और अगर है तो उसके तहत जो कार्यवाही है, वह करूंगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 188. आप सप्लीमेण्ट्री नहीं करेंगे ।

मुंडावर (अलवर) में मुंसिफ कोर्ट

188. **श्री महेन्द्र शास्त्री** (मुंडावर) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) तहसील मुंडावर, जिला अलवर के मुख्यावास पर न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं मुंसिफ कोर्ट कब तक स्थापित किये जाने का सरकार का विचार है ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों ?

विधि मंत्री (श्री रघुनाथ विश्नोई) : (1) मुंडावर तहसील जिला अलवर के मुख्यालय पर न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं मुंसिफ कोर्ट की स्थापना का सरकार का अभी कोई विचार नहीं है ।

(2) धनाभाव के कारण उक्त कोर्ट की स्थापना करना सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बड़ी अशुभ घड़ी में आपने सवाल किया है ।

श्री महेन्द्र शास्त्री : आपकी कृपा रहेगी तो घड़ी भी शुभ हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आप तो खुद शास्त्री हैं वह मुहूर्त निकाल करके करते।

श्री महेन्द्र शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मुहूर्त देखकर आया हूं। सरकार की न्यायालय खोलने की नीति क्या है? क्या सरकार जनता को सस्ता न्याय दिलाना चाहती है। दूसरा सवाल है, क्या माननीय उच्च न्यायालय से इस न्यायालय को खोलने की अनुमति मिल चुकी है? तीसरा सवाल यह है कि वित्तीय साधनों की समस्या वहां नहीं है क्योंकि पंचायत समिति मुंडावर ने सर्वसम्मत आवासीय भवन बनाने के लिए अपना प्रस्ताव पारित किया हुआ है। क्या यह भी सही है कि हमारी सांसद एक वकील हैं और वहां पर न्यायालय खोलने से उनको असुविधा पैदा होती है और सरकार उनकी असुविधा के कारण वहां न्यायालय नहीं खोलना चाहती है? क्या यह भी सही है कि जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट, किशनगढ़वास में हैं उनके यहां पर 829 वाद सिर्फ मुंडावर पंचायत समिति के हैं और वह सिर्फ मुंडावर पंचायत समिति के ही वाद सुनता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि सरकार की नीति क्या है। सरकार की नीति तो यह है कि जहां तक हो सके सस्ता न्याय दिलाया जाय और उसके लिए कैम्प भी लगाते हैं, लोक अदालतें भी चलाते हैं। कोशिश यह है कि सस्ता न्याय लोगों को सुलभ कराया जाय।

श्री महेन्द्र शास्त्री : सन् 1987 से आपका यही जवाब है और अभी जो आपने जवाब दिया है वह भी यही है। वित्तीय स्थिति खराब बताते चले आ रहे हैं। हमारी वित्तीय स्थिति 1987 से खराब है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना की जाय यह सिद्धांततः तो ठीक है। परन्तु सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए कम से कम से कम खर्च हो, यह आवश्यक है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं मेरा तो यह कहना है कि कोर्ट यहां से उठाकर आपके मुंडावर में ट्रान्सफर करने की बात आती तो वह देखा जाता। वह तो नयी कोर्ट खोलने की बात कही, अभी वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह सम्भव नहीं है।

श्री महेन्द्र शास्त्री : आप ट्रान्सफर की बात करते हैं तो आप ट्रान्सफर की स्वीकृति दे दीजिए। जो कोर्ट है उसको ही आप स्थानान्तरित कर दीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : स्थानान्तरण का मामला नहीं है। न तो आपने पूछा है, न ऐसी बात पैदा हुई। आप पूछते तो यह बात आती।

श्री माणक डागी : बहुत अच्छे मुहूर्त में प्रश्न पूछा है, आप तो कोर्ट खुलवा दो।

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं? शास्त्रीजी कभी-कभी तो सवाल करते हैं।

श्री सम्पत सिंह : इस नगर में आपने 86–87 में मुंसिफ कोर्ट खोलने के आदेश किये हुए हैं और वहां कोई वित्तीय समस्या भी नहीं है तो वहां हम क्यों नहीं अदालत शुरू कर रहे हैं?

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या यह सही है कि जनता को सस्ता न्याय दिलाने की

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हमारी नीति है । मैंने भी प्रश्न पूछा और दूसरे लोगों ने भी प्रश्न पूछे हैं । सरकार ने हमेशा कहा कि वित्तीय प्रावधानों की कमी है और धन की कमी है । यह धन की कमी कब तक रहेगी? अगर धन की कमी रही तो सस्ता न्याय कैसे दिला पायेंगे ? ऐसी नीति निर्धारित होनी चाहिए । नवें वित्त आयोग में क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार के न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रावधान किया है ?

श्री अध्यक्ष : आप काहे को बहस कर रहे हैं । यह क्या है ?

श्री माणक डाणी : बहुत छोटी सी बात है....

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, नवलगढ़ में भी एक अतिरिक्त कोर्ट खोलने का कई दिनों से विचार चल रहा है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि...(व्यवधान)

श्री माणक डाणी : जब भी प्रश्न करते हैं तो यह जवाब आता है कि वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर उपलब्ध कराया जायेगा, तो कहां वित्तीय प्रावधान चाहिए और कहां वित्तीय प्रावधान नहीं चाहिए अगर यह साफ हो जाये तो असेम्बली में वित्तीय प्रावधानों के प्रश्न ही नहीं आयें । यह वित्तीय प्रावधान क्या बला है ? यह हर बात में वित्तीय प्रावधान लगा देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न था । प्रश्न इससे संबंधित नहीं था । प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या-322

(स्थगित)

सपोटरा क्षेत्र में राजस्व अभियान

323. **श्री ऋषिकेष मीणा** (सपोटरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में तहसील सपोटरा व उप तहसील मण्डरायल में इस वर्ष राजस्व अभियान चला है ? यदि हां, तो इस अभियान के अन्तर्गत धारा 91 के तहत विचाराधीन कितने मामलों का नियमन किया गया ? कितने मामलों में बेदखल किया गया ? किसान के नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) राजस्व अभियान के तहत वहां कितनी सिवायचक भूमि का आबंटन किया गया, कुल कितनी भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध थी कितनी भूमि की उद्घोषणा पत्र जारी कर आबंटन किया गया ? आबंटियों की ग्रामवार व नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या वहां अभियान के अन्तर्गत भूमि के पट्टे जारी कर आबंटियों को कब्जा मौके पर दिया जाकर नामान्तरण खोल दिये गये हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री ऋषिकेष मीणा)

(4) क्या वहां राजस्व अभियान के अन्तर्गत नामान्तरण दर्ज किये गये हैं । यदि हां, तो खातेदारी व विरासत के कितने-कितने दर्ज किये गये ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) वहां राजस्व अभियान के अन्तर्गत वृद्धावस्था एवं विकलांग कितने-कितने पेंशन केस तैयार किये गये ? क्या तैयार किये गये पेंशन केसेज की स्वीकृति दी जाकर पेंशन दी जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या राजस्व अभियान के अन्तर्गत सह खातेदारो के खातों का बटवारों का प्रावधान था ? यदि हां, तो वहां कितने खातेदारों के खातों का बंटवारा मौके पर किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत तहसील सपोटरा में मामला नियमन द्वारा 27 मामलें बेदखली द्वारा कुल 26 मामलें एवं उप तहसील मण्डरायल में 374 मामलों को बेदखली के आदेश से निर्णीत किया गया है । निर्णीत प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उक्त राजस्व अभियान शिविरों में तहसील सपोटरा में 296 एकड़ एवं उप तहसील मण्डरायल में 46 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया है । तहसील सपोटरा में 2234 एकड़ एवं मण्डरायल में 784 एकड़ भूमि उपलब्ध थी । उक्त समस्त भूमियों की उद्घोषणा जारी की गई थी । ग्रामवार व नामवार आवंटियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) उक्त सभी आबंटियों को आबंटित भूमि का कब्जा दिया जाकर मौके पर ही पट्टे जारी कर दिये गये हैं । आबंटियों के नाम इन्तकाल खोले जा चुके हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) उक्त राजस्व अभियान के दौरान तहसील सपोटरा में 739 एवं उप तहसील मण्डरायल में 294 गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने एवं तहसील सपोटरा में 605 तथा उप तहसील मण्डरायल में 347 विरासत के नामान्तरकरण दर्ज फैसले किये गये उक्त निर्णीत इन्तकालों की सूची सदन की मेज रख दी गई है ।

(5) राजस्व अभियान के अन्तर्गत तहसील सपोटरा में वृद्धावस्था 57 विधवा 114 विकलांग 33 पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए थे जिनमें से वृद्धावस्था 7 विधवा 15 विकलांग 3 में स्वीकृति जारी की जा चुकी है । इसी अनुसार उप तहसील मण्डरायल में वृद्धावस्था 20 विधवा 23 विकलांग 9 पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए थे जिनमें से वृद्धावस्था 6 विधवा 6 व विकलांग 2 के पेंशन प्रकरणों में स्वीकृति जारी की जा चुकी है । इस प्रकार कुल 256 मामलों में से 124 मामलें अपूर्ण होने, 51 मामलें पेंशन योग्य न होने से निस्तारण कम हुआ है । शेष स्वीकृति योग्य 81 मामलों में से 40 मामलों की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं । शेष में स्वीकृतियों का निर्णय लिया जा चुका है । इन मामलों का पी. पी. ओ. कार्यालय सवाईमाधोपुर से जारी होने पर पेंशन मिलना प्रारम्भ होगा ।

(राजस्व मंत्री)

(6) राजस्व अभियान के दौरान संह खातेदारों के भूमि विभाजन के मामलों को मौके पर निस्तारण किया गया है। इस प्रकार के तहसील सपोटरा में प्राप्त 35 व उप तहसील मण्डरायल के 4 मामलों का निर्णय कर दिया गया है। निस्तारित मामलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित बिजली घर

324. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) एवं **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सातवी पंचवर्षीय योजनाकाल में किस-किस विद्युत परियोजनाओं में किस-किस आधार के कितनी-कितनी मेगावाट के बिजलीघर बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? किस प्रकार परियोजनाओं को योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं?

(2) उक्त में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की जायेगी तथा कब तक पूर्ण हो जायेगी?

(3) क्या निजी क्षेत्र में बिजलीघर बनाने के प्रस्ताव भी राज्य सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो किस किससे किस-किस प्रकार से तथा कितनी-कितनी लागत के? सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही हैं?

उत्तर

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना काल (1985–90) में प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं का विवरण एवं योजना आयोग से स्वीकृति माह का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सातवी पंचवर्षीय योजना काल में प्रस्तावित योजनाओं पर अनुमानित लागत, मार्च, 1990 तक का प्रस्तावित खर्च तथा पूर्ण होने के लक्ष्य का विवरण भी उक्त परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया हैं।

(3) जी हां, निजी क्षेत्र में तापीय बिजली घर बनाने के लिये एक लाइसेन्स मै. सेन्चूरी टैक्सटाइल्स एवं इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई को राज्य सरकार ने 22 अप्रेल, 1988 को दे दिया है। जिसकी अनुमानित लागत लगभग 605 करोड़ रुपये है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना

325. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या झुंझुनू जिले में नवलगढ़ और मुकुन्दगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का सरकार का इरादा है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि 10-11 वर्ष पूर्व औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने

(श्री नवरंग सिंह)

के लिए इन क्षेत्रों के कुछ लोगों से अग्रिम राशि ली गई थी ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनू के नवलगढ़ और मुकन्दगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिये इन क्षेत्रों में औद्योगिक क्षमता की सम्भावनाओं पर सर्वेक्षण करवाकर निगम द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) जी हाँ, कुछ व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों के लिये अग्रिम राशि जमा कराई गई थी। विवरण परिशिष्ट "क" और "ख" संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ में गोबर गैस प्लान्ट

326. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) एवं **श्री मांगी लाल मेघवाल** (पाटन) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ जिलों में कहां-कहां पर कुल कितने गोबर गैस प्लान्ट लगाये हैं ?

(2) गोबर गैस प्लान्ट लगाने के लिये विभाग संबंधित किसान को क्या-क्या सहायता अनुदान (कितना) देता है ?

(3) गोबर गैस प्लान्ट लगने के कितने दिनों बाद तकनीकी अधिकारी प्लान्टों की जांच करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त तीनों जिलों में कितने गैस प्लान्ट सफल हुए हैं तथा कितने असफल ? असफल होने के क्या कारण हैं ? इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ जिलों में क्रमशः 981, 638 एवं 650 गोबर गैस प्लान्ट लगाये गये हैं। इनकी पंचायत समितिवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई हैं। (परिशिष्ट–1)

(2) गोबर गैस प्लान्ट के लिए विभाग द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि की सूचना सदन के पटल पर रखदी गई है। (परिशिष्ट-2)

(3) गोबर गैस प्लान्ट लगने के बाद जब भी इस क्षेत्र में कोई तकनीकी अधिकारी जाता है, तो गोबर गैस प्लान्टों का निरीक्षण करता है। लाभान्वित को प्रार्थना पर भी तकनीकी अधिकारी प्लान्टों की जांच करने जाता है।

(4) तीनों जिलों में 1749 गैस प्लान्ट सफल हुए (इनमें झालावाड़ जिले के 56 संयन्त्रों में गोबर भराई जारी है) एवं 520 असफल हुए हैं। असफल होने का मुख्य कारण धारकों द्वारा प्लान्टों में गोबर न डालना है। कुछ संयन्त्र तकनीकी कारणों एवं अपूर्ण होने की वजह से भी असफल रहे हैं। अपूर्ण संयन्त्रों के बारे में विस्तृत जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

ग्रामीण विकास अभिकरण बांसवाड़ा

327. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल): क्या पोषाहार राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांसवाड़ा द्वारा पंचायत समिति घाटोल व पीपलखूंट में पोषाहार कार्यक्रम डी. आर. डी. ए. बांसवाड़ा के द्वारा वर्ष 1987-88 व 1988-89 के वर्षों में चालू किया गया था ? यदि हां, तो उक्त योजना में किस ग्राम सेविकाओं द्वारा कितने कितने ग्रुप लीडर केन्द्र चालू किये गये हैं ? क्या उन ग्राम सेविकाओं व ग्रुप लीडरों एवं प्रशिक्षार्थियों द्वारा ये कार्यक्रम चलाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि प्रशिक्षणार्थियों को उक्त ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सहायता मय अनुदान देने की योजना है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति घाटोल में विभिन्न ग्राम सेविकाओं द्वारा बैंकों से हजारों रुपये उठाये जाकर डी. आर. डी. ए. की रकम का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस प्रकार सरकारी धनराशि बर्बाद करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न स्पष्ट नहीं होने के कारण उत्तर नहीं दिया जा सकता।

(3) यह सही है कि पंचायत समिति घाटोल में एक ग्राम सेविका द्वारा बैंकों से राशि उठाकर डी. आर. डी. ए. बांसवाडा की रकम का दुरुपयोग किया गया है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सरकारी रकम का दुरुपयोग किये जाने के कारण पुलिस थाना खमेरा, जिला बांसवाड़ा में मुकदमा सं. 4/79 अधीन धारा 408, 409, 467, 468 व 471 आई. पी. सी. के अन्तर्गत दर्ज कराया गया है और निलम्बित कर दिया है। इसके अलावा विभागीय स्तर पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिस की स्थापना

328. **श्री सम्पत सिंह** (नगर) एवं **श्री लक्ष्मीनारायण किसान** (फुलेरा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या भरतपुर, अलवर, सवाई-माधोपुर एवं धौलपुर जिलों के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस मुख्यालय भरतपुर प्रस्तावित हुआ था ? क्या इसकी वित्तीय स्वीकृति हो गई थी ?

(2) यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी आवश्यकता समझती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक स्थापित हो जायेगा ?

(3) क्या इसी तरह अजमेर में भी पृथक से रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय शुरू करने की सरकार ने स्वीकृति दी थी ?

30

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई थी। अपितु बी. एस. सी. ने अपनी सहमति प्रदान की थी। राज्य सरकार ने इस कार्यालय को जयपुर में ही अन्तोगत्वा खोले जाने का निर्णय लिया।

(2) जैसे कि प्रश्न के भाग-I के उत्तर में बताया गया है कि ऐसी कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई थी और न ही राज्य सरकार इस कार्यालय को भरतपुर में खोले जाने को औचित्यपूर्ण समझती है। क्योंकि भरतपुर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय के कार्यक्षेत्र के एक किनारे पर पड़ जाता है।

(3) जी नहीं।

बामनवास (सवाई माधोपुर) के लिये जयपुर से बस सेवा

329. **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई-माधोपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कभी बामनवास जिला सवाई-माधोपुर के लिए जयपुर से राज्य पथ परिवहन निगम की बसें शुरू की गयी ? यदि हां, तो कब-कब व कितनी बसें शुरू हुईं ?

(2) क्या निगम की बसें अब भी संचालित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों व क्या सरकार पुनः शुरू करने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 17-12-88 से प्रातः 7.00 बजे एवं सायंकाल 7.15 बजे 2 वाहन सेवायें प्रारम्भ की गई थीं। वापसी में ये सेवायें गंगापुर से प्रातः 7.00 बजे एवं सायंकाल 5.45 बजे चलती थीं। ये वाहनें जयपुर से गंगापुर वाया बामनवास संचालित थीं।

(2) जी नहीं। इन बसों का संचालन वाया बामनवास होकर किये जाने से जयपुर व दौसा से सीधा यात्री भार गंगापुर के लिए उपलब्ध नहीं होता था, साथ ही निजी वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धा में संचालित होने के कारण तथा निजी वाहनों का संचालन वाया बामनवास न होने के कारण इन सेवाओं की औसत आय 3.00 रुपये प्रति कि. मी. से भी कम आने के कारण इन्हें बंद कर देना पड़ा। निगम द्वारा दौसा सवाईमाधोपुर एवं दौसा गंगापुर मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना मोटरयान अधिनियम 1939 की धारा, 68 (ग) के अन्तर्गत दिनांक 4-8-86 को प्रकाशित की जा चुकी है जिस पर सक्षम अधिकारी (विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग) द्वारा आपत्तियों की सुनवाई की जा रही थी लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई पर स्थगन आदेश जारी कर देने के कारण वर्तमान में सुनवाई स्थगित है। सुनवाई उपरान्त योजना का अनुमोदन हो जाने तथा राज्य शासन द्वारा अंतिम रूप से इस योजना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में कर देने के उपरान्त इस मार्ग पर निगम की बसों का संचालन किया जाना संभव होगा। अब जुलाई प्रथम तारीख से नया कानून लागू हो गया है उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ?

(31)

मण्डावा (झुन्झुनू) के मन्दिरों को राजभोग के रूप में भुगतान

330. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या देवस्थान राज्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कस्बा मण्डावा, जिला झुन्झुनू में गत पांच वर्षों में देवस्थान विभाग द्वारा किस किस मन्दिर को कितनी-कितनी राशि का राजभोग के रूप में भुगतान किया गया है ? कृपया वर्षवार व मन्दिरवार भुगतान की गई राशि का विवरण मय प्राप्तकर्ता के नाम के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कस्बे के कुछ मन्दिर में उत्तराधिकारी के नियुक्ति के मामले वर्षों से विचाराधीन चल रहे हैं ? यदि हां, तो श्री गोपीनाथ के मन्दिर के उत्तराधिकारी का मामला कब से विचाराधीन है और पिछले एक वर्ष की अवधि में इसके निपटारे हेतु विभाग ने क्या-क्या प्रयास किये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री गोपीनाथजी के मन्दिर के उत्तराधिकारी का मामला विगत 20 वर्षों से विभाग में विचाराधीन है जिसके फलस्वरूप इस मन्दिर को राजभोग की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब कब तक इस मामले को निपटा दिया जायेगा।

उत्तर

(1) कस्बा मण्डावा, जिला झुन्झुनू में जिन मन्दिरों को देवस्थान विभाग से राजभोग की राशि का भुगतान किया जा रहा है, का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। श्री गोपीनाथ जी मन्दिर, मण्डावा में पुजारी के नाम दाखिल खारिज का प्रकरण सन् 1972 से विचाराधीन है। पिछले तीन वर्ष की अवधि में इस मन्दिर के वास्तविक पुजारी मन्दिर की स्थिति, चल व अचल संपत्ति एवं नवीन पुजारी के उत्तराधिकारी आदि के प्रमाण-पत्र के संबंध में जांच की गई।

(3) श्री गोपीनाथ जी का मन्दिर, मण्डावा के पुजारी की नियुक्ति का मामला सन् 1972 में विचाराधीन है। वर्ष 1966-67 तक इस मन्दिर की भोगराज राशि का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 1967-68 से भुगतान नहीं किया गया है। इस मन्दिर में अब पुजारी श्री सत्यनारायण के नाम दाखिल खारिज की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, पुजारी की भोगराज राशि चुकाने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

ब्यावर खास से सराधना तक सड़क निर्माण

331. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ब्यावर खास से सराधना तक 2 कि. मी. पक्की सड़क का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर ने 10 वर्ष पूर्व करवाया था ?

(2) क्या यह सड़क भारी आवागमन के कारण जगह-जगह से टूट गई है ? यदि हां, तो क्या मण्डी समिति इस सड़क पर पुनः डामरीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की प्रकाशक फर्म से कन्ट्रोल के कागज/रिमों की बकाया

332. **श्री राजकुमार जयपाल** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा पिछले दस वर्षों में किताबों एवं छात्र उत्तर पुस्तिकाओं को तैयार करने में दिये गये कन्ट्रोल के कागज की कितनी शेष बची रिमें (कार्य समाप्ति के पश्चात्) किस-किस प्रकाशक/फर्म में अभी तक भी बकाया है मय लागत मूल्य के सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) फर्म/प्रकाशक द्वारा शेष कन्ट्रोल के कागज की रिमें बोर्ड को न लौटाने पर बोर्ड द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा कार्य से अधिक कागज की रिमें देने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मैसर्स प्रेम जनरल स्टोर, पुरानी मण्डी, अजमेर को वर्ष 1986 से 1988 तक की परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाएं बनाने हेतु कुल कितनी रिमों का कार्य दिया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि बोर्ड द्वारा इस फर्म को दिये गये कार्य से दुगुनी मात्रा के कन्ट्रोल का कागज दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस फर्म ने लगभग 30 लाख रुपये की बैंक की फर्जी जमानत देकर बोर्ड से कागज प्राप्त किया था ?

(6) फर्म द्वारा दी गई जमानत की जांच किस अधिकारी के द्वारा की गई थी ? एवं अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिछले दस वर्षों में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तकें बनाने हेतु जिन-जिन फर्मों को कागज दिया गया था उनमें से 1988 की परीक्षा की उत्तर पुस्तकें बनाने वाली फर्म के अलावा अन्य किसी फर्म के पास बोर्ड का कागज शेष नहीं है।

(2) वर्ष 1988 की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए दिये गये शेष रहे कागज में से कीमत वसूली हेतु फर्म पर मुकदमा चलाया गया है एवं फर्म के भुगतान की 2,00,665.02 की राशि भी रोक ली गई है।

(3) 1986 से 1988 तक कुल 221-29.053 रिमें कार्य हेतु दी गई ?

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। रु. 19,82,000/- की फर्जी गारण्टी दी।

(राज्य मन्त्री, शिक्षा)

(6) बैंक से पूछने पर पाई गई । फर्जी गारण्टी पाई जाने पर फौजदारी मुकदमा दायर किया जा चुका है ?

बाड़मेर जिले के मार्गों पर निगम की बसों का संचालन

333. **श्री मोटाराम** (सिवाना) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर जिले में कितने राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित नहीं की जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार इन मार्गों पर राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बाड़मेर में कोई ऐसा राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है जिस पर निगम की बसें नहीं चल रही हैं ।

(2) जी, सभी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की बसें चल रही हैं ।

महाविद्यालय शुरू करने के निर्धारित मापदण्ड

334. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में नया महाविद्यालय शुरू करने के क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ? विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) नोखा जिला बीकानेर प्रस्तावित महाविद्यालय क्या इन मापदण्डों को पूरा करता है ? यदि हां, तो क्या सरकार नोखा में महाविद्यालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य में नये महाविद्यालय शुरू करने के निम्नलिखित मापदण्ड हैं :-

1. जनसहयोग से निर्मित उपयुक्त भवन उपलब्ध हो ।

2. प्रस्तावित स्थान से 30 कि. मी. की दूरी पर अन्य महाविद्यालय नहीं हो

3. क्षेत्रीय दृष्टि से प्रस्तावित स्थान उपयुक्त हो ।

4 जहां महाविद्यालय खोला जावे उस कस्बे की जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में हो एवं छात्रों की संख्या पर्याप्त हो ।

5. प्रस्तावित स्थान के आस-पास कम से कम चार हायर सैकण्डरी स्कूल हों ।

6. प्रस्तावित महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान कर दी गई हो ।

(2) जी नहीं । इस वर्ष बजट में महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

राज्य में यात्री निवास प्रस्ताव की स्वीकृति

335. **श्री बिरद मल सिंघवी** (जोधपुर) क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बिरदमल सिंघवी)

(1) राजस्थान में कहां-कहां पर यात्री निवास कितने यात्रियों के लिये बनाने का प्रस्ताव है ? उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय होगी ?

(2) क्या केन्द्र से इसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो उसके लिए क्या प्रयत्न हुआ है ? केन्द्र को प्रस्ताव कब भेजा गया ?

(3) यात्री निवासों के बनने में देरी के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में माउन्ट आबू, उदयपुर एवं जोधपुर में यात्री निवास बनाने के प्रस्ताव हैं । प्रत्येक यात्री निवास में 60-60 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी । इन पर क्रमशः 39.00 लाख, 36.75 लाख एवं 40.25 लाख रुपये व्यय होना प्रस्तावित है ।

(2) जी हां । ये प्रस्ताव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं । केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है । फलस्वरूप भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा माउन्ट आबू में यात्री निवास के निर्माण हेतु इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति जारी करना सिद्धान्त रूप से स्वीकारा है । माउन्ट आबू एवं उदयपुर हेतु दिनांक 5-2-86 एवं जोधपुर हेतु दिनाक 21-3-86 को भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए गए थे ।

(3) भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर ही इन पर कार्य प्रारम्भ करना सम्भव होगा ।

रामगढ़ अलवर के ट्रान्सफार्मर्स

336. **श्री रघुवरदयाल गोयल** (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिलान्तर्गत रामगढ़ में विद्युतमण्डल के अधीन कहा-कहां कब से कितने पावर के ट्रान्सफार्मर्स लगे हैं । इनमें कितने ओवर लोड हैं और कितने पूरी क्षमता पर चालू हैं ? ये सभी तरह के ट्रान्सफार्मर्स कहां किस-किस गांव में हैं ?

(2) आज की आवश्यकता के अनुरूप विद्युतमण्डल विंग रामगढ़ ने कहां-कहां के ट्रान्सफार्मर्स बदलने के लिए सरकार या बोर्ड से कहा हैं और कब कब ? आवश्यकतानुसार पूर्ति नहीं करने के क्या कारण है? अब कब तक आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

उत्तर

(1) वर्तमान में रामगढ़ उपखण्ड में 33/11 के. वी. उप चौकी पर 1.6 एम. वी. ए. का एक ट्रान्सफार्मर 5 वर्षों से व एक 1.5 एम. वी. ए. का 9 वर्षों से लगा है । बगडमेव गांव में 33/11 के. वी. उप चौकी पर 1 एम. वी. ए. का एक नौ वर्षों से तथा 1.6 एम. वी. ए. का एक 5 वर्षों से लगा हुआ है । पारी में विद्युत देने की पद्धति से वर्तमान में 1.5 डाइवर्सिटी फैक्टर के मापदण्ड से कोई भी ट्रान्सफार्मर ओवर लोड नहीं है ।

(35)

(ऊर्जा मंत्री)

(2) लम्बित मांग को देखते हुये नवम्बर, 88 में रामगढ़ व बगडमेव 33/11 के. वी. उप-चौकियों पर ट्रान्सफार्मर बदलने के प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त हुयें पर इसी क्षेत्र के मुबारिकपुर पर 1.6 एम. वी. ए. क्षमता की 33/11 के. वी. की उपचौकी निर्माण हेतु वर्ष 1988–89 के प्रोग्राम में सम्मिलित कर ली गई थी, जिसका कार्य सीमित वित्तीय साधनों के अन्तर्गत नहीं किया जा सका। अब यह कार्य वर्ष 1989–90 में प्रस्तावित है।

बालिका विद्यालयों का बालक विद्यालय में परिवर्तन

337. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार पूर्व वर्षों में जहां बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये और उनमें बालिकाओं के बजाय 80% बालक अध्ययन करते हैं तो ऐसे बालिका विद्यालय को बालक विद्यालय में बदलने का विभाग द्वारा तय किया हुआ है?

(2) यदि हां, तो रायपुर तहसील के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेगडदा को उक्त नीति के अन्तर्गत अभी तक बालक विद्यालय में नहीं बदले जाने के क्या कारण हैं? अब कब तक सरकार द्वारा तद्विषयक आदेश कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसी कोई नीति नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न संख्या 338

(स्थगित)

ग्राम बर (पाली) को रीको द्वारा ऋण सुविधा

339. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील के बर गांव को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है?

(2) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में किन-किन किस्म के उद्योग लगाने हेतु अब तक कितने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि आबंटन कर रीको द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। कितने व कौन-कौन व्यक्ति वंचित रहे और किस कारण?

(3) इनको कब तक भू-आबंटन व सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) पाली जिले की रायपुर तहसील के बर गांव में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु खसरा नम्बर 391 की 128 बीघा 18 बिस्वा भूमि जिला कलक्टर, पाली द्वारा वर्ष 1975 में पृथक कर उद्योग विभाग के नाम आरक्षित की गई थी। परन्तु औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया हैं।

(2) जी नहीं, चूंकि आरक्षित भूमि का रीको के नाम आबंटन नहीं हुआ है,

(उद्योग मंत्री)

अतः निगम द्वारा क्षेत्र का विकास नहीं किया गया हैं।

(3) बर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु औद्योगिक संभावनाओं का सर्वेक्षण करवाया जा रहा हैं। राज्य सरकार द्वारा आरक्षित भूमि का रीको के नाम आवटन होने के पश्चात् ही सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में उक्त भूमि का कब्जा निगम के पास नहीं है, अतः आवंटन नहीं किया जा सकता।

आराजी भूमि का सीमाकरण

340. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा शेखावतान तहत तहसील आमेर के हल्का पटवारी के पास मौजूद गांव पूनाना की आराजी भूमि के नक्शे में गलत तरमीम दर्ज हैं एवं नक्शा कटा फटा है? यदि हां, तो पटवारी द्वारा आराजी भूमि का सीमाकरण किस आधार पर किया जाता है?

(2) उक्त ग्राम की किन किन खसरा नम्बरों की भूमि कहां कहां स्थित है? कृपया सम्पूर्ण पक्का नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने नक्शे में कटे गलत तरमीम का लाभ उठाते हुए राजकीय भूमि एवं श्मशान भूमि पर कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो सरकार इन अतिक्रमियों को बेदखल करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा शेखावतान के हल्का पटवारी के पास ग्राम पूनाना, तहसील आमेर का नक्शा वर्तमान में फटा हुआ है, अतः फटे हुए नक्शे होने से तरमीम की बाबत मौके पर कठिनाई उत्पन्न होना स्वाभाविक है। नक्शे में कोई गलत तरमीम दर्ज नहीं है। जहां तक सीमाज्ञान कराने का संबंध है इस ग्राम में भू-प्रबन्ध सर्वे आदि का कार्य वर्ष 1983 से चालू है इसलिये सीमाज्ञान भू प्रबंध विभाग के द्वारा कराया जाता है। उनके यहां समस्त प्रकार का मूल रिकार्ड व मौका सर्वे संबंधी रिकार्ड उपलब्ध है। भू प्रबंध के दौरान पटवारी के द्वारा सीमाज्ञान कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) इस तहसील क्षेत्र आमेर में वर्ष 1983 से भू प्रबंध की कार्यवाही चल रही है। इसलिये वर्तमान स्थिति का नक्शा भू-प्रबन्ध विभाग में ही उपलब्ध है। भू-प्रबंध विभाग से प्राप्त ग्राम पूनाना के नक्शे ट्रेस तीन टुकड़े में खसरा नम्बरान की स्थिति अंकित कि हुई है। नक्शे का ब्लू प्रिंट सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। तरमीम की आड़ में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, जो अतिक्रमण हुआ है वह सामान्य रूप से हुआ है। जिनको नियमानुसार धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही कर पैनल्टी व बेदखली की जा चुकी है।

(ब्लू प्रिंट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया।)

अजमेर तहसील के घोषित विद्युतीकृत गांव

341. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर तहसील के कौन-कौन से गांव अभी तक विद्युतीकृत घोषित नहीं हुए उनके नाम मय विभाग के कोड नं. के साथ सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बचे हुए ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित करने वास्ते प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे गये है ? यदि हां, तो किस-किस गांव के लिए और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि कई वर्षों पूर्व जो ग्राम विद्युतीकरण घोषित हो चुके हैं उनमें आज तक बिजली का कोई भी कनेक्शन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने गांव हैं और इन गांवों को विद्युत् कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार शीघ्र ही अब कब तक इन विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युत् संबंध दिलायेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील अजमेर के निम्नलिखित सात ग्रामों का विद्युतिकरण अभी शेष है:—

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
1.	रामपुरा अहीरान	10/1/118
2.	बनेवडी	124
3.	नवाब	129
4.	रघुनाथपुरा	131
5.	कुरोडी	142
6.	राजपुरा	143
7.	मोहनपुरा	121

(2) जी नहीं। उपरोक्त सातों ग्रामों के विद्युतीकरण की स्वीकृति योजना उपलब्ध है।

(3) जी हां। अजमेर तहसील में ऐसे 15 ग्राम हैं। इनमें से 4 गांवों में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए। तीन गांवों में आवेदन पत्र जून, 1989 में प्राप्त हुए हैं। पांच गांवों में मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं तथा तीन गांव ऐसे हैं जिनमें वित्तीय साहयता नहीं होने के कारण कनेक्शन जारी नहीं किये जा सके।

(4) वर्ष वार उपलब्ध वित्तीय साधनों व लक्ष्यों के अनुरूप विद्युत सम्बन्ध दिये जायेंगे।

नागौर जिले में घोषित डार्क जोन

342. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनू): क्या भू-जल राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभाग ने कुछ क्षेत्रों को "डार्क जोन" घोषित कर रखा है और वहां पर नलकूप नहीं बनाये जाते ? यदि हां, तो क्यों ? किन-किन कारणों से तथा नागौर जिले में कौन-कौन से क्षेत्र घोषित किये हैं ? नक्शों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) डार्क जोन घोषित करने के क्या-क्या कारण हैं ? क्या इसके लिए कोई समय

(श्री हरजीराम बुरड़क)

निश्चित होता है ? क्या इन क्षेत्रों का दुबारा सर्वे करने पर इसके परिणाम भी आ सकते हैं ?

उत्तर

(1) भू-जल विभाग द्वारा किसी क्षेत्र को डार्क घोषित नहीं किया जाता, भू-जल आंकलन समिति जिसमें रजस्थान भू-जल विभाग, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, "विशिष्ट योजना संगठन," राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) आदि संस्थाएं सदस्य हैं, द्वारा ग्राउण्ड वाटर एस्टीमेशन कमेटी की गाइड लाइन्स के आधार पर भू-जल उपलब्धि के आंकड़ों का विश्लेषण कर भू-जल इकाई क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है।

डार्क जोन्स इकाई में भू-जल विभाग द्वारा कृषि हेतु नलकूप नहीं बनाये जाते हैं तथा इन क्षेत्रों में नलकूप बनाने के लिए भी किसी भी प्रकार की बैंकिंग ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

नागौर जिले में भू-जल उपलब्धि के आंकडों का पुनर्मूल्यांकन (30 जून, 1988) के आधार पर ग्यारह पंचायत समितियों की 51 भू-जल इकाइयों में से केवल तीन भू-जल इकाइयां "डार्क" श्रेणी में आती हैं। ये पंचायत समिति कुचामन की "एफ वन," पंचायत समिति मेड़ता की "बी–11" व पंचायत समिति रियां की "इ–1" भू-जल इकाइयां हैं, तीन भू-जल इकाइयां "ग्रे" तथा 45 भू-जल इकाइयां वाइट" श्रेणी में वर्गीकृत की गई हैं। नक्शे की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) भू-जल इकाई अथवा "जोन को भू-जल विकास की स्थित के अनुसार विभिन्न श्रेणीयों में वर्गीकृत किया जाता है। यदि भू-जल दोहन (ड्राफ्ट) भू-जल आवक (रिचार्ज) का 85% या अधिक हो तो ऐसे "जोन" को "डार्क श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

भू-जल उपलब्धि के आंकडों का पुर्नमुल्यांकन पूर्व में तीन से पांच वर्षों में किया गया। पिछला मूल्यांकन वर्ष 1988 में किया गया था तथा इन आंकड़ों को पुर्नमुल्यांकन इस वर्ष भी किया जा रहा है जिसका परिणाम अगस्त, 1989 तक आजाने की संभावना है।

जो क्षेत्र "डार्क" व "ग्रे" श्रेणी में आते हैं, उसमें माइक्रोलेवल सर्वेक्षण करने पर आशाजनक परिणाम संभव है यदि भू-जल आवक अथवा हाइड्रालोजिकल पैरामीटर में कोई बदलाव या परिवर्तन दृष्टिगत हो।

(नक्शे की प्रति पुस्तकालय में रखी गई)

बूंदी जिले के गांवों की बिजली सुविधा

343. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एव **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बूंदी जिले के कुल कितने गावोंको विद्युत सुविधा मुहैय्या करवाई जा चुकी है ?

(2) केशवरायपाटन तहसील में वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में किन-किन गांवो को बिजली उपलब्ध करवाई गई सूची सदन की मेज पर रखें ?

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(3) जिले में वर्ष 1989-90 में किन-किन गांवों को बिजली दिया जाना प्रस्तावित है ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कितने गांव बिजली सुविधा से अब तक वंचित हैं और इन्हें कब तक उक्त सुविधा दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) माह मार्च, 1989 तक बूंदी जिले के कुल 606 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

(2) केशवरायपाटन तहसील के वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में निम्नलिखित ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
	वर्ष 1977-88	
1.	मैनोली	24/4/65
2.	बडगांव	24/4/26
3.	करवालों की झोंपड़िया	24/4/66
4.	कोडकिया बालाजी	24/4/68
5.	गोठडा	24/4/4
6.	शिवगंज	25/1/53
	वर्ष 1988-89	
1.	जयथल	24/4/71
2.	खरयता	24/4/40
3.	बालापुरा	24/4/24
4.	छोरेडा	24/2/73
5.	भिण्डी	24/4/124
6.	पीचुपुरा	25/1/41
7.	कानपुरा	25/1/52

(3) वर्ष 1989-90 के कार्यक्रम में सम्मलित किये जाने वाले ग्रामों के चयन का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अतः चयनित ग्रामों की सूची उपलब्ध करवाना संभव नहीं है।

(4) बूंदी जिले के 192 ग्राम अभी विद्युतकरण के लिये शेष हैं जिनका विद्युतकरण वार्षिक योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित राशि एवं राज्य सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप आगामी वर्षों में वार्षिक ग्रामीण विद्युतकरण कार्यक्रम के अनुसार किया जाना संभव हो सकेगा।

पूनाना पंचायत समिति, आमेर (जयपुर) का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

344. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी-बाजार) : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पूनाना तहत पंचायत समिति, आमेर (जयपुर) में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं एवं कितने कमरे बने हुए हैं ?

(2) क्या छात्रों की संख्या को देखते हुए कमरों की संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त विद्यालय भवन को कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त

(श्री कालीचरण सराफ)

विद्यालय भवन में कमरों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा राशि मंजूर की गई थी ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(4) क्या उक्त मन्जूर राशि में से कुछ राशि स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा भी उठाई गयी है ? यदि हां, तो कब कब कितनी-कितनी राशि उठाई गयी एवं किस-किस प्रयोग में ली गई ? रिपोर्ट मय मस्टररोल प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त राशि के दुरुपयोग की भी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उस शिकायत की जांच करवा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहा ?

उत्तर

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पूनाना पं. सं. आमेर (जयपुर) में कुल 262 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में तीन कमरे बने हुए हैं।

(2) जी नहीं। जब भी जन सहयोग उपलब्ध होगा विद्यालय भवन पूर्ण करवाया जाना संभव हो सकेगा।

(3) शिक्षा विभाग द्वारा कोई राशि निर्माण हेतु मंजूर नहीं की गई है।

(4) शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(5) शिक्षा विभाग को तद्विषयक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर के कार्यालय में नियुक्त अध्यापिकाओं को स्वीकृत समर्पित अवकाश

345. **श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची)** क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर के कार्यालय में 1 जनवरी 1988 से 31 जनवरी 1989 तक समर्पित अवकाश स्वीकृत हेतु कितने अध्यापिकाओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए ? नाम अध्यापिका, शाला का नाम, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि, प्राप्त करने की तिथि, स्वीकृति की तिथि एवं भुगतान की तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कर्मचारियों में किन-किन को, किन-किन कारणों से समर्पित अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालय की अकर्मण्यता के परिणामस्वरूप कई अध्यापिकाओं के महीनों पूर्व आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया गया जिससे उनका उपार्जित अवकाश कर्मचारियों की गत हड़ताल की अवधि में समायोजित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस मामले की जांच की जाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करली जावेगी।

उत्तर

(1) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) उदयपुर के कार्यालय में 1-1-88 से 31-1-89 तक समर्पित अवकाश का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ?

(राज्य शिक्षा मंत्री,)

(2) वित्त विभाग के आदेशानुसार इस ब्लाक के प्रथम वर्ष में कुल कर्मचारीगण के 50 प्रतिशत को ही यह अवकाश स्वीकृत होना या तदनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार देय सभी अध्यापकों को समर्पित अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है।

(3) तद्‌विषयक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता ही नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

महाधिवक्ता कार्यालय, जयपुर में कार्यालय अधीक्षक का पद

346. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में महाधिवक्ता राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में कितने-कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक के पद को इसकी अनुपयोगिता के आधार पर समाप्त करने हेतु उच्च स्तर पर कोई निर्णय हुआ था ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही हैं कि उच्च स्तर पर उक्त पद को समाप्त करने के निर्णयोपरान्त समाप्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पद को समाप्त करने के उपरांत अब भी इस पद के वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो राज्य पर इस अनावश्यक भार के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) महाधिवक्ता राज. जयपुर के कार्यालय में एक अतिरिक्त महाधिवक्ता, एक निजी सचिव, व एक विधि सहायक अधिकारीगण कार्यरत है। उनके कार्यालय में एक शीघ्रलिपिक ग्रेड-II, एक वरिष्ठ लिपिक, दो कनिष्ठ लिपिक, एक वाहन चालक, तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व एक दैनिक वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) हां। दिनांक 28-12-1988 को।

(3) हां। दिनांक 28-12-88 को कार्यालय अधीक्षक के पद को समाप्त करने के निर्णय कि क्रियान्विति इसलिये नहीं की जा सकी क्योंकि कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत श्री भीमराज ने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिस पर पत्रावली दिनांक 7-1-89 को माननीय मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित कर दी गई थी, तत्पश्चात् पत्रावली विभिन्न विभागों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर विचाराधीन रही तथा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा अन्तिम निर्णय दि. 27-6-89 को लिया गया तथा पत्रावली इस विभाग को प्राप्त हुई। तदुपरान्त वित्त विभाग से परामर्श के उपरान्त उक्त पद को समाप्त करने का आदेश दिनांक 6-7-89 को प्रसारित

(विधि मंत्री)

किया गया। अतः उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय कि क्रियान्विति की देरी के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(4) पद को दिनांक 6-7-1989 को समाप्त करने के पश्चात् वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

ट्रेवल्स कम्पनियों द्वारा जयपुर एवं कोटा से बसों/टेक्सी कारों का संचालन

347. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर एवं कोटा से जहां निगम की बसे चलती हैं बड़ी बड़ी ट्रेवल्स कम्पनियों की निजी बसें तथा टैक्सी कारें अवैध रूप से संचालित हो रही है ? यदि हां, तो ऐसी अवैध बसों को रोकने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) इन स्थानों पर निजी बसों के संचालित होने से राज्य पथ परिवहन निगम को कितना घाटा हो रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि निजी बस पोलोविक्ट्री एवं गवर्नमेंट होस्टल के आस-पास से दूर-दूर के बड़े-बड़े नगरों के लिए प्रतिदिन संचालित हो रही हैं ?

(4) क्या किन्हीं अधिकारियों का ऐसी बसों को संरक्षण प्राप्त है ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा इन बसों को बन्द क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) समय-समय पर की गई चैकिंग में जयपुर से कतिपय स्थानों के लिए अवैध बसें संचालित होती पाई गई। टैक्सी कारों का इस तरह अवैध संचालन होना नहीं पाया गया। बसों के अधिकांश मामलों में यह पाया गया कि या तो संविदा वाहन का परमिट लेकर मंजिले वाहन के रूप में चल रही थी या राष्ट्रीयकृत मार्गों पर नहीं चलने की परमिट शर्त का उल्लघंन कर रही थी।

बसों के अवैध संचालन को रोकने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर चैकिंग करवाई गई है। परिवहन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दलों का गठन भी किया गया है जिसके उद्देश्यों में प्रमुख उद्देश्य अवैध संचालन को रोकना भी है। जयपुर जिले के लिए इस तरह के तीन दलों का गठन किया हुआ है। राज्य सरकार ने वाहनों के बिना परमिट चलने अथवा परमिट द्वारा निर्धारित प्रकार के अनुरूप नहीं चलने पर राजस्थान मोटर यान करारोपण अधिनियम, 1951 की धारा 4 (बी) में संशोधन कर दिनांक 3-2-89 से विशेष पथकर की अतिरिक्त राशि 100/– रू. प्रति सीट प्रति ट्रिप देय बना दी है जिस पर 10 प्रतिशत सरचार्ज भी देय है।

समय-समय पर कराई गई चैकिंग के परिणामस्वरूप वर्ष 1988–89 में 208 बसों के चालान किये गये, जिनमें से 43 को सीज किया गया तथा 177 मामलें कम्पाउन्ड किये जाकर रुपये 1,79,545/–कर एवं कम्पाउन्डिंग फ़ीस के रूप में वसूल किये गये इसी प्रकार चालू वर्ष में दिनांक 30-6-89 तक 85 बसों के चालान किये गये जिनमें

(यातायात मन्त्री)

से 68 वाहनों को सीज किया गया था 13 मामले कम्पाउन्ड किये जाकर 53,501 रू. कर एवं कम्पाउन्डिंग फीस के रूप में वसूल किये। सीज्ड वाहनों में से अधिकतर वाहन न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी नामें पर छोड़े गये।

(2) इसका अनुमान लगाया जाना सम्भव नहीं है।

(3) समय-समय पर की गई चैकिंग से अनेक बार निजी बसों का संचालन पोलो-विक्ट्री के आसपास से प्रारम्भ होना भी पाया गया है।

(4) जी नहीं।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियां

348. **श्री माणक डाणी** (ब्यावर) : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 1988 की हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी प्रवेशिका एवं उपाध्याय की परीक्षा परिणामों में हुई भारी गड़बड़ियों के लिए सरकार या बोर्ड स्तर पर जांच आयोग का गठन किया गया है ? यदि हां, तो जांच आयोग की सम्पूर्ण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो क्या राज्य सरकार गड़बड़ियों की जांच हेतु अपनी ओर से जांच आयोग का गठन करेगी ?

(2) क्या यह सही है कि बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ष 1988 की विभिन्न परीक्षाओं में लगभग 70 हजार अंकतालिकायें गलत बन गई थीं ? ये अंकतालिकायें किस अधिकारी की गलती से बन गई थीं तथा पुनः बनाने पर कितनी राशि खर्च की गई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) परीक्षा परिणामों में हुई गड़बड़ियों के लिए क्या सरकार ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही के निर्देश जारी किये हैं अथवा जारी करेगी ?

(4) क्या बोर्ड में भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से वर्षों से एक पद कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक विभाग से दूसरे विभाग में करने का सरकार का कोई विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, कोई आयोग गठित नहीं किया गया। बोर्ड ने अपने स्तर पर जांच अवश्य करवाली है।

(2) जी हां 45,125 अंकतालिकायें कम्प्यूटर की तकनीकी त्रुटि से गलत बन गई थी जो वापिस तीन दिन में ही सही बनाकर पुनः प्रेषित कर दी गई थी जिस पर बोर्ड का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आया।

(3) कोई कर्मचारी/अधिकारी इस हेतु दोषी नहीं पाया गया।

(4) स्थानानान्तरण बोर्ड का आंतरिक मामला है।

पंचायत समिति सिणधरी व समदड़ी को उप तहसील घोषित

349. **श्री मोटाराम** (सिवाना) एवं **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडामालानी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(44)

(श्री मोटाराम चौधरी)

(1) पंचायत समिति सिणधरी व समदड़ी को उप तहसील घोषित करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिणधरी एवं समदड़ी में उप तहसील स्थापित करने का पर्याप्त औचित्य नहीं है।

(2) भाग- 1 में स्थति स्पष्ट कर दी गई है।

प्रशासनिक सेवा के स्वीकृत पद

350. **श्री उम्मेद सिंह** (शिव) एवं **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या मुख्य मन्त्री (सामान्य प्रशासन) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सुपर टाइम स्केल, सलेक्शन स्केल, सीनियर स्केल तथा जूनियर स्केल के कितने पद स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 31 मई, 1989 तक कितने पद किस स्केल के कब से रिक्त है तथा क्या सरकार उक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) केडर स्ट्रेन्थ के नोटीफिकेशन दिनांक 12. 1. 1988 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल, सलेक्शन स्केल के पदों पर पदोन्नति समिति की सिफारिश पर वर्ष 1988-89 तक के पद भर लिये गये हैं। कनिष्ठ वेतन श्रंखला के पदों के लिए 88-89 व 89-90 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करली गई है। वर्तमान में इन रिक्त पदों पर तदर्थ रूप से पदोन्नति अधिकारी कार्यरत हैं। दिनांक 31.5.89 को सीनियर स्केल में 9 पद रिक्त चल रहे हैं। वरिष्ठ वेतन श्रंखला में पदोन्नत होने वाले अधिकारियों की वरिष्ठता का मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है। फिर भी इन रिक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई।)

बीकानेर जिले के रेगिस्तानी इलाके

351. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के रेगिस्तानी इलाके में मण्डल के पास पूरे जिले में कुल एक ही 4×4 ट्रक उपलब्ध है ? जो अक्सर खराब रहता है। यदि हां, तो पूरे जिले में नई बिजली लाइन डालने व रख रखाव का कार्य कैसे संभव हो पाता है ?

(2) क्या मण्डल जिले में चारों तहसीलों में कार्य के लिए अतिरिक्त एक-एक 4×4 ट्रक व एक 4×4 जीप का बंध

(श्री देवीसिंह भाटी)

1989-90 के बजट में प्रावधान कर उपलब्ध करने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। बीकानेर जिले में रेगिस्तान इलाके की बिजली लाइनें तथा रखरखाव के लिये वर्तमान में 4×4 के 3 ट्रक व 2×2 का एक ट्रक उपलब्ध है, जिसमें से एक 4×4 का ट्रक खराब है, जिसकी मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है। नई लाईनें बिछाने व रख-रखाव का कार्य उपलब्ध ट्रकों व अन्य साधनों से किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। सीमित वित्तीय साधनों के कारण यह सम्भव नहीं है, परन्तु कोलायत तहसील सहायक अभियन्ता को एक ट्रक 4×4 का चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्धता के अनुसार आवंटन करने के प्रयास किये जावेंगे।

बीकानेर जिले में पेयजल व्यवस्था

352. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़), **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) एवं **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया** (नोखा): क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1988 जनवरी तक बीकानेर जिले में पेयजल तथा पशु पेयजल हेतु कहां-कहां व कितने नलकूप निर्माण करवाये गए? कृपया विवरण मय अनुमानित पशु संख्या, स्थान का नाम, निर्माण पर खर्च सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) बीकानेर जिले में सर्वेक्षण एवं अनुसंधान योजना के अन्तर्गत कितने नलकूपों का निर्माण जनवरी, 1988 से फरवरी, 1989 तक किया गया? विवरण मय स्थान व निर्माण पर लागत सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) बीकानेर जिले में सरकारी विभागों व निजी व्यक्तियों लिए कितने नलकूप निर्माण फरवरी, 1989 तक किए गए? विवरण मय विभाग के नाम, निजी व्यक्ति के नाम, स्थान व निर्माण पर खर्च सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1988, जनवरी तक बीकानेर जिले में पेयजल एवं पशु पेयजल हेतु निर्मित नलकूपों का विवरण मय स्थान का नाम अनुमानित पशु संख्या व लागत का विवरण (परिशिष्ट "अ") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) बीकानेर जिले में सर्वेक्षण एवं अनुसंधान योजना के अन्तर्गत जनवरी, 88 से फरवरी, 89 तक 5 नलकूपों का निर्माण कराया गया। विवरण मय स्थान पर लागत का विवरण (परिशिष्ट "ब") सदन के पटल पर रख दिया गया।

(3) बीकानेर जिले में सरकारी विभागों व निजी व्यक्तियों के लिये 333 नलकूप फरवरी, 1989 तक निर्माण किये गये, जिनका विवरण मय विभाग एवं व्यक्ति एवं स्थान के नाम सहित (परिशिष्ट "स" व "द") सदन के पटल पर रख दिया गया है। वर्ष 1974-75 से फरवरी 1989 तक जिन 229 नलकूपों का निर्माण किया गया

(राज्य मंत्री भू-जल)

है, उनके निर्माण व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट "स" व "द" में दर्शाया गया है। इससे पूर्व का तत्काल उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम बिहाडा (भीलवाड़ा) के राजस्व रेकार्ड

353. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिहाडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1446, 1447, 1448, 311 बीघा लगानी 711 रु. राजस्व रेकार्ड में श्री रामलाल पिता उदा मीणा निवासी पण्डेर का नाम दर्ज है, यदि हां, तो रामलाल के नाम यह आराजी जिस पंजीकरण एवं नामान्तरण से कब कैसे परिवर्तन हुई, पूर्व की स्थिति एवं वर्तमान की राजस्व रेकार्ड की स्थिति मय पंजीयन पत्र, नामान्तरकरण की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रामलाल पिता उदा मीणा निवासी पण्डेर में पहले भी कभी नहीं रहता था और आज भी नहीं रहता है, यह कल्पित फर्जी नाम से धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री फर्जी तैयार कर कल्पित व्यक्ति के नाम पर फर्जी रजिस्ट्री द्वारा यह परिवर्तन कराने का गंभीर मामला है, इस जमीन पर कोई रामलाल पिता उदा मीणा पण्डेर काबिज नहीं है और न लगान ही अदा करता है ? यदि हां, तो इस जमीन पर आज कौन काबिज होकर लगान अदा कर रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार इस पंजीयन-पत्र में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों पहचानकर्ताओं तथा गवाहों के और प्रमाणित-कर्ताओं की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? हां, तो कब तक, कैसे ?

(4) क्या यह सही है कि अनुसूचित जनजाति की जमीन स्थानान्तरण नहीं हो सकने के कारण सारी कार्यवाही जमीन हड़पने के लिए फर्जी की गई है ? यदि हां, तो इस बाबत पूर्व में शिकायतें एवं जांच हुई है ? यदि हां, तो इसकी क्या कार्यवाही कहां किस स्तर पर हो रही है ? यदि नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन के कारण होने वाली कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए सारा फर्जी बेनामी हस्तान्तरण एवं आपराधिक प्रकरण की जांच करायेगी और जमीन अपने अन्तर्गत लेकर अन्तग्रस्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो जांच कब किस स्तर पर कब तक करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ग्राम बिहाड़ा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा स्थित आ० नं० 1446, 1447, 1448, रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा लगानी 7.75 रू० राजस्व रेकार्ड में श्री रामलाल पिता उदा मीणा निवासी

(राजस्व मंत्री)

पण्डेर के नाम दर्ज है। श्री रामलाल मीणा यह आराजी बिकाव के जरिये नामान्तकरण सं० 547 दिनांक 6-10-83 से लादू पिता रामा भील ना ना० बा० व० वि० मु० अनोपी बेवा रामा भील के बजाय परिवर्तित हुई। जमाबन्दी पर्जयन व नामान्तकरण की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है। इस प्रकरण की जांच कराई जा रही है जांच के पश्चात स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(2) जी हां। विवादस्पद जमीन पर श्री खाना पिता छीतर भील काबिज है और गत वर्ष उसने लगान जमा करवाया था।

(3) तथा कथित फर्जी नाम से धोखाधड़ी कर फर्जी रजिस्ट्री कराने की जांच विचाराधीन है। शिकायत सही पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) इस प्रकरण की जांच करवाई जा रही है। इस सम्बन्ध में श्री नेमीचन्द जैन, सरपंच, ग्राम पंचायत बिहाड़ा के विरुद्ध पूर्व में शिकायत प्राप्त होने पर तत्कालीन अतिरिक्त कलक्टर, भीलवाड़ा ने जांच की थी, जांच प्रतिवेदन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भेजा गया था ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने उनके आदेश क्रमांक एफ. 3 (बीकेयू) भील/जांच/86/7302-04 दिनांक 4-9-87 से अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) के स्थान पर अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, भीलवाड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच के लिए पत्रावली भेजने का निर्देश दिया था। दिनांक 1-11-88 के पश्चात अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी का पद abeyance में हो जाने से जांच पूर्ण नहीं हो सकी। अब अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी के अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा को दिये गये हैं। अब यह जांच शीघ्र पूरी कराई जाकर दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(5) प्रकरण की पूर्ण जांच करवाई जा रही है। जांच सही पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की स्वीकृति

354. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या राज्य की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियां जो भी राशि खर्च करती है उसकी पूर्व वित्तीय स्वीकृति कृषि विपणन निदेशालय से प्राप्त करती है ? यदि हां, तो वित्तीय स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है तथा राजस्व व निर्माण कार्यों में अन्तर हो तो क्या प्रक्रिया है ?

(2) क्या मण्डी समिति के बजट मण्डी समिति के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1989-90 में मण्डीवार बजट की मांग व निदेशालय द्वारा स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि बजट मण्डी की मांग से कम स्वीकृत किया गया है, तो क्यों ?

(श्री परसादीलाल मीणा)

(3) मन्डी समितियों के प्रस्तावों के अभाव में क्या कोई बजट निदेशालय द्वारा स्वीकृत हुआ ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । मण्डी समिति अपने स्तर पर आय एवं व्यय के बजट अनुमान तैयार कर निदेशक, कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करते है जहां पर प्रस्तावित आय व व्यय पक्षों के मदों की गत वर्षों के वास्तविक आंकड़ों, सहायक निदेशक की सिफारिश तथा मण्डी समिति की मांग व निश्चित नार्म्स के सम्बन्ध में जांच की जाकर बजट स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है । यदि किसी मण्डी समिति के निर्माण कार्यों हेतु मांगी गयी वित्तीय स्वीकृति एवं सम्भावित बचत राशि में अन्तर होता है तो उस अन्तर की राशि का प्रवन्ध राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से ऋण लेकर किया जा सकता है । यदि निर्माण कार्य परियोजना से सम्बन्धित हो तो उनके लिए नाबार्ड के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ।

(2) जी हां । सूची बहुत बड़ी होगी, अतः तैयार नहीं हैं ।

(3) मण्डी समितियों के प्रस्तावों के अन्तर्गत सामान्यतया बजट स्वीकृतियां जारी की जाती हैं पर राज्य सरकार के निर्देशों पर समय-समय पर मण्डी के बिना प्रस्ताव के स्वीकृत किये गये हैं ।

अनुसूचित जाति/जन जाति की बस्तियों को बिजली व्यवस्था में प्राथमिकता

355. **श्री प्यारसीलाल परिडवाल** (निवाई): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया हुआ है कि हर (एस. सी.), (एस. टी.) की बस्तियों में बिजली व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर दी जावे यदि हां, तो निवाई तहसील में कुल कितनी जगह किस-किस पंचायत में यह सुविधा दी गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) हर एस. सी., एस. टी. बस्तियों में बिजली व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के तो कोई आदेश नहीं हैं, अपितु विद्युत मण्डल द्वारा दिनांक 3. 1. 1989 को यह आदेश प्रसारित किये गये हैं कि अब से किसी भी ग्राम को विद्युतिकृत करते समय पहला ट्रान्सफार्मर अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती के निकट ही लगाया जाये । यदि किसी ग्राम में अनुसूचित जाति तथा जन जाति दोनों श्रेणी के व्यक्ति निवास करते हैं तो अनुसूचित जाति/जन जाति में से बहुसंख्यक मोहल्ले में ही ट्रान्सफार्मर की स्थापना की जाये । निवाई तहसील मार्च, 1989 तक कुल 22 पंचायतों के ग्रामों में यह सुविधा प्रदान की गई हैं । विवरण संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाया गया है, जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें ।)

सालपुरा से अकलेरा के बीच निगम की बस सेवा

356. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

(1) सालपुरा से अकलेरा के बीच पथ परिवहन निगम की बस सेवा नियमित व सुचारू नहीं रहने के क्या कारण हैं ?

(2) अब कब तक इस मार्ग पर निगम की बस सेवा नियमित रूप से समय पर चलना प्रारम्भ हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, वर्तमान में परिचालकों में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति एवं मार्गों की सड़क की दशा खराब होने के कारण वाहनों में यन्त्रदोष की अधिकता मुख्य कारण है।

(2) जी, इस सम्बन्ध में गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। ड्यूटी से अनुपस्थित हो जाने वाले चालक/परिचालकों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है तथा वाहनों की यान्त्रिक स्थिति में सुधार लाया जा रहा है। वाहनों को 10 दिन में नियमित रूप से चलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विद्युत् परियोजना कार्य

357. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के मांगरोल में पन विद्युत् परियोजना पर कार्य चल रहा है ?

(2) यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है तथा इस पर योजनानुसार कुल कितनी रकम खर्च की जानी थी तथा अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

(3) योजनानुसार उक्त योजना पर विद्युत उत्पादन कब से प्रारम्भ किया जाना था तथा अब कब तक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

(4) उक्त योजना के निर्माण में हो रहे विलम्ब का क्या कारण है तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(5) क्या सरकार जनहित में उक्त योजना को शीघ्र चालू करने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मांगरोल लघु पन विद्युत परियोजना में 2 मेगावाट क्षमता की तीन इकाइयां स्थापित की जायेंगी। इस योजना पर 1252 लाख रुपये खर्च किये जाने का प्रस्ताव है तथा मई, 1989 तक 755.67 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(3) अगस्त, 1984 में योजना आयोग से उक्त योजना की स्वीकृति के अनुसार क्रियान्वयन की अवधि 4 वर्ष थी। इस योजना का कार्य मार्च 1990 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। विद्युत उत्पादन नहर के क्लोजर की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

(4) योजना के निर्माण में हो रहे विलम्ब के निम्न कारण हैं:–

1. उक्त योजना क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर लेवल में बढ़ोतरी के कारण डीवाटरिंग का अतिरिक्त कार्य करने के कारण।

(ऊर्जा मन्त्री)

2. वर्षा के दौरान उस क्षेत्र में कोटा से मांगरोल का मार्ग अवरूद्ध हो जाना, जिससे अकुशल श्रमिकों का अभाव होना ।

3. उस क्षेत्र में कुशल श्रमिकों का अभाव होना ।

(5) जी हां, इस हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

नसबंदी के बाद मृत्यु होने के उपरान्त राहत राशि का भुगतान

358. **श्री माणक डाणी** (ब्यावर) : क्या परिवार कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नसबंदी कराने के बाद महिला/पुरूष की मृत्यु हो जाने पर क्या राज्य सरकार मृतक के परिवार को कोई एक्सग्रेसिया राशि एवं अन्य कोई राहत प्रदान करती हैं ? यदि हां, तो ऐसे आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) नसबंदी कराने के बाद गत पांच वर्षों में राज्य में कितने पुरूष/महिलाओं की मृत्यु हुई ? किन-किन को कितनी एक्सग्रेसिया राहत राशि का कितना-कितना कब-कब भुगतान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या दिनांक 12-12-1984 को राजकीय चिकित्सालय, बीकानेर में श्रीमती मीनाक्षी माथुर पत्नी श्री मुकुटलाल माथुर का नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था ?

(4) क्या यह सही है कि श्रीमती मीनाक्षी माथुर की नसबंदी आपरेशन करने के बाद उसी दिवस ही उनकी मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्या उसके परिवार को एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या भुगतान में विलम्ब के लिए लापरवाही बरतने हेतु राज्य सरकार किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी मानती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । नसबन्दी आपरेशन कराने के बाद आपरेशन स्वीकारकर्ता महिला/पुरूष की मृत्यु हो जाने पर राज्य सरकार द्वारा मृतक के वारिस को रुपये 10,000/- की एक्सग्रेसिया प्रदान की जाती है । प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) अप्रेल, 1985 से माह जून, 1989 तक राज्य में कुल 101 महिलाओं की मृत्यु नसबंदी आपरेशन से एवं नसबंदी के बाद हुई । इनमें से 99 मृत्यु के मामलों में उनके वारिसों को रुपये 10,000/- प्रत्येक के हिसाब से एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान किया जा चुका है । शेष 2 केसों में भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है । प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं । श्रीमती मीनाक्षी माथुर पत्नी श्री मुकुटलाल माथुर का दिनांक 12-12-84 को नसबन्दी आपरेशन नहीं किया गया । बल्कि उक्त तिथि को प्रेगनेन्सी प्रीवियस लोवर सैग्मेन्ट सिजेरियन सैक्शन (एल. एस. सी. एस.) का केस होने के कारण सिजेरियन करना पड़ा तथा जीवन रक्षक उपायों में नसबन्दी की गई ।

(राज्य मन्त्री, परिवार कल्याण)

(4) जी नहीं। श्रीमती मीनाक्षी माथुर की नसबंदी आपरेशन से मृत्यु नहीं होने के के कारण उसके परिजनों को एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान नहीं किया गया।

(5) जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

(प्रति विस्तृत होवे के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या 359

(स्थगित)

तहसील लाडनूं में लड़कियों का स्कूल

360. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) लाडनूं शहर में लड़कियों की स्कूल कौन-कौन सी किस–किस कक्षा तक की है?

(2) क्या यहां पर लड़कियों का हायर सैकण्डरी स्कूल है? यदि हां, तो कब से, कौनसी और नहीं तो कब तक खोली जायेगी?

(3) क्या यहां पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की भी योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या तहसील मुख्यालय पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल लड़कियों के लिए खोलने की योजना है? यदि हां, तो कब तक तथा राज्य के ऐसे कौन-कौनसे तहसील मुख्यालय हैं जहां पर यह व्यवस्था नहीं है?

उत्तर

(1) लाडनूं शहर में निम्नलिखित लड़कियों के राजकीय विद्यालय हैं:–

1. रा॰ बा. मा. वि., लाडनूं (कक्षा 10 तक)

2. रा. बा. उ. प्रा. वि., लाडनूं (कक्षा 8 तक)

(2) जी नहीं। इस वर्ष किसी भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने का बजट प्रावधान नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) जी नहीं। जिन तहसील मुख्यालयों पर सीनियर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखिये)

ग्राम पांचू (नौखा) का राजस्व रिकार्ड

361. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नौखा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पांचू तहसील नौखा (बीकानेर) का राजस्व अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है अर्थात् राजस्व रिकार्ड एक व्यक्ति के नाम हैं तथा संबंधित जमीन का कब्जा दूसरे व्यक्ति के पास है, इस प्रकार की अनेकों असंगतियां राजस्व रिकार्ड में विद्यमान हैं जिसके कारण काश्तकारों को नुकसान हो रहा है?

(2) क्या सरकार इसकी जांच करा कर विसंगतियों का शीघ्र निराकरण करायेगी?

(3) उक्त ग्राम की पैमाइश का कार्य गत बार कब हुआ था? यदि नहीं हुआ तो अब कब तक व्यवस्था करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले की तहसील नोखा का ग्राम पांचू भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा गांव है जिसकी पैमाइश सन् 1924-27 में हुई थी। वरवक्त पैमाइश राजकीय भूमि बड़े-बड़े चकों में पैमूद की गई थी। पिछले वर्षों में उक्त भूमि के काफी भाग का आवंटन होने के उपरान्त भी मौके की स्थिति के अनुसार नक्शों में तरमीम नहीं होने के कारण कुछ विसंगतियां रह गई हैं व कुछ आवंटी मौके पर सही रूप से काबिज नहीं हो पाये हैं।

(2) विशिष्ट विसंगतियां सामने आने पर नियमानुसार उनका निराकरण कराया जा सकता है।

(3) उक्त ग्राम में गत पैमाइश सन् 1924-27 में हुई थी। पर्याप्त मात्रा में सैटलमेंट पार्टियों के उपलब्ध होने पर ही पुनः पैमाइश कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

नागौर में अध्यापकों के रिक्त पद

362. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले के स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो जिले की कौन-कौन सी मिडल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल व सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में कितने-कितने पद हैं जिनमें कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकतर रिक्त पद ग्रामीण क्षेत्रों में हैं? यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि जिले की स्कूलों में पद रिक्त होते हुए भी कई अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर अन्य स्थान पर भी लगा रखा है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(4) रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी और ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों में समानता कब तक लाई जा सकेगी?

उत्तर

(2) जी हां। नागौर जिले से अध्यापकों के शिक्षा विभाग से सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रों की मिडल स्कूलों के अध्यापकों द्वितीय ग्रेड एवं अन्य स्कूलों के समस्त रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। नियुक्तियों पर से प्रतिबन्ध हटते ही रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

(3) जी नहीं।

(4) प्रतिबन्ध हटते ही रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

363. **श्रीमती पुष्पा देवी** (अलवर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्रीमती पुष्पा देवी)

(1) अलवर जिले में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कब-कब से किस-किस क्षेत्र में चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में से कितने केन्द्र राज्य सरकार द्वारा कहां-कहां संचालित हैं तथा कितने केन्द्र केन्द्रीय सरकार द्वारा कहां-कहां संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विभिन्न माध्यमों से संचालित इन केन्द्रों को विगत 3 वर्षों में कितना-कितना बजट आवंटित हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अलवर जिले में 700 प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र इस सत्र में खोले गये हैं । यह केन्द्र कठूमर, रामगढ़, थानागाजी पंचायत समिति में 15-4-1989 से तिजारा कुण्डाबर व बानसूर पंचायत समिति में 1-3-1989 से लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में 1-12 1988 से खोले गये हैं सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) इन प्रौढ़ शिक्षण केन्द्रों में 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र राज्य सरकार द्वारा संचालित है । राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र पंचायत समिति कठूमर रामगढ़, थानागाजी तथा अलवर शहर क्षेत्र में स्थित हैं । केन्द्र सरकार द्वारा 300 प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना अन्तर्गत तथा 100 प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र नेहरू युवा केन्द्र अन्तर्गत है ।

(3) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए गत तीन वर्षों में बजट आवंटन सभी का इस प्रकार रहा :—

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा	केन्द्र सरकार द्वारा
1986-87	6,60,000	9,78,300
1987-88	7,20,000	9,78,300
1988-89	7,50,000	9,78,300

विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें ।)

निवाई कन्या सैकण्डरी स्कूल को 10 जमा 2 के तहत क्रमोन्नति

364. **श्री प्यारेलाल परिड़वाल** (निवाई) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

निवाई नगर में कन्या सैकण्डरी स्कूल क्या राज्य सरकार 10 जमा 2 के तहत क्रमोन्नित करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्ष 1989-90 में किसी भी राजकीय सैकण्डरी विद्यालय को 10 जमा 2 में क्रमोन्नत करने का बजट प्रावधान नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 365

(स्थगित)

राज्य सरकार द्वारा असुरक्षित शाला भवन गिराने की योजना

366. **श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने विद्यालय भवन के अभाव, अपर्याप्त तथा जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त भवनों की स्थिति व असुरक्षित शाला भवन गिराने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की तहसील बस्सी में अनेक विद्यालयों की छत असुरक्षित है, पट्टियां टूटी हुई हैं और जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर (प्रथम) व पंचायत समिति बस्सी ने प्रधानाध्यापकों को ऐसे शाला भवन में छात्र-छात्राओं को न बैठाने के आदेश भी दिये हैं लेकिन इस शाला भवनों की मरम्मत के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार ने असुरक्षित शाला भवनों के गिरने से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने का क्या उपाय सोचा है ? बस्सी क्षेत्र के असुरक्षित शाला भवनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्यालय भवन जन सहयोग से निर्मित कराये जाते हैं। जहां तक जीर्ण-शीर्ण भवनों का प्रश्न है, सरकार समय-समय पर मरम्मत हेतु, सीमित संसाधनों के अनुरूप राशि स्वीकृत करती है। असुरक्षित भवनों को अध्यापन हेतु कार्य में नहीं लिया जाता।

(2) जी हां, दो उच्च प्राथमिक विद्यालय, रोजवाड़ी और भटेरी को क्रमशः रुपये 15,000/— मरम्मत हेतु स्वीकृत किया जा चुका है। असुरक्षित भवन को अध्यापन उपयोग में नहीं लेने के आदेश जारी किये हुए हैं। मरम्मत योग्य भवनों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

सहायक अभियन्ता कार्यालय ग्राम (मण्डावर) जिला अलवर में विद्युत कनेक्शन

367. **श्री महेन्द्र शास्त्री** (मण्डावर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहायक अभियन्ता कार्यालय (आर. एस. ई. बी.) मुण्डावर (अलवर) में कितने विद्युत कनेक्शन हेतु कृषि कुओं के आवेदन (प्रार्थना-पत्र) कब-कब से विचाराधीन हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त में से कितने एक पोल के कृषि कनेक्शन कब-कब से विचाराधीन हैं व क्यों ? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्ष में किस-किस को कब-कब कृषि कुओं पर कनेक्शन दिये गये ? उनके आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि, डिमान्ड नोटिस जारी होने की तिथि जोन आर्डर जारी होने की व कनेक्शन जारी करने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता (आर. एस. ई. बी.) मण्डावर (अलवर) के अधीन विभिन्न ग्रामों में मार्च, 1989 को लगभग 2310 कृषि आवेदन पत्र वर्ष 1979 व उसके बाद से विचाराधीन हैं जिनकी ग्रामवार वर्षवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) उपरोक्त लम्बित आवेदन पत्रों में से वर्तमान में एक पोल श्रेणी के 12 आवेदकों के प्रार्थना पत्र मार्च, 1989 के विचाराधीन है, जिनके मांग पत्रों की राशि जमा है। कारण सहित विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) गत दो वर्ष (1987–88 व 1988–89) में क्रमशः 108 व 331 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। वांछित सूचना परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया।)

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना से लाभान्वित परिवार

368. **सुश्री पुष्पा जैन** : (पाली) क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना चालू होने से लेकर अब तक किस-किस वर्ष में कितने-कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया है और उसमें कुल व्यय कितना हुआ है ?

(2) ऐसे परिवारों को दिए गए कर्जे में से कितनी राशि अभी तक वसूल नहीं हुई है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इसका अध्ययन कराया है कि जिन लोगों को इस योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया उनकी आर्थिक स्थिति सुधर पाई है ? यदि हां, तो यह अध्ययन कब-कब कराया गया है ? कृपया ऐसे अध्ययन की प्रति सदन की मेज पर रखें। इस व्यवस्था से वास्तव में कितने परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर हो गए ?

उत्तर

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना चालू होने से लेकर अब तक 13,95,117 परिवारों को लाभान्वित किया गया है और उसमें कुल व्यय 20976.65 लाख रु० हुआ है।

वर्ष	लाभान्वित परिवार		योग	व्यय (लाखों में)
	प्रथम डोज	द्वितीय डोज		
1	2	3	4	5
1978–79	7586	—	7586	73.06
1979–80	37504	—	37504	403.77
1980–81	82683	—	82683	1114.68
1981–82	121576	—	121576	1598.88

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

1	2	3	4	5
1982–83	183402	—	183402	2213.31
1983–84	164791	—	164791	2155.42
1984–85	158994	—	158994	2159.80
1985–86	121139	12364	140503	1934.71
1986–87	148918	15554	164472	2435.50
1987–88	175937	38386	214323	3247.34
1988–89	181680	9621	191301	3481.11
1989–90 (माह मई तक)	3907	—	3907	159.07
योग	1395117	75925	1471042	20976.65

(2) यह भाग बैंकों से सम्बन्धित है जो केन्द्रीय विषय है।

(3) जी हाँ, भारत सरकार के निर्देशानुसार छठी पंचवर्षीय योजनावधि अर्थात् वर्ष 1980–81 से 1985–86 में इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराये गये 711446 परिवारों की आर्थिक स्थिति का ही सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1986 में पूर्ण कराया जिसके सर्वेक्षण परिणाम निम्न प्रकार हैः—

1. कुल लाभान्वित परिवार	7,11,446	%
2. गरीबी की रेखा से ऊपर पाये गये परिवार	3,48,574	48%
3. गरीबी की रेखा से नीचे पाये गये परिवार	2,41,581	34%
4. सम्पर्क न हो सकने वाले परिवार	1,21,291	18%

राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण

369. श्री मारणक डागा (ब्यावर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान वित्त निगम को गत 4 वर्षों में ऋण हेतु कितने प्रार्थियों एवं उद्यमीयों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए? जिलानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदनों में से कितने आवेदनों को किस-किस उद्देश्य हेतु कितना-कितना ऋण कब-कब स्वीकृत किया गया? शेष आवेदकों को ऋण कब दे दिया जायेगा?

(3) क्या उक्त वर्षों में ऋण सम्बन्धी मामलों में कभी कोई शिकायतें निगम को प्राप्त हुई? अगर हां, तो कितने व किन-किन मामलों में उनमें किन-किन दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा गत 4 वर्षों में ऋण प्राप्ति हेतु 21,949 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जिलानुसार सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त आवेदन पत्रों में से 17074 लोगों को विभिन्न उद्योग लगाने हेतु ऋण स्वीकृत किया गया। शेष आवेदकों के ऋण आवेदन-पत्र या तो निरस्त कर दिये गये अथवा वे पूर्ण सूचनाओं के अभाव में अधूरे पाये गये तथा उनको सूचना पूरी करने के लिए लिख दिया गया है जिन पर कार्यवाही चालू है।

(3) उक्त वर्षों में ऋण संबंधी मामलों में निगम को समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। उक्त ऋण स्वीकृति सम्बन्धी शिकायतों में से 16 प्रकरणों में कार्यवाही समाप्त की गई, 4 प्रकरणों में विभिन्न चेतावनी दी गई एवं शेष विचाराधीन है। जिन मामलों में अधिकारियों को चेतावनी दी गई उसके विवरण की सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 370

(स्थगित)

(स्थगित प्रश्न)

दिनांक 29-6-1989

जहाजपुर पंचायत समिति के अन्तर्गत एनीकटों का निर्माण

2. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्राम बिजेठा, गोरमगढ़ मेवासा, सुजानपुरा, रजवास, ओडियाखेड़ा में मेडिया में माडा योजनांतर्गत एनीकटों की स्वीकृति की गयी थी? यदि हां, तो इन पर कब-कब कितनी कितनी राशि स्वीकृति की गयी, कितनी राशि खर्च की गयी और कितनी राशि का उपयोग अथवा कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र कब-कब जारी हुआ? विवरण मय प्रतिलिपियों सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम बिजेठा और मेवासा में नोलख एनीकट पूर्व में पंचायत समिति द्वारा बिजेठा में तथा नोलख एनीकट मेवासा में अकाल राहत के अन्तर्गत निर्मित किये हुये थे? यदि हां, तो दोनों एनीकटों पर पूर्व का कितना काम नाप कर लागत का अनुमान लगाया गया और कितना-कितना नया काम हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चरण नं. 1 में वर्णित एनीकटों पर पंचायत समिति द्वारा सीमेंट जारी किया गया? यदि हां, तो कितना-कितना सीमेंट प्रत्येक कार्य पर कब-कब जारी किया गया, कितना काम में आया और शेष कितना किस-किस के पास स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज रहा? शेष रहने का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत टीकड़ के उप सरपंच, श्री तीमराज की देख रेख में अथवा उसके द्वारा कोन्ट्रेक्ट बेसिस पर यह कार्य संपादित किये गये? यदि हां, तो इन कार्यों को किस आधार एवं नियमों से पंचायत के उप सरपंच द्वारा सम्पन किये

(श्री रतनलाल ताम्बी)

गये। उन आदेशों, नियमों और तत्संबंधी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि ग्राम रतनगढ़ पंचायत अमरगढ़ में स्वीकृत एनीकट को ग्राम सुजानपुरा में स्वीकृति एवं एस्टीमेट के विपरीत सुजानपुरा ग्राम में बना दिया गया ? यदि हां, तो स्वीकृति के विपरीत धन का उपयोग एवं पद दुरुपयोग किस-किस के द्वारा किया गया और उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही एवं राशि का दुरूपयोग किस-किस के द्वारा किया गया और इस बाबत क्या-क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जहाजपुर पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्राम बीजेठा, सुजानपुरा रजवास, ओडियाखेड़ा व मेड़िया में माडा योजना के अन्तर्गत एनीकटों की स्वीकृति हुई थी किन्तु गोरमगढ़ व मेवासा में मेवासा ऐनीकट की स्वीकृति माडा योजना के अन्तर्गत न होकर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई थी।

माडा योजनान्तर्गत निर्मित एनीकटों की स्वीकृत राशि, व्यय राशि तथा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है।

एनीकट का नाम	स्वीकृति विवरण		व्यय राशि	राशि जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया	दिनांक
	दिनांक	राशि			
1	2	3	4	5	6
1– बीजेठा एनीकट	18-7-83	79500/-	69946/-	69904/-	2-3-88
2- सुजानपुरा एनीकट	11-1-84	48500/-	58325/-	58325/-	2-3-88
3- रजवास एनीकट	6-1-84	100000/-	39990/-	17700/-	2-3-88
4- ओडियाखेड़ा	16-1-86	75000/-	75280/-	24768/-	2-3-88
5- मेडिया एनीकट	29-1-85	71127/-	66982.90/-	66982.90	2-3-88

(2) प. स. कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड में पूर्व अकाल राहत के अन्तर्गत इन एनीकटों पर कोई कार्य होना नहीं पाया जाता।

दोनों एनीकटों पर पूर्व का कार्य होना नहीं पाया जाने से नाप कर लागत का अनुमान लगाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) यह सही है कि क्रम. सं. 1 में वर्णित एनीकटों पर पंचायत समिति द्वारा सीमेंट जारी किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार विवरण निम्न प्रकार है :—

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

नाम एनीकट	जारी किये गये थैले सं.	दिनांक जारी	उपयोग में आया	शेष रहा
1	2	3	4	5
1- सुजानपुरा एनीकट	30	2/84	30	निल
2- बीजेठा एनीकट	50	2/84	50	निल
3- मेडिया एनीकट	161	6/85	161	निल
4- रजवास एनीकट	251	4/86	251	निल
5- ग्रोडियाखेड़ा"	407	4/86	407	निल

(4) जी हां, यह सही है कि ग्राम पंचायत टीकड़ के श्री नीमराज़ की देख रेख में क्रम सं 1 से 5 तक के कार्य सम्पादित कराये गये। लेकिन कान्ट्रेक्ट बेसिस पर न कराये जाकर श्री नीमराज को मस्टररोल पर मिस्त्री की हैसियत से दैनिक मजदूरी 20/- से 30/- रु. पर रखा जाना रिकार्ड से पाया जाता है।

(5) जी नहीं, यह सही नहीं है ।

श्रीगंगानगर में भूमिहीनों को भू-ग्रावंटन

10. **श्री हंसराज मिढा** (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला श्रीगंगानगर के भूमिहीनों के कितने प्रार्थना-पत्र भूमि ग्रावंटन हेतु लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन भूमिहीन किसानों को जमीन कब तक ग्रलाट कर दी जायेगी ?

(3) बालिग पुत्रों की कितनी फाइलें किस कारण से लम्बित हैं ?

(4) क्या सन् 1955 से पूर्ववालों को सन् 1972 में 17500 रुपयों में ग्रावंटन पत्र जारी किया गया था ?

(5) क्या इन किसानों से ग्रब 35000 रुपये लेने के नोटिस जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उत्तर

(1) जिला गंगानगर में भूमिहीनों के 19465 प्रार्थना-पत्र लंबित है। सूची 'क' संलग्न हैं।

(2) गंगानगर जिले में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रावंटन नहीं किया जा रहा है।

(3) गंगानगर जिले में बालिग पुत्रों के 1398 ग्रावेदन पत्र लंबित हैं। इन मामलों में जांच जारी है।

(राजस्व मंत्री)

(4) जी हां। यह कीमत तत्समय प्रभावी नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूल की गई थी।

(5) जी हां। नियमों में ऐसे प्रावधान हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

बाड़मेर जिले में वक्फ बोर्ड की भूमि पर अतिक्रमण

29. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा): क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले से वक्फ बोर्ड की कितनी भूमि किस-किस जगह स्थित है ? ब्यौरेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वक्फ बोर्ड की जमीन पर नाजायज कब्जे का मामला विचाराधीन है यदि हां, तो कब से क्या मामला विचाराधीन है और इसके निपटाने में देरी के क्या कारण हैं ?

(3) क्या वक्फ बोर्ड के विरुद्ध नाजायज कब्जे की कोई शिकायत है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या राज्य सरकार सरकारी उपयोग के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन एक्वायर कर रही है ? यदि, हां तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में स्थित वक्फ सम्पत्तियों की सूची राजस्थान राजपत्र भाग 2 क में तारीख 26-5-1966 को प्रकाशित की जा चुकी है जिसमें पूर्ण ब्यौरा अंकित है सूची संलग्न है

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 12

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 24

(स्थगित)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से स्वायत्त शासन संस्था द्वारा प्रशिक्षित किये जाने वाले सेनेटरी इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति नहीं किये जाने से, उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील बागीडोरा, जिला बांसवाड़ा में माही विभाग परियोजना अधिकारियों की लापरवाही से बांसला

(श्री अध्यक्ष)

तालाब में मक्की, लाल(धान) की फसल पानी में डूबकर नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में।

3. डा. किरोड़ी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति महुआ के प्रधान एवं उसके साथियों द्वारा सरपंच महनौली पर कातिलाना हमला करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री चुन्नीलाल इन्दौलिया, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री लालचन्द डूडी, श्री डूंगरराम पंवार, श्री हंसराज मिड़ा, श्री नारायणराम बेड़ा, श्री जयनारायण पूनिया, श्री देवीसिंह भाटी, श्री मोहनलाल चौहान, श्री कल्याण सिंह कालवी, श्री भंवरलाल शर्मा (99) सदस्य, विधान सभा की ओर से इंदिरा गांधी नहर सिंचित क्षेत्र विकास के पुंगल शाखा के खंड द्वितीय के अधीन हो रहे निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

सर्व श्री मानिकचन्द सुराणा, श्री हरीश शर्मा, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री भोलाराम सैनी, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री दिग्विजय सिंह, श्री जगजीत सिंह, श्री जगदीश तिवाड़ी, श्री केशर देव माहरड़ा, श्री हंसराज मिड़ा, श्री भोपतसिंह, श्री हरिकुमार औदिच्य, श्री रमजान खां, श्री कालीचरण सराफ माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को केवल पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन राज्य मंत्री ने मेरे पर आरोप लगाये, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : किसने आरोप लगाये।

सुश्री गिरिजा व्यास: मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाये। मैंने कहा पंचायत समिति में मकान बन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सी. पी. जोशी उनको अलग से देख लेंगे। प्रोसिडिंग्स को देख लेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : आप दिखा कर व्यवस्था करें। मुझे भी परमिशन दें जिससे कि अपनी बात कह सकूं। पर्यटन राज्य मंत्री के सम्बन्ध में जो स्थिति है, मैं खुद आरोप लगाना चाहता हूं और उनके आरोपों का जवाब देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं चेम्बर में प्रोसिडिंग्स देख लूंगा। देखने के बाद कोई बात होगी तो फिर कह देना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने कोई आरोप लगाये या नहीं लगाये, वह तो प्रोसिडिंग्स में लिखा हुआ है आप देख लीजिये। लेकिन अभी जो सी. पी. जोशी, माननीय सदस्य नाथद्वारा से आने वालों ने कहा और यह कहा कि मैं माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप लगाऊंगा...

(62)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय मंत्री महोदय ने सदन को पर्यटन के सम्बन्ध में जो रिप्लाई दिया है, मैं 1980 से 1989 इस विधान सभा का सदस्य हूं, माननीय नरेन्द्रसिंह जी भाटी ने सदन में जो उत्तर दिया, यह मेरा प्रिविलेज बनता है कि आपने जो असत्य जवाब दिया, उसके सम्बन्ध में आरोप लगाना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रिविलेज के सम्बन्ध में आप कुछ कहें या स्पष्टीकरण करने के सम्बन्ध में कुछ कहें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आरोप लगाना चाहते हैं, इस प्रकार की धमकी देना उचित नहीं होगा।

श्री सी. पी. जोशी : आरोप का क्या सम्बन्ध है ? आजकल आप धमकी किसको दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सी. पी. जोशी यह सलाह है, माननीय विपक्ष के नेता की सलाह है।

श्री शोपत सिंह : धमकियों से नहीं डरा रहे हैं। लेकिन आपने महिलाओं के लिए स्पेशल कोटा तय किया है आप इस प्रकार से ज्यादती कर रहे हैं। नाराजगी प्रकट करके....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जोशी जी अभी नहीं, आधे घन्टे तक माननीय मंत्री महोदया को धमकाते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नो कमेण्ट। यह गलत बात, है माननीय इंदलियाजी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आज मंत्री चैलेंज किया है। आप इस तरह से महिलाओं को धमकाने की प्रवृत्ति बंद करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी ने किसी को नहीं धमकाया है। (व्यवधान)

295। श्री माणिकचन्द सुराना–अनुपस्थित। श्री हरीश शर्मा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कहा तो यह कि मैं बहुत ज्यादा योग्य हूं मुझे मंत्रिमण्डल में नहीं लिया। आप दूसरों को धमकाइये, मुख्य मंत्री को धमकाइये, दिल्ली को धमकाइये।

श्री अध्यक्ष : श्री माणिकचन्द सुराना। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, सारे बहकावे से होता है कोई एक दूसरे को नहीं धमकाते हैं, ये ही धमकाते हैं। वह तो हमेशा ही चलता आया है इनका आदान-प्रदान (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत 12 विधायकों ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी।

श्री अध्यक्ष : जानकारी मांगी है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जानकारी क्या मांगी है, अध्यक्ष महोदय, पांच महीनों से मजदूरी नहीं मिल रही है।

श्री नारायण राम बेड़ा : पांच महीने हो हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी सुनिये तो सही, जानकारी मांगी है और 17 तारीख को डिमाण्ड भी है सिंचाई की

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उनको मजदूरी नहीं मिल रही है उनकी सारी शक्ति कमजोर हो चुकी है। एक दो आदमी मरने की स्थिति में है। अध्यक्ष महोदय आप इसका जवाब कब दिलवाओगे ?

श्री अध्यक्ष : जवाब जल्दी आ रहा है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कब आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : 17 तारीख डिमांड है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, आप जल्दी से जल्दी इस पर राज्य सरकार से कोई व्यवस्था करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर आप सरकार को पाबन्द करो क्योंकि बहुत सारे मजदूरों का, जो गरीब हरिजन है, करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है राज्य सरकार में। उसको कब तक भुगतान कर देंगे इसके लिए आप सरकार को पाबन्द कीजिए।

श्री अध्यक्ष : जवाब देते समय माननीय मंत्री जी यह भी देखें कि जो मजदूरों का पेमेन्ट है वह जल्दी से जल्दी होना चाहिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए मजदूरों का भुगतान महीनों तक क्यों बकाया रहा, क्या कारण है, उनके लिए आपने क्या किया। यह सारी जानकारी के लिए स्टेटमेंट देंगे क्या कि मजदूरों के लिए क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : वह देखेंगे कि मजदूरों की मजदूरी नहीं रुके।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कल्ला साहब, हैं क्या ? कल्ला साहब, इसको देखें, आप। इन मजदूरों की हालत बहुत खराब है। हमें तो यह पता ही नहीं आप हैं।

श्री बी.डी. कल्ला : मुझे ऐसे ही कह देते तो मैं दिखवा लेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे 5 दिन पहले निवेदन किया था कि कई इम्पार्टेन्ट मैटर्स हैं जिन पर डिस्कशन नहीं हुआ। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, मिनिमम वेजेज एक्ट के मामले में, मिनिमम वेजेज एक्ट लागू हो जाना चाहिए था आज तक लागू नहीं किया गया और आसन की तरफ से यह कहा गया था कि तीन दिन के अन्दर इसकी व्यवस्था हो जायेगी। आज तक न आसन की तरफ से कोई व्यवस्था हुई और न सरकार ने कोई उत्तर दिया। हम लोगों ने जितने भी नोटिस दिये थे सेक्शन 50, 127, 295 सबके नोटिस आपके पास पड़े हैं उन पर कोई विचार नहीं हो रहा है। कल्ला जी का यह विभाग नहीं है इसलिए नहीं बोलेंगे। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि यहां पर एक्सीडेन्ट्स के मामलों पर बाकायदा विवरण लिख कर आपको दिया आप मुझे बता दीजिए कितने और लोगों की बली लेने के बाद में खुश होंगे ? कल भयंकर एक्सीडेन्ट हुआ, 11 आदमी मर गये आज एक्सीडेन्ट हुआ 6 आदमी आज मर गये। हम एक्सीडेन्ट्स के बारे में चर्चा करना चाहते हैं इसमें सरकार से उत्तर क्या लेना सरकार देगी इस सदन में खड़ी होकर जवाब। पिछले एक वर्ष में, दो वर्ष में कितने एक्सीडेन्ट्स हुये। गरीबों के एक्सीडेन्ट होते आ रहे हैं। आप चलिए अध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, आज कल मैं हॉस्पिटल में ही रहता हूं मेरे सामने वहां वार्ड है उस वार्ड में कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हजार, पांच सौ आदमी पेड़ों के नीचे बरसात में और धूप में पड़े रहते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उन एक्सीडेन्ट्स के बारे में सदन में चर्चा करके किसी प्रकार समाधान करने की कोशिश करें। मुझे अध्यक्ष महोदय, खेद है कि ऐसे इम्पार्टेन्ट इश्यू के ऊपर अभी आपने कोई चर्चा अलाऊ नहीं की है। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा आपके सामने लोढा एस्टेट का मामला है जिसमें 5 करोड़ रुपये की सरकार की प्रोपर्टी को लोग खा रहे हैं। इस सम्बन्ध में लोकायुक्त की रिपोर्ट आ गई और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही हैं। इस सम्बन्ध में भी हमने आपसे निवेदन किया था। अमरुदों के बाग के सम्बन्ध में आपको नोटिस दिया इस सम्बन्ध में आपने कोई कार्यवाही नहीं की और अध्यक्ष महोदय, सबसे सीरियस बात है कि एकलिंग ट्रस्ट की सारी प्रोपर्टी करोड़ों रुपयों की प्रोपर्टी है को लोग खा गये। आज उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं उसका हमने विस्तार से नोटिस दिया उसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्षः किसकी प्रोपर्टी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एकलिंग जी ट्रस्ट, अब अध्यक्ष महोदय, बता दीजिए कि विधान सभा 24 या 25 को एडजोर्न हो जायेगी। क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से मामला उठायें ? और आप यह चाहते हैं कि विवशता के ढंग से उठायें तो अध्यक्ष महोदय, चाहे आप सदन से बाहर निकाल देना कल के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे इन इम्पार्टेन्ट इश्यूज के ऊपर डिस्कस नहीं होगा तो हम हाउस में उन्हीं रूल्स के अन्तर्गत जो व्यवस्था नहीं हो रही है, आखिर हमारी भी रेसपोन्सिबलिटी है पब्लिक के प्रति, पब्लिक बाहर निकलते ही कहती है कल मेरे पास 10-15 टेलीग्राम इस बात के आये हैं कि एकलिंग ट्रस्ट की प्रोपर्टी के बारे में क्या कर रहे हो ? क्या करें उस प्रोपर्टी के बारे में हम यह कह दें कि अध्यक्ष महोदय को नोटिस दे दिया तो उससे तसल्ली नहीं होगी। गवर्नमेण्ट जो चाहे सो एक्शन ले, गवर्नमेण्ट हमारी मर्जी से तो एक्शन लेगी नहीं लेकिन निश्चित रूप से हम पब्लिक ग्रीवान्सेज यहां रखवायें। अध्यक्ष महोदय, एक्सीडेन्ट्स में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप अभी मेरे साथ हॉस्पिटल में चलिए और उस न्यूरो सर्जरी वार्ड के सामने किस तरह से लोग पड़े हैं और मोरचुअरी के अन्दर आज के 10 दिन पहले इतने लोग मरे थे कि मोरचुअरी में रखने के लिए जगह नहीं थी। उनको नीचे डाला हुआ था, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है ? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपने व्यवस्था नहीं की आपकी मर्जी की बात है लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं हो इसके कारण से अव्यवस्था तो फैलेगी तो यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या ? हम आपसे कॉओपरेट करना चाहते हैं लेकिन को-ऑपरेशन के साथ-साथ हम जो रेसपोन्सिबलिटी है उसको भी डिस्चार्ज करना चाहते हैं। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई: जो विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने पहले भी मामला उठाया था उस समय जवाब दे दिया गया, आसन की तरफ से जवाब आया है। नियमों के अन्दर जो आपने हाउस में कार्य संचालन के लिए व्यवस्था की है वह आप की खुद की उपस्थिति में ही तय किया गया है उसकी वजह से ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बीच में +++ क्यों कर रहे हो ? यह बिजनिस एडवाइजरी कमेटी का मामला नहीं है इसलिए कहता हूं कि जिस पर समझते नहीं उस पर बोलते क्यों हो ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं समझता हूं या नहीं समझता हूं, आपकी बात सुन ली स्पीकर साहब ने और अध्यक्ष महोदय को मैं भी मेरी बात बता रहा हूं। आपने पहले इस इश्यू को उठाया एडजोर्नमेण्ट मोशन में और ऐसे इम्पार्टेण्ट मामले में जिस पर हम बोलना चाहते हैं उस पर आपके माध्यम से कहा था कि आपने 295 की व्यवस्था जो लागू की है पहले दिन भर ऐसे ही डिस्कशन हुआ करते थे और आपने खुद ने बैठ कर तय किया है कि 295 के अन्दर जो इनफोंमेशन हाउस में दी जाती है उसमें आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि सिर्फ 9 मामले आपके 295 के जवाब के बकाया हैं जिस पर आपको पूर्ण जवाब नहीं मिला है। 89% में आपको सरकार ने जवाब दे दिया है और वह कम्पलीट जवाब आता है और उसका समाधान होता है। इस तरह से आप बहुत ही पब्लिक इम्पोर्टेन्स के मामले जैसे लालगढ़ का मामला आया। इसमें आधा दिन डिस्कशन चला है। अध्यक्ष महोदय ने आपको अलाऊ कर दिया क्योंकि यह इम्पोर्टेण्ट मामला था। सदन में वक्तव्य दे दिया। दूसरी ओर फिर आपने जवाब दिलवा दिया अगर एकलिंग जी की ट्रस्ट का मामला है तो यह जो पुराने मामले हैं उनके अन्दर 295 में पूछने की क्या जरूरत है ? यह 295 में कुछ नहीं रखा है।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या कह रहे हैं ? कब्रिस्तान बन गई दोनो रोड्स जयपुर से दिल्ली। ये कब्रिस्तान बन गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह किसके लिए रखा गया है 295, सरकार लगी हुई है आपको जबाब देने के अन्दर। तीन दिन के अन्दर कल व्यवस्था दी और तीन दिन में जवाब दे दीजिए, आप मामला उठा लीजिए। जितने अर्जेण्ट मामले हैं उस पर जवाब देकर, उसके अन्दर कोई दूसरे नियमों के अन्दर आपने कहा कि हम उठायेंगे तो उसके लिए आपको मना किसने किया है। अध्यक्ष महोदय ने तो मना किया नहीं। कोई मामला किसी नियम के तहत अगर उठाया जायेगा तो उसका उस तरह से फैसला होगा इसलिए आपने जो बात कही है वह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। जो मामले अर्जेन्ट हैं सब बराबर लिये जा रहे हैं। ऐसा कौनसा रह गया जिसके अन्दर मामला नहीं लिया गया। आपने अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट की है और मैं भी पार्लियामेण्टरी अफेअर्स मन्त्री के नाते जो आपने व्यवस्था सदन में की है उस तरह से व्यवस्था चल रही है आपको तो

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पूर्व अनुभव है परन्तु मैं भी कानून जानता हूं और कानून आप भी जानते हो उसका आप मजाक क्यों उड़ा रहे हो (व्यवधान) यह कानूनी मामला है और यह जो नियम बनाये हैं यह आपने ही बनाये हैं और सदन में अप्लाई किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता बोले और माननीय ला मिनिस्टर साहब बोलें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ला मिनिस्टर हैं, मेडिकल और दूसरे डिपार्टमेंट हैं वह कहां गये ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बगल में चले गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर तो अध्यक्ष जी ने फैसला ठीक ही किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता ने उठाया, एक्सीडेण्ट्स का पहले भी किया था। मैं यह चाहता हूं जिस दिन कम्युनल राइट्स का आये उस रोज ले लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं साहब, यह एक्सीडेण्ट इन्तजार नहीं करते। कम्युनल राइट्स का सीरियस है, अध्यक्ष महोदय, यह तय कर लीजिए कि एक्सीडेंट्स के मामले को आप सीरियस नहीं मानते ? डेली डेथ होती है। कम्युनल राइट्स का सीरियस है लेकिन यह एक्सीडेन्ट का सबसे ज्यादा सीरियस है।

श्री अध्यक्ष : मैं अर्ज करता हूं कि एक दिन के लिए कम्युनल राइट्स का रखा है होल डे, जैसा तय किया है सरकार से तो उसी रोज उसको भी उसी में ले लिया जाये, अलग से टाइम नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो एग्री नहीं करते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को साथ लेकर हॉस्पीटल चलना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलें।

श्री अध्यक्ष : पेपर में रोज आता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अन्दाजा लगाइये....

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरे से तो सेटिसफाई थे नहीं आप, मन्त्री जी को साथ लेकर बताओ ना, मना कौन करता है, आप कह रहे हो आपके विभाग कहां गये। मैंने मेरा काम किया है आप दूसरे मंत्री जी को ले जाकर जाइये हॉस्पिटल, आपको कौन मना करता है, स्वास्थ्य मन्त्री जी को रिक्वेस्ट कीजिए, लेकर जाइये ना.... (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : यह सारी सड़कें हमारी कब्रिस्तान बनी हुई हैं कहीं भी जाओ आप ढेरों तो ट्रकें हैं वह आपको एक्सीडेंट हुई मिलेगी, सैकड़ों लोग घायल मिलेंगे। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अखबारों ने यह कालम फिक्स कर रखा है कि एक्सीडेंट की खबरें जरूर आयेंगी। (व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अस्पताल का मामला है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें नवरंग सिंह जी।

श्री नवरंग सिंह : इसलिए यह बात सही है कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं किया जायेगा।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, जो प्रश्न आये हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसका यह करेंगे कि बी. ए. सी. की मीटिंग में कोई टाइम फिक्स कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें बी. ए. सी. क्या करेंगी ?

श्री अध्यक्ष : तो और क्या करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें आपको तय करना चाहिये। हम ऐसे मामले को लेना चाहते हैं जिसमें हजारों लोग मारे गये।

श्री अध्यक्ष : मैं कब मना करता हूं, मैं खुद मानता हूं इसलिए मैं समय दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक घण्टा, दो घण्टा कभी भी समय रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक दिन में पूरा कम्युनल राइट्स को आप देंगे, कितने घण्टे देना चाहते हैं ? मैं निवेदन करूंगा एक-एक विषय के लिए एक-एक दिन कहां से कैसे रखूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक-एक दिन कहां चाहता हूं मैं एक घण्टा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां तो उस दिन मिलेगा, देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज दे दीजिए, कल दे दीजिए, उस दिन नहीं, रोज कालअटेंशन लेते हैं वह भी नहीं लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : और बिजनिस चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह क्यूं नहीं लेते, क्या आप इसलिए नहीं लेना चाहते कि गवर्नमेंट....

श्री अध्यक्ष : मैं खुद फिक्स कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां तो फिक्स कर दीजिए, क्यों नहीं करते फिक्स ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक्सीडेंटस के मामले हम यूं ही नहीं छोड़ना चाहते, आज असेम्बली शुरू हुई एक तारीख को। उस समय से आज तक राजस्थान में 77 आदमियों की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, क्या हम बोलें नहीं ? कितने लोग अपाहिज हो गये कितने लोग पड़े हैं। क्या इस सम्बन्ध में बात नहीं होनी चाहिये ? सहानुभूति नहीं रखते आप ? (व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार से बात करके इसमें अलग से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तय करिये, सरकार अपने जवाब देगी ।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब करेंगे व्यवस्था, आज बताइये आप ?

श्री अध्यक्ष : आज कल में ही कर दूंगा आज बात करके करुंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात करने का सवाल नहीं हैं, आज आप व्यवस्था तय करते हो तो ।

श्री अध्यक्ष : मुझे जरा समय तो देंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको समय दे रहा हूं आज का ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आज व्यवस्था करेंगे । (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे को दो मिनिट का मौका दें । अध्यक्ष महोदय, पूगल ब्रांच पर लगे मजदूरों का क्या कर रहे हैं ? पूगल ब्रांच पर लगे मजदूरों का आज चार महीने से भुगतान नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कह दिया, होगा, तब आप और क्या चाहते हैं ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, चार महीने से मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में चार महीने तक मजदूरों को वेतन नहीं मिला । अध्यक्ष महोदय, उन लोगों में भूखमरी फैल चुकी है, वह लोग जंगलों में पडे हैं। ठेकेदार वहां ले गये । ठेकेदारों को राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया । नागौर के, नौखा के, बीकानेर के, कोलायत के मजदूर हैं उनके गांवों में मामूली सी बरसात हुई है, वह खेती के बिना रह गये, आप उन गरीबों को मजदूरी नहीं दिला रहे हो । आप सरकार से जवाब दिलाओ, इस पर सरकार से स्टेटमेंट दिलवाइये । अध्यक्ष महोदय, क्या व्यवस्था दे रहे हैं, मजदूरों के बारे में ; यहीं है क्या आपकी सहानुभूति उन गरीबों के प्रति ?

अध्यक्ष महोदय, ऐसे काम नहीं चलेगा । यह गरीबों का काम है, रोटी का काम है, उनके पेट का काम है । चार महीने तक उन लोगों का पेट खाली पड़ा है, भूखे हैं वह लोग, उनकी व्यवस्था करिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई बकाया भुगतान है ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यस ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मजदूरों का सीधा भुगतान इन्दिरा गांधी कैनाल पर आप डिटेल दें, मैं दिखवा लूंगा और एक सप्ताह में करा दूंगा व्यवस्था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कह दीजिए कि पेमेण्ट हो रहा है मजदूरों को ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे सामने तो यह पहली बार यहां पर आया है ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मार्च के बाद कोई भुगतान नहीं हुआ है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे जानकारी दे देंगे। माननीय विपक्ष के नेता महोदय, मेरे सामने पहली बार यह इश्यू आया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मिनिस्टर है, इन मजदूरों का रेगूलर पेमेण्ट हो रहा है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : गवर्नमेंट की तरफ से बराबर रेगूलर हो रहा है। गवर्नमेंट से सम्बन्धित कोई भी कर्मचारी हैं, उसका रेगूलर पेमेंण्ट हो रहा है। यह स्वयं कह रहे हैं कि ठेकेदारों के मजदूरों को नहीं मिल रहा है। इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनके खिलाफ लेबर लॉज में एक्शन लिया जा सकता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां तो उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर यहां पर नहीं रख सकते।

श्री अध्यक्ष : सरकार का पेमेंण्ट है या ठेकेदारों का पेमेण्ट है ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सरकार का है।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि रेगूलर पेमेण्ट हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप बतला देना कह दिया है उन्होंने।

श्री नाथुराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष जी, अगर सीधा राजस्थान कैनाल के इन्जीनियर्स ने मजदूरों से काम करवाया है और पेमेण्ट सीधा मजदूरों को ड्यू है तब तो आपने कहा मैं सात दिन में इसका पेमेण्ट का इन्तजाम करा दूंगा। अगर ठेकेदारों के मार्फत भी किन्हीं का बाकी है तो वह भी आपका ही दायित्व बनता है कि ठेकेदार मजदूरों को टाइम पर पेमेंण्ट करें और उसमें अगर आपके बिलों के भुगतान की वजह से कठिनाई आयेगी तो ठेकेदारों के बिलों का भुगतान भी किया जाये। यह सारी चीजें लिंक्ड हैं और अगर ऐसी शिकायत आयी है तो मजदूरों का और उनका सबका आपके ध्यान में भी रहना चाहिए, मजदूरों का समय पर पेमेंट होना चाहिए। मैं इन्दलिया जी से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले में पूरी जानकारी मन्त्री महोदय, को दें ताकि इनको सारी स्थितियों की जानकारी हो सके।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराना।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत बीकानेर जिले के चक 2 जी. एम. के निवासी श्री लक्ष्मणराम मेघवाल की अविवाहिता पुत्री ग्यारसी, उम्र 16 वर्ष के साथ चार व्यक्तियों द्वारा बलात्कार कर उस की हत्या कर देने के मामले में बीकानेर पुलिस द्वारा समुचित तफ्तीश न करने व श्री मुंशीराम मेघवाल, पम्प ड्राइवर, (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग) के हत्यारों का आज तक पता न लगा सकने पर नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करता हूं।

तारीख 6 जून, 1989 को चक 2 जी.एम. के निवासी लक्ष्मण राम मेघवाल की पुत्री

70

(श्री मानिकचन्द सुराना)

ग्यारसी व मनुड़ी व अन्य तीन मेघवाल लड़कियां लक्ष्मण राम की ढाणी से पानी लाने के लिए माइनर पर गयीं। जब वे पानी लाने जा रही थीं तो रास्ते में तेज आंधी के दौरान ही ताजू खां व अन्य तीन व्यक्तियों ने ग्यारसी, मनुड़ी व अन्य लड़कियों को जुर्म करने की नीयत से पकड़ लिया। तीन लड़कियों को कम उम्र की होने के कारण छोड़ दिया गया लेकिन ग्यारसी व मनुड़ी को ताजू खां व अन्य तीन व्यक्तियों ने पकड़ लिया और ग्यारसी के साथ एक के बाद ताजू खां व अन्य तीन व्यक्तियों अल्लायार पुत्र लाल खां, अल्लायार पुत्र अलीशेर साकिन केलां व सिकन्दर पुत्र नामालूम साकिन दाऊदसर ने बलात्कार किया। मनुड़ी के साथ अल्लायार पुत्र लाल खां ने बलात्कार किया। ग्यारसी की लाश तारीख 8 जून, 1989 को आर. डी. 487 के निकट इन्दिरा गांधी मुख्य नहर में तैरती हुई मिली। उपरोक्त बलात्कार व हत्या के समाचार तारीख 10 जून, 1989 को बीकानेर से प्रकाशित राजस्थान पत्रिका में "सामूहिक बलात्कार कर हरिजन लड़की की हत्या" हैडिंग से प्रकाशित हुए। तारीख 8 जून, 1989 को ग्यारसी की लाश बरामद होते ही सारे इलाके में हल्ला हो गया और हरिजन बाला के साथ हुए बलात्कार व उसकी हत्या के समाचार आग की तरह छतरगढ़, राणेर व खारबारा के इलाके में फैल गये। बलात्कार व हत्या करने वाले गैंग के एक व्यक्ति ने ही तारीख 7 जून, 1989 को पुलिस में एक रिपोर्ट ग्यारसी के परिवार को प्रेषित करके ग्यारसी के गुम होने की दर्ज करवायी। उक्त रिपोर्ट के पीछे प्रेरणा समाणे खां, वार्ड पंच, राणेर की थी जो ताजू खां का रिस्ते में मामा है। बलात्कारी गैंग ने ग्यारसी के पिता के प्रति अत्यधिक षड्यन्त्रकारी सहानुभूति जतलाई ताकि उनसे ग्यारसी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाकर आगे की तफ्तीश को प्रभावित किया जा सके। सामणे खां को हाजी अहमद यार दमोलाई से यह जानकारी

(12.32 अपरान्ह)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

मिल चुकी थी कि मनुड़ी ने उस को यह बतला दिया था कि ताजू खां व उस के साथ तीन अन्य व्यक्तियों ने बलात्कार करके उक्त तथ्य को उजागर न होने की दृष्टि से उसे जान से मार डाला। हाजी अहमद यार ने जब ग्यारसी के बाबत गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की बात सुनी तो उसने समाणे खां को इसके लिए उपालम्भ दिया कि रिपोर्ट में मुलजिमान के नाम दर्ज क्यों नहीं कराये। इस पर सामणे खां ने हाजी अहमद यार को कहा कि मैं मेरे भान्जे को खुद कैसे फंसा सकता हूं। उपरोक्त घटना की एक शिकार मनुड़ी ने हिम्मत बटोर कर तारीख 21 जून, 1989 को उक्त बलात्कार व हत्या की सारी कहानी बीकानेर आकर उजागर की जो दैनिक अखबारों में भी प्रकाशित हुई। उक्त तथ्यों से वह पुलिस को भी अवगत करा चुकी थी लेकिन बीकानेर पुलिस का उक्त मामले में सारा रोल सिर्फ ताजू खां मुलजिम तक मामले को सीमित रखने में रहा, बार-बार तकाजा करने और निवेदन करने के बावजूद पुलिस ने अल्लायार पुत्र ताजू खां, अल्लायार पुत्र अलीशेर साकिन केला, व सिकन्दर दाऊदसर

(श्री मानिकचन्द सुराना)

जिनके खेत चक 2 जी. एम. व उसके इदगिर्द है, से कोई तफ्तीश नहीं की और उन को बलात्कार व कत्ल जैसे मामले में शरीक व सह मुलजिम् होते हुए भी गिरफ्तार नहीं किया।

उक्त मुकदमे की तफ्तीश एडिशनल एस पी. कुन्दनलाल शर्मा ने भी की लेकिन मुलजिम ताजू खां के अलावा होने की बात उनकी समझ में नहीं आई। वे शायद यही मानते रहे कि ग्यारसी की लाश को अकेले ताजू खां ने ही नहर में डाल दिया। उनकी समझ पर चांदी की मार पड़ चुकी थी और इस कारण नउकी समझ सही दिशा में तफ्तीश को आगे बढ़ाने में असमर्थ रही। गृह मन्त्री ने मामला अब आई. जी. (सी.–आई. डी.) के सुपुर्द तारीख 29-6-1989 को किया है लेकिन उपरोक्त मामले में यह स्पष्ट है कि तारीख 7 जून 1989 से लगा कर आज तक उपरोक्त जुर्म के कम से कम तीन मुलजिमों को खुला घूमने की छूट बीकानेर पुलिस की शीर्ष अधिकारियों के कारण मिली रही और गरीब अनुसूचित जाति के लागों में पुलिस प्रशासन के विरूद्ध रोष व्याप्त होता रहा। मुंशीराम मेघवाल, पम्प ड्राइवर की हत्या के मामले में एक भी व्यक्ति को अब तक गिरफ्तार न किया जाना भी बीकानेर पुलिस के निकम्मेपन और अक्षमता का एक और बड़ा उदाहरण है। मुंशीराम की लाश बीकानेर शहर के नाल की तरफ वाले चुंगी नाके के पास मिली थी और मुंशीराम की लाश अपने आप वहां नहीं पहुंची थी।

उक्त घटनाओं का विशेष उल्लेख करके मैं गृहमंत्री से यह जानना चाहता हूं। कि क्या राज्य सरकार बीकानेर के पुलिस अधिकारियों की भ्रष्टाचार, निकम्मेपन अक्षमता से उपजी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है? यदि हां तो उन को इस के तथ्यात्मक प्रमाण देने होंगे।

सभापति महोदय, गृह मन्त्री जिनसे सम्बन्धित मामला है वह तो है नहीं पर जिले के मन्त्री ने, जो केबिनेट में तीसरे नम्बर के मंत्री हैं, इस मामले को नोट किया है। बीकानेर शहर का मुंशीराम पी. एच. ई. डी. का ही नौकर था। उसकी लाश नाके के पास मिली है। मैं चाहूंगा कि इन दोनों मामलों में आप गृह मंत्रीजी से स्वयं बात करें और इस मामले में जो भी डिटेल्स है उनकी तफ्तीश करायें। अनुसूचित जाति के साथ दो जुर्म हुए हैं, दो लाशें मिली हैं। एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ मंशीराम की लाश के सिलसिले में और दूसरी जो कहानी है वह मैंने आपको बतायी। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इसमें तात्कालिक रूप से कोई सक्षम कदम उठायेगी।

श्री सभापति : मैं आसन की ओर से कह रहा हूं कि मंत्रीजी इस को गम्भीरता से लें क्योंकि जो आरोप आप ने लगाये हैं बड़े गम्भीर आरोप हैं।

श्री डूंगरराम पंवार . उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : सभापति महोदय, प्रदेश में 200 नवीन आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले गये हैं। इन आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में नये वैद्यों की भर्ती में उप सचिव द्वारा भारी अनियमियतायें की जा रही हैं। घूस में मोटी रकम उप सचिव द्वारा

(श्री हरीश शर्मा)

हड़पी जा रही हैं। जिससे निर्धन प्रतिमा-वान योग्य वैद्यों को नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। सभापति महोदय, प्रदेश में पुराने और नये चिकित्सालयों में 250 के लगभग चिकित्सकों के पद रिक्त चले आ रहे हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए ऐसे चिकित्सकों को नियुक्तियां दी गयीं जो इन पदों के योग्य नहीं हैं। ऐसे चिकित्सकों से उपसचिव ने मोटी रकम वसूलकर नियुक्तियां दीं। नियुक्त किये गये चिकित्सकों में कुछ चिकित्सक ऐसे थे जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों के अधीन स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहे हैं। सभापति महोदय, जो पी. जी. कर रहे थे, जिन को स्टाइफण्ड मिल रहा था, जिन से 3–3 साल का आयुर्वेदिक बाण्ड भरवा रखा था उन को नियुक्तियां दे दीं। बहुत गम्भीर मामला है। मै जानता हूं कि आर्यसाहब बहुत सज्जन आदमी हैं। उन को इस बात की जानकारी नहीं है नहीं तो कार्यवाही करते इन की सज्जनता का लाभ उठा रहा है भटनागर। और कुछ ऐसे चिकित्सकों को नियुक्तियां दे दीं गयीं जो इण्टर्नशिप कर रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप चार) ने 10 अप्रेल, 1989 को पत्र क्रमांक प. 10 (15) आयुर्वेद/184 के तहत रिक्त पदों का विज्ञापन दिया। विज्ञापन में साफ था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। सभापति महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित विद्यार्थियों को रखा वेटिंग लिस्ट में और उनको नियुक्तियां दे दी गयीं जो पढ़ रहे थे, जो योग्य नहीं थे। किन्तु ऐसा न करके रिश्वतों के आधार पर योग्य प्रत्याशियों को नियुक्तियां दे दी गयीं जिससे प्रतिभावान गरीबों की हत्या हुई।

सभापति महोदय, मन्त्री महोदय, आयुर्वेद एस. सी. के हैं लेकिन इसमें एस. सी एस. टी. का एक भी नहीं लिया क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था देने के लिए। इस भटनागर ने होमियोपैथी डाक्टरों का भी विज्ञापन निकाला, सभापति महोदय, और उन से रिश्वत ली। 27 जगह निकालीं। यूनानी में भी निकाला, सब में रुपये खा गया। मुझे दुख इस बात का है आप बहुत सज्जन आदमी हैं, ईमान-दार आदमी हैं लेकिन यह भटनागर दुरुप-योग कर रहा है आप की सज्जनता का। उसने 1987 से लेकर अब तक बार-बार विज्ञापन निकाल कर, बार-बार लोगों को इन्वाइट कर लाखों रुपये बटोर लिये हैं। आर्य साहब, मेरा निवेदन यह है कि इस की अगर आप उच्च स्तरीय जांच करायें तो आपको मालुम होगा कि आप के पीछे कितना घोटाला हुआ है, आप जैसे बड़े आदमी पर दाग लगाया जा रहा है उनके द्वारा।

इससे आयुर्वेद छात्रों में भारी रोष है, नियमों का खुला उल्लंघन हुआ है भारी भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी हुई है अतः नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में विशेष रूप से आप जोर दें ऐसे लोगों को जो अयोग्य थे, इण्टर्नशिप कर रहे थे। पी. जी. करने वाले स्टूडैण्ट्स कोस्टाई फण्ड दिया जाता है, तीन साल का बोण्ड भरा रहता है, आयुर्वेद में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको नियुक्तियां दे दी गयीं हैं, आयुर्वेद बोर्ड में रजिस्ट्रेशन न हो स्टाई फण्ड ले रहे हैं वहां के विद्यार्थी....

श्री सभापति : आपने यह सब लिख दी हैं...

श्री हरीश शर्मा : इसलिए मेरा निवेदन है कि तत्काल आप ए. के. भटनागर और सचिव को हटाकर इस बारे में पूरी जांच की जाय तो इनके खिलाफ एफ. आई. आर. भी हो जायेगी और वह अन्दर चले जायेंगे और गरीबों को लाभ हो जायेगा।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय सभापति महोदय, ए. के. भटनागर के बारे में होम्योपैथी के चिकित्सकों की नियुक्तियों के समय भी चार्ज लगे थे...

श्री सभापति : आप तो अपने विषय पर आ जायं माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : और नियुक्ति देने के मामले में उन पर भ्रष्टाचार...

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपने विषय पर बोलें।

श्री दाऊदयाल जोशी : और इसलिये वह सारे रद्ध हुये हैं वास्तव में श्री हरीशजी ने जो बात कही है यह गम्भीर मामला है इस पर आप व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर जो नियुक्तियां दी जा रही हैं इस पर ध्यान दें।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय, 295 के तहत प्रस्ताव आपकी सेवा में राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

मान्यवर, राजस्थान में महीनों से आयुर्वेद निदेशक का पद रिक्त चल रहा है। इस पद के रिक्त रहने से पूरा विभाग निष्क्रिय, पंगु एवं अकर्मण्य हो गया है। महोदय, राज्य में नियमानुसार आयुर्वेद फार्मेशियों के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु प्रति वर्ष प्रार्थना-पत्र देय है। दुर्भाग्य है कि टैक्निकल व्यक्ति नहीं होने के कारण उप निदेशक सीधे-सीधे कहते हैं कि चूंकि मैं टैक्निकल व्यक्ति नहीं हूं इसलिए आपकी फार्मेसी का नवीनीकरण करने में असमर्थ हूं। 350 प्रार्थना पत्र करीब 2 साल से लम्बित हैं, कोई उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। चूंकि विभाग में जहां ड्रग कन्ट्रोलर नहीं है, ड्रग इन्सपेक्टर नहीं है इसलिए श्री कालीचरण सराफ ने जो पिछले सत्र में आरोप लगाया था कि राजस्थान की आयुर्वेद फार्मेशियां औषधियां न बनाकर...

श्री सभापति : इसको कृपया पढ़ें।

श्री दाऊदयाल जोशी : केवल मद्य बेच रही हैं, दारू बेच रही हैं, धड़ल्ले से अश्वगन्धारिस्ट के नाम पर दारू बिक रही है। मेरा निवेदन है कि औषधी के नाम पर दारू की बिक्री हो रही है, माननीय मन्त्री महोदय, कृपा कर इसको गम्भीरता से लें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार से 50 से अधिक प्रार्थना-पत्र नवीन फार्मेशियों के लिए एक साल से लम्बित चल रहे हैं, उनकी स्वीकृति नहीं दी जा रही है। इसी प्रकार से कोई टैक्निकल व्यक्ति नहीं होने के कारण राज्य की आयुर्वेदिक फार्मेशियों जो राज्य सरकार द्वारा 5 जगह रसायन शालायें चलायी जा रही हैं वह पांचों की पांचों रसायन शालाओं

(श्री दाऊदयाल जोशी)

में अपनी दवाइयां निर्मित नहीं हो रही हैं और लाखों रुपये उन रसायन शालाओं पर व्यय हो रहा है। परिणामतः उन रसायन शालाओं में दवाइयां न बनाकर हरिद्वार की देश रक्षक औषधालय जिसका कि कहीं कोई नाम नहीं है उसकी दवाइयां आई. डी. पी. एल. के माध्यम से खरीदी जा रही हैं जो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के साथ दोहरी मार है। एक तरफ अपना कमीशन देश रक्षक औषधालय खाता है और दूसरी ओर आई. डी. पी. एल भी अपना कमीशन लेकर राज्य में दवाइयां वितरित करता है। देश रक्षक औषधालय की दवाइयां मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में कहीं कोई नाम तक नहीं सुना जाता है अगर आपको दवाइयां प्राइवेट रूप से लेनी हैं तो निश्चित फार्मेशियों की दवाइयां आप लें और राज्य का भला करते लेकिन हल्की किस्म की दवाइयां घटिया किस्म की दवाइयां आयुर्वेदिक को मिल रही हैं..

श्री सभापति : आपका नाम पुकारूं मैं माननीय सदस्य समाप्त हो गया हो तो मैं आगे नाम पुकारूं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : बस समाप्त ही कर रहा हूं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक डी. पी. सी. न बैठ जाय, जब तक आपके विवाद कोर्ट में चल रहे है, उनके जो मामले है वह जल्दी से जल्दी आप निपटायें, डी. पी. सी. करवायें और कोर्ट में जल्दी से पैरवी करवा कर शीघ्र आयुर्वेद निदेशक का पद भरे। यदि आप आयुर्वेद निदेशक का पद नहीं भर सकते हैं तो राज्य के किसी भी योग्य व्यक्ति को या चिकित्सक को आयुर्वेद के निदेशक पद पर एडहाक बेसिस पर नियुक्ति दे कर शीघ्रातिशीघ्र आयुर्वेद के निदेशक पद पर नियुक्ति करें! वरना जनता के साथ जो नकली फार्मेशियां मखौल कर रही हैं, दारु बेच रही हैं उन पर आपकी कोई पकड़ नहीं है आयुर्वेद की नकली दवाइयां बाजार में मिलें एलोपैथिक के लिए, माननीय सभापति महोदय, यहां पर चर्चा होती है लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों की नकली दवाइयों का आज अम्बार आया पडा है। उसका आपके विभाग में ड्रग कन्ट्रोल, ड्रग इन्सपैक्टर का पद रिक्त होने के कारण और स्वीकृत होने के बावजूद भी न भरे जाने के कारण यह सारी की सारी व्यवस्था है। माननीय मन्त्रीजी आप इसको गम्भीरता से लें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भोलाराम सैनी।

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत प्रस्ताव की सूचना दे रहा हूं।

महोदय, निवेदन है कि कस्बा नागौर में जो वक्फ सम्पत्तियों का गजट नोटिफिकेशन हुआ था। उसमें बहुत सी राजस्व भूमि थी। जिनका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज बराबर नहीं हुआ। किन्ही भूमियों का न तो रिकार्ड में वक्फ बोर्ड के नाम से इन्द्राज हुआ और कई भूमि में गैर मुमकिन सरकारी लिखी जाती रही है परन्तु गजट में ये भूमि वक्फ बोर्ड की है।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

पिछले कई वर्षों से उन कीमती भूमियों को हड़पने का षड़यंत्र कुछ स्वार्थी लोगों ने रचा था और उसमें स्थानीय राजस्व कर्मचारी व अधिकारी भी सम्मिलित हुये और उन भूमियों पर अतिक्रमण शुरु किये, कहीं पर फर्जी दस्तावेज भी तैयार किये गये और उन वक्फ की भूमियों पर बडी-बडी आलीशान इमारतें खड़ी कर ली गयीं और यहां तक की नागौर से मुण्डवा जाने वाली सड़क पर भवन शोरुम, कारखाने, पेट्रोल पम्प, सिनेमा हाल आदि बना लिये गये और इसमें स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका, राजस्व कर्मचारी सब ने मिल कर खुली लूट मचा रखी है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि पेट्रोल पम्प और सिनेमा घर के लिये कलक्टर और नगर पालिका ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी दे दिये, वो किस आधार पर दिये नहीं तो यह भूमि आबादी में आबादी क्षेत्र परिवर्तित हुई न ही सरकार ने कभी एलाट मैण्ट की, न ही किस्म परिवर्तित की, तो फिर अनापत्ति प्रमाण-पत्र किस आधार पर दिये गये। यदि कोई आधार है तो केवल फर्जी दस्तख्त एवं दस्तविज ही हो सकता है। इसी भूमि पर बनी इमारतें सरकार को भी कार्यालय के लिये किराये पर दी गयी है।

मैंने पिछले बजट सत्र में यह मामला उठाया था परन्तु वक्फ मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे यही साबित हुआ कि राजस्व विभाग के आगे वो एकदम असहाय से ही दिखाई दिये और वक्फ विभाग की राजस्व विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान राजपत्र में घोषित नागौर शहर की वक्फ सम्पत्तियों पर किये गये अतिक्रमण को तुरन्त हटाया जावे और जिन सरकारी कर्मचारियों ने इसमें सहयोग दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे तथा जिन राजकीय अधिकारियों ने खुद के नाम से और उनकी पत्नियों के नाम से इन भूमियों पर अतिक्रमण किया उनको राज्य सेवा से हटाया जाय और सारे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय।

श्री समापति : श्री दिग्विजय सिंह जी।

श्री दिग्विजय सिंह (उंनियारा) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत अपनी बात रख रहा हूं।

महोदय, देश में पंडित जवाहरलाल नेहरु शताब्दी व भारत को स्वाधीनता की चालीसवीं वर्षगांठ के उपलक्ष में कई कार्यक्रम किये जा रहे हैं। इसी सन्दर्भ में हमारे राज्य में भी प्रान्तीय व जिला स्तर पर समितियों का गठन किया है। इन समितियों द्वारा जो निर्णय लिये जा रहे हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि "इस वर्ष गांठ" व "जवाहरलाल नेहरु शताब्दी समारोहों" के माध्यम से हम एक परिवार को ही महत्वता देना चाह रहे हैं जबकि इस देश की स्वाधीनता में कई महान व्यक्तियों का योगदान रहा है।

इस दिशा में राज्य सरकार ने समस्त जिलाधीशों को एक आदेश संख्या एफ 2/3 म. म./88 दिनांक 16-3-88 एवं समसख्यक पत्र दिनांक 4-5-89 जारी कर निर्देशित

(श्री दिग्विजय सिंह)

किया है कि सार्वजनिक स्थानों का नामकरण स्वतन्त्रता सैनानियों के नामों के प्रस्ताव चाहे गये हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में जो नाम यदि कोई दान दाता अन्य किसी व्यक्ति के नाम से यदि कोई सार्वजनिक निर्माण हुआ है तो भी उसका नामकरण बदल दिया जावे । यदि यही भावना है तो मैं समझता हूं कि यह सर्वथा गलत है । और इस प्रजातंत्र में किसी भी प्रकार से उचित नहीं है ।

यदि राज्य सरकार, यह चाहती है कि हम इस वर्ष में स्वतंत्रता सैनानियों के नाम से कुछ सार्वजनिक स्थानों के नाम रखें तो उचित यह होगा कि "सरकार द्वारा जारी कई विभागीय योजनाओं का "नामकरण" इस स्वतंत्रता सैनानियों के नाम से रखें वरना जो पूर्व के नामों से जो स्थान जाने जाते हैं उनका यदि नाम बदल कर नामकरण करना न केवल उस क्षेत्र को स्वीकार होगा बल्कि उस स्वतंत्रता सैनानी के प्रति न्याय नहीं होगा ।

मेरा राज्य सरकार से और खास तौर से मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इन विषय पर वह पुनः विचार करें और यह स्पष्ट करें कि इस शताब्दी व स्वाधीनता के चालीसवें वर्ष गांठ के उपलक्ष्य में जो नये "कार्य निर्माण" उनका नामकरण इन महान् विभूतियों को जिन्होंने की इस देश के निर्माण व स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी रही है के नामों का प्रस्ताव करें और उनके नामों पर रखा जावे तो ज्यादा सम्मानजनक बात होगी न कि हम केवल पुराने जाने माने नामों को बदल दें ।

अतः मैं नियम 295 के अन्तर्गत इस विषय को उल्लेख के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री सभापति : श्री जगजीत सिंह ।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में यह निवेदन करना चाहूंगा । मंत्री महोदय यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सभापति महोदय, इसकी नोटिंग के लिए आप मंत्री महोदय को आदेश दें क्योंकि पिछले चार साल से मैं इस मामले को उठा रहा हूं । खास तौर से निवेदन करूंगा कि बरबड़ सहाब को आप फरमायें । (व्यवधान) बरबड़ साहब पिछले चार साल से मैं यह मामला विधान सभा में उठा रहा हूं और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई । इस सम्बन्ध में आप थोड़ी नोटिंग कर लें । मान्यवर, निवेदन है कि अजमेर जिले में बागरिया जाति जो कि अभी तक अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं है, को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने की मांग बार-बार की जा रही है ।

राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित अनुसूचित जाति सूची में बागड़ी नाम से इस जाति को सम्मिलित किया गया है मगर हमारे अजमेर जिले में इस बागड़ी जाति को बागरिया जाति के नाम से सम्बोधित किया जाता है इसलिए बागरिया जाति के लोगों को अधिकारीगणों द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता जिससे यह जाति सभी लाभों से वंचित रह रही है ।

(श्री जगजीत सिंह)

पूर्व में जब मैंने विधान सभा में अजमेर जिले के बागरिया, जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के संबंध में प्रश्न उठाया था तो माननीय मंत्रीजी ने सदन में कहा था यह मुद्दा केन्द्रीय सरकार से संबंध रखता है। इसके उपरान्त माननीय प्रधान मंत्रीजी 1-9-87 को अजमेर पधारे तब मैंने इस सन्दर्भ में अजमेर में ज्ञापन दिया था उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे संख्या 5/3/87-पी.-एम.-पी. क्रमांक का 8 अक्टूबर को लिखा पत्र प्राप्त हुआ उसमें लिखा था कि उचित कार्यवाही हेतु राजस्थान सरकार को लिखा जा रहा है।

उपरोक्त सन्दर्भ में यह निवेदन है कि सूची में अंकित बागड़ी व अजमेर जिले के बागरिया एक ही जाति हैं। राजस्थान में अन्य स्थानों पर रह रहे बागड़ी व अजमेर जिले में रह रहे बागरियों में शादी विवाह आदि होते हैं और यह दोनों एक ही जाति हैं।

निवेदन यह है कि राजस्थान सरकार इस विसंगति को दूर करने हेतु बागड़ी जाति के साथ बागरिया भी शब्द लिख दे तो अजमेर जिले में एक जाति को दो जाति मान रखी है का भ्रम दूर हो जायेगा।

अतः आप कृपा करके अजमेर जिले में बागड़ी जाति की व बागरिया जाति को लेकर फैली भ्रान्ति को अवश्य दूर करवायेंगे एवं बागरिया जाति को शीघ्र अनुसूचित जाति में स्थान दिलाकर उचित आदेश प्रदान करेंगे।

श्री सभापति : मैं मेरी ओर से कह रहा हूं। (व्यवधान) मेरी बात तो सुन लीजिए। आपकी बात समाप्त हो गयी। मैं आगे नाम पुकार रहा हूं। जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

श्री जगजीत सिंह : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं अपनी ओर से। मामला समाप्त हो चुका। माननीय सदस्य, प्रक्रिया तब की हुई है। (व्यवधान)

श्री जगजीत सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट भी नहीं लूंगा। सुझाव दे रहा हूं कि या तो मन्त्री महोदय, सरकार यहां से इस तरह के निर्देश दे दें कि बागरिया जाति जो वहां है और बागड़ी और बागरिया में कोई फर्क नहीं है। अगर वे एफिडेविट देकर प्रमाण पत्र लेना चाहें तो एफिडेविट के ऊपर उनको प्रमाण-पत्र दे दें क्योंकि बागड़ी और बागरिया जाति में कोई फर्क नहीं है या फिर राज्य सरकार केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर इस जाति को सम्मिलित करवाये क्योंकि जाति एक ही है, दो नाम पुकारे जाते हैं। उनका रहन-सहन, खान-पान, शादी-व्यवहार सब एक ही है इसलिए एक जाति को दो नामों से पुकारा जाता है। या तो आप अधिकारियों को निर्देश दें कि यदि बागरिया जाति का आदमी एफिडेविट देगा कि बागड़ी और बागरिया में कोई फर्क नहीं है और उनको प्रमाण-पत्र दिया जाय। जो सुविधायें अनुसूचित जाति के लोगों को मिलनी चाहिएं वे सुविधायें हमारे अनुसूचित जाति के बागड़ियों को भी मिलनी चाहिए। यही निवेदन करना था।

श्री सभापति : श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर एवं शहर से जुड़े हुए क्षेत्र की सरकारी भूमि सिवायचक, गैर मुमकिन सिवायचक चारागाह, वन शमशान एवं सिलिंग में अवाप्त करोड़ों रुपये भूमि की खातेदारी दे देने एवं आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि का आवंटन नहीं किये जाने के संबंध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिए यहां उठा रहा हूं।

जयपुर शहर एवं शहर से जुड़े हुए क्षेत्र तहसील जयपुर, सांगानेर, आमेर एवं जमवारामगढ़ में सरकारी भूमि सिवायचक गैर मुमकिन सिवाय चक, चारागाह, वन, गैर मुमकिन शमशान एवं सीलिंग में अवाप्त 1500 बीघा भूमि जिसकी बाजार भाव से कीमत 30 करोड़ से अधिक है, अधिकारियों की सांठगांठ से हथिया ली गई है। भूमि हथियाने के लिए एक गिरोह गत छः वर्षों से काफी सक्रिय है जिसमें अधिकारी वकील कुछ निहित स्वार्थी तत्व शामिल हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि आवासन मन्डल को अवाप्त भूमि का कब्जा देने व उसके पक्ष में नामान्तरणकरण खुल जाने के बाद इस सरकारी भूमि की खातेदारी बिना पूर्व कब्जे के प्राप्त कर अवधि निकलने के बाद क्लेम कर डेढ करोड़ रुपये का मुआवजा आवासन मण्डल से भी प्राप्त कर लिया।

बिना पूर्व कब्जे से कब्जा होते हुए कब्जा मानकर, दिखाकर दावे प्रस्तुत कर डिक्री देकर करोड़ों रुपये की सरकारी कीमती भूमि की खातेदारी देकर अनुचित लाभ उठाया तथा राजकीय कोष को भारी क्षति पहुंचाई। इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच भी कराई और सचिवालय स्तर पर विचार विमर्श भी हुआ लेकिन दोषी अधिकारियों व निहित स्वार्थी तत्वों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला और यह सिलसिला आज भी जारी हैं।

30 करोड़ से अधिक कीमत की भूमि भ्रष्ट प्रवृत्ति के कारण नियमों को ताक में रख कर जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में होते हुए बिना राज्य सरकार की अनुमति के इस प्रकार खातेदारी देने या लेने के प्रकरण में जांच कराया जाना व संबंधित पत्रावलियों को जब्त किया जाना नितान्त आवश्यक था लेकिन इस गिरोह के प्रभाव ने कारण आज तक राज्य सरकार ने इस भयंकर घोटाले की जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की।

इसी प्रकार झालाना डूंगरी जहां आवासन मण्डल की आवासीय कालोनी बसायी गयी है उसके मध्य जयपुर राजमाता गायत्री देवी की 500 बीघा भूमि सीलिंग में अवाप्त भूमि की खातेदारी गृह निर्माण सहकारी समिति से संबंधित लोगों को दे दी जबकि इन लोगों को राजस्व मण्डल ने खातेदारी देने से मना कर दिया था। इसके उपरान्त नये दावे लेकर 25 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन की खातेदारी दे दी गई। इसी प्रकार झालाना डूंगर मालवीया नगर के मध्य में भी खातेदारी दे दी गयी है।

इसी प्रकार तहसील सांगानेर में डा. कर्नल कासलीवाल की भूमि जो सीलिंग में

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

ली गई थी और तहसील ने कब्जा प्राप्त कर लिया था उसके भी नियम विरुद्ध खातेदारी प्रदान कर दी गयी है।

एक ओर 60 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की सरकारी भूमि की खातेदारी देने व लेने वालों के विरोध में सरकार कार्यवाही न कर सरकारी भूमि को हथियाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है और, जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मास्टर प्लान में आने वाली भूमि के अलावा आवंटन योग्य उपलब्ध गैर मुमकिन सिवायचक भूमि 22750 बीघा 14 बिस्वा तथा सिवाय चक भूमि 7320 बीघा 14 बिस्वा आवंटन न कर प्रभावशाली लोगो को अतिक्रमण करने का अवसर हो नहीं दे रही बल्कि भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटन से वंचित रख रही हैं तथा जयपुर के बढ़ते हुए प्रदूषण की रोक थाम के लिए वृक्षारोपण करने के लिए लोगों को निजी वन विकास हेतु भुमि आवंटन नहीं की जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को विशेष उल्लेख के जरिए सदन में चर्चा के लिए रखना चाहता हूं तथा राजस्व मन्त्री से साठ करोड़ रुपये की सरकारी भूमि हथियाने के घोटाले की निष्पक्ष एवं बिना बिलम्ब के जांच कराने एव मास्टर प्लान के अलावा आवंटन योग्य 3072 बीघा आठ बिस्वा सिवाय चक व गैर मुमकिन सिवायचक भूमि आवंटन किये जाने की मांग करता हूं।

श्री सभापति : राजस्व मंत्री जी जो आरोप लगे हैं अगर वे सही हैं तो बड़ी गम्भीरता से आप उनकी जांच करवायें।

श्री नरपतराम बरबड़ (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, जो भी राजस्व विभाग के बारे में बात कही गयी है, आरोप लगाये है इनका मैं पूरा परीक्षण कराके और परीक्षण के बाद जो भी नतीजे सामने आयेंगे उसके अनुसार कार्यवाही करूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री केसरदेव मेहरड़ा (अनुपस्थित)

माननीय श्री हंसराज मिढ़ा (अनुपस्थित)

माननीय श्री शोपतसिंह।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो 295 के तहत प्रस्ताव रखा है उसको मैं पढ़ रहा हूं।

कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत कराना चाहता हूं, विशेष तौर से राजस्व मन्त्रीजी को कि गत सत्र के दौरान सिचाई मन्त्री महोदय ने गंगानगर जिले की गंग केनाल, भाखरा व इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र की सन् 1987 की खरीफ की कपास फसल का 50 प्रतिशत खराब छोड़ने की घोषणा की थी मगर इस समय रेवेन्यू पटवारी खराबा छोड़ी हुई फसल का लगान वसूल कर रहे हैं जो कि कानून सम्मत नहीं है। गंगानगर जिले के सिंचित क्षेत्रों में विशेष तौर पर कोलोनाइजेशन क्षेत्र में लगान वसूल का आधार हुई-बुई को रखा

(श्री शोपत सिंह)

गया है, बाकी राजस्थान के अन्दर लगान की अलग व्यवस्था है और गंगानगर जिले में अगर फसल बोते हैं और अगर फसल होती है तभी लगान वसूल किया जाता है और लगान की दर बढ़ी हुई है मुकाबले में राजस्थान के दूसरे हिस्सों के। इसलिए हुई बुई को रखा गया है। और अब राज्य सरकार सन् 1987 में सूखे के कारण कपास की कीमत पर 50 फीसदी खराबा छोड़ दिया गया तो फिर लगान वसूली क्यों की जा रही है। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में जिलाधीश गंगानगर को शीघ्र आदेश देकर खरीफ 1987 की लगान वसूली को रोका जावे।

इस फसल पर आपने 50 फीसदी खराबा छोड़ दिया और यह मान लें कि कोई फसल नहीं हुई इस सिंचित क्षेत्र के अन्दर तो फिर उसे लगान वसूल करना बिल्कुल ही कानून सम्मत नहीं है। मुझे आपकी मार्फत यही कहना है और मैं चाहूंगा कि राजस्व मन्त्री शीघ्र से शीघ्र इस जानकारी से सदन को अवगत करायेंगे कि वहां पर लगान वसूली क्यों हो रही है जिस फसल का खराबा छोड़ा जा चुका है।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंजमण्डी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से 295 के तहत विशेष उल्लेख के द्वारा राज्य सरकार का एक गम्भीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पिछले चार वर्षों से मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से बराबर मांग करता रहा हूं किन्तु दुर्भाग्य है कि अनेकों बार आश्वासन देने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस दृष्टि से कोई सक्रियता से कार्यवाही नहीं की गई।

कोटा से 20 कि.मी. की दूरी पर ओरियण्टल पावर केवल फैक्ट्री के नाम से उद्योग स्थापित है जिसमें लगभग 725 श्रमिक कार्यरत हैं तथा समीप के 15 गांवों के निवासी भी इससे लाभान्वित होते रहे हैं। यह उद्योग अपनी स्थापना से बन्द होने तक बराबर लाभ अर्जित करता रहा है किन्तु उद्योग में कुछ आर्थिक संकट तथा मालिकों की बदनीयती से यह उद्योग गत वर्ष से बन्द पड़ा है जिसके कारण श्रमिक तथा अन्य कर्मचारी भारी संकट का सामना कर रहे हैं। पूर्व के सत्रों में मैंने इस समस्या पर राज्य सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है किन्तु सरकार ने समय-समय पर दिये गये आश्वासनों के बावजूद स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। विधान सभा में तत्कालीन श्रम मन्त्री श्री हीरालालजी देवपुरा ने आश्वासन दिया था कि मैनेजमेन्ट पुन. सुमैया के पास आ गया है और शीघ्र चालू कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। किन्तु सरकार भी संस्थान के मालिक श्री सुमैया के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। श्री सुमैया ने षडयन्त्र रचकर दिसम्बर, 1985 में इस उद्योग को नीको नाम की एक कम्पनी को बेचने का निर्णय लेकर 3.4.86 को इसे उद्योग को सहायता उपक्रम घोषित करवा दिया। श्रमिकों की बस्ती की बिजली काट दी गई। स्कूल, अस्पताल व बिजली बन्द कर दिये गये तथा बिना किसी पूर्व सूचना के श्रमिकों का वेतन भी बन्द कर दिया ताकि किसी तरह श्रमिक परेशान

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

होकर भाग जावे, इसलिए श्री सुमैया ने अपने प्रभाव से इस सहायता उपक्रम की अवधि बढ़ाते रहे।

मालिकों की दमनपूर्ण नीति एवं बदनीयती से परेशान होकर श्रमिकों को उच्चतम न्यायालय की शरण लेनी पड़ी जहां से 13.10.87 को राज्य सरकार को आदेश दिया गया कि अप्रेल, 1986 का वेतन सहायता उपक्रम घोषित करने के कारण श्रमिकों को अविलम्ब दिया जावे। राजस्थान सरकार ने एक माह का वेतन तो दे दिया किन्तु इसके साथ ही आगे के दायित्व से बचने के लिए सहायता उपक्रम की घोषणा को वापिस ले लिया। परिणाम स्वरुप मजदूर आज भी असहाय स्थिति में खड़ा है। कारखाने में 5 वर्ष पूर्व ही दस करोड़ के नए उपक्रम लगाकर उद्योग का आधुनिकीकरण किया गया है। कारखाना चलाने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए 27.7.86 को श्रमिकों एवं मालिकों के मध्य समझौता भी किया गया। इससे स्पष्ट है कि कारखाना चलाने की स्थिति है तथा लाभप्रद भी है किन्तु केवल मात्र मालिकों की कठिनाई अथवा अन्य कोई योजना या श्रमिकों को परेशान करने की दृष्टि से राज्य सरकार की इस कारखाने को चालू कराने की मंशा नहीं है।

यह भी स्पष्ट है कि आर्थिक संकट के कारण सुमैया ने औद्योगिक वित्त निगम भारत सरकार के अध्यक्ष श्री बी. एन. डावर को पत्र लिखकर आर्थिक सहायता का प्रस्ताव किया था। भारतीय वित्त निगम ने यह मामला बी. आई. एफ. आर. को दे दिया जहां से शीघ्र ही किसी भी प्रकार के न्याय मिलने की आशा नहीं की जा सकती क्योंकि गत ढाई वर्ष में एक भी सुनवाई बी. आई. एफ. आर. के माध्यम से नहीं की। इधर राज्य सरकार बराबर यह आश्वासन देती रही है कि उद्योग को शीघ्र चलाने का प्रयास किया जा रहा है। गत सत्र में कृष्णा मिल को चालू किये जाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए इसी सदन में एक समिति गठित की गई थी और साथ ही उसी समिति को यह कार्य भी सौंपा गया था कि ओ. पी. सी. को चालू किये जाने की सम्भावनाओं पर भी यह समिति विचार करे किन्तु खेद है कि इस दृष्टि से अभी तक किसी भी प्रकार कोई निर्णय नहीं लिया गया मुझे यह भी मालूम पड़ा है इसी बीच निपिन डेनरो इस्पात लि. द्वारा लिये जाने के बारे में जानकारी भी सरकार द्वारा दी गई किन्तु एक वर्ष से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इसमें से कोई प्रगति नहीं हुई है। क्योंकि राज्य सरकार का रवैया इस दृष्टि से पूर्णतया उपेक्षा पूर्ण रहा है अन्यथा यह उद्योग बहुत पहले चालू किया जा सकता था क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का संकट नहीं है। उद्योग पूर्व में बराबर लाभ देता रहा है और आगे भी लाभ की स्थिति बनाये रखने के लिए श्रमिकों ने अनुबन्ध कर लिया है। दिक्कत केवल मात्र मालिकों की नीयत की है जो साफ नहीं है और सरकारी रवैया उसको प्रोत्साहित करता रहा है।

मैं 295 के विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस दृष्टि से सक्रियता काम में लेकर निश्चित अवधि

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

में इस उद्योग को चालू कराये जाने की योजना तैयार करे ।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गत चार वर्षों से इस उद्योग में जो वहां के चौकीदार और सुरक्षा के कर्मचारी हैं वह बराबर काम देते रहे हैं। मगर उद्योग के चलते राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की उनको तनख्वाह का भुगतान नहीं किया गया । अभी जब उद्योग पर चर्चा चल रही थी तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कई उद्योगों के लिए नई रिलीफ की बात की थी । दुर्भाग्य है कि यह मामला सीधा-सीधा उद्योग से है लेकिन हमारी सरकार ने इस समस्या को श्रमिक लॉ के साथ चला रखा है । श्रम मन्त्रीजी इस पर विचार कर रहे है जबकि श्रमिकों की वहां पर कोई प्रोब्लम ही नहीं है। यह मामला क्लियरकट उद्योग से सम्बन्धित है । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार ध्यान देकर इस उद्योग को अविलम्ब चालू करने का प्रयास करे ताकि वहां पर काम करने वाले कर्मचारी, हम कल्पना कर सकते हैं कि जिनको पांच-पांच साल तक किसी प्रकार की कोई तनख्वाह नहीं दी जाय, वह किस प्रकार अपना गुजारा करते होंगे । माननीय गुलाब सिंहजी साहब बिराज रहे हैं, मेरे खयाल से मुख्य मन्त्री जी (उद्योग मन्त्री) से बात करेंगे और इसमें कोई निर्णय निकालेंगे ।

श्री सभापति : माननीय श्री रमजान खां (अनुपस्थित)

माननीय श्री कालीचरण सराफ ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये राजस्थान सरकार का ध्यान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर में सांगानेरी गेट एवं घाटगेट के मध्य निर्मित संजय बाजार की ओर दिलाना चाहता हूं ।

माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी यहां बैठे हैं मैं चाहूंगा कि मेरे इस विशेष उल्लेख का जवाब वह यदि दें तो यह उनकी कृपा होगी। आज से 12 वर्ष पूर्व जयपुर में संजय बाजार का निर्माण कार्य शुरू किया गया था लेकिन आज भी मूलभूत सुविधायें तथा संबन्धित विभागों की लापरवाही के कारण यह बाजार वीरान पड़ा हुआ है । जो लोग सुनहरे भविष्य का सपना देखकर इस बाजार में दुकानें खरीद चुके हैं वे अपने को तथा अपने पैसे को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं।

इन्दिरा बाजार, नेहरू बाजार, व बापू बाजार की जोड़ने वाली श्रंखला में बने संजय बाजार का अगर विकास किया जाये तो यह बाजार इन बाजारों जैसा साबित हो सकता है । लेकिन हालत यह है कि यह बाजार सुबह शाम सार्वजनिक शौचालय के रूप में काम में लिया जाता है और शाम के बिजली न होने के कारण अंधेरे में डूब कर सुनसान नजर आता है। दोपहर में बाजार में बनी दुकानों के बरामदों में सुअर कुत्ते और गाय बकरियां आदि विचरण करती रहती हैं। चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है । दूर से ही दुर्गन्ध उड़ती रहती है सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं जगह जगह से

(श्री कालीचरण सराफ)

फुटपाथ भी टूटी पड़ी है । बरामदे सड़क से दो ढ़ाई फुट ऊंचे हैं चढ़ने के लिए सीढियां बनाना प्रस्तावित था लेकिन नहीं बनाई गई हैं। दुकानों के फर्श अभी से टूटने लगे हैं दुकानों की छतों पर पट्टियां छोटी लगाई गई हैं । उन्हें इस तरह रोका गया है कि कभी भी वे गिर कर ग्राहकों व दुकादारों की जान के लिए खतरा बन सकती हैं ।

माननीय सभापति महोदय, इस बाजार में एक पार्किंग स्थल बनवाना प्रस्तावित था लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई खास काम नहीं हुआ है । जन सुविधा के लिए बाजार में कोई जगह नहीं है । दुनानों के शटर घटिया हैं। उनके कुंदे टूटे हुए हैं तथा गलत फिटिंग के कारण शटर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। प्लास्टर में जगह जगह दरारें चल रही हैं दुकानों के अन्दर कराइ सफेदी व बाहर का रंग पुराना पड़ चुका है । मुख्य सड़क पर कई मेन होल खुले पड़े हैं जो दिन रात संडाध मारते हैं। यह सब तब है जबकि संजय बाजार अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । मजे की बात तो यह है कि मार्च 86 में जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक पम्पलेट निकालकर तरह तरह के सब्ज बाग दिखाकर जयपुर के व्यापारियों को आकर्षित किया तथा पम्पलेट में लिखा गया कि दुकानों की साईज दो प्रकार की होगी। 143 दुकानों की साइज 21 बाई 11 एवं 168 दुकानों की साईज 17।। बाई 11 फिट होगी। 30 फिट चौडी सड़क होगी । 56 मरकरी लाइटें मार्किट में लगायी जायेगीं। वाहनों के लिए बड़ा पार्किग स्थल होगा इन आकर्षणों के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च, 86 में खुली निलामी की गई। माननीय सभापति महोदय, 30-30 हजार की लागत से बनी दुकानें व्यपारियों ने 1 लाख 60 हजार से लेकर 4 लाख 35 हजार रूपयों तक में खुली निलामी में खरीदी गई परन्तु जिस तेजी से दुकानें इतने ऊचें दामों में बेची गई और 6-7 करोड़ रुपया जे. डी. ए. ने लोगों से जमा किया उस तेजी से बाजार का विकास नहीं किया गया । आज जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस बाजार को मलमूत्र का केन्द्र बनाकर रख दिया है ।

इतना ही नही यदि पैसा जमा कराने में किसी दुकानदार ने एक दिन की भी देरी की तो उससे पूरे महीने का ब्याज व 5 प्रतिशत पैनल्टी वसूल की गई। जब पैसा वसूल करने में जे. डी. ए. ने इतनी चुस्ती दिखाई तो इस बाजार के विकास करने में इतनी सुस्ती क्यों बरती जा रही है ।

मार्च, 86 में नीलामी होने के बाद भी अभी तक बाजार में बिजली की फिटिंग पूरी नहीं हुई है । न ही पूरी तौर पर कनेक्शन ही दिये गये हैं जो तार काम में लिये गये हैं वे घटिया किस्म के हैं जिस तरह दुकानों के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है। उसी तरह बिजली के कामों में भी घटिया तार व अन्य चीजें इस्तेमाल में ली गई हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण के पम्पलेट में जिन दुकानों की साइज 21 बाई 11 फिट बताई गई थी उसकी जगह 20 फीट 3 इंच बाई 9 फीट 9 इंच बनाकर दी है। क्या प्राधिकरण इस कमी का भुगतान संजय बाजार के दुकानदारों को करायेगा ।

(श्री कालीचरण सराफ)

संजय बाजार की मुख्य सड़क जो 30 फिट चौड़ी होनी चाहिए थी अभी तक कई जगह मकानों के होने के कारण तंग गली की तरह से है। 12 वर्षों में भी इन मकानों के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। कोर्ट से एवार्ड हो चुका है लोग मकानों का मुआवजा लेने के लिए तैयार हैं परन्तु कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण के पास यह मकान वाले जाते हैं तो वह कहते हैं कि नगर परिषद इन मकानों के मुआवजे का फैसला करेगी, नगर परिषद् के पास जाते हैं तो वह यह कहते हैं कि कलक्टर इन मकानों का फैसला करेगा, कलक्टर के पास जाते हैं तो वह यह कहते हैं कि जे. डी. ए. के अधिकारी इन मकानों के मुआवजे का फैसला करेंगे। 12 साल से, बीच बाजार में मकान बने हुए हैं उनका फैसला नहीं होता, इसलिए यह बाजार चालू नहीं हो रहा है।

संजय बाजार के व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल जयपुर विकास प्रधिकरण के आयुक्त व अन्य अधिकारियों से कई बार मिल चुका है परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला है। अतः नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर मांग करना चाहूंगा कि संजय बाजार का समुचित विकास शीघ्र किया जावे, रोशनी की व्यवस्था सफाई की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग स्थल का निर्माण, शटर्स की मरम्मत आम रास्तों के मध्य बने मकानों का फैसला तुरन्त किया जावे जिससे संजय बाजार भी इन्दिरा बाजार, नेहरू बाजार, बापू बाजार जैसी अच्छी मार्केट बन सके एवं जिन दुकानदारों ने इतनी ऊंची रेट्स में दुकानें खरीदी हैं उन्हें राहत मिल सकें।

माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय यहां बैठे अखबार पढ़ रहे हैं...उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में यदि वह कुछ कहें तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति : नहीं, अखबार नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं तो अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, शायद आपकी आंखें धोखा दे रही हैं। जरा आप अपनी आंखों को ठीक ढंग से रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री कालीचरण सराफ : चश्मा आप लगाते हैं, मैं नहीं लगाता, पर इसका जवाब दीजिये..

श्री सभापति : आपकी बात सुन रहे थे, अखबार नहीं पढ़ रहे थे। श्री रमजान खां। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय बैठे हैं इसका जवाब दिलाइये...

श्री सभापति : जवाब आ जायेगा आपके पास।

श्री कालीचरण सराफ : यह कोई बात थोड़े ही है। 12 साल से लोग परेशान हैं...

श्री सभापति : यही तरीका है...

श्री कालीचरण सराफ : करोड़ों रुपया सरकार ने लोगों का जमा कर रखा है उसके

(श्री कालीचरण सराफ)

बारे में कोई फैसला नहीं कर रहे हैं (व्यवधान) महत्वपूर्ण मामला है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं...

श्री सभापति : प्रक्रिया जो तय की गई है उसका जवाब आ जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 12 साल से मामला ही नहीं निपट रहा है।

श्री कालीचरण सराफ : फैसला होने ही नहीं देना चाहते हैं ..

श्री सभापति : जो प्रक्रिया आपने तय की है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि साथ संजय जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी का प्रश्न होता तो उत्तर आ जाता लेकिन संजय गांधी जुड़ा हुआ है इसलिए इसका जवाब नहीं आयेगा...

श्री सभापति : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : संजय बाजार का नाम बदल दो, हमारा कोई दोष थोड़ा ही है हालांकि संजय गांधी, राजीव गांधी हमारे लिये दोनों बराबर हैं...

श्री सभापति : जवाब देने का कोई नियम नहीं है...

श्री कालीचरण सराफ : आप निर्देश दे दीजिए...

श्री सभापति : यह मैं कर सकता हूं। आवासन मन्त्री जी कृपया इस मामले में देखें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सभापति महोदय, 295 की व्यवस्था बनी हुई है... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपके पास जब आये, तब आप जवाब दे दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कायदे से भेजिये, कायदे से जवाब मिलेगा।

श्री सभापति : वही मैंने कहा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आसन अपनी व्यवस्था को अगर बदलना चाहे...

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था नहीं बदली है। व्यवस्था वही है। इसको गम्भीरता से देखें।

एक माननीय सदस्य : जो प्रक्रिया मांगी उसको फालो की जाये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आज 295 पढ़ा है आपका सचिवालय भेजेगा उसका टाइम पर उत्तर भेजा जायेगा। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय मंत्री महोदय, वह तो सब होगा जैसा नियम है जैसे राजस्व मंत्री जी ने कुछ जानकारी दे दी थी वैसे आप भी जानकारी दे दें।

श्री सभापति : यह कोई आवश्यक नहीं है ..

श्री कालीचरण सराफ : पर माननीय सभापति महोदय, व्यापारियों के 7 करोड़ रुपये 3 साल से जमा कर रखें हैं, आखिर सरकार क्या करना चाहती है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह सदन वैसे ही चलेगा जैसी प्रक्रिया तय की गई है। आपका जबाव आयेगा।

श्री कालीचरण सराफ : यह कोई जवाब का तरीका है, जवाब मिलेगा।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : सभापति महोदय, कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक मुख्य समस्या का सरकार की ओर विशेष उल्लेख द्वारा अवगत कराना चाहूंगा।

महोदय, निवेदन है कि अजमेर जिले की पंचायत समिति श्रीनगर के ग्राम अजयसर, खरेकड़ी, बौराज, काजीपुरा, हाथीखेड़ा माकडवाली, लोहागल, घूघरा, रसूलपुरा, गुबरपडी, भूणवाय, सैंदरिया, सराधना, डूमाडा, सौमलपुर, तथा नगर परिषद अजमेर की सीमा में आने वाले गांव कोटडा, नौसर, रातीडागं, चौरसियावास, परबतपुरा, माखुपुरा, खाजुपुरा, बड़गांव, हटूडी, तबीजी, पाराई, खानपुरा, किशनपुरा, सौमलपुर, सुभाषनगर, यह 29 गांव नगर परिषद अजमेर की सीमा से 4 किलोमीटर दूरी की परिधि में बसे हुये हैं। अजमेर शहर के मास्टर प्लान में इन 29 गांवों को मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट में दर्शाया गया है। नगरपरिषद अजमेर की सीमा से 4 किलोलीटर की दूरी में बसने वाले सभी गांवों पर पेराफेरी नियम लागू कर दिया गया है। इस नियम के लागू होने से इन गांवो की सवाई चक की भूमि जो काश्तकार के पास 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जे में चली आ रही है का नियमन करना बन्द कर दिया गया है। जबकि इस भूमि पर काश्तकार का कब्जा मानते हुए इस चोसाला जमाबन्दी में काश्तकार के नाम दर्ज कर उसे मालिकाना हक दिया जा चुका है। परन्तु 1971 में अजमेर जिले में हुए नये सेटलमेन्ट में इस भूमि को पुनः सवाई चक में दर्जकर काश्तकारो को वेदखल कर दिया गया है जबकि काश्तकारों ने इन जमीनों पर कुए खोद कर विद्युत पम्पसेट लगा लिये। अपने आवास के लिए भवन बना कर अपने परिवारों के साथ रहने लग गये हैं।

अजमेर तहसीलदार पिछले कई वर्षों से इन काश्तकारों के नाम नोटिस जारी कर रहा है। उन्हें न्यायालय में बार बार पेशियों पर बुलाया जा रहा है तथा जबरन इन से जुर्माना वसूल किया जा रहा है जिससे इन गांवों के काश्तकार भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं।

यह सही है कि किसी भी परिस्थिति में काश्तकार अपना मालिकाना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और सरकार भी इन्हें वेदखल नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि पेराफेरी नियम में संशोधन कर जिन काश्तकारों की भूमि चौसाला में राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज हो गई है तथा जिन काश्तकारों का 1969 के पहले से कब्जा चला आ रहा है उनके लिए नये राजस्व केम्प लगा कर नियमन करने की व्यवस्था करावें तथा जब तक नियमों में संशोधन नहीं हो जाता तब तक के लिए इन गांवों के काश्तकारों को नोटिस देना, जुर्माना करना, तथा भूमि से वेदखल करने की कार्यवाही तत्काल बन्द करावें।

(श्री रमजान खां)

यदि इस प्रकरण में सरकार ने शीघ्र कोई न्याय संगत कदम नहीं उठाया तो मजबूर होकर आन्दोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

(1.21 म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आन्दोलन के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है जिनकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आप पधार गये हैं, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। अजमेर की तरफ बसे गांव वालों को रोजाना पेशियों पर जाना पड़ रहा हैं मजबूर होना पड़ रहा है। इस पेराफेरी नियम से काश्तकारों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पेराफेरी नियम में संशोधन करके 1982 की जमा बंदी में उनके नाम दर्ज हैं, उसको फिर सबाई चक में डाल दिया गया है। इससे काश्तकारों के साथ अत्याचार हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय आप इस व्यवस्था से भली भांति परिचित हैं अतः सरकार से कह कर इस पर कार्यवाही करवाइये ऐसी में आपसे अपेक्षा करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेन्ट कृपया दिखला लें।

श्री फूलचन्द गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान के बेरोजगारों की भयंकर समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

सेनेटरी इन्सपेक्टर के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में। महोदय, राजस्थान में प्रति वर्ष स्वायत्त शासन संस्था द्वारा सेनेटरी इन्सपेक्टरों को प्रशिक्षित करके तैयार किया जाता है। राज्य में हजारों की संख्या में विद्यार्थी यह डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। यह राज्य सरकार से पूर्ण रूपेण मान्यता प्राप्त स्वयं सरकार की संस्था है। परन्तु सरकार की गलत नीतियों के कारण आज प्रशिक्षण प्राप्त युवक बेरोजगारी में अपना जीवनयापन करते फिर रहे हैं। यह डिप्लोमा राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग के टोंक रोड स्थित संस्थान जयपुर से दिया जाता है जहां पूरे राजस्थान के कोने कोने से तथा अन्य राज्यों से छात्र इस प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। इस प्रशिक्षण का समय एक वर्ष है तथा 500 छात्र प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उक्त डिप्लोमा में सारा खर्च प्रशिक्षणार्थी को ही वहन करना पड़ता है परन्तु राजस्थान सरकार पांच साल से अधिक समय से नियुक्तियां नहीं दे रही हैं एवं प्रशिक्षण प्राप्त युवकों का भविष्य अन्धकार में पड़ गया है। एक गरीब युवक के लिए यह सबसे छोटा प्रशिक्षण केन्द्र है। इसके करने के बाद युवक सोचता है कि कम से कम रोजी रोटी का साधन तो मिल जायेगा परन्तु सरकार इस पोस्ट को क्रियेट करने में लापरवाही बरत रही है। ये युवक मारे मारे फिर रहे हैं जबकि दूसरे इससे सम्बन्धित विभागों में जगह रिक्त पड़ी हुई हैं। जानकारी के अनुसार मेडिकल विभाग में लगभग चार सौ पद रिक्त पड़े हुए हैं। एक तरफ लगातार पी. एच. सी. खोले जा रहे हैं परन्तु उन सभी में रिक्त पद हैं। इसके अलावा नगर निगम, नगरपालिकाएं उक्त पद पर नियुक्तियां नहीं दे रही हैं।

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

वहां भी जगह रिक्त हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उक्त पदों के लिये प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध होने के उपरान्त भी सरकार उनको नहीं भर रही है जिससे उक्त योग्यता का महत्व भी समाप्त हो गया है। भारी खर्च करने के बावजूद उक्त ट्रेन्ड लोगों की एक लम्बी कतार दफ्तरों के चक्कर लगा रही है इससे बड़ा और क्या अन्याय हो सकता है। जब नौकरी नहीं लगा सकती तो उनको प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है। सरकार द्वारा बार बार अश्वासन दिये जाते हैं कि आगे सरकार विचार करेगी। कभी कहती है कि अभी नियुक्तियों पर रोक की बजह से इनको नहीं लगाया जा रहा है। सरकार कृपया स्पष्ट करे कि सभी बेराजगारों को सरकार कब तक ऐसे ही बैठाएगी तथा इनको कब नियुक्तिया देनी शुरु की जायेगी। छात्र सरकार के इन्तजार में बैठे हैं। सरकार मौन बैठी है। उम्र निकल जायेगी तो जीवन बर्बाद हो जायेगा। क्या इनके ओवरऐज होने के उपरान्त सरकार नियुक्ति के आदेश देगी। कैसी विषम स्थिति है। रोक का बहाना बना कर सरकार हर बार अपना पिण्ड छुड़ा लेती है क्यों नहीं बड़ी योजनाओं को बंद करके पहले नियुक्तियों पर ध्यान दिया जाये।

अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस तरह उक्त पदों को जो रिक्त पडे हैं कब तक लम्बित रखेगी। या तो सरकार इस संस्थान को बंद कर दे ताकि आगे युवक अपना जीवन बर्बाद न करें। अतः सरकार मेरे इस प्रश्न का पूर्णतः जवाब दे कि सभी तरह की नियुक्तियों पर से सरकार कब तक रोक हटा लेगी तथा कब तक इन लोगों को नियुक्तियां देगी। यह आम जनता, आम घर के नवयुवक का किस्सा है जीवन बर्बाद हो रहे हैं। बेरोजगारों की स्थिति का सवाल है। इस शासन व्यवस्था में एक नवयुवक को शिक्षा प्राप्त करना अभिशाप साबित हो रहा है। अतः बेरोजगारी के मसले पर सरकार सदन की कार्यवाही रोक कर विचार करने का कष्ट करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक मामला है। एक मिनट बोलूंगा। मेरे क्षेत्र से एक व्यक्ति अभी आया है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि 8 तारीख को एक बेरोजगार लड़के का कत्ल हो गया है। सरे आम शादी के घर में कल नीम का थाना पूर्ण रूप से बंद रहा। थाने का घेराव कर रखा है। थाने पर लोग बैठे हुए हैं। वहां बड़ी अशान्ति फैली हुई है। सारा नगर तबाह हो रहा है इसलिये आपसे निवेदन है कि आप गृह मन्त्री महोदय द्वारा इसकी जानकारी करवावें कि किस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। नीम का थाना में भयंकर वातावरण बना हुआ है। अभी वहां से एक आदमी आया है।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेन्ट टेक नोट ऑफ इट। गेट दी इन्फोर्मेशन कलेक्टेड।

श्री फूलचन्द गुर्जर : यह महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भोलाराम सैनी अनुपस्थित।

श्री हंसराज मिढ़ा।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव नियम 295 के तहत सूरतगढ़

(श्री हंसराज मिढा)

विधान सभा क्षेत्र के मण्डी रावला के दुकानदारों व रिहायशी मकानों को तोड़ा गया था बुलडोजर से सन् 1987 में। 19 अगस्त को राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा गरीब दुकानदार व झुग्गी झोंपड़ी वालों को उजाड़ा गया था। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करके चालान किये गये थे। सरकार में बैठे हुए मन्त्री महोदय व मुख्य मन्त्री जी से जनता न्याय चाहती है। आप न्याय देना चाहते हैं तो दो साल से उन उजड़े हुए गरीब परिवारों को दुकानों के प्लाट व रिहायशी प्लाट देने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। उनको ऋण भी दिया जावे ताकि वह अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण कर सकें। नियमानुसार 40 पर्सेन्ट रिहायशी प्लाट रियायती दर पर किरायेदारों व झुग्गी झोंपड़ी वालों को अलाट किये जावें। इसी तरह घड़साना हैड 365 अनूपगढ़, श्री विजयनगर, जैतसर सूरतगढ़ के गरीब परिवार गांव में बैठे हुए मजदूर खेतिहर को भी रिहायशी प्लाट अलाट किये जावे तो उचित होगा। अगर इन गरीब परिवारों को रिहायशी प्लाट नहीं दिये गये तो एक अगस्त को जिलाधीश श्री गंगानगर के दफ्तर के आगे एक दिन धरना देंगे। अगर फिर भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो फिर दोबारा सख्त कदम उठाया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी मुकदमे भी वापिस लिये जावें। यह झूठे मुकदमे नहीं चलायें। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखें।

मेरी एक रिक्वेस्ट और है। जोगेन्द्रसिंह ने 500 रुपये जमा करवाये, मडूराम ने 1400 रुपये, गुरुदयालसिंह ने 1400 रुपये श्रवण कुमार ने 500 रुपये, डेलासिंह ने 1400 रुपये मनफूला ने पानी के ड्राफ्ट दिये 6 साल हो गये। न तो इनको प्लाट दिया गया है, न इनकी रकम वापिस लौटाई गई है। बराये मेहरबानी मय ब्याज उन गरीबों को रकम लौटाई जाय। इनके ड्राफ्ट नं. भी हैं, नं. 10575 ड्राफ्ट नं. 0035809 चक सेडियालो 10500 फार्म नं. ड्राफ्ट नं. टी. टी. ए. 886076 चक सेडियालो फार्म 40531, ड्राफ्ट टी. टी. ए. 886075 फार्म नं. 10570 ड्राफ्ट नं. डी डी 0035872, 6 चक सेडियालो फार्म नं. 10586 ड्राफ्ट नं. टी. टी. ए. 886074। बराये मेहरबानी करके इनको रकम वापिस लौटाई जाय। बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भोलाराम सैनी।

श्री भोलाराम सैनी : राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख। मुन्सिफ कोर्ट न खुलने से उदयपुरवाटी की जनता में अत्यधिक आक्रोश के कारण विशेष उल्लेख करना पड़ रहा है। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू में कई सरकारी कार्यालय हैं जैसे (1) तहसील और सब ट्रेजरी (2) उच्चीकृत प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र। (3) सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग (4) पंचायत समिति (5) पशु चिकित्सालय (6) नगरपालिका (7) सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल (8) कई उच्च प्रा. शालायें (9) कई प्राथमिक शालायें (10) पोस्ट आफिस (11) टेलीफोन एक्सचेन्ज (12) सहायक अभियन्ता विद्युत मण्डल (13) कनिष्ठ अभियन्ता पी. डब्ल्यू. डी. (14) कनिष्ठ अभियन्ता, सिंचाई विभाग व (15) कई बैंकों की शाखायें।

(श्री मोलाराम सैनी)

लेकिन उदयपुरवाटी तहसील हैड-क्वार्टर पर केवल मुन्सिफ कोर्ट नहीं है। उदयपुरवाटी में मुन्सिफ कोर्ट नहीं होने से इस क्षेत्र की जनता को न्याय महंगा मिलता है। सराय सूरपुरा जो नीमकाथाना सीमा पर है आदि ग्रामों के निवासियों को न्याय प्राप्त करने के लिए तीन दिन खर्च करना पड़ता हैं क्योंकि मुन्सिफ कोर्ट नवलगढ़ में है। इसी प्रकार कराना व दीपपुर जो खेतड़ी तहसील की सीमा पर है आदि ग्रामों के नागरिकों को भी दो दिन नवलगढ़ जाने व आने में खर्च हो जाते हैं।

भारत सरकार व राज्य सरकार की यह नीति है कि नागरिकों को सस्ता व शीघ्र न्याय मिले लेकिन उदयपुरवाटी तहसील के नागरिकों को न्याय न सस्ता मिलता है और न शीघ्र।

राज्य सरकार की यह नीति है कि प्रत्येक तहसील क्वार्टर पर एक मुन्सिफ कोर्ट खोला जाना चाहिये ताकि नागरिकों को शीघ्र व सस्ता न्याय मिल सके लेकिन राज्य सरकार अपनी नीतियों को अभी तक अमली शक्ल नहीं दे सकी है। उदयपुवाटी में मुन्सिफ कोर्ट खोलने के लिए राज्य सरकार को कभी न कभी वित्तीय प्रावधान करना पडेगा फिर काम में देरी क्यों हो रही है? विधान सभा में मैं 1985 से ही मुन्सिफ कोर्ट की मांग उठाता आ रहा हूं तथा हर बार मुझे केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। मुन्सिफ कोर्ट के बिना जनता में गहरा असन्तोष है। जनता की मांग नहीं माने जाने पर आन्दोलन छिड़ सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आजादी से पहले वहां एस. डी. एम. कोर्ट था वह भी राजनैतिक कारणों से उदयपुरवाटी से उठाकर उसका कार्यालय नवलगढ़ ले जाया गया है जो एस. डी एम. कोर्ट भी नवलगढ़ है और मुन्सिफ कोर्ट भी नवलगढ़ में है इससे 130-140 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को इसलिए सस्ता न्याय दिलाने के लिये उदयपुरवाटी में भवन मोजूद है पुरानी तहसील का और तहसील का भवन नया बन चुका है। भवन मौजूद होते हुए भी, हाई कोर्ट के माननीय जज साहब ने भी वहां दो दफा जाकर मौका देख लिया ....(व्यवधान) नवलगढ़ तहसील से उदयपुरवाटी तहसील के मुकदमें भी ज्यादा होने के बावजूद भी उदयपुरवाटी में मुन्सिफ कोर्ट न खोला जाना वहां की जनता के साथ न्याय नहीं है। धन्यवाद। जयहिन्द।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भीलवाड़ा शहर में भूमि अवाप्ति आदेश वापस लेने से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथू सिंह ध्यान आकर्षित करें।

श्री नाथू सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं विधान सभा की प्रक्रिया, तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत भीलवाड़ा शहर में राज्य सरकार द्वारा भूमि की अवाप्ति आदेश वापिस लिये जाने से करोड़ों रूपयों की राजस्व हानि होने से उत्पन्न स्थिति

(श्री नाथूसिंह)

की ओर स्वायत शासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य श्री नाथू सिंह जी द्वारा भीलवाड़ा शहर के मध्य 136 बीघा भूमि की, कृषि भूमि की अवाप्ति के आदेशों को वापिस लेने पर नगर परिषद भीलवाड़ा को 10 करोड़ रूपये की राजस्व हानि की सम्भावना बताते हुए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रेषित किया है और इस विषय पर सदन में चर्चा के दौरान उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है ।

प्रशासक, नगर परिषद, भीलवाड़ा ने दिनांक 7-9-88 को एक प्रस्ताव पारित कर राजस्व ग्राम भीलवाड़ा की 136. 11 बिस्वा भूमि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अवाप्त करने के लिये प्रस्ताव किया । जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने इस प्रस्ताव पर भूमि अवाप्ति की विज्ञप्ति जारी करने हेतु राज्य सरकार से प्रार्थना की जिस पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय भूमि अधिनियम 1894 की धारा 4 (1) की अधिसूचना दिनांक 19-11-88 को जारी की गई । इस अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 13-12-88 को हुआ । उक्त अधिसूचना में दिनांक 6-1-89 को संशोधन जारी किया गया कि अधिसूचित आराजी खसरा नम्बरान 15714, 175715, 175716, 175717 175718, 175719, की रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा गत बन्दोबस्त के नम्बर हैं जिन्हें वर्तमान बन्दोबस्त में आराजी न. 1862 का भाग बना दिया गया है और एक संशोधित अधिसूचना दिनांक 6-1-89 को जारी की गई जिसका प्रशासन राजपत्र में दिनाँक 25-2-89 को हुआ भूमि अवाप्ति की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने दिनांक 10-4-89 को एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें केन्द्रीय भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उप धारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उक्त अधिनियम की धारा 6 के अग्रिम अनुसरण में घोषणा की गई की पूर्वोक्त भूमि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अति आवश्यक है और उक्त अधिनियम की धारा 17 के अग्रेत्तर अनुसरण में राज्य सरकार उक्त भूमि के निमित्त जिला कलक्टर भूमि अवाप्ति अधिकारी को एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) के अग्रेत्तर अनुसरण में राज्य सरकार भूमि अवाप्ति अधिकारी भीलवाड़ा को धारा 9 की उप धारा (1) में उल्लिखित नोटिस के प्रकाशन से 15 दिवस की समाप्ति पर पूर्वोक्त भूमि का कब्जा लेने के निर्देश देती है । उक्त विज्ञप्ति का दिनांक 11-4-89 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हुआ ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्री रामस्नेही सम्प्रदाय श्री रामनिवास धाम भीलवाड़ा के सचिव द्वारा भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के विरुद्ध आपत्ति का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13. 5. 89 को प्रस्तुत हुआ जिसमें अवाप्त की जाने वाली भूमि में से खसरा नं. 1874, 1875, 1878 से 1885 की भूमियां रामस्नेही सम्प्रदाय द्वारा सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक व शैक्षणिक गतिविधियों में

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

आने के कारण अवाप्ति से मुक्ति देने हेतु निवेदन किया। इन भूमियों के वर्णित उपयोग की जांच करने तक इन भूमियों की अवाप्ति की कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक रोके जाने के लिये दिनांक 24.5.89 को राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी भीलवाड़ा को निर्देश दिये गये। इन निर्देशों में अन्य भूमियों की अवाप्ति की कार्यवाही यथावत् चालू रखने का स्पष्टीकरण भी दिया गया था।

बाद में श्री महादेव काटन मिल्स भीलवाड़ा के मालिकों व अन्य काश्तकारन ने भी भूमि अवाप्ति के विरुद्ध आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। इस कारण यह उचित समझा गया कि इन सभी आपत्तियों पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा व प्रशासक नगरपरिषद, भीलवाड़ा की राय जानी जावे, तब तक अवशेष भूमियों के लिये भूमि अवाप्ति कार्यवाही को भी अग्रिम आदेश तक रोक दिया जावे। परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने तार द्वारा दिनांक 8.6.89 को जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को आदेशित किया गया कि अग्रिम आदेशों तक बाकी भूमियों की अवाप्ति कार्यवाही रोक दी जावे।

ऐसी बाकी भूमियों का विवरण निम्न है :–

1. आसाजी का बाग कमल कुमार पिता पूसालाल महाजन	5 बीघा 15 बिस्वा
2. छगनलाल पाण्डिया पुत्र गणेशलाल	5 बीघा 6 बिस्वा
3. बाहेती धर्मशाला हरिबल्लभ बख्तावर मल	6 बीघा 4 बिस्वा
4. बाबा गणेराम बाबा सेवाराम सिंधी	5 बीघा 19 बिस्वा
5. आनंददास चेला पूर्णदास	7 बीघा 5 बिस्वा
6. नागौरी बगीची	4 बीघा 5 बिस्वा
7. महोदवमकाटन मिल्स	92 बीघा 14 बिस्वा
8. रामद्वारा	9 बीघा 3 बिस्वा

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा एवं प्रशासक नगरपरिषद, भीलवाड़ा से विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार ने अवाप्त की जाने वाली इन भूमियों की अवाप्ति कार्यवाही पर लगाई गई अन्तरिम रोक को दिनांक 5.7.89 को वापिस ले लिया।

श्री नाथूसिंह : मेरा नोटिस जाने के बाद।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पता नहीं आपका नोटिस कब गया, मैं तो जो फैक्ट्स हैं वह आपके सामने रख रहा हूं।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, भीलवाड़ा को अवाप्ति की कार्यवाही चालू रखने के निर्देश दे दिये गये। इस प्रकार भीलवाड़ा कस्बे में स्थित रामद्वार, पूर्णदासजी की बगीची, बाहेती की बगीची, हरिसेवा धर्मशाला पांडिया की जमीन, महादेव कॉटन मिल्स की जमीनों के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नगर विकास की आवासीय व व्यावसायिक योजनाएं तैयार करने के लिये अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है और इन पर वर्तमान में कोई अन्तरिम रोक नहीं है।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस मामले में न तो किसी पूंजीपति का पक्ष ले रही है और ना ही नगर परिषद भीलवाड़ा के हितों के विरुद्ध कोई कार्य कराने का इरादा रखती है।

श्री उपाध्यक्ष : There is no question now .

श्री नाथूसिंह : आज सवाल उठाया है मैंने, कैसे क्वेश्चन नहीं है

श्री उपाध्यक्ष : पूछिये सवाल पूछिये, नो स्टेटमेंट। ओनली क्वेश्चन्स।

श्री नाथूसिंह : मैं क्लियर तो करूंगा। कालिंग अटेंशन है कोई क्वेश्चन अवर थोड़ी ही है।

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन्स, नो स्टेटमेंट। पूछिये आप।

श्री नाथूसिंह : मैं प्रश्न ही कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कल भी परम्परा यही थी। क्वेश्चन पूछिये। (व्यवधान) रीसेंट तो कल की ही है, साहब, मोस्ट रीसेंट।

श्री नाथूसिंह : साहब, मैं एक्सप्लेन करूंगा कितना लम्बा मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया एक्ट्रा आर्डिनरी गजट, महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं, दिनांक 11-4-89 को, इसमें लिखा है,

"चूंकि राज्य सरकार संतुष्ट है कि नीचे वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात नगर परिषद, भीलवाड़ा के आवासीय एवं वाणिज्यिक योजना हेतु तत्काल अवाप्त किया जाना अपेक्षित है" मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा धारा कौन कौन सी हैं। आगे लिखा है, पूर्वोक्त भूमि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अति आवश्यक है"

श्री उपाध्यक्ष : इसमें यह तो आ गई न, निर्विवाद बात है कि अवाप्ति की प्रोसिडिंग्स चली थी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह तो माना है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछिये न क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नाथूसिंह : मैं सवाल कुछ पूछना चाहता हूं। इन्होंने लिखा है इन्होंने कि इस उल्लिखित नोटिस के प्रकाशन से 15 दिन की समाप्ति पर पूर्वोक्त भूमि का कब्जा लेने के निर्देश देती है....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह तो मैंने अपने स्टेटमेंट में खुद ने स्वीकार किया है।

श्री नाथूसिंह : स्वीकार किया है वही तो पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो भूमि पर आपने रोक लगाई 24-5-89 को, आपने कहा है कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट है राम-स्नेही सम्प्रदाय, इनकी एप्लीकेशन आई। मैं माननीय मंत्री महोदय, यह जानना चाहता हूं, इस एक संस्था की कितनी जमीन थी और उस पर रोक लगाने के लिये किन किनकी एप्लीकेशन आई ? चूंकि यह केवल

(श्री नाथूसिंह)

तीन धर्मार्थ संस्थाएं हैं, पूर्णदासजी की बगीची जिसकी सात बीघा जमीन है, हरि सेवा रामजी की 17 बीघा है, रामस्नेही सम्प्रदाय की 9 बीघा 15 बिस्वा है। कुल मिला कर इनकी 34 बीघा 15 बिस्वा हैं। इसमें भी कुछ दूसरे लोगों की आ जाती हैं। तीनों धर्म सम्प्रदायों की 25 बीघा जमीन बनती है। तो आप यह बताने का कष्ट करें, 136 बीघा में से करीब 110 बीघा जमीन को आपने क्यों नहीं अवाप्त किया ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है, मगर परिषद ने उक्त भूमि का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया था ? मास्टर प्लान तैयार करने के बाद इसको 6 भागों में बांट दिया गया था, 6 भागों मे बांट करके उन्होंने 7 बीघा जमीन, जो पूर्ण दासजी की बगीची की थी वहां पर एक कामर्शियल काम्पलेक्स बनने का था, 61 आवासीय मकान और 21 व्यापारिक भूखण्ड बनाने की योजना थी ?

श्री उपाध्यक्ष : अब प्रश्न क्या रह जाता है, नाथूसिंहजी। यह आपने आरोप लगाया। ध्यान आकर्षित इस तरफ किया कि इस भूमि को अवाप्ति से छोड़ कर करोड़ों रूपयों का घाटा खा रही है। उन्होंने कहा, कि नहीं अवाप्ति से नहीं छोड़ रहे हैं, अवाप्त कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : नहीं नहीं, वह कैसे कर हैं वही बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस पर उपाध्यक्ष महोदय, एक इंटरिम स्टे आर्डर दिया था, इन्होंने एक आपत्ति प्रस्तुत की हैं उस पर दिया है वह इंटरिम आर्डर खारिज कर दिया गया। पहले वाला जो आर्डर है 24.5.89 का, आप जिसको कहते हैं, वह तो एक सम्प्रदाय विशेष के लिये दिया गया था। दुबारा जब रिप्रजेन्टेशन आये तब उनको हमने रोका है 8.6.89 को और इसका फैसला कर दिया हैं, मैंने जैसा अभी आपको निवेदन किया 5.7.89 को हमने जो अंतरिम रोक लगाई वह हटा दी है और लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर और कलक्टर, भीलवाड़ा पूर्ववत अपनी कार्यवाही को जारी रखें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो एक क्वेश्चन है ... (व्यवधान) आपको, नाथूसिंह जी, मैं सजेस्ट करूं, आपने कौनसी तारीख को यह ध्यान आकर्षित किया ?

श्री नाथूसिंह : आप सुनिये तो सही कालिंग अटेंशन। (व्यवधान) क्या चित्तौड़-मढ़ राजमार्ग पर सूर्य प्रकाश मानसिंघा की महादेव कॉटन मिल्स का 92 बीघा का भूखंड जो था, अवाप्ति में आया हुआ था ? मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं, यह वहां के डेयरी के चेयरमैन भी हैं, क्या इनके दबाव में आकर आपने इस पूरी जमीन के ऊपर रोक लगाई थी ? क्या यह सही है कि यह व्यक्ति और दूसरे पूंजीपति मिल कर, उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा के एक राजनेता के साथ मुख्य मन्त्री जी के यहां आयें, 40 लाख का सौदा हुआ और इस अवाप्ति पर रोक लगाई ? जब इसको जल्दी से जल्दी अवाप्ति किया जाना था, क्या आप यह जानकारी देंगे, उस समय तक भी यह जो 17 (4) का नोटिस था वह स्टेण्ड कर रहा था ? कलक्टर ने जब अवाप्ति का नोटिफिकेशन निकाल

(श्री नाथूसिंह)

दिया, सारी कार्यवाही कर दी तो उस जमीन को अवाप्त क्यों नहीं किया ? अब अब विधान सभा आ गई, मैंने कालिंग अटेंशन दिया है । यह 5 तारीख को इस आदेश को, हटा रहे हैं तो इसके पहले यदि विधान सभा नहीं आती तो एक लाख रुपये बीघा के हिसाब से भी गिनें तो करीब 13.60 करोड़ की होती है तो उससे भी ज्यादा रेट है वहां पर । कुल मिलाकर करीब 20 करोड़ की जमीन है । उसका घपला करना चाहते थे । किसके दबाव में ? मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं । सीधा मुख्य मन्त्रीजी का इन्वाल्वमेंट था इसमें । 40 लाख रुपये का सौदा तय हुआ था... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महोदय, कॉटन मिल्स की जमीन एक्वीजिशन में ले रहे हैं, शायद आपको जानकारी नहीं है यह महादेव कॉटन मिल्स प्रताप कामर्शियल कन्सर्न को बेच दी गई है । मैंने यहां पर प्रश्न पूछा था । यह इंडस्ट्रियल परपज के लिए दी गई थी । बिना सरकार की अनुमति से महादेव कॉटन मिल्स की जमीन प्रताप कामर्शियल कन्सर्न को बेच दी गई और राज्य सरकार ने उस पर कार्यवाही करके जमीन को बिला नाम कर दिया और आज भी रिकार्ड में यह बिला नाम जमीन है । सरकारी बिला नाम जमीन होते हुए भी आप किस आधार पर इस जमीन को एक्वायर करके कम्पेनसेशन किसको देना चाहते हैं । शायद आपको यह जानकारी नहीं है इस बारे में राजस्व विभाग ने आवश्यक कार्यवाही की कि इस जमीन को बिला नाम कर दिया लेकिन अभी तक आधिपत्य राजस्व विभाग ने नहीं लिया है और यह बेनामी सैल के द्वारा महादेव कॉटन मिल के प्रबंधकों पूसालाल एण्ड सन्स ने यह जमीन प्रताप कामर्शियल कन्सर्न को दी है और मैंने बार-बार इस सदन में 295 का मोशन भी दिया है कि राज्य सरकार इसको आधिपत्य में ले । इसको एक्वायर करने का कोई प्रश्न नहीं है । यह तो राज्य सरकार की जमीन हो गई और राज्य सरकार अपने रिकार्ड में दुरुस्ती करेगी । आपके रिकार्ड में करीबन 85 बीघा बहुमूल्य जमीन है और करोड़ों की सम्पत्ति है । इसको सरकार किसी पूंजीपति घराने को लाभान्वित करने के लिए यह एक्वीजिशन का नाटक करके उसको कम्पनसेट करना चाहती है । इसलिए मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि जो राज्य सरकार की बिला नाम भूमि है उसको एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है । उसका कलक्टर से रिकार्ड मंगवा कर जांच कराइयें और इस बिला नाम जमीन को अपने कब्जे में लेकर म्युनिसिपैलिटी को हैंड ओवर कीजिए । इसमें कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि जिस समय कलक्टर ने या नगरपलिका ने आपको जमीन की आवश्यकता के बारे में लिखा और एक्वीजिशन के सम्बन्ध में लिखा, सरकार ने सारे प्रश्न पर विचार करके कांशियस डिसीजन लिया और उस डिसीजन के आधार पर यह एक्वीजिशन की कार्यवाही हुई, क्या कलक्टर ने उसी समय आपको विस्तार के साथ नहीं बताया था कि अमुक-अमुक खसरा नंबर की जमीन अमुक-अमुक व्यक्ति की है और उस जमीन

96

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को एक्वायर किया जाय ? आपने जो अन्तरिम आदेश दिये हैं या उस पर रोक लगाई है किस कानून की कौनसी धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार को अन्तरिम आदेश का अधिकार है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का सवाल है, अगर जमीन राज्य सरकार ने बिला नाम घोषित कर दी लेकिन जिलाधीश ने भी उस जमीन को महादेव कॉटन मिल्स के खाते में 92 बीघा 14 बिस्वा होना अंकित किया है उसके आधार पर एक्वीजिशन की कार्यवाही की। अब जो नये तथ्य माननीय सदस्य ने अवगत कराये है उनके आधार पर मैं इसकी जांच करवा लूंगा कि राज्य सरकार ने इस जमीन को अगर बिला नाम घोषित करके सिवायचक में घोषित कर दिया है तो इसकी जानकारी करके उसके अनुसार इसकी आगे कार्यवाही की जाएगी और राज्य सरकार ने इसको सिवायचक घोषित कर दिया है तो इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ। जिस कारण से यह खाते में रद्दो-बदल होकर सिवायचक क्यों नहीं दर्ज हुई। इसके लिए भी मैं राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने स्तर पर इसको देखें और विलम्ब के क्या कारण हैं उसको देखें।

यह सही है कि जिलाधीश ने जिस आवश्यकता के लिए जमीन की मांग की थी उसको ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय अधिनियम की धारा का प्रयोग करके उस जमीन को लेने का फैसला किया। उस वक्त उन व्यक्तियों के नाम हमारे पास थे जिनके नाम पर खातेदारी जमीन दर्ज थी लेकिन यह नहीं था कि वह व्यक्ति उस भूमि को किस काम में ला रहे हैं। सराय के काम में ला रहे हैं या और किसी सार्वजनिक परपज के अलावा उनके दूसरे सांस्कृतिक धार्मिक या सम्प्रदाय के लिए जो काम है उसमें ला रहे हैं वह इसमें कहीं मेन्शन नहीं था और जो प्रार्थना पत्र आया तभी तो उन्होंने इस तरह की बातें प्रार्थना पत्र में अंकित की तो केवल इस बात को एज-सरटेन करने के लिए कि क्या यह भूमि सही मायने में सम्प्रदाय के लोगों के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या शैक्षणिक गतिविधियों के काम में आ रही है या नहीं आ रही है इसकी जांच करने के लिए थोड़े दिनों के लिए रोक लगा दी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कौन सा कानून मिल गया ? आपको अधिकार ही नहीं है रोक लगाने का।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सरकार इन्हेरेण्ट पावर रखती है किसी पाइंट को रखने का ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई पावर नहीं है सरकार की। आप बता दीजिए, कौनसे सैक्शन में आपने स्टे दिया है। आप तो कानून बताओ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : किसी भी धार्मिक, शैक्षणिक संस्था के दावे को देखने के लिए टेम्प्रेरी रोक लगाई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो बाकायदा कहा है, कलक्टर को आदेश दिये हैं, लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर को आदेश दिये हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अन्तरिम...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां अन्तरिम आदेश, वह शब्द तो मैं पहले से ही उपयोग कर रहा हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उनसे प्रार्थना पत्र पर कमेन्ट्स मांगने तक के लिए ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सरकार की भूमि सरकार एक्वायर कर रही हैं। उस एल. ए. ओ. ने फाइनल अवार्ड के लिए आपके पास भेजा। आप नोटिफिकेशन इश्यू करते तब जाकर गवर्नमेंट में लैण्ड वेस्ट होती। उस समय आप इन सब बातों को देख सकते थे कि किस-किस की जमीन आई, किसकी नहीं आई। उस समय फिर आपका कांशस डिसीजन हो सकता था कि अमुक प्रकार की जमीन प्रयोग में आ रही है इस जमीन को छोड़कर बाकी सारी जमीन एक्वायर की जाती है। उस समय तो गवर्नमेंट दखल कर सकती है लेकिन अन्तरिम स्टे लाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। यह कौनसा हुआ नेचरल जस्टिस। उपाध्यक्ष महोदय, यह ज्ञान मत दो। यह तो पहले ही ज्ञानवान बहुत है।

श्री उपाध्यक्ष : इनके फर्स्ट परफार्मेंस के लड्डू भी खाने हैं आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतनी यह करोड़ों रुपये की जमीन बचाई है यह लड्डू खाने वाली ही बात है। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है लेकिन इसकी जानकारी मुझे बता दें। क्या यह सही है कि रेवेन्यू बोर्ड और राजस्थान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में निर्देश हुए हैं कि किसी जमीन का एक्वीजिशन करने के लिए जब भी जिलाधीश या कोई भी अथारिटी रिकमण्ड करती है तो कांशस डिसीजन लेने के पहले राज्य सरकार को इन इश्यू पर विचार करना चाहिए कि उस जमीन का उस समय क्या उपयोग हो रहा है। जिस जमीन का उपयोग हो रहा है, क्या एक्वीजीशन के कारण उस उपयोग पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगेगा? क्या यह जमीन केवल खेत की है या उस पर रेजीडेंशियल प्लाट्स उनको रिमूव किया जायगा तो कितना कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। यह कुछ पावर हैं, इसमें इन्ग्रेडिएंट्स हैं जिनके आधार पर गवर्नमेंट कांशस डिसीजन लेती है। तो पहला तो आपने मन्जूर कर लिया कि कलक्टर ने यह नहीं लिखा। दूसरा मैं आपको पूछना चाहता हूं कलक्टर ने आपको रिकमण्ड किया क्या कि उस जमीन में जिसके एक्वीजिशन के बारे में लिखा उस जमीन का इन्टरिम स्टे किया जाय। आपने केवल उनकी एप्लीकेशन ले ली और उस पर आर्डर दे दिये। क्या कलक्टर ने जांच करवा कर आदेश दिये हैं या बिना जांच के ही आदेश दे दिये ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : प्रारम्भ में तो जो प्रार्थना-पत्र ट्रस्ट की ओर से पेश किया गया था उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे की कार्यवाही स्थगित करने के आदेश दिये थे। उसके बाद कलक्टर से उन प्रार्थना पत्रों पर कमेंट्स मांगी गई थी। वह आने पर राज्य सरकार को यह विश्वास हो गया कि यह जमीन अवाप्ति लायक है और अवाप्ति की कार्यवाही पर रोक लगाई उसको समाप्त कर देना चाहिए और हमने उस कार्यवाही को 5-7-89 को समाप्त कर दिया और उनको आगे अग्रिम कार्यवाही करने के लिए आदेश दे दिये।

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है कि पहले तो आपने मौखिक रूप से राज्य सरकार ने दबाव डाला कलक्टर पर कि इसको अवाप्त मत करो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सही नहीं है।

श्री नाथूसिंह : पहले सुन लीजिए। उसके बाद 17(4) के नोटिस, आप तो वकील हैं, समझते हैं, 17(4) के नोटिस का मतलब कब्जा लेना है उसके बाद भी आपने...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 15 डेज...

श्री नाथूसिंह : यह किस आधार पर रोक लगाई उसके ऊपर ?

श्री उपाध्यक्ष : रिपीट कर रहे हैं आप। क्यों दी, वह तो पता है आपको।

श्री नाथूसिंह : यह इसलिए रोक लगाई कि भूतपूर्व मन्त्री देवेन्द्रसिंह जी के भ्रू मुख्य मन्त्री जी ने..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, यह आरोप सिद्ध नहीं होता...नोटिस के माध्यम से...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह बात बिल्कुल निराधार है, किसी के दबाव से नहीं दी गई है...(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : देवेन्द्रसिंह जी को लेकर आये मुख्य मन्त्री जी के पास..

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सारी बातें निराधार और तथ्यहीन हैं।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र
अधिसूचना

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी।

श्री नरपतराम बरबड़ (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्व (ग्रुप-4) विभाग की अधिसूचना सं. प. 6/23 /राज-/4/79/12 दिनांक 29 जून, 1989 जिसके द्वारा राजस्थान अभिधृति (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य–वापस लिया गया विधेयक राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1988)

श्री उपाध्यक्ष : वापस लिया जाने वाला विधेयक। माननीय मंत्री जी।

श्री नरपतराम बरबड़ (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1988। (1988 का विधेयक संख्या-19) को वपस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1988 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय। (स्वीकृत)

विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री नरपतराम बरबड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1988 (1988 का विधेयक संख्या-19) को वापस लेता हूं।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 20-आवास एवं मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक (बजट) 1989-90, द्वितीय अवस्था। माननीय मन्त्रीजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15 करोड़ 16 लाख 93 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय. मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17 करोड़ 48 लाख 63 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जाये।

मांग संख्या 20 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशयके प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे:–

(1) **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी)

(2) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद)

1. कोटा में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवनों का आवंटन अविलम्ब नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले उधार के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी)

2. पंचायत समिति रानी (पाली) के गांव सांवलता में इन्दिरा आवास योजना की राशि का दुरुपयोग करने वालों के विरूद्ध जांच नहीं कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

3. पंचायत समिति देसूरी एवं रानी (पाली) में इन्दिरा आवास योजना के तहत अपूर्ण भवनों को पूरा नहीं कराने पर दिये जाने वाले उधार पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़)

(2) **श्री केदार नाथ शर्मा** (श्री गंगानगर)

4. नगर परिषदों व म्युनिस्पल क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को सस्ते दर पर मकान दिये जाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)

5. नवलगढ़ एवं मुकन्दगढ़, जिला झुंझुनूं में हरिजन एवं गरीब तबके के लोगों के जो पुराने मकान कृषि भूमि पर बने हुए हैं उनसे भी शहरों की तरह कनवर्शन के नाम पर स्थानीय निकाय द्वारा भारी रकम प्राप्त करने के नोटिस से जनता में हो रहे असंतोष पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर)

(2) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

6. जयपुर शहर में आवासन मण्डल द्वारा 1973 के आवेदकों को मकान

(100)

(श्रीमती विद्या पाठक)

उपलब्ध नहीं कराने और हाल ही के आवेदकों को सेल्फ फाईनेंजिग के नाम से मूल्यवान भूमि पर मकान उपलब्ध कराने पर भी मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

7. 1973 के आवेदकों को मकान उपलब्ध करवा दिये जाने का आवासन मण्डल का दावा असत्य होने पर भी दिये जाने वाले उधार के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़)

8. जोधपुर आवासन मण्डल, द्वारा बनाये गये मकानों का आवंटन होने के बावजूद पीने के पानी व बिजली, सड़कों की आवश्यकता पूरी न होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़)

9. मण्डी श्री विजयनगर व चक 32 जी.बी. शिवपुरी 36 जी.बी. रावला हैड 365 अनूपगढ़-सूरतगढ़ व अन्य चक व गांव में आवासीय भूखण्ड की व्यवस्था करने में स्थानीय निकाय विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

10. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के आवासीय प्लाट रियायत दर से देने की असफलता पर चर्चा के लिये।

11. मण्डी रावला में दिनांक 19 अगस्त को उजाड़े गये बस्ती व मकान तोड़ दिये गये उनको आवासीय भूमि खण्ड व दुकानें अलाट करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़)

12. जिला श्री गंगानगर व सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में किराये पर बैठे लोगों को रिहायसी प्लाट आवंटन किये जाने से व्याप्त आक्रोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी)

13. बूंदी शहर के लिये हाउसिंग बोर्ड द्वारा नई कोलोनी का रजिट्रेशन आरम्भ कर मकान नहीं बनाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी)

14. शहरी आवास योजना के अन्तर्गत नगरपालिका रावतसर जिला श्री गंगानगर की आबादी के लिये सरकारी भूमि न मिलने से आवासीय समस्या उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये।

15. श्रीगंगानगर जिले में मण्डी विकास समितियां अल्प आय वर्ग के लिये एल. आई. जी. सैक्टर में आवासीय भू-खण्ड देने पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्र शेखर (खैरथल)

16. अलवर जिले में शहरों और कस्बों में रहने वाले हरिजनों के पास आवास व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के क्रम में चर्चा के लिये।

(श्री चन्द्रशेखर)

17. कस्बा खैरथल में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के आवास योजना के लिये 1995 में भरवाये गये फार्मों के आधार पर अभी तक भी आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)

18. ग्रामीण आवास योजना सोसाइटियों के माध्यम से चालू कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मॅाणक डाणी (ब्यावर)

19. आवास मण्डल द्वारा ब्यावर में आवासीय योजनाऐं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

20. ब्यावर में श्रमिकों हेतु आवासीय कालोनी बनाने की आवश्यकता होते हुए भी राशि आवंटित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

21. नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन की मिलों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिये औद्योगिक आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु राशि आवंटित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

22. ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि से आवासीय समस्या उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये ।

23. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि एवं सरकारी पड़त भूमियों को आबादी में परिवर्तित कर आवास समस्या का समाधान करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

24. गरीब व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवासीय भू-खण्ड निःशुल्क दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

25. आवास समस्या को मध्ये नजर रखते हुए भूमि स्थानान्तरण प्रक्रिया को सरल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

26 शहरी क्षेत्र में प्रत्येक नगरपालिकाओं में हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनवाये जाकर आवासीय समस्या का समाधान करने अनुदान हेतु दिलाये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

27. आवासन बोर्ड में मकान आवंटन में देरी एवं भारी भ्रष्टाचार, अनियमितता से उत्पन्न असंतोष पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

28. आवासन बोर्ड में की जा रही पदोन्नतियों में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

29. आवासन बोर्ड में सभी पदों पर शीघ्र नई भर्ती करने एवं नियमानुसार पदोन्नतियां नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

30. आवासन बोर्ड द्वारा बनाये जा रहे भवनों का निम्न स्तर होने पर भी दिए

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

31. प्रदेश के हर जिले वार जन-संख्या के अनुपात से नई आवास योजना बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. मण्डल की आवासीय कॉलोनियों में आधुनिक सुविधायें सड़क, परिवहन व्यवस्था, पानी, बिजली, चिकित्सा, विद्यालय, बाजार, खेल मैदान, आदि की समुचित सुविधाऐं नहीं होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

33. मण्डल की आवासन कॉलोनियों में व्याप्त गन्दगी की नियमित सफाई नहीं होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

34. जयपुर की मान सरोवर आवास योजनान्तर्गत आवेदकों को आवास सुविधा शीघ्र उपलब्ध नहीं करवाई जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

35. लाखेरी नगर में आवासन मण्डल द्वारा आवास बनवाये जाने की योजना शुरू कराने हेतु अनुदान दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बाठिया (पचपदरा)

36. आवासन मण्डल के मुख्यालय पर करोड़ों के अपव्यय के पश्चात् भी कार्य में अकर्मण्यता एवं धांधली होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

37. बालोतरा में कतिपय व्यक्तियों के आवंटित मकान अन्यों को दे दिये जाने के पश्चात् उनकी जमा राशि नहीं लौटाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

38. आवासन मण्डल द्वारा बालोतरा के आवासीय मकानों के निर्माण एवं भूमि खरीद में हुए घोटाले पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

39. बालोतरा स्थित आवासन बस्ती की खाली पड़ी हुई भूमि में से राजकीय महाविद्यालय के लिये भूमि न देने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

40. बालोतरा के हाउसिंग बोर्ड के उन लोगों को पैसा लौटाने के सम्बन्ध में जिनसे 15 माह पूर्व रकम भर पाई की रसीदें ले ली थी पर वह राशि भी नहीं लौटाने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू)

41. शहरी व ग्रामीण आवास योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को इसका उचित लाभ देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

42. आवासन मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खां (पुष्कर)

43. अजमेर के ग्राम नौसर की कृषि भूमि को आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त करने पर दिये जाने वाले अनुदान के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

44. ग्राम दौराई, खानपुरा की कृषि भूमि का आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मुल्ताना राम (जैसलमेर)

45. जैसलमेर शहर में रविदास कॉलोनी एवं जवाहर नगर योजना शीघ्र स्वीकृत करके गरीब वर्ग को आवासीय भू-खण्ड आवंटन कराने पर चर्चा के लिये।

46. जैसलमेर शहर में उट कोलोनी में निवासित श्रमिक एवं गरीब वर्ग को औद्योगिक बस्ती में निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन हेतु चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

47. ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण कर्मचारियों की आवास व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

48. ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत पंचायत समितियों को दी जाने वाली राशि में जिला बांसवाड़ा को कम राशि उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

49. बांसवाड़ा जिले के गांव छोटी बदरेल में इन्दिरा आवास के भवन अभी तक वितरित नहीं करने पर पंचायत समितियों को दिये जाने वाले सहायतार्थ अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

50. ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले के गांवों में आवास सुविधा उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली)

51. बढ़ती हुई जनसंख्या और सीमित आवासों से उत्पन्न समस्या के लिये शहरी एवं ग्रामीण योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

52. अल्प आय वर्ग के लोगों को शहरी एवं ग्रामीण योजनाओं का समुचित लाभ समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये।

53. आवासन मण्डल द्वारा आवासीय भू-खण्डों को बनाने में ठेकेदारों द्वारा घटिया किस्म का मैटेरियल एवं कम मात्रा में सिमेन्ट का प्रयोग करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

54. सस्ती दर के मकान बनाकर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार)

55. आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा निर्मित मालवीय नगर जयपुर के मल्टीस्टोरी मकानों तथा सिंगल स्टोरी वाले मकानों में आ रही सीलन को दूर करने संबंधी कार्यवाही नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री कालीचरण सराफ)

56. आवासन मण्डल जयपुर द्वारा मालवीय नगर सैक्टर नं. 1 के रोड़ लाइट बिलों का भुगतान समय पर नहीं करवाये जाने तथा पर्याप्त रोड लाइट व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

57. आवासन मण्डल जयपुर द्वारा स्वीकृत ब्लू-मैप के अनुसार मालवीय नगर सैक्टर नं. 9 व नालो के बीच मैदान पर एवं गार्डन के लिये छोडे गये स्थान पर गार्डन का शीघ्र निर्माण करवाने हेतु मण्डल द्वारा कोई प्रयास नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

58. मालवीय नगर सैक्टर नं. 9 में एल. आई. जी. के पूर्व निर्मित फ्लेटों में ऊपर के मकान का पानी नीचे के मकान के सामने व चोक में गिरने से हो रही असुविधा को दूर नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

59. मालवीय नगर सैक्टर नं. 9 में आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कई सड़के अधूरी बना कर छोड़ देने तथा प्लाट नं. 1223 के सामने हुए बहुत बढ़े गड्ढे को ठीक नहीं करने पर भी दिये जा रहे अ... के औचित्य पर चर्चा के लिये।

60. मालवीय नगर में आवासन मण्डल की कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था नहीं होने तथा सैक्टर नं. 1 में प्लाट नं. 1221 तथा 1223 के सामने टूटे हुए गटर के मैन होल तथा गड्डों को ठीक नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

61. मालवीय नगर, जयपुर में आवासन मण्डल की विभिन्न कालोनियों की सड़कें टूटी हुई होने तथा बड़े-बड़े गड्ढों को ठीक नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

62. मालवीय नगर, जयपुर में सैक्टर नं. 5 एवं 9 के बीच नाले के कारण उत्पन्न परेशानी दूर नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

63. आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा मालवीय नगर के अपेक्षित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद)

64. कोटा आवासन मण्डल द्वारा पालिश पत्थर का मशीन वर्षों से लगी पड़ी हुई होने के बावजूद कोई कार्य नहीं करवाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

65. कोटा के आवासन मण्डल द्वारा हल्की किस्म की लकड़िया मंहगी खरीदकर ... दरवाजे व खिडकियां लगा... के बावजूद भी दिये जा रहे अनुदा... के औचित्य पर चर्चा के लिये।

66. कोटा के आवासन मण्डल द्वारा निर्मित दे रहे मकानों में घटियां किस्म की सामग्री प्रयोग में लाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

67. कोटा के आवासन मण्डल के मकानों में अवैध रुप से निवास कर रहे व्यक्तियों से मकान खाली न करवाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

68. कोटा में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों को वर्षों बाद भी आवंटन न करने के बावजूद भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

69. आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि को वापस करने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

70. राज्य में आवासन मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

71. जयपुर में आवासन मण्डल द्वारा सचिव के लिए निर्मित 50 लाख के भवन निमार्ण कार्य को अपने ही व्यक्तियों को 90 लाख में देकर बढ़ाये जा रहे भ्रष्टाचार पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

72. शहरी आवासीय योजना हेतु अवाप्त भूमि सुख-धाम की जमीन को आवासीय कॉलोनी में परिणत करने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

73. शहरों की गन्दी बस्तियों में आवासीय योजना बनाकर योजना बद्वरूप से विकसित करने पर चर्चा के लिये।

74. राज्य में अवैध निर्माण से गन्दी बस्तियों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी पर चर्चा के लिये।

75. राज्य के अनेक नगरों में मास्टर प्लान की स्वीकृति के बावजूद भी मास्टर प्लान की बिना चिंता किये तेजी से हो रहे निर्माण को विभाग द्वारा न रोक पाने पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर)

(2) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(3) **श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद)

76. प्रारम्भ में आवासन बोर्ड के मकानों को बेचने पर पाबन्दी थी परन्तु अब कल्पतरू योजना में नये पंजीकृत आवेदकों को पुराने मकान खरीदने की छूट देकर की जा रही गड़बडियों पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

77. अलवर में आवास बोर्ड के 1981 के पंजीकृत आवेदकों को मकान नहीं मिलने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

78. आवासन बोर्ड, भरतपुर एवं सिरोही आदि नगरों में दस एकड़ जमीन प्राप्त कर पाने पर भी मकान दिलाने संबंधी कार्यवाही नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

79. हुडको द्वारा वर्ष 1973 में पंजीकृत आवेदकों के लिए उपलब्ध कराया गया वन बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों के

(श्रीमती विद्या पाठक)

लिये मकान बनाने के काम में ले लिये जाने से पंजीकृत आवेदकों को मकान नहीं मिलने से हो रही असुविधा पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

80. मालवीया नगर में वर्ष 1973 में पंजीकृत व्यक्तियों को मकान न देकर आवासन बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये 300 मकान बना कर अपनाई जा रही भेदभाव पूर्ण नीति पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

81. सांगानेर हेतु पंजीकृत सन् 1982 के आवेदकों को मण्डल द्वारा अभी तक मकान देना आरम्भ नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

82. जयपुर शहर में 1979 में पंजीकृत आवेदकों में से 20,000 हजार से अधिक आवेदकों को अभी तक आवासन सुविधा नहीं मिलने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

83. बल्लभ बाड़ी कोटा में एक साथ आवंटित 86 मकानों में से 56 एक समान कीमत ली गई तथा शेष 30 मकानों की जमीन के निर्माण की कीमत बढ़ाकर किये जा रहे भेदभाव पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

84. बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जवाहर नगर तथा मालवीया नगर योजनाओं में वरीयता का उल्लंघन कर आवंटन करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

85. जयपुर में 1988 में कल्पतरू में पंजीकृत आवेदकों का स्वाबित्त पोषित योजना के तहत मालवीय नगर तथा मानसरोवर में आवास उपलब्ध कराने से 1973 एवं 1979 के आवेदकों को मकान नहीं मिलने से हो रही असुविधा पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

86. मालवीय नगर में 1983-84 में गिरे फ्लटों के निर्माता ठेकेदारों तथा इंजीनियरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

87. आवासन बोर्ड 15,000 मकान बनाने के लक्ष्य प्राप्ति में असमर्थ रहने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री सम्पत सिंह (नगर)

88. गांवों में अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को भवन उपलब्ध नहीं कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रमीण)

(2) **श्री फूल चन्द गुर्जर** (नीमका थाना)

89. वन विहार कालोनी के आवासों को उसमें निवास कर रहे लोगों को ही उपलब्ध कराने में ही रहो देरी पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

90. आवासन मण्डल के अध्यक्ष के द्वारा केवल घोषणा करने व व मण्डल द्वारा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

विकास कार्यों को न किये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

91. बीकानेर में आवासन मण्डल की पवनपुरी कालोनी में घटिया स्तर के ड्रेनेज को ठीक नहीं कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

92. बीकानेर में आवासन मण्डल की विभिन्न कालोनी में घटिया स्तर के निर्माण की उच्च स्तरीय जांच नहीं कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

93. तहसील जयपुर-सांगानेर में अवाप्त सरकारी भूमि सिवायचक गे. मु. सिवायचक रास्ता, चारागाहा एवं श्मशान भूमि का राजस्थान आवासन मण्डल ने कब्जा लेने एवं नामान्तर करण पक्ष में खुल जाने, के उपरान्त निर्धारित समय के बाद मुआवजे के दावे लेकर सरकारी भूमि का मुआवजा देने व नियम विरुद्ध डिक्री के विरुद्ध रेफरेन्स नहीं करने पर यह भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

94. राजस्थान आवासन मण्डल के भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विद्युत पम्प, मकान, वृक्ष, आदि का अधिक मुआवजा देने व अवाप्त भूमि स्थित विद्युत पम्प मकानों के दरवाजे टीनशैड, पट्टियां, वृक्षों की लकड़ी, का स्टार रजिस्टर से मिलान नहीं खाने व मुआवजे में भुगतान की गयी राशि का 25 प्रतिशत भी आय नहीं होने पर दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

95. मानसरोवर में आवंटित आवास 21/205 के हिसाब के सन्दर्भ में बार-बार अनुरोध करने पर भी आवासन मण्डल द्वारा हिसाब नहीं बताने से हो रही कठिनाई पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

96. आवासन मण्डल द्वारा आवंटित मकानों का कब्जा देते समय नल आदि के सामान बाद में देने के लिये कहकर आवंटी को बाद में नहीं देने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

97. कोटा में आवासन मण्डल के बार-बार खण्डों को तोड़कर कार्य को ठप्प करने व प्रगति अवरुद्ध करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 29 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 29 मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे :–

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)

1. नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं की आबादी को देखते हुए नगरपालिकाओं का आधुनिकीकरण हेतु ड्रेनेज सिस्टम लागू कर गंदगी रोकने हेतु दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

2. नाथद्वारा नगर में नगरपालिका को सीवरेज की व्यवस्था करने के लिए विशेष अनुदान दिलाये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी)

3. नगरपालिका रानी (पाली) को भंग कराने की आवश्यकता होते हुए भी अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़)

4. जोधपुर नगर सुधार न्यास में कार्यरत सहायक अभियन्ता के विरुद्ध आ रही अनेक शिकायतों एवं न्यास में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़)

5. नगरपालिकाओं द्वारा रोड लाइट तथा नालियों आदि का विकास नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

6. सारे राजस्थान में चुंगी की दर एक समान वसूल करने हेतु नगरपालिकाओं को देय अनुदान में कमी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर)

(2) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(3) **श्रीमती रतन कवर** (शेरगढ़)

7. नगर आयोजना विभाग द्वारा जयपुर के आस-पास की कृषि भूमि कानून बनाकर किसानों को पाबन्द किया जाय कि यदि बेचा जाय तो केवल सरकार ही खरीदेगी ऐसी व्यवस्था की जाने पर चर्चा के लिये।

8. जयपुर के पृथ्वीराज नगर योजना में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. गृह निर्माण समितियों के लोन लाइसेंस सिस्टम के कारण प्लाट क्रेताओं के साथ हो रही धोखा-धड़ी पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

10. गौरव नगर, गीजगढ़ की गृह निर्माण समितियों द्वारा धांधली एवं अधिकारियों की मिली भगत की चर्चा के लिये।

11. जयपुर में अनेक नई योजना एवं कॉम्पलेक्स बिना स्वीकृति के बन रहे हैं उनको रोक पाने में नगर आयोजना विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्र शेखर (खैरथल)

12. खैरथल नगर पालिका के वार्ड नं. 7 हरिजन बस्ती के पास एकत्रित गन्दे पानी को न निकालने पर दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

13. खैरथल नगर पालिका के वार्ड नं. 1 के लिए रास्ते की व्यवस्था न होने पर दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भूदर मल वर्मा (दौसा)

14. नगरपालिका दौसा के क्षेत्र में टूटी नालियों की मरम्मत न कराने पर भी दिए

(श्री भूदरमल वर्मा)

जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा)

(2) **श्री मोहन छंगाणी** (फलौदी)

15. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी अमरूदों के बाग वाली भूमि को एक निजी व्यक्ति को विक्रय कर दिये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा)

(2) **श्री मोहन छंगाणी** (फलौदी)

(3) **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर)

16. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शों को पास करने व भवनों को अनावश्यक रूप से तोड़ने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही)

17. विवेकानन्द कालोनी जयपुर में गिरजाघर स्कूल के पीछे नाली के पुनः निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माणक डाणी (ब्यावर)

18. ब्यावर के स्वीकृत मास्टर प्लान को उनके सदस्यों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. ब्यावर की शहरी सीमा में बढ़ौतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. ब्यावर में नगर सुधार न्यास की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

21. सुजानगढ़ जिला लाडनूं चूरू के मास्टर प्लान में नागौर जिले के गाँव जसवन्तगढ़ व खानपुर को गलत रूप से सम्मिलित किये जाने पर चर्चा के लिये।

22. जे. डी. ए. द्वारा नक्शा पास करने में अनियमितता बरतने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री माँगीलाल मेघवाल (पाटन)

23. नगर एवं कस्बों में जगह जगह सार्वजनिक शौचालय बनवाये जाने हेतु दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

24. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के सन्तुलित विकास हेतु विभागीय योजनाओं को गतिशील बनाकर विकास कार्य करवाने पर चर्चा के लिये।

25. नगरों में व्याप्त गन्दगी से छुटकारा पाने हेतु समय समय पर विशेष अभियान चलाये जाने एवं जनता को राहत देने हेतु नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान दिलाये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर)

26. भरतपुर शहर में स्कीम नं. 8 के अन्तर्गत नगर सुधार न्यास द्वारा भूमि अवाप्ति के नोटिस देकर जमीन के मालिकों को किसी प्रकार का भी मुआवजा दिलाये

(110)

(श्री नत्थीसिंह)

जाने हेतु न्यास को राशि आवंटित कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

27. प्रदेश के नगरों में आवासीय योजना को वर्तमान समाज को दृष्टिगत रख कर बनाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर)

28. स्थानीय निकायों के विरुद्ध बढ़ते हुए मुकदमों व उनमें खर्चों पर नियन्त्रण नहीं होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

29. विकास शुल्क में 6/-रु. प्रति वर्ग मीटर की प्रथम किस्त जमा हो जाने पर भी पट्टे न देने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

30. पैरोफेरियल राशि जमा होने पर भी उस क्षेत्र में विकास कार्य न करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

31. जोधपुर में पाल लिंक रोड़ पर देवनगर नवभारत गृह निर्माण समिति के आस-पास के क्षेत्र में ताजा अतिक्रमण को हटाने में असमर्थता पर दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

32. अतिक्रमण हटाने में सरकारी निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू)

33. नगर आयोजना विभाग को अधिक सक्षम बनाकर विकास की योजनाओं का लाभ जनता को दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

34. नगर आयोजना विभाग में फैल रहे भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

35. कापरेन नगर पालिका के अड़ोला वार्ड में नालियों के अभाव में फैल रही गन्दगी से रास्ते अवरुद्ध हो जाने पर भी नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

36. केशवराय पाटन नगर में अतिक्रमण एवं मनमानी रोकने में पालिका की असमर्थता पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

37. कापरेन नगरपालिका क्षेत्र में व्याप्त गन्दगी एवं बस्तियों में व्याप्त अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मुल्ताना राम (जैसलमेर)

38. पोकरण नगरपालिका द्वारा गरीब वर्ग के लिए कॉलोनी की योजना न बनाने से उत्पन्न आवासीय समस्या पर चर्चा के लिये।

39. ज्ञापित क्षेत्र समिति जैसलमेर में सफाई कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं होने से पर्यटकों एवं नागरिकों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

40. जैसलमेर शहर में पर्यटक गांव बनाने की योजना की क्रियान्वित में मुख्य

(श्री मुल्लाना राम)

आयोजना अधिकारी जयपुर द्वारा विलम्ब करने पर चर्चा के लिये।

41. जैसलमेर शहर के लिए हाई पावर मास्टर प्लान कमेटी की बैठक 7-8 वर्षों से नहीं होने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

42. जैसलमेर जिले में ज्ञापित क्षेत्र समिति को भंग करके चुनाव प्रणाली से बोर्ड गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. जैसलमेर शहर में नालियां पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर)

44. नगर परिषदों के आय के साधन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. बड़े शहरों में मास्टर प्लान फिर से न बनाने पर दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

46. बांसवाड़ा शहर में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली)

47. आवासीय भूमि की बढ़ती हुई दर से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

48. गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर एप्रूड नहीं करने से उत्पन्न आवासीय समस्या के समाधान नहीं होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर)

49. कच्ची बस्तियों में सफाई, सड़कें व रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर भी विभाग द्वारा दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

50 नगरपालिकाओं व नगर सुधार न्यास के कार्यों में सुधार लाने हेतु नए कानून के निर्माण के अभाव पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर)

51. भरतपुर शहर के गन्देपानी को निकालने के लिये नगर आयोजना विभाग द्वारा योजना स्वीकार नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर)

52. नगरपालिका परबतसर की निजी आय कम होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

53. नगरपालिका परबतसर द्वारा गन्दे नाले का निर्माण नहीं कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

54. परबतसर शहर में भूजल भूमि पर किए गये अवैध पक्के निर्माण को नहीं हटाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री मोहनलाल चौहान)

55. परबतसर शहर में बस स्टेण्ड पर चल रही किराये की दुकानों को टाऊन प्लानर द्वारा पारित मानचित्र के अन्तर्गत निर्माण नहीं कराने पर दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

56. बढ़ी हुई आबादी को दृष्टिगत रख कर परबतसर शहर की नगरपालिका सीमा नहीं बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

57. परबतसर शहर में मुख्य बाजार व गलियों में ट्यूब लाइटें नहीं लगने पर भी विभाग द्वारा दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

58. परबतसर शहर में सड़कों एवं नालियों का विकास एवं मरम्मत नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर)

(2) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(3) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद)

59. जे. डी. ए. में व्याप्त जमीनों के घोटालों और गृह निर्माण समितियों के बढ़ते प्रभुत्व पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

60. जयपुर राजापार्क में सड़कों पर फुटपाथ बनाने के लिये पी. डब्ल्यू. डी. रीहेबिलिटेशन जे. डी. ए. एवं नगर परिषद किसी भी जिम्मेदारी निर्धारित नहीं होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

61. राजापार्क, मोती डूंगरी और परनामी मंदिर चौराहों के सोंदर्यकरण में अभिवृद्धि नहीं किये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

62. नगरपालिका क्षेत्र में सड़कों पर मैन होल खुले होने और लाइटें बन्द होने पर भी सफाई व्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

63. नगरपरिषद् जयपुर द्वारा पार्किंग के लिये वाहनों से अनुचित वसूली किये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

64. सांगानेर में चुंगी चोरी के मामलों में अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

65. सफाई व्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु नगरपालिकाओं की अक्षमता पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

66. विभिन्न नगरपालिकाओं में हुए गबन और अनियमितताओं के बावजूद दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

67. राज्य में बड़े नगरों में शहरी आवास योजना के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि के आवंटन में किये जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये।

68. राज्य के आवासन मण्डल में भू-स्वामियों का कोई हिसाब-किताब व्यवस्थित

(श्री दाऊदयाल जोशी)

न रखने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

69. राज्य की गृह निर्माण समितियों के द्वारा मास्टर प्लान को समाप्त कर अव्यवस्थित रूप से हो रहे निर्माण को रोक न पाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर)

(2) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(3) **श्री फूलचन्द गुर्जर**(नीम का थाना)

70. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अमरुद के बाग की जमीन के विक्रय विवाद पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना)

71. नगरपालिका क्षेत्र नीम का थाना को अतिक्रमणशुदा भू-खण्डों की शिकायत होने के बावजूद प्रशासक द्वारा कार्यवाही न होनेपर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

72. नगरपालिका नीम का थाना एरिया की सड़कों को न बनाने से हो रही दुर्घटनाओं पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

73. प्रशासक नगरपालिका नीम का थाना द्वारा बरती जा रही अनियमितताऐं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

74. नगरपालिका नीम का थाना क्षेत्र में बेश कीमती भूमि पर नगर प्रशासक व अधिकारियों की मिली भगत से जबरन अतिक्रमण होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

75 नगरपालिका सचिव व स्टाफ लम्बे समय से कार्यरत होने से हो रही अनियमितताऐं व भ्रष्टाचार पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

76. नगरपालिका नीम का थाना में विभाग की तरफ से सफाई, प्रकाश, पानी, पक्की नालियां नहीं बनाने पर भी लिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

77. नगरपालिका नीम का थाना का जोहड़ा आवासीय स्कीम में हुई अनियमितताओं की जांच में हो रही देरी पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर**(नीम का थाना)

78. जे. डी. ए. क्षेत्र में पड़ने वाली आमेर रोड, मोती कटला रोड, रामगंज से सूरजपोल बाजार तक तथा परकोटे के बाहर जयपुर ग्रामीण की सड़कों की नालियों की मरम्मत नहीं कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

79. मण्डी खटीकान चार दरवाजे बाहर जयपुर में सड़क नालियां की जीर्ण शीर्ण स्थिति से उक्त स्थान के निवासियों को हो रही असुविधा तथा उक्त क्षेत्र में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

विकास नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

80. कच्ची बस्ती हरिजन बस्ती रामपुरी मण्डी खटीकान का समुचित विकास नहीं किये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

81. स्थानीय जयपुर की हीदा की मोरी बाहर लक्ष्मीनारायणपुरी-तत्कालेश्वरपुरी, बलदाऊपुरी व जतीजी की बगीची की सड़क बिजली व नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

82. कृषि भूमि पर बनी आवासीय कॉलोनियों का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन के अभाव में गोविन्द नगर पूर्व, गोविन्द नगर पश्चिम, गोविन्द पुरी कर्बला, कृष्णापुरी व शान्तीपुरी कॉलोनी के निवासियों को हो रही कठिनाई पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

83. नगर विकास न्यास, बीकानेर के प्रशासक द्वारा बीकानेर मास्टर प्लान क्षेत्र को सुरक्षित रखने में विभागीय असफलता पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

84. अवाप्त भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कब्जा लेने के उपरान्त गृह निर्माण सहकारी समिति का प्लान स्वीकार कर निर्माण कार्य की अनुमति देकर लाखों रुपये की क्षति पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

85. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1988-89 में ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत समितियां एवं नगरपालिका विकास कार्यों के लिये स्वीकृत बजट में से पंचाचत समिति बस्सी एवं नगरपालिका बस्सी को सहायता राशि न देकर विकास अवरूद्ध करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

86. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंचायत समिति बस्सी द्वारा वर्ष 1988-89 में प्रस्तावित सड़कों की स्वीकृति नहीं देकर जयपुर शहर के समीपस्थ इलाके को विकास से वंचित रखने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

87. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों से अब तक बेचे गये भूखण्डों व शेष बचे भूखण्डों की सूची न लेकर उन्हें अवैध खरीद फरोक्त की छूट देने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

88. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन सड़क नायला रोड़ से डयोडा चौड को पूर्ण नहीं कराये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री केशरदेव महरड़ा (लक्ष्मणगढ़)

89. नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ सीकर में बिसायती मोहल्ला (मुसलमानों) के अन्दर

(श्री केशवदेव महरड़ा)

सड़क निर्माण नहीं होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

90. नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ सीकर रिसीकुल हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन के सामने की खराब सड़क की मरम्मत नहीं कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

91. नगरपालिका क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ सीकर के बस स्टेण्ड पर सड़क नहीं बनवाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

92. नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ सीकर पोस्ट ऑफिस के सामने वाली खराब सड़क की मरम्मत नहीं कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

93. नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ सीकर में डाकनियों के मन्दिर से उत्तर में सड़कों के अभाव में वर्षा के मौसम में आवागमन रुक जाने पर उचित व्यवस्था नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

94. नगरपालिका लक्ष्मणगढ सीकर में हरिजन मोहल्लों में गन्दे पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

95. लक्ष्मणगढ़ सीकर में तोदी कॉलेज की खराब सड़क को मरम्मत नहीं कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

96. नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ में रूघुनाथ हाई सेकेण्डरी स्कूल की सड़क की दूर्दशा को ठीक नहीं करने पर भी विभाग द्वारा दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

97. नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ सीकर के बगढ़ीया बाल निकेतन स्कूल की खराब सड़क की मरम्मत नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

98. लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका के अधिन रघुनाथ हॉस्पिटल के पास शहर के गन्दे पानी को बाहर निकालने सम्बन्धी व्यवस्था नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

99. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर की नगरपालिका को सड़कों की हालत खराब होने एवं उसमें सुधार नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना)

100. जे. डी. ए. द्वारा सैक्टर अनुसार पूर्ण विकास न किये जाने से हो रही कठिनाई पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

101. प्लाट नं. आर 56 गोविन्द नगर के पश्चिम में आमेर रोड पर सीधी सड़क के बीच में पड़ रहे कुए को किसी अन्य द्वारा कब्जा कर तथा सड़क में बीचोंबीच

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दीवार लगा लेने से अतिक्रमण करने से तथा अन्य अतिक्रमण न हटाये जाने से नागरिकों को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

102. नगरपालिका द्वारा नागतलाई के नालों को जलमहल तक पक्का नहीं किये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

103. नगर के 7 बड़े नालों के बने बाढ़ प्रोजेक्ट के प्रपोजल के अनुसार न बनाये जाने से नागरिकों को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री फलचन्द गुर्जर (नीम का थाना)

104. नगरपालिका के क्षेत्र में खाली पड़े बेनामी आवासीय भूखण्ड व किरायों पर चला रहे अवैधानिक स्टालों को विभाग अपने कब्जे में लेकर सही व्यक्तियों को एलाट न करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

105. नगरपालिका नीम का थाना में कर्मचारियों को समय समय पर वेतन उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये ।

106. नगरपालिका नीम का थाना में सफाई कर्मचारियों की कमी व गन्दगी ढोने वाले वाहनों की कमी से हो रही असुविधा पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

107. प्रशासन शहरों की ओर कैम्पों में नगरपालिका नीम का थाना द्वारा कराये गये बेशुमार कब्जों से उत्पन्न कठिनाई पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

108. नगरपालिका नीम का थाना में प्रशासन व सचिव की लापरवाही के कारण हो रही चुंगी चोरी पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

109. नगरपालिका नीम का थाना के कर्मचारियों को भविष्य निधि की जमा योजना में हो रही अनियमितताओं पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 20 एवं 29
पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी ।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमेशा जब कभी भी डिमाण्ड के ऊपर चर्चा होती है तो उपाध्यक्ष महोदय, कायदा यह है कि ....

श्री उपाध्यक्ष : हमने बुलवाया है ।

श्री नाथू सिंह : आज माननीय विरोधी दल के नेता बोलने वाले थे, पहला होना चाहिए इधर से ।

श्री उपाध्यक्ष : उनका नाम आपने खुद दूसरे नम्बर पर भेजा है ।

श्री नाथूसिंह : पहले ही नम्बर पर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आपका आ जाता तो बुलवाते।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, ऐसे मामले में विरोधी पक्ष से बहस शुरू करवानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय तिवाड़ीजी बोलें।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवास और नगर आयोजना, दोनों की डिमाण्ड्स पर मैं जयपुर शहर तक अपने आपको सीमित रखते हुए अपने कुछ विचार रखूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर की निरन्तर बढ़ती हुई आबादी और उससे उत्पन्न समस्या को लेकर यहां जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर शहर में समुचित विकास करने का प्रयत्न किया लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमी-खामी इस प्रकार की रही है जो नीतिगत है। उसके कारण जो विकास के काम हुए हैं वह पब्लिक के सामने नहीं आ सके बल्कि यहां की जनता के सामने एक संकट पैदा हो गया। वस्तविकता यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व जयपुर में विकास न्यास था। जयपुर की जो जनसंख्या बढ़ रही थी उसके अनुपात में ग्रामीण लोगों को आवासीय भू-खण्ड देने की न तो जयपुर विकास न्यास के पास कोई योजना थी, न उन्होंने आवश्यकता के अनुरूप आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराये। उसके कारण जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों की दुकानें खुलीं और खुले आम गृह निर्माण सहकारी समितियों ने आवासीय भू-खण्ड काटे। आज जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन के बाद भी वही स्थिति है। जयपुर विकास प्राधिकरण की भी आज जिन लोगों के पास रहने को जगह नहीं है उन लोगों को भू-खण्ड देने की विस्तृत तैयारी नहीं है। जयपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए आवश्यकता इस बात की थी कि जयपुर शहर के आसपास के क़स्बे और गांवों में समुचित विकास हम करें। पेयजल यातायात, सड़क आदि की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन सुविधाओं को जुटाने की आवश्यकता की थी लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने आपको जयपुर शहर तक सीमित रख कर जयपुर के आसपास के क्षेत्र का विकास नहीं किया। जो लोग खुली जगह पर रहना चाहते हैं, जयपुर शहर में नहीं बस कर जयपुर के आसपास गांवों में रहना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए कोई योजना नहीं बनने के कारण आज सारे लोग जयपुर शहर की ओर मुड़ रहे हैं। पिछले तीन साल के अन्दर हालत यह हो गयी कि यहां तीन गुणा, चारगुणा आबादी बढ़ती जा रही है। जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों ने आवासीय भू-खण्ड काटे। जब गृह निर्माण सहकारी समितियों ने आवासीय भू-खण्ड दिये उस समय सरकार की ओर से कोई पाबन्दी नहीं थी लेकिन आज हालत यह हो गयी कि उन गृह निर्माण सहकारी समितियों से जिन गरीब लोगों ने भू-खण्ड लिये हैं उन लोगों को मकान बनाने की अनुमति तक नहीं है, वे मकान नहीं बना सकते हैं। क्योंकि गरीबों

(118)

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

के मकान हैं। पैसे और प्रभावशाली व्यक्तियों के ही मकान बनते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण ने चाहे कितना ही विकास किया हो वह सारा पीछे रह गया। आज गरीब लोगों के साथ एक अन्याय के रुप में जो सामने आ रहा है मुद्दा वह यह है कि आवासीय भू-खण्ड पर वे अपना मकान नहीं बना सकते हैं। उसने कन्वर्शन चार्जेज सरकार को दे दिये उसके बावजूद भी आज उसको अनुमति नहीं मिलती, उसके नक्शे पास नहीं होते। जो गरीब अपने भू-खण्ड पर मकान बनाता है उसका मकान तोड़ दिया जाता है। यह चीज बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। सरकार को यह चाहिये कि इस मामले में गम्भीरता से विचार करें। गृह निर्माण सहकारी समितियों से जिन्होंने भू-खण्ड लिये हैं यदि वह सरकारी जमीन में है तो आप मत बनाने दीजिये, लेकिन यदि काश्तकार से जमीन लेकर के किसी गृह निर्माण सहकारी समिति ने आवासीय भू-खण्ड दिये हैं तो उन आवासीय भू-खण्डों में मकान बनाने की उस गरीब आदमी को इजाजत होनी चाहिए। इसके मामले में नीतिगत फैसला करना चाहिए यदि इस मामले में नीतिगत फैसला सरकार ने समय रहते हुए नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी आन्दोलन चलायेगी। निश्चत रूप से इस प्रकार की अव्यवस्था होगी तो सरकार को सामना करना पडेगा क्योंकि गरीब आदमियों के लिए कांग्रेस की नीति है कि जिन लोगों के पास रहने को मकान नहीं है उनको मकान दिये जायेंगे। जहां सरकार गांव में मकान दे रही हैं और शहर के गरीब लोगों को मकान बनाने की अनुमति नहीं देती है यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विकास शुल्क का प्रश्न है। एक गरीब आदमी ने यहां से 10 किलोमीटर दूर जाकर 10 रुपये प्रति गज के हिसाब से जमीन खरीदी है और एक ने सिविल लाइन जो आवासीय भू-खण्ड खरीदा है उस जमीन की कीमत दो हजार रुपये, तीन हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से है। कहां 10 रुपये प्रति गज की जमीन है और उससे भी विकास शुल्क दो हजार, तीन हजार रुपये प्रति वर्ग गज के भाव के बराबर ले रहे हैं। यह गरीबों के हित में नहीं है। मैं इस मामले में माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा और यह मांग करना चाहूंगा कि इस मामले में नीतिगत फैसला करना चाहिए। जिन गरीबों ने सस्ती जमीन दूर जाकर ली है उनकी मजबूरी थी तब जाकर ली है, नहीं तो वे भी सिविल लाइन में ले सकते थे। ऐसे लोगों के बारे में आपको कन्सिडर करना चाहिए और विकास शुल्क मामले में कोई नीतिगत फैसला करना चाहिए ताकि गरीब लोग भी जो निर्धारित दर आप तय करें उसके आधार पर पैसा जमा करवा सकें और मकान बना सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निरन्तर बढती आबादी के कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, रोज सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, दूषित वातावरण होता जा रहा है। इस प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक है, मैं यह माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जयपुर शहर के पास कानोता नदी पर जो एक प्रोजेक्ट बना है उसके पास

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

खुली जगह पड़ी हुई है। उस कानोता नदी से लेकर 18 किलोमीटर तक करीब 4 हजार एकड़ जमीन है। उस 4 हजार एकड़ जमीन में योजनाबद्ध तरीके से प्लांटेशन करें। आप फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट को इसमें शामिल करें, सिंचाई विभाग को शामिल करें और इस प्रकार की एक योजना तैयार करें ताकि संघन वृक्षारोपण होने से जयपुर के प्रदूषण को हम रोक सकें यह मेरा अनुरोध है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के आसपास के इलाके में यदि हम समुचित विकास का काम नहीं करेंगे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड रहा है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1988-89 में जो राशि स्वीकृत की थी, गांवों के विकास के लिए, नगरपालिकाओं के विकास के लिए उस राशि में से एक-दो पंचायत समितियों को भले ही उन्होंने पैसा दे दिया हो बाकी बहार के इलाके के विकास का जो पैसा था वह पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया। पता नहीं वहां संचालक मण्डल भंग होने बाद पता नहीं किसने नीतिगण निर्णय लिया है यह मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एक जवाब में यह बताया कि नीतिगत निर्णय यह ले लिया गया है कि हम बाहर पैसा नहीं लगायेंगे। जयपुर के आस पास के इलाकों का जब तक विकास नहीं करेंगे आज जो समस्याए हम नहीं पैदा करना चाहते हैं, जयपुर शहर में निरन्तर आबादी बढ़ती रहेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र जो जे. डी. ए. परिसीमन में आते है, उस ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं के लिए जो राशि बजट में स्वीकृत थी उस रशि को ....

श्री उपाध्यक्ष : The House may come to order. order please.

माननीय मंत्रीजी।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : आप दिलायें ताकि उस ग्रामीण क्षेत्र का और जयपुर शहर के आस पास के इलाके का समुचित विकास हो सके। जब तक यह विकास नहीं होगा तब तक जयपुर शहर की आबादी बढ़ती रहेगी।

आवासन मण्डल के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आवासन मण्डल ने जो सरकारी जमीन थी उस तक का मुआवजा देकर जिन लोगों को सस्ती दर पर आवासीय मकान दे सकते थे उनको महंगे दिये है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात तो यह है की आवासन मण्डल में जो भूमि अवाप्ति अधिकारी होता है उसने चाहे उस जमीन में मकान हो या नहीं हो शमशान तक में मकान बना दिये, शमशान के पेड़ों का मुआवजा दे दिया। जहां पेड़ नहीं हैं उन पेड़ों का मुआवजा दिया तो आज वह लकड़ी कहां है। जिन वृक्षों का जितना तादाद में हमने मुआवजा दिया, टिन शेड़ों का मुआवजा दिया। आज आवासन मण्डल के पास वह सामान नहीं है अन्धाधुन्ध जिस प्रकार का पैसा मुआवजे के रुप में दे रहे हैं उससे गरीब लोगों को हम सस्ते मकान नहीं दे सकते। इसलिए इस मामले में जहां कहीं भी कमी खामी है, माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करवाये और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको दण्डित करें।

जयपुर विकास प्राधिकरण का भी एक नमूना मैं आपको देना चाहूंगा। जयपुर विकास प्राधिकरण गरीबों के मकान तोड़ने

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

के लिए बड़ी तत्परता बरतता है लेकिन एक उदाहरण है जयपुर विकास प्राधिकरण का। नगरीय न्यायालय सक्षम अधिकारी [द्वितीय] नगर संकुलन, नगर भूमि एवं भवन कर, जयपुर द्वारा ग्राम भिलाई तहसील सांगानेर [जयपुर शहर] में श्री सोहन पुत्र रामचन्द्र मीणा खसरा नं. 14/3 रकबा। बीघा 14 बिस्वा अर्थात 4299 वर्ग मीटर भूमि में से 1500 वर्ग मीटर भूमि श्री सोहन को छोड़ते हुए 2799 वर्ग मीटर भूमी अधिकृत सीमा में होने के कारण अवाप्त की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसका कब्जा ले लिया कब्जा लेने के बाद गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से उस योजना को मंजुरी ही नहीं दे दी बल्कि जो सरकारी जमीन हो चुकी थी, उस जमीन में मकान बनाने की इजाजत दे दी। जयपुर विकास प्राधिकरण जहां गरीबों के मकान तोड़े वहीं स्वयं अपनी जमीन पर गृह निर्माण सहकारी समिति को आंख मींचकर मकान बनाने की अनुमति दे दें, यह एक विचारणीय विषय है। इसके अलावा अनेक मामले हैं जिनमें जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर शहर में जो जमीने इनकी थी उन जमीनों की सुरक्षा करने में भी विफल रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने केवल एक ही काम किया है, गरीबों के मकान तोड़ने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है आज। जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में मकानें और दुकानें धड़ल्ले से बन रही है। कैसे बन रही हैं यह मैं नहीं सोच सकता लेकिन आज इनके जोनल आफिसर नियुक्त होने के बाद भी वे बन रही हैं। इस प्रकार की अनियमिततायें....

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल): क्यों नहीं सोच सकते ? बहुत भोले हैं आप तो। (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : वह तो आप भी बनवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : He leaves it for you. (व्यवधान)

श्री लक्ष्मी नारायणजी किसान।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : किसानों की पैरवी मैं आज भी कर रहा हूं। किसानों की पैरवी कांग्रेस पार्टी कर रही है, आप और हम क्या करेंगे। हमारी तो नीति है पैरवी करने की। लेकिन जो अवैध मकान बन रहे हैं आज मेरे को आपत्ति इस बात पर है पैसे वाले लोग या जो इस प्रकार के हथकण्डे अपनाते हैं उन लोगों के मकान बनते है, उनकी दुकानें बनती हैं और गरीब आदमी का एक कमरा नहीं बनता। इसी बात पर मुझे आपत्ति है और इस लिए हम हमारी सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह इस व्यवस्था को स्वयं देखे और जहां कहीं भी कमी-खामी है उसको दूर करावें। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भैरोंसिहजी शेखावत

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अब सुनो बाबा की बात।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सुन रहे हैं ....

श्री भैरोंसिह शेखावत : (नेता, प्रतिपक्ष) आप तो सुनने के लिए इसलिए तैयार बैठे हैं कि अभी आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं पहले नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। अभी-अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के एक मंत्री, विधि एवं न्याय विभाग, श्री रघुनाथ विश्नोई ने घोषणा की थी कि चुनाव अगस्त में हो जायेगें। अब वह जिस अधिकृत भाषा में बोलते हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री भी नहीं बोलते। इसलिए मेरा विश्वास है कि चुनाव अगस्त में होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं की स्थिति क्या है? मैं एक ही शब्द में उसका वर्णन कर देता हूं कि आज कोई भी नगरपालिका स्वायत्त शासन की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। जहां तक सफाई का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि आज सारे शहर नरक बने हुए हैं। जिन कच्ची बस्तियों में, गंदी बस्तियों में लोग निवास करते है उनका जीवन किस प्रकार है, इसका तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। नालियों की सफाई का प्रश्न, पानी का प्रश्न, मैं समझता हूं कि मेरे दूसरे साथी श्री गिरधारी लालजी भार्गव इस सम्बन्ध में अच्छी तरह समझते भी हैं और उसके समाधान क्या हैं, वह भी सरकार को बता सकते हैं...

श्री सी. पी. जोशी : आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हो गये, इतना भी नहीं सोच सकते?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर की जन समस्याओं के बारे में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मौका नहीं है, जन समस्याओं के बारे में मुझे यह कन्सीड करने में कोई आपत्ति नहीं है कि नगरों में किस प्रकार की समस्यायें जनता की हैं उसका ज्ञान इनको मेरे से अधिक है...

श्री रामसिंह विश्नोई : विशेषकर नालियों का।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हां वह सही। कौन सी नाली?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर तीन क्वेश्चन नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में रेज करूंगा प्रधान मंत्रीजी ने नगरपालिकाओं को कुछ और अधिकार देने के सम्बन्ध में आजकल वर्कशाप चालू कर रखी है। दो-तीन दिन पहले मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन भी हुआ। सम्मेलन में क्या चर्चाएं हुई वह भी हमने अखबारो में पढी। लेकिन कोई कांक्रीट सजेशन इस प्रकार का नहीं आया जिसमें प्रधानमंत्री की इच्छा या यह मालूम हो कि प्रधान मंत्री अमुक प्रकार के अधिकार देना चाहते हैं, अमुक प्रकार की सुविधायें देना चाहते हैं और अमुक प्रकार के साधन देना चाहते हैं। यह मामला अभी विचारणीय है और मैं समझता हूं कि अगर चुनाव निकल गये तो ये मामले चर्चा के ही रह जायेंगे। चुनाव के वक्त आये तो चुनाव के वक्त किये गये आश्वासन की क्या हालत रहती है, हम अन्दाज लगा लें।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले इस सदन में और उससे पहले भी कई बार सरकार की ओर से यह घोषणा की गई थी कि हम ओक्ट्राई का नेशनलाइजेशन करेंगे। कुछ आइटमों का नेशनलाइजेशन हुआ है लेकिन अधिकांश आइटम ऐसे बड़े हैं जिनका नेशनलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। राजस्थान में एक ही प्रदेश में किसी शहर में तोल पर चुंगी ली जाती है और किसी शहर के अन्दर कीमत के ऊपर चुंगी ली जाती है। यह असंगत बात है, इस असंगति को किस प्रकार से

(122)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रोका जाय, इस सम्बन्ध में सरकार ने कई बार आश्वासन दिये लेकिन उन आश्वासनों पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं-इन ऑडिट रिपोर्ट्स पर मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप उन पर कार्यवाही तो कर नहीं सकते। ऑडिट आब्जेक्शन्स कितने अभी तक ऐसे हैं जिनका आपने डिस्पोजल किया है ? मेरी जानकारी के अनुसार 17 करोड़ रुपये के ऑडिट आब्जेक्शन्स आपके पास पेण्डिंग पड़े हैं। उन ऑडिट आब्जेक्शन्स में कई गबन के मामले हैं, कई मिसएप्रोप्रियेशन के मामले हैं, कई मिसयूज के मामले हैं। ये सब मामले हैं जिनके ऊपर आप कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने मिसएप्रोप्रियेशन किया वे बच गये, जिन्होंने गबन किया वे बच गये, जिन्होंने सरकारी फण्ड्स का मिसयूज किया वे बच गये।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्रीजी भी घोषणा करते हैं; बाकी के नेता भी घोषणा करते हैं कि हम हरिजनों की मैला ढोने की जो प्रथा है इसको समाप्त करेंगे। मेरे समझ में नहीं आता कि इस मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की घोषणा करने की आवश्यकता क्या है, जब आप कर ही नहीं सकते। लेकिन बार-बार घोषणाएं होती हैं मैं माननीय मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो बार-बार इस सम्बन्ध में घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं की आपने व्यवस्था क्या की है ?

उसी प्रकार से कच्ची बस्ती का मामला है। इसके एक्सपर्ट बैठे हैं, लेकिन अब मैं, मंत्री महोदय, आपसे चाहूंगा कि इन कच्ची बस्तियों के एक्सप्लोयटेशन को रोकने के लिये आप स्पष्ट घोषणा कर दें कि इनमें जो निवासी बैठे हैं, अपने प्लाट के अधिकारी हैं, इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा, बशर्ते कि पब्लिक पालिसी के खिलाफ कोई मकान बना हुआ नहीं हो। उसको भी आल्टरनेटिव साइट दिया जायेगा किन्तु आप जब तक शहर में कच्ची बस्तियों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, शहर की आधी से ज्यादा आबादी कच्ची बस्तियों में पड़ी है, आधे लोगों के साथ आप अन्याय करेंगे।

अब जयपुर के विकास के संबन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस सदन को अच्छी तरह से जानकारी होगी कि जिस समय जयपुर प्राधिकरण का कानून बना था, उस समय मैंने स्पष्ट रुप से कहा था कि यह जयपुर विकास प्राधिकरण एक सफेद हाथी सिद्ध होगा। इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा, समस्याए ज्यादा उलझेंगी। मैं इसमें विस्तार में जाने से पहले माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जे. डी ए. की तरफ से और जे. डी. ए. के खिलाफ कितने मामले अदालतों के अन्दर चल रहे हैं ? इन मामलों का यदि आप विश्लेषण कर लें तो आपको इस बात की जानकारी मिल जायेगी कि जे. डी. ए. विकास करने के लिये नहीं है, मुकदमे चलाने के लिये है। मुकदमा जे. डी. ए. के खिलाफ और जे. डी. ए. द्वारा। जितने मुकदमे कोर्टस में चल रहे हैं उनकी यदि कम्पेरेटिव स्टडी की जाय तो एक बात निश्चित रूप से निकलेगी कि जे. डी. ए. अपने अधिकारों का संरक्षण नहीं कर सका है। जे. डी. ए. के अधिकारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिल कर एन्क्रोचमेंट करते हैं, इसके अधिकारी गलत आदेश निकाल कर कई मकान तुड़वाते हैं और कई मकान बनवाने की अनुमति देते हैं।

मैं इस विषय के साथ ही, एक गंभीर विषय जिस पर मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय और सरकार ने पूरी तैयारी की है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले सत्र में 14-3-88 को भाषण देते हुए मैंने इस सदन में कहा था कि राजस्थान की सारकार ने 1981 का नियम बना कर और उस नियम के अन्तर्गत एग्रीमेंट टू सेल को मान्यता देकर, कानूनी जामा पहना करके एक हजार करोड़ रुपये का राजस्थान की जनता को नुकसान पहुंचाया है, एक हजार करोड़ का। और उस समय मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि राजस्थान के मुख्य मंत्री, जैसा सदन में उन्होंने आश्वासन भी दिया था, इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करेंगे, पर एक साल से ज्यादा का समय निकल गया, मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री को एक हजार करोड़ रुपये की चिंता है या नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है राजस्थान के राज्य में ऐसे मुख्य मन्त्री हैं, जिन मुख्य मन्त्री के मुंह पर आरोप लगाने के बाद भी और जिनके स्वीकार करने के उपरान्त भी आज तक साहस नहीं हुआ कि मुझे एक पत्र लिखते और पत्र लिख कर मुझे पूछते कि एक हजार करोड़ रुपये की सरकार की आय कैसे चली गई? उस सम्बन्ध में आज तक नहीं हुआ और इसलिये मैं मानता हूं कि मुख्य मन्त्री जी जानबूझकर नहीं करते। वे जानबूझकर मुझसे बात नहीं करना चाहते, जानबूझकर इसकी चिंता करना नहीं करना चाहते। इसलिये नहीं करना चाहते कि वह माफिया गैंग के कब्जे में हैं, भूमि हड़पने वाले लोगों के कब्जे में हैं।

श्री शोपत सिंह : उनके लीडर हैं खुद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही कह रहा हूं कि कब्जे में हैं और मैं यह बात साबित करूंगा कि किस प्रकार से कब्जे में हैं। मैं यह सब आपके सामने प्रमाण रखूंगा। लेकिन मैं यह कहता हूं कि हिन्दुस्तान भर में इस तरह का लैण्ड स्कैण्डल नहीं हुआ है जो राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री शिवचरण माथुर ने कराया है। यह गरीबों की जमीन, एक हजार करोड़ रुपये की जमीन सरकार को मिलती। उस जमीन के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी को चिंता नहीं है। मैंने इसी मसले पर को-ऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कही थी, जिस पर सदन को जानकारी होगी, कि मुख्य मन्त्री जी ने मुझे उत्तर में कहा था मैं जानता हूं कि सहकारी समितियों ने बड़े घपले किये हैं, लोगों को बहुत चीट किया है, इसमें कोई दोराय नहीं है। कुछ अच्छी भी समितियां हैं, लेकिन ज्यादातर समितियों ने लोगों को परेशान किया है, धोखा दिया है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह राजस्थान के मुख्य मंत्री बोल रहे हैं। इसी प्रकार वे पहले दिन बोले, जिसमें मुख्य मंत्री जी ने कहा, हम आज भी कहते हैं कि हम तो सोसाइटीज के बिल्कुल खिलाफ हैं। वह तो मैंने पहले भी कहा था कि जितना इन सहकारी समितियों में राजस्थान के शहरों का अहित किया है, शायद ही किसी ने किया हो। इनमें से कुछ समितियां अच्छी भी हैं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेकिन ज्यादातर ने एक प्रकार से लोगों को परेशान किया है, इसलिए मैं इस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं और यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं । परन्तु, मैं उपध्यक्ष महोदय, आपसे जानकारी करना चाहूंगा, सरकार से जानकारी करना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने जिसे "चीट" कहा, राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने जिसको धोखा देने वाला कहा राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि इन सोसाइटीज ने जनता को ज्यादातर परेशान किया है, तो राजस्थान का मुख्य मंत्री क्या दड़बे में बन्द है ? क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लेता भले ही लोगों को चीट किया जाता रहे, सरकारी जमीन को लोग हड़पते रहें और राजस्थान का मुख्य मन्त्री सदन में कहे, यह चीटिंग है लेकिन चीट करने वाले आदमी कानून के शिकंजे में नहीं आते यही कारण है कि मुख्य मन्त्री जी इन सोसाइटीज से मिले हुए हैं । इतना ही नहीं है, इन सोसाइटीज के बारे में लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, वह भी तीन लाइन मैं पढ़कर सुना देता हूं । सोसाइटीज की संख्या तो कम लिखी है, 370 के आस पास सोसाइटीज हैं लेकिन लगभग 250 हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी हैं जो राजस्थान राज्य के अन्दर एक राज्य बन गई हैं, एक एम्पायर बन गयी हैं । जयपुर विकास और भूमि सम्परिवर्तन नीति के अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने राजस्थान आवासन मण्डल से, जो रजस्थान का एक माध्यम है सोसाइटीज को ज्यादा प्राथमिकता दी है । इससे आप अन्दाजा लगा लीजिये कि स्थिति क्या है । ऐसी स्थिति में कोई यह विचार करे कि यह राजस्थान सरकार इन लोगों से जमीन निकलवा लेगी, मुझे इसकी संभावना नहीं लगती । इस प्रश्न को मैं बहुत ही उलझन पूर्ण प्रश्न मानता हूं । बना दिया गया है इसको उलझन पूर्ण मैं ऐसा मानता हूं । एक आदमी जिसने चीट किया, उसको कानून के शिकंजे में लाना पड़ेगा, जिसको चीट किया गया है, उसको राहत देनी पड़ेगी । अब यह राहत कैसे दी जाये ? जिसको चीट किया गया है, उसको किस प्रकार से कहा जाये ? मैं इसी संदर्भ में आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । राजस्थान भू-राजस्व नगरीय क्षेत्रों में आबादी एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि आवंटन रूपान्तरण नियम, 1981 के क्लाज 5 को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा इसलिए कि माननीय मन्त्री महोदय, नये हैं । पढ़कर वह आये होंगे, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, वह उनको बता दूं । कन्वर्जन कौन सी भूमि का नहीं होगा, इसमें इसकी व्याख्या की गयी है । पहला है :

"Land in which the applicant does not have the khatedari rights except Government for land which separate provisions have been made in these Rules."

मैं, माननीय मन्त्री महोदय आपसे पूछना चाहता हूं जिन लोगों को खातेदारी राइट्स नहीं मिलने चाहिए, उन लोगों की भूमि का क्या रूपान्तरण हुआ है ? रूपान्तरण अधिकारी ने क्या ऐसी भूमियों का भी कन्वर्जन लिया है, कन्वर्जन चार्जेज लिये हैं, और कन्वर्जन का आदेश दिया है जिस भूमि का वह खातेदार नहीं था ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"Land which has been allotted for special non-agricultural purposes of any special terms under the Land Revenue Act or the Rules framed thereunder" मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सरकार की जमीन अलाट की हुई थी, एक स्पेशल परपज के लिए आलाट की हुई थी ? क्या उस सारी जमीन का लोगों से कन्वर्जन करा करके उस जमीन को बेचा नहीं गया, सोसाइटीज के नाम पर ? आप उदाहरण अगर पूछना चाहें तो मैं एक-एक वह बता दूं।

तीसरा है : "Land in respect which acquisition proceedings are pending under the provisions of the Land Acquisition Act., 1953 or any other law for the time being in force."

मैं माननीय गृह मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस समय से इन सोसाइटीज ने एग्रीमेंट टू सेल का फायदा उठाना शुरू किया है, उस समय जयपुर शहर में 17-809 बीघा जमीन लैण्ड एक्वीजिशन में थी, 17809 बीघा। उस जमीन का आज मूल्य लगाया लगाया जाय, तो एक हजार करोड़ रुपये यह आता है। यह सारी सरकारी जमीन थी। कइयों में एक्वीजिशन की कार्यवाही पूरी हो गयी थी कइयों में अवार्ड दे दिये गये थे। और कई में जमीन सरकार में वेस्ट हो गयी, कानून के अन्तर्गत वेस्ट होने का नोटिफिकेशन निकल गया, लेकिन उस सारी जमीन पर उपाध्यक्ष महोदय, को-ऑपरेटिव सोसायटीज ने कब्जा किया। किस आधार पर कब्जा किया ? दुर्भाग्य है। मैं आगे बताऊंगा कि राजस्थान के बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी चाहे वह ज्यूडीशियरी के हों, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे और कोई हों उन सोसायटीज की जमीन को बचाने में उन लोगों ने कितना काम किया है दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तत्कालीन मुख्य मंत्री ने एक सर्कुलर निकाला। सर्कुलर का कोई कानूनी दायरा नहीं है, उस सर्कुलर का कोई कानूनी महत्व नहीं है लेकिन एक सर्कुलर निकाल दिया कि जिस लैण्ड पर एक्वीजिशन की कार्यवाही चल रही है और सोसायटी भी मकान ही बनाना चाहती है और जिस परपज के लिये सरकार एक्वायर कर रही है वह परपज भी मकान बनाने का ही है तो ऐसे मामलों के अन्दर रियायत से विचार किया जाय। बस इतना आदेश मिलते ही लेण्ड एक्वीजिशन के अन्दर जितनी भी सोसायटीज ने कागज पेश किये, उन सबका कन्वर्जन हो गया। मैं इसी आधार पर आगे कहना चाहता हूं, "land, which is situated within the following limits" यह डिस्ट्रिक्ट रोड्स से कितना हो और नेशनल हाइवे से कितना हो ? आगे है "Land Coming within the purview of Urban land Ceiling Act, 1976, The Rajasthan (Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings) Act, 1973 and the Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land owners' Estate Act (Act. No. 11 of 1974), Land forming part of the forest area under the provisions

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

of the Rajasthan Forest Act of 1953. यह रैस्ट्रिक्शन है। स्वायत्त शासन मंत्रीजी आपकी और मेरी परीक्षा एक ही है, यह सदन परीक्षा कर ले आपकी सरकार की और मेरी। इन रैस्ट्रिक्शन्स के अन्तर्गत एक भी सोसायटी का कन्वर्जन हुआ है तो बता दें, एक सोसायटी की हाउसिंग स्कीम इन रैस्ट्रिक्शन्स के कारण से नहीं हो सकती, रोकी गयी हो तो बता दें। राजस्थान की कोई सोसायटी नहीं है जिस सोसायटी ने एग्रीमेंट टू सेल के नाम से जमीन ली है लेण्ड एक्वीजिशन की जमीनों को कब्जा किया है। उस जमीन को कब्जा करने में आप एक सोसायटी का नाम बता दें। एक सोसायटी भी आप बता देंगे तो मैं सदन से बाहर चला जाऊंगा, नहीं तो सरकार का काला मुंह करके निकालने की आवश्यकता है जिसने लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया। उपाध्यक्ष महोदय, कानून हैं, ये कानून आखिर आपने बनाये हैं। क्या ये कानून माफिया चोरों पर लागू नहीं होते हैं? क्या ये कानून भले आदमियों पर ही लागू होते हैं? क्या ये कानून जो जमीन हड़पना चाहते हैं उन पर लागू नहीं होते हैं? मुझे अफसोस है। मैं पूरी सरकार को चैलेंज करता हूं कि इस फाइव में जो रैस्ट्रिक्शन्स लगाये हुए हैं उन रैस्ट्रिक्शंस का वायोलेशन किये बिना किसी भी सोसायटी का रेगुलराइजेशन हुआ हो तो आप बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सोसायटीज के अनियमित कार्यों को किस प्रकार रेगुलराइज किया जाय इस सम्बन्ध में सरकार की चिन्ता रही है लेकिन यह जमीन सरकारी है, सरकारी जमीन सरकार के कब्जे में रहनी चाहिए, इस सम्बन्ध में सरकार ने चिन्ता नहीं की। मैं, मन्त्री महोदय, आपके सामने दो सर्कुलर इसी सरकार के रखना चाहूंगा। एक सर्कुलर है रेवेन्यु डिपार्टमेंट का एफ 6 (87) एक सितम्बर, 1984। इस सर्कुलर को पढिए आप, आप सरकारी अफसर को लेजिस्लेटिव पावर दे रहे हैं। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और टिनेन्सी एक्ट दोनों में जो चीज वर्जित हैं सरकार का अधिकारी अपने आदेश से उसको निरस्त करता है।

"It has been brought to the notice of the State Government in context of the Rajasthan Land Revenue (Allotment, Conversion) and Regularisation of Agriculture Land for Residential and Commercial purposes in Urban Areas) Rules, 1981 that agricultural Lands, which have been transferred, are used for residential and commercial purpose in contravention of the provisions of the Rajasthan Tenancy Act and the Rajasthan Land Revenue Act."

इसमें कानून के विपरीत जिन जमीनों का कन्वर्जन हो गया, जिन भूमियों का लोग उपयोग करने लग गये उनके सम्बन्ध में सरकार क्या आदेश करती है: "That if any landhed by a tenant was transferred by him are put to non-agriculture in contravention of provisions of Section 42 of the Rajasthan Tnancye Act or the povisions of the Rajasthan Land Revenue Act and such land has been resumed or otherwise taken posse-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ssion of by the Government." गवर्नमेंट ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया हो। "As a consequence of such illegal transfer or use, the authorsied, officer may allot such land or park thereof to such persons as were in possession & use of such lands and part thereof prior to 20-8-84."

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अंदाजा लगा लें, टिनेंसी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इन दोनों में अधिकार है कि यदि एग्रीकल्चर लैण्ड नोन एग्रीकल्चर परपज के लिए काम में ली जा रही है, ले जाने वाली हो या ली गयी हो, उसे सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं, नियम के अन्तर्गत परमिशन है लेकिन यहां पर रेवेन्यु सैक्रेटरी आदेश देता है कि कानून में जो कुछ लिखा हुआ है, उसके विपरीत यदि किसी ने कार्यवाही कर ली हो तो आप साइक्लोस्टाइल आदेश निकाल दें। उस आदेश के माध्यम से अगर जमीन ले ली हो तो कहते हैं कि उस जमीन को उसके नाम से अलाट कर दो। अलाटमेण्ट के रूल्स बने हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, कि यह केबिनेट का फैसला था या रेवेन्यु सेक्रेटरी का फैसला था ? क्या कानून में संशोधन साइक्लोस्टाइल सर्कुलर से हो सकता है ? क्या नियमों में संशोधन साइक्लोस्टाइल सर्कुलर से हो सकता है ? नहीं तो मैं पूछना चाहूंगा कि यह सर्कुलर कैसे निकला ? इस सर्कुलर के निकलने के बाद आप लोगों ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? अफसोस है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार का सर्कुलर एक नहीं, बार बार रेवेन्यु डिपार्टमेण्ट से सर्कुलर निकले हैं। करीब 108 सर्कुलर हैं, आप चाहें तो मेरे से लिस्ट ले सकते हैं। सरकारी जमीन को कैसे हड़पा जाय, हड़पने वाले को कैसे सुविधा दी जाय, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने 108 सर्कुलर निकाले हैं, रेवेन्यु डिपार्टमेण्ट से उन 108 सर्कुलर में से मैंने एक का उल्लेख किया, दूसरे का और करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह है उन जमीनों के बारे में जो राजस्थान एग्रीकल्चर लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स एक्ट के अधीन हैं। ऐसा विचित्र आदेश हिन्दुस्तान में आपने कहीं नहीं देखा होगा। एक आदेश निकाल दिया कि जिस आदमी ने लैण्ड ओनर्स एक्ट के खिलाफ जमीन ले ली है, वह उस जमीन का यूज कर रहा हो तो वह व्यक्ति चाहे तो कोई सिक्योरिटी जमा करा दे और उसमें मकान बना ले। सिक्योरिटी इन्होंने तय नहीं की। यह सर्कुलर है रेवेन्यु डिपार्टमेण्ट का 24 जनवरी 1985 का उपाध्यक्ष महोदय, इन 108 में से 2 का उल्लेख मैंने इसलिए किया है कि पूरा दिन भी लग जाय तो मैं 108 सर्कुलर्स को नहीं पढ़ सकता। लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या केबिनेट की मर्जी से ये सर्कुलर निकले ? क्या केबिनेट ने सर्कुलर निकालकर कानून की अवहेलना करने का अधिकार दिया था ? आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केबिनेट को अधिकार है, कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कानून से की जा सकती है। लेकिन क्या केबिनेट को इस बात का अधिकार है कि किसी भी एक्ट की अवहेलना करने के लिए सर्कुलर निकालकर उस सर्कुलर के आधार पर सब कुछ व्यवस्था करले। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा इन्हीं हाउसिंग कोआपरेटिव

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सोसायटीज के सम्बन्ध में। मैं कहना इसलिए चाहता हूं कि कोई इस बात का वहम नहीं करे कि हमको जानकारी नहीं है। मैं व्यक्तिगत जानकारी दूंगा तो आप कहेंगे कि यह सही नहीं है, मैं हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने रख रहा हूं। वह हाई कोर्ट का फैसला इसलिए है कि सरकार में जमीन जो वेस्ट हो गई उसके सम्बन्ध में दो आदमी हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने पिटीशन दी। पिटीशन देकर उन्होंने यह मांग की कि हमने जो सोसायटी से प्लाट लिये हैं वे हमारे हैं, इनका रेगुलराइजेशन किया जाय, और जे. डी. ए. ने इसका रेगुलराइजेशन नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा पन्नों में तो नहीं जाना चाहता लेकिन हाई कोर्ट के फैसले में लिखा है :

"We will not like to say anything about the institution of judiciary. However, it will suffice to say that the action/ommission by the officers/authorities connected with the impartation of justice has lowered down the prestige of the judiciary as a whole." उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आगे राजस्थान की इस पिटीशन के अन्दर 117 व्यक्तियों की लिस्ट दी गयी है। 117 व्यक्ति बेनामी सरकारी अधिकारी है। बेनामी सरकारी अधिकारी कोई एल. डी. सी. यू. डी. सी. नहीं, सब गजेटेड आफिसर हैं। इन्होंने सारी जमीन पर जो सरकार की जमीन थी, कब्जा किया। कब्जा करने के बाद लिखते हैं, हाई कोर्ट के जज साहब लिखते हैं वह खण्डपीठ थी।

"The provisional conversion or regularisation can by passed and if the suit is not decreed; then the provisional order stands automatically cancelled." यह मैं रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। आगे है :

"The fact is, this is the bounden duty of the State Government to take action against such officers who have violated the provisions of law and particularly rule 4, 5 and 10 and who have overlooked the fact that land has already been acquired; should be taken to task.

"We hereby direct that the disciplinary proceedings should be initiated against them, if not initiated so far, and it should be made known to the Public that the state Government feels that doctrine of accountability applies in such cases and action has been taken."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हाई कोर्ट के इन स्ट्रिक्चर्स के बाद सरकार ने कोशिश की। सरकार ने कोशिश नहीं की, सरकार के जो अधिकारी इसमें इनवॉल्व थे उन्होंने कोशिश की कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के अन्दर अपील कर दी जाये अब सुप्रीम कोर्ट के अन्दर अपील कौन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करे ? तो सब कागज उपलब्ध कराये उस हाउसिंग को-ओपरेटिव सोसायटी को सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार को इस मामले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया ? उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व मुख्य सचिव से लेकर नीचे तक के अधिकारी इसमें इनवोल्व्ड है। यह एक उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है कि मालुम हो जाय कि किस तरह से सरकार की जमीन को हड़पने का यह षड्यन्त्र चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, निवेदन इसलिए करना चाहूंगा कि सोसायटीज में कोई कम काम नही किया। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपको नोट कराना चाहता हूं आप नोट कर लीजिए। रेवेन्यू बोर्ड, हाई कोर्ट इन सबके फैसलों के आधार पर मैंने निकाला कि इस मामले में क्या और किस मामले में क्या। इन सारी सोसायटीज के जमीन के मामलों को लेकर आपने लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट, 1953 का वायोलेशन किया, अर्बन इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट एक्ट, 1959 का वायोलेशन किया, अर्बन लण्ड सीलिंग एण्ड रेगूलराइजेशन एक्ट, 1976 का वायोलेशन किया, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 का वायोलेशन किया, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1959 का वायोलेशन किया, राजस्थान इम्पोजीशन ऑफ सीलिंग इन एग्रीकल्चर लैण्ड एक्ट इसका वायोलेशन किया, राजस्थान प्रोपर्टी रिजस्ट्रेशन एण्ड ट्रान्सफर एक्ट, 1973 का वायोलेशन किया, राजस्थान रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट इसका वायोलेशन किया, राजस्थान लैण्ड रिफोर्म्स एण्ड एक्वीजिशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट, 1973 इसका वायोलेशन किया, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट का वायोलेशन किया और राजस्थान पंचायत एक्ट का वायोलेशन किया, राजस्थान फारेस्ट एक्ट का वायोलेशन किया, सेन्टर के कन्जरवेशन ऑफ फोरेस्ट एक्ट इसका वायोलेशन किया, को- ओपरेटिव एक्ट का वायोलेशन किया और स्टाम्प्स एण्ड रजिस्ट्रेशन ड्यूटी एक्ट का आपने वायोलेशन किया। इसके साथ ही फाइनेन्स डिपार्टमेण्ट के सर्कुलर और भारत सरकार की गाइड लाइन्स का आपने विरोध किया। उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने खुल कर राजस्थान के कानूनों की अवहेलना की उसके बाद में भी सरकार को चिन्ता नहीं हो रही है कि उनके खिलाफ किस प्रकार से एक्शन लिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सुविधा के लिए राजस्थान सरकार ने दो आर्डर निकाले ये सब अर्बन सीलिंग में आते थे। अर्बन सीलिंग से कैसे बचा जाये ? 1982 में 19 अक्टूबर, 1982 को लैण्ड अर्बन सीलिंग एक्ट की सैक्शन 20 के मातहत उन्होंने एक जनरल एक्जम्पशन आर्डर निकाला। जनरल एक्जम्पशन आर्डर क्या है:

"Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section 1 of the Section 20 of the Urban Land Ceiling and Regularisation Act, 1976, Central act number so and so, the State Government hereby exempts all agricultural

(130)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

Vacant Lands held in excess of ceiling Limit in the five urban agglomeratin, i. e. Jaipur, Ajmer, Jodhpur, Kota and Bikaner to which the said Act applies." एक सैक्शन 20 में आर्डर निकला । उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 20 में आर्डर नहीं निकाल सकते । यह अगर मेरी राय हो तो मैं समझता हूं आप नहीं मानेंगे । सैक्शन 20 में लैण्ड होल्डर होना चाहिये, किसकी जमीन है । लैण्ड होल्डर का मतलब जो खातेदार हो । सैक्शन 20 में आप इंण्डिवीजुअल केसेज में मैरिट के आधार पर उसको एक्जम्पट कर सकते हैं सोसायटीज को एक्ज-म्पट नहीं कर सकते । आपने यह निकाला लेकिन आदेश निकालने के पहले मैं उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के लॉ डिपार्टमेण्ट की ओपिनियन जो फाइल पर अंकित है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । उससे मेरे कंटेन्शन की अपने आप पुष्टि होगी । पैरा 8 आप निकलवा लीजिये इसमें ।

"The relevant comments of the revised draft as per the cabinet decision has been prepared and vetted subject to the following observations :

Section 21 of the ULCER Act provides for exemption of vacant land held by any person in excess of the ceiling limit on consideration of location of the land etc.,.For this, in my view, every case has to be judged on its merits as the objective satisfaction of the Government is required. on grounds on which the exemption is to be granted. It is highly doubtful that such type of order granting general exemption can stand the the test of scrutiny in the Court." ये उनका लिखा है आगे का पैरा 9 है :

"Rules of the Rajasthan Land Revenue (allotment, Conversion, Regularisation of Agricultural Land for Residential and Commercial purposes in Urban Areas)Act, 1981 prohibits conversion of the Land coming within the purview of the ULCER ACT, of this Act. Exemption can be granted from the provisions of Chapter 3..."not under section 20,.."of the Act only and, therefore, thoe remain'ng provisions of the Act will be applicable to excess vacant land This conversion of the land may not be possible even of grant of exemption under Section 21 of the Act. "Chapter 3 आपने एप्लाई नहीं किया । You applied section 21 which you could not do as per the opinion of the Law Department. "part 10: Draft has been vetted subject to observations in paras 8 and 9 with regard to observations in para 9, it would be advisable to amend the rule 5(5) of the Raj.

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

Land Allotment, Conversion, Regularisation Act, 1981 so as to mention land coming within the purview cf Chapter 3 of ULCER Act instead of the land comeing within the purview of the entire ULCER Act. यह सारी लॉ डिपार्टमेंट की और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की फाइल है । मैं उसमें नहीं जाना चाहता । उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और बताना चाहता हूं । अभी राजस्थान हाई कोर्ट में एक रिट पेश हुई । रिट बड़ी मजेदार है । वह रिट किसने की है ? वह रिट की है भूतपूर्व मन्त्री नगरीय विकास मंत्री श्री राम किशन जी वर्मा ने राजस्थान सरकार के खिलाफ । उस समय यह विभाग इनके पास था ? इन्होंने रिट की है । रिट करके कहा क्या है ? आपने कहा कि सैक्शन 21 में गवर्नमेंट ने जो आर्डर इश्यू किया वह गलत है इनवैलिड है, एज पर लॉ नहीं है । राजस्थान की सरकार को इस प्रकार का अमैन्डमेन्ट करने का, एक्जम्पशन देने का कोई अधिकार नहीं है । यह मैं नहीं बोल रहा हूं, राम किशन जी बोल रहें हैं। जे . डी . ए . ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन की । जे . डी . ए . की पिटीशन में लिखा है : "Further in view of the submission mentioned above.."

श्री पंकज पंचोली : ये जे .डी . ए. ने की है ....

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ जाइये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जे . डी . ए. के ये चैयरमैन हैं । और मैं एक और बता दूं कि जे . डी . ए. के पावर्स मिनिस्टर साहब को है, उस फाइल पर मिनिस्टर साहब के दस्तखत हैं । चैयरमेन होने के नाते इन्होंने गवर्नमेण्ट के खिलाफ रिट की है वह तो हिम्मत की बात है, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता इसलिए तारीफ भी है । लेकिन लिखा क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, लिखा य

"Further in view of the submission mentioned above, the aforesaid order is absolutely beyond the jurisdiction of the State Government being ultra vires of Section 20 of the Act."
आगे लिखते हैं ।

"...That section 20 of the Urban Land Ceiling and Regulation Act does not at all authorise the State Government, "...does not at all authorise the State Government; "..to grant general exemption to the Society, As such, the power of exemption is to be given under Section 20 of the Act in public interest in individual cases.." यह जो मैं कह रहा हूं उसी की पुष्टि करते हैं राम किशन जी, आप ।

"..in individual cases after taking into account all the circumstances contemplated therein. There is no provision in Section 20 of the Act to grant general exemption as has been done in

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

Annexure 6. For this reason also the order (Annex. 6) is ultra vires to Section 20 of the Act."

"That exemption under Section 20 can not be operative retrospectively to validate past transactions. In this view also the order dated 19.10.82 and this subsequent order are ultra vires. No executive order can be passed retrospectively."

अब मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। जो एग्जम्शन आर्डर 1982 का है-और जो उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है 1985 में वे दोनों आर्डर इनवैलिड हैं इन दोनों आर्डरस् को रिजैक्ट किया जाये। अब उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगाइये कि गवर्नमेंट ने 1982 में आर्डर निकाला। 1982 के आर्डर का 1985 में ट्रांसफर हुआ, यूज करके उसको अमेण्डमेंट कर दिया गया। जो जमीन अल्सर एक्ट में आती है और सरकार में निहित होती है अब वह भले ही रामसिंह जी की है, गुलाबसिंह जी की है लेकिन वह राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता की जमीन थी। उस करोड़ों रूपये की जमीन को आप लोगों ने इन भेड़ियों को दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मैं इस सरकार को कहना चाहूंगा हालांकि आज इस प्रसंग में मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता, बोलना भी नहीं चाहता कि श्रीमती कमला जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, हनुमान जी प्रभाकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। एक कमेटी के अन्दर हमारे भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्री सुजानसिंह जी भी थे। अगर उनके सारे डेलिबरेशंस को आप देखें, इन सारी कमेटीज की रिपोर्ट को आप देखें तो जबर्दस्त कन्फ्यूजन इनके दिमाग में भी हुआ है। कन्फ्यूजन का कारण यह है कि समस्या का समाधान क्या है। उस समस्या का समाधान करने में एक कमेटी ने कन्फ्यूजन क्रियेट किया। दूसरी कमेटी के पास मामला गया तो उसने और भी कन्फ्यूजन क्रियेट कर दिया और तीसरी ने फिर कन्फ्यूजन क्रियेट किया। सिवाय कन्फ्यूजन क्रियेट करने के इस केबिनेट सब कमेटी ने कोई काम नहीं किया। जितना कन्फ्यूजन क्रियेट होता है उतना ही, उपाध्यक्ष महोदय, नीचे वालों की कमाई होती है। मैं कोई मन्त्रियों के लिये नहीं कह रहा हूं लेकिन नीचे वाले उस कन्फ्यूजन में कमाकर खाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार का रखवाला कौन है? उपाध्यक्ष महोदय। यह बुनियाद कहां से शुरू हुई? बेरी कमीशन से बेरी कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट देने के बाद में अपनी फाइण्डिंग्स दी फाइण्डिंग्स में लिख दिया कि अमुक अमुक लोगों की जमीनें गवर्नमेंट के अन्दर, गवर्नमेंट को रिज्यूम कर लेनी चाहिए उस कमेटी की रिपोर्ट को आज तक इम्पलीमेंट नहीं किया गया।

मुझे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का नाम लूंगा, जिन भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने जमीन हड़पने में कोई कसर नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

छोड़ी । शिवचरण जी माथुर 1985 में चले गये, 1985 से लेकर 1988 तक जितने भी आदेश निकले हैं, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने अपनी जमीन का संरक्षण कैसे किया जाये उस आधार पर आदेश निकाले । पहले 1981 से लेकर 1985 तक शिवचरण जी माथुर ने आदेश निकाल कर राजस्थान की सरकार को नुकसान पहुंचाया और उस नुकसान पहुंचाने की कार्यवाही पर उनके आने वाले मुख्य मन्त्री ने ठप्पा लगाया । उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, मैं इस सदन को जानकारी देना चाहूंगा, एक हरजीराम बुरड़क का सवाल है, उस सवाल के जवाब में सरकार कह रही है "हां, बेरी कमीशन की रिपोर्ट 30-9-1981 को प्राप्त हुई । दूसरा यह कहते हैं, आयोग की उपरोक्त उल्लिखित अन्तिम रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 30-2-1981 को प्राप्त हुई थी जिसे 6-9-1982 को सदन के पटल पर रख दिया गया है । आगे लिखते हैं । अक्टूबर 1985 में प्राप्त बेरी आयोग के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों की क्रियान्विति के बाबत अप्रेल सन् 1982 में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था । तीन सदस्यीय उक्त समिति की रिपोर्ट मई 1984 में राज्य सरकार को मिल गई । राजस्व विभाग ने इस रिपोर्ट के परीक्षण के लिये इसकी क्रियान्विति की बाबत बहुत से महत्वपूर्ण वैधानिक एवं संवैधानिक प्रश्न उभार कर उनके निदान हेतु कानूनी राय प्राप्त करने के लिये मामला विधि विभाग को भेजा । विधि विभाग ने इस महत्वपूर्ण वैधानिक एवं संवैधानिक मामलों पर राज्य के महाधिवक्ता की सलाह देने का निवेदन किया । महाधिवक्ता की राय पर राजस्व सचिव, विधि सचिव, महाधिवक्ता के मध्य विचार विमर्श चल रहा है, चार वर्ष से विचार विमर्श चल रहा है । ऐसा क्या मसला है ? किसी को फांसी लगने वाली है क्या ? यह राजस्थान सरकार की सम्पत्ति है इस सम्पत्ति को बचाने का जब तक आप मुख्यमन्त्री हैं, मन्त्री मण्डल के सदस्य बैठे हैं, आपका दायित्व है । इस सम्पत्ति को आप बचा क्यों नहीं पाते हैं ? एक-एक का वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है । शिवचरण जी का वेस्टेड इन्ट्रेस्ट भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का वेस्टेड इन्ट्रेस्ट जहां दो मुख्य मंत्रियों का वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हो वहां इन जमीनों को कौन बचा सकता है ? कोई नहीं बचा सकता है । इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, दो मामले आपके सामने रखूंगा उदाहरण के लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर गया, अजमेर में मुझे लोगों ने बताया कि लोढ़ा एस्टेट के नाम से उस समय तीन करोड़ रुपये की जमीन जो आज के भावों में पांच करोड़ रुपये की हो गई है, तीन करोड़ रुपये की उस जमीन पर एक फर्जी सोसायटी बनाई गयी, फर्जी सोसायटी बनाकर उस जमीन में भूखण्ड काट दिये गये और भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया । आवंटन करने के बाद जब लोगों ने शिकायत की कि यह सरकारी भूमि है, एक न्यायालय में मामला गया । न्यायालय ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर्स को कहा आप जांच करके आओ जांच करने के बाद उन्होंने कह दिया कि इसमें तो 48 मकान बन गये । जबकि एक दीवार तब तक नहीं थी, कह दिया 48 मकान बन गये ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी मामले में अरबन सीलिंग एक्ट में जो चल रहा है कि नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, आज आप मैं कहीं चले जायें अरबन सीलिंग एक्ट

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

वालों के पास । तारीखों पर तारीखें देंगे लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देंगे । इस मामले में दो दिन में अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया । उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने मुख्य मन्त्री जी को कहा कि तीन करोड़ रुपये की जमीन फर्जी सोसायटी, फर्जी कागजात और सरकारी अफसरों की सांठ गांठ से इस जमीन पर कब्जा कर लिया, मैंने पत्र लिखा तो मुझे खुशी है कि उन्होंने पत्र का जवाब दिया कि मैं इस प्रकरण की जांच करवा लूंगा । मैंने पत्र दिया था 21 अक्टूबर 1988 को मुख्यमन्त्रीजी का जवाब आया 7 नवम्बर, 1988 को । इस जवाब आने के साथ ही एक एडवोकेट रमा गोयल हैं, उन्होंने लोकायुक्त को शिकायत की । लोकायुक्त ने इस मामले की जांच की और जांच करने के बाद में जो मैंने अपने पत्र में तथ्य लिखे थे उन सारे तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये और इस जमीन के कारण से राज्य सरकार को जो नुकसान हुआ है वह इनसे वसूल की जाये । मैं माननीय मन्त्री महोदय आपसे पूछना चाहता हूं कि हम अपोजीशन में हैं, हमें कुछ अनप्लेजेन्ट काम करने पड़ते हैं । अनप्लेजेन्ट उस रूप में नहीं लेकिन आलोचना करने के सम्बन्ध में अनप्लेजेन्ट काम करने पड़ते हैं । यह हम पर एक ड्यूटी है लेकिन क्या मैं यह समझूं कि सरकार बिल्कुल निर्जीव हो गयी हम शिकायत करेंगे, सरकार की पांच करोड़ रुपये की सम्पत्ति लोग लूटकर खा रहे हैं । इस सम्पत्ति को आप बचाओ । उसे बचाने के लिये आप कोई कार्यवाही नहीं करते । लोकायुक्त ने आपको लिखकर दे दिया कि यह जमीन सरकारी है, लोगों ने जबरन कब्जा किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये । आज आप जैसे माननीय सदस्य बोल रहे थे बस्ती वाले कि गरीब का मकान हो तो बीस आदमी उसको तोड़ने के लिये चले जायेंगे । इस सोसायटी में, जो पांच करोड़ रुपये की जमीन खाकर बैठी है ? मैम्बर आज जेलखाने में होने चाहिये थे लेकिन जेलखाने में नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से, आजकल जयपुर में एक किस्सा चल रहा है अमरूदों का बाग का । इस अमरुदों के बाग में बहुत विचित्र बात है । मैंने मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखा, मैं पत्र का एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहता हूं आपकी अनुमति से ।

"प्रिय श्री जोशी जी, आपको ज्ञात होगा कि महाराजा जयपुर के अमरुदों के बाग के नाम से परिचित 48 बीघा भूमि राज्य सरकार के अधिकार में ली जा चुकी है और उस 14 बीघा भूमि में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक योजना का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है । मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इस भूमि को एक गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम पर जयपुर के एक पूंजीपति श्री राजकुमार द्वारा हड़पने की कार्यवाही की जा रही है । महाराजा जयपुर से पिछली तारीखों में एक विक्रय पत्र लिखवाया गया है और इस पत्र के आधार पर समिति के नाम से इस भूमि पर अपना अधिकार किया जाने वाला है । यह भूमि लगभग दस करोड़ रुपये मूल्य की है । इस भूमि पर महाराजा जयपुर का विभिन्न अधिनियमों के कारण कोई वैध अधिकार नहीं रहा और यह भूमि सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में निहित हो गये। कुछ क्षेत्रों में इस बात की चर्चा है कि राजकुमार द्वारा आपसे तीस लाख रूपये का सौदा किया गया है। मैं कोई जुबानी नहीं बोलता, लिखकर देने का साहस है। मैंने लिखकर भी दिया, तीस लाख रूपये का सौदा किया गया है जिसमें पांच लाख रूपये का भुगतान भी कर दिया गया है।"

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद मुख्य मंत्री जी का जवाब आया, हरिदेव जी जोशी का जवाब। लिखते हैं" प्रिय श्री जोशी जी, आपका पत्र दिनांक 5.11.86 का अमरूदों के बाग सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। जिसके सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति की जानकारी मैंने प्राप्त कर ली है... जिस के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति की जानकारी मैंने प्राप्त कर ली है। वास्तविक स्थिति क्या है? कि अमरूदों का बाग की तथाकथित 400 बीघा दो बिस्वा जमीन राज्य सरकार की है। अब इस पर कोई आवासीय योजना सरकारी समिति नहीं बना सकती और न जयपुर विकास प्राधिकरण ने ऐसी किसी योजना की स्वीकृति दी है। प्राधिकरण इसे अपने अधिकार में सुरक्षित रखने के प्रति जागरुक है। उपाध्यक्ष महोदय, लैटर है 20 नवम्बर का। 20 नवम्बर के लैटर के तीन दिन पहले इस सोसाइटी ने आवासीय योजना बना कर लैण्ड कन्वर्जन ऑफिसर के यहां एप्लिकेशन दी। वही, यह लैटर लिखा मैंने 5.11.1986 को। इस के तीन दिन पहले उस से एप्लीकेशन दिलवायी बैक डेट में। आप चाहें तो उस रजिस्ट्री की फोटो स्टेट कापी वगैरह सब मेरे पास सुरक्षित हैं। तीन दिन पहले कांट छांट करके एण्ट्री करवायी और इस सोसाइटी से लिखवाया। पकड़े गये, लोगों को पता लग गया कि इस में लाखों का सौदा हुआ है। इसलिए इस लैटर में पहले-पहले इस को विथड्रा कर लो। लैटर को विथड्रा कर लिया। विथड्रा करने का नतीजा क्या निकला कि एक तरफ तो विथड्रा कर लिया और दूसरी तरफ महाराजा भवानी सिंहजी के खिलाफ थाने में केस रजिस्टर करवाया। यह बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा है क्या, उपाध्यक्ष महोदय, ? यह कार्यवाही पुलिस की है, प्रमाणित किया जाता है कि उक्त, मजमून की टाइपशुदा रिपोर्ट अतिरिक्त कलेक्टर, दक्षिण कृषि भूमि रुपान्तरण, जयपुर के दस्तखत शुदा जरिये डाक, थाने पर प्राप्त हुई है। मजमून रिपोर्ट में मामला जुर्म दफा 467, 120 भारतीय दण्ड संहिता के वकू में आना पाया जाता है अतः मुकदमा नम्बर 100/88 धारा उक्त के अन्तर्गत में एस.एच.ओ. हेतराम स्वयं ही मशरूक हुआ। प्रतिलिपि एफ.आई.आर. नियमानुसार दी गयी। मुलजिम के खाने में लिखा हुआ है महाराजा श्री भवानी सिंह...

मैं आप को एक बात कहना चाहता हूं कि महाराजा भवानी सिंहजी के खिलाफ आप ने मुकदमा बनाया, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं बनाया? मैं आप को दावे से कहता हूं कि उनमें जैनुइन नहीं है सब फर्जी हैं। महाराजा भवानी सिंहजी के खिलाफ मुकदमा बन सकता है तो जिन लोगों ने एग्रीमैण्ट टू सेल किया है और फर्जी कार्यवाही की है उन लोगों के खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं बनते? लेकिन आप ने देखा कि इस के खिलाफ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुकदमा बना कर इस की राजनीतिक शोषण करो। अब राजनीतिक शोषण यही हो सकता है कि चुनाव में हमारा साथ दो।

एक माननीय सदस्य : कामयाब हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कामयाब होने में तो अभी देर लगेगी। आज जो 370 सोसाइटी हैं, मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार इस सदन में यह बतायें कि कौन सी सोसाइटी का जैनुइन ट्रांजेक्शन आप मानते हो। किसी सोसाइटी का जैनुइन ट्रांजेक्शन नहीं है। एक को पिक-अप किया और मुकदमा बना लिया। कौन सा शहर है जिस में फर्जी सोसाइटी नहीं बनी हो? कौन सा शहर है जिस में फर्जी एग्रीमैण्ट टू सेल नहीं हुआ हो? उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच प्रश्न माननीय मन्त्री महोदय, से करना चाहूंगा। एक तो मुझे आप यह बतायें कि एक तो लैण्ड कन्वर्जन अधिकारी के प्रोविजनल आर्डर जिन जमीनों में हुए हैं प्रोविजनल आर्डर के बेसिस पर जे.डी.ए. ने कौन सी आवासीय योजना स्वीकार की है? वह क्यों, किस के अधिकार से और किस कानून के अन्तर्गत? उपाध्यक्ष महोदय, प्रोविजनल आर्डर ले लिया। प्रोविजनल आर्डर में लिखा हुआ है कि 60 दिन या 90 दिन में आप जब तक किसी कोर्ट से माकूल आर्डर इस सम्बन्ध में नहीं लेगें, 60 दिन के बाद यह प्रोविजनल आर्डर अपने आप निरस्त हो जायेगा। अब मैं आप से कहना चाहता हूं कि कोर्ट के अन्दर सूट फार स्पेसिफिक परफारमैंस के लिए दावे पेश किये जा रहे हैं क्योंकि प्रोविजनल आर्डर ले लिया, दूसरे दिन सूट फार स्पेसिफिक परफारमेंस का दावा पेश कर दिया और दावे की कापी जे.डी.ए. को दे दी। जे.डी.ए. से नक्शा पास करा कर भूखण्ड अलाटमैण्ट करा लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कार्यवाही कैसे हुई? मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि मास्टर प्लान की अवहेलना करते हुए कितनी आवासीय योजनाओं को पारित कराया गया? दूसरों की क्या कहूं, उपाध्यक्ष महोदय, सोसाइटीज ही नहीं, जे.डी.ए. ने जितने भी मार्केटिंग मैंशंस बनाये हैं, अगर आप इन की जांच करें तो सब मास्टर प्लान में एग्रीकल्चर लैण्ड है आवासीय लैण्ड नहीं हैं, यह कामर्शियल काम्पलैक्स नहीं बना सकते। इसलिए जितने भी कामर्शियल काम्प्लैक्स बनाये हैं वह मास्टर प्लान का वायोलेशन करके बनाये हैं इसलिए जो रेस्ट्रिक्शंस रूल 5 में हैं, माननीय मन्त्री महोदय, मैं आप से चाहूंगा कि आप चाहे आप स्टेटमैण्ट न दें, दे भी नहीं सकते लेकिन उस आधार के ऊपर इस रूल में सब रूल का कहां-कहां वायोलेशन हुआ, उस का वायोलेशन किस ने किया, प्रोविजनल आर्डर पर आवासीय योजनायें कैसे मंजूर हुई, मास्टर प्लान की अवहेलना करते हुए यह आवासीय योजना कैसे मंजूर हुई?

उपाध्यक्ष महोदय, कानून को चौपट कर दिया। मैं अब आप की मजबूरी को समझकर बहुत जल्दी करना चाहता हूं लेकिन दो-एक बातें इस सम्बन्ध में जरूर निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज इन सोसाइटीज के कारण से दूसरे शिकार हुए हैं। जिन के जैनुइन हैं, जो साधारण श्रेणी के व्यक्ति हैं, मध्यम श्रेणी के हैं और जिन में पैसे वालों के हैं। जिनमें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पैसे वालों के मकान हैं उन को नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं, वहां न जे.डी.ए. वाले पहुंचते न रेवेन्यू डिपार्टमैण्ट पहुंचता, न कलक्टर पहुंचता और न पुलिस पहुंचती, वह तो दूर रहते है लेकिन जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं या गरीब हैं, जो अपनी खरी कमाई को लगा कर मकान में बैठ गये उन के ऊपर तलवार लटका दी, मकान तोड़ने के लिए जे.डी.ए. का इंस्पेक्टर आ गया। उपाध्यक्ष महोदय, सुन कर ताज्जुब तो इस बात का है कि जे.डी ए. के जिन अधिकारियों को सिक्योरिटी आफीसर बनाया, विजिलेंस आफिसर बनाया उन अधिकारियों ने बिना नक्शे के मकान बनाये हैं। जे.डी.ए. के 18 अधिकारी हैं जिन्होने कानून की अवहेलना करके, 18 तो मेरी जानकारी में हैं गुलाब सिंहजी की जानकारी में ज्यादा होगें।

श्री हरजीराम बुरड़क : 18 भी नहीं हैं उन की जानकारी में तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 18 भी नहीं हैं तो पाठ मिल गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला दुतरफा है। मैं आज यह कहूं कि उन सब लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमैण्ट कर दिया थोड़ी पूंजी लगा कर और छोटे-छोटे मकान बना कर रहने लगे, सरकार ने उन को जमीन अलाट नहीं की। उन्होंने किसी न किसी प्रकार से जमीन ली और मकान बना लिया। अब थक गये रिश्वत देते-देते भी थक गये। आ कर शाम को घर पहुंचते हैं तो जब पत्नी कहती हैं कि आज कोई इंस्पेक्टर नहीं आया तो वह समझता है कि आज किसी अच्छे आदमी का दर्शन किया था इसलिए कोई इंस्पेक्टर नहीं पहुंचा तोड़ने के लिए। आस्पैक्ट हैं। पहला आस्पैक्ट तो यह कि एक बहुत हाई पावर ज्यूडिशियल कमीशन अपाइण्ट किया जाय 1981 से ले कर अब तक का। उसे दो जगह के अलावा तीसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, जे. डी. ए. में जा कर बैठ जाय और लैण्ड कंवर्जन आफिसर के यहां जा कर बैठ जाय, दोनों जगह जा कर देख लें। कंवर्जन जिन का हुआ है वह कंवर्जन क्या वाजिब था, कंवर्जन जैसा भी हुआ है लेकिन क्या प्रोविजनल आर्डर पर आवासीय योजना बनाने की अनुमति दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती तो किन किन सोसाइटीज को दी गयी है ?

उपाध्यक्ष महोदय-इतना ही नहीं, इन सोसाइटीज ने तो बेइमानी इतनी की है कि एक सोसाइटी ने 18 स्कीम दे दीं आवासीय योजना की। एक स्कीम का कंवर्जन का पैसा जमा करा दिया और इस चालान की फोटो स्टेट कापी कराकर और 17 स्कीम के साथ लगा दीं। ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ी और गुलाब सिंहजी, सरकार की छाती को भी धन्य है इसने भी सहन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

श्री शोपत सिंह :+++

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द एक्सपंज किया जाय, असंसदीय है।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(138)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गलती कर गये, डेड बॉडी है यह है कहना चाहिए था ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : असंसदीय भाषा को निकाल दीजिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दोनों को निकलवा कर देखें, मैं कहता हूं यह गवर्नमैण्ट डैड बॉडी है । वही ऐसा सहन कर सकती है वर्ना कोई सहन नहीं कर सकता । प्रैक्टिकल डैड बॉडी है । इन्होंने तो कोई मजाक में कहा होगा, मैं कहता हूं कि प्रैक्टिकल डैड बॉडी है ।

श्री उपाध्यक्ष : शोपत सिंह और मजाक ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सदन की यह परम्परा रही है ।

श्री शोपत सिंह : मजाक नहीं करता गम्भीरता से कहता हूं, इन को छेड़ता हूं, कोई दम है क्या इन में कहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : वहां क्या देख रहे हैं, मेरी तरफ देखिये ।

श्री शोपत सिंह : वहां नहीं देखता, मेरी आदत नहीं है वहां देखने की ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले एक हाई पावर ज्यूडिशियल कमीशन बैठाया जाय जो इस बात की जांच करे कि रूल्स का वायोलेशन कहां-कहां हुआ है, मैंने जो 18 कानून गिनाये है उन कानूनों का वायोलेशन कहां-कहां हुआ । उन से यह भी लिया जाय कि प्लाट होल्डर के हित में इन कानूनों में क्या-क्या संशोधन किये जायं ताकि गरीब का शोषण नहीं हो और जिन लोगों ने मकान बना लिये हैं उन के मकान तोड़े नहीं जायं । आप में दम हो तो एक बात कहना चाहता हूं कि आज इस विधान सभा में घोषणा करदें कि हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटीज में नाम से या बेनाम से किन किन सरकारी अधिकारियों, राजनीतिज्ञों ने अपने प्लाट लिये हैं वह एक महीने के अन्दर इस की घोषणा करें ।

एक माननीय सदस्य : उस से क्या होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : होगा बहुत बड़ा । मैं नामी और बेनामी की बात कहता हूं । बेनामी अगर कहोगे तो प्रधान मन्त्री जी ने बेनामी सौदों के लिए, बेनामी कामों के लिए जो एक्ट बनाया है उस एक्ट में फंस जाओगे, और यदि नाम कहोगे तो आप को यह देखना पड़ेगा कि नाम कानून की अवहेलना करके आया है या कानून की पालना करते हुए आया है । इसलिये एक घोषणा मुख्य मन्त्रीजी कर दें या आप कर दें कि जिन सरकारी अधिकारियों ने नामी और बेनामी इन को-आपरेटिव सोसाइटीज की जमीनें ली हैं, कितनी ली है अपने नाम से ली हैं, अपने घर वालों के नाम से ली है, बच्चों के नाम से ली है और लैण्ड कनवर्जन रूल्स के अगेन्स्ट में ली हैं ? एक बात की जानकारी कर लें यह दो काम आप कर लें । ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करवा कर, ज्यूडशियल इन्क्वायरी सोसाइटीज के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है और सोसाइटीज ने जिन

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

लोगों को प्लाट्स अलाट कर दिये हैं उनके इन्टेरेस्ट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सकता है ? इन दोनों इश्यूज पर माननीय मन्त्री महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर दबाव पड़ेगा, चुनाव के दिन हैं....

श्री शोपत सिंह : नहीं, नहीं पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : दबाव पड़ेगा देखिये एक दिन के जवाब में, एक क्वेश्चन के जवाब में भीलवाड़ा की 3-3½ करोड़ रुपये की जमीन बच गयी..

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (नगर आयोजना मन्त्री) : वह कोई दबाव से थोड़े ही की हैं ..

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्वेश्चन नहीं जाता तो..

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : क्वेश्चन नहीं आने के पहले ही फैसला हो चुका था ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई बात नहीं है । आपने अच्छा काम किया, मैं तारीफ करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे भीलवाड़ा के मामले में आपने अच्छा काम किया इस सारे मामलों में भी आप अच्छा काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि इन दो बातों के अलावा एक निवेदन और आपसे करना चाहूंगा कि इस हाई पावर कमेटी अगर राज्य सरकार ने कोई समिति, उप समितियां यहां बनाने की बातें कर रखी है मुझे जानकारी है कि कौन सी समिति किस रुप में काम कर रही है, इस रूप को छोड़कर आप इस ज्यूडशियल कमीशन को सारे अधिकार दे दीजिये और अधिकार देने के बाद आपको जो वह सलाह दे, जो भी रिकमैण्डेशन्स करें, जो एडवाइस करें, उस एडवाइस को विधान सभा में रखे, चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद में करें। वरना यदि आपने कहीं रेगुलराइज कर दिया तो किसी न किसी के अन्तर्गत वह अलाटीज फंसे रहेंगे, उनके ऊपर यह तलवार लटकती रहेगी ।

तीसरी, आखिर में बात मैं कहना चाहता हूं कि इस सफेद हाथी खतम करो ; कोई आवश्यकता नहीं है जयपुर में जे. डी. ए. की, अरबन इम्पूवमेण्ट ट्रस्ट के रूप में काम करें । यह जे. डी. ए. जिस समय बनाया जिस सरकार ने बनाया उसकी भावना यह थी कि जे. डी. ए. के नाम से हम अपने हितों का संरक्षण करें और इसी आधार पर हितों का संरक्षण हुआ । जयपुर के आसपास के विधायक जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, 11-11 मील का क्षेत्र, कमलाजी यहां पर नहीं हैं, कमलाजी और हमने सब कमेटी बनायी, सुजानसिंह बैठे हैं, हां भरेंगे, 108 गांव हमने निकाल दिये लेकिन आज तक नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ । आज तक उन गरीबों का शोषण हो रहा है , मकान नहीं बना सकते, नाली नहीं बना सकते, कोई झरोखा नहीं बना सकते, छप्पर नहीं डाल सकते, जमीन बेच नहीं सकते और खरीद नहीं सकते । क्या मतलब है उन 108 गांवों का आपको शोषण करने का ? इसलिये मैं चाहूंगा कि अगर हिम्मत हो तो इस जे.डी.ए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को खतम कर दो, जे. डी. ए. खतम करके यू. आई. टी. को काम दे देओ। काम का बंटवारा कर देओ म्युनिसिपैलिटी के अन्दर और यू. आई टी. के अन्दर कर देओ तभी जाकर जयपुर की समस्याओं का समाधान होगा वरना जे. डी. ए. यह सफेद हाथी के रूप में जनता का शोषण करता रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिमोहन जी शर्मा। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : आज जे. डी. ए. में+ + +नियुक्त कर रखे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय जो गरीबों का शोषण करते हैं और पूंजीपतियों का पोषण करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

माननीय श्री हरिमोहन जी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नगर आयोजना और नगर पालिकाओं की डिमाण्डस पर चर्चा की जा रही है और इन डिमाण्ड्स पर पूर्व में बस्सी से आने वाले विधायक ने उसके बाद विपक्ष के नेता महोदय ने अपने विचार आपके सामने रखे। यह निर्विवाद है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा और आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिये कितने ही परिवर्तन राज्य सरकार को करने पड़ेंगे। आज काफी अरसे से नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं होने के कारण जड़ता पैदा हो गयी है और उस जड़ता के कारण जिन विकास कार्यों में नगर पालिकाओं के प्राथमिक कार्य जिन्हें हम निर्वहन कर पा रहे थे अब उन कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं।

सबसे पहले मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि जहां इन नगर पालिकाओं में प्रशासक काम कर रहे हैं उन प्रशासकों के काम करने के तरीकों में और जन-प्रतिनिधियों के काम करने के तरीके रात-दिन का अन्तर है। यह ठीक है कि इस वर्ष में क्योंकि आम चुनाव होने जा

(समय 3. 15 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

रहे हैं इसलिये ये चुनाव करवाये जाना प्राथमिक रूप से कोई सम्भव जरूर नहीं लगता है लेकिन फिर भी प्रशासकों को सहयोग करने के लिये कुछ जन-प्रतिनिधयों को भी बोर्ड में बैठा कर, सहयोग करने के लिये प्रशासकों के साथ एडवाइजरी बोर्ड के रूप में काम करे तो ज्यादा उपयुक्त कदम राज्य सरकार का होगा।

माननीय सभापति महोदय, यह भी एक विडम्बना है कि नगर पालिकाओं के जो स्वायत्त शासन विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हैं. जो स्वायत्त शासन का डाइरेक्ट्रेट है, जो निदेशालय है वह भी एक ऐसी स्थिति में है कि यहां पर जो अधिकारी विराजते हैं वह आर. ए. एस. आफिसर हैं और आर. ए. एस. ऑफिसर डाइरेक्टर हैं लोकल सेल्फ के और प्रशासक आई. ए. एस. आफिसर्स हैं। दूसरी ओर यू. आई. टीज में चैयरमेन हैं वह आई. ए. एस. ऑफिसर्स हैं, नगर

+ + +शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

पालिकाओं में प्रशासक हैं वह आई. ए. एस. ऑफिसर्स हैं, नगर परिषदों में प्रशासक आई. ए. एस. ऑफिसर्स हैं तो आप कल्पना कीजिये कि जिस नगर पालिका ...

श्री घनश्याम तिवाडी : कांग्रेस के लोगों को लगवा दो लेकिन मैं कहता हूं कि वोट डलवाओ वोट।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैंने सुना नहीं आप क्या कर रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाडी : मैं यह कह रहा हूं कि वोट फटकवाओ वोट। आप कांग्रेस के लोगों को लगाना चाहें तो कोई नहीं लगाने देगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : पंचायतों के चुनाव में बुरी तरह से हार गये नगर पालिकाओं के चुनाव में कैसे मुंह दिखायेंगे इसलिये नहीं करवा रहे हैं आम चुनाव हो रहे हैं नहीं तो करवा देते।

श्री घनश्याम तिवाडी : आप इन प्रशासकों को हटा कर कांग्रेस के लोगों को लगाना चाहते हैं, क्यों ?

श्री डूंगरराम पंवार : हां, यह इनको हटा कर खुद नोमिनेट होना चाहते है, यह सारी जलन इस बात की है कि इनको नोमिनेट नहीं किया।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आई. ए. एस. ऑफिसर्स के जो निर्णय होंगे उनको राजस्थान के लोकल सेल्फ के डाइरेक्टर में न तो बदलने की क्षमता है और इतना वह डरे हुए बैठे हैं कि कभी किसी न किसी दिन जो आई. ए. एस. ऑफिसर किसी नगर पालिका में, नगर परिषद् में प्रशासक हैं अगर लोकल सेल्फ का वह सेक्रेटरी बन गया तो उस आर. ए. एस. ऑफिसर की क्या दुर्गति होगी। तो सही बात होते हुए भी जो डाइरेक्टर इस संस्था में ठीक प्रकार से, निर्भीक रूप से डाइरेक्टरेट का काम नहीं चल पा रहा है जिसका मैन कारण है। ऐसी परिस्थिति में डाइरेक्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी एक सीनियर मोस्ट आई. ए. एस. ऑफिसर होना चाहिये। ताकि उसके नीचे जो दूसरे काम करने वाले हैं या उनके समकक्ष जो अधिकारीगण हैं उनकी बातों से अगर वह सहमत नहीं तो भी निर्भीकता के साथ अपना काम कर सके। इस प्रकार से निदेशक स्वायत्त शासन विभाग के पद के लिये महत्वपूर्ण संशोधन करके राज्य सरकार कदम उठाये और नियमों में यह प्रोविजन करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार गांवों में पहले एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के माध्यम से काम होता था और अब "जवाहर रोजगार योजना" के माध्यम से काम होता है। नगर पालिका क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को, आर्थिक स्तर से कमजोर हैं, जिनकी आय काफी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कम है, जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार उपलब्ध करवायें। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें केन्द्र सरकार और राजीवजी को प्रस्तुत करनी चाहियें कि जो "जवाहर रोजगार योजना" जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये हैं वैसे ही शहरों की नगर पालिकाओं को भी दी जाय ताकि शहरों में भी ऐसे लोगों को काम मिल जाय और विकास के काम हो सकें, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके, विकास को गति मिल सके और दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एक ओर साधन सम्पन्न लोग भूमि पर अतिक्रमण करके, भूमि को ऊंचे मूल्य पर खरीद कर कब्जा कर लेते हैं। यह सही है कि नगर पालिका क्षेत्र में जहां पर प्रशासक हो या नगर पालिकाओं के चेयरमैन हों, अगर नगरपालिकायें वृहत योजना बनाकर उन गरीब लोगों के लिये, उन अल्प आय वर्ग के लोगों के लिये, उन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये लोगों के लिये आवासीय भू-खण्ड की व्यवस्था करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, नगर पालिकाओं की ऐसी कोई योजना नहीं है, सोच नहीं हैं कि वह बढ़ती हुई आबादी के लिये इस प्रकार से व्यवस्था करे, इस प्रकार का प्लान बनाये और प्लान बनाकर उस की आबादी में परिवर्तित की गयी जमीन को आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुये लोगों को निर्धारित दर पर या उनको उचित मूल्य पर उपलब्ध करवायें और जब उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, इसकी योजना नहीं बनायी गयी है और आबादी को देखकर आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध करवाये गये हैं तो, माननीय सभापति महोदय, इससे उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, वह अतिक्रमण करते हैं, नगरपालिका क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण करते है, जबर्दस्ती बिना पैसे दिये हुये उस पर अपना मकान बनाते हैं, उस पर निवास करते है और जब वह निवास कर लेते हैं तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है हम आरम्भ करते है और प्रक्रिया की जा रही है वह सम्भव नहीं है एक लार्ज स्केल पर कानून तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ यह जनता के द्वारा चुनी गई सरकार इफेक्टिव रूप से काम कर सके और उन मकानों को तोड़ सके, यह असम्भव था और इसलिए नियमन प्रक्रिया आरम्भ करनी पड़ती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार आगे आने वाले वर्षों में उन लोगों के लिए एक निश्चित दर पर आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने की योजना बनाये ताकि अतिक्रमण नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपके सामने एक प्रश्न आया और माननीय विपक्ष के नेता महोदय, ने आपके सामने और इस सदन के सामने और सरकार से यह इच्छा व्यक्त की कि चुंगी की जो असमान दरें हैं राजस्थान में उनको समान किया जाना चाहिए। कहीं तोल पर और कहीं कीमत के आधार पर चुंगी लेकर के अलग-अलग स्थान पर जो व्यापार करने वाला वर्ग है। उनको अलग-अलग स्थानों पर यह असमान अलग-अलग दर होने के

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कारण गम्भीर नुकसान होता है। यह निर्विवाद सत्य है कि चुंगी की समान दरें राजस्थान में एक ही प्रकार की होनी चाहिए और अच्छा होता मैं इस बात को जब माननीय विपक्ष के नेता महोदय, को सरकार चलाने का अवसर मिला और वे राजस्थान के मुख्य मन्त्री बने, इस समस्या का समाधान करने का उनको अवसर मिला लेकिन वे चूक गये और तकलीफ भी जहां की तहां रह गयी। अच्छा होता, वे भी अपने समय में इन दोनों ही बातों में ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहुत कम समय मिला था। पांच साल मिलते तो शायद कर देते।

श्री हरिमोहन शर्मा : वह तो आपको अब उतना सा भी नहीं मिलने वाला है। चिन्ता ही चिन्ता अभिव्यक्त करने का समय आपके पास रहेगा। इसमें हम क्या करें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा निवेदन करना यह था कि इस समस्या का समाधान वे भी अगर करते तो ज्यादा अच्छा होता। उनको आज इतना न तो परेशान होना पड़ता और न नागरिकों की चिन्ता को दूर करने के लिए जो अवसर मिला था उन्हें उनका अगर वे सदुपयोग करते तो आज इन नागरिकों के प्रति जो सहानुभूति वे जता रहे हैं उनको ठीक प्रकार से वह अमल में लाते।

मैं इसी प्रकार यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका अधिनियम के तहत चुने हुए जो नगरपालिका के अध्यक्ष हैं उनको माननीय सभापति महोदय, पांच रुपये खर्च करने का वित्तीय अधिकार नहीं है। एक ओर हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को वहां बिठाते हैं और दूसरी ओर उनको पांच रुपये खर्च करने का भी वैधानिक अधिकार नहीं हो तो कैसी विडम्बना है और उसी नगर के अधिशासी अधिकारी को वित्तीय अधिकार है वह बिना चैयरमेन की राय लिए हुए, बिना चैयरमेन की स्वीकृति के अपने स्वविवेक से कुछ खर्च कर सकता है। अधिशासी अधिकारी को तो अधिकार है और चैयरमेन को वित्तीय अधिकार नहीं हो यह तर्क संगत नहीं लगता इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण बात पर भी सोचे और विचार करके उचित निर्णय लेने का कष्ट करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ग्रामों में पंचायत स्तर पर ग्रामीण पंचायतों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटित कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्प आय वर्ग वाले और एक साधारण व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो उनको निःशुल्क प्लाट अलाट किये जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह समाजवादी विचारों की सरकार है, गरीबों की पोषक है। कांग्रेस का नियम और सिद्धान्त है कि वह नीचे के वर्ग को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायेगी तो मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, आर्थिकदृष्टि

(श्री हरिमोहन शर्मा)

से पिछड़े हुए लोगों के लिए निश्चित दर पर रिहायसी भूखण्ड नगरपालिकाओं के क्षेत्र में आवंटित करें और समय -बद्ध कार्यक्रम बना कर के तीन महीने के अन्दर-अन्दर उन्हें यह प्लाट आवंटित करें तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान की यह सरकार गरीबों के हितों को चाहने वाली और आवश्यक कदम उठाकर हमारे इस दृष्टिकोण से सहमत होते हुए इस समस्या के समाधान करने का प्रयास करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि टाउनप्लानिंग विभाग के द्वारा मास्टर प्लान बनाये जाते हैं और मास्टर प्लान बनाने के बाद अन्तिम निर्णय करने या अन्तिम रूप से उनको स्वीकार करने तक वर्षों का समय लग जाता है और वर्षों के समय में उस मास्टर प्लान के अन्तर्गत ली गयी जमीन में इतने परिवर्तन हो जाते हैं कि उस मास्टर प्लान को एज-इट इज इम्प्लीमेंट करना इम्पोसिबिल हो जाता है और जब आप उसको अन्तिम रूप देते हैं तो जहां पर आपने आवासीय भूखण्डों के लिए वह स्थान आरक्षित किया वहां इण्डस्ट्रीज लग जाती है, जहां इण्डस्ट्रीज के लिए आपने आरक्षित किया वहां एजूकेशन इन्स्टीट्यूशन अपना काम कर लेती है, जहां ग्रीन बेल्ट आपने बताया उस ग्रीन बेल्ट में आपके दूसरे काम हो जाते हैं और जिस समय आप उसको अन्तिम रूप देने जाते हैं तो उस समय मास्टर प्लान में आमूल-चूल परिवर्तन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता और वह मास्टर प्लान वैसा का वैसा ही धरा रह जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रशासकीय प्रक्रिया में इतना विलम्ब होने के बाद लाखों रुपये हजारों रुपये खर्च होने के बाद जो मास्टर प्लान बनाये जाते हैं उनकी उपयुक्तता क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन मंत्रीजी से कि ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करें कि मास्टर प्लान बनने के बाद निर्धारित समय में उस प्लान को अन्तिम रूप दिया जाय। उसमें जो संशोधन करना है वह निर्धारित समय में कर दिया जाय ताकि आने वाले वर्ष में जो आपका प्लान है उसके अनुसार निर्माण कार्य हो सकें।

श्री डूंगरराम पंवार : स्वायत्त शासन या स्वार्थ शासन ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपका जवाब मैं तो दे नहीं सकता। के. सी. विश्नोई जी देते हैं, मेरे तो बस का रोग है नहीं।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार जयपुर के सम्बन्ध में जे. डी. ए. के सम्बन्ध में इन साढ़े चार साल में जो हम सदस्य के रूप में इस विधान सभा में बैठे हैं यह सारी बातें सुनते चले आ रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग की हर डिमाण्ड में यह सभी विचार वर्षों तक इन सभी चार साल में आपके सामने आते चले आ रहे हैं। अभी माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने इस सदन में यह कहा कि 370 को-आपरेटिव सोसायटीज हैं और 370

(श्री हरिमोहन शर्मा)

को-ग्रापरेटिव सोसायटीज में एक भी सोसायटीज ऐसी नहीं हैं जिसने लैण्ड का जैनुइन ट्रांसफर किया हो, नाट ए लिगल वन। यह ग्रारोप पक्ष के नेता महोदय ने ग्रभी यहां लगाया ग्रौर यह भी ग्रारोप लगाया कि ग्रनेक प्रकार से कानूनी संशोधन करने के कारण काफी नुकसान राज्य सरकार को हुग्रा है। हो सकता है कि कुछ सशोधन बाद में किये गये हों लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिन 370 को-ग्रापरेटिव सोसायटीज का एक भी ट्रान्जेक्शन वे जैनुइन नहीं मानते हैं तो एक प्रश्न है कि इन सोसायटीज का निर्माण कोई 81 के बाद तो हुग्रा नहीं है, 82 के बाद तो हुग्रा नहीं है। इन 370 सोसायटीज का निर्माण जिनका जैनुइन ट्रान्सफर वह नहीं मानते हैं ग्राज तक एक का भी वह गत 20-25 ग्रौर 30 साल से चला ग्रा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ग्रच्छा होता कि जिन लोगों ने जैनुइन ट्रान्सफर नहीं किये हैं, जिन्होंने फ्राड किया है. जिन्होंने चीटिंग की है ग्रौर जिन्होंने गरीब लोगों को परेशान किया तो वह भी कुछ ऐसे कदम उठाते कि जिन्होंने फ्राड किया है, जिन्होंने जैनुइन ट्रान्सफर नहीं किये हैं, जिन्होंने ब्लैकमैल किया है उन सोसायटीज के पदाधिकारियों को जेल भेजने का सुग्रवसर ग्रापको भी जनता ने दिया था। ग्रगर ग्राप उस ग्रवसर का उपयोग करते ग्रोर एक एक्जाम्पल क्रिएट करते कि फ्राड ट्रान्सफर करने वालों को जैनुइन ट्रान्सफर नहीं करने वालों को जिन्होंने सोसायटीज में गलत काम किया है, जिन्होंने चीटिंग की है उनके खिलाफ ग्रापके क्या कार्यवाही की तो सम्भव था इस सरकार के लिए भी एक उदाहरण के रूप में ग्रापका एक नतीजा सामने ग्राता लेकिन ग्रापको ग्रवसर मिला उस समय ग्रापने इन फ्राड करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, उस समय बेनामी ट्रान्सफर करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, उस समय गलत तरीकों से मकान बनाने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं की, उस समय ग्रापने किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया। मैं यह नहीं कहता, मेरा तर्क यह नहीं है कि ग्रापने नहीं उठाया तो यह सरकार भी नहीं उठाये। मेरे कहने का ग्रभिप्राय ग्रौर निवेदन यह है कि ग्रापको ग्रवसर मिला था धोखेबाज लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का, ग्रापको ग्रवसर मिला था जो फ्राड कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का, ग्रापको ग्रवसर मिला था गलत तरीके से जमीनें ट्रान्सफर की जा रही थी उनको दूर करने का। ग्रापने उस ग्रवसर का ग्रगर सदुपयोग किया होता तो बहुत ग्रधिक ग्रच्छा रहता लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी मैं ग्रापके माध्यम से राज्य सरकार से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं वह कोई ऐसा रास्ता निकाल जे. डी. ए. के मामले में जयपुर की सोसायटीज की प्रोब्लम्स के मामले में इन सारी बातों पर साढ़े चार साल में विचार कर रहे हैं। कोई ऐसा कान्क्रीट सुझाव माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने ग्रापके सामने बहुत से विचार रखे, जो उनका ग्रधिकार है उसके तहत ग्रालोचना भी की, जो उनको कहने का ग्रधिकार है उस दृष्टिकोण से उन्होंने ग्रपनी बात भी की लेकिन मैं बहुत गौर से उनके विचारों को सुन रहा था ग्रौर इस बात के इन्तजार में था कि शायद इस इतनी पुरानी बूढ़ी

146

(श्री हरिमोहन शर्मा)

समस्या का समाधान करने के लिये कोई महत्वपूर्ण सुझाव विपक्ष के नेता महोदय देने वाले हैं, देने वाले हैं और देंगे । माननीय विपक्ष के नेता महोदय अगर सुझाव देते, इस किये गये भ्रष्टाचार को इस अनियमित स्थानान्तरण को, इन बने हुए मकानों को तोड़ने के लिए तो वे खुद भी कहते हैं । उन्होंने बहुत बारीकी से दो भागों में अपनी बात को कहा कि जिन लोगों ने फ्राड ट्रान्सफर किया है उनका अलग कानून बने और जिन लोगों ने इसको खरीदा है उनके लिए अलग कानून होना चाहिये । क्योंकि गलत ट्रान्सफर हो गये तो भी व्यापक रूप से जयपुर में बने हुए हैं, इल्लीगल रूप से जो निर्माण काम हो गया, जो बिना इजाजत के निर्माण काम हो गया, जो अवैधानिक कालोनियां बन गई, जो काम हो गये, उनको तो अब ये न तोड़ सकते हैं और न कोई तुड़वा सकता है । इसलिए उनको तो सहानुभूति अर्जित करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है । इसलिए तोड़ा भी नहीं जाना चाहिये और गलत काम किया उसको सजा भी दी जानी चाहिए इन सब बातों पर राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए । यह सही है कि अनेकों बार समितियां बनी....

श्री दीनबन्धु वर्मा : एक सेकिण्ड । सभापति महोदय, मैं अपने साथी माननीय हरिमोहनजी की बात के बारे में कह रहा हूं कि जे. डी. ए. के सम्बन्ध में जो भी समस्या का निदान विपक्ष के नेता माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने सुझाया जैसे ज्यूडिशियल एन्क्वायरी का मैं सोचता हूं कि इसका इसके सिवाय कोई सोल्यूशन नहीं है । ओवरऑल प्रस्पेक्टिव में इस जे. डी. ए. की सारी सिच्युएशन को देखना पड़ेगा और इससे बेहतर कोई सुझाव आपके पास हो तो वह आप बतायें ।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं अपनी बात पर आ रहा हूं । इतनी योग्यता तो नहीं है फिर भी प्रयास कर रहा हूं आपके कहने से । जो सुझाव आया ज्यूडिशियल एन्क्वायरी का, उसका जो दायरा है एन्क्वायरी का वह आपके और आपके हिसाब से यह है कि 81 से लेकर अब तक किस प्रकार के फ्राडूलेन्ट ट्रान्सफर्स हुए, कौनसे कानून ऐसे बने, जिनसे कि से राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया । केवल ज्यूडिशियल एन्क्वायरी इस बात की है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ज्यूडिशियल एन्क्वायरी तो आप करवालो और यह भी आप तय करवालो कि यह दोषी हैं । मैं यह कहता हूं कि दोषी होने के बाद, ज्युडिशियल एन्क्वायरी के निर्णय के बाद क्या और हम इन मकानों को तुड़वा सकते हैं, कोई इन मकानों को डिसमेण्टल करवा सकते हैं जो हजारों की संख्या में बन गये । क्या उन कच्ची बस्तियों को आप और हम हटा सकते हैं ? जब हटा नहीं सकते तो आपको व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आना पड़ेगा । इन लोगों ने फ्राडूलेन्ट ट्रान्सफर्स किए, कानून के दायरे में जिनको सजा दी जा सकती है उनके लिए तो आपकी ज्युडिशियल एन्क्वायरी कामयाब हो सकती है । उन लोगों को जेल भेजने के लिए आपको कामयाबी मिल सकती है । लेकिन जिन लोगों ने मकान बना लिये, इस सारे घटनाक्रम के बाद हजारों और लाखों की संख्या में आदमी वहां निवास करते हैं तो सोचना तो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आप और हमको यह पड़ेगा कि इन लोगों को कैसे नियमित किया जाय ? इसलिए आपका और हमारा सुझाव इन सारे घटनाक्रम के बाद भी व्यावहारिक रूप में यह होगा इन सारे घटनाक्रम से निकलते हुए इन लोगों को नियमित कैसे करें, इस समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करें, इस बात पर विचार होना चाहिए और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार खुद सक्षम है लेकिन विपक्ष के नेता भी चाहे भारतीय जनता पार्टी से हों, चाहे जनता दल के हों, चाहे निर्दलीय में से हों, सब लोग बैठें और इनसे भी सुझाव मागें कि किस तरह से हो सकता है और इस समस्या के समाधान के लिए हर साल करोड़ों रुपया हम इस विधान सभा में इस समस्या की बहस में, इस समस्या पर विचार करने में खर्च कर रहे हैं और सरकार को भी मुक्ति मिले, वह भी बचे, गरीब लोगों को राहत भी मिले और इस समस्या के लिए हम कोई कन्स्ट्रक्टिव कदम उठायें, यह मेरा सरकार से निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे परिप्रेक्षय में राज्य सरकार गम्भीरता से सोचकर इस समस्या का निराकरण करने में, इन समस्याओं का समाधान करने में कार्य करेगी, इसी आशा और विश्वास के साथ आपने समय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मानिकचन्दजी सुराना।

श्री डूंगरराम पंवार : सभापति महोदय, कब्जा तो करवा दो।

श्री मानिकचन्द सुराना : क्या सुझाव दिया ?

श्री सभापति : माननीय सभापति महोदय, बीच-बीच मे क्या बोलते रहते हैं। what is this running commentary

श्री नारायणराम बेड़ा : गलत तो नहीं कहा है, कब्जा तो वैसे कर ही रखा है। इनके बिना कहे ही यह कह रहे हैं।

श्री सभापति : मैं नाम पुकार चुका हूं माननीय सुराना साहब का, वह बोलेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराना : सभापति महोदय, इस नगरीय विकास और आवास पर इस सदन में प्रतिवर्ष एक बार पिछले दो तीन सालों से चर्चाएं हुई हैं और चर्चाओं के अन्दर यह बात अनेकों बार इस सदन में उठी हैं कि राज्य सरकार ने सन् 81 के कृषि नियमन के नियमों के तहत जो तीस करोड़ रुपया कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने के लिए लिया उनके तहत् हजारों लोगों की, जिनकी संख्या करीब तीस हजार है, उनको आवास नियमों के तहत पट्टे आज तक क्यों नहीं मिल रहे और यह जो सवाल है कि तीस करोड़ रूपया राज्य सरकार सन् 81 से अपने कोष में दबाये बैठी है और इन तीस हजार लोगों को पट्टे से महरूम रख रही है। मैं समझता हूं कि कई आवासन और नगरीय विकास मंत्री आ गये और चले गये लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे नहीं निकला। सभापति महोदय, अभी यह सुझाव आया कि आपने पांच साल चर्चा कर ली अब ज्यूडिशियल कमीशन बना दिया जाय। और उसका समर्थन कई हां पक्ष के महत्वपूर्ण विधायकों ने भी किया। मैं यह निवेदन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

करना चाहता हूं, कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार में कानून की समझ नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। न तो इनको कानून का पस्पेक्टिव इनका कानून मन्त्री कुछ कानून समझता है और मुझे अफसोस के साथ यह भी कहना पड़ता है कि यह जो कानून के विधि पद पर जो भी ऊंचे लोग हैं शीर्षस्थ लोग बैठे हैं, जिनका कानून का रोज का ताल्लुक रहा है वह भी राज्य सरकार को या तो कोई दिशा देने में समर्थ नहीं रहे और राज्य सरकार जानबूझकर उनकी दिशा को स्वीकार करने में कुछ राजनीतिक कन्सीडरेशन से असमर्थ रही है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप तीस हजार लोगों पर कृपा मत करिये, आप लीज का पटटा मत दीजिये। आप उन तीस हजार आदमियों को रुपये रिफण्ड कर दीजिये। मकान कितने टूटेंगे कितने नहीं टूटेंगे मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, मकान जो बन गये वह वहां पर खड़े हैं। विरोधी पक्ष के नेता ने भी कहा कि यह एडविजेबल नहीं हो और यह सही भी है कि एडविजेबल नहीं है अपोजीशन के लिए, भी हम यह कहें कि उनको तोड़ दीजिए। पट्टा आप देंगे नहीं, मकान टूट सकते नहीं, पर वह रुपया रिफण्ड कर दीजिये क्योंकि आप लीज डीड देने से इन्कार कर रहे हैं और लीज डीड देने में आपकी इन्कारी की वजह क्या है? अफसोस इस बात का है सभापति महोदय, कि राज्य सरकार ने सन् 81 में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलाटमेंट कंवर्जन के रूल्स निकाले। कृषि भूमि से आबादी में परिवर्तन करने के नियम निकाले। 82 में इन्होंने कृषि भूमि को एग्जम्प्स कर दिया, 19 अक्टूबर, 82 को। जिसका जिक्र अभी विपक्ष के नेता ने किया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आपने एक आदेश से कृषि भूमियों को समस्त रुप से जो जयपुर, जोधपुर, अजमेर कोटा उदयपुर, और बीकानेर इनमें जो स्थिति थी, जब आपने उनको एग्जम्प्ट कर दिया, आप चार साल बाद किस मुंह से यह कहने की हिम्मत रखते हैं कि वह एग्जेम्प्ट नहीं मानी जायेगी सरकार है कोई तमाशा है। आखिर चार साल तक आपके उस नोटिफिकेशन पर और आज तक पच्चीसों फैसले हो गये, सैंकड़ों फैसले हो गये, ट्रान्जक्शनस हो गये, आपने जब यह कहा कि एग्जम्प्ट है, उसके पहले भी हुए और उसके बाद भी हुए उनकी वजह से नागरिकों ने राज्य सरकार की विज्ञप्ति पर भरोसा करके कि एग्रीकल्चरल लैण्ड एग्जम्प्टेड है, यदि कुछ ट्रान्जेक्शन कर लिये लोगों ने, भूमि आवंटन ले लिया, चाहे वह सहकारी समितियों से लिया या प्राइवेट व्यक्तियों से ले लिये। मैं नगरीय विकास मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार को साढे चार साल बाद में उस नोटिफिकेशन को विथड्रा करने का अधिकार क्या है, उसकी प्रोप्रायोरिटी क्या है, उसकी लीगेलिटी क्या है आपके नोटिफिकेशन की? आपको किसने सलाह दी? कि 1982 में मुख्यमन्त्री श्री शिवचरणजी माथुर थे, 85 में जिस वक्त में यह एग्जम्प्शन विथड्रा किया गया, 22 जुलाई, 85 को, मुख्यमन्त्री, श्री हरिदेव जी जोशी आ गये और अब जब वापिस श्री शिवचरणजी माथुर आये हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कि यह जो गलत प्रक्रियाओं से नोटिफिकेशन विथड्रा किये है 19 अक्टूबर 82 के

(श्री माणिक चन्द सुराना)

नोटिफिकेशन के विपरीत में, राज्य सरकार ने जितनी विज्ञप्तियां जारी की हैं वह सारी की सारी विज्ञप्तियों को विथड्रा करने की मैं मांग, राजस्थान के हजारों-लाखों लोग जिन्होंने इन विज्ञप्तियों के भरोसे जमीनों के ट्रान्जक्शन किये कृषि भूमि के, मैं उनकी तरफ से और यह जो आवास बने हैं उनका जल्दी से जल्दी नियमितिकरण हो इस आधार पर यह मांग करता हूं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 22-7-85 को यह कहा था कि ट्रान्सफर यदि हो गया, ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, आपने तो यह कहा था 19-10-82 को कि यदि यह इकरारनामा हो गया, सहकारी समिति का कब्जा हो गया, किसी का भी, फिर आपने 22 जुलाई को रेसट्रिक्ट कैसे कर दिया, ? यह रेसट्रिक्शन आप नहीं कर सकते। जन हित में नहीं है और यदि जन हित में हैं तो फिर आपका 16 अक्टूबर, 1982 का जो नोटिफिकेशन है, उसके लिए आपके पास रास्ता क्या है, ? आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा हूं कि सहकारी समितियों की भूमि के बारे में हमने अनेकों सवाल यहां उठाये राज्य सरकार ने कमेटी बनाई, हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर उसके मेम्बर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर उसके मेम्बर थे, माननीय राम किशन जी वर्मा उसके मेम्बर थे, हमने कई बार जानकारी करने की कोशिश की कि इस कमेटी में क्या पक रहा है। कुछ पता ही नहीं चला और जब पता चला तो यह पता चला कि सीलिंग से ऊपर जो जमीनें है, क्योंकि राज्य सरकार तो 22 जुलाई, 85 के नोटिफिकेशन से चल रही है कि कोई भी कृषि भूमियां जिनका ट्रान्सफर नहीं हुआ, वह सरप्लस नहीं होगी। इसलिए आज यह जितने भी 30 हजार प्रार्थी है। जयपुर में खास तौर से, कृषि भूमि के नियमन की दरख्वास्तें दी हैं आखरी स्टेज में आता है प्रोविजिनल नक्शा उसका पास हो जाता है, प्रोविजिनल कंवर्जन हो जाता है ..

(समय 3.42 म. प.)

(श्री राम चन्द्र जाट, सभापति पदासीन)

उसके बाद आप उससे कहते हैं जब आप अरबन सीलिंग अधिकारी से अलसर की एन . ओ . सी . ले आइये यानि अलसर में यह भूमि नहीं हैं इस बात का आदेश, इस बात का निर्णय, इस बात का जजमेंट आप अलसर से लाइये। यह 22 जुलाई, का आपका नोटिफिकेशन है। मैं यह पूछना चाहता हूं नगरीय विकास मन्त्री जी से यह अलसर का आर्डर कैसे आयेगा ? अलसर का आर्डर आते हैं, माननीय मंत्री जी यदि वह जयपुर नगर की सीमा में है तो उसकी रेट है 50 रुपये गज, और यदि वह शहर की चार दीवारी से बाहर है तो उसकी भी कुछ रेट है। उन रेटों से आपको जानकारी जरूर होगी। अलसर के आर्डर आ सकते हैं बशर्ते कि वह प्रार्थी और खातेदार है वह उसका पेमेंट करे और गृह निर्माण सहकारी समितियां, खाते दार कोई और था, इन्होंने हजारों पट्टे बांट दिये, यह क्यों उनके पीछे फिरेंगे कि अलसर का आर्डर होता हैं या नहीं होता है। कोई सहकारी समिति की परवाह नहीं है कि अलसर का एक्जम्पशन आर्डर अलसर का अधिकारी देता है या नहीं देता हैं क्योंकि उन्होंने रुपए बटोर

(152)

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लिये, लोग वहां जमीन पर बैठे हैं। उन्होंने अधिकृत या अनाधिकृत रुप से मकान बना लिये, अरबन का आर्डर आ नहीं सकता और इसलिये नतीजा यह है कि 30 हजार पट्टे 30 करोड़ रुपए के एवज में जो जारी होने हैं 30 हजार लोगों को वह आज तक जारी नहीं हो रहे हैं। और उन पट्टों के जारी न होने के कारण, डवलपमेंट चार्ज पैराफैरी चार्ज 28 रुपए गज का जिसको आप बढ़ाने की भी सोच रहे है, वह 28 रुपए गज का डवलपमेंट चार्ज नहीं आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार कहती है कि रास्ता क्या है ? रास्ता बताने का काम तो हमारा नहीं है, सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री जी.., गृह मन्त्री का नाम बार-बार आ जाता हैं क्योंकि गृह मन्त्री रहे हैं नगरीय विकास मन्त्री काफी लम्बे अर्से रहे और पता नहीं क्यों दिल्ली वालों ने इनको हटाया और फिर तत्काल नगरों के विकास के लिये ले आये। पुरानी याद हैं इसलिये गृह मन्त्री निकल आता है, इसको आप नगरीय विकास मन्त्री ही समझें।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अरबन लैण्ड सीलिंग एण्ड रेगूलेशन एक्ट, 1976 की धारा 19 की उप धारा (2) और उसके प्रोवीजन की तरफ आकर्षित करता हूं। सभापति महोदय, मैं उस प्रोवीजन को ही पढ़ता हूं:—

"provided that where any vacant land, which is in possession of such authority, institution or organisation but owned by any other person, is declared as excess vacant land under this Chapter such authority, institution or organisation shall, not withstanding anything contained in any of the foregoing provisions of this Chapter continue to possess such land under the State Government on the same terms and conditions subject to which it possessed such land immediately before such declaration."

सभापति महोदय, इस आथॉरिटी इन्स्टीट्यूशन आर्गेनाइजेशन में इस धारा 19 में सहकारी समिति भी आती है। सहकारी समिति, धारा 19 अरबन एक्ट की एक आर्गेनाइजेशन, एक आथारिटी और पर्सन की तारीफ में आती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब भारत सरकार का कानून यह कहता है कि जिस व्यक्ति, जिस खातेदार के पास वह जमीन थी उसकी यदि सरप्लस भी घोषित हुई तो जो परसन जो अथारिटी इसमें मेन्शन है सैक्शन 19 में जिसमें एक राजस्थान सरकार भी हैं, भारत सरकार भी है और सहकारी समिति भी है यदि सहकारी समिति के द्वारा वह भूमि कब्जे में है तो सहकारी समिति उस भूमि को उन्हीं शर्तों पर जिसके तहत वह ओरिजनल व्यक्ति के नीचे होल्ड करती थी, होल्ड करेगी। मैं समझता हूं कि जब प्रावधान इतना स्पष्ट है अरबन एक्ट का उद्देश्य ही यही था कि हजारों लोगों में जमीन बंट जाये और सहकारी

(श्री माणिक चन्द सुराणा)

समिति के हाथ से कोई जमीन सरप्लस नहीं होगी, वह उसके कब्जे में रहेगी लेकिन सहकारी समिति के पास उन टर्म्स और कन्डीशन्स में कब्जे में रहेगी जो टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स उसके असल मालिक से थीं। सहकारी समिति ने जमीन खरीदी दस रुपए गज, सहकारी समिति ने जमीन खरीदी 20 रुपए गज, सहकारी समिति ने जमीन खरीदी 30 रुपए गज, जिस दिन अल्सर एक्ट में ओरिजनल खातेदार की सरप्लस होगी, राज्य सरकार उस सहकारी समिति से दस रुपए गज, बीस रुपए गज, 30 रुपए गज, वसूल करने का अधिकार रखती है। मैं नगरीय विकास मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि आज तक इस सदन में भी यह मांग नहीं उठी कि आप उन सरकारी समितियों से वह रुपए वसूल करिये, जो इकरारनामा उन्होंने असल मालिकों से कर रखा है। जितना रुपया उन्होंने असल मालिकों को दिया है चाहे कैमोफलेज करके बाद के, एन्टीडेटेड या प्री-डेटेड करके भी दिया है लेकिन उतना रुपया राज्य सरकार उनसे वसूल करने की आज भी अधिकारी है और यह जो 250, 300 सहकारी समितियां हैं उनसे यदि वसूली होगी तो कितनी होगी? इनसे वसूली होगी 100 करोड़ से ऊपर जयपुर की सहकारी समितियों से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौन से अल्सर एक्ट का झगड़ा, कौन से अल्सर के आथोरिटी के निर्णय का झगड़ा, भारत सरकार का कानून साफ है। वह रुपया आप इन समितियों से वसूल करिये और उन सब जितने भी लोगों ने एग्रीमेंट टू सैल इन सहकारी समितियों से किये हैं उन सब की जमीनों का नियमन करिये, लीज डीड जारी करिये सन् 1981 के नियमों के तहत। जो 99 साल का पट्टा राज्य सरकार को देना है वह आप जारी करिये और जारी करके आप उन तीस हजार लोगों को राहत देकर जयपुर शहर के ही पचासो हजार लोग जो आज दरख्वास्त नहीं दे रहे हैं नियमन की कृषि भूमि से परिवर्तित कराने की, वह जो पचासो हजार लोग वेट कर रहे है उनको भी मौका दीजिये कि लाइन में आयें। सहकारी समिति के बराबर का मूल्य आप वसूल करें नं. एक, 28 रुपए गज, डैवलपमेंट और पैराफैरी चार्ज आप वसूल करें नं. दो। और इस तरीके से जितने भी मामले आपके विभागों ने अटका रखे है, जे. डी. ए. ने अटका रखें हैं, कानून की समझ के विपरीत सारी कार्यवाही करके अपने जो अटका रखें हैं उनको आप तत्काल रीलीज करिये और रीलीज करने से जयपुर शहर अकेले से राज्य कोष में कम से कम 150 करोड़ रुपये की वसूली होगी और पचासों हजार लोगों को मकान बनाने का विधिवत एक मौका जयपुर में और जयपुर के अलावा जो दूसरे बडे शहर हैं पांच-जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर इन सब शहरों में वह सारा मौका मिलेगा। एक्ट तो सन् 1976 का है मैं यह पूछना चाहता हूं कि कई विधि मन्त्री आये, अभी भी विधि मन्त्री हैं रघुनाथ जी बिश्नोई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कि सैक्शन 19 की उप धारा (2) के प्रोविजों की तरफ राज्य सरकार का ध्यान क्यों नहीं आकर्षित हुआ और आकर्षित नहीं हुआ तो क्या आप किसी भी विधि सचिव से या उनके नीचे के किसी बडे लीगल रीमेम्बरेन्सर को कोई भी चार्ज सीट देने की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हिम्मत रखते हैं ? आपके कानून के बड़े बड़े विभाग बने हुए हैं, जयपुर विकास प्राधिकरण में भी कानूनी सैल और कितने ही सैल बना दिये और राम किशन जी वर्मा को इतनी फैन्सी हुई कि उन्होंने एक कमरा अपने लिये बनवाया था जयपुर विकास प्राधिकरण में वह जाते भी थे, बैठते भी थे।

एक माननीय सदस्य : शक्तावत जी के लिये बनवाया।

श्री मानिक चन्द सुराना : अच्छा शक्तावतजी के लिये बनवाया। खैर, वह जाते भी थे उसमें बैठते भी थे।

एक माननीय सदस्य : दरबार लगाते थे।

श्री मानिक चन्द सुराना : खैर, दरबार .. और दरबार लगाते श्री रामकिशन जी वर्मा ने क्या किया ? उन्होंने अमरुदों का बाग जिसके लिये माननीय विपक्ष के नेता ने कहा, सभापति महोदय, उन्होंने एक कोटा की सहकारी समिति को इस अमरुदों का बाग जिसके लिये हरिदेव जोशी ने जब पत्र लिखा, 30 लाख रुपये का सौदा हुआ है, तो तीन दिन पहले ही जे. डी. ए. में उस सहकारी समिति से दरख्वास्त दिला दी थी कि हम इस लैण्ड को कन्वर्जन कराने में रुचि नहीं रखते है, उसी अमरुदों के बाग को कोटा की सहकारी समिति को एक बाउण्डरी वाल बनाने की परमीशन दे दी या नहीं दी। दी है न। तथ्य गलत तो नहीं है। इन्होंने परमीशन दे दी। अब सभापति महोदय, जब भूतपूर्व मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी ने पत्र लिख कर विपक्ष के नेता को कहा कि यह भूमि सरकार में निहित है और इसका कोई आवासीय नक्शा, आवासीय निर्माण करने की मन्जूरी नहीं दी जायेगी। वह पत्र है 86 का, विपक्ष के नेता को पत्र मिला है 20.11.86 का और आपने परमीशन अब पिछले दिनों दी है जब यह नगरीय विकास मन्त्री थे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के वर्सन को एक केबिनेट मिनिस्टर चेन्ज कर सकता है ? जब यह अमरुदों का बाग राज्य सरकार में निहित है राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड लैण्ड ओनर्स एक्ट के तहत, जब यह सरप्लस घोषित हो चुका है, जिसके लिए महाराजा भवानीसिंह ने यह लिख कर दे दिया अल्सर एक्ट के नीचे हां, यह मेरी सम्पति है और यह मैं सरण्डर कर रहा हूं। उन्होंने किसी सहकारी समिति का जिक्र नहीं किया था और उक्त जब उन्होंने अल्सर एक्ट में रिटर्न फाइल की थी। आपने जब महाराजा भवानी सिंह के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराई थी तो आपका यह चार्ज था कि महाराजा भवानी सिंह ने अल्सर एक्ट में यह बात डिस्क्लोज नहीं की। ठीक इसके विपरीत एक फर्जी इकरारनामा बताया इसलिये उनके खिलाफ एक मुकदमा चलाया जाये। महाराजा भवानी सिंह पर फोर्जरी डाक्यूमेन्ट का मामला बनाया और एफ. आई. आर दर्ज करा दी। इस एफ. आई. आर. से राज्य सरकार क्या चाहती है एक एस. एच. ओ. गरीब थानेदार क्या वह महाराजा भवानी सिंह के खिलाफ कोग्नीजेंस लेगा। इनका परपज यह था कि एफ. आई. आर. दर्ज कराकर अपनी गली निकालें। उस वक्त भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने गली निकाली कि वे

(श्री मानिकचन्द सुराना)

तो बचें । महाराजा के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज हो गई । अब पिछले दिनों महाराजा भवानी सिंह का बयान आया कि उन्होंने अपनी सेवाएं श्रीमान राजीव गांधी को, कांग्रेस (आई) के लिये अर्पित कर दी हैं और जयपुर की लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने सेवाएं अर्पित की हैं । मुझे सख्त अफसोस है, सभापति महोदय, यह सेवाएं अर्पित हो चुकी हैं । मैं पूछना चाहता हूं नगरीय विकास मन्त्रीजी से कि इस एफ. आई. आर. का क्या होगा ? क्योंकि महाराजा भवानीसिंह ने सेवाएं अर्पित कर दी हैं इसलिये क्या इस एफ. आई. आर. में एफ. आर. लग चुकी है या लगेगी ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरेण्डर कर दिया है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस (आई) की नजर भी महाराजाओं की तरफ है और मुझे अफसोस है ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ज्यादातर आपकी नजर है । आपके दल के नेता कई बार राजा महाराजाओं से मिलते हैं । कल भी मिले थे और मिलते रहे हैं ।

श्री दिग्विजय सिंह : आप कैसे कह रहे है ? आप साथ थे क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं आथेटिक बात कहता हूं, अनर्गल बात नहीं कहता हूं ।

श्री दिग्विजय सिंह : हो सकता है उदयपुर के महाराणा से मिलाने के लिये आप ले गये हों ?

श्री हरिमोहन शर्मा : महारानी गायत्री देवी से तो मिल चुके हो, इसमें तो विवाद नहीं है ।

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो आपसे पहले है राजनीति में तब आप नहीं थे ।

श्री मानिकचन्द सुराना : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक पार्टियों की 1989 से नजर किसी खास लीडर पर नहीं बल्कि महाराजाओं पर है । मुझे अफसोस है इस बात का कि आज राजस्थान की महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टियां भी इस क्यू में हैं कि हम उदयपुर के दरबार में हाजिर हों । मैं छिपाना नहीं चाहता हूं । मुझे इस बात पर अफसोस है, कि कांग्रेस (आई) की इन हरकतों पर अफसोस है, वहां पर मुझे इस बात पर सख्त एतराज है कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं की नजर महाराजा जोधपुर और उदयपुर पर है । मैं कहना चाहता हूं कि चाहे आप इधर बैठें या उधर बैठें, यह महाराजाओं की आड़ में चाहे आप एक पार्लियामेन्ट सीट जीत लें, चाहे हम दूसरी सीट जीत लें लेकिन इन जुल्म करने वालों को कोई सरकार बख्शेगी ? आप इस कम्पिटिशन की शुरूआत कर रहे हैं जो कुछ मैंने कहा है उससे अधिक कहना क्या बाकी है ? मैं कहना चाहता हूं श्री माधवसिंह दीवान से, श्री अशोक गहलोत से जो हमारे गृह मंत्री हैं, क्योंकि आपके श्री राजीव गांधी से नजदीकी ताल्लुक हैं, यह जो गलत दिशा में कांग्रेस (आई) जा रही है उसे रोकने की कोशिश करें । यदि संभव हो तो रोकने की कोशिश करें और जयपुर से यदि आपका ख्याल यह हो . .

श्री माधवसिंह दीवान : जनता दल के अध्यक्ष के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

श्री मानिकचन्द सुराना : जनता दल तो उनको नहीं बनायेगा। आपकी दरख्वास्त पड़ी है। महाराजा उदयपुर की प्रापर्टी, गैर कानूनी तरीके से श्री अरविन्द सिंह को दिला दी। आपने परसों की मीटिंग में वादा किया है कि गैर कानूनी सम्पत्ति वापिस महाराजा महेन्द्रसिंह को दिलायेंगे। पता नहीं कितनी सौदेबाजियां आपकी चल रही है। और महाराजा जोधपुर से भी पता नहीं क्या-क्या सौदे कर रहे हैं। जितने सौदे हो रहे हैं, वह सबके सब लाखों मीटर जमीन अरबन सीलिंग से बचाने के बहाने हो रहे हैं। मैं यह साफ तौर से कांग्रेस (आई) सरकार पर चार्ज लगाना चाहता हूं। अन्यथा क्या वजह थी, सभापति महोदय, कि मेरे द्वारा निरन्तर रूप से इस सदन में जयपुर की 20 लाख मीटर जमीन महाराजा भवानीसिंह और राजमाता गायत्री देवी और उनके परिवार के लोगों के सवाल को अकेले उठाते रहने के बावजूद आपकी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि आप उनकी जमीन को सरप्लस घोषित कर दें। आपने जोधपुर के महाराजा की जमीन सरप्लस घोषित की है अरबन एक्ट में ? उदयपुर में अरबन सीलिंग का कानून नहीं है। उदयपुर वाले पुश्तैनी सम्पत्ति के विवाद में आपके चक्कर में पड़ेंगे तो पड़ेंगे लेकिन जोधपुर और जयपुर पर आपकी निगाह है। 20 लाख मीटर जमीन का जयपुर से सौदा करके और जोधपुर से 6 लाख मीटर बहुमूल्य जमीन का सौदा करके आप जयपुर और जोधपुर के घरानों को फांस रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी इस सरकार को दिशा निर्देश सही रूप से राजस्थान की आम जनता के हक में, गरीब जो एक टुकड़ा 200 गज, 250 गज का चाहता है। यदि आप वाकई में उन्हें जमीन देना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके बड़े से बड़े लीगल एक्सपर्ट्स को हम लोगों के साथ में बिठाइये, एक महीने में रास्ता निकालेंगे इन सब जमीनों को पांच रुपये मीटर में अवाप्त करने का। लेकिन आप में आपकी सरकार में यह पालिटिकल विल मर चुकी है माननीय गहलोत साहब और माननीय दीवान साहब इस पालिटिकल को हमारी विल से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मैं यह चार्ज लगाना चाहता हूं कि इस सरकार की कोई पालिटिकल विल राजाओं की सरप्लस भूमि अरबन एक्ट के नीचे और लैण्ड आनर्स एक्ट के नीचे एक्वायर करने की नहीं है। यदि वह विल है तो आज भी पांच रुपये मीटर में बीस लाख मीटर जमीन महाराजा जयपुर की और 6 लाख मीटर जमीन जोधपुर महाराजा की उपलब्ध है।

(समय-समाप्ति-सूचकघण्टी)

सभापति महोदय, मैंने राजाओं की भूमि का जिक्र किया। मुझे अफसोस इस बात का है कि या तो भूतपूर्व लोग शासन में रहे हों या फिर कोई दिल्ली में शासन में हो तो बलदेव प्लाजा बन जाये। बलदेव प्लाजा की कहानी इस सदन में पहले आ चुकी है और माननीय श्री रामकिशनजी वर्मा उसका उत्तर भी दे चुके हैं। उन्होंने उत्तर यह दिया है कि बराबर जे. डी. ए. के अधिकारी भेजते रहे, कुछ तोड़ते भी रहे और बलदेव प्लाजा का निर्माण होता रहा। आपकी गवर्नमेन्ट की एफीशियेन्सी कितनी है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अफसर भेजते रहे, कुछ तोड़ने का प्रयत्न करते रहे और बलदेव प्लाजा बनता रहा। बलदेव प्लाजा बनता रहा क्योंकि आपकी सरकार में ऐक ही इन्स्टान्स है। बलदेव प्लाजा किसका है, यह सम्पत्ति किसकी है ? यह छिपाने की बात नहीं है। यह कोई छिपा हुआ नहीं है राजस्थान के आम लोगों से कि यह सम्पत्ति किसकी है। बलदेव प्लाजा किस तरह बन गया। आपने एक गजट नोटिफिकेशन जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। आपने कहा कि यह एग्रीकल्चर लैण्ड आवासीय परपज में कन्वर्ट की जाती और इसको अल्सर एक्ट से एग्जम्पट किया जाता है। आपने दूसरे दिन नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि इस पर कार्मशियल काम्पलेक्स बनाने की छूट दी जाती है। 5 दिन की अवधि में दो नोटिफिकेशन आ गये। हम भी कहना चाहते हैं कि हमें भी एक हजार, पांच सौ गज की छूट दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस व्यक्ति की सम्पत्ति हैं। खुद ने एप्लीकेशन दे रखी है उसको तो नहीं दे रहे हैं और उसको छूट दे रखी है. . (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जैसा आपने कहा और पहली बात तो अगर यह ग्रीन बैल्ट है जैसा आप कहते हो तो यह नोटिस ही बेकार हो जायगा और कोई कार्यवाही आप नहीं कर सकते हैं। गैर कानूनी हो जायगा ... (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : परमिशन नहीं देंगे .. (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, नहीं देंगे औरों को तो ..

श्री मानिकचन्द सुराना : बलदेव प्लाजा को परमिशन गजट नोटिफिकेशन के द्वारा दी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगरीय विकास की दिशा आपकी क्या है। जब मैंने यह व्यंग्य किया आप पर कि हजार, पांच सौ गज पर हमको भी बनाने दीजिये। मैं कोई प्रार्थी नहीं हूं। यह व्यंग्य इसलिए हैं कि किसी भी नये सिटीजन को कानून की प्रक्रिया से सारी फार्मेलिटीज पूरी करके भी पांच-पांच, सात-सात साल भी कोई परमिशन नहीं देते हैं और आप बडे लोगों का गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, मंत्री होना चाहिये भारत सरकार में और आपकी चोटी उसके हाथ में होनी चाहिये... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : सभापतिजी, प्लाजा में किस का साझा है ?

श्री मानिकचन्द सुराना : राम निवास जी मिर्धा का साझा है। आपको पता नहीं है क्या। मैं अवाइड कर रहा हूं। इस मामले को आप बार बार नाम दिलवाना चाहते हैं। अगर मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये केन्द्रीय टैक्सटाइस मिनिस्टर श्री राम निवास जी मिर्धा की सम्पत्ति है। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप यह बताइये कि वहां कोई घुस नहीं सकता। जे . डी . ए . वाले जायें तो उनको पीट कर निकाल देते हैं (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : उस वक्त थे और अभी भी मंत्री हैं। काबिल मंत्री हैं।

(158)

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सभापति महोदय, हां, उसके बाद प्रमोशन हो गया .. (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहूंगा यह सरकार जहां आम नागरिक को आंख दिखाती है वहां यदि कोई शिक्षण संस्था... (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं आपने बताया कि बलदेव प्लाजा राम निवास जी मिर्धा का है, क्या यह सही है ?

श्री मानिकचन्द सुराना : बिल्कुल सही है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सही है ।

श्री मानिकचन्द सुराना : अगर किसी का लड़का ... (व्यवधान) वह एक ही बात है । कोई फर्क नहीं है । (व्यवधान)

पुत्र की सम्पत्ति उनकी सम्पत्ति नहीं है क्या ... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : बलदेव मिर्धा राम निवास जी मिर्धा के पिताजी का नाम है । उनके नाम पर यह बनाया गया है और उनके जो लड़के हैं वे श्री मिर्धा जी केन्द्र में हैं । +++ उनका प्रभाव है । लोगों को बटोर बटोर कर किराया पर देने के लिये कितने-कितने हजार पर दे रहे हैं । उनसे पूर्व में ही ले लिया पैसा । पूर्व में ही उनसे लेकर बनाया गया है । पैसा अपनी जेब से नहीं दिया गया है । सारे प्रभाव का दुरुपयोग किया गया है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य विधि वेत्ता हैं कानून के ज्ञाता हैं । उनसे मैं अपना ज्ञानवर्द्धन करना चाहता हूं... (व्यवधान) सम्पत्ति में किस हैसियत से ये हैं । अगर बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अपने विभाग से भी करें ज्ञानवर्द्धन । आपको विभाग में इतने दिन हो गये इसका तो करते ।

श्री यदुनाथ सिंह : इनकी टेक्टिस जान गये । आप बार-बार रामनिवासजी मिर्धा का नाम लेकर रिकार्ड पर लाना चाहते हैं । आपकी टेक्टिस जोरदार है

श्री मानिकचन्द सुराना : यह उनके परिवार की सम्पत्ति है । यह उनके लड़के की सम्पत्ति है । माननीय गुलाब सिंह शक्तावत, आप अपनी उस कानूनी बहस को जाने दीजिये कि साहब क्या हमारे लड़के को धन्धा करने की छूट नहीं है आपके लड़के को धन्धा करने की छूट है लेकिन गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं । वे नागरिक की हैसियत से अप्लाई करते .. (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : लड़के ने कोई कानून की अवहेलना की है या और कुछ की है . . . (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री माणिकचन्द सुराना : मैं चैलेन्ज करना चाहता हूं . . (व्यवधान) जिला प्रमुख नागौर . . . (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनके दादा बलदेव दास जी मिर्धा ....

श्री माणिकचन्द सुराना : अजी, माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी ये सब समझते हैं, समझ रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि.. (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सुराना साहब, चर्चा समाप्त करें ।

श्री माणिकचन्द सुराना : सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री डूंगरराम पंवार : नागौर के जिला . . (व्यवधान)

श्री माणिकचन्द सुराना : ये सिर्फ लोगों के आवासीय मकान ही नहीं तोड़ते लेकिन ये यदि कोई शिक्षण संस्था बन रही है चेरिटेबल परपज में भी कोई सवाई मानसिंह स्कूल बन रही है, जिसकी बाकायदा परमिशन भी हुई है । चार दफा परमिशन हुई है, जे. डी. ए. के अधिकारी और एक डी. आई. जी. रेन्क के लोग उस सवाई मानसिंह स्कूल की बिल्डिंग को बनते हुए तोड़ने चले गये । अब मैं पूछना चाहता हूं कौनसी प्रायोरिटी है आपकी । एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही है चेरिटेबल परपज में जो लैण्ड दी हुई है अल्सर की जमीन को आप एक्वायर नहीं करेंगे, चेरिटेबल परपज में दी हुई जमीन पर यदि एक स्कूल का भवन बन रहा है और जो जयपुर की महत्वपूर्ण स्कूल बन गई है उस बिल्डिंग को बनते हुए चार बार आपके अधिकारी जायेंगे कि इसको हम तोड़ेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आपकी दिशा गलत थी । आपकी जो दिशायें हैं वह परवर्टेड हैं । आपकी दिशा बिल्कुल गलत है । मैं कहना चाहता हूं. . . (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं कुल एम्फेसिस यह देना चाहूंगा कि जितने भी अल्सर एक्ट की जमीनें हैं उनको तत्काल आप रेगूलराइज करें और महाराजाओं के पास और बड़े लोगों के पास जितनी जमीन है उसको एक्वायर करके आप निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों के लिये हजारों मकान नये सिरे से बनवाने का श्रम करें । हाउसिंग बोर्ड में अभी जो आप मिडल इनकम ग्रुप और बड़े ग्रुप्स के लिये, हायर इनकम ग्रुप के लिये जो मकान बनाते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इस दिशा को भी आप बदलिये । आप निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, लोअर क्लासेज जिनकी आमदनियां 500—700 रुपये से नीचे हैं, उन लोगों के लिये आप मकान बनायें और आपका जो विनियोजन है धन का, हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से लाखों मकान जो राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में है वह बनवाइये । जयपुर भी अब, सभापति महोदय, एक मेट्रोपोलिटिन सिटी में विकसित हो गया है जिसमें कम से कम 50 हजार लोग पेवमेंट पर सो रहे हैं, बिना छत के सो रहे हैं और ये जो 50 हजार लोग जो बिना छत के सो रहे हैं जयपुर शहर में । यह सर्वे भी अभी इलेस्ट्रेटेड वीकली में जो बड़े शहरों की सर्वे छपी है हाउसलेस लोगों की उसमें यह सारा इन्डीकेशन है । मैं चाहूंगा कि उसकी कांक्रीट सर्वे आप और करायें और ऐसे जो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हाउसलेस लोग हैं उनके लिये रूफ देने का काम यह राज्य सरकार करें। मैं इसी निवेदन के साथ, समय अधिक हो गया इसलिये अन्य मुद्दों पर न कहते हुए इसी पर एम्फेसिस करूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भूदरमल वर्मा।

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय सभापति महोदय . . (व्यवधान) मांग संख्या 20 व 29 की बजट बहस पर चर्चा हो रही है। उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए कुछ बिन्दुओं की तरफ आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रिय नेता, आदरणीय राजीव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी नगरपालिकाओं, नगर परिषदों की जो हालत है, उसको सुधारने और उसको अधिकार देकर नगरों में बसे हुए, कस्बों में बसे हुए जो नागरिक हैं उनकी दशा को सुधारने का बेड़ा उठाया है और बहुत जल्दी इसका कानून ला करके नगर परिषदों को मजबूत करने का आह्वान किया है। उसके लिये मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कहां रखेंगे धन्यवाद। जगह ही नहीं है। बोफोर्स के लिये ही जगह नहीं है . . (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप यही कह सकते हैं इसके अलावा कह भी क्या सकते हो। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : जो लेना है सो ले लो जनता से . .

श्री भूदरमल वर्मा : यह कमेन्ट्री करते-करते ठिकाने लग जाओगे। शायद मुझे ऐसा लगता है।

श्री डूंगरराम पंवार : ठिकाने हम तो नहीं लगेंगे।

श्री भूदर मल वर्मा : मैं आपके माध्यम से उस वर्ग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर्वप्रथम नगरपालिकाओं में जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई वाले हैं, उनकी जो दशा है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, एक हरिजन जो नगरपालिका में काम करता है उसकी भर्ती होती है अन्तःकालीन या टेम्प्रेरी के रूप में। उनको सिर्फ सफाई वाले काम करते-करते सारी जिन्दगी निकल जाती है, चाहे वह पढ़े लिखे लड़के हैं, चाहे ग्रेजुएट हैं, सैकण्डरी हैं, मैट्रिक हैं। उन कर्मचारियों को सारी जिन्दगी शहर की नालियां साफ करते-करते, गंदी बस्तियों की झाड़ू लगाते-लगाते अपना जीवन यापन करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी आजाद भारत के नागरिक हैं, उनको भी अपने समय पर उन्नति का चांस मिलना चाहिये। क्लास फोर्थ की जगह जब नगरपालिका में पोस्ट किया जाता है तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको तरक्की मिलनी चाहिये, चाहे वह सफाई वालों में भर्ती हो। चाहे फार्थ क्लास में भर्ती हो। मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं। उनके लिये जब भर्ती किया जाय तो उसमें यह कंडीशन नहीं रखी जाय कि वह सफाई वाला ही रहेगा। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करना

[श्री भूदरमल वर्मा]

चाहता हूं, उन सफाई वालों की दशा की तरफ देखिये। आप उनको 6–6 महीने तक तनख्वाह नहीं देते, साल भर तक उनको तनख्वाह नहीं मिलती। टेम्प्रेरी पोस्टिंग होता है उनका डेली वेजेज पर, उनको तनख्वाह नहीं मिलती। क्या राज्य कर्मचारी 6 महीने तक रह सकता है? 6 दिन नहीं रहते। झण्डा उठाकर स्ट्राइक कर देते हैं। तो उनकी दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनका जो काम है, इतना घृणित काम करते हैं, दुनियां की सफाई करके मोहल्ले को अच्छा, सुन्दर बनाते हैं, नालियां साफ करके दुर्गन्ध को खतम करते हैं उन लोगों को आप तनख्वाह नहीं दे, बड़े दुख की बात है। मेरा निवेदन है कि इनकी भर्ती को जाय तो सफाई वाला कम चपरासी के नाम से भर्ती किया जाना चाहिये। सफाई वाला कम चपरासी के नाम से भर्ती करेंगे तो कुछ दिनों बाद ही वह चपरासी बनेंगे और जब चपरासी बनेंगे तो वह सब कर्मचारियों के साथ बैठेंगे, उठेंगे, यहां तक कि मौके पर पानी भी पिलायेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांधीजी के सपने को अमर सच्चा करना चाहते हैं तो जरूर इस पद को सफाई वाला कम चपरासी किया जाय। मैं तो यहां तक आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को, सभी विभागों में चपरासी के स्थान पर सफाई वालों में से लगाया जाय तो यह जो छुआ-छूत का कलंक देश के ऊपर है वह आसानी से मिट सकता है। धीरे धीरे-जाकर जो आज छुआछूत की बात आती है वह स्वतः ही खतम हो जायेगी। आपसे मेरा यह निवेदन है कि आर्थिक व्यवस्था नगरपालिकाओं की बहुत ही खराब रहती है जिसके कारण वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती। उसका मैंने एक मूल कारण समझा है वह वहां के रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अकाउंट्स क्लर्क, हैड क्लर्क और सैक्रेटरी हैं। अगर इनको आप स्थानान्तरित करने की व्यवस्था रखें तो नगरपालिका के कर्मचारियों पर अंकुश रहेगा। सचिव का तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आप ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि उसके अपॉइंटमेंट यह लिखा जाता है कि यह वहां के बजट के तहत स्वीकृति में है, दूसरी जगह इसका स्थानान्तरण कैसे किया जाय। जिस कर्मचारी को यह डर नहीं है कि मेरा यहां से स्थानान्तरण नहीं हो सकता वह कभी भी राज्य सरकार को निहाल नहीं कर सकता। वह मनमानी करता रहेगा और चुंगी की चोरियां बढ़ती जायेंगी। यहां तक है कि चुंगी का 10 प्रतिशत पैसा ही नगरपालिका में जमा होता है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर और नाकेदार मिले हुए होते हैं, 90 पर्सेन्ट पैसा चुंगी का लोगों की जेबों में जाता है। मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है कि आपको चाहे कानून में इस बारे में रद्दोबदल करना पड़े वह करने की कोशिश करें। मेरा यह आपसे अनुरोध है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और कुछ कर्मचारी नगरपालिका के जो रेवेन्यू से सम्बन्ध रखते हैं उनका स्थानान्तरण करने की आप व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से मैं यह मानकर चलता हूं कि जो आर्थिक दशा नगरपालिकाओं की है वह सुधरेगी। कई दफा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं तो नगरपालिकाओं की दशा सुधर जाती है। मुझे

(160)

(श्री भूदरमल वर्मा)

अच्छी तरह से याद है, आज से करीब 5–6 महीने पहले दौसा नगरपालिका के आई.ए., एस. डी. एम. लगे थे और एज प्रशासक उन्होंने काम किया, 14 दिन में ही उन्होंने रिकार्ड तोड़ चुंगी का कलेक्शन किया। ऐसे अधिकारी जब भी आते हैं तो चुंगी क्यों बढ़ जाती है और साधारणतया दूसरे कर्मचारी रहते हैं तो चुंगी क्यों नहीं बढ़ती है, इस तरफ मैं माननीय मंत्री महोदय और राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वास्तव में किस जगह यह गलती हो रही है जिसकी वजह से नगरपालिका की दशा में सुधार नहीं हो रहा है । तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान देंगे तो नगरपालिका में अवश्य ही सुधार होगा ।

श्री यदुनाथ सिंह : अपने एम. एल. एज. ही लग जायं वहां एडमिनिस्ट्रेटर।

श्री भूदरमल वर्मा : मेरा आपसे निवेदन है कि समय पर नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं होने से यह सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समय पर चुनाव करवा दिये जायं तो नगरपालिका में जो अव्यवस्था है उसमें सुधार आयेगा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां काम करेंगे, इलाके की हर दुविधा को, नागरिकों की जो तकलीफें हैं, नगरपालिका में, नगरपरिषद में बैठ कर उन पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और निवारण करने का जनप्रतिनिधि का काम होगा। लेकिन या तो प्रशासक एस. डी. एम. लगे होते हैं या कोई अन्य अधिकारी को लगाते हैं। जहां पर नगरपालिका है, ए. सी. एम., एस. डी. एम. जहां प्रशासक रहते हैं उनके पास प्रशासनिक कार्य से ही फुरसत नहीं मिलती, कभी जनता को आधा घंटे देखते हैं, सैक्रेटरी और अन्य कर्मचारी जो नगरपालिका के हैं वह मनमाने तरीके से नगरपालिका को चलाते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस हालत को सुधारने के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इनका पांच साल में चुनाव होना चाहिये। जिस तरह से पालियामेंट और असेम्बली के चुनाव होते हैं उसी संवैधानिक तरीके से इनके भी चुनाव होने चाहिये, यह मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन है। यदि इनके चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो जो हालत जयपुर की है वह देख लीजिये। जयपुर के कितने समय से चुनाव नहीं हुए उसकी वजह से जयपुर शहर की हालत क्या हो रही है जो आप स्वयं जानते हैं। माननीय शक्तावत साहब भी चार साल से यहां देख रहे हैं, पहले भी इन्होंने देखा है । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पुरजोर शब्दों में कि चुनाव नगरपालिका और नगर परिषद के जहां नहीं हुए हैं उनको तुरन्त कराने की घोषणा करें। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं हो सकते, नगरपालिकाओं से उनके स्थानान्तरण के लिये अगर कोई कानून बदलना पड़े तो उसको बदले ताकि नगरपालिकाओं के कर्मचारियों पर अंकुश रहे कि हमारा स्थानान्तरण दूसरी जगह हो सकता है और दूसरी जगह स्थानान्तरण होगा तो हम काम अच्छी तरह करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं, जो आपने समय दिया ।

श्री सभापति : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापतिजी, मैं 4.20 जो घड़ी बता रही है और जो सरकार का भी नम्बर है...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपका नम्बर है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : और हाउसिंग बोर्ड का नम्बर है...

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपका नम्बर है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा नम्बर नहीं है, बता रहा हूं, जरा सुन लीजिये । तीन विभाग हैं, हाउसिंग बोर्ड, जे. डी. ए. और नगर परिषद और तीनों ही मेरे शहर से जुड़े हुए विभाग हैं, मैं सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड की ओर जिक्र करना चाहूंगा जिसका जिक्र अभी तक किसी ने किया नहीं । हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन साहब जैसे भी हैं वह मैं नहीं कहता, राजीव गांधीजी द्वारा प्रमाणित हैं वह । आजकल उसके चेयरमैन आपने बना रखे हैं आब्लाइज करने के लिये । बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, इसलिये उनको टिकट नहीं मिला था...

श्री भूदरमल वर्मा : भार्गव साहब, समय की पाबन्दी का ध्यान रखना ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जरा ठहर जाइये आप । घोषणा हो रही है, वकीलों को जमीन दी जायगी, शिल्पकारों को जमीन दी जायगी, मूर्तिकारों को जमीन दी जायगी । थोथी घोषणाएं हैं । शिक्षण संस्थायें चिकित्सालय और कम्युनिटी हॉल होंगे यह सब थोथी घोषणायें हैं और यह कहा गया कि अब कोई भूखण्ड लेने वाला ही बाकी नहीं बचा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं आज जयपुर शहर में नाहरी का नाका में, जवाहर नगर में, ज्योतिनगर, मालवीय नगर, वन विहार, मानसरोवर में 252 पार्क हैं । शिक्षण संस्थाएं, औषधालय, कम्युनिटी हाल कहां रखे हैं । इन 252 में से एक भी पार्क वह चेयरमैन साहब बता दें जिसका विकास किया हो । सब कूड़े के ढ़ेर हैं । दीवारें टूटी हुई हैं, लोग खाद डाल रहे हैं । यह एक दशा है । आज जयपुर शहर की छहों कालोनीज में एक भी ऐसी सड़क बता दें जो टूटी हुई न हो ? कहां औषधालय, चिकित्सालय और कम्युनिटी हाल देने का लोगों को सपना दिखा रहे हैं ।

आवंटन 1973 के 981 बकाया है, 1979 के 7236 और 82 के 708 बकाया हैं । 15-15 वर्ष से जहां 73 के आवंटी अभी तक घूम रहे हैं उनको मकान नहीं मिले । यह थोथी घोषणा करने से क्या लाभ है । पहले जिन लोगों ने रकम जमा करा रखी है उनको दिया जाना चाहिये । आज हालत क्या है– 10-15 वर्ष से लोग घूमते रहें और हाउसिंग बोर्ड विकास शुल्क वसूल करेगा । पार्क और सड़कों की हालत खराब और हाउसिंग बोर्ड विकास शुल्क वसूल करता है । यही नहीं, आपने हिन्दुस्तान में नहीं सुना होगा हाउसिंग बोर्ड फायर शुल्क वसूल करता हैं, कोई पक्के मकान में आग लग जाय उसको पैसा देने के नाते । जितनी रकम फायर शुल्क की जमा हुई है उसमें से एक नया पैसा भी किसी को दिया हो जिसके घर में आग लग गई हो, तो मुझे बतायें ।

यह लीज मनी लेते हैं वर्ष में दो बार । यदि कोई व्यक्ति समय पर लीज मनी जमा

(182)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नहीं करावे तो उस पर 18% ब्याज लिया जायगा लेकिन लीज मनी की प्रथम और द्वितीय किश्त ले लेंगे और उसका समायोजन होगा 98 साल बाद। कौन रिकार्ड सम्भाल कर रखेगा। वह कर्मचारी रहेगा नहीं, बोर्ड रहेगा नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि लीज मनी ली जाय उसका उसी साल में समायोजन किया जाय। 98 साल तक उस व्यक्ति को नहीं अटकाना चाहिए और 500 रु. भी आपने लें लिये तो करा-इये आप उनको इन्दिरा विकास पत्र में जमा। कितनी रकम जमा हो जाती है? इसलिए लीज मनी 98 साल की प्रथम बार ली गई उसका उसी साल में समायोजन किया जाना चाहिये। 98 साल तक कोई रिकार्ड रखने वाला नहीं, न कोई रिकार्ड देने वाला है।

दूसरा विक्रय पद्वति के आधार पर जो व्यक्ति आपसे मकान लेता है 5 माह का एडवान्स लेते हैं, वह 10-15 हजार रुपये कम नहीं होते। 25 साल में जब आपकी किश्त चुक जायेगी तब आपने जो 10-15 हजार रुपये आज जमा कराये हैं उनका समायोजन किया जायगा। आप उस पर ब्याज नहीं देते। आप 10-15 हजार रुपये इन्दिरा विकास पत्र में जमा करा दीजिये, ब्याज भी इतना हो जायगा कि आपको उसको रकम वापिस लौटाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस रकम का आप इंट्रेस्ट दें। इन्दिरा विकास पत्र में जमा करायें और फिर उस व्यक्ति को 25-30 हजार जो कुछ भी जमा कराने पड़ेंगे, 5-10 हजार तो आपने शुरू में जमा करा लिये वह मैं समझता हूं रकम जो उसकी स्वतः जमा हो जायेगी यह मेरा दूसरा सुझाव है।

तीसरा मेरा सुझाव है लीज मनी का चक्कर 98-99 साल का चला रखा है, रोडवेज में जिस प्रकार से 10 साल का एक मुश्त जमा कराया, और मुक्ति मिल गई तो आपको भी चाहिये कि एक मुश्त लीज मनी जमा कर लें तो लोगों को मुक्ति मिल जायगी और 99 साल का चक्कर भी नहीं रहेगा।

आज जो मकानों की दशा है, मकान टूटे हुए हैं, पट्टियां टूटी हुई हैं, उन पर चित्रकारी बनी हुई हैं। गटर धंस रहे हैं। मकान हाउसिंग बोर्ड के गिर जाते हैं। सड़कों की हालत खराब है और जिस समय मकानों के पास थोड़ी धड़-धड़ होती है तो विभिन्न प्रकार के स्वर निकलते हैं मकानों में। हाउसिंग बोर्ड में जो भी मैटीरियल उपयोग में लाया जाता है वह महा निकम्मा थर्ड क्लास मैटीरियल उपयोग में लाया जाता है और वर्षा जब होती है, बादल आते हैं आकाश में तो हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले थर्राते हैं कि पता नहीं मेरा मकान गिर जाय या क्या होगा। यह दशा है।

इसी प्रकार से मानसरोवर कालोनी जो आपने एम. एल. ए., एम. पीज. और पत्रकारों के लिये बनाई, रास्तों में कूड़े के ढेर पड़े हैं। कौन जायगा वहां पर। जिस पुलिया का आप निर्माण करने जा रहे थे वह निर्माण बन्द हो गया। दस कि. मी. दूर पड़ती है यहां से जो विधायकों और पत्रकारों के लिये बनाई।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

आज हालत यह है कि हाउसिंग बोर्ड के मकानों की साइज कम हो रही हैं और कीमत बढ़ रही है। देते समय बुकलेट में कुछ छापा गया और लेते समय रकम ज्यादा देनी पड़ेगी और मकान की साइज कम लेनी पड़ेगी यह हाउसिंग बोर्ड की दशा है।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। हाउसिंग बोर्ड ने अब तक कुल 80 हजार मकान बनाये हैं और चेयरमैन साहब ने मुख्य मंत्री जी से चुनाव के नाते घोषणा करवादी कि इस वर्ष 40 हजार मकान बनायेंगे। हाउसिंग बोर्ड का जन्म हुआ तब से लेकर 80 हजार मकान बनाये हैं और इस एक वर्ष में 40 हजार मकान बनायेंगे। कहां से बनायेंगे? मकानों के लिए राशि चाहिए, जमीन है नहीं। जमीन में 160 करोड़ रुपया चाहिए मकान बनाने के लिए। मकान बनाने के लिए 25 हजार भी एक मकान की लागत हो तो आपको 100 करोड़ रुपये चाहिए और शायद 160 करोड़ चाहिए जमीन के लिए। हुडको अधिक से अधिक 20 करोड़ देता है क्योंकि 300 करोड़ की राशि उनके पास कुल है तो कहां से रकम मिल जाएगी। हुडको से रकम मिलेगी नहीं। बैंकों से सौ करोड़ का प्रबन्ध हो नहीं सकता। छः महीने का समय निकल गया, क्या कर लेंगे आप? गत वर्ष आपने कितना खर्च किया इन सब हालात पर थोथी घोषणा, 80 हजार आज तक बने हैं और इस वर्ष 40 हजार मकान बनायेंगे, अर्थ का साधन नहीं है। जमीन हमारे पास है नहीं। कोटा में जमीन थी वह चली गई। उदयपुर में जमीन नहीं है। 1972 के आज तक केसेज पैंडिंग हैं और गोरधन विलास की जमीन हमने ली उसको वापस छोड़ दिया। यहीं नहीं, हमने अजमेर में 9 हजार वर्ग गज जमीन दुराई की अवाप्ति से मुक्त कर दी। हम को कब्जा मिल गया था, हमने छोड़ दी। यह हालत है।

मुझे डर यह लग रहा है कि कल्पतरू की योजना जो पहले वाले हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बना गये थे और रकम लोगों की की जमा हो गई थी उसकी भी इस समय जो चेयरमैन बनाये गये हैं वोटों की दुनियां के आधार पर चुनाव जीतने के आधार पर कांग्रेस के लिए पैसा +++ बटोरने के आधार पर जिनको चेयरमैन बनाया गया है वह कल्पतरू का पैसा खा जायेंगे। इस हाउसिंग बोर्ड को नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे यह मेरा आरोप है उन पर। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कल्पतरू की रकम सरकार अपने कब्जे में ले वरन इसमें जिन लोगों ने रकम जमा कराई है वह लोग बाद में जाकर चेयरमैन साहब को रोयेंगे।

एक माननीय सदस्य : तो फिर वह चेयरमैन काहे के वह तो +++ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हालत यह है कि आज चेयरमैन साहब जहां भी जायेंगे कोई हथरोई की स्कीम हो, कोई स्कीम हो जहां से रकम मिले उनकी अवाप्ति से मुक्त कर दिया जाएगा। भोपाल और दिल्ली जायेंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकताओं को बुलायेंगे, उनको भोजन देंगे। इन सब में हाउसिंग बोर्ड के

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

धन का दुरूपयोग हो रहा हैं। केवल मात्र कांग्रेस पार्टी के लोगों को खुश करने के नाते और कांग्रेस पार्टी के लिए धन बटोरने के नाते।

मैं निवेदन करूंगा, भोपाल में काण्ड हुआ आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए माननीय राजीव गांधी कहते हैं कि उनका प्रमोशन होना चाहिए। प्रमोशन हुआ नहीं। एक मकान का मैंने जिक्र किया यह 16 साल के बाद मकान आवंटित हुआ भी तो ऐसा कि जिसको स्तेमाल न कर सकें। यह गरीब की दास्तान है, मैं आपको पेश करूंगा, पति-पत्नी जो 60-65 साल के है उनके मकान की दशा है यह। इस संबंध में एक फोटो मैं आपके सामने, पेश करूंगा, और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने स्टे दिया, ब्यास मेहता कोर्ट ने, उसकी भी पालना नहीं हो रही है। यह मेरे पास आर्डर है।

"Issue notice to show cause to the respondent as to way this writ petition be not admitted and rule in a way to returnable within four weeks notice of stay application returnable within four weeks be also issued. Meanwhile the respondent will only fillputhe the vacancies after following recruitment system from the persons of Scheduled caste and Scheduled tribe."

यह हाई कोर्ट का फैसला है। यह हाई कोर्ट का फैसला जिसको राजीव गांधीजी कहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को प्राथमिकता दो। देश के प्राइम मिनिस्टर की आज्ञा का उल्लघंन करके हाई कोर्ट के स्टे को मध्य नजर नहीं रखते हुए और चेयरमैन साहब कर क्या रहे हैं, चेयरमैन साहब जैसे जे. डी. ए. में फौज है म्युनिसिपिलैटी में कमिश्नर की फौज है उसी प्रकार से उन्होंने दो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता बना दिये, चार उप आवासन आयुक्त बना दिये, तीन सहायक लेखाधिकारी बना दिये, एक वरिष्ठ लेखाधिकारी बना दिया, एक लेखाधिकारी बना दिया। यह क्यों बना दिये? मान्यवर, राज्य सरकार की सैंक्शन के बिना क्यों बना दिये? एक चेयरमैन इस प्रकार से पदों का सृजन कर नहीं सकता है। यह मैं नियमों की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और आप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप न्याय करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की अवमानना, राज्य सरकार की अवमानना कर पद वहां पर बनाये जा रहे हैं। चपरासियों की सीधी भरती। अपने घर पर चपरासी रहने चाहिए। अधिकारियों के घर पर चपरासी रहने चाहिए। 17 चपरासी की नियुक्ति कर ली और यही नहीं अध्यक्ष जब नये नये बने तो उन्होंने 50 हजार रुपये का फर्नीचर, यह अपने मकान को डेकोरेट करने के नाते 50 हजार रुपये का फर्नीचर, यह गरीब हाउसिंग बोर्ड, 50 हजार रुपये का फर्नीचर अपने मकान पर लगाया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बोर्ड भवन बन रहा है। लोहे का आर्डर दिया गया। किस को दिया गया है? अपनी कम्पनी को। दूसरे के नाम पर। लोहा थर्ड क्लास किस्म का है लेकिन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अपने लोगों को ? खुद को ग्राब्लाइज करने के नाते क्योंकि स्वयं का कारखाना है विश्व-कर्मा में। विश्व कर्मा में कारखाना है उसी को अपने दूसरे नाम से आर्डर दिया गया और वहां पर थर्ड ग्रेड का लोहा लग रहा है। कर्मचारीयों में वहां पर भयंकर असन्तोष है। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन चाहे मणेनो-लेक अस्पताल हो और कोई स्कूल हो रोजाना घोषणा कर रहे हैं और जिस किसी चहेते को चाहिये मान्यवर सभापतिजी, उन सब को कन्सेशन रेट पर राज्य सरकार की अवमानना करके, हाउसिंग बोर्ड के नियमों की अवमानना करके इस हाउसिंग बोर्ड को डूबाने के नाते मौजूद है। उनके वक्त में जे. डी. ए. बना था। जे. डी. ए. तो डूबो ही रहे हैं लेकिन हाउसिंग बोर्ड भी आपके हाथ से डूब जायेगा। यह हाउसिंग बोर्ड के बारे में मैंने चित्रण किया है।

दूसरा मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर विकास प्राधिकरण बना। जयपुर विकास प्राधिकरण जब से बना, जयपुर नगर की जनता का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को उंचा करने के लिए बना था। और हाउसिंग बोर्ड जब बन गया तो जे. डी. ए. इस का नाम रख दिया गया। जे. डी. ए. का अर्थ यह हो गया, "जल्दी देना" अमाउण्ट" या" जयपुर डूबाओ एसोसिएशन"। ....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह शब्द आपने कौन सी डिक्सनरी से लिये है।

श्री सभापति : भार्गव डिक्सनरी से लिये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह डिक्सनरी से कह रहा हूं आपको। यह उनके आचरण से लिया हैं। आज जे. डी. ए. जिस प्रकार से बना, काम हो नहीं रहा हैं। आज हालत यह है कि चाहे किसी भी प्रकार की बात हो जे डी. ए. ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। न कच्ची बस्ती में आवंटन हो रहा है, न कृषि भूमि में आवंटन हो रहा है न पर्यावरण के नाते चाहे वह राम निवास बाग हो, जय उद्यान हो, चाहे स्टेचू सर्कल हो, कोई व्यवस्था नहीं है। यातायात की व्यवस्था भी, नेटपेक जिस पर 15 लाख रुपया, ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड बना हुआ है जे. डी. ए. में। 15 लाख रुपये की योजना है, नेटपेक से आये, नेटपेक से योजना लेने के बाद भी काम चालू नहीं हुआ। इस ट्रेफिक कन्ट्रोल में दुःख तो यह है कि आर. टी. ओ तक इसका मेम्बर नहीं है, यह मेरा एक निवेदन है और इसी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस बात को आज बहुत जोरशोर से कह रहे थे। कृषि भूमि रुपान्तरण वाली बात जो कई लोगों ने उठायी है। मै यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि कृषिभूमि रुपान्तरण राज्य सरकार की विज्ञप्ति निकली थी। यह 26 दिसम्बर, 1981 को और यह कहा गया था कि सुनहरी अवसर का लाभ उठायें, दूरदर्शन पर दिखाया गया कि रियायती दर का लाभ उठायें, अपनी भूमि, भू-खण्ड को आबादी अथवा वाणिज्य में रुपान्तरण करवा कर, राज्य सरकार की रीति नीति आदेश ये सारे निकले। इसमें जनता का क्या दोष है। जनता ने जब देखा कि रियायती काम हो रहा है, रकम जमा करवा दो। तो गरीब भोली भाली जनता का क्या दोष था। जनता ने जमा करवा दिये। मान्यवर,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यही नहीं उसमें लिखा हुआ था कि निर्मित और अनिर्मित की अलग अलग रकम जमा होगी। निर्मित बना लिये उस पर 5 पर्सेण्ट नहीं बनायें उस पर 10 पर्सेण्ट, यह जुर्माना रखा गया। लोगों ने रकम जमा करवा दी और नियमों में कहा गया, नियम आ गये, 90 रोज में नक्शा पास हो गया माना जायेगा। "सेल" शब्द है। तो गरीब लोगों ने क्या अपराध किया। गरीब लोगों ने भुलावे में आकर के रकम जमा करवा दी। 1 हजार 112 स्कीम थी। 75 हजार भूखण्डधारियों ने रकम जमा करवाई और उसमें से राज्य सरकार ने रिजेक्ट किया, 75 स्कीम पास करीं और जिनकी पास कर दीं कलेक्टरी से जिनको क्लियरेंस मिल गया। दुर्भाग्य है कि 17 अप्रेल, 1987 के बाद उनको लीज डीड देना बन्द कर दिया तो 1 हजार 112 खटाई में। तो रिश्वत दे दे कर मकान बन गये। मान्यवर, आज हालत यह है कि नोटिफिकेशन निकले, यह कई निकले हैं। यह नोटिफिकेशन की पत्रावली मेरे पास मौजूद है। एफ–6/87/रेवेन्यू/ग्रुप–4/81 दिनांक 1-3-1982, एफ-2/रेवेन्यू/87, 13-10-1987, एफ-6/87 /रेवेन्यू/4/8214, 6-4-1987, रेवेन्यूग्रुप-4/8485, 10-8-1984 और रेवेन्यू/4/84- 85, 1-9-1984 और 21-1-1985 और नगर आयोजना विभाग ने भी चार विज्ञप्ति निकाली। काहे को निकाली ? लोगों के रेग्यूलराइज करने के नाते आपकी भावना चलती रही, आप समय समय पर विज्ञप्ति निकालते रहे, लोगों से यह कहते रहे। विधान सभा में जब जब मैंने प्रश्न उठाया, रामकिशनजी ने कहा कि तीन महीने में हम नियमन कर देंगे। इनके घर में धरना दिया एक महीने में नियमन हो जायेगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे। मैं समझता हूं कि जयपुर शहर में 75 हजार से ज्यादा लोगों ने मकान बना लिये। जब जे. डी. ए. ने जमीन नहीं दी, म्यूनिसिपैलिटी ने जमीन नहीं दी और जब आपकी घोषणा हो गयी तो गरीब लोगों ने अपने कष्ट पाकर, अपने जेवर बेच करके और लोगों ने अपने मकान बना लिये। और जिन लोगों ने मकान बना लिये उनको रिश्वत देनी पड़ी। जो लोग नियमों की ताक में बैठे हुए थे वे +++ आज भी दुःखी हैं, उनके पानी बिजली पर रोक लगा दी। ये सारे नोटिफिकेशन मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। आपने ही कहा है और इसके आधार पर मान्यवर, आपने कितनी रकम जमा कर ली। आपने इस सब खेल में लगभग 28 करोड़ रुपये जमा कर लिये। 28 करोड़ रुपये 1981 से जमा हैं और उन पर आप ब्याज नहीं देंगे। ब्याज दीजियेगा, आप वापस कर दीजियेगा, आपको नियमन नहीं करना है तो वापस कर दीजियेगा। मैं किसी सोसायटी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं वकालत सदन में समय समय पर करता आ रहा हूं कि जिन गरीब लोगों ने मकान बना लिये उनका नियमन होना चाहिये। आपने विज्ञप्ति निकाली है। आपने सीधा सदन में कहा कि हमने विज्ञप्ति नहीं निकाली। मैंने पिछली बार सदन में बताया कि यह विज्ञप्ति आपके राजस्व विभाग की है। कोई राजस्व विभाग अमेरिका का नहीं है, राजस्व विभाग कोई लन्दन का नहीं है, यह राजस्व विभाग आपका है, आपने

+++ शब्द मा. अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

विज्ञप्ति निकाली है । इसलिए मेरा निवेदन है कि यह एक मानवीय समस्या है । 90 रोज में पास हो जायेगा, यह बात आपने कही है, आपने विकास शुल्क जमा कर लिया और यह विकास शुल्क जमा हो गया · · ·

(समय समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मान्यवर, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको । यह विकास शुल्क जमा हो गया । यह करोड़ों रुपये जमा विकास शुल्क के हो गये । जिन-जिन लोगों से विकास शुल्क लिया उनका यह पोथा मेरे पास मौजूद है । करोड़ों रुपये आपने विकास शुल्क के जमा कर लिये । परन्तु एक भी बस्ती में विकास नहीं हुआ है । यह सारा पैसा कहां गया विकास शुल्क का ? यानि आपके भूरूपान्तरण शुल्क अलग, विकास शुल्क अलग, पेराफेरी शुल्क अलग और आवंटन शुल्क अलग । आपने करोड़ों रुपये, इस 28 करोड़ से भी ज्यादा है । यह सब जमा कर लिया । मेरा सारा यहां पर निवेदन करना यह है कि आप कम से कम हरियाणा से ज्ञान प्राप्त करें, हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रेग्यूलराइजेशन की बात करी है, अभी केन्द्रीय मंत्री भगत साहब ने जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया उनके नियमन की बात करी है । तो हरियाणा से ज्ञान लीजिये, आपके भगत साहब हैं जो सेन्ट्रल में नियमन करने वाली बात करी है, उनसे ज्ञान लीजिये । यह तो लोगों ने कोई कब्जे नहीं किये, लोगों ने पैसे देकर के जमीन ली है और यह तब जमीन ली है जब जे. डी. ए. से जमीन मिली नहीं, हाउसिंग बोर्ड से मकान मिले नहीं तो गरीब लोगों ने कृषि भूमि में मकान बना लिये, सोसाइटीज से जमीन लेकर के मकान बना लिये । आखिर आपने आपने कृषि भूमि रूपान्तरण की रकम जमा करी है तो फिर वे लोग अच्छे हैं जिन्होंने अवैध कब्जा किया है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस जयपुर शहर में ही नहीं यह पूरे राजस्थान की प्राब्लम है और इस मानवीय समस्या की ओर निश्चित रूप से ध्यान देगी और जिन गरीब लोगों ने जो मकान बना लिये उनका नियमन करेगी, इस नाते इतनी बात ही कहना चाहता हूं । इस दो-चार दिन के अन्दर जयपुर शहर के 1 हजार 112 जो बस्ती हैं उन सब में घूम घूम कर, उनकी विकास समिति से मिल करके, यह कोई पार्टी के भेदभाव का प्रश्न नहीं है, कोई कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न नहीं है, यह तो कृषि भूमि में जो मकान बन गये उनके नियमन का प्रश्न है । जिस समय जे. डी. ए. का बिल आयेगा इस विधान सभा सामने मूक प्रदर्शन रखने का विचार है । अच्छी संख्या में लोग आयेंगे और राज्य सरकार को मजबूर करेंगे कि आप इन मकानों को नियमन करें । माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस समय उत्तर दें उस समय मैं आपसे अपेक्षा करूंगा और मैं आपको बार बार परेशान करूंगा और किस अवधि तक लोगों का नियमन हो जायेगा यह घोषणा करवा कर ही छोड़ूंगा । क्योंकि सबसे बड़ी मेरी मेनिफेस्टो बात को मैंने सदन में बार बार उठायी है कि गरीबों के मकानों का नियमन होना चाहिये ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, कच्ची बस्ती में जो अनुदान की राशि राज्य सरकार

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

देती है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए । 112 सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में 42, 816 परिवार हैं इनमें से कितने लोगों को दिया गया है 929,254 को आवंटित भू- खण्ड दिये गये और केवल 17 हजार 64 को कब्जा दिया गया है । केवल आवंटन दे दिया जावें, इससे क्या होगा । यदि जे. डी. ए. विकास करना चाहता है तो जे. डी. ए. को रकम नहीं मिलेगी तो सुनियोजित ढंग से बसायेगा, तो राज्य सरकार उसकी मदद कहीं करेगी । बल्कि हालत यह है कि जो भूमि विकास एवं भवन कर का पैसा जे. डी. ए. को 50 पर्सेन्ट मिलता था, अब राज्य सरकार उन नियमों में भी संशोधन करने जा रही है कि जे. डी. ए. को पचास पर्सेन्ट नहीं, दो पर्सेन्ट ही देगी । जो कि जे. डी. ए. की इनकम है । जे. डी. ए. का टोटल बजट 12 करोड़ का है और जयपुर नगर परिषद के सफाई कार्य का बजट है 11 करोड़ का । कहां सफाई कार्य, इतना बड़ा कहां जे. डी. ए. जो आपने सफेद हाथी बना दिया । मैं निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार अनुदान की राशि दे और राज्य सरकार ने जो 85 तक के लोगों को बसाने की बात कही थी वह नहीं मैं तो आज तक की बात करता हूं जो कच्ची बस्तियों में बैठे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए । रजिस्ट्रेशन करने के बाद 71 को दीजिए, 81 वाले लोग आज तक इन कच्ची बस्तियों में बैठें हुए, हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करके जे. डी. ए. उनको पक्के मकान बना कर दे दे । यह मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कच्ची बस्ती वालों के समर्थन में । बाकी जो 31 कच्ची बस्तियो का विकास नहीं हुआ, उनमें भी पानी, बिजली, सड़कें बनायें और जिनमें आपने बना दीं हैं, वे सड़कें भी आज बेकार हो गयी हैं, विकास प्राधीकरण में अधिकारियों की फौज है । 117 राजपत्रित अधिकारी हैं, 574 अराजपत्रित अधिकारी हैं और आमदनी का 70 प्रतिशत वेतन पर खर्च होता है । अब बताइये चार तो वहां थानेदार हैं, उन पर एक डी. आई. जी. लगा हुआ है, चार इंजीनियर हैं जिन पर एक चीफ इंजीनियर और एक टाउन प्लानर है पूरे जयपुर शहर को देखने के लिए एक टाउन प्लानर और एक छोटे से जे डी. ए. को देखने के लिये एक टाउन प्लानर अलग बना, रखा है । वहां पर एक सी. ओ लगा रखा है । इस प्रकार के । सारी गड़बड़ियां जो है जे. डी. ए., में जो सफेद हाथी बना दिया है सेक्रेटेरियटनुमा, मैं उन अधिकारियों के खिलाफ नहीं हूं, उन अधिकारियों का सदुपयोग तो दूसरी जगह भी हो सकता है, इसलिये कृपा कर के जे. डी. ए. को भंग करें, इसको रखने से कोई लाभ नहीं है । इससे कहीं कोई हमारे जयपुर का विकास हो रहा नहीं है, वरना यह जे. डी. ए. निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगा । आप जे. डी. ए. को बनाये रखें, हमें खुशी है, हमें उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना । राज्य सरकार ने जल महल योजना बनाई है । दो करोड़ रुपये उस पर खर्च हो गये । कुछ नहीं किया आज तक । सब्जबाग दिखाया गया, वहां नावें तैरेंगी, होटल बन जायेगा, दिल्ली से आने वाले लोग प्रसन्न होंगे दो करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी जल महल में एक भी काम नहीं हुआ । बिड़ला जी ने आपका बिड़ला मंदिर बना दिया । गलता का काम अपने हाथ में ले लिया, यदि जे. डी. ए. काम नहीं कर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सकता, राज्य सरकार काम नहीं कर सकती तो जल महल को भी आप बिड़ला जी को दे दीजियेगा वह सारा काम कर लेंगे। नेटपैक कंसल्टेंसी पर चालीस लाख रुपये आपके खर्च हो गये। जयपुर में आतायात व्यवस्था ठीक नहीं है। बाढ़ नियंत्रण के लिये जो 18 करोड़ रुपये आपको मिले थे, उसमें आपने काम किया नहीं और जोनल आफीसर जो आपने बनाया है, वह जोन वाले यहीं दफ्तर में काम कर रहे हैं जब तक वह जोन में जाकर नहीं बैठेंगे, काम होगा नहीं। माउण्ट रोड की रिपेयर हुई नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा लीज मनी को 10 साल के रूप में ले लें और केसेज कंपाउण्ड करने की पद्धति हरियाणा को देख कर के और अपने केन्द्रीय मन्त्री भगत साहब को देख करके जो भी इस प्रकार के मकान बन गये, यह कृषि भूमि की समस्या नहीं हैं। आदर्श नगर, राजा-पार्क, सिंधी कालोनी में बहुत सारी कालोनीज बन गयी, मकान बन गये उन सारे मकानों का भी आप नियमन करें। यह मुझे जे. डी. ए. के सम्बन्ध में कहना है इसलिये मैं, इस मांग के साथ कहना चाहूंगा कि जे. डी. ए. को या तो आप भंग कर दीजिये और भंग नहीं करते हैं, तो जे.डी. ए. और म्यूनिसिपैलिटी को मिला करके एक कर दीजिये इनका एरिया, इनका काम का विभाजन कर दीजिये कि आप यह काम करोगे और आप यह।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय भार्गव साहब। आपने बहुत समय ले लिया। अब समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कुल दो मिनट का समय और लूंगा माननीय सभापति जी। जयपुर शहर में नगर परिषद बनी हुई है, नगर परिषद की हालत क्या है ? जयपुर शहर की हालत क्या है, या तो जयपुर का कोई धनीधोरी नहीं है। पी. डब्ल्यू. डी. कहता है हम जिम्मेदार नहीं हैं, हाउसिंग बोर्ड कहता है हम जिम्मेवार नहीं हैं जे. डी. ए. कहती है हम जिम्मेवार नहीं, नगर परिषद वाले कहते हैं सड़कें हमारी यह नही हैं। कोई यहां देखने वाला नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराना : जयपुर के प्रतिनिधि तो आप हैं न, आप कह रहे हैं कि धनीधोरी कोई नहीं है। प्रतिनिधि तो आप हैं न।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यहां निवेदन कर कर के, इनको कहते कहते थक गया और जैसा अभी बता रहे थे कि सारी गली-नाले धो देंगे, मेरे पास जो जयपुर शहर की समस्या होगी, वही बोलूंगा। मुझे जैसलमेर बीकानेर, बाड़मेर बोलने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह हालत है। आज जयपुर नगर परिषद् का 22 करोड़ का बजट है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य भार्गव साहब।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 12 कमिश्नर हैं। एक कमिश्नर पर दो लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च होते हैं। गाड़ियां हैं, उनके पास बंगले हैं तथा जैसे हाउसिंग बोर्ड में अधिकारियों की फौज वैसे जे. डी. ए. में और नगर परिषद में अधिकारियों की फौज कायम कर दी है। सफाई कार्य पर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

1078, 43, 400/-रुपया खर्च, देख लीजियेगा। कितना बड़ा बजट है और फिर जयपुर की हालत देख लीजिये। 11 करोड़ रु. खर्च हो जाने के बाद भी आज किसी भी गली या मोहल्ले को जाकर देख लीजिये कि जयपुर शहर की हालत महानिकम्मी है। जगह-जगह सड़कों पर पानी बह रहा है, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, गटर का कवर गायब है, इसी प्रकार से लाइट व्यवस्था पर भी 37,81,662 रुपये खर्च होते हैं। उनकी हालत देख लीजिये। लाइट के कर्मचारियों पर 18.75 लाख रुपया खर्च होता है। मोटर गैराज की व्यवस्था ठीक नहीं है हालत तो यह है कि जयपुर शहर में एक ही फायर स्टेशन है। एक कोने में कुल पांच गाड़ियां खड़ी हैं। बनीपार्क में फायर स्टेशन बन गया और वहां पर कायम नहीं किया जायेगा। जयपुर शहर में आग लग जायेगी। तो पानी का हाइड्रंट एक जगह है। 285 हाईड्रंट मिट्टी के नीचे दब गये। जयपुर शहर में फायर स्टेशन की व्यवस्था को ठीक करें और यह नहीं मुखर्जी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो जयपुर शहर में नगर निगम बनाना चाहिए और यदि यह आप बनायें तो इसके लिए कोई न कोई भवन तो होना चाहिये, यहां म्यूनिसिपैलिटी का भवन नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी का कांउसिल हाल तो यह है, जहां पर आप बैठे हुए हैं।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

यह विधान सभा भवन नहीं, म्यूनिसिपैलिटी का टाउन हॉल है आप बैठे हुए है। एक रुपये का किराया जो महाराजा लेते हैं, उनके आधार पर बैठे हैं। खाली टाउन हॉल की व्यवस्था भी हो। राज्य सरकार ने समय समय पर नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की घोषणायें की थीं मुख्य मन्त्री जी ने भी 25-3-89 को नगरपालिकाओं के चुनाव दिसम्बर 85 तक हो जायेंगे, बांसवाड़ा में कहा गया कि तीन से पांच साल का समय बढ़ा दिया गया। मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट आ गई, इन सारी बातों को देखते हुए जयपुर में नगर निगम के चुनाव शीघ्र ही हों और नगर निगम के चुनाव हो जाने के बाद पानी और बिजली, रोडवेज, सिटी बस इत्यादि की व्यवस्था सही हो सकेगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने माननीय मन्त्री जी को जयपुर शहर की जनता के जो वाजिब कष्ट हैं, उससे अवगत कराने का प्रयत्न किया हैं और नियमन वाली बात के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में माननीय मन्त्री जी निश्चित रूप से कृषि भूमि में जो मकान बने हुए हैं, और इनका नियमन कब तक हो जायेगा, इस प्रश्न का उत्तर मैं निश्चित रूप से लूंगा। यही प्रार्थना करते हुए, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

कार्यवाही से अपलोपित करने सम्बन्धी व्यवस्था पर चर्चा

श्री सभापति : माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था दी है। सुबह प्रातःकाल में मेवाड़ कॉम्पलैक्स के बारे में माननीया पर्यटन राज्य मन्त्री महोदया ने जो टिप्पणी की थी पंचायत समिति में मकान बनाने के बारे में श्री सी. पी. जोशी के सम्बन्ध में और श्री सी. पी. जोशी ने जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, और चुनौती दी थी, वह सारा उन्होंने एक्सपंज किया है। (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : यह क्या प्रथा चलाई साहब, जो मर्जी आया जो एक्सपंज कर दिया। हमको आब्जेक्शन है इस पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था का प्रश्न है।

सदन की कार्यवाही
बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय, सदन की सहमति से सरकार द्वारा आज की रखी हुई मांगों को पारित होने तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति के आधार पर आज का समय जब तक कि कार्यसूची समाप्त नहीं हो जाती, तब तक बढ़ाया जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराना : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर। सभापति महोदय, अभी जो अध्यक्ष महोदय के निर्णय की सूचना आपने दी है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कौन से पोर्शन से कौन सा पोर्शन, कहां से कहां तक एक्सपंज किया गया है, यह बताना आवश्यक है। क्योंकि एक्सपंज की जो संसदीय परम्परा है, उसमें यदि कोई असंसदीय शब्द आ गया हो, तो वह एक्सपंज होगा, लेकिन सिर्फ चूंकि एक कांग्रेस (आई) के सदस्य, एक मन्त्री और वरिष्ठ विधायक, उनको कुछ पेलेटेबल नहीं है या सूट नहीं करता और इसलिए रिकार्ड से वह दोनों बातें निकाली जायें, यह मैं समझता हूं कि यदि उसमें कोई अनपार्लियामेंटरी बात नहीं है, तो उसको एक्सपंज ही नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं इस पाइंट ऑफ आर्डर के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि कौनसा पोर्शन एक्सपंज हुआ है, पहले तो वह पोर्शन कहां से कहां तक एक्सपंज किये हैं, क्योंकि यह बताये बिना हम इस निर्णय में भी नहीं रह सकते हैं कि आखिर उसमें अनपार्लियामेंटरी वर्ड है क्या? इसलिए मैं यह चाहूंगा कि वह एक्सट्रैक्ट, जो एक्सपंज किया गया है, उसको आप सुना दें।

श्री सभापति : माननीय सुराना साहब।

श्री डूंगरराम पंवार : माननीय सी.पी. जोशी इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे, यदि एक्सपंज कर दिया तो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं इसी पर निवेदन कर रहा था आपसे, कि सुबह घटना यह हुई थी कि माननीय पर्यटन राज्य मंत्री यहां बोल रही थी, उन्होंने कुछ इस प्रकार के तथ्य दिये जो पहले ही सरकार द्वारा सदन में दिये गये तथ्यों के विपरीत थे, उन तथ्यों पर माननीय श्री सी. पी. जोशी ने कहा कि स्थान स्थान पर आपने पाबंदी लगादी, लोग मकान नहीं बना सकते। इस पर उन्होंने यह चार्ज लगाया कि आप पंचायतों के द्वारा मकान जबरन बनवा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर यह गलत चार्ज लगाया गया है और मैं...

श्री सभापति : माननीय घनश्याम जी, व्यवधान न करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय मंत्री महोदया पर, जो बहुत से काम हैं, उन पर आरोप लगाना चाहता हूं। इसमें इस प्रकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की कोई बात नहीं है सदन यह भी जानता है कि श्री सी. पी. जोशी ने सुश्री गिरजा-व्यास पर क्या आरोप लगाये थे, उन्होंने कौनसा गलत काम किया और सदन यह भी जानना चाहता था कि श्री सी. पी. जोशी ने पंचायतों के द्वारा जबरन मकान बनवा दिये। इन दोनों बातों का जब तक स्पष्टीकरण नहीं होता और इस पर जब तक असंसदीय कोई शब्द नहीं हो, तब तक इस व्यवस्था को आप अध्यक्ष महोदय से निवेदन करें कि इसको रोकें। असंसदीय शब्दों को निकालने का ही या अध्यक्ष की व्यवस्था के विपरीत बोलने पर ही एक्सपंज किया जा सकता है, ऐसे शब्द अगर एक्सपंज होंगे तो यह जो बोलने की सेन्टिटी वह समाप्त हो जायेगी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले पर आप पुनर्विचार करायें। यही मेरा आपसे कहना है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : ऐसा है सभापति महोदय, इस सदन में कई बार माननीय अध्यक्ष ने अपने विवेक से व्यवस्था दी है और जो वहां पर बहस हुई है...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था को चैलेन्ज नहीं कर रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : न केवल असंसदीय शब्दों को, इसके अलावा कल ही एक प्रकरण पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि अमुक-अमुक पोर्शन को निकाल दिया जाय, इसलिये मैं समझता हूं कि कल हुआ तब उन्होंने कोई विरोध नहीं किया...

श्री मानिकचन्द सुराना : माननीय कल्लाजी, आप सचेतक रहे हैं, अभी तो निकाले क्या गये हैं, यह तो पता चले।

श्री सभापति : माननीय सुराना साहब कह चुके हैं, मुझे भी कहने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह छप गया है समाचार पत्रों में...

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, जो अध्यक्ष महोदय, ने एक्सपंज किया है वह समाचार पत्रों में आ गया। कल भी ऐसी ही व्यवस्था हुई थी कि माननीय तत्कालीन गृह राज्य मन्त्री जी लक्ष्मण सिंह जी ने माननीय सुश्री पुष्पा जैन के खिलाफ कोई टिप्पणी की थी, वह अध्यक्ष जी ने निकाला सदन की कार्यवाही से और वह अखबारों में आ गया। इस तरह के सदन की कार्यवाही के साथ ही मखौल हो रहा है। इसमें कम से कम आप देखिये, अक्षरशः समाचार पत्रों में यह चीज आ चुकी है, इसके एक्सपंज होने के क्या मायने हैं?

श्री सभापति : कृपया बिराजें आप।

श्री सम्पत सिंह : इसलिए आपसे निवेदन है कि अध्यक्ष जी को दोबारा कहिये और वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें लिखा है कि सुश्री गिरिजा व्यास रो पड़ी, यहां तक अखबारों में छप गया है...

श्री डूंगरराम पंवार : यह भी जानना चाहिये कि माननीय सी. पी. जोशी से बिना सलाह ही या उनसे जबरदस्ती हुई है यह तो स्पष्ट कराओ।

श्री सभापति : कृपया विराजें आप, मुझे कुछ कहने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रो पड़ी, छप गया, अब बचा क्या है इसमें ?

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य । कृपया सुनें मुझे । माननीय अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती । एक्सपंज करने के जो माननीय अध्यक्ष को अधिकार हैं वे.... (व्यवधान) कृपया मुझे भी पूरी कहने दें, आप कह चुके हैं ।

श्री डूंगरराम पंवार : इससे सहमत हैं या नहीं, यह तो स्पष्ट होना चाहिये ।

श्री सभापति : जो एक्सपंज करने के माननीय अध्यक्ष के अधिकार हैं वे काफी विस्तृत हैं । उन्होंने उन व्यवस्थाओं के तहत जो एक्सपंज करने के निर्देश दिये, उसके अनुसार वह मैंने सुना दी है । यह आवश्यक नहीं है कि कौन सा पोर्शन एक्सपंज किया गया, उसको मैं वरबेटिम में रिपीट करूं क्योंकि आसन की तरफ से जो कोई भी बात कही जाती है, पूरी रिकार्ड में आ जाती है । जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक्सपंज किया है वह प्रोसीडिंग्स में उन्होंने इनिशियल करके उसको एक्सपंज करने का आदेश दे दिया है । कोई भी पत्रकार इस व्यवस्था से बाद अगर उसका उल्लंघन करता है तो जो कानून में प्रावधान है और जो रूल बने हुए हैं अपने सदन के, उनकी अवहेलना होती है । जो पहले पब्लिस हो चुका है उस पर क्या व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय देंगे । नहीं देंगे या इस तरह की कोई व्यवस्था है और उन्होंने कहा अगर अपने रिकार्ड में भी, पब्लिशर्स ने लिख दिया है तो उसकी क्षमा याचना करते हुए उसको वापस लेंगे, यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ बातें समाचार पत्रों में नहीं छपतीं । जैसे देखने को होती है, जैसे आया है कि सुश्री गिरिजा व्यास रो पड़ी...

श्री सभापति : कृपया बिराजें, माननीय घनश्याम जी । चर्चा न करें इस पर ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रोसिडिंग्स में तो नहीं है लेकिन छप गई; इसके लिए माफी कैसे मांगेंगे वे ? वह एक्सपंज नहीं हुआ है, बाद में एक्सपंज हुआ है .... (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, इस प्रकरण को निकालें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सांध्यकालीन अखबार चार बजे तक छप जाते हैं और इसलिये...

श्री सभापति : श्री शिवराम शर्मा

श्री दाऊदयाल जोशी : अब यह कहना कि समाचार पत्र खेद प्रकट करेंगे, यह तो कोई बात नहीं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सांयकालीन अखबारों में, जिनमें यह न्यूज आ गई, उनका क्या होगा ?

श्री डूंगरराम पंवार : माननीय श्री सी. पी. जोशी की अन्तरात्मा से खिलवाड़ हो रहा है यह ।

मांग संख्या 20 एवं 29 पर विचार

श्री शिवराम शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आवासीय और नगर विकास की मांग पर आज मैं पहले जयपुर नगर परिषद के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ....

(174)

श्री सभापति : माननीय शिव रामजी, मुझे खेद है कि मैं आपको इंट्रप्ट कर रहा हू। अध्यक्ष महोदय, ने जो निर्देश दिये है, चूंकि बोलने वाले काफी है और इस चर्चा को हम सीमित करना चाहते हैं इसलिए दस मिनट से अधिक समय नहीं लें। (व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : माननीय सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि मैं ज्यादा समय बोलने का आदि नहीं हू....

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री शिव राम शर्मा : दूसरी बात यह है कि आज मेरे खुद के गले में ही दर्द है। तीसरी बात यह है कि ....

श्री प्यारसीलाल परिड़वाल: आप बोलो ही नहीं, साहब।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, आज ये अपनी परफोर्मेन्स भी देंगे ....

श्री शिवराम शर्मा : तीसरी बात यह है कि जयपुर में सारे राजस्थान से आ कर आप लोग यहां की खुशियों में खुशहाल होते हैं और दुख को भोगते हैं। इसलिए मैं आप ही की बात बोलूंगा, कांग्रेस साइड से, इसलिए यह पाबंदी मेरे ऊपर नहीं लगावें तो आपकी मेहरबानी होगी।

श्री डूंगरराम पंवार : गले के लिए विक्स वेपोरब इस्तेमाल करें।

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, जयपुर की जनसंख्या द्रुत गति से बढ़ती जा रही है। ज्यादा जो जनसंख्या बढ़ी है वह सरकार की लापरवाही के कारण, उस वक्त यू. आई. टी. के निर्णय न लेने कारण, हाउसिंग सोसाइटीज के कारण जयपुर बढ़ा है। जयपुर बढ़ तो गया, 16 लाख की आबादी हो गयी लेकिन नगरपालिका ने जो अपना दायरा रखा है - सफाई का, नालियों का, रोशनी का, वह जो आज से पन्द्रह, साल पहले, दस साल पहले था, वह ही दायरा आज भी रखे हुए है। जिस वक्त जयपुर की आबादी आठ- दस लाख की थी उस वक्त में मुझे याद है दो- तीन तो यहां कमिश्नर थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर था अभी भार्गव साहब ने बताया कि यहां एक दर्जन तो कमिश्नर हो गये हैं और एडमिनिस्ट्रेटर और न मालूम कितने स्वास्थ्य अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं है और इतनी खींचातान हो गई है कि सफाई जो होनी चाहिए थी उससे उल्टी वह गंदगी में बदलती जा रही है। बाहरी एरिया के लोग इतने दुखी हैं कि जगह जगह गन्दे पानी के खड्डे भरे हुए हैं। सफाई नाममात्र की भी आज नहीं हो रही है....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अन्दर के भी इतने ही दुखी हैं।

श्री शिवराम शर्मा : बाहर तो दूर रहा लेकिन शहर के अन्दर भी अगर मुआयना किया जाय तो इनको हरिजन दिये हैं, हरिजन भी बार-बार हड़ताल करते हैं। जैसे-जैसे अधिकारियों ने कमिश्नर मांगे, वैसे-वैसे सरकार ने कमिश्नर भी दिये। इनके जैसे-जैसे काम के बंटबारे करने चाहिए उस तरह का बंटवारा भी किया गया लेकिन इस आर. ए. एस. अधिकारियों की जमात ने इस जयपुर का उल्टा बंटाढार कर दिया। मैं पहले तो आपकी मार्फत स्वायत्त शासन मन्त्री जी से निवेदन करुंगा कि इन

(श्री शिवराम शर्मा)

आर.ए.एस. अधिकारियों को इस जयपुर नगर परिषद से विदा करें और नगरपालिका सेवा के जो कमिश्नर्स हैं जो कि शुरु से ही भंगियों से वास्ता पड़ते हुए तरक्की करते हैं, उन्हीं लोगों के जिम्मे अगर यह सफाई व्यवस्था देंगे तो ही जयपुर का भला हो सकेगा -सफाई के बारे में। अन्यथा ये जो अवसर पाने के चक्कर में, अच्छी पोस्टिंग के चक्कर में जयपुर म्युनिसिपेलिटी में आ कर बैठ जाते हैं और ये कुर्सियों पर राज करते रहते हैं। उनको न किसी जन प्रतिनिधि की परवाह है, न और किसी की परवाह है, इनको बस इनकी पोस्टिंग की परवाह रहती है तो कृपा करके सबसे पहला काम तो यह करें कि जहां इनको अच्छी पोस्टिंग दें, हमें तो नगरपालिका -नगर परिषद सेवा के ही कर्मचारी दे दें जिससे जयपुर की सफाई हो सके।

सभापति महोदय, जयपुर की जो कच्ची बस्तियां है जिनको यू. आई. टी. और जे. डी. ए. ने बसा दिया है, उनके अन्दर आज कई बस्तियां ऐसी हैं जिनके अन्दर नाममात्र का सफाई कर्मचारी नहीं हैं। मैंने बार-बार म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को लिखा है। एक अशोकपुरा - सोड़ाला कच्ची बस्ती है, सर मिर्जा के टाइम से बसाई हुई हैं, पट्टे भी दे दिये गये है, वे पट्टे कितने दिये गये हैं वह तो जे. डी. ए. का नम्बर आयेगा तब बताऊंगा लेकिन वहां सफाई नाम की व्यवस्था आज तक नहीं है, टेम्परेरी हरिजन भेजेगें और तीन दिन में वापिस बुला लेगे। यह यहां का हाल है। इसी प्रकार झोटवाड़ा के अन्दर हरिजन बस्ती, धाणका बस्ती, रैगर बस्ती है, उनके अन्दर नाममात्र के भी हरिजन नहीं हैं। यह जितना एरिया बढ़ा है जो म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में आता है कि जिसको जे. डी. ए. ने मान्यता दे दी है, राज्य सरकार ने मान्यता दे दी है, पट्टे दे दिये, रेगुलराइज कर दिये हैं, उनके अन्दर भी सफाई नहीं हो रही हैं। सभापति महोदय, जयपुर में गलियों के अन्दर जो रोड़ लाइट की व्यवस्था है, बत्तियों की जो व्यवस्था है - वह इतनी खराब है कि गुण्डा राज हो रहा है जयपुर के अन्दर पूरे के पूरे रास्ते बन्द पड़े रहते हैं, कई महीनों तक सुनने वाला नहीं है यही हाल इन कच्ची बस्तियों का है। जिन कालोनियों के अन्दर वी. आई. पी. रहते हैं, उन कालोनियों में तो मरक्यूरी जली हुयी रखी है सोडियम लाइट जली हुयी रहती है और जिन बस्तियों में गरीब रहते हैं वहां आपको नामों निशान नहीं मिलेगा, अंधेरे का राज मिलेगा। गुण्डों का राज मिलेगा, क्योकि अंधेरे के अन्दर गुण्डे अपना कारोबार चलाते हैं। कृपया मंत्री महोदय, आप मेरे साथ चलिए एक, दिन मैं आपको बताता हूं कि आपके इस जयपुर शहर की रोड लाइट की क्या स्थिति है ? पहले यहां चौधरीजी स्वायत्त शासन मन्त्री थे। वह जहां-जहां गये थे मौके पर देखने गये थे; कालिख पोतनी चाहिए इस नगर परिषद पर कि जहां-जहां मन्त्रीजी दौरे। पर गये वहां ज्यादा कूड़ा इक्ट्ठा हो गया था। दुबारा मन्त्रीजी जाने की हिम्मत नहीं कर सके। आप मत चले जाना कहीं नहीं तो आपका भी वही हाल होगा। हमने तो जाना बंद कर दिया है। यह तो जा करके गाली काढ़ देते है विरोधी लोग, हम नाक वाले आदमी वहां जाकर क्या कर सकते है।

(श्री शिवराम शर्मा)

नालियां बंद पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, सफाई कागजों में बता देते हैं, हम टेलिफोन पर बात करते हैं तो सफाई होगयी, फावड़े, परातें, हाथ ठेलियां पता नहीं कहां जाती है ? वर्कर्स को नहीं मिलती है बराबर उनकी शिकायतें करते रहे हैं । खास तौर से जहां मैं रहता हूं वहां नहीं मिलती है । आज वहां 17 गाड़ियों की जरुरत है । 2-3 गाड़ियां हैं नार्म्स के हिसाब से 17 गाड़ियां चाहिए । लेकिन 17 की जगह दो तीन गाड़ियां हैं । एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी कहा कि मैं कल भिजवा दूंगा । यह सफाई क्या करवायेंगे ? कचरे के ढेर जगह-जगह पड़े हुए है ।

इन्होंने प्रगति विवरण में दिया है कि कितना हजार टन कूड़ा कचरा उठा दिया वह राजस्थान का है लेकिन कुछ ही बड़ी सिटी हैं, तोलने का कांटा लगा रखा है क्या ? एक चक्कर के तो पांच चक्कर करते है ठेकेदार और यहां के मैनेजमेण्ट की मेहरबानी से एक-एक के पांच पांच चक्कर होते हैं । एक चौकीदार बैठा दिया हैं कि देखते रहना, एक के पांच करते रहना खुद पर जिम्मेदारी नहीं हो इसलिए एक जमादार को और बैठा देते हैं कि तुम कहते हो वह मान लेंगे । 10-20-50 उसको थमा दिये बाकी जिनके हैं उनके ही हैं । एक दर्जन फौज हैं ना वही काम कर रही है ।

शौचालय या तो है ही नहीं और अगर हैं तो उनके अन्दर पानी नहीं है, बुरी बदबू मारते हैं, सडान्ध मारते है, कुछ जौहरी बाजार में जरुर होगा, जिनके अन्दर पानी चलता होगा, चलता रहता है, बाकी तो शौचालय की हालत ऐसी है कि वहां पास से कोई भला आदमी निकलता है तो वह नाक बंद करके निकलता है और बाहर के एरिया के लिए निवेदन करूंगा कि जहां आवश्यकता हो चाहे नगर परिषद बनाये या जे. डी. ए. बनाये शौचालय बनाने चाहिए और उनको न मालूम क्या बीमारी हो गयी है इन अधिकारियों को कि जन प्रतिनिधियों का पूछने जरूरत ही नहीं, कि कहां शौचालय बनाना है, कहा कचरे के ढेर इकट्ठे करने हैं, कहां रोड लाइट की व्यवस्था ठीक करनी है, न मालूम उनको क्या बीमारी हो गयी है ? एक बात बता दूं मन्त्री महोदय, अब बर्दाश्त नहीं होगा । बहुत हो गया बर्दाश्त, हम अब उनका घेराव करेंगे, घेराबदी में क्या होगा उसके रिजल्ट्स आप जाने, जयपुर की जनता उनको बहुत बर्दाश्त कर चुकी है, अब उनको बर्दाश्त करने वाली नहीं है । आगे आप सोचें ।

एक बात और बताऊं अभियान चलाकर के ढोंग रचाते हैं, सफाई अभियान न मालूम कौन कौन से अभियान । हमारे बाहरी एरिया के अन्दर भी अभियान चलाया, हाउसिंग सोसायटी के एरिया को रेगुलराइज नहीं किया, जे. डी. ए. ने नक्शे पास नहीं किये, कनवंजन रुल्स पास नहीं किये यह जब चाहे तब हाउस टैक्स लेने पहुंच जाते है । जे. डी. ए. उस मकान को तोड़ेगा तो क्या उनको तोड़ने का म्युनिसिपलैटी देगी ? हाउस टैक्स तो लेने को तैयार हैं, चाहे उसका नक्शा पास हो या न हो, वहां सफाई करेंगे नहीं, वहां रोड लाइट देंगे नहीं, लेकिन इनको हाउस टैक्स दे दो अगर हाउस टैक्स म्युनिसिपलैटी लेती है तो

(श्री शिवराम शर्मा)

माननीय मन्त्री महोदय, आज ही आप आदेश दीजिए कि जहां हाउस टैक्स लेते हैं, नगर परिषद वहां उनको रोड लैं इट की सुविधा देनी पडेगी, वहां उनको नाली की सुविधा देनी पड़ेगी, वहां उनको सड़क की सुविधा देनी पड़ेगी, तब तो हाउस टैक्स लें, नहीं तो सारे बंद कर दो ।

(समय समाप्ति- सूचक-घंटी)

मैं तो अपने आप ही बन्द कर दूंगा । भला काम करना कम हो गया है ।

श्री शोपत सिंह : पानी का गिलास लावें क्या ?

श्री शिवराम शर्मा : मन्त्री महोदय, एक ट्रीटमेंट प्लांट और एक कम्पोस्ट प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट का भार्गव साहब और हमारे पंचायत राज्य मन्त्री ने इसका बहुत विरोध किया था । बड़ा सड़ांध मारता है, आसपास के लोगों का नारकीय जीवन है, नारकीय जीवन हैं । इस बदबू को जो आसपास में रहने वाले हैं वह क्यों भुगतें, आप शहर की बदबू को वहां से उठाकर दूसरे हिस्सों में भयंकर रूप से फैला रहे हैं तो इसका उपाय किया जाना चाहिये ।

दूसरा हाउसिंग बोर्ड एक बहुत बड़ा चालीस हजार की आबादी का नगर बनाने जा रहा है न्यू सांगानेर सोडाला रोड पर वहां कम्पोस्ट प्लांट है, वह आज भी उसी तरह से है और अगर थोड़ी भी बूंदाबांदी हो जाती है तो वहां के लोग उधर से नहीं निकल सकते हैं तो उसको वहां से तत्काल शिफ्ट करने की योजना बनाइये ।

श्री प्यारसीलाल परिंडवाल : सरकार की बुराई कर रहे हैं ।

श्री सभापति : सुझाव दे रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं ।

श्री शिवराम शर्मा : अब मैं नगर परिषद के बाद जे. डी ए. एरिया की कुछ कच्ची बस्तियों के बारे में बताना चाहूंगा । सभापति महोदय, जयपुर में जब नगरपरिषद् का एरिया सीमित था उस वक्त में झोटवाड़ा पंचायत के अन्दर एक झोटवाड़ा पंचायत थी और एक रामपुरा रूपा पंचायत थी, उन दो पंचायतों के अन्दर झोटवाड़ा पंचायत के तहत पंचायत ने पट्टे वहां के रिहायशी लोगों को दिये थे और वह पंचायत के पट्टे उन गरीबों को क्यों दे दिये ? आज भी वह उनके दुख से ग्रस्त है न तो जे. डी. ए. उनके नक्शे पास करती है । पंचायत पट्टों के नाम पर आज से तीस चालीस साल पहले उनको पट्टे मिल गये, उनका कुछ भी विकास किया जा रहा है और बस्तियां कौन सी हैं रैगर बस्ती, धानका बस्ती, हरिजन बस्ती यह तो झोटवाड़ा की है । नायका बस्ती । मैं बराबर लिखता रहा हूं लेकिन एक पैसा जे. डी. ए. ने खर्च नहीं किया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 10 साल से आप क्या कर रहे हैं ?

श्री शिवराम शर्मा : मैं आपको और जे. डी. ए. को +++

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे क्यों +++ ? उनके चूड़े फोड़ लिये क्या जो मुझे +++

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री शिवराम शर्मा : इसी तरह मान-सिंहपुरा रैगर बस्ती है जो टोंक रोड़ पर हैं बराबर उस रैगर बस्ती के लोग इतने परेशान हैं कि सभापति महोदय, चारो तरफ विकास हो गया, हाउसिंग सोसायटी का भी विकास हो गया लेकिन उसका विकास नहीं होता है। न मालूम उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन लगा हुआ है, वह कमिश्नर से भी ऊपर हैं

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, यह पार नहीं पड़ेगी। मैं बैठ जाऊंगा नहीं तो। मैं जयपुर के बारे में बोल रहा हूं अध्यक्षजी, से आप पूछ लीजिए।

श्री सभापति : आपने पहले आश्वासन दिया था।

श्री शिवराम शर्मा : मैं एक मात्र जन-प्रतिनिधि हूं जयपुर का कांग्रेस का। यह मेरे साथ बैठे हैं मेरे ताऊजी, दूसरी पार्टी के मैं अकेला कांग्रेस की बात रखता हूं आप दूसरों का टाइम कम कर दीजिए। अभी तो बोलने लगा हूं खास बात है तभी तो बोल रहा हूं नहीं तो मैं बोलता नहीं हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने कैसे कहा कि केवल मात्र एक है।

श्री शिवराम शर्मा : यह हमारी पार्टी को डुबो रहे हैं विपक्ष वाले और सरकारी अधिकारी मिल करके उनके खिलाफ बोलूंगा नहीं, हमारी सरकार की आंख खोलूंगा नहीं।

श्री सभापति : दो मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बात तो आप हमारी बोल रहे हैं उसके बाद क्या दिक्कत है? हम भी प्रतिनिधि हैं, आपने कैसे कह दिया कि एक ही प्रतिनिधि हैं? यह आपने कैसे कह दिया हम भी तो हैं, आपके साथ हम हैं।

श्री शिवराम शर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि यह जो झोटवाड़ा की शिड्यूल्ड कास्ट बस्तियों को पंचायत ने पट्टे दिये हैं उनका और मानसिंहपुरा रैगर कच्ची बस्ती है जिनको भी पंचायत ने पट्टे दिये थे उनका तत्काल विकास कराया जाय। हमारे प्रधान मन्त्री जी की नीति है कि कमजोर को उठाया जाये और हम नीचे बैठाये जा रहे है उनको, हमारे प्रधान मन्त्री जी कहते हैं कि हरिजनों को ऊंचा उठाओ और इन्दिरा आवास और न मालूम किन-किन आवास योजनाओं के तहत मकान बनवाये जा रहे हैं और हम कचरे के ढ़ेर में घुसेड़ रहे हैं कि बेटे कोई बीमारी न हो तो और लगा लो गन्दगी का साम्राज्य बना रखा है वहां, तो कृपया आप आज घोषणा करें कि उनका विकास हम कर देंगे उनके विकास में नालियां वगैरह . . .

श्री सभापति : अन्तिम बात कह दें आप।

श्री शिवराम शर्मा : अभी तो दूसरी लाइन चालू हुई है। भारत सरकार ने कच्ची बस्तियों के लिए अनुदान की जो 300 रुपये पर हैड की मन्जूरी दी है वह सभापति महोदय, कई साल पहले की है। विकास दर कम से कम साढ़े चार सौ, पांच सौ पर आने वाली है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कच्ची बस्तियों का

(श्री शिवराम शर्मा)

विकास करना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो अनुदान की जो राशि है उसको बढ़ायें या भारत सरकार से मांग करें कि 15 साल पुरानी जो अनुदान की राशि है उसको बढ़ाया जाये ताकि विकास हो सके।

श्री सभापति : धन्यवाद, मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूं माननीय शिवराम जी 15 मिनिट हो गये हैं, कृपया सहयोग करें। मुझे अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये थे मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा।

श्री शिवराम शर्मा : उधर वाले तो काफी बोलते हैं आप उनको कुछ नहीं कहते हैं।

श्री सभापति : मैं उन्हें भी कहूंगा। आपके दल के सदस्यों की सूची काफी लम्बी है और यदि उनको अवसर देना है तो आप समय बता दें।

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, कच्ची बस्तियों का सन् 71 और 81 और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी श्री जोशी जी ने 85 तक के बसे हुए लोगों को यथा स्थान जहां तक हो सका उसी स्थान पर बसाने की घोषणा की और समय के अनुसार जयपुर इस तरह से बसता जा रहा है तो मैं इस राय का हूं कि जो आज तक बसे उन लोगों को वहां बसाया जाये और जो बसाने के साथ ही साथ उन बस्तियों को 71 और 81 की बस्तियों को जिनको हमने विधिवत बसा दिया है 10-15% केस ऐसे रह गये गरीबों के जिनको कि आज तक न तो अलाटमेंट लेकर मिले हैं न उनके पैसे जमा हुए हैं न उनके जो झगड़े हैं उनका सुलटारा हो सका तो निवेदन है कि उन बस्तियों में कैम्प लगा कर जे. डी. ए. कैम्प लगा करके उनकी दिक्कतों को दूर करेगी तो हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, आप भी गरीबों की बात नहीं सुनते . .

श्री सभापति : माननीय शिवराम जी आपने स्वयं ने कहा था 10 मिनिट में चर्चा समाप्त कर दूंगा . .

श्री शिवराम शर्मा : मैंने नहीं कहा था आपने कहा था।

श्री सभापति : आपने कहा था मेरा गला खराब है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री शिवराम शर्मा : वह तो है साहब, ठहर जाओ गम खाओ मैं तो अपने आप बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : भार्गव साहब ने आपको कोई दवाई दी है क्या ? कि गला ठीक हो गया। कृपया समाप्त करें।

श्री शिवराम शर्मा : कृपया आप मेरा टाइम बरबाद न करें, मेहरबानी करें। एक है ब्याज, जो किसी कारण से ब्याज की रकम जमा नहीं हो सकी गरीब की उनकी ब्याज दर इतनी ज्यादा हो गई कि रकम चौगुनी हो गयी तो कृपया उस पर आप देखें कि ज्यादा ब्याज नहीं लगे। गरीबों को जो तीन रुपया और पांच रुपया रियायत की दर से दिया है। बाजार भाव 2 रुपया

(श्री शिवराम शर्मा)

गज हो सकते हैं लेकिन हमारी नीति, हमारे देश के प्रधान मन्त्री की नीति के अनुसार उनको 3 और तीन से थोड़ी राशि बढ़ाकर उनको 5 रुपया दिया है, उसके साथ ब्याज में अगर हम रियायत नहीं करेंगे तो गरीब तो मारे जायेंगे । इसलिए कृपया इस पर विचार करें। कई प्लाटों का 15 साल पहले उनको अलॉटमेंट किया गया लेकिन साइड प्लान और कब्जा पत्र आज तक उनको नहीं दिया गया । जे. डी. ए. के सैकड़ों चक्कर खा कर घर बैठ गये + + + वे भी जल्दी कराये जायें ।

श्री समापति : कृपया समाप्त करें माननीय शिवराम जी ।

श्री शिवराम शर्मा : एक बार कच्ची बस्ती में विकास हो गया उसके बाद....

श्री सभापति : शिवराम जी मैं आपको सहयोग दे रहा हूं, समाप्त करें आप ।

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, अभी तो हाउसिंग सोसायटीज पर बोलना है ।

श्री सभापति : आपको पहले ही कहा था 10 मिनिट, आपने 20 मिनिट ले लिये हैं आखिर कोई सीमा होती है हर एक व्यक्ति के लिए ।

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय रात को रोजाना 11-11 12-12 बजे जाते हैं आज जल्दी जाना है क्या ? पूछ लीजिये मन्त्री जी को अगर इन्हें जल्दी जाना हो...

श्री समापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री शिवराम शर्मा : मैं बोल रहा हूं सभापति महोदय, मैं कांग्रेस का एक मात्र प्रतिनिधि हूं ।

श्री समापति : आप बोले जा रहे हैं ।

श्री शिवराम शर्मा : अभी तो भैरोंसिंह जी डेढ़ घंटा बोले हैं मुझे पौन घन्टे तो टाइम दिया जाये । आज भैरोंसिंह जी साहब ने पूरा समय जयपुर में ही लिया है वे कहते हैं कि भार्गव साहब गये नहीं...

श्री समापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री शिवराम शर्मा : वह पहले तो टांडे जोर के बाद में बोलने लगे हाउसिंग सोसायटी पर और भार्गव साहब उनकी मदद कर रहे हैं और वे विरोध कर रहे हैं ।

श्री सभापति : आप अपनी बात कहें माननीय सदस्य ।

श्री शिवराम शर्मा : ऐसा तो मैं बोल नहीं रहा हूं मैं तो टू दी पाइन्ट बोल रहा हूं ।

श्री सभापति : कृपया अपनी बात कह दें ।

श्री शिवराम शर्मा : सुनो साहब, तो एक दफा विकास करने के बाद चाहे 15 साल पहले ही किया हो दुबारा सड़कें नहीं बनाई जा रही न ही नालियां बनाई जा रही हैं उससे नालियों में आज इनकी गन्दगी सड़ रही है । कच्ची बस्तियों के अन्दर न

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री शिवराम शर्मा)

वहां दवाई डाली जाती है न वहां दुबारा सड़क बनाई जाती है। कृपया जो पुरानी बस्तियां हैं जिनके अन्दर सड़कें नालियां टूट गयी हैं उनको दुबारा बनाने की कार्यवाही की जाये और खास तौर से हरिजन बस्तीओं की हालत यह है कि नाले साफ होते नहीं हैं महसनपुरा में एक अजमेरी गेट से गया हुआ ढेर पड़ा है, कचरे के बड़े-बड़े नाले जो हैं वहीं गन्दगी का ढेर हो रहा है। एक बार दोबारा पैकिंग करें, बरसात आ गयी, अभी तो बरसात की मेहरबानी नहीं हुई है अगर हो गई तो बड़ी हालत खराब हो जायेगी। एक और है, सभापति महोदय एक ओ. टी. एस. कच्ची बस्ती, ओ. टी. एस. कच्ची बस्ती के लोग जे. डी. ए. के सामने सवा सौ दिन या डेढ़ सौ दिन रहे + + + लेकिन उनको और सुविधा देना तो दूर रहा उनको एन. ओ. सी. बिजली के लिए भी नहीं मिल रही है। बिजली तो कोई भी ले सकता है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है लेकिन एक पाबन्दी लगा दी, पाबन्द कर दिया वह गरीब आज बिना बिजली के रहेंगे, उठाना तो है नहीं वे दस साल भी नहीं उठेंगे। सभापति महोदय, उठाने की है भी नहीं। कठपुतली कालोनी वाले बैठे हुए हैं उनको बसाने की योजना नहीं है, बसा क्यों नहीं रहे हैं ? मैंने जब कहा तो जे. डी. ए. वाले कहते हैं कि साहब हिज-आइनेस जयपुर में झगड़ा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में अगर उनको हटा देंगे तो हिजआइनेस जीत जायेंगे। ऐसी हमारी नीति होना चाहिये तो जब तक उनको नल और बिजली की ओ. टी. एस. कच्ची बस्ती वालों को... मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी उन + + + गरीबों को उन्होंने क्या कर दिया कि आज 25-30 साल से बैठे हुए हैं। उनकी एग्रीकल्चर जमीन का झगड़ा और है उन लोगों को क्यों नहीं बसाते आप लोग ?

श्री सभापति : माननीय शिवराम जी मैं आपको समय नहीं दूंगा, आप अवहेलना कर रहे हैं आसन के निर्देशों की। कृपया बैठिये, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री शिवराम शर्मा : × × ×

श्री सभापति : आप बोलें बराबर बोलें, जब आपको अवसर दिया जाय जब बोलें। माननीय सदस्य बिराजें। आपका रिकार्ड नहीं किया जायेगा मैं आपको सम्मान दे रहा हूं और सम्मान देता रहूंगा। कृपया आप सहयोग करें आप 25 मिनट ले चुके हैं।

श्री शिवराम शर्मा : × × ×

कई माननीय सदस्य : 10 मिनट और।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मुझे आपकी पैरवी की आवश्यकता नहीं है। कृपया बिराजे, माननीय सदस्य, आप बिराजे। रिकार्ड किया जाये।

श्री शिवराम शर्मा : माननीय मंत्री जी इस योजना को हाथ में लें, जल महल

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित नहीं किया गया।

(श्री शिवराम शर्मा)

योजना है. माननीय शिवचरण जी माथुर पहले मुख्यमन्त्री थे और स्वायत्त शासन मन्त्री जब थे श्री राम जी गोटेवाला, उसका हम बड़े चाव से उद्घाटन करके आये थे ... जयपुर जैसी राजधानी का भी यह हाल हो रहा है । एक ट्रेफिक व्यवस्था भी यहां की बहुत गड़बड़ाती है । कभी जे. डी. ए. की तरफ से बना देती है, कभी इधर से बना देती है । कभी इधर का नाका कर देती है, कभी उधर का नाका कर देती है तो जो करना है एक बार करो ।... मनी वेस्टेज क्यों करते हैं ? एक नियमन कमेटी जो बनाई है जे. डी. ए. ने . .

श्री सभापति : अब कितने और विषय हैं जिन पर आप बोलना चाहते हैं ? आप स्वयं कह दें कितना समय लेंगे, बीस मिनट लेंगे, दस मिनिट लेंगे, मैं आपको उतना अवसर दे दूंगा । आप कह दीजिए कि कितना समय लेंगे आप ?

श्री शिवराम शर्मा : दस मिनिट दे दीजिए । यह जो नियमन कमेटी, अनआथोराइज्ड रेगूलराइजेशन कमेटी बनाई है उसमें इतना भारी वजन डाल दिया है लोगों पर कि जो 50 रुपये लगते हैं पैनल्टी वह आज दो हजार हो गयी, जिसकी 500 रुपया फीस थी उसकी पाँच हजार हो गयी । ट्वण्टी टाइम्स कर दिया तो उस कमेटी के बारे में राज्य सरकार से कोई उसकी स्वीकृति भी नहीं ली गयी तो उस पर पुनर्विचार करें कि यह नियमन कर रहे है कि यह लोगों के गले में फंदा लगा रहे हैं । इसके ऊपर भी पुनर्विचार कर लोगों को राहत पहुंचाने की कृपा करें ।

अब मैं जयपुर की हाउसिंग सोसायटियों के बारे में बात करना चाहूंगा । सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जयपुर की जितनी भी हाउसिंग सोसायटियों का क्षेत्र है, 80 प्रतिशत हाउसिंग सोसायटियों का क्षेत्र मेरे इस बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में आता है और इसमें समस्याओं का अम्बार है । सबसे बडी समस्या जो इस में रुकावट है अरबन सीलिंग लैण्ड कानून की पड़ी है । जो इसमें अड़चनें आ रही हैं समय निकाल करके, दो-दो तीन-तीन कमेटीज भी बनाई । पहले एक कमला जी की अध्यक्षता में बनाई, दूसरी एक प्रभाकर जी की अध्यक्षता में बनाई । यह क्या समय निकालने के लिए बनाई थी कमेटियां ? (व्यवधान) यह सीलिंग कानून से आम नागरिकों को जो दिक्कतें हो रही हैं इस पर बैठकर विचार करें और जो तकलीफें लोगों को हो रही हैं वह दूर करायें ।

एक सैक्टर रोड्स के बारे में कहना चाहता हूं, सैक्टर रोड्स के बारे में मैंने शिवचरण जी माथुर को निवेदन किया था और वह भी घनी आबादी में, पहले तो बाहर ही बना रहे थे खाली जमीनों में, सैक्टर रोड के नाम पर दो तिहाई सड़कें बना रहे थे, जो अन्दर की बस्तियां हैं उनके अन्दर रोड्स की हालत ऐसी खराब हो गयी है कि जैसे किसान मार्ग है किसान मार्ग के लोग, आपसे पहले जो मन्त्री थे वर्मा साहब वहां मौके पर ही भी जाकर आये थे यह शर्म की बात है कि हमारा जे. डी. ए. का मन्त्री मौके पर जा आये और कह आये उसके बाद में भी वह सड़के नहीं बना रहे हैं तो फिर हम सरकार का क्या विश्वास करें, विश्वास उठेगा नहीं तो क्या होगा । मेरा निवेदन हैं कि किसान मार्ग जो मन्त्री जी देख

(श्री शिवराम शर्मा)

आये थे, जिसके लिये कह आये थे वहां के लोगों को और जे. डी. ए. से करीब-करीब कई दफा लिखा पढ़ी हो चुकी है, इस किमान मार्ग के मोड़ को कृपया जल्दी से बनाने की कृपा करें।

इसी तरह से रामनगर और सिविल लाइन्स की सड़कों की भी हालत वास्तव में बड़ी खराब हैं। मन्त्री महोदय, अगर आप 25 लाख रुपये की स्वीकृति दे देते हैं, एक रोड लाइट का वायर डालना है घनी आबादी के क्षेत्रों के अन्दर यह जितनी भी हाउसिंग सोसायटी के क्षेत्रों का एरिया है 25 लाख रुपये आप स्वीकृत कर देंगे तो यह घनी आबादी के जितने भी हाउसिंग सोसायटी का क्षेत्र हैं जैसे आपके झोटवाड़ा, कई बस्तियां इधर टोंक फाटक के आस पास की बस्तियां हैं बाइस गोदाम के आस पास की बस्तियां हैं जिनके अन्दर रोड़ लाइट नहीं हैं सड़कें बना दी, कई जगह जे. डी. ए. ने नहीं बनाई हैं. सबने बिजली के कनेक्शन ले लिये हैं अगर उसमें एक रोड लाइट वायर डल जाता है तो वहां जो गुण्डा एलीमेंट पनप रहे हैं और रात को जो जगह जगह हो रहे हैं। कीचड़ में तो नालियां हैं नहीं। वहां रोड लाइट होने से वहां के लोग गुण्डा एलीमेंट से अपने आपको ठीक ढंग से वहां रख सकते हैं। सारे क्षेत्र में रोड लाइट हो जायेगी, 25 लाख रुपया भी इसके लिए मन्जूर कर दीजिए तो फिर ज्यादा शहर के हाउसिंग सोसायटी के क्षेत्रों में रोड लाइट हो जायेगी, 25 लाख रुपया इसके लिये भी मन्जूर कर दीजिए तो एक ओवर ब्रिज माधवराव जी सिन्धिया साहब पधारे थे उन्होंने उद्घाटन किया था, मुख्य मन्त्री जी भी गये थे, 22 गोदाम का ओवर ब्रिज का काम अभी चालू नहीं हुआ है, उसमें क्या तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं उनको जल्दी दूर करायें। इसके अलावा झोटवाड़ा में इतना ज्यादा ट्रेफिक है कि वहां भी एक ओवर ब्रिज की सख्त आवश्यकता हैं। सिन्धिया साहब ने फरमाया था कि राज्य सरकार जो भी हमें भेजेगी उनके रेलवे ट्रेक का तो उनका खर्चा हैं बाकी दोनों साइड का राज्य सरकार वहन करने के लिए जिस जिस के लिए तैयार हो रेलवे डिपार्टमेंट उसके लिए तैयार है। उसके लिए झोटवाड़ा ब्रिज और गोपालपुरा बाईपास का जहां कि एक हाउसिंग बोर्ड और जे. डी. ए. ने भी कालोनी बनाई है और घनी आबादी का, भयंकर ट्रेफिक का क्षेत्र हो गया हैं वहां भी उनको कराया जाये। एक पृथ्वीराज नगर योजना जो ग्रीन बैल्ट थी वह किसानों के स्तर पर चढ़ गयी है। मैं निवेदन करूंगा इसमें बाइस गांवों की करीबन 11 हजार बीघा भूमि आ रही है क्योंकि जयपुर का एक एग्रीकल्चर का बढ़िया एरिया हैं मुहाणा, सराड़ा, नेवटा, करवारड़ा, मदरामपुरा, खाड़ड़ा, बगरू, रोड बम्बाड़ा, से चाकसू तक, गोनेर से आगरा रोड़ का, यह इलाका ऐसा हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा दिल्ली में जनकपुरी 35 किलोमीटर दूर है, राजधानी वह भी है सरकार ने वहां बसों की व्यवस्था की हुई है और अब तो भारत सरकार की रिंग रोड़, रिंग ट्वीन का भी प्रस्ताव है। अगर आप ला सकें, दो हजार करोड़ की वह योजना हैं अगर उसको ला सकें और बाहरी एरिया के अन्दर बसाया जाये जयपुर को अति उत्तम होगा। प्रेशर भी

(श्री शिवराम शर्मा)

नहीं बढ़ेगा जयपुर शहर के ऊपर। एक जो ग्रीन बेल्ट का नाम बदल रहे हैं, ग्रीन बेल्ट ऐसा है कि पश्चिम के ... (व्यवधान) विंग डाइरवशन यहां का पश्चिम का हैं अगर वहां सब्जी का एरिया और शुद्ध वातावरण के लिए अगर उन किसानों की जमीन को रखें और दूसरी जगह जहां उस अनउपजाऊ खारड़े की जमीन है, जहां कुछ पैदा नहीं हो सकता है वहां बसायेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।

मन्त्री महोदय, अन्त में एक और निवेदन करुंगा कि यह जो जयपुर की हाउसिंग की समस्या है या तो आप इसको कर दो। सीलिंग सरकार ने बढ़ाया है। कन्वर्शन डवलपमेंट एक दफा पहले भी मैंने थोड़ा गुस्सा आ गया था लोग मेरे को आकर परेशान करते थे मैंने पहले भी मुख्यमन्त्री जी को बार बार लिखा है और पुनः आज इस विधान सभा के मार्फत मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं या तो आप हम लोगों का कष्ट निवारण करें नहीं तो जयपुर के लोग अब सड़कों पर आने पर चूकने वाले नहीं हैं और अगर किसी का दही का एक दोना गिर जाता हैं तो सर फूट जाते हैं यहां तो जे. डी. ए. लाखों रुपये के मकान तोड़ रही है गरीबों के वह कैसे बरदाश्त होगा तो इसलिए यह जो एक समस्या आ गयी है यह हमारे सिर पर तलवार लटक रही है इसको दूर करने की कृपा करें।

यहां पार्क भी बहुत कम है। एक राम निवास बाग है, एक टोंक रोड़ पर पार्क है बाकी जो पार्क हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको विकसित कराया जाना चाहिये।

मैं मालवीया नगर में गया था मालवीया नगर में जो हाउसिंग बोर्ड ने सड़कें नालियां बनाई हैं उनकी हालत एकदम खस्ता हो गई है। वहां शायद मालवीया नगर बनने के बाद में दुबारा सड़कें बनी ही नहीं हैं। नालियां भी बिल्कुल भरी पड़ी हैं उनकी भी सफाई व्यवस्था किस डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं, उसकी भी जिम्मेवारी किसी पर डालें।

रिहेबलिटेशन आदर्श नगर के अन्दर जितने भी शरणार्थी बसे थे आकर आज पैसा पैसा कर रहे हैं। माननीय विपक्ष के नेता महोदय पैसा दे रहे थे एक हजार करोड़ रुपया। मैं आपको निवेदन करू अगर आदर्श नगर का आप फैसला कर लेते हैं तो करोड़ रुपया वहां के लोग देने के लिए तैयार हैं, हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो इसका बैठकर के जितना गज आप उनसे लेना चाहते हैं आदर्श नगर के लोगों से वह देने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका पूरा ध्यान रखेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे तो वह लोग आराम पायेंगे उनकी तलवार उतरेगी और राज्य सरकार के पास करोड़ों रुपया आयेगा। जो हमारी वित्तीय समस्या है उसके समाधान में भी हमें मदद मिलेगी।

यही कहता हुआ, आपने सभापति जी, संयम बरता उसके लिए और दुबारा पुनः आपके मार्फत मन्त्री जी को, सरकार को आगाह करता हुआ कि कृपया जयपुर के लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करे नही हमारा संयम टूटता जा रहा है। यहीं कहता हुआ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री नवरंग सिंह ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, . . .

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा, पहले दल के सदस्यों को बोलने दीजिए ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, जब से यह चर्चा चल चली है मैं सुन रहा हूं, जयपुर की समस्याओं की बाबत ज्यादा चर्चा हुई है । जयपुर राजधानी है पर मैं दूरदराज के नगर-पालिका कस्बों की ओर भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो सुविधायें आप यहां दे रहे हैं उसका पचासवां हिस्सा सुविधायें भी वहां नहीं दे रहे हैं । आवास और नगर नियोजन की मांग चल रही है, मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी जो नगर पालिका कस्बे हैं उनमें विकास नाम का काम आजादी के बाद कुछ नहीं हुआ है । नगर पालिकाओं की स्थिति तो यह है, मन्त्री महोदय, कि वह अपनी तनख्वाह भी नहीं चुका सकतीं, बराबर घाटे में चल रही हैं । उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे यहां नवलगढ़ है, मुकन्दगढ़ है, उदयपुरवाटी है, मण्डावा है, जितनी नगर पालिकायें है सबकी स्थिति यही है । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे की ओर भी सरकार का ध्यान जाय कि आखिर इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा इन कस्बों में भी रहता है । जे. डी. ए. के नाम पर, परिषद् के नाम पर या दूसरे ट्रैफिक के नाम पर बड़े-बड़े शहरों पर ही आप बजट राशि खर्च करते रहे तो जहां गरीब, हरिजन लोग रहते हैं उन कस्बों का विकास कैसे होगा ? मन्त्री महोदय, आज राजस्थान का गांव का आदमी शहर की ओर आकर्षित हो रहा है, जयपुर, जोधपुर बीकानेर, कोटा या उदयपुर की ओर आकर्षित हो रहा है उसका कारण यही है कि वहां विकास नाम की कोई चीज नहीं है, सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है और जैसा मैंने कहा, नगर पालिकायें अपनी तनख्वाह भी नहीं चुका सकतीं । सफ़ाई की व्यवस्था यहां थोड़ी बहुत तो होती होगी लेकिन कस्बों में आप कहीं भी गली में चले जाइये, सफाई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । कस्बों का रूप पूरी तरह से बिगड़ गया है, वह सड़ रहे हैं । मैं चाहूंगा कि उनकी ओर भी आपका ध्यान जाय, आपके डिपार्टमेंट को विशेष रूप से उन कस्बों पर गौर करना चाहिये । यही नहीं, मैं नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के स्टाफ़ के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं । प्रधान मन्त्रीजी कहते हैं कि तीन महीने में हम अनुसूचित जाति और जन जाति के रिक्रूटमेंट के गैप को पूरा करेंगे । आप पता लगा लें और जवाब दें, क्योंकि प्रधान मन्त्री के तीन महीने 13 अगस्त को पूरे हो जायेंगे, करीब एक महीना और है, कि आप ने कितना गैप स्टाफ़ में पूरा किया । मैं आपको कहता हूं कि किसी भी नगर पालिका में इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए बाकी कोई हरिजन या अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति स्टाफ़ में नहीं है, वह चाहे छोटी नगर पालिका हो या नगर परिषद् हो । प्रधान मन्त्री या तो झूठी घोषणा करते हैं और झूठी घोषणायें नहीं करते हैं तो इस सदन को अवगत कराया जाय कि नगर पालिकाओं में आरक्षण को पूरा करने का काम जो दो महीने से कर रहे हैं उसके तहत कितनी भर्ती की,

(श्री नवरंग सिंह)

कितना पर्सेन्ट दे दिया और एक महीने में कितना पर्सेन्ट और दे देंगे ?

नगर पालिकाओं में आमदनी का जरिया, चुंगी के बारे में कहना चाहता हुं कि पहले तो चुंगी का स्कोप ही बहुत कम है, थोड़ा-बहुत स्कोप यदि है भी, चाहे यहां चाहे वहां, तो उसमें भयंकर करप्शन है। चाहे अधिकारी हैं चाहे दूसरे व्यक्ति हैं, जिनका नगर पालिका से या नगर परिषद् से सम्बन्ध है उनका एक ही काम है कि जितना समय मिलता है उतने दाम कमा लो। मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था पर आप गौर करें। जितनी चुंगी आती है उसका आधा हिस्सा भी नगर परिषदों या नगर पालिकाओं में जमा नहीं हो रहा है बल्कि नगर पालिकाओं के लोग अपनी पाकेट में डाल रहे हैं। इस व्यवस्था पर विचार मैं यह नहीं कहता कि नहीं रोकना रोकना चाहते हैं तो कैसे उस रोक सकते हैं, उस पर प्रति- गर इस पर विचार ना यही है कि निवेदन करना पने चुंगी की चुंगी व्यवस्था पर विचार कीजिये। इस चुंगी की व्यवस्था आपको रखनी है तो इस व्यवस्था को ठीक करके चुंगी वसूलिये। इस चुंगी का पैसा नगर पालिका, नगर परिषद्, जयपुर हो या दूसरी जगह, आधा धन अधिकारियों की पाकेट में जा रहा है, कोई दूसरा रास्ता किसी को नजर आता नहीं।

इसमें नियोजन के बारे में भी है। इस बाबत निवेदन करना चाहूंगा कि एक लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों को तो आप सब सुविधायें दे रहे हैं लेकिन जो छोटे टाउंस हैं, पंचायतें भी हैं, जहां बीस हजार की आबादी है आप उनको पैसा नहीं देते। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपको म्यूनिसिपल टाउंस पर खास तौर से गौर करना चाहिए, उन पर आपका जोर होना चाहिये। बड़े शहरों की नगर परिषदों का, जे. डी. ए. का बजट लोगों के पाकेट में जा रहा है। मैंने यहां सुना है, जयपुर के बारे में बहस सुनी है कि उसका रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा। उन पैसे का थोड़ा हिस्सा उन छोटी नगर पालिकाओं में भी भेजिये चाहे वह चौमूं की नगर पालिका है चाहे वह नवलगढ़ की नगर पालिका है, चाहे रींगस की नगर पालिका है। उनके लिये आप तरक्की का रास्ता करेंगे तो गरीब लोगों की स्थिति भी सुधरेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि नगर में बाढ़ आ जाय तो भारत सरकार पैसा देती है, राजस्थान सरकार भी पैसा देती है। अब यह सब लोगों की शिकायत है कि वह पैसा लगा नहीं, खा गये, तो कोई इलाज नहीं क्योंकि गवर्नमेंट निष्क्रिय है सक्रिय नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान मे कई ऐसे

(श्री नवरंगसिंह)

म्यूनिसिपल टाउंस हैं कि जहां जब भी बरसात होती है पूरे के पूरे कस्बे की स्थिति, जैसे नदी में तैरने लगते हैं वैसी हो जाती है। आपकी ड्रेनेज की योजनाओं में, नालियां बनाने की योजनाओं में मैं जानता हूं कि आप बहुत पैसा खर्च नहीं कर सकते लेकिन आखिर कोई व्यवस्था तो उनके लिए भी होनी चाहिये, उनकी इतनी बुरी जिन्दगी है। नवलगढ़ कस्बे में आरक्षण जाति के लोग रहते हैं जो बरसों से इस कोशिश में हैं कि वहां कोई रास्ता बन जाय। वहां जब बरसात होती है तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वहां लोग किसी तालाब में या नदी के अन्दर रह रहे हों। कोई नवलगढ़ के लिये ही मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली मेरे यहां कर दीजिये लेकिन 99 पर्सेन्ट जगह, वह चाहे उदयपुर डिवीजन में हो या हमारे यहां झुंझुनू सीकर में हो, सबकी हालत यही है। उसका कारण यह है कि नियोजित ढंग से कस्बे बसे नहीं। जब बसावट हुई थी तब किसी को अन्दाजा नहीं था कि आबादी इतनी बढ़ जायेगी, कस्बा इतना बड़ा हो जायेगा। उनके बारे में तो यह हो गया कि वहां ड्रेनेज सिस्टम और नालियां निकालिये और आगे की योजना लागू करिये। जो मकान बन रहे हैं, दूसरी चीजें बन रही हैं, डोली है तो डोली पर बन गयीं, नीचे है तो नीचे बन गयीं, आगे आने वाले वर्षों में ज्यादा मुसीबत आयेगी इसलिए उसकी प्लानिंग बनाइये और नियोजित ढंग से लोगों को बसाइये। इसके अलावा दूसरी सुविधायें हैं जैसे यातायात की। पार्किंग की यहां बात करते हैं लेकिन वहां तो पार्किंग का लोग नाम भी नहीं जानते। छोटे म्यूनिसिपल टाउन्स में पार्किंग और दूसरी सुविधाओं को विकसित करिये।

एक निवेदन नियमन के बारे में भी करना चाहता हूं कि पुरानी भूमि पर बने हुए मकानों पर कन्वर्जन चार्ज लगा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय, से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां नवलगढ़ में भंगियों की बस्ती है, रैगरों का मोहल्ला है, मोचियों का मोहल्ला है जहां लोगों ने कहा कि 100-100 साल पहले का हमारे पास ठिकाने का साधारण पट्टा था, साधारण कागज था। वह लोग 100-100 साल से बसे हुए हैं लेकिन आज वह कहते है कि आप को कन्वर्जन का पैसा जमा कराना पड़ेगा तब आप का कंवर्जन होगा, आप को पक्का पट्टा मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक शहर नहीं सारे शहरों में, खास कर गरीब तबके के लोगों के सामने यह बड़ी समस्या है। आज अगर कोई मकान बनाता है तो उस के लिए आप ने नियम बनाये हैं लेकिन जैसा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप नियम बनाते हैं और उस को स्थगित करते हैं, इस से आप की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। मैं आप को निवेदन करना चाहता हूं कि उन कस्बों पर आप विचार करिये। गरीबों पर चार्ज लगा कर भूमि रूपान्तरण करके सरकार के पास कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं आयेगी। होता यह हैं, माननीय मन्त्री जी, कि अधिकारी रोजाना उन को नोटिस देते हैं, रोजाना परेशान करते हैं। ज्यादा परेशान करते हैं तो कोई दो रुपए दे देता है, कोई दस रुपए दे देता है। 20 रुपए अधिकारी ले कर आ जाता है। आप का पैसा वसूल नहीं होता है उल्टे आप की एनर्जी और वैस्ट हो रही हैं। इस बारे में आप नीति बनाइये कि इस नीति से आप चलना चाहते हैं। जितने पुराने लोग हैं,

(श्री नवरंग सिंह)

शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, एक साथ नियमन के नियम बना कर उन का नियमन कर दीजिए ताकि वह लोग तंग नहीं हों। मैं आप को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गृह निर्माण समितियों की मार्फत या दूसरे तरीके से कुछ पैसा लोगों को मिला, कहीं सात हजार मिले तो कहीं आठ हजार। लेकिन आज स्थिति यह हो गयी है, माननीय मन्त्रीजी, दोबारा कमेटी आप ने बैठायी है, और कमेटी बैठा कर आप अन्दाजा लगा लें, खासकर हरिजन और गरीब तबके के लोग गृह निर्माण का जो पैसा आपने दिया उस पैसे को लौटाने की स्थिति में नहीं हैं। और न ब्याज देने की स्थिति में हैं, बराबर मैं इस चीज को देखता आ रहा हूं, नवलगढ़ हो, सीकर हो, भुन्झुनू हो, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में मैं जाकर आया हूं मुझे तो ऐसी स्थिति ही मिली है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनके या तो कर्जे माफ किये जाये, राईट ऑफ किये जायं क्योंकि वह तो हरिजनों के नाम पर हैं, हरिजनों ने जो लिया है कम से कम ब्याज माफ करके रेगुलराइज करिये ताकि आगे के लिए सारी स्थिति सुधर सके।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपने खासकर हाउसिंग बोर्ड में लोज मनी का सिस्टम निकाला हैं, इसको सीमित करिये। 99 साल तक कौन तो जमा करायेगा, कब जमा करायेगा, कितना ब्याज लगेगा ? खास कर हाउसिंग बोर्ड के बारे में चाहे कहीं भी हो चाहे जयपुर में हो, भुन्झुनू में हो, सीकर में हो आप इसको सीमित करिये, कितने वर्ष का लेना चाहते हैं या तो इकट्ठा ले लीजिये नहीं तो 18 पर्सेन्ट ब्याज में तो पीढ़ी दर पीढ़ी कब तक चुकायेगा, आगे सारा झगड़ा हो जायेगा ? इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर भी आप पुनर्विचार कीजिये या इसका कोई सही समाधान निकालिये।

इसके अलावा मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बडे शहरों के आस पास जहां पर काश्तकारों की जमीनें है और क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के हिसाब से आपके आफिसर्स यह कहते हैं कि फला जगह जो जमीन है वह बेच नहीं सकते और उसका नतीजा यह निकलता है-माननीय मन्त्रीजी आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कायदे से वह जमीन बेच नहीं सकता, उससे ब्लेक मेल सोसाइटी वाले हैं यह उनसे छोटे छोटे बौण्डस पर, 5-5, 10-10 रुपये के बौण्डस के ऊपर लिखा लेते हैं, उससे पैसा ले लेते हैं और सस्ते में उनकी जमीन चली जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आस पास जितनी भी ग्रीन बैल्ट है, जहां भी खेती की जमीन है या तो आप उसको सुरक्षित करिये अगर मान लों कोई बेचना ही चाहते हैं तो किसान को कम से कम पूरा पैसा मिले, मार्केट रेट मिले ऐसी स्थिति होनी चाहिए।

दूसरा मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जे डी.ए. और परिषदें यह सफेद हाथी है, यह चाहे किसी की जमीन चाहे जहां से उनसे ले लेते है और लेकर क्या करते हैं कि मार्केट रेट देते नहीं है, सस्ते दाम पर

(समय समाप्ति सूचक - घंटी)

ले लेते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि आज जे. डी. ए. और दूसरे जो काश्कारों से जमीन लेते

(श्री नवरंगसिंह)

है मार्केट रेट से पैसे प्रति बीघा के हिसाब से किसान को मिलना चाहिए और किसी भी सूरत में उसको नुकसान नहीं होना चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अन्त में, माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह जो कुछ मुद्दे उठाये है खास कर नगर पालिकाओं के सम्बन्ध में और आपका और आपके प्रधान मन्त्री का यह कहना है कि संवैधानिक अधिकार हम देना चाहते हैं नगर परिषदों को और नगर पालिकाओं को। मैं इस पक्ष का हूं लेकिन प्रधान मन्त्री जी की झोली में या केन्द्र की झोली में चला जाय इस पक्ष में मैं नहीं हूं, अगर देना है तो राज्य सरकार दे क्योंकि नगर परिषद और नगर पालिकायें राज्य सरकार का विषय है। कानून में और संशोधन करें इसके लिये मैं आपको कहना चाहूंगा कि बार बार कहते है कि हम चुनाव करवा देंगे। अभी भी लोग कह रहे थे कि अगस्त में चुनाव करवा देंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि नगर परिषदों के और नगर पालिकाओं के राजस्थान में चुनाव होने चाहिये, एक कार्यक्रम बनाकर चुनाव होने चाहिये और यह जो लम्बी टालने की प्रक्रिया है उनको रोकना चाहिये। प्रधान मन्त्री को वोट लेना है वह तो डमडमी बजायेंगे ही, पर 2-3-4 महीने में सारी स्थिति सामने आ जायेगी। क्योंकि इसमें न पंचायतों के नाम से वोट देंगे और न किसी और नाम से वोट देंगे . .

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नवरंग सिंह : संवैधानिक अधिकार देने का काम है वह राजस्थान की विधान सभा का है इसलिये आपका जो वर्तमान कानून है उसमें सुधार करिये। एक तो आप यह करिये कि 3 साल का या 5 साल का जो कार्यक्रम है . . . कार्यकाल का उसको आप 5 साल का कार्यकाल करिये वर्तमान में जो तीन है उसकी जगह और इसके चुनाव राज्य का जो चुनाव विभाग है वह उनके चुनाव करवायें, टाइमली चुनाव होने चाहियें चाहे अकाल पड़े, चाहे बाढ़ आये या कुछ भी हो हर सूरत मे चुनाव टले नहीं तब तो ठीक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि जो घपला है, जो भ्रष्टाचार है इन सारे मुद्दो पर चर्चा के लिए अगर आप हाईकोर्ट के जज को नहीं बैठायें तो इस हाउस की कमेटी बैठायें और वह हाउस कमेटी इन सारे मुद्दों पर, इस तरह के भ्रष्टाचार के अड्डे हुये हैं उन पर विचार करें। क्योंकि, माननीय सभापति महोदय, की मेरे ऊपर नजर है इसलिये मैं चाहूंगा कि आप पूरी जांच करवायें। खास कर म्यूनिसिपल टाउंस जो राज्य में बहुत बडे हिस्से में फैले हुये हैं उन पर ध्यान ज्यादा दें, ज्यादा बजट आये और आप घोषणा करें, जिस तरह से नगर परिषदों को और बड़ी नगर पालिकाओं को पैसा दे रहे हैं उसी तरह से छोटी नगर पालिकाओं को भी पैसा दें, वहां की स्थिति सुधारने की, सुविधायें देने की, वहां सहायता देने की, वहां के लोगों को काम दिलवाने के काम करवायें।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री नवरंग सिंह : क्योंकि आप आज छोटे छोटे टाउन्स में कोई काम नहीं चलायेंगे उनको रोजगार की सुविधा देने में आप मदद नहीं कर पायेंगे तो आपका यह स्वायत्त शासन कारगर सिद्ध नहीं होगा उसको कारगर सिद्ध करने के लिये इन सब चीजों पर हम लोग छोटी नगर पालिकाओं में ज्यादा ध्यान दें। (धन्यवाद)

श्री सभापति : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय आज मांग संख्या 20 और 29 पर चर्चा हो रही है मैं अपने आपको इस चर्चा में सम्मिलित करते हुए कुछ सुझाव देना चाहूंगा जिन पर माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी शायद कार्यवाही करेंगे।

लालसोट नगर पालिका के बारे में सर्वप्रथम मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि लालसोट बिल्कुल पहाड़ी एरिये में बसा हुआ हैं। सन् 1964 से पूर्व यहां नगर पालिका न होकर ग्राम पंचायत थी। उसके बाद में 1977 में जब जनता गवर्नमेंट आयी तो इसको नगरपालिका घोषित कर दिया गया। पर दुर्भाग्य है वहां के निवासीयों का कि 1964 के पश्चात् से आज तक वहां पर किसी भी रूप में चुनाव नहीं हुये। इसी का कारण है कि वहां पर सारे जो विकास के काम होने चाहिये थे..

श्री मदन महाराज : यह क्या श्रद्धांजलि की तरह से बोल रहे हैं। कल की जैसे बोले। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं आज आराम से बोलने का हैं टाइम खूब मिल रहा है।

इलैक्शन्स होने चाहिये थे। आज हालत यह है कि 10 साल के बाद भी किसी आवेदक ने अपना मकान बनाने के लिये एप्लिकेशन दी हो तो उसक फैसला प्रशासक और अधिशासी अधिकारी वहां पर है वह नहीं कर पाते है। 1977 के बाद में जब 81 में इलैक्शन नगर पालिकाओं के हुये तो लालसोट नगर पालिका के चुनाव नहीं करवायें गये आज जिस संस्था में 25 वर्षो से राजकीय अधिकारी और प्रशासक बैठे हुये हों उस संस्था का भगवान ही मालिक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां पर आज लोगों की हालत यह है कि नल और बिजली के कनेक्शन्स के लिये एन. ओ. सी. लेने के लिये वर्षों का समय लग जाता है। इस सम्बन्ध में शिकायतें भी की गयीं पर वहां के प्रशासक और अधिकारी यह कहते हैं कि साहब हमारे डाइरेक्टर साहब ने हमको मना कर रखा है कि किसी को नल और बिजली की एन. ओ. सी. नहीं देंगे मैं कहना चाहूंगा कि क्या जिन लोगों ने कृषि भूमि में मकान बना लिये, जो बिल्कुल ढाणियों में लोग रहते हैं उनको जल और बिजली के कनेक्शन्स क्यों नहीं दिये जायेंगे मैं माननीय मन्त्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने कृषि भूमि में मकान बना लिये कन्वर्सन उनका नहीं हुआ उनको नल बिजली के कनेक्शन्स दिलवाये जायं।

नगर पालिका, लालसोट बिल्कुल पहाड़ी एरिये में है। वहां सिवाय चक या चारागाह की भूमि नगर पालिका के पास नहीं है और न वहां पर आबादी की भूमि है

(श्री परसादीलाल मीणा)

लोग बसें तो कहां बसें ? मैंने पहले भी इस सदन में यह सुझाव दिया था कि लालसोट के साथ लगा हुआ गांव तानसेन है यदि उस गांव को इसमें मिला दिया जाता है तो वहां कम से कम 100-150 बीघा चारागाह और सिवाय चक भूमि उसके अन्दर आने से मिल सकती है, जिससे लोगों के बसने की सुविधा हो सकती है। दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है, जिस नगर पालिका के पास 20 सालसे एक इंच भी आबादी भूमि नहीं हो लोगों को बसाने के लिये, जबकि वहां पर हरिजन अधिक हैं, 1/3 पापुलेशन वहां पर हरिजनों की है उसके बाद भी ऐसे गरीब आदमियों को आज तक रहने के लिये पट्टा या मकान किसी भी तरह का नहीं दिया गया। दुर्भाग्य तो यह है कि सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को दुकानें बनाकर देगी पर देगी कहां से जब जमीन ही नहीं है। तो मैं मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत तानसेन गांव बिल्कुल लालसोट से लगा हुआ है वहां पर काफी जमीन है। यदि उस गांव को उसमें मिला दिया जाता है तो वहां के लोगों के रहने के लिये और डवलपमेंट करने के लिये जमीन उपलब्ध हो सकती है।

मेरा दूसरा निवेदन यह कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाती है, जिन लोगों को वहां पर लगाया गया उनको बीच बीच में कभी भी हटा देते हैं उन्हें 2-2 3-3 साल तक काम करने के बाद हटा दिया जाता है। अभी पिछले महीने वहां पर हड़ताल हुई; यह ऐसे क्यों किया जाता है ? हड़ताल होने के बाद एक महीने तक उस गांव की क्या हालत हुई और विभाग ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि वहां यह स्थिति क्यों हुई ? जब गवर्नमेंट का यह नियम है कि 6 महीने तक किसी ने काम कर लिया तो उसको हटाया नहीं जायेगा फिर 3-3 साल तक काम करने के बाद भी उन हरिजनों को क्यों हटा दिया जाता है ?

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1981 की पापुलेशन है उसके आधार पर हरिजनों को लगाते हैं और जब चाहे आप उनको हटा देते हैं....उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी जैसे दूसरे कर्मचारी दूसरे विभागों में रहते हैं उसी प्रकार उनको भी भत्ते वेतन आदि दिये जाने चाहिये। उनके खिलाफ कोई भी इस प्रकार की धमकी या किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे वे अपने आपको असुरक्षित समझें तो मेरा आपसे सुझाव है कि जिन लोगों को वहां अस्थाई तौर पर लगाया गया था उन लोगों को स्थाई किया जाय। एक सफाई कर्मचारी को वहां पर तीन साल हो गये काम करते पर उसको आज तक वहां स्थाई नहीं किया गया है। मेरा आपको सुझाव है कि जो नगरपालिका बिल्कुल सरकारी अधिकारियों के शिकंजे में है पिछले 25 साल से उस गांव की क्या हालत होगी तो वहां पर इलेक्शन करवाया जाना चाहिये और सफाई की व्यवस्था वहां पर अच्छी तरह करनी चाहिये। वहां पर न कोई रोशनी की व्यवस्था हैं, न कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था है। वहां पर भगवान ही मालिक है। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये जो बजट जाता है उसको दुकानों के लिये वहां पर कहीं से भी जमीन अवाप्त करके दुकानों का निर्माण किया

(श्री परसादीलाल मीणा)

जाना चाहिये। अनुदान राशि स्पेशल ग्रांट भी उस नगरपालिका को आज तक नहीं दी गई तो स्पेशल ग्रान्ट देकर इस साल जो भी आपने स्पेशल ग्रान्ट दी उससे वहां पर लोगों को थोड़ा काम करने जैसे बस स्टैण्ड का ऐसे कई काम हैं। वहां पर न तो कोई सड़क बनायी गयीं, जब से ग्राम पंचायत बनी उसके बाद में आपने एक इंच भी सड़क नहीं बनाई तो मेरा निवेदन है

(समय 5:52 सांय)

(सभापति, श्री इकबाल अहमद, पदासीन)

मन्त्री महोदय से कि ऐसी नगरपालिका की तरफ जिसके आज तक चुनाव नहीं हुए हों, वह बिल्कुल बैंक वर्ड इलाके में हो, बिल्कुल पहाड़ी के नीचे बसी हुई हो उस नगर पालिका की तरफ ध्यान देकर उसका विकास किया जाय।

अब चुंगी की बात, हम जानते हैं कि नगरपालिका की मेन-इन्कम चुंगी होती है या वे प्लाट बेचते हैं। इसके अलावा वहां पर कोई भी जमीन के या नियमन करने के मामले चाहे वह लोगों के मकानों के हैं उन्हें नहीं किया जाता है। चुंगी में लीकेज हैं। चुंगी में चोरी खूब होती है उसको रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिये जिससे नगरपालिका की वहां पर मजबूत आर्थिक स्थिति हो। मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां पर एक बार जाकर, सुजानसिंह जी गये थे उन्होंने वहां देखा था कि उस नगरपालिका की क्या हालत है। आप भी एक बार पधारें और उसको देखें तो ठीक रहेगा और जो कर्मचारी वहां लगे हुए हैं। आज यह हालत हैं कि कोई किसी को पूछता नहीं फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि इस नगरपालिका का प्रशासन चाहे राजकीय अधिकारियों के हाथों में हो उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। लोगों के जो काफी समय से मामले पड़े हुए हैं मकानों के नियम के या पट्टा लेने के, कोई 5-7 सौ फाइलें पड़ी हुई हैं। उनकी तरफ ध्यान देकर वहां के प्रशासक को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि कोई भी एप्लीकेशन दे उसके मामले को शीघ्र निपटाया जाय।

कृषि भूमि की जो कॉलोनियां है वहां पर न कोई पाइप लाईन है, न कोई पीने के पानी की सुविधा है तो उनको रोशनी और बिजली की सुविधा वहां दी जानी चाहिए। आज मैं जे. डी. ए. की तरफ भी आपका ध्यान दिलाऊंगा कि हमारा भी इससे सम्बन्ध है। आज जे. डी. ए. की यह हालत है कि आज यदि कोई एम. एल. ए. की सिफारिश जे. डी. ए. में करा दे किसी अधिकारी से तो मान लो उसका मकान टूट गया और जो अपने आप वहां पर सीधा पहुंच जाय उसका मकान बन जाता है। तो आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी को कहना चाहूंगा, ऐसी दोहरी नीति क्यों हैं? किन्हीं लोगों के अवैध मकान बन जाते हैं और किन्हीं लोगों के मकान बनने के बाद भी टूट जाते हैं। गरीब लोगों को मान लो कोई एम. एल. ए. सिफारिश कर दे, मैंने भी एक दो में की थी फिर वह आपको दुबारा कहेगा कि आपकी सिफारिश से तो हमारा मकान टूट गया। अब दुबारा आपकी सिफारिश हम नहीं करवायेंगे। इस जे. डी. ए. की यह हालत है। जयपुर के जनप्रतिनिधि भी इसकी शिकायत

(श्री परसादीलाल मीणा)

करते हैं। आखिर है क्या? यह क्या बला है? यह सफेद हाथी है यह क्या करेगा? आज न वह लाईट की परमीशन देता है न कोई नल की परमीशन देता है। हमारे भी लोग इधर आकर बसे हैं। आज उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि वह एम. एल. ए. की शिफारिश करा लेता है तो मकान टूट जाता है। यदि इस प्रकार का मामला सामने आये, आज जो नहीं कराता हैं उसका बिल्कुल पूरा मकान बन जाता है। उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें बहुत विस्तृत भ्रष्टाचार है इसके निरीक्षकों में बहुत व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है। इसमें कोई दोराय नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इसको आप रोकिये। पिछले सदन में भी मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम एक ऐसी कमेटी बना रहे हैं जो इस समस्या का व्यापक स्तर पर समाधान करेगी। पर हमें जो लोग मिलते हैं वे कहते हैं कि आज तक इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मंत्री जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छे-अच्छे विभागों को सम्भाला है। शायद मुख्य मंत्री जी ने इसलिये इनको यह विभाग दिया हैं कि जयपुर की बहुत विस्तृत स्तर पर शिकायतें हैं उनको वे आगे भविष्य में दूर कर सकें तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जे. डी. ए. का आप कोई ऐसा स्वरूप बनाइये जिससे कोई आदमी वहां पर एप्लीकेशन लेकर जाये या कोई अपनी समस्या लेकर जाय उसका शीघ्र समाधान हो उसकी ऐसी शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। जो इन्सपेक्टर वगैरह हैं जो पैसे खाकर किसी को अनुमति देते हैं किसी को नही देते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो अनियमितायें हैं उनको दूर किया जाना चाहिए आज जो भी जयपुर के लिये या बाहर जो भी मकानों की सुवीधा सब लोगों को देनी चाहिए। ज्यादा में ज्यादा आबादी की जमीन को लेकर

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

लोगों को फिर से मकान दिये जाने चाहिए। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का सर्वप्रथम तो नगरपरिषद् की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी। हमारे जयपुर नगर का यह दुर्भाग्य रहा कि यहां 17 साल में चुनाव ही नहीं हुए। अभी जब बीस सूत्री कार्यक्रम का हवाला लोग देकर के राजस्थान को सबसे आगे बताते हैं तब सबसे पहला बिन्दु जिसमें चुनाव ही नहीं हुए सामने आता है। मन्त्री महोदय, इस बिन्दु को आप आगे बढ़ाने लिए क्या करने वाले हैं? जयपुर नगरपरिषद में कभी भी चुनाव करायेंगे या नहीं करायेंगे या यहां नगर निगम बनायेंगे या नहीं बनायेंगे। राजस्थान में कोई नगर निगम ही नहीं हैं। छोटे छोटे से प्रदेश है उनमें कई नगरनिगम है। पर खेद की बात है राजस्थान में नगरनिगम ही नहीं। या तो इधर ध्यान ही नहीं जाता और जाता है तो राजनीति वतावरण को सिद्ध करने के लिए उसको टाल दिया जाता हैं। मन्त्री महोदय, आप ईश्वर की कृपा से इस पद पर आये है। सत्र समाप्त होने जा रहा है। आप जाते जाते यह काम करके

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जायं, घोषणा तो आज कर ही दें। यह मेरा आपसे आग्रह है। यह एक ऐतिहासिक नगर है। विश्व के यात्रियों के लिए, विश्व से आने वालों के लिए पर्यटन और पुरातत्व के बिन्दुओं पर यह विश्व के मैप पर जयपुर नगर आता है और किस कारण से आता है कि यहां की पुरातत्व कला, यहां की ऐतिहासिक, यहां के कमनीय महल और मरमरी कंगूरे और यह गुलाबी रंग देखने के लिए लालायिक होकर लोग यहां आते हैं और रंग योजना हमारी क्या है ? एक ही बाजार में निकल जायं तो एक मिलेगा तो गुलाबी रंग ही लेकिन कही गहरा, कहीं हल्का और कहीं ऊना। इन सारी रंग योजनाओं को आप एक तरह से बांध करके या तो नियम बनायें या जिस तरह से पहले हर दुकानदार से सौ रुपया लेकर के और एक संस्थान के माध्यम से आपने पुताई कराई थी उसी ढंग से पुनः इस गुलाबी रंग को दुबारा रंग से रंगानें जिसमें कि यह ऐतिहासिकता के स्तर पर बनी रहे। मैं आपसे कहना चाहूंगी माननीय कमला जी यहां बैठी है, ऐसा ही एक टाईम था जब यह कहा गया था कि पांच हजार गलिया जो शेष हैं हम उन्हे पूरा करायेंगे और वह होते होते आज छठा साल चल रहा हैं लेकिन सारी गन्दी गलियां पक्की नहीं हुई। मैंने एक सत्र में पूछा था तो जवाब मिला कि 3-4 गलियों में . .

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : माननीय सदस्या मैंने यह जरूर कहा था कि जयपुर का असली रंग है वह हमने कराना शुरू कर दिया और काफी कराया भी था और जितना बाकी है उसको करायेंगे और यह गुलाबी रंग नहीं है। जयपुर का हिरमिच रंग है। गुलाबीं रंग लगाया हैं इसको डिफेस करने वाला काम हैं इसलिए गुलाबी रंग कभी नहीं होना चाहिए। इसका जो ओवरजनल रंग है वह। हिरमिच है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पुराना रंग गुलाबी है। इसकी प्रमाणिकता के हिसाब से यह जो चौड़ा रास्ते में जो अमरजैन अस्पताल है उस पर रंग किया हुआ है उसको हमने पारितोषिक भी दिलाया उस रंग के कारण से। आप भूल गयी हैं गन्दी नालियों के बारे में आपने कहा था। मैं आपको आपका बोला हुआ ही लाकर दिखा दूंगी। तो मेरा कहना है कि शेष गन्दी गलियां जो बाकी रह गयी हैं उन्हें पक्का कराया जाय। सफाई की हालत तो इतनी खराब हैं। अधिकारीगण जाते हैं पर मेरे ख्याल से उनको कोई कोपरेशन नहीं मिलता। या वे काम कराना नहीं जानते। 4800 कर्मचारी तो एक हैं और 1100 कर्मचारी एक हैं, सफाई के। इसके अलावा टेम्पोररी अलग हैं। लेकिन जयपुर की सफाई आप देखें, सभापति महोदय, तो गलियों में से निकला नहीं जाता और जो कुछ थोड़ी बहुत सफाई भी हो जाती है तो जो कूडे के गारबेज हैं वह महीना महीना भर नहीं उठाते है। न मालूम उनकी पेराफेरी में कितना पैसा खर्च हो जाता है लेकिन कूड़ा उठाया नहीं जाता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर की सफाई के सम्बन्ध में आप एक विशेष योजना बनाकर युद्धस्तर पर सफाई करावें। मौसम बरसात का आने वाला है। कहा यह गया था कि सारे नाले साफ करा दिये जायेंगे।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दो-एक नाले साफ हुए, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि नालियां भी साफ नहीं है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में गंगापोल के इलाके में चले जायं, रामचन्द्रजी की चौकड़ी में चले जायं, पुरानी बस्ती में चले जायें, चांदपोल बाजार में चले जायं, रामगंज बाजार में चले जायं, सरे आम नालियां बहती हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर कीचड़ कादा, है और उस पर एक काई सी जमती है जो यह साबित करती है कि इसकी महीनों से सफाई नहीं हुई। मेरा यह निवेदन है कि सफाई की व्यवस्था सुचारु की जाय।

हमारे यहां पर और कोई एन्क्रोचमेंट करे तो करे, लेकिन नगर परिषद खुद एन्क्रोचमेंट करती है। यह देखने की बात है। परकोटे में यह तय था कि परकोटे तोड़े नहीं जायेंगे, वहां दुकानें नहीं निकाली जायेगी। कोई एन्क्रोचमेंट करेगा तो रोका जायेगा। नगर परिषद खुद ने कई परकोटे में दुकानें खोल ली और जिन्होंने खोल ली उन्हें न रोक ही सकते थे। इस तरह से शहर की सुन्दरता पर जो दाग नगर परिषद लगा रही हैं उसको रोकने की जरूरत है। मन्त्री महोदय और मैं कहूंगी कि घाटगेट के दरवाजे में तो शराब की दुकान भी खोल दी। खेद की बात है, एक अच्छा खासा किराया लेने के लिए। एक तरफ कूड़े के ढेर, दूसरी तरफ शराब की दुकान खुली हुई है। वहां पर बच्चों का स्कूल चलता है। मैं समझती हूं कि यह कोई अच्छी हरकत नगर परिषद नहीं कर रही है। जो आने वाले नये अधिकारी हैं वह बाहर से आये हैं वह भी इस चीज को देखेंगे तो ठीक करने की व्यवस्था करेंगे। बस्ती के बीचों बीच टट्टीघर कमेले बना रखे हैं। दो कमेले बस्ती के बीच में हैं। वहां से आदमी निकल नहीं सकता, बिल्कुल नरक बना हुआ है। एक जौहरी बाजार क्षेत्र में है, एक शास्त्रीनगर क्षेत्र में है। इतनी बुरी हालत है वहां के नागरिकों की मक्खी, मच्छर और गंदगी के हिसाब से रहना मुश्किल है। मन्त्री महोदय, निश्चित रूप से इसको ठीक करायेंगे। एक और बात निवेदन करना चाहती हूं। जयपुर शहर बढ़ा है, यह सब जानते हैं। एक और दिक्कत थी यातायात के सम्बन्ध में। वह रिक्शाओं के रिन्यूअल कराने के बारे में थी। रिक्शा पकड़-पकड़ कर तो इकट्ठी कर ली लेकिन रिक्शाओं का रिन्यूअल नहीं कराने दे रहे हैं। मैं समझती हूं यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। उप नगर में एक-एक, दो-दो रुपये के किराये में यह रिक्शा पहुंचा सकती है। छोटी गलियों में टेम्पो नहीं आते आटो रिक्शा वाले ज्यादा किराया मांगते हैं। रिक्शा नागरिकों की सेवा कर सकती है। मन्त्री महोदय को निवेदन है कि रिक्शाओं के जो नियम बने हैं उनमें छूट देकर शेष रिक्शाओं का रिन्यूअल कराकर नगर की सेवा के लिए उपलब्ध करावें। मैं अब आपसे निवेदन करना चाहूंगी...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मेरा समय है। सभापति महोदय, मुझे थोड़ा थोड़ा दो-तीन समस्याओं पर बोलना है। दुर्भाग्य की बात है कि मेरा नम्बर एक तो पांच बजे के बाद आता है--

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा दूसरा नम्बर मेरी पार्टी देती है और आप मुझे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सबके बाद में बुलाते हैं और जब मैं बोलना शुरू करती हूं तब घण्टी बजा देते हैं। मेरे बहुमूल्य सुझाव हैं।

श्री सभापति : आप अपने व्हिप से कहें कि वह आपका नाम बाद में क्यों दर्ज कराते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं थोड़ा बोलकर अपनी बात समाप्त करती हूं। आवासन मण्डल के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगी कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र ,कीर्ति चक्र, शौर्य-चक्र, थल सेना, नौ सेना, वायु सेना के लोगों को जो छूट दी जाने वाली थी अब आवासन मण्डल ने वह छूट समाप्त कर दी। कितने दुर्भाग्य की बात है कि अन्य मामलों में तो घोषणायें हो रही है लेकिन जो हमारे देश की सेवा करते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर घूमते हैं और देश का मान-सम्मान बढ़ाते हैं उन लोगों के बारे में जो छूट दी गई थी, जो लाभ सैनिकों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। मन्त्री महोदय, वर्ष बार सूची देख लें, किसी को लाभ नहीं मिला। बल्कि वीरतर पुरुस्कार वालों को भी यह पुरुस्कार देने से मना कर दी गयी। न मालुम कैसे लोग आवासन मण्डल में आये हैं।

यह जो वन-बिहार कालोनी है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, उसमें 81 की बाढ़ में कुछ लोग आकर बैठ गये थे। उसके नियमन की बात थी। नियमन को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया और अब मन्त्री महोदय कहते हैं कि मुझको इनको नियमन करने के परिणामस्वरूप 100 मकान आप हमको बेनामी दे दीजिये। उन सौ मकानों को बेचकर वह करोड़ों रुपया कमायें। इस तरह की सौदेबाजी, मैं समझती हूं कोई अच्छी हरकत नहीं है। जो वहां पर मण्डल के अध्यक्ष बैठे हैं उनका यह गलत तरीका है। उनको नियमन करना चाहिए और बाकी और मकान बनाकर जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये है उन आवेदनर्ताओं को मकान देने चाहिए न कि सौदेबाजी में उन लोगों को भटकाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जितनी आवासन मण्डल की कालोनियां हैं उनके पास के नाले हैं, उन्होंने गटरलाईनों को सीधा सीधा नाले में छोड़ दिया। वहां के आसपास के लोगों का रहना दूभर हो गया। मेरी वन बिहार कालोनी में होकर नागतलाई का नाला आता है, तो बदबू के मारे लोग सड़ जाते हैं। इस व्यवस्था को सुधारेंगे। एक और नई बात आपने सुनी नहीं होगी कि जो सीड मनी जमा किया जाता है आवासन मण्डल में अगर उस सीड मनी में से जो शेष रुपया और चाहिए दो बार देने के बाद, वह चूकता जाने के बाद न तो सूचना दी जाती हैं और जब कोई वहां मकान का पैसा जमा करा देता है तो 25% तक ब्याज, न हुडको में इतना ब्याज है, न महाजनी ब्याज है, बैंकिंग ब्याज है। कहीं भी 74 परसेन्ट का ब्याज नहीं है और जब इस बात को ध्यान में ले.ये, तो जिस व्यक्ति के लिए ध्यान में लाये, उसको घटाकर 24 परसेन्ट कर दिया लेकिन जिसका पैसा जमा हो चुका था उससे महीने दो महीने तक का ब्याज मांगा। इतनी अव्यावहारिकता आवासन मण्डल में है। आवासन मण्डल के अधिकारी कुर्सियों पर मिलते नहीं। पता नहीं किस कालोनी में घूमते हैं। कहां-कहां कमीशन मांगते हैं।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं समझती हूं लोग जाते हैं उनकी जूतियां टूट जाती हैं लेकिन काम नहीं होता है आवासन मण्डल में, यह मेरा आरोप है। मन्त्री महोदय, इस स्थिति को सुधारें और नहीं तो उन लोगों को हटा दें जो ऐसी हरकतें करते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री समापति : जल्दी समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय समापति महोदय, जे. डी. ए. के बारे में थोड़ी बात कह दूं। जे. डी. ए. ने जयपुर नगर पर विशेष कृपा करके, स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी यहां पर आई थी 81 में, बाढ़ के दौरान उन्होंने सीन देखा था, हवाई जहाज में घूमकर, यही मुख्यमन्त्रीजी थे इन्होंने सीन देखा तो उस समय बाढ़ प्रोजेक्ट तैयार करने की बात आई थी। बाढ़ प्रोजेक्ट विस्तृत रूप में तैयार हुआ लेकिन खेद की बात है कि जयपुर के सातों नालों पर काम नहीं हुआ। जो जवाहरनगर का नाला है, जे. डी. ए. ने अपने हाथ में लिया। उस पर भी पूरा काम नहीं हुआ। जो काम "सी" स्कीम के नाले पर हो रहा है उसमें भी तकनीकी गलती रह गई है, उसका खमियाजा जयपुर भुगतेगा। जो अन्य नाले उन दिनों में छोटे-मोटे टूटे थे, जो बाढ़ प्रोजेक्ट में रह गये उनकी तरफ ध्यान दिलाया जाता है, जैसे नागतलाई का नाला, पूरा पीचिंग करने की बात थी लेकिन खेद की बात है कि मुझे विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि यहां पर पीचिंग की कोई योजना ही नहीं है। कहीं तो ढकने की योजना बन गई, जहां नहीं थी लेकिन जहां तक पीचिंग करने की बात थी वहां पर पीचिंग नहीं की जा रही। इस जयपुर नगर में यह तो ऐसी बात है कि बरसात नहीं आई है, अगर बरसात आ जाती तो यह शहर फिर सारे रास्तों से कट जाता और इसकी दुर्दशा हो जाती। मान्यवर, मन्त्री महोदय, आप ध्यान दें और बाढ़ प्रोजेक्ट पर काम करावें यह मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति महोदय, मेरे इलाके का काफी एरिया ग्रामीण और शहरी, जे. डी. ए. क्षेत्र में आता है जे. डी. ए. से जो एक विशेष फरमान निकला, विचार विमर्श के पश्चात्, यह तय हुआ था कि इस अभियान के दौरान जे. डी. ए. क्षेत्र में राजस्व भूमि का आवंटन न किया जाये। नियमन न किया जाये। इसके पीछे जो परिस्थितियां हैं वह मुख्य मंत्री जी को निवेदन कर दी। खेद की बात है कि 1½ महीना अभियान चला उसमें जे. डी. ए. की हठधर्मी से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। आज मन्त्री महोदय स्पष्ट करें कि भविष्य में भी आवंटन होगा कि नहीं न तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जे. डी. ए. में कोई योजना है और केवल अगर रोके जाने की ही योजना है तो यह बात बरदाश्त नहीं की जायेगी...

श्री समापति : माननीय सदस्या, समाप्त करें। आपके ही दल के बहुत सारे सदस्यों को बोलना है। आप काफी बोल चुकी है। अब आप समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अभी समाप्त करती हूं दो मिनट ठहरिये।

श्री समापति : दो मिनट में समाप्त कर दें आप।

198

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा निवेदन यह है कि कच्ची बस्तियों का मेरे इलाके में और यहां पर काफी विस्तार है। जे. डी. ए. क्षेत्र में जब में गई और मैंने पूछा कि क्या आपने कच्ची बस्तियों के मैंप बनाये तो बोले हमारे पास मैंप नहीं है। जैसे बासबदनपुरा में कोई विकास कार्य का काम हुआ तो एक मोहल्ले का केवल मैंप बना। एक सामूहिक समुचित योजनायें नहीं बनाई जा रही हैं, कच्ची बस्तियों के विकास की। मैं आज कहना चाहूंगी, एक भी कच्ची बस्ती का सम्पूर्ण विकास नहीं हुआ है सड़कें, गलियां, नालियां, कहीं कुछ नहीं; आवंटन पत्र पड़े हैं कब्जे नहीं दिलाये गये हैं..

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय, जो कच्चा उपाड़ जमीन में जो मण्डी खटीकान, मण्डी डाकोतान, बासबदनपुरा, बदनपुरा, लक्ष्मी नारायणपुरी, यतीजी की बागीची, और तत्कालीन स्वर्गपुरी आदि बसी हुई हैं उन कूंचा उपाड़ बस्तियों के लिये अलग से योजना बनाये जाने की बात थी लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं बनाई। मैं कहना चाहूंगी मंत्री महोदय इस निर्णय से अवगत करायें अपना उत्तर देते वक्त कि वह इन क्षेत्रों में क्या करना चाह रहे हैं।

मैं यह कहना चाहूंगी कि जयपुर की सड़कों का कोई देखने वाला नहीं है। पत्रों में यह जवाब देते हैं कि सड़क टूटी हुई नहीं है। माऊट रोड पर खड्डे पड़े है। जो दिल्ली से आने वाली सड़क है वह लगभग टूटी पड़ी है माननीय सभापति महोदय आप भी उधर से निकलते होंगे। शहर की मुख्य सड़कें टूटी पड़ी हैं, बरसात में उनके खडडे भी नहीं भरे जाते। लोग एक्सीडेंट से आये दिन परेशान हो रहे हैं। ऊपर से बिजली की व्यवस्था खराब है। मैं समझती हूं बिजली तो बिजली विभाग को दे देनी चाहिये, म्यूनिसीपैल्टी से लेकर के, इस तरह की व्यवस्था सुधारने की बात है। तो आपको पैसा दिये जाने के बारे में सोच सकते हैं। आज आपने पैसा मांगा है, आवासन के लिये मांगा है, नगर परिषद् के लिये मांगा है और जे. डी. ए. के लिये मांगा है। अगर केवल तनख्वाह चुकाने की बात है तो पैसा कैसे दें, सुविधा जुटाने की बात है...

श्री सभापति : माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इससे अधिक भी दिया जा सकता है। आपने मुझे समय दिया, मैं मेरी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राम प्रताप जी कटारिया।

श्री राम प्रताप कटारिया (आमेर) : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत हमारी सरकार से मांग संख्या 20 और मांग संख्या 29 नगर आवास योजना स्वायत्त शासन के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसमें जयपुर और आमेर की कुछ समस्याओं पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा। जयपुर बहुत बड़ा नगर है और यहां के जन प्रतिनिधियों ने जयपुर की समस्या पर काफी चर्चा की है लेकिन मेरा मानना है कि आमेर जयपुर से

(श्री रामप्रताप कटारिया)

पुरानी राजधानी है और मैं हमारी सरकार का और अधिकारियों का आमेर की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। आमेर एक पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी नगरी बसी हुई है। हजारों साल पहले के वहां मकान बने हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोलें।

श्री रामप्रताप कटारिया : ...वहां के पुराने मकान बने हुए हैं बहुत से मकान जो खण्डार हो गये हैं लावारिस हैं। मेरा ख्याल है अगर उन मकानों की देख-रेख की जाती या सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम किया जाता, तो आगे आने वाली समस्या की तरफ हल करने के लिए मकान हमारे काम में आते। अब भी मैं एक निवेदन करूंगा कि शहर के जो खण्डर मकान पड़े हुए हैं, या थोड़ी सी मरम्मत कर ठीक हो सकते हैं उनकी मरम्मत करवाई जाये।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि आमेर में बहुत पुराने स्टेट टाइम के तालाब बने हुए हैं, वहां सागर बना हुआ है, मांवटा बना हुआ है। मेरे ख्याल से आजादी के बाद उन तालाबों की, सागर की कोई देख रेख नहीं की गई है न उसकी कोई मरम्मत की गई है और उसमें पानी आने के लिए जो नहर बनी हुई थी न उस नहर की मरम्मत की गई है। इसलिये 6-7 साल के अन्दर वह तालाब सूख गये, वह सागर भी सूख गये मावटा भी सूख गया। इस लिये मेरा यह निवेदन था कि अगर वहां की पैमाईश करवाई जाये और आमेर नोटीफाइड एरिया कमेटी को विशेष अनुदान देकर के उस सागर की और तालाबों की मरम्मत करायें और देख-भाल करें तो तो वहां के रहने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की समस्या हल होगी। वह स्टेट टाईम के बने हुए हैं, काफी मजबूत बनाये हुए हैं लेकिन अब देख रेख के बिना कमजोर होते जा रहे हैं और टूट फूट होने से पानी नहीं रुकता है।

मैं पीने के पानी के लिए भी आमेर नोटिफाईड एरिया कमेटी के लिए कहूंगा कि विभाग ने अभी हाल ही में पीने के पानी के लिये वहां कूएं बनाये हैं और कूओं से पानी का इन्तजाम तो हो चुका है लेकिन कुछ ही बजट के लिये वह पानी पीने वालों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जो छोटी पाईप लाईन डालनी है वह एक तो आमेर से कूंडा डालनी है, एक पीली की तलाई में डालनी है, एक ठांठर योजना वहां और है उसमें डालनी है, अगर वह लाइनें डल जाती हैं तो लोगों की पीने के पानी की समस्या दूर हो सकती है।

नोटिफाईड एरिया के लिये 84 और 85 में भू-खण्डों के लिए पैसा जमा कराये थे और उनके पट्टे आज तक नहीं मिले। अगर पट्टा दिया जाये तो वह लोग आवास करके रह सकें और व्यवस्था अच्छी हो सके।

एक मेरा निवेदन यह है कि नोटिफाइड एरिया कमेटी से लोगों को प्लाट दोबारा या तिबारा आवंटन कर दिये जाते हैं, वह कब्जाशुदा उनको रेगुलराइज कर देते हैं। वह कई बार उनको बेच देते हैं

(श्री रामप्रताप कटारिया)

और कई बार फायदा उठा लेते हैं और जो लोग कमजोर हैं, जो ऐसा नहीं कर सकते उन लोगों को रहने के लिये मकान नहीं दिये जाते, न भूखण्ड दिये जाते हैं और उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ऐसे लोगों की एक सूची तैयार की जाये जो बिल्कुल गरीब हैं और जिनके पास रहने के लिये वास्तव में जगह नहीं है, उनको रहने के लिये एक ऐसी रीति से जगह दी जाये ताकि वह ढंग से बस सकें। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी चाहें वहां एक गुमटी सी खड़ी कर लेते हैं, और मर्जी आये जहां बस जाते हैं। वहां न पाइप की लाइन जाती है न वहां बिजली जाती है। वह सब सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और बाद में और गरीबी उनके सामने आ जाती है आवासन मण्डल के अध्यक्ष महोदय, से मैंने निवेदन किया था उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि वहां रजिस्ट्रेशन करने के लिये एक दफ्तर खोला जायगा और आवास मण्डल की तरफ से मकान बनाकर दिये जायेंगे उसके लिए तो मैं उनका आभारी हूं मैं जयपुर के आस पास की कुछ समस्यायें निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जे. डी. ए. की मेहरबानी है कि सीकर रोड के आस-पास के इलाके में ऐसे एक अधिकारी को लगाया है जो वहीं का रहने वाला है और जिसकी पिछले 50 साल पहले की भी रिडक है या उनके बुजुर्गों की रड़क है तो उसी के घर चाहे पट्टा शुदा हो, चाहे आबादी में हो, चाहे गांव के बीच में हो, चाहे रोड छोड़ कर के हो, तोड़ कर तहस नहस करके आ जाता है। हाल ही में, वह नीदड़ी गांव का रहने वाला है, नीदड़ी गांव में, एक किसान के पट्टा शुदा मकान, उसके बाड़े, उसके जानवरों के बांधने के सब छप्पर तोड़ कर के तहस नहस कर दिया और वहां एक धमकी और दे दी अगर इसकी मेरी कोई शिकायत करेंगे तो मैं शिकायत करने वालों के खिलाफ ऐसा ही बरताव करूंगा। तो मुझे निवेदन करना है कि ऐसे अधिकारी को जो उधर का ही रहने वाला है तो क्या उसके लिए वही जगह है, क्या जयपुर में उसके लिए जगह नहीं है, या दूसरी जगह नहीं है। बिल्कुल भ्रष्ट है, यहां से लाखों रुपया कर लिया, जो चाहता है उसकी दुकान बनवा देता है, जो चाहता है उसका मकान बनवा देता है और जिसको नहीं चाहता है, जहां से कुछ नहीं मिलता है उसका तोड़-फोड कर तहस नहस कर देता है। तोड़ने की बजाये मैं यह निवेदन करूंगा कि जब लोग बनाना शुरू करें तब उनको क्यों नहीं रोके। उसकी छत पर पट्टी डल जायेगी तब वे पहुंचेंगे तो कई हजार का नुकसान होगा। मेरा यह निवेदन है कि पहले ही उसको रोका जाये।

अभी बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने पृथ्वीराज नगर बसाने के लिये 22 गांवों की जमीन को एक्वायर करने की समस्या पर निवेदन किया था। मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी इसमें गांव हैं। सभापति महोदय वह 22 गांव ऐसे हैं जहां स्टेट टाइम पर जंगलात थे। वहां शिकार खाना था। वहां के लोग घास, पाला और पानी बेच कर अपना गुजारा करते थे। केवल पशु रखते थे और इन पशुओं का दूध, घी बेच कर अपना काम चलाते थे। उनकी जिन्दगी उस समय स्टेट

(श्री रामप्रताप कटारिया)

के जमाने में कोई जिन्दगी नहीं थी । जब शिकार खाना खतम हुआ तो उन लोगों को खातेदारी मिली, तब उन लोगों ने जमीन का लेवलिंग किया, कुंए बनाये, ट्यूबवेल्स बनाये, बगीचे लगाये, पशुधन को पाला, डेरियां खोली, मकान बनाये, बगीचे लगाये । ऐसी जगह को पृथ्वीराज नगर बसाने के लिये हम एक्वायर करते जा रहे हैं । उन लोगों को बेदखल करने जा रहे हैं । न तो उनके रहने की जगह है, न उनके बसने की जगह है । इतनी तैयारी की हुई भूमि को इस तरह ले लें जो नगर परिषद के पास है । मेरा यह निवेदन है कि खाली जगह बहुत है जिसके लिए मैंने मन्त्री महोदय को लिखित में दिया है । मैंने कई गांव बताये हैं और यह निवेदन किया है, पहले भी निवेदन किया था 6 अक्टूबर को इसी विधान सभा में तब दो सीनियर मिनिस्टर्स ने हमको यह विश्वास दिया था सदन में, यह विश्वास दिया था कि, जन-प्रतिनिधियों को बुलायेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे । और उस मीटिंग में फैसला करेंगे । हमको उसमें शामिल करेंगे । मेरा निवेदन है कि उसके बाद कई बार डेपूटेशन लेकर मिले हैं । माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मिले हैं, कल भी मुख्य मन्त्रीजी से मिले थे । कम से कम 500 आदमी मिले थे । माननीय मुख्यमन्त्री ने यह विश्वास जरूर दे रखा है कि आपकी जरूर सुनेंगे । जे. डी. ए. से दफा 6 में जो नोटिस जारी होने वाला था उसको रुकवा दिया है लेकिन एक दिन बैठकर फैसला करेंगे । मेरा यह निवेदन है कि वह एक दिन बैठकर फैसला करने का कौन सा दिन होगा । जिस तरह से पहले के मन्त्रीजी ने विश्वास दिया था और उन्होंने रोका था, उनकी नीति से मुझे विश्वास था, आज भी विश्वास है कि मुख्य मन्त्रीजी ने जैसा कह रखा है वैसा ही इन लोगों के साथ करेंगे कि उन लोगों की जमीन को वापिस छोड़ा जाये और पृथ्वीराज नगर के लिये जो जमीन हम बतायेंगे । जहां खाली जमीन है, जहां पानी नहीं है, जहां पत्थर है और बहुत सी जमीन गोचर है, बहुत सी जमीन सवाई चक है, बहुत सी जमीन सरकारी है, उस जमीन को लेकर पृथ्वीराज नगर बसाया जाये यही मेरा निवेदन है । और इन 22 गांवों को छोड़ा जाये । इन गांवों में गोविन्दपुरा है, गोपालपुरा, विसनावाला, मीणावाला, पांचावाला, होरापुरा, बदरवास, गजसिंहपुरा ऐसे बहुत से गांव हैं । इन 22 गांवों में 11 हजार 70 बीघा जमीन आ रही है । ....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी तो जमीन नहीं है ?

श्री रामप्रताप कटारिया : मेरी भी है । मैं भी किसान हूं । और किसानों के फांसी लगेगी तो मेरे भी लगेगी । मेरे लिए कौनसी बात है । मैं सबके साथ हूं । सबके लगेगी तो मेरे भी लगेगी । मेरे अकेले के लिये थोड़े ही कह रहा हूं ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । व्यवधान न करें माननीय सदस्य ।

श्री रामप्रताप कटारिया : एक आमेर की लाइन मेरे पास रह गई थी । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आमेर में पुराने कुए हैं उनकी मरम्मत करा दी जाये तो वे काम में आ सकते हैं । आज एक हैण्ड पम्प पर 15 हजार रुपये, 20 हजार रुपये खर्च होते हैं । इन कुओं की मरम्मत पर पांच, छः सात हजार रुपये लगाकर हम पांच,

(श्री रामप्रताप कटारिया)

सात कुंए आमेर में तैयार कर सकते हैं। अगर ये तैयार हो जायें तो हमारी दिक्कत दूर हो जाये और लोगों को पानी मिल जाये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इन कुओं की मरम्मत करायी जाये।

आमेर की सफाई के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। कुछ सफाई कर्मचारी आमेर के ही रहने वाले हैं। उनकी कुछ समस्याएं हैं। उन पर कम ध्यान दिया जाता है। अगर आप उनकी समस्या को सुन लें और हल कर दें तो ठीक रहे। समस्या हल नहीं होने पर वे स्ट्राइक कर देते हैं जिससे आमेर सड़ने लगता है। यह पर्यटन स्थल है। बाहर के लोग वहां आते हैं और अच्छा नहीं लगता है। अतः मै यह चाहता हूं कि इसको विशेषता को देखते हुए इसकी तरफ अधिक से अधिक ध्यान दें। मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री दाऊदायल जोशी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी।

श्री सभापति : आपको टाइम दिया जायेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने कट मोशन दिये हैं। मैं तो पांच मिनिट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।..

श्री सभापति : माननीय मोदी जी इनके बाद कांग्रेस के माननीय सदस्य बोलेंगे, उसके बाद आपको समय दे दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति जी गत विधान सभा सत्र में अरबन सीलिंग के मामले को लेकर मैंने एक प्रश्न के माध्यम से सम्माननीय तत्कालीन मन्त्रीजी ने मुझे आश्वासन दिया था कि अरबन सीलिंग के तहत सुखधाम की जमीन को जो छूट दी गयी है अगर उसमें कहीं भी अनियमितता पाई गई तो मैं उन अधिकारियों को सस्पेण्ड कर दूंगा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या इस सुखधाम की जमीन की फाइल को क्या माननोय मन्त्री जी ने अवलोकन कर लिया है? सस्पेन्ड करना तो दूर रहा, मैं नये मन्त्री महोदय, से निवेदन करुंगा कि शहरी सीलिंग के तहत 20 (2) के तहत जो अनियमितता हो रही है...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कहां की जमीन है?

श्री दाऊदयाल जोशी : सुखधाम, कोटा नगर। मेरा निवेदन यह कि है यह अरबन सीलिंग मन्त्री महोदय, केवल पांच नगरों में है इसलिए गांव का प्रश्न नहीं आता। इसको आप करेक्ट कर लें। इसमें दुर्भाग्य से मेरा कोटा नगर भी एक है। मेरा निवेदन है, सुखधाम की जमीन का आज तक कुछ नहीं किया है। बीकर सेक्शन के नाम पर वहां मकान बनाये गये है। आज उनका मकानातों में आई.ए.एस., आई.पी. एस., आर. ए. एस. डाक्टर्स, इन्जीनियर्स रहते है। माननीय मन्त्री महोदय, आप स्वयं सोचिये कि बीकर सेक्शन की परिभाषा क्या है? क्या ये सारे व्यक्ति बीकर सेक्शन की परिभाषा में आते हैं। अब मन्त्री महोदय सुखधाम के बाद चूंकि मन्त्र महोदय ने कोई एक्शन नहीं लिया, व

(श्री दाऊदयाल जोशी)

एक नजीर पैदा हो गई, कोटा में एक नहीं करीब 7 व्यक्तियों को वीकर सेक्शन के नाम पर और अरबन सीलिंग में धारा 20 (2) के तहत छूट देते हुए बडे बडे केपिटिलिस्टों को और सुविधाएं दी गई हैं। सुखधाम के मालिक ने जिस एक्ट के तहत वीकर सेक्शन के व्यक्तियों के लिए मकान बना कर देगा लेकिन यहां तो मकानों का प्रश्न नहीं है। प्लाट बेचे जा रहे है वीकर सेक्शन के नाम पर। प्लाट कटने के बाद, एक प्लाट की कीमत 20×50 साइज की पौने तीन लाख रुपये, दूसरे प्लाट 25×50 साइज की सवा चार लाख रुपये। क्या वीकर सेक्शन का एक व्यक्ति एक प्लाट सवा चार लाख रुपये में खरीद सकता है ? कृपा कर आप स्वयं विचार कर लें।

माननीय मन्त्री महोदय, मैं आप से निवेदन करु एक जमीन एरोड्राम के ठीक सामने श्री लक्ष्मीनारायण नाम के व्यक्ति की है जिस पर अरबन सीलिंग का नोटिस है। कार्यवाही चल रही है। उस जमीन पर तत्कालीन वित्त मन्त्री पं. बृज सुन्दर शर्मा का भी अधिकार था। चूंकि वह राज्य में थे, उनके अनन्यतम मित्र श्री भंवरलाल शर्मा, एक्स ई एन, उनके नाम पर यह जमीन थी। इस जमीन को शहरी सीलिंग कानून में अवाप्त किया जाना चाहिए था क्योंकि कामर्शियल परपज के लिए मास्टर प्लान के तहत वहां शापिंग सेन्टर की व्यवस्था की जानी थी। चूंकि यह सारी जमीन मोटर मार्केट से लगी हुई है उस जमीन को शहरी सीलिंग में अवाप्त न करके, कोई कार्यवाही नहीं की गई। पं. बृजसुन्दर शर्मा तो अलूफ हो गये। श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा के पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा ने मेनीपुलेशन करके इस जमीन को सीधे सीधे अरबन सीलिंग से चुप्पी सधवा कर सेटलमेंट के आधार पर 12 बीघा 19 बिस्वा के 17 टुकडे करवाये। और 17 टुकड़े करवा करके आज वह प्लाट 200 रु. वर्ग फुट में बेच रहा है। उसका लड़का महेन्द्र कुमार और नरेन्द्र कुमार। मेरा आपसे निवेदन करना है कि क्या कोटा में सेटिलमेंट विभाग भूमि के इतने बडे टुकड़े कर सकता है ? छोटे-छोटे टुकड़ों में कोटा के लिए यह नियम है। कालोनाइजेशन एक्ट के तहत, उपनिवेशन एक्ट के तहत कि जमीन टुकड़ों में नहीं बट सकती है लेकिन आज चूंकि कोटा मेगनेट सिटी घोषित हो गया है इसलिये उस जमीन की कीमत जो पहले यह 80 रु. वर्ग फुट से ले रहे थे आज यही व्यक्ति 200 रु. वर्ग फुट में जमीन बेच रहा है। सारा अरबन सीलिंग कहां मर गया। कोई उसका एक्शन नहीं ले रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कृपा करके इस मामले को गंभीरता से लें। मेरा निवेदन करना है कि सन् 1976 में शहरी सीलिंग लागू हो जाने के बावजूद भी यह सरकार उसको ठीक ढंग से परिणित नहीं करवा सकी। भगवान के नाम पर अगर यह विभाग नकारा है, निष्क्रय है और केवल मात्र बड़े लोगों का ही हित साधन करने वाला है। जमीन अवाप्त होती है सडकपुरा में एक गरीब बंसीलाल पण्डित की, उसकी जमीन तो अवाप्त हो जायेगी लेकिन बड़े लोगों की जमीनों को कोई व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता है। गरीब व्यक्ति तो वहां शहरी सीलिंग दफ्तर में जा भी नहीं सकता, जाय भी तो उसके पास पैसे नहीं हैं। अपील करे तो उसको

(श्री दाऊदयाल जोशी)

लेने देने के लिये, भेंट पूजा के लिये पैसे नहीं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यह विभाग नकारा साबित हुआ हैं। इसको समाप्त कर दें या फिर कोई न कोई समुचित व्यवस्था नये मंत्री जी आप इसकी करवाने की कृपा करें।

मेरा निवेदन है कि आवासन मण्डल बहुत अच्छी स्कीम थी। मुझ जैसे गरीब कार्यकर्ता को भी आवासन मण्डल ने मकान दिया लेकिन आज जब से इस आवासन मण्डल पर+ + + आपके श्री श्रीराम जी गोटेवाले बैठे हैं, एक ही उनका कार्यक्रम है+ + +बेताजके बादशाह श्री राम गोटेवाला ने+ + +पूरा का पूरा विभाग खड़ा कर दिया है। मेरा चार्ज है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्रीराम जी के लिए क्या कहा....

श्री दाऊदयाल जोशी : बेताज के बादशाह। माननीय मन्त्री महोदय क्या यह सही है कि आवासन मण्डल के सेकेट्री का आवास जो 15 लाख रुपये में निर्मित हुआ था उस सेकेटरी के आवास को केवल 5 लाख रुपये में कोटा में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सन् 81 का रजिस्ट्रेशन करवाने वाली कमला जैन को केवल 5 लाख रुपये में बेच दिया गया। मेरा चार्ज है माननीय मन्त्री महोदय कि आपके आवासन मण्डल के रेजीडेन्ट इंजीनियर 8, उप आयुक्त 6, उप मुख्य अभियन्ता 2 इन व्यक्तियों को अभी अभी भरा गया है। मेरा चार्ज है कि इसमें 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक खाया गया है और वह इसलिये... (व्यवधान) बिलकुल हन्ड्रेड परसेन्ट। मेरा निवेदन है कि ये जो नियुक्तियां दी गई हैं (व्यवधान) इन पर चार्जेज ये कोटा, बारां, झुंझुनू में आपने जवाहर नगर में जो मकान बरसात के अन्दर गिर गये थे। इन इन्जीनियरों के खिलाफ 6 इन्जीनियर्स इनमें से जो 15 को तो प्रमोशन दिया है। 16 में से 6 इन्जीनियर्स के खिलाफ चार्जेज थे। उनको दण्डित नहीं किया गया, उनको प्रमोट किया गया है। प्रमोट करने के पीछे भाव क्या है केवल मात्र मेनुपुलेशन। मेरा निवेदन है क्या यह सही है कि आपकी जो मीटिंग हो रही है लगातार आवासन मण्डल की डेढ़ साल से एक भी मीटिंग में राजस्थान का वित्त आयुक्त जो एक सदस्य है कभी पहुंचा नहीं। केवल उनका प्रतिनिधि मात्र वहां पर पहुंचते है और उसके कारण आवासन मण्डल की मीटिंगों में क्या निर्णय होता है। किस प्रकार के निर्णय होते है राजनैतिक निर्णयों के आधार पर सारा कार्य चल रहा हैं। मेरा निवेदन है कि आवासन मण्डल में चालू एक डी. एन. शर्मा करके भूमि अवाप्ति अधिकारी हैं। 6 साल से काम कर रहे हैं। कभी इनके काम की भी आप जांच करवा कर देखें। कितना इन्होंने भूमि की सीमा से अधिक ब्याज दिया। जमीनें अवाप्त की गई है चित्तौड़ में। मैं माननीय मंत्री महोदय चित्तौड़ की जो जमीन अवाप्त की गई उसकी क्या रेट थी और उसके बाद कितनी रेट दी गई। मेरा चार्ज है कि हमारे के. जी. रूंगटा, कृष्ण गोपाल रूंगटा को अपने

+ + +शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

सांगानेर में उनकी जमीन जो अवाप्त की जा रही थी चार हजार रुपये बीघा में। मुकदमा हुआ, मुकदमा चलता रहा। हमारे आवासन मण्डल के चेयरमैन श्री राम जी गोटेवाला ने उनके साथ समझौता किया। हम जीतते, आवासन मण्डल जीतता, लेकिन आवासन मण्डल ने उस मुकदमें को वापिस लिया। चार हजार रुपये बीघा की जगह के. जो. रूंगटा को 40 हजार रुपया बीघा का पैसा दिया गया। चार हजार की जगह 40 हजार रुपया बीघा का पैसा दिया गया। किस बात का प्रमाण है ? यह इसी बात का प्रमाण है माननीय मंत्री महोदय कि इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। मोनीलेक अस्पताल की जमीन...

श्री सी. पी. जोशी : रेट तो यही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं है, नहीं है। मैं आज भी दिला सकता हूं, दिला सकता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : 50 हजार में दिलवा दो।

श्री दाऊदयाल जोशी : सांगानेर में 40 हजार रुपये बीघा की कीमत नहीं है। मेरा निवेदन मोनीलेक अस्पताल जरा सा वह सामुदायिक विकास के केन्द्र ... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : 50 हजार रुपये बीघा में भी नहीं मिलती है जमीन।

श्री दाऊदयाल जोशी : बनने वाला था जवाहर नगर में। यह मोनीलेक अस्पताल क्या है, किसकी प्रापर्टी है ? क्या यह सार्वजनिक उपयोग की वस्तु है ? इसको जो जमीन दी गई वह कौडियों के भाव में दी गई लेकिन आज भी इस पर कोई रोक-टोक नहीं है। मेरा निवेदन है कोटा नगर में आपके आवासन मण्डल ने एक पॉलिस पत्थर की फैक्ट्री लगाई। करीब सात लाख रुपया इस पर खर्च हुआ। माननीय मन्त्री महोदय कभी कोटा पधारे तो इस पॉलिस की फैक्ट्री को भी आप जरूर जाकर देखें। जिस दिन से लगी है एक पत्थर पॉलिस नहीं हुआ। इसका उपयोग क्या था, क्यों लगाई गई थी ? यह फैक्ट्री आज भी खुले में पड़ी हुई है पिछले 8 साल से इस फैक्ट्री को कवर भी नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में कोटा नगर ही एक मात्र प्रगतिशील नगर है, बढ़ता हुआ नगर है और औद्योगिक नगर है लेकिन जहां आवासन मण्डल भिन्न भिन्न जगह अपने नये नये कार्यालयों को स्थापित करता है लेकिन दुर्भाग्य है कोटा नगर का कि कोटा नगर के व्यक्ति श्री राम किशन जी शर्मा, राम किशन जी कोटा नगर के होते हुए भी, इनके रहते हुए भी ....

एक माननीय सदस्य : शर्मा नहीं वर्मा।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम तो चाहते हैं सब ब्राह्मण बने। मेरा निवेदन है इनके रहते हुए दो मण्डलों को तो तोड़ दिया गया। आखिर कार इसके कारण क्या है ? क्या कोटा में अब आगे से आवासन मण्डल के कोई मकान नहीं बनाये जायेंगे। माननीय मन्त्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में जो दरवाजों और खिड़कियों के लिये कश्मीर से आपने लकड़ी मंगाई है प्लाइवुड की, इसका क्या उपयोग है ? कितने

(206)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कमजोर किवाड़ कोटा में लगे हैं ? एक मुक्का मारने के बाद खिड़की और दरवाजे टूट कर नीचे गिरते हैं। कोटा नगर में जहां मकान बने हैं वे अत्यन्त कमजोर हैं। आज से 10 साल पहले भी वहां मकान बने थे श्री मतीन के समय में मुझे गर्व है इस बात का कि श्री मतीन के समय में मकानों की अच्छी किस्म थी लेकिन दुर्भाग्य है कि कोटा नगर में जो मकान बनाये जा रहे हैं वह आज हल्की किस्म के हैं, घटिया हैं गुणवत्ता के आधार पर कहीं भी नहीं टिकते ।

एक ही बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा नगर परिषद में ईमानदार, योग्य और कर्मठ प्रशासक नियुक्त किया गया था श्री कर्णसिंह राठौड़ को। उनका क्या पाप था, उनको बदल दिया गया – जयपुर के इशारों पर। उन्होंने एक पत्रावली को नहीं निपटाया, उस पत्रावली के आधार पर दो करोड़ का घोटाला था और उसके कारण कर्णसिंह राठौड़ को हटाया गया। मेरा चार्ज है इस सरकार पर कि आपके विभाग में ईमानदार अफसर को क्यों आप नहीं रखना चाहते हैं ? कर्ण सिंह राठौड़ ने कभी किसी को देखा नहीं चाहे वह राम किशन जी के मकान का खुर्रा हो या दाऊदयाल की दुकान का पट्टा हो। उसने सबको तोड़ा है और उसका पाप आज यह सरकार उसका दण्ड श्री कर्णसिंह राठौड़ को देना चाहती है। मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को आप आगे बढ़ावें और जो बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं उनको आप दण्डित करें । आवासन मण्डल तो आज भ्रष्टाचार में आमूल चूल डूब चुका है। माननीय सभापति जी, अगर कोटा में आप मकान ले लें तो हिसाब किताब जरूर रखें। एक व्यक्ति का भी व्यवस्थित रूप से हाउसिंग बोर्ड के पास कोई हिसाब नहीं है। जिसने मकान लिया है। कल ही जाकर आप पूछें, भाई, मेरे हिसाब का क्या हालचाल है, आपका कोई हिसाब नहीं मिलेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि आवासन मण्डल पर चैक लगाइये। हाउसिंग बोर्ड जो दस साल पहले था आपने अधिकारियों की फौज तो बहुत खड़ी कर दी है। भ्रष्टाचार के आधार पर श्रीराम गोटेवाला नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, नई नई नियुक्ति देते चले जा रहे हैं। इस मन्त्री की इच्छा पर जो मकान आवंटन होता है, करीब 150 मकान गलत तरीकों से गलत लोगों को दिये गये हैं। यह मन्त्री इच्छा कहां आ गई ? यह कौनसा क्राइटेरिया है मन्त्री इच्छा ? मन्त्री चाहे जिसको मकान दे दे ? कोई सीमा तो रखो। एक पर्सेन्ट के आधार पर तय किया है मन्त्री इच्छा पर मकान दिया जाना, किसी भी मूल्य पर सहने योग्य नहीं है। माननीय मन्त्री जी, शायद आप नये हैं, कुछ अपेक्षा भी है, ऐसा पाप आप नहीं करेंगे। गरीबों को, सही व्यक्तियों को मकानों की व्यवस्था आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री सभापति : श्री मदन महाराज।

श्री रामकिशन वर्मा : दाऊजी, आपको एक और दे दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने एक भी एप्लीकेशन नहीं दी । मेरे पास 25 × 50 का मकान है । मन्त्रीजी, मेरी लाइन में जितने मकान हैं, 152 रुपये किश्त देते हैं। मैं चूंकि एम. एल. ए. हूं, मैंने एम. एल. ए. बन कर पाप किया इसलिये मैं मकान की किश्त देता हूं 467 रुपये । आप कभी भी जांच कर लें, मेरी लाइन में जो मकान बने हुए हैं । आप, माननीय मन्त्री महोदय, कृपा करके इतना और देख लें, इसकी कोई सीमा ही नहीं है ।

श्री सभापति : माननीय दाऊजी, बैठें आप ।

श्री दाऊदयाल जोशी : तालाब के किनारे मकान बने हैं । 56 मकानों की कीमत अलग, बाकी के मकानों की कीमत अलग ।

श्री सभापति : बैठें आप ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मकान एक समय में बने हैं, मैं चूंकि एम. एल. ए. हूं, मेरा पाप यह है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं मुकदमा करूं तो कल मुझ पर यह चार्ज लगा दिया जायगा कि रामकिशनजी ने एडजस्टमेंट करके दाऊदयालजी को 152 रुपये किश्त कर दी ।

श्री सभापति : कोई चार्ज नहीं लग रहा आप पर ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसलिये मैं मकान की किश्त भर रहा हूं 467 रुपये । (व्यवधान)

श्री सभापति : मदन महाराज । माननीय दाऊदयालजी, आप बैठें । आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक ही समय बने मकान की कीमत कैसे बढ़ गई ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजे, आप बैठें, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान में साढ़े तीन हजार दुकानें आपकी बनी हुई हैं जो 12-12 साल तक खाली पड़ी हैं उनका आवंटन आप कब तक करेंगे, यह भी बताइये ।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी । आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : हरिमोहनजी को कोई शिकायत है क्या ?

श्री हरिमोहन शर्मा : आप दोनों की दोस्ती अच्छी है, कोई शिकायत नहीं है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : चैलेंज है अपना ।

श्री सभापति : बी सीरियस ।

श्री मदन महाराजा (अटरू) : माननीय सभापतिजी, मैं आज मांग नम्बर 20 और 29 पर आपके माध्यम से सरकार और माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मेरे पूर्व वक्ताओं ने आज इस मांग पर अपने काफी विचार रखे, मैं भी उन्हीं विचारों में सम्मिलित होता हुआ निवेदन करना चाहता हूं । सभापति महोदय, हमारा देश आजाद हुआ और इस देश की आजादी के बाद हमारे देश ने स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जिस तरह से प्रगति की, जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा आज उन्हीं की उन्नति से, उन्हीं के

(श्री मदन महाराजा)

निर्देशन में हमारे देश और प्रदेश में आवास समस्या का समाधान सरकार ने काफी गति से किया है। उसके पश्चात् देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने सारे प्रदेश में भिन्न भिन्न जगहों पर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आवासन मण्डल और नगर विकास न्यासों का पुनर्गठन किया, उनकी स्थापना की और उनके माध्यम से एक ऐसी योजना तैयार की जिससे गरीब और पिछड़े और अल्प आय वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को काफी राहत दी गई है। हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 20 सूत्री कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई उसमें सबसे ज्यादा देश की जनता को आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। हमारे राजस्थान में भी 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत हर गांव में, हर शहर में आवासन मंडल के माध्यम से आवास सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई गई। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हमारी सरकार ने राजस्थान की जनता को, चाहे वह कोटा की धरती हो, चाहे वह जयपुर की धरती हो, चाहे वह जोधपुर की धरती हो, चाहे वह बीकानेर की धरती हो, आवासन मंडल के माध्यम से हजारों की संख्या में लोगों को आवास गृह उपलब्ध कराये गए। सभी श्रेणी के लोगों को नियम के अनुसार मकान दिये गये। चाहे हमारे अल्प संख्यक भाई हों, चाहे राज्य कर्मचारी हों, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे एस. सी. एस. टी. के लोग हों, चाहे सैनिक हों, ऐसे लोगों के लिये भी उसमें प्रावधान रखा गया है। जिसके माध्यम से अधिक लोगों को आवास सुविधा प्राप्त हुई है। इस समय हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधीजी ने जिस प्रकार की योजना चलाई है, पंचायती राज पर उन्होंने काफी बल दिया है, उसके माध्यम से भी गांवों के अन्दर आवास की जो सुविधाएं प्रदान की हैं, उससे गांव में रहने वाले आदमी, एक ढाणी में रहने वाले व्यक्ति को भी आवास सुविधा उपलब्ध हुई है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। हमारे विभिन्न राजनैतिक दल उधर के बैठने वाले साथी इधर के बैठने वालों पर, सरकार पर आरोप लगाते हैं कि आज आजादी के बाद किसी भी प्रकार से आवास सुविधा में तरक्की नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, यह सारे आंकड़े आज सरकार और जनता के सामने हैं। आवासन मंडल, नगर विकास न्यास, नगरपालिकाओं द्वारा जिस तरह से सुविधा हमारे देश की जनता और प्रदेश की जनता को मिल रही है उसे हमारे देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह, भली भांति जानती है और पहचानती है कि कौनसी सरकार और कौनसा दल जनता को राहत पहुंचा रहा है। आपके माध्यम से मन्त्री महोदय, का ध्यान हाउसिंग बोर्ड की कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा। 83-84 के अन्दर राजस्थान आवासन मण्डल ने एक विशेष पंजीकरण अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए प्रारम्भ किया था। सभापति जी, उस पंजीकरण के अन्दर काफी संख्या में राजस्थान लेवल पर जगह-जगह राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यालय हैं वहां पर पंजीकरण हुआ। मेरे कोटा के अन्दर भी करीब-करीब ढाई हजार लोगों ने पंजीकरण कराया लेकिन अफसोस है कि उन लोगों को अभी

(श्री मदन महाराजा)

तक वह मकान उपलब्ध नहीं हो पाये। हालांकि मकान उनके पास उपलब्ध हैं परन्तु क्या कारण है वह मकान उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं? अभी हमारे बीच में थोड़े दिन पहले कोटा के अन्दर आवासन मण्डल के चेयरमैन माननीय श्री श्रीराम जी गोटेवाला पधारे थे उस वक्त भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, आपकी योजना अच्छी है, सरकार की नीति भी बढ़िया है लेकिन जिस नीति के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने की बात थी, आवासन मण्डल ने जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को पंजीकरण और आवासन में छूट नहीं दी थी, जिसके कारण उनका कोटा पूरा नहीं हो पाया था, सरकार और आवासन मण्डल ने विशेष तौर से उस पर ध्यान देकर उन लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिये जो योजना बनाई है उसके अन्तर्गत कोटा के लोगों को भी लाभ मिलना चाहिये। मैं, सभापति जी, यह निवेदन करना चाहूंगा, मन्त्री महोदय इस बात पर ध्यान दें कि उस समय आवासन मण्डल के चेयरमैन महोदय ने इस बात के लिये फरमाया था कि वहां के उपायुक्त जो आवासन मण्डल कोटा के हैं, इस बात पर ध्यान दें और इस बात की पूर्ति करें लेकिन बार-बार इस बात का जवाब यह मिलता है कि वहां पर हमने सारे लोगों को आवंटन कर दिया लेकिन ऐसी मेरे पास काफी पंजीकरण की स्लिप हैं, जो आवासन मण्डल से उनके चालान फार्म है उन लोगों को आज तक न तो आवंटन किया गया है, न आवंटन पत्र जारी हुए हैं। मैं चाहूंगा कि श्रीमान, उनको शीघ्र से शीघ्र आवंटन करें, कोटा में जो बने हुए मकान हैं, उन अनुसूचित जाति के लोगों को दिलवायें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे चेयरमैन के लिये जो शब्द कहे कि वह + + +। मैं इस बात का विरोध करता हूं कि उन्होंने एक सच्चे और भले व्यक्ति पर इस प्रकार का चार्ज लगाया। (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मदन महाराजा, हमें मत छेड़ो, वर्ना + + +। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सदस्य को धौंस बता रहे हैं आप...(व्यवधान)

श्री मदन महाराजा : माननीय दाऊदयालजी, आप तो बृजसुन्दरजी से मिल गये ना। वह जमीन सभापति महोदय, लक्ष्मीनारायण शर्मा के पास न होकर जो ऐरी-डूमी के पास का यह जिक्र कर रहे थे वह जमीन अगर बृजसुन्दरजी के पास में होती तो यह इस मामले को नहीं उठाते लेकिन वह जमीन आज बृजसुन्दरजी के पास से निकल जाने के बाद यह इस बात का पक्ष ले रहे हैं इन्होंने जरूर सांठ-गांठ बृजसुन्दरजी से की होगी। मैं समझता हूं इनकी कोई न कोई रिश्तेदारी जरूर उनसे है। (व्यवधान) श्रीराम गोटेवाला ने एक बहुत ही अच्छा काम आवासन मण्डल में पद भार ग्रहण करने के बाद किया। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा। (व्यवधान)

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री मदन महाराजा)

आवासन मण्डल के अन्दर जिस प्रकार का अवरोध हो रहा था, राज्य सरकार की जो बढ़िया नीतियां थी उनकी क्रियान्विति करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी उन सारी नीतियों को लागू करने के लिये सबसे पहले राज्य सरकार ने और हमारे मनोनीत चेयरमैन ने सबसे बढ़िया काम यह किया कि इसके अन्दर एक आई. ए. एस. अधिकारी जो बैठे हुये थे। उनको हटवाया क्योंकि वह वहां बैठ कर जनता को लाभ नहीं पहुंचने देते थे। क्योंकि वह व्यक्ति मुझे ज्ञात हुआ है कि पूर्व मुख्यमन्त्री जो जनता राज में थे उनके कानूनी और राजनैतिक सलाहकार थे जो राज्य सरकार के अन्दर हमारे कई बाधायें उत्पन्न करते थे। उनको हटवाया जिससे माननीय सदस्य खिन्न हैं और खिन्न होकर के हमारे चेयरमैन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से नगरीय आवासन मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाएं और नगर परिषद हैं उनमें भी ऐसा प्रावधान करें कि जिस प्रकार से नगर विकास न्यास और आवासन मण्डल पिछड़े और गरीब लोगों को जो आवास सुविधा उपलब्ध कराती है उसी प्रकार से नगर पालिका में सबसे पहले, सबसे ज्यादा संख्या में पिछड़े से पिछड़े और गिरिजन से गिरिजन एक मेहतर समाज जो अधिक संख्या में और समुदाय में नगरपालिकाओं में सेवा करता है। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी इस बारे में सरकार का और मन्त्रीजी का ध्यान दिलाया है। जिस प्रकार से कोटा नगर परिषद में जो उच्च श्रेणी के लोग इंसपेक्टर और अधिकारी हैं उनके लिए तो आवास सुविधा नगर परिषद् की तरफ से है लेकिन उन पर गरीब हरिजनों की तरफ नगरपालिका और सरकार का ध्यान कतई नहीं है। उनको एक सुविधा म्युनिसिपैलिटी ने जरूर दी है कि हाउसिंग लोन देते हैं। उसमें भी काफी बाधाएं उनके सामने उत्पन्न होती हैं क्योंकि नगरपालिकाएं उनको प्लाट दे नहीं पाती, नगरपालिकाएं क्राउन ग्रान्ट एक्ट के तहत उसको पट्टा दे नहीं पाती। ऐसी कानूनी अड़चनें हैं जिसमें संशोधन किया जाना चाहिये और जो जमीनें नगरपरिषद् और नगरपालिका की सीमाओं में हैं इसलिए वह अगर उनको प्लाट काट कर देती है तो जो नगरपालिका में सेवा करने वाले सफाई कर्मचारी हैं वह आसान तरीके से लोन ले सकते हैं और आवास सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय, एक मैं आवासन मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का यह डिपार्टमेंट है अर्बन डवलपमेंट एण्ड हाउसिंग डिपार्टमेंट, इसका आर्डर नं. एफ-3/157/यूडी.एच/ग्रुप-3/83 दिनांक 2 अगस्त, 83 का एक सर्कुलर राज्य सरकार का निकला है जिसमें उन्होंने कहा है– To the Secretary Jaipur Development Authority, Jaipur and Secretaries, All Urban Improvement Trusts, Rajasthan. Subject : Allotment of land to house building co-operative societies and construction of houses by them. मेरा निवेदन है सभापति जी, इस आर्डर का जो अगस्त, 83 में निकला है और आज तक किसी भी नगर विकास न्यास में इम्लीमेंट नहीं हुआ। अगर यह आर्डर लागू हो जाता

(श्री मदन महाराजा)

है तो इससे मेरे कोटा में 32 को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं और वह जिस मृत हाल में पड़ी हुई है वह सोसाइटीज राज्य सरकार ने और स्व. इन्दिरा गांधी ने अपने बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत इस दृष्टि से बनवाई थी और इस प्रकार से राज्य सरकार को आदेश दिये थे कि अगर इनके माध्यम से जमीन दी जाएगी तो गरीब को प्लाट भी और बना बनाया मकान भी मिलेगा। इसी तरह के जो यह आर्डर हैं उसके तहत हमारे नगर विकास न्यास कोटा ने पहल करने की कोशिश भी की लेकिन इसकी पालना अभी तक नहीं हुई और इस आर्डर के तहत कोटा हाउसिंग सोसाइटीज लटकी पड़ी है और इस आदेश की पालना की राज्य सरकार से आशा करती है और वह चाहती है अगर राज्य सरकार के इस प्रकार के आदेश की पालना नगर विकास न्यास कोटा नहीं कर सकती तो या तो इसे विद-ड्रा कर ले लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी पालना करने के बाद भी वहां की 32 गृह निर्माण सहकारी समितियां और वहां के नगर विकास न्यास ने आज तक एक भी गृह निर्माण सहकारी समिति को लैण्ड आवंटन नहीं की और वह सहकारी समितियां उनकी प्रतीक्षा में हैं। (व्यवधान) मेहतर गृह निर्माण में तो आपने एतराज किया कि यह तो खा गये ....

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने तो आनन्द कर लिया ना ?

श्री मदन महाराजा : मैं तो आनन्द में हूं। मैं तो वैसे ही हरिजन हूं मेरे को तो घाटा ही नहीं किसी चीज का किसी के घर चला जाऊं तो मुझे पैसा भी मिले और रोटी भी मिले कोई चिन्ता की बात नहीं है। (व्यवधान)

मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गृह निर्माण सहकारी समितियों का मसला भी दाऊदयाल जी कह रहे थे उसके संदर्भ में हमारे नगरीय आवासन मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह सहकारी समितियां जैसा कि नगर विकास न्यास ने आवटन कर दिया और इस आदेश के अनुसार ....

श्री दाऊदयाल जोशी : कोई आवंटन नहीं हुआ।

श्री मदन महाराजा : इसके लिये मेरे पास प्रुफ है, आपके पास हो तो बता दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक इंच जमीन का आवंटन नहीं हुआ और 6-6 हजार रु. प्लाट के लिए जिसके कारण जिला सतर्कता समिति में माननीय सदस्य के खिलाफ 420 का केस थाना कैथोलिक पॉल में दर्ज हुआ और वह केस यहाँ पर आपने राजनैतिक प्रभाव के आधार पर सी. आई. डी. सी. बी. में +++आज तक उसका चालान नहीं हुआ। करीब तीन लाख रुपये बटोरे गये।

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य बिना नोटिस दिये इस

+++ अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रघुनाथ परिहार)

तरह से बोलते हैं, नियमों का उल्लघंन कर रहे हैं। + + + बात की है इसको एक्सपंज किया जावे।

श्री सभापति : एक्सपंज कर दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोई नोटिस की जरूरत नहीं है। थाना कैथोलिक पॉल में केस रजिस्टर है। सी. आई. डी. सी. बी. में हरिदेव जी जोशी को यह कहा था कि आप ब्राहमण हो भंगियों पर अत्याचार करते हो .... (व्यवधान)

श्री प्रणवीर व्यास : सबज्यूडिस मैटर यहां नहीं उठा सकते। मामला अगर कोर्ट में चल रहा हो तो उसको नहीं उठा सकते। (व्यवधान) कोर्ट में मामला है उसको नहीं उठा सकते। जितना जोर से आप बोल सकते हो उससे डबल जोर से मैं भी बोल सकता हूं। कोर्ट में मामला है और कोर्ट का फैसला जब आएगा, देखा जाएगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय प्रणवीर जी, केस चला होता तो मैं भी... (व्यवधान) केस चला ही नहीं। जिला सतर्कता समिति में कांग्रेस के...

श्री सभापति : अंकित नहीं हो। माननीय दाऊदयालजी की बात अंकित नहीं हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री प्रणवीर व्यास : केस चलेगा, केस का निर्णय आयेगा तब देखा जायेगा।

श्री मदन महाराजा : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीय आवासन मंत्रीजी का जिस प्रकार से ध्यान दिला रहा था उसी सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से अरबन सीलिंग और शहर के अन्दर जितने भी प्रोपर्टी डीलर कोटा में है, वे प्रोपर्टी डीलर्स, जिसमें अभी माननीय सदस्य ने...

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें, बहुत समय हो गया।

श्री मदन महाराजा : एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। लक्ष्मीनारायण शर्माजी के बारे में कहा गया, वह भी एक प्रोपर्टी डीलर हैं लेकिन माननीय दाऊदयालजी जोशी से उनका सौदा नहीं पटा इसलिए वह इस बात को कह रहे हैं।...

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री मदन महाराजा : सभापति महोदय, मैं आपसे और भी निवेदन करना चाहता हूं। कोटा के अन्दर जितने भी प्रोपर्टी डीलर्स हैं उनसे हमारे जन-प्रतिनिधि जो उस पक्ष में बैठने वाले हैं उनका हमेशा गठबन्धन रहता है। यह बात कही है कि उनसे मिल करके सरकारी जमीनों को...(व्यवधान)
जो कोटा का मास्टर प्लान है, ये उनसे मिल करके, मैं माननीय आवासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा...

श्री दाऊदयाल जोशी : भाई मदन, एक आरोप भी लगा दो तो मैं त्याग पत्र देकर चला जाउंगा या आप पर, मैंने जो चार्ज लगाये हैं उन पर आप त्याग पत्र देकर चले जावो। एक आरोप -...(व्यवधान)

× × × माननीय सभापति की आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+ + + अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मदन महाराजा : मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति जी...

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री मदन महाराजा : मैं अभी खत्म कर रहा हूं। कोटा के अन्दर जो हमारा मास्टर प्लान है, हमारे उस मास्टर प्लान में जिस तरह से प्राइवेट डीलर्स ने, जैसे हमारे आवासन मण्डल का दफ्तर हो, चाहे नगर विकास न्यास का दफ्तर हो, आज सहकारी समितियों की हालात देखिये, चाहे वे अपने घर पर उस दफ्तर को चलाते हों या अपनी जेब में चलाते हों, प्रोपर्टी डीलर्स एक-एक लाख, सवा सवा लाख के दफ्तर खोल करके बैठे हैं और जिस प्रकार कोटा का जो मास्टर प्लान है उसकी दुर्दशा उन्होंने की है। उन सारी बातों के लिए हमारे विपक्ष के लोग भी जिम्मेदार हैं। उस मास्टर प्लान में मोहन कुटीर जैसा एक बहुत बड़ा मामला आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मोहन कुटीर के अन्दर जिस तरह से जब वह सीलिंग में आयी तो सीलिंग में आने के बाद उसमें बड़े-बड़े लोगों के मकान बन गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा, चाहे उसमें सरकारी अफसर हो, चाहे उसमें राजनीतिज्ञ हों, चाहे पक्ष का राजनैतिक नेता हो, चाहे विपक्ष का उसमें विपक्ष के लोगों के भी मकान हैं। लेकिन वीकर सैक्शन के नाम पर इस सरकार से जमीन मिलनी चाहिये।...

श्री सभापति : समाप्त करें। आप चेयर को कोआपरेट करें माननीय सदस्य।

श्री मदन महाराजा : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। इसी तरह से मोहन कुटीर है, जो सीलिंग में जमीन आयी लेकिन उस जमीन के अन्दर भी यही बाधा आयी है कि वीकर सैक्शन के लोगों को जमीन मिलनी चाहिए लेकिन उनको नहीं मिल करके धनाढ्य लोगों को वह जमीन दी जा रही है जिस पर अंकुश लगाना चाहिये और ऐसे लोगों को प्लाट्स दिये जाने चाहिये जो वास्तव में, सरकार की नीति के तहत और माननीय राजीव गांधी की नीति के तहत गरीबों की श्रेणी में आते हैं उन लोगों को ऐसी जगह पर जमीन दी जाय, उस जमीन का बंटवारा किया जाना चाहिये।...

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री मदन महाराजा : मैं आपसे पांच मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : पांच मिनट नहीं। आप माननीय सदस्य समाप्त करें, आप बहुत बोल चुके हैं, समाप्त करें।

श्री मदन महाराजा : आज आप मुझे थोड़ा समय दें।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, हम भी 25 मिनट बोलेंगे, 30 मिनट हो गये हैं इनको और आप बोलने की इजाजत दे रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय कालीचरणजी आप बैठें।...माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री मदन महाराजा : सिर्फ पांच मिनट लूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें आप।

(214)

श्री मदन महाराजा : सिर्फ पांच मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा । मुझे पांच मिनट का मौका देवें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें ।

श्री मदन महाराजा : मैं दो मिनट में खत्म कर देता हूं ।

श्री सभापति : दो मिनट में बोल लीजियेगा ।

श्री मदन महाराजा : माननीय सभापति जी, जिस तरह नगर पालिकाओं की बात चल रही थी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब वे अपना उत्तर दें तो मैं समझता हूं कि वह मेरे इन बिन्दुओं के बारे में उल्लेख करेंगे । सभापति महोदय, नगरपालिकाओं में जब-जब भी सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है तो 14 रुपये रोज के हिसाब से, या 15 रुपये रोज के हिसाब से 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए रखा जाता है और जब इनकी पूर्ति हो जाती है तो उनको यहां से हटा दिया जाता है । हम कई बार निदेशक महोदय, से मिले सफाई कर्मचारियों ने कई बार बड़ी बड़ी हड़तालें की । मैं समझता हूं कि इस प्रकार से स्थानीय निकाय में सफाई का काम करने वाले लोग राजस्थान में सब से ज्यादा संख्या में हैं । वे , उस समाज के प्रति एक ऐसा घिघौना षडयन्त्र करते हैं और उन्हें बन्धक मजदूर मानते हैं । मैं चाहता हूं कि आप उनको बन्धक मजदूरों की संज्ञा नही दें और उन सबको इनसे मुक्त करें । नगरपालिकाओं और परिषदों में आवश्यकता है सफाई कर्मचारियों की तो कायदे और कानून के तहत उनकी भरती करें और उसी प्रकार से उनको रखे ।

मैं आपको जोधपुर की एक महिला का उदाहरण बताना चाहता हूं । वहां पर एक सरला देवी नौकर थी, कनिष्ठ लिपिक थी लेकिन जाति से मेहतर थी इसलिए उसको डेढ़ साल सर्विस करने के बाद नगर परिषद जोधपुर ने हटा दिया और उससे जो जूनियर थे, जो दूसरे सवर्ण कास्ट के थे उनको परमानेंट कर दिया लेकिन उसकी एन. ओ. सी. निदेशक महोदय ने आज तक नहीं दी और यह कहा कि जगह नहीं है । मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वह एक महिला जो कनिष्ठ लिपिक थी, बड़ी मुश्किल से मेहतरों में पढ़े लिखे लोग तैयार होते हैं, महिलाएं पढ़ती हैं बच्चें पढ़ पाते है और आज वह इस प्रकार से परेशान है कि अपने बच्चो को पाल नहीं सकती क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, ढाई साल से उसको तनख्वाह तक नहीं मिल रही है । मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी बातों पर मन्त्री महोदय, मैं समझता हूं कि आप टिप्पणी अपने उत्तर में करेंगे । इसी आशा और विश्वास के साथ जो मेरे ऊपर माननीय सभापति महोदय, दाऊदयालजी जोशी जी जो दीगोद से हमारे सम्माननीय सदस्य है . . .

श्री सभापति : अब समाप्त करें माननीय सदस्य ।

श्री मदन महाराजा : उन्होंने जिस प्रकार से मेरे ऊपर चार्ज लगाये हैं उन चार्जेज का तो मैं खण्डन करता हूं क्योंकि उसकी एफ. आई. आर. की नकल मेरे पास है । मेरे विरुद्ध जो चार्ज लगाये हैं बिल्कुल गलत लगाये हैं

(श्री मदन महाराजा)

और पुलिस ने उसकी जांच की है। जांच करने के बाद, मैं अभी तक उसमें दोषी नहीं पाया हूं। एक राजनैतिक षड़यन्त्र था, भारतीय जनता पार्टी ने केवल मेरे ऊपर, हाडौती के अंचल से एक मात्र मेहतर समाज का मैं ही एक व्यक्ति हूं और 17 साल से दबी हुई भारतीय जनता पार्टी की सीट को निकलवा कर कांग्रेस के रूप में लाया हूं माननीय राजीव गांधीजी ने मुझे टिकट देकर अटरु विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया। कोटा से 120 किलोमीटर दूर से मैं चुनाव जीत कर आया और भारतीय जनता पार्टी को वहां से हराया, हार खानी पड़ी केवल मात्र इसी ईर्ष्या से मेरे ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं। यह सहकारी समिति का मामला है और सहकारी समिति को इस बारे में बात करनी चाहिये थी लेकिन आज तक उसकी तफ्तीस पूरी नहीं हुई और उसमें दोषी नहीं पाया गया। मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं और आशा करता हूं मन्त्री महोदय इस बारे में अपना ध्यान दें। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-2 धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, आज म्युनिसिपैलिटी, जे. डी. ए. और हाउसिंग बोर्ड की डिमाण्ड है। माननीय सभापतिजी, पहली बात तो ...

श्री सम्पत सिंह : सभापतिजी, इनको क्यों बुलवा रहे हो, इनके घर में कौन है।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय सभापतिजी, यह जो जे. डी. ए. बना, जब से जयपुर के अन्दर जे. डी. ए. बना उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की बेईमानी, इस तरह का जायज और नाजायज हर आदमी ने फायदा उठाने की कोशिश की है। अरबन इम्पूवमेण्ट ट्रस्ट के अन्दर जब जे. डी. ए. ने लिया तब यह लिखा हुआ था कि ग्रीन बैल्ट जहां जहां घोषित है उसकी जमीन सरकार नहीं लेगी यह कानून में है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, यह बताना चाहता हूं कि जे. डी.ए. के अन्दर 441 सोसाइटियां हैं जिसमें 224 सोसाइटियों का इन्होंने कन्वर्शन किया। . . . और बाकी सोसाइटीज ऐसी हैं। मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि वह सोसाइटियां आज के दिन भी जमीन खरीदती हैं और प्लाट काट करके बेच रही हैं। यह जे.डी.ए. का जो बीस किलोमीटर का एरिया घोषित किया था . . .

(समय 7.10 रात्रि)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति पदासीन)

मैं माननीय मन्त्री महोदय आपको जानता हूं कि आप देश की आजादी के लिये त्याग किये हुई हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कोई भी एग्रीकल्चर की जमीन अगर सोसाइटी बेचे तो उस वक्त उसको यह मालूम हो कि यह जमीन सरकार की है। आज कहीं भी अलाटमेंट हुआ, सिवायचक में या बंजर का अलाटमेंट हुआ, या कैसे भी हुआ, सरकार की है। किसान ने उसको साफ किया, मेहनत की, ठीक है। पर यह नहीं है कि किसान टिनेंसी एक्ट के अन्तर्गत इतना पैसा लेकर के और वह जमीन सरकार को देगा। परन्तु अब सोइसाइटियों के

(२४)

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

अन्दर कौन लोग हैं ? इनके अन्दर बडे बडे पैसे वाले, राज चलाने वाले, एम. एल. ए., एम. पी., प्रधान, सरपंच हैं, सारे के सारे वहां इन में होते हैं। तो माननीय मंत्री जी एक तो यह आर्डर निकालें कि जो जमीन इन सोसाइटियों ने ले ली, उसके बाद में आज भी जमीन लेकर के प्लाट काट करके बेच रही हैं । वह नहीं बेची जानी चाहिये। दूसरा, जे. डी. ए. को आप खत्म कीजिये क्योंकि उसके अन्दर जो कानून बना है, उससे जे. डी. ए. के आदमी यहां की सर्विस के अन्दर रहेंगे। आज जैसे कि मण्डी समितियां हैं, उनके क्लर्क और आफीसर का ट्रान्सफर हो सकता है, जे. डी. ए. के आदमियों का ट्रांसफर नहीं हो सकता और दूसरे वहां चले जायेंगे और वहां आ जायेंगे तो आप अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लागू कर देंगे और जे. डी. ए. को खत्म कर देंगे तो इस कानून के अन्तर्गत एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर हो सकता है। आज हर आदमी, इधर के और उधर के दोनों तरफ बैठने वाले लोग कहते हैं और सारे हिन्दुस्तान के लोग कहते हैं कि बंबई, कलकत्ता, मद्रास में रहने वालों ने यहां पर प्लाट लिये हुए हैं, चाहे सोसाइटी के जरिये लें या कैसे भी लें। वह कहते हैं कि जे. डी. ए. में इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है इसलिए तो जे. डी. ए. को खत्म करें या इसके अन्दर कानून बनायें कि अगर जे. डी. ए. रहेगा तो . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आपने अच्छी बातें कह दीं, काफी महत्वपूर्ण बातें कह दीं आपने।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो चार पांच ही बातें बताऊंगा। एक तो ट्रांसफर की नीति तय की जाये। दूसरी जे. डी. ए. वाली बात को, एक ग्रीन बेल्ट का अधिकार लागू रहना चाहिये। इस जयपुर में जे. डी. ए. की बात तो यह हुई। दूसरी बात मेरी एक है कि जो म्यूनिसिपैलिटी है, जो पंचायतों को म्यूनिसिपैलिटी बना दीं, उनको खत्म किया जाये। और उसको वापस पंचायत बना दिया जाये। क्योंकि वहां म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर कोई काम नहीं है और पंचायत बना देंगे तो कम से कम वह पंचायतें तो चलेंगी और वह लोग जो म्यूनिसिपैलिटी होने से परेशान हो रहे हैं, वह नहीं होंगे

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जो म्यूनिसिपैलिटी को अनुदान मिलना चाहिये, ए क्लास-बी. क्लास और सी. क्लास दोनों में ही ए. और बी. क्लास में आदमी रहते हैं मनुष्य-मनुष्य सब एक। अपन कहते हैं भंगी और भंगी भी आदमी है और बनिये और ब्राह्मण भी आदमी हैं फर्क क्या है ? आपने जो ए. बी. और सी. क्लास की म्यूनिसिपैलिटी कर रखी है, उसको खत्म करें।

श्री सभापति : समाप्त करें। सब बातें हो गयीं। सब पाइंट आपके आ गये। कृपया बैठें आप। कोटपूतली से आते हैं, आपको जयपुर से क्या लेना देना। काफी कह दिया आपने।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक सभापति जी, मैं अर्ज कर रहा हूं। मेरे को कम से

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

कम मेरे एरिया में म्यूनिसिपैलिटी हैं, तकलीफ है, इसलिए कृपया म्यूनिसिपैलिटी पर मुझे बोलने तो दो। कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी बात यह है कि जे. डी. ए. जमीन को रेट फिक्स करती है। सात सौ, आठ सौ, पांच सौ या कही और करती है, सो-स्कीम में फिक्स करती है, वह बिकती है तीन हजार रुपये गज। उसमें रजिस्ट्रार खाता है, दूसरे लोग पैसा खाते हैं। तो यह यह कहना है कि जितनी कि प्राइसें, रेट है, वह फिक्स की जाये जे. डी. ए. की तरफ से और रजिस्ट्री कराने वाला इतना पैसा सरकार को दे।

श्री सभापति : समाप्त करें...वह कह चुके हैं आप...कह दिया आपने...रिपीट नहीं करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर जब तक इनकम नहीं बढ़ायेंगे, अनुदान नहीं बढ़ायेंगे और म्यूनिसिपैलिटी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हाउसिंग बोर्ड की बात, म्यूनिसिपैलिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया। हाउसिंग बोर्ड की बात है। हाउसिंग बोर्ड ने जो मकान बनाकर गरीब लोगों को दिये, वह ढह गये। और काफी लोगों ने दुबारा बनाये। मैं खुद देख करके आया हूं वह ढह जाते हैं। मकान बनाता है और हाउसिंग बोर्ड मकान बनाता है, तो आज माननीय मंत्री जी, मेरा कहना यह है कि आप सोसाइटी के घर के मकान, हाउसिंग बोर्ड के मकानों का यह तय करें कि एक फेमिली को मकान मिलेगा एक मिलेगा या दो मकान मिलेंगे कुछ भी तय करें। परन्तु जो आज कीमतें बढ़ रही हैं कि पच्चीस रुपये की पांच हजार रुपये गज बेचते हैं, जो दो रुपये गज जमीन ली थी और प्लाट लिया आज उसकी रेट है पांच हजार रुपये गज।

श्री सभापति : धन्यवाद, आप बैठो।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तब तक नहीं मिटेगा, जब तक आज आप कहते हैं आप आजादी की बात करते हैं, परन्तु यह भेदभाव जब तक नहीं मिटेगा, तब तक काम नहीं चलेगा। हमारा जो बूचड़खाना है, जहां रहते हैं वहां माननीय सभापति जी, इतना गंदा पानी बहता है, क्योंकि नाला-टूट जाता है, तो सारा मलबा हमारे यहां आता है, जहां रहता हूं मैं। और जनता पार्टी का वहां दफ्तर भी है। ऐसा है कि कम से कम बूचड़खाना तो वहां से उठवा दीजिए यह तो कर दीजिये माननीय मंत्री जी।

श्री सभापति : अजी, वहां सफाई करवा देंगे, आप बैठो।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो कम से कम बाग में जाने वालों को आराम मिलेगा। वहां तो मिलेगा नहीं, लेकिन बाग में मिलेगा। तो यह हाउसिंग बोर्ड जो भी मकान बनावें, वह मकान अच्छे बनावें और यह बड़े-बड़े आदमियों को नहीं दे...

श्री सभापति : आपने कह दी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तय कर लें कि हम छोटे आदमी को सरकार देगी। जिसकी तनख्वाह एक हजार, पांच सौ, चार सौ या तीन सौ फिक्स कर रखी है, उसको देंगे और किसी एम. एल. ए. को नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी होगा, एक हजार रुपये से ज्यादा

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जिसकी तनख्वाह होगी उसको हम मकान नहीं देंगे। इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री माणक डाणी।

श्री माणक डाणी : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20 और 29 पर मैं अपनी बात कहने के लिये उपस्थित हुआ हूं जिसके बारे में मैंने अपने कटौती प्रस्ताव भी रखे हैं। राजस्थान के अन्दर जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें स्थानीय निकायों को जो लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान किये हैं उससे निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर एक नई जागृति कम से कम इन चार या पांच नगरपालिकाओं में, जहां चुनाव हो गये हैं, वहां तो है ही, बाकी जगह इस बात की आवश्यकता है कि वहां जल्दी से जल्दी चुनाव कराकर इस लोकतांत्रिक पद्धति को और मजबूत किया जाय। इस देश में पंचायतों पर एक आम बहस होने के बाद एक नई बहस स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी प्रारम्भ की गई है। सुबह विपक्ष के नेता कह रहे थे कि यह पता नहीं, चुनाव के बाद में होगी, चुनाव हो गये तो बाद में जाकर अधिकार नहीं दिये जावेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस देश में नई शिक्षा नीति लागू की है वह आम बहस के बाद, पंचायत राज में संशोधन लाया गया तो आम बहस के बाद इसी प्रकार अगर स्वायत्तशासी संस्थाओं को और ज्यादा अधिकार दिये जाने है, तो वह भी इस देश के नौजवान प्रधानमंत्री ने जो मानस बनाया है वह स्वागत योग्य है और निश्चित रुप से स्वायत्तशासी संस्थायें मजबूत होंगी।

माननीय सभापति महोदय, एक विचित्र स्थिति राजस्थान के अन्दर है। राजस्थान में जितनी नगरपालिका–नगर परिषदें हैं उनमें से लगभग 100 नगरपालिकायें, इस प्रकार की हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, महीनों तक उनका वेतन नहीं चुकता। आवश्यकता आज इस बात की है कि इन नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सम्भव हो तो एक आयोग का गठन किया जाय और एक आयोग का गठन सिर्फ इस बात के लिए किया जाय कि यह वित्तीय स्थिति सुधारने के बारे में अपनी राय दे सके ताकि वेतन आदि कहीं बकाया न रहे। कई म्युनिसपैलिटीज में अगर वहां की तनख्वाह वगैरह समय पर चुका दी जाती है, उनके वेतन से कटने वाली कटौतियां समय पर नहीं चुकायी जाती और समय पर ले जाकर जमा नहीं कराई जाती उससे नगर परिषदों के कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा पैसा बकाया रह जाता है। आपको मैं ब्यावर का आंकड़ा देना चाहता हूं कि लगभग 29.92 लाख रुपया ब्यावर नगरपालिका के कर्मचारियों का वह बकाया है जो कि विभिन्न खातों में जमा होना है। इस वित्तीय स्थिति को सुधारने के बारे में और ब्यावर की वित्तीय स्थिति सुधारने के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। ब्यावर नगर की ट्रांसपोर्ट नगर योजना महीनों से क्या, वर्षों से, मेरे को जहां तक याद है, 1983 से डी. एल. बी. में अटकी हुई है। चाहे ब्यावर की नगर परिषद का सहयोग लेना हो या डी. एल. बी. को यहां से निर्देश देना हो लेकिन चाहे जो परिस्थिति हो, अगर ट्रान्सपोर्ट नगर की योजना को स्वीकार कर लिया जाय तो कम से कम दस लाख रुपया, बल्कि ज्यादा

(श्री माणक डागा)

ही अमाउण्ट होगा, वह लाखों रुपयों की धनराशि ब्यावर नगर परिषद को मिल सकती है लेकिन इस ओर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई जिसके अभाव में यह कार्य सम्पन्न नहीं हो पा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के अन्दर कई मामले ऐसे अटके हुए हैं कि यदि वह मामले जल्दी हल कर लिये जांय, यदि समझोते की टेबल पर बैठकर समझौते कर लिये जायं, समझौते से सम्भव नहीं हो तो हाईकोर्ट में ढंग से रिट करके पैरवी वगैरह करके भी ये मामले सुलटाये जा सकते हैं, इसके द्वारा भी ब्यावर की नगर परिषद को काफी अच्छी धनराशि लीज के तहत प्राप्त हो सकती है।

ब्यावर नगर की शास्त्री नगर विस्तार योजना, जो लगभग 12 साल से अटकी हुई है, असेम्बली में मसला आने के बाद उसका गजट नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। या तो वह स्कीम समाप्त कर दी जाय अथवा उस स्कीम को एक दो महीने में टेक–अप कर लिया जाय, जो फैसला करना हो वह करें लेकिन कम से कम ऐसी कोई परिस्थिति तो पैदा नहीं हो, कि जिससे परेशानी पैदा हो। उस शास्त्री नगर विस्तार योजना के बारे में, मैंने पहले भी कहा, मैंने राजीव गांधीजी को ज्ञापन देकर प्रार्थना की कि यह योजना कब बनी, दस सालों से क्यों लटकी रही, सी. बी. आई. से जांच करायें। पिछले पांच वर्षों में इस योजना को लेकर किन-किन लोगों की किस प्रकार की सौदेबाजी के चक्कर में यह योजना लटकी ? वास्तव में उक्त योजना में सम्मिलित लोग किस विचारधारा के हैं। इस योजना को रद्द करने पर क्या गरीबों का भला नहीं होता या उच्च स्तरीय समझौता नहीं बैठ जाने के कारण इस जमीन को अवाप्त करने की कार्यवाही रुकी रही ? क्या नगर परिषद, ब्यावर के पास इस जमीन की अवाप्ति के विरूद्ध भू-खण्डधारियों को मुआवजा देने की धनराशि है? यदि हां, तो रूपानी टाकीज के सामने स्थित ईसाई जमीन को क्रय करने के वास्ते कार्यवाही नगर परिषद ने क्यों नहीं की ? या पैसा था तो उस जमीन को क्यों नहीं खरीदा? क्या इस योजना में किसी गन्दगी की बू आती है? आती है तो किन–किन के मध्य ? आशा है सी. बी. आई. से इस मामले की जांच करायेंगे। यह बात मैंने इसलिए कही कि कांग्रेस को वोट देने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग 41, अल्पसंख्यकों के 15, माली जाति के 75, तेली जाति के 91, सिंधी पंजाबी, राजपूत, खाती के 29, जैन, अग्रवाल, महाजन, ब्राह्मण, के पास 52 प्लाट्स हैं। अब आप ही सोचिये 271 भूखण्ड किस वर्ग के हैं और 196 प्लाटों की रजिस्ट्री हो रखी है, 127 के एग्रीमेंट हो रखे हैं, 65 प्लाटों का विक्रय होना है। 388 प्लाट बताई इस योजना में 323 प्लाटों का विक्रय होने के बाद में भी राज्य सरकार इस जमीन को अवाप्त करना चाहती है। सभापति महोदय, यह कौन–सी नीति है ? एक व्यक्ति के पास एक भूखण्ड है और एक भूखण्ड को भी राज्य सरकार इसलिए अवाप्त करे कि हम उसको दो भूखण्ड करके लोगों को बेचें, ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा होना अन्याय है। अगर इस राज्य में ऐसा हुआ तो यह जनता कभी किसी को माफ नहीं करेगी। मैं चाहता हूं कि सरकार को

(श्री माणक डागी)

इस बात का विचार करना होगा कि कम से कम एस. सी., एस. टी. के लोग, जिनके लिए देश के प्रधान मंत्री आये दिन, दिन-रात नई नीतियां घोषित करते है, दिन-रात उनका चिन्तन बना हुआ है लेकिन दूसरी और राज्य के डी. एल. बी. ने इस प्रकार का एक एक्ट जारी करके भूमि अवाप्ति की कार्यवाही दस वर्षों तक तो की नहीं, यहां पर विधान सभा में मामला आया तो आनन फानन में दो महीने में अवाप्ति की कार्यवाही कर दी। सभापति महोदय, यह अत्यधिक आवश्यक है कि एक व्यक्ति के पास जो भूखण्ड है उससे नहीं छीना जाय, उस व्यक्ति का भूखण्ड उसको दिया जाये, चाहे बची हुई जमीन आप ले लें लेकिन जिन लोगों के पास भूखण्ड है उनको तो कम से कम छोड़ा जाय। अगर उनको नहीं छोड़ा, पूरी जमीन आप निकाल दें तो बहुत बढ़िया। चाहे जो निर्णय हो, लेकिन दोनों में से एक निर्णय की आवश्यकता अत्यधिक है।

सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विकास शुल्क नगर परिषदें जमा करती हैं। माननीय मंत्री महोदय, दस रूपया विकास शुल्क का था, डी. एल. बी. ने अब दस की जगह पच्चीस रूपये कर दिया, इस वजह से अनाधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति दस रूपये का पच्चीस रूपये विकास शुल्क जमा नहीं करा सकता। आज राजस्थान की स्थिति आप देखिये। इससे जो पैसा नगर परिषदों को मिलने वाला था, वह पैसा रूक गया। गरीब, जो पैसा नहीं दे सकते क्योंकि उनको भूमि रूपान्तरण का पैसा देना पड़ता है उन्हें प्लाट की कीमत अदा करनी पड़ती है, रजिस्ट्री का पैसा खर्च करना पड़ता है, ऊपर से विकास शुल्क और इन सबके साथ में नक्शा पास कराने का सुविधा शुल्क। सभापति महोदय, इन्कम टैक्स में एक खाता होता है, कुत्ते को रोटी डाली खाता। लोग–बाग पूछते हैं भाई, यह इन्कम टैक्स में कुत्ते को रोटी डाली खाता कौनसा होता है तो फिर इन्कम टैक्स अधिकारी को तो क्या कहें, वे कहते हैं हुजूर, आपको जो पैसा देते हैं वह कौनसे हैड में डालें, वह हम इस हैड में डालते हैं, कुत्ते को रोटी डाली खाता। इसी ढंग से एक सुविधा शुल्क खाता और बना रखा है, उसके अन्दर भी इनको पैसा देना पड़ता है। सभापति महोदय, यह स्थिति है आज मैंने इन्कम टैक्स का तो एक एग्जाम्पल दिया था लेकिन यह स्थिति है कि जो भी मकान की लागत, जितने में मकान बन जाये उतना पैसा गरीब को इस ढंग से जमा कराना पड़ता है इसलिए मन्त्री महोदय, विकास शुल्क की दर आप कम करने का कष्ट करें। अगर पच्चीस रुपये की रेट है तो उसको पन्द्रह या बारह या कम से कम एक पर्सेण्ट की हैसियत से बढ़ायें। एक साथ अगर इतना पैसा बढ़ा तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से किराये के मामले में आप आश्चर्य करेंगे। दस प्रतिशत किराया प्रतिवर्ष बढ़ने का प्रावधान यहां हो चुका है। एक व्यक्ति जो दुकान लेता है और अगर वह महीने का सौ रुपये किराया देता है तो उसका किराया नगर परिषद सात साल बाद में उसका डबल दो सौ रुपये और अगर वही सत्तर साल बाद किराया लेगी, आज के जमाने में सौ-सौ साल

(श्री माणक डागा)

चलती है, बाप-दर-बाप, बेटा और इस प्रकार से यह परम्परा के अनुसार लम्बी चलती है। दुकानें वगैरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, सत्तर साल बाद अगर उसका पोता, दादा का पोता किराया भरता है तो एक लाख दो हजार चार सौ रुपये महीना किराया देगा एक दुकान का। कानून बनाते समय या कानून के तहत् नियम बनाते समय या जिस समय एग्रीमेंट किया उसे एग्रीमेंट करते समय क्या यही हमारा सोच है, अधिकारियों का, क्या यही हमारा तरीका है कि सौ रुपये की दुकान का किराया सत्तर साल बाद एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मन्थली किराया देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आप अन्दाज लगाइये। इस मामले में 19 तारीख को, 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी पधारे तो हमने उनको ज्ञापन दिया सर्किट हाउस में 2.1.89 को पुनः ज्ञापन दिया, 6.1.89 को देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधीजी को ज्ञापन दिया लेकिन निचोड़ सामने नहीं आया, नतीजा यह निकला कि 1983 से लेकर आज 1989 तक छह साल का नगर परिषद को मिलने वाला सारा पैसा उन दुकानदारों के पास ब्लाक हो गया। न तो नगर परिषद उनसे दुकानें खाली करा सकती है, न नगर परिषद इनके खिलाफ कोर्ट में जा सकती थी क्योंकि अब तो वहां जन-प्रतिनिधियों का राज है और जन-प्रतिनिधियों के सिद्धान्त आप ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा एक काम करने का तरीका है। लेकिन सभापति महोदय, दस प्रतिशत किराये की लीज का जो तरीका है अगर उसे समाप्त नहीं किया गया तो एक लाख दो हजार चार सौ रुपये किराया कोई व्यक्ति नहीं देगा और इस प्रकार से ब्यावर में लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन इस मुद्दे को लेकर कभी भी खराब हो सकती है। कम से कम बीस-पच्चीस लाख रूपया ब्यावर नगर परिषद को मिल सकता है। ब्यावर नगर परिषद राजस्थान की रिच नगर परिषद थी लेकिन ऐसे कुछ प्रावधान आ जाने की वजह से ब्यावर की नगर परिषद दिन प्रति दिन बिगड़ती गई।

माननीय सभापति महोदय, कृषि मण्डी का पैसा हाऊस टैक्स रूप में नगर परिषद को देने का डी. एल. बी. ने और कृषि मण्डी के अधिकारियों ने मंत्री स्तर पर बैठकर फैसला किया, विज्ञप्ति जारी हो गई। लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा डी. एल. बी. के अधिकारियों द्वारा कृषि मण्डी के अधिकारियों से एक बहुत अच्छा सम्पर्क न होने के कारण यह पैसा आज लटका हुआ है। कम से कम ब्यावर के अंदर आज चार लाख रूपया कृषि मण्डी टैक्स के रुप में मिलेगा। सभापति महोदय, अगर हम बार-बार इस बात को कुनकुनाते रहे, कृषि मन्त्री और डी. एल. बी. के मन्त्री जी बैठे हुए हैं ये दोनों मन्त्री महोदय आपस में बैठ कर इस बात का काम्बीनेशन बैठा लें तो हमारी कृषि मण्डी के पास जो पैसा है, कृषि मण्डी क्या करती है सभापति महोदय, नगर परिषद को पैसा मिल जायेगा और इस प्रकार से विकास के काम ज्यादा अच्छे ढंग से हो सकेंगे। सभापति महोदय, एक योजना गाड़िया लुहारों के ब्यावर में बनी। गाड़िया लोहारों को इस योजना के कारण राजस्थान के अन्दर पहली बार ब्यावर के अन्दर गाड़िया लुहार अपने मकानों

(श्री माणक डाणी)

के अन्दर गये । बहुत अच्छी स्कीम थी, 10 हजार रूपये में डबल स्टोरी । मकान, मय लेट्रीन बाथरुम सभापति महोदय, उनको मिले जिसकी लागत 18 हजार रुपये आती थी । हम ने 10 हजार में मकान बनाकर दिये लेकिन जब हमने उस अधिकारी को उस ठेकेदार को सम्मान देने की बात कही तो उस समय हमारे एक मन्त्री ने कहा था मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं, उनके सम्मान करने की क्या जरूरत है, वह तो ईमानदार अफसर है ईमानदार का कोई सम्मान किया जाता है क्या ? सभापति महोदय, अगर हम अच्छा काम करें और किसी व्यक्ति का सम्मान कर दें तो कोई तकलीफ नहीं मेरा मुद्दा दूसरा है कहने का कि राजस्थान में इस प्रकार की योजना को प्रोत्साहित किया जाय और अब थोड़ा सा अमाउण्ट ज्यादा करके हमारे ब्यावर के अन्दर और गाड़िया लुहारों की स्कीम बना दें तो हम मकान बनाने के लिए तैयार है । हम ने प्लाट वगैराह उनको अलॉट कर रखे हैं । सभापति महोदय, ब्यावर में जन प्रतिनिधियों का राज आ गया है, यह आपको मालूम है, राजस्थान में कुल चार म्युसिपैलिटी के चुनाव हुए लेकिन वहां जो आयुक्त बैठे हुए हैं उनकी यह स्थिति है कि कभी तो जन प्रतिनिधियों को गाली गलोच करते हैं कभी वहां बैठकर अंट शंट बातें करते है । आपको जानकर अत्यन्त खुशी होगी कि कल ही आयुक्त महोदय के खिलाफ जन प्रतिनिधियों ने एफ. आई. आर. दर्ज करायी है, 10.7.89 की मीटिंग में, इससे पहले जो मीटिंग हुयी उसमें भी आपको जानकर खुशी होगी कि आयुक्त महोदय ने जन प्रतिनिधियों के खिलाफ रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी है । यह हमारी स्थिति है सभापति महोदय, कि किसी प्रकार से आयुक्त जन प्रतिनिधियों के खिलाफ और जन प्रतिनिधि आयुक्त के खिलाफ रिपोर्ट करते है । यहां तक कि उसने अपनी प्रोसीडिंग्स ब्यावर में लिखने से मना कर दिया कि मैं यहां पर प्रोसीडिंग्स नहीं लिखता । सभापतिमहोदय, कैसे राज चलेगा ? क्या परिस्थितियां बनेंगी, यह एक विचारणीय मुद्दा है । मैंने माननीय मुख्यमन्त्री को लिखा, मुख्यमन्त्री ने अर्ध शासकीय पत्र मुख्यमन्त्री 1/प/18"1" स्वायत्त 89/214 दिनांक 11 फरवरी, 1989 - प्रिय श्री डाणीजी, मुझे आपका पत्र दिनांक 29.12.88 को प्राप्त हुआ । आप ने ब्यावर नगरपरिषद आयुक्त द्वारा कांग्रेस के प्रधान के खिलाफ धमकियां देने का उल्लेख किया है । मैं इस प्रकरण को दिखवा रहा हूं । सादर ।

11.2.89 के बाद वह प्रकरण पता नहीं किस स्टेज पर दिखवा रहे हैं । लेकिन सभापति महोदय, वह आयुक्त महोदय वहां पर विराजमान हैं । मैं ट्रान्सफर की बात नहीं कर रहा हूं । सभापति महोदय, क्योंकि वह तो मैं माननीय मंत्री महोदय को कहूंगा तो मेरी बात चलती है मंत्री महोदय के पास, लेकिन मैं तो स्थिति को सामने लाना अपना फर्ज समझता हूं । माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर चुंगी की बात हरदम कही गयी अखबारों की कटिंग है इस बात की, इस बात का सबूत है कि तीन महीने में राजस्थान में समान चुंगी की दरें की जा रही है । मैं इसके बारे में नहीं कहता सरकार के सामने कोई दिक्कत होगी परन्तु मेरे यहां तीन मुद्दे ऐसे है जिनके ऊपर चुंगी की चोरी होती है ।

(श्री माणक डागा)

सभापति महोदय, हमारे केन्द्र के अन्दर एक प्रभावशाली मंत्री श्री पायलेट साहब है, उन्होंने राज्य सरकार को सलाह दी कि राज्य सरकारों को चुंगी का विकल्प ढूंढने की सलाह" सभापति महोदय, निश्चित रूप से राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर विचार किया होगा कि क्या विकल्प केन्द्रीय मंत्री के सलाह के बाद राज्य सरकार ने ढूंढे हैं। मंत्री महोदय उनके बारे में सदन को जानकारी देंगे ताकि कम से कम एक अच्छी बात सामने आ सके और नहीं तो समान चुंगी की दर आये तो बड़ी अच्छी बात होगी। एक प्रश्न के जवाब में भी यह बताया गया था कि हम ने कुछ मुद्दों पर तो निर्णय ले लिया है कि राज्य में समान चुंगी की दरें की जायें। यदि कुछ मुद्दों पर निर्णय ले लिया गया है तो सभापति महोदय, उनसे तो अवगत करा दिया जाय ताकि उनको तो लागू करें और जिन्हें लागू नहीं किया जाता है उन्हें बाद में देख लें।

मेरे यहां तीन मामले हैं, एक तो मेटल बेसड् इण्डस्ट्री, दूसरा सर्राफा, एवं तीसरा सिगरेट। यदि इन तीनों पर चुंगी की दर रेट की बजाये वजन पर कर दी जाय सभापति महोदय, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा फर्क होगा। माननीय मन्त्री महोदय इसका कारण यह है कि जयपुर में मेटल बेसड् इण्डस्ट्री पर चुंगी 60 गुना कम लगती है वहां ब्यावर में 60 गुना ज्यादा चुंगी लगती है। सभापति महोदय, इतना बड़ा अन्तर खाली चुंगी की व्यवस्था के अन्दर है। आप देखिए कि जयपुर में ताम्बे पर चुंगी एक रुपया प्रति क्विंटल है, अजमेर और किशनगढ़ में दो रुपया है और ब्यावर में 75 पैसे प्रति सैकड़ा। जो ट्रक जयपुर में 600 रुपये में आता है सभापति महोदय, वही ट्रक बीकानेर के अन्दर लगभग 6 हजार रुपये में पड़ता है जो यहां पर 100 रुपये में आता है वह ब्यावर में 6 हजार रुपये में आता है। सभापति महोदय, कैसे हमारी इण्डस्ट्री इस प्रतिस्पर्धा के युग में जिंदा रह पायेगी, यह आपके देखने की बात है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से चुंगी सर्राफा के मामले में सोने और चांदी पर चुंगी राज्य सरकार लगाती है, सभापति महोदय, जयपुर में सब जगह चुंगी तोल के आधार पर है। हमारे यहां पर चुंगी मूल्य के आधार पर है, वजन के आधार पर नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, तीन चार छोटे-छोटे मुद्दे और हैं इनका मैंने अध्ययन किया है। सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि राजस्थान में जो चुंगी लगती है वह अन्यप्रान्तों, तथा देश के मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पंजाब, यू. पी., महाराष्ट्र, और गुजरात आदि में नहीं लगती है और 81 नगरपालिकाओं को इस मद के अन्दर सन् 1981-82, 82-83, 83-84 में एक पैसा भी चुंगी का वसूल नहीं हुआ और बाकी जो हैं उनमें 594 रुपये से लेकर के 3594 रुपये एवं जयपुर में 100 रुपये से लेकर 3 हजार रुपये इस मद पर चुंगी प्राप्त हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि राजस्थान में जहां चुंगी वजन पर कर दें तो आराम से व्यक्ति चुंगी देकर चला जायेगा, बिल के आधार पर दे देगा नहीं तो कोई व्यक्ति उसका बिल नहीं बनवाता है। थेले में, अटेची में सामान आता है, सोने का सामान आता है और सभापति महोदय, वह

(श्री माणक डाणी)

वसूली नहीं हो पाती है । इसी प्रकार से उस पर चुंगी या वजन के आधार पर कर दें तो ठीक रहेगा । इसी प्रकार से सिगरेट के मामले में सभापति महोदय, ब्यावर में चुंगी ज्यादा है ।

सभापति महोदय ब्यावर में अग्नि शमन वाहन चार महीने तक नहीं आया । मुख्य मन्त्री को बार-बार कहने और दबाव के बाद वह ब्यावर में पहुंचा लेकिन वह कब पहुंचा जब लगभग 15 लाख रुपये का सामान अग्नि की भेंट चढ़ चुका था । सभापति महोदय, डी. एल. बी. की ड्यूटी थी कि कम से कम अग्नि शमन वाहन तुरन्त पहुंचाया जाये ।

श्री सभापति : संक्षिप्त करें ।

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने मुझे पत्र लिखकर कहा कि हम इसके बारे में जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन यह जल्दी व्यवस्था नहीं हो पायी । एक दो मुद्दे और हैं मेरे ।

सभापति महोदय, सफाई की व्यवस्था पर थोड़ा सा कहना चाहता हूं । ब्यावर के अन्दर मात्र 344 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं और आज के पेटर्न पर, 1 लाख 65 हजार की जनसंख्या पर, आवश्यकता के अनुरूप 265 कर्मचारियों की और आवश्यकता है । 40 कर्मचारियों की लीव और रेस्ट के हिसाब से आवश्यकता रहेगी ।

श्री सभापति : संक्षिप्त करें ।

श्री माणक डाणी : संक्षिप्त कर रहा । कुल हमारे यहां 9 वाहन कार्यरत थे जिनमें तीन चल रहे हैं । 8 की और आवश्यकता है । 54 नाले हैं, 766 ट्रक कचरा आज शहर में जगह-जगह पड़ा है, जिसे उठाने की व्यवस्था नहीं है । सभापति महोदय 12 नये वार्ड गठित किये जायें । नार्म्स के अनुसार डेली वेजेज पर 100 कर्मचारी लगाने की सुविधा दी जाय । हम पेमेण्ट करने को तैयार हैं, हम चाहे जहां से पैसा लायेंगे । सभापति महोदय,...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । आप हमें 10 रुपये जो अनुदान देते हैं उसकी बजाय आप हमें यहां से ट्रेक्टर खरीदकर भेज दीजिए, आप यहां से ट्रोलियां खरीदकर भेज दीजिये ताकि वह आया हुआ पैसा तनख्वाह चुकाने के काम नहीं आये बल्कि राजस्थान के अन्दर सफाई उपकरण में बढ़ोतरी हो सके । यह सुझाव पसन्द आये तो इसके बारे में आप जवाब दें ।

सभापति महोदय, एक कानून की बात कल कही थी लेकिन वह बात हो गयी इसलिए उस बात को समाप्त करता हूं । एक अंतिम बात इस मुद्दे पर कहना चाहता हूं कि राजस्थान में फालना, रानीवाड़ा, समदड़ी और बेगूं, यहां पर ग्राम पंचायतें थीं और इन ग्राम पंचायतों को नगरपालिका कानून के तहत सभापति महोदय, 1983 में एक परिवर्तन करके ग्राम पंचायतों से पालिका बना दिया । सभापति महोदय, उस समय यह प्रावधान था कि जब तक...

श्री दिग्विजय सिंह : बेगूं तो आपने ही कन्वर्ट करायी है, सभापति महोदय ।

श्री माणक डाणी : बेगूं आपकी है मुझे पता नहीं है ।

श्री सभापति : यह सही कह रहे हैं । आप बहुत साफ बोल रहे हैं ।

श्री माणक डागी : माननीय सभापति महोदय, 1983 में जब उन्हें परिवर्तित किया गया तो यह प्रावधान था कि अगले चुनाव होने तक यह पालिकाऐं कार्य करती रहेंगी । इसका मतलब यह हुआ कि हम उन्हें भंग नहीं कर सकते है । लेकिन जब एक साथ राजस्थान में सारी नगरपालिकाऐं भंग कर दी, चूंकि अपना समय व्यतीत कर चुकी थीं और राज्य सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने के नाते, उनके नये चुनाव करवाने के नाते, उन सारी नगरपालिकाओं को भंग किया गया और जब उन्हें भंग किया गया तो यह पालिकाऐं भी भंग हुई लेकिन चूंकि इसमें एक कानूनी कमी थी, सभापति महोदय, इसलिए उसकी समयावधि समाप्त होने के कारण उन चारों नगरपालिकाओं के चेयरमैन कोर्ट में गये और कोर्ट में जाकर स्टे ले आये । लेकिन 1987 में इसी सदन के अन्दर इस प्रकार का प्रोविजन किया गया सभापति महोदय, यह कानून लाया गया और उसके तहत यह प्रावधान किया गया कि उसके साथ ही यह पंचायतें जो नगरपालिकाओं में परिवर्तित हुई है उन्हे भंग किया जाता है और उस आधार पर उन्हे भंग कर दिया गया । लेकिन यह भंग ऐसे हुआ सभापति महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा लेकिन आपकी जानकारी में तो होगा, मेरी जानकारी से मैं मन्त्री महोदय को अवगत करवाना चाहता हूं । सभापति महोदय, डी. एल. बी. ने चाहे यह अनजाने में किया चाहे गलती हुई और चाहे कहीं से प्रभावित हुये यह मैं नहीं जानता । डी. एल. बी. ने एक दिन पहले, उसमें यह प्रोवीजन किया था कि यह गजट नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद यह कानून लागू होगा इसलिए उन्होंने एक दिन पहले या दो दिन पहले उन चारों पालिकाओं को भंग कर दिया । भंग करने से चूंकि गलती तो हुई और गलती के आधार पर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया । लेकिन सभापति महोदय, यहां पर जिस मंशा से कानून बनाया उस कानून का क्या हुआ ? सभापति महोदय, अगर डी. एल. बी. ने जानबूझकर भंग नहीं किया गलती से हो गया तो उनके वकील हाई कोर्ट में जाकर जल्दी तारीख क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं उस रिट को खारिज करवाने के लिए प्रयत्न करते । सभापति महोदय, अगर स्टे खारिज करवा लें तो कानून स्वतः ही प्रभावी हो जाये लेकिन अगर वह कानून असक्षम हो गया हो और कानून इसके लायक नहीं रहा हो तो इस सदन के अन्दर आप पुनः ऐसे कानून बनायें कि, चूंकि मन्त्री जी कम से कम उस कानून को बनायें और जो चारों पालिकायें है वहां पर प्रशासक लग सके और राजस्थान में एक साथ सारी पालिकाओं के चुनाव साथ साथ हो, वहां पर भी एक नया राजनैतिक जो जनमत होगा उस जनमत के आधार वहां चुन सके और काम करें । सभापति महोदय, अन्तिम बात मैं आवास के बारे में भी कहना उचित समझूंगा क्योंकि आवास पर मेरे कुछ कटमोशन्स थे । सभापति महोदय, आवासीय कॉलोनी जो बनायी जाती है वह सरकारी जमीनों पर बनाने के बारे में अगर राज्य सरकार कोई नीति बनाये या उसके बारे में बैठ कर कोई विचार करे तो यह बहुत उचित होगा और उसको बनाने में प्राथमिकता देनी चाहि

(श्री माणक डाणी)

जहां कि बारानी जमीन वगैराह है। आवासीय कोलोनी में स्कूल भवन के साथ साथ वहां डिस्पैन्सरीज और पोस्ट ऑफिसों के भवन बनें इस बात की भी अगर आप उसमें व्यवस्था करें तो उचित रहेगा।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, आवासीय कॉलोनी में बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था कौन करेगा ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री माणक डाणी : किन स्थिति में होगा यह सारी चीजें तय करनी पड़ेगी। म्यूनिसिपैलिटी करे या आवासन बोर्ड करें। माननीय सभापति महोदय, एक अन्तिम बात, इसके अन्दर क्योंकि जब तक आवासन मण्डल की कॉलोनी म्यूनिसिपैलिटी को हैण्ड ओवर नहीं की जाती है तब तक आवासीय बोर्ड संभालता है। चूंकि आवासीय कॉलोनी संभला दी या नहीं संभलाई इसका क्लेयरीफिकेशन नहीं होता और वहां के रहने वाले लोग इधर-उधर चक्कर लगाते हैं। सभापति महोदय ब्यावर के आवासन मण्डल की कॉलोनी में हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जाये और महेन्द्र सिंह जी जो...

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

आई. ए. एस. ऑफिसर है उनको किस प्रकार से आवासन बोर्ड ने आरक्षित जमीन थी, वह पार्क की जमीन आरक्षित थी। सभापति महोदय, सारे नियमों को ताक में रखकर के उन्हें जमीन अलॉट कर दी, उसे रेगुलराइज कर दिया और आवंटित भूमि के अतिरिक्त 721.18 वर्ग फुट जमीन पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में मण्डल अधिकारी को नोटिस दिया जा चुका है।

श्री सभापति : आपने कह दिया, अब बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

श्री माणक डाणी : उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए मण्डल द्वार जयपुर विकास प्राधिकरण से सहयोग मांगा जा रहा है लेकिन उसे हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की है। जे. डी. ए. सहयोग देगा नहीं और हम हटायेंगे नहीं। सभापति महोदय कैसे काम चलेगा ? आपने मुझे काफी समय दिया उसका धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो आप ही को निवेदन करना चाहती हूं कि अगर हमारे कटमोशन्स के जवाब लिखित में पहुंचा दिये जाये तो हो सकता है हम लोगों में इतने सेन्स ऑफ डिसप्रपोशन्स डवलप ना हो तो इसलिए एक तो मंत्री महोदय को यह आग्रह किया जाये कि यह जवाब हमको लिखित में भिजवाये जायें। मैं कुछ बातें पोइन्ट्स में कह कर समाप्त करूंगी। मुझे मालूम है हाउस का मूड बैठने का और सुनने का भी नहीं है सबसे पहले मेरा विरोध मुख्य मन्त्री से ही है। उन्होंने बांसवाड़ा की एक हरिजन बस्ती में आयोजित एक समारोह में कहा कि नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों में

(श्रीमती विद्या पाठक)

जन प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जायेगी । कुछ महीनों पूर्व भी उन्होंने इसी तरह की बात की थी जो बहुत अनडेमोक्रेटिक है । बेहतर तो यही है कि अगर इनको इतने जल्दी जन प्रतिनिधि वहां लाने ही हैं तो चुनाव करवा ही दिये जाने चाहिये मगर जन प्रतिनिधियों की नियुक्ति बहुत ही एक्सेप्शनल सिच्युएशन है । इस प्रोवीजन को यूज करने की कोई न कोई गुंजाइश होनी चाहिए जिसको यह कुछ लोगों को फेवर करने के लिए करना चाहते हैं यह बड़ा डेन्जिरस ट्रेन्ड है । इस बात का बहुत विरोध है मेरा मुख्य मन्त्री महोदय के प्रति ।

दूसरा मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में जो पृथ्वीराज नगर योजना सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के भी काफी गांव इसमें आये हैं । पृथ्वीराज नगर योजना की ग्यारह हजार एक सौ सत्तर बीघा भूमि में से सात सौ बीघा भूमि तो केवल किसानों की हैं जो कि बिल्कुल हरी भूमि है, फरटाइल भूमि है और ऐसे छोटे किसानों की है जिनके पास इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव सोर्स आफ अरनिंग ही नहीं है । तो प्राधिकरण का यह कहना कि उन्होंने नहीं ली तो यह भूमि वह सोसायटी वालों को, गृह निर्माण समिति वालों को दे देंगे, यह कहना उचित नहीं क्योंकि इन लोगों के पास कोई दूसरा सोर्स आफ लाइवलीड नहीं है जो यह बेचकर चले जायेंगे । यह सही है कि प्राधिकरण इस योजना को तो बदलेगा पर किसानों को ध्यान में रखते हुए यदि बदले तो अच्छा है, बदलना तो इसको है क्योंकि राजनैतिक प्रेशर आयेगा । गृह निर्माण सोसायटीज की एक बहुत बड़ी लॉबी है, माफिया लॉबी है उसका भी प्रेशर आयेगा तो बदलेंगे तो यह है ही । पर बेहतर यह है कि उसको जल्दी करें आखिर इसको लटकाये रखने से कोई फायदा नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड के बारे में कुछ बातें प्वाइंट्स में मैं कहना चाहूंगी । अभी 87 जून में एक पूरा ब्लाक 12 मकानों का पुलिस अकेडमी में पहली बरसात में गिर गया । उसकी जांच किसी अधिकारी को दी गयी । जांच रिपोर्ट से अभी तक न तो सदन को अवगत कराया गया न प्रेस में किया गया । यह पहली घटना नहीं थी । सन् 1985 में इससे पूर्व भी ऐसा ही हो चुका था । क्योंकि सब-स्टैण्डर्ड मकान बनते हैं, उनकी जो क्वालिटी है मकानों की, जो मेटेरियल लगाया जाता है वह भी ऐसा होता है कि जो रेतीली मिट्टी, कम नींव खोदी हुई इस तरह के जो मकान दिये जाते हैं उससे हाउसिंग बोर्ड के प्रति लोगों की अनास्था डवलप हो रही है । चाहे यह कितनी ही नई स्कीमें लाये, कितना ही एल्योर करना चाहे पर आवासन बोर्ड के खिलाफ जन मानस बन रहा और जो अनास्था डवलप हो गई है वह इनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्चर है ।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कोटा के हाउसिंग बोर्ड में किस तरह से मकानों के अलाटमेंट हो रहे हैं, गुमानपुरा पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड के फर्जी कागजात तैयार करके कोटा के आवासन अधिकारी निहाल सिंह, यू. डी. सी. जयकुमार गोठवाल, एक एम.-पी. सेल्विना, एक एल. डी. सी. सुभाष तनेजा, दलाल रामनाथ अग्रवाल को दस्तावेज

228

(श्रीमती विद्या पाठक)

के साथ रेड-हेन्डेड पकड़ा था, वह फर्जी अलाटमेंट के फर्जी कागजात ऐसी जमीन और मकानों के बना रहे थे जो आलरेडी पूर्व में आवंटित हो चुके थे। सदन जानना चाहता है कि, उसके विरुद्ध कोर्ट में गया होगा मामला, वह बात अलग है मगर उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही आपने क्या की उनकी सर्विस टर्मिनेट की कि नहीं की यह सबसे कम जो है आप कर सकते है।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कोटा में 18 हजार मकान बने आज भी लगभग 9 हजार मकान अन-अलोटेड हैं और उसमें से आसानी से साढ़े तीन हजार मकान अन-कम्पलीट है जो ठेकेदारों का कुछ का तो पैसा हाउसिंग बोर्ड में बकाया है और कुछ हाउसिंग बोर्ड का पैसा ठेकेदार खाकर चले गये मगर वह मकान पूरे नहीं हुये। आज भी अलाटीज इन्तजार कर रहे हैं। प्राइस एस्केलेशन के नाम पर उसकी प्राइसेस दुगनी कर दी; एकोमोडेशन आधी कर दी। इन बातों से कोई आस्था जमेगी हाउसिंग बोर्ड की। तो मैं दूसरा यह कहना चाहती हूं अभी नये चेयरमैन जो हाउसिंग बोर्ड के आये हैं गोटेवाला जी, उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को निर्माण कार्यों मे लगाया जायेगा और जो टेक्निकल उसमें होंगे उनको दो हजार रुपया महीना और जो नोन-टैक्निकल ग्रेजुएट होंगे उनको 1200 रुपया महीना दिया जायेगा। हम तो खुद चाहते हैं कि बेरोजगारों को आप रोजगार दीजिये यह काफी बड़ी सेना तैयार हो रही है आपके विरुद्ध। मगर सवाल इस बात का उठता है कि आपका इतना बड़ा प्रशासन क्या करेगा? इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट इन्जीनियरिंग सेक्शन, दूसरे और सेक्शन, अगर आप यह काम इनसे करवायेंगे तो उसको आप क्या खाली बैठकर रखने की तनख्वाह देना चाहते हैं?

फिर दूसरी बात यह है कि इन लोगों के लिए कोई परमानेंट रोजगार भी नहीं होगा। सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड का जहां तक सोच का सवाल है ऐसा लगता है कि वह भारतीय परम्परा को छोड़कर विदेशी परम्परा को ज्यादा महत्व देते हैं। वैसे तो जे. डी. ए. की सबसे बड़ी बात तो कन्सलटेन्सीज की है और उसके बाद ठेकों की बात शुरू हो गई। मैं तो सोचती हूं कि यह सरकार भी ठेके पर उठा दी जाये तो लाभ में चल जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रही थी विदेशी टैक्नीक के मकान बनेंगे यह मैं नहीं कह रही हूं आपके चेयरमैन साहब ने कही है और इसके लिये पश्चिमी जर्मनी और डेनमार्क के विशेषज्ञों से बात करी है। मकान बना रहे है हमारे भारतवासियों के लिये, मेटीरियल कम्पोनेंट होगा इण्डियन क्लाइमेट होगी इण्डियन और कन्सलटेंट कौन बन रहे है डेनमार्क के लोग या फिर पश्चिमी जर्मनी के लोग तो फिर आप इसको क्या कहेंगे, कैसा सोच है और कैसे लोगों में आप आस्था निर्माण करेंगे। मन्त्री महोदय, इस तरह की +++ पोपुलरिटी गेन करने के मेरे समझ में विचार और प्रवृत्ति दोनों छोड़ दें। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान की जयपुर की पुलिस ने पकड़े भांग गांजे और

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती विद्या पाठक)

कोकीन सिवरेज फार्म में खेती हो रही थी। यह सिवरेज फार्म में पहली बार खेती नहीं हो रही हैं कुछ जूनियर्स को पकड़ा है और उसमें से कुछ को सस्पेण्ड भी किया हैं पर यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए बड़े अधिकारियों में कहीं हाथ डालना पड़ेगा। सभापति महोदय, इससे पूर्व अलवर में भी एक बड़े अधिकारी ने खेती करवाई थी उनको अफीम गांजे का शोक न हो पर अफीम की सब्जी जो डंठल या पत्ते जो भी होंगे उसकी सब्जी खाने का शोक जरुर है। अलवर में रहते हुये यह किया उसके बाद बांसवाड़ा में कुछ जगह पर अफीम की खेती का पता लगाया जो अवैध खेती यानि कोई कहे तो जाकर पता लगायें, अपनी तरफ से यह कोई चीज को प्रोब नहीं करते। अपनी तरफ से सावधानी रखते नहीं जो बहुत गलत बात है जयपुर के आस पास के क्षेत्रों को गटर के पानी की सब्जी खिलाते हैं अब यह एक तरफ बीमारियों का इलाज करते हैं दूसरी डिकोलाई कैसे डवलप हो जाये लोग कैसे बीमार हो जाये, पेट की बीमारियाँ कैसे हो इसके प्रति सावधान नहीं। यह गोपालपुरा का नाला, आमेर के पास का नाला शास्त्री नगर में पूरे हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर का गटर का पानी अमानीशाह के नाले में डाला जाता है। पूरा सब्जी ग्रोइंग एरिया है, उसमें जो सब्जी उगेगी उससे लोग बीमार होंगे कि बचेंगे। यह नगरपरिषद जहाँ एक जगह स्वच्छता की बात करती है, बीमार के प्रिवेन्शन की बात करती है दूसरी तरफ बीमारी की स्थिति निर्माण करना चाहती है यह कैसा चिन्तन हैं इन लोगों का और क्या तरीका है ?

फिर मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जितने लोसेज हुये नगरपालिका को कहने की आवश्यकता नहीं, 1987 में 17 लाख तो विज्ञापन होर्डिंग्स के ठेकों में ही हो गये। आडिट रिपोर्ट इनकी बताती है कि 1986 में 9 लाख का गबन, स्वायत्तशाषी संस्थाओं को एडवांसेज जो दिये गये उनका रिकार्ड नहीं तो यह कैसी नगरपालिका चल रही हैं। छोटी नगरपालिकाओं पर तो माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय का कभी ध्यान ही नहीं जाता। सांगानेर में आज भी गन्दगी का साम्राज्य बड़ी सड़कों पर है। सड़के टूटी-फूटी पड़ी हैं, जंगली पशु घूमते रहते हैं, सब्जी मण्डी को शिफ्ट किया है जनाना हॉस्पीटल के बिल्कुल बराबर जो हॉस्पीटल की दीवारें भी सीलन से भरी रहती है। पिछले चार साल से तो मैं कह रही हूं मन्त्री महोदय, आप स्पेसिफिकली इसको देखें। अब वह मण्डी जो पूर्व में जहां से हटाई थी वहां तो मण्डी फिर लगने लगी मगर अस्पताल के पास फिर एक एडीशनल मण्डी हो गयी। अब यह चेलेन्ज है आपको आप मन्त्री होते हुये भी इसको हटवा सकते हैं तो देख लीजिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट जे. डी. ए. के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं कि छोटे लोगों के तो मकान जे. डी. ए. तोड़ता है और बड़े और राजनीतिक लोगों के मकानों और काम्पलेक्सेज के निर्माण में सहयोग करता है। आवासीय योजना बनाने के बजाय एप्रूव्ड मकानों को तोड़ते हैं और सामान उठा ले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मन्त्री महोदय जांच करवायें तो आपको महेश नगर के कई केसेज मिल जायेंगे।

(श्रीमती विद्या पाठक)

फिर मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आपके कमिश्नर साहब ने एक बार कहा था कि खुली नीलामी नहीं होगी पर हर बार खुली नीलामी अभी भी हो रही है।

इसी तरह से माननीय मन्त्री महोदय कितनी इम्प्रेक्टिकल और कन्फ्यूज्ड आपकी जे. डी. ए. की एप्रोच है उसका एक ही उदाहरण देना चाहती हूं। एक तो मैंने पृथ्वीराज नगर का दिया, किसको एक्वायर कर रहे हैं, कैसी जमीन है जाकर देखने की जरूरत नहीं, बस जमीन मिल गई शहर के नजदीक है, फरटाइल लैण्ड है, कॉस्टली लैण्ड है ले लो। तो यह नजरिया बहुत ही गलत नजरिया है। फिर मैं इसके इन्स्टा-न्सेज नहीं बताऊंगी, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, 1987 में तीन हजार प्लाट्स विद्या-धर नगर में इन्होंने अलाट किये ऑक्शन किये हैं और यह कहकर तीन हजार प्लाट्स जो अलाट किये या ऑक्शन किये उसका 15 पर्सेन्ट इन्होंने ऊपर से लिया कि हम बाउण्ड्री वाल बनवाकर देंगे और गेट बन-वाकर देंगे उनकी बाउण्ड्री वाल और गेट तो छोड़िये उसकी तो प्लाट की पत्थर गढ़ी तक नहीं हुई है जो अलाट कर दिये गये हैं। तो मैं यह कहना चाहती हूं इसका जो पचास लाख रूपये, जो आपके पास जमा है, आप इसको पब्लिक को कैसे काउण्ट फार करना चाहते हैं और इसका पैसा क्यों खा गये ?

फिर मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूं कि जितनी महत्वपूर्ण और महंगी भूमियां हैं सबको आपने विवादग्रस्त बना रखा है और लास्ट में मैं यह कहना चाहती हूं कि आपने इतनी सारी मार्केटिंग योजनायें बनाई हैं। वातानुकूलित मार्केट बनाये हैं, आपके यह नेहरू कॉम्पलेक्स को देख लीजिए, राजापार्क मार्केट को देख लीजिए, कितने से इनमें आक्शन हुए हैं क्योंकि इनकी रेट्स जो हैं, आपने इसमें जो पैसा लगाया वह भी प्रेक्टिकल नहीं था और जो रेट्स रखी हैं वह भी प्रेक्टिकल नहीं है। अगर पांच या छः लाख में दुकान जाती है और उसके बाद भी 6 रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से हर महिने आप उसकी मेंटीनेंस कास्ट चार्जेज लेंगे तो यह तो किराये से भी ज्यादा हो गया और उस जगह पर यह रेट देने वाले कोई मिलेंगे नहीं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि यह मार्केट जो आपने राजापार्क में बनाया यह खुद पुनर्वास की भूमि पर बनाया है। आपने खुद एन्क्रोचमेंट किया, आपके जे. डी. ए. ने एन्क्रोचमेंट किया। जब मार्केटिंग कॉम्पलेक्स बन चुका है उसके बाद यह रेगुलराइज हुआ है। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहती हूं और एक लास्ट बात है जयपुर के ट्रेफिक के बारे में। नैटपैक करके जे. डी. ए. ने बहुत बड़ी स्कीम लाखों की कन्सलटेन्सी से बनाई, । यद्यपि उसकी भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उससे पहले पुलिस डिपार्टमेंट और उससे पूर्व में पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेंट यह इस तरह का एक खाखा इसका बना चुके थे जिसमें वर्क आउट करना चाहिए था। प्रदेश के बाहर की कन्सलटेन्सी से आप राजस्थान के जयपुर के मार्केट्स की सर्वे करवाकर आप उनसे राय ले रहे हैं जो आपके अपने अधिकारियों ने अपने एक्सपी-रियन्स के आधार पर किया उसको आप डिस्कार्ड कर रहे हैं। वह भी जो नैटपैक की स्कीम है वह भी लागू नहीं हो रही है और क्या है कि आये दिन कभी चांदपोल को

(श्रीमती विद्या पाठक)

तरफ से निकलेगा, कभी चौड़ा रास्ता से बनाते होगा, कहीं बदसूरत रस्सियां लगी हुई हैं यह कैसा ट्रेफिक सिस्टम है और फिर आपकी नगरपालिका जितनी देर वाहन खड़ा होगा कहीं भी उन सब पर चार्ज करेंगे, ठेके पर उठा देंगे। उन सब पर चार्ज करेंगे जितनी देर वाहन खड़ा होगा, अगर एक आदमी दस दफा जायेगा तो और पन्द्रह पन्द्रह मिनट, आधा-आधा घण्टा भी एक एक दुकान में जायेगा तो उसके पार्किंग चार्जेज कितने ज्यादा हो जायेंगे। जरूरत है कि आप इसको प्रैक्टिकल बनवाइये।

श्री सभापति : माननीय श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : जन समस्या के सम्बन्ध में नगर में पीने के पानी की समस्या, सड़क की समस्या, गन्दगी की समस्या, बिजली की समस्या। विभिन्न अधिकारियों द्वारा हाउसिंग बोर्ड में डिसकशन यूज करके प्लाट देने की समस्या, जे. डी. ए. द्वारा जमीन एक्वायर करने के बाद किसानों से उत्पन्न होने वाली समस्या, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने विस्तृत चर्चा कर ली।

मैं तो खास तौर से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत के प्रधान मन्त्री लोकल सेल्फ गवर्नेन्स के सम्बन्ध में एक बिल यहां लाकर कुछ पावर देना चाहते हैं। अभी जो भारत के प्रधान मन्त्रीजी ने मीटिंग बुलाई उसमें माननीय मन्त्री महोदय भी वहां गये थे। मैं उस सम्बन्ध में ही अपने विचार रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि उस कान्सेप्ट के आधार पर यदि उसमें कुछ बात ऐसी हो जिसका लाभ हम भारत के प्रधान मन्त्री के जो प्रस्तावित योजनायें हैं उनमें सम्मिलित कर सकें तो मैं समझूंगा कि इसको ठीक ढंग से हम डिबेट में भाग ले पाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी शहर में एन्क्रोचमेंट की जो समस्या है उस समस्या पर सबसे पहले ध्यान देना आवश्यक है। एन्क्रोचमेंट के सम्बन्ध में जो हमारी नीति है माननीय सभापति महोदय .... हम 1985 में सोचते हैं कि 1980 तक के कब्जा करने वाले लोगों के मकान हम रेगुलराइज कर देंगे। कच्ची बस्ती के नाम पर शहरों में ऐसे लोगों की एक जमात पैदा हो गई है जो धन्धा करती है लोगों को बसाने का, उनको डिसपजेज करने का, जमीन को बेचने का। आज दिन तक हमने इस लॉ में कोई परिवर्तन नहीं किया है कि किस तरह से हम इस टैण्डेन्सी को रोकें। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जितने आपके रूल्स हैं, चाहे वह म्यूनिसिपैलिटी के हों, चाहे यू. आई. टी. के हों, चाहे जे. डी. ए. के हों, यह सब रूल आउट डेटेड हो गये हैं। आपको सबसे पहले यह प्रोवीजन करना पड़ेगा, जब तक हम इस एन्क्रोचमेंट को नॉन बेलेबल क्रिमिनल आफेंस नहीं बनायेंगे तब तक इस टैण्डेन्सी को रोक नहीं पायेंगे। आज किसी भी शहर में, किसी भी गांव में जितने भी मसल पावर के लोग हैं वह लोग, यदि आप चुनाव भी करा लेंगे, चुनाव की प्रक्रिया भी अपना लेंगे तो चुनाव की प्रक्रिया में भी काउन्सिलर के रूप में जीतकर आ रहे हैं।

(श्री सी. पी. जोशी)

बड़े बड़े शहरों में आप देख लें, चाहे बम्बई की समस्या ले लें, चाहे कलकत्ता की समस्या ले लें या जयपुर जैसे शहर की समस्या ले लें। उसमें आप रूल आउट नहीं कर सकते, इस तरह की टेन्डेन्सी को पैट्रोनाइज करने वाले आदमी वोटर लिस्ट में नाम लिखवा-कर इलैक्ट होकर आ जाते हैं तो जब गवर्नेंस करने का ही अधिकार उन्हें मिल जायेगा तो लॉ का एनफोर्समेंट कौन करेगा। इसलिए सबसे पहले इस सम्बन्ध में चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है। चिन्तन और मनन करने के साथ यह भी सोचने की आवश्यकता है कि जो कोई टाउन डवलप हो रहा है वहां म्यूनिसिपैलिटी का यूनिफार्म एक्सपांशन नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह की ग्रोथ कोटा की हुई उस तरह की ग्रोथ उदयपुर की नहीं हुई, जिस तरह की ग्रोथ अलवर की हो रही है उस तरह की ग्रोथ बीकानेर की नहीं हो रही है। इससे नीचे जायें तो जो मिडिल लेवल के टाउन हैं उनका भी यूनिफार्म एक्सपांशन नहीं हो रहा है। आज हमको यह प्रोविजन करने की नितान्त आवश्यकता है, माननीय सभापति महोदय, कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, माइनारिटी और ओ. बी. सी. का जो आदमी है, जिनकी माली हालत ठीक नहीं है उन लोगों को सरकारी जमीन पर मकान देने के लिए यदि हमने समय-समय पर प्रोवीजन करके प्लाट नहीं दिये तो निश्चित तौर पर को आपरेटिव सोसाइटीज के आदमी ही इस धन्धे को पैट्रोनाइज करेंगे, हमारी लोकल सेल्फ गवर्नेन्स की मकान देने की स्कीम हैं वह सारी स्कीम को आपरेटिव सोसाइटीज के नाम पर बेकार हो जायेगी। आप ने जयपुर के अन्दर जे. डी. ए. का लोगों को एग्रीकल्चर लैण्ड पर मकान का हक देने का रूल बनाया लेकिन वह रूल यूनिफार्म आप ने लागू कर दिया थ्रूआउट राजस्थान में। नाथद्वारा की म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर भी वही रूल लागू होगा जो जयपुर के अन्दर लागू होगा। आप का वहां पर ध्यान नहीं, एक म्यूनिसिपैलिटी का सैक्रेटरी और एक लैण्ड कनवर्जन का एस. डी. एम., दोनों ने मिल कर पैसे ले कर जमीन इस तरह लोगों को कन्वर्ट कर दी कि आज वहां पर लोगों के आने-जाने के लिए एक गली रह गयी है। माननीय सभापति महोदय, हम टाउन का डवलपमैन्ट ठीक ढंग से करते रहे और मनी का सोर्स जनरेट नहीं कर पाये तो आप की गवर्नेंस का कोई भी सिस्टम होगा वह सिस्टम बेकार हो जायेगा। आप को नये सिरे से सोचने की आवश्यकता है। पांच रुपए दस रुपए दिये आपने कि पापुलेशन के आधार पर 10 रुपए कण्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन आज 90 पर्सेण्ट म्यूनिसिपैलिटी के पास केवल म्यूनिसिपैलिटी एम्प्लाइज की तनख्वाह चुकाने के लिए पैसा है। आप जब तक यह विजुलाइज नहीं करेंगे कि म्यूनिसिपैलिटीज की इनकम जनरेट कैसे हो, उस इनकम को जनरेट करने के लिए यदि आप ने सब्सटैंशन अमाउण्ट का प्रोवीजन नहीं किया तो म्यूनिसिपैलिटीज सब्सटैंशन नहीं कर पायेंगी। आज सारा इन्वेस्टमेंट हम पंचायती राज में ग्रामीण इलाको में कर रहे हैं लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटीज बन गयी हैं उन म्यूनिसिपैलिटीज में रहने वाले शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब, माइनारिटी के आदमियों को वह एडवाण्टेज भी नहीं

(श्री सी. पी जोशी)

मिल रहा है । मैं इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर इस धारणा का हूं, माननीय सभापति महोदय, कि हम को आइडैण्टिफाई करना पड़ेगा ए, बी और सी तीन तरह की म्यूनिसिपैलिटीज को । वह कैटेगरी नहीं जो आप ने पापुलेशन के आधार कर रखी है । आप ने कैटेगरी तो कर रखी है ए, बी, सी और डी पर इस कैटेगरी की यार्डस्टिक आप ने बना रखी है केवल पापुलेशन । इस की जगह पर आप को मैं प्रपोज करना चाहूंगा कि आप ए, बी, सी, और डी का क्राइटेरिया रखिये उस हिसाब से कि आने वाले डिकेड में उस टाउन का एक्सपांशन क्या हो रहा है । आज चित्तौड़गढ़, माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं वहां पर निवास करते हैं, अगले डिकेट में जितना एक्सपांशन चित्तौड़ का होगा, जितनी एक्सपांशन एक्टिविटीज चित्तौड़ के अन्दर होंगी उतनी उदयपुर के अन्दर नहीं होंगी । जितनी एक्सपांशन एक्टिविटीज कोटा के अन्दर जनरेट होंगी, हम को एक नया कोटा बनाने की आवश्यकता है क्योंकि अगले आठवें प्लान में दो हजार करोड़ का मैसिव इंवैस्टमैण्ट कोटा शहर के अन्दर होगा, चाहें वह सीमेण्ट फैक्ट्री आये चाहें वह खाद का कारखाना लगे । उन लोगों को रीहैबिलिटेट करने के लिए जो लोग वहां पर काम करने आयेंगे, उन के मकान की सुविधा के लिए आज हमारी किसी विभाग से कोआर्डिनेशन की व्यवस्था नहीं है । इण्डस्ट्री विभाग एक लाइसेंस देगा, उस का डवलपमेण्ट करने का काम करेगा लोकल सैल्फ डिपार्टमैण्ट का कोई काम नहीं । इसलिए, माननीय सभापति महोदय, लोकल सैल्फ गवर्नमैण्ट की गवर्नेंस का कन्सैप्ट आपको नये ढंग से सोचने की आवश्यकता है । जिस प्रकार आज हम मिनिस्ट्री का फार्मेशन करते हैं लोकल सल्फ लेवल पर भी, मैं उदाहरण देना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि आज ऐसा कोई कस्बा नहीं जहां ए. ई. एन. पी. डब्ल्यू. डी. नहीं हो, जहां ए. ई. एन. पी. एच. ई. डी. नहीं हो जहां थानेदार नहीं हो । आप को नये गवर्नेंस के रूल्स लागू करने पडेंगे कि वहां म्यूनिसिपैलिटी का जो इलैक्टेड चेयरमैन है या वहां का प्रशासक है उस के अण्डर में वहां का ए. ई एन. आर. एस. ई. बी. होगा वहां का ए. ई. एन. पी. डब्ल्यू. डी. होगा, ए. ई. एन. पी. एच. ई. डी. होगा । आज हालत क्या है, माननीय सभापति महोदय ? ए. ई. एन. पी. डब्ल्यू. डी. की अकाउण्टेबिलिटी उस के डिपार्टमैण्ट के साथ है, ए. ई. एन. पी. एच. ई. डी. की अकाउण्टेबिलिटि उस के डिपार्टमैण्ट के साथ है, आर. एस. ई. बी. के ए.ई.एन. अकाउण्टेबिलिटी उस के डिपार्टमैण्ट के साथ है । और हम ने बिजलीकी व्यवस्थाकी जिम्मेदारी म्यूनिसिपैलिटी पर छोड़ दी कि वह लाइनमैन बिजली की व्यवस्था करेगा । पीने के पानी की व्यवस्था ए. ई. एन. पी. एच. ई. डी. करेगा जिस की कोई जिम्मेदारी म्यूनिसिपैलिटी के सैक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटर के साथ नहीं है । इसलिए आप को गवर्नेंस का नया सिस्टम लागू करना पडेगा । यदि एन्क्रोचमैण्ट हो तो वहां के थानेदार को रिक्वीजीशन करेगा वहां का सैक्रेटरी । इसलिए आपका गवर्नेंस करने का जो कन्सैप्ट है उस कन्सैप्ट में यदि आप ने आज आमूलचूल परिवर्तन नही किया तो रूल में अमैण्डमैण्ट करने के आधार पर आप

(234)

(श्री सी. पी. जोशी)

समझें कि हम कुछ कर पायेंगे मैं ऐसा सोचने वाला, माननीय सभापति महोदय, नहीं हूं । ग्राक्ट्राई की यूनिकार्मिटी कर लें आप, दूसरी समस्याओं का निराकरण भी कर लें लेकिन एक्सपांशन एक्टिविटीज को जनरेट करने के लिए सब्सटैंशल अमाउण्ट कैसे आयेगा, डिवोल्यूशन आफ मान्टिरी पावर आप किस तरह से करोगे, इस सम्बन्ध में भी सोचने और मनन करने की नितान्त आवश्यकता है । आपको निश्चित तौर पर यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जितना आपका एलोकेशन आफ फण्ड्स है एनुअल प्लान में एनुअल प्लान का 20 पर्सेण्ट, 20 पर्सेण्ट या 40 पर्सेण्ट एक सब्सटैंशल अमाउण्ट आप को डिवोल्यूट करना पड़ेगा । म्यूनिसिपैलिटी के डवलपमैण्ट के साथ जिस में पी. एच. ई. डी. का पार्ट भी हो जाय, पी. डब्ल्यू. डी. का पार्ट भी हो जाय और आर. एस ई. बी. का पार्ट भी हो जायं । यदि आप ने इस तरह की व्यवस्था नहीं की, आज देख लें, माननीय सभापति महोदय, हम क्या कर रहे हैं । आज पब्लिक एमिनिटीज पर सबसे ज्यादा एक्सपैण्डीचर हम केवल डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर या डिवीजनल हैडक्वार्टर पर कर रहे हैं । पहले बल्ब था फिर ट्यूबलाइट लगा दी और आज फ्लड लाइट लग गयी । पहले रोड थी आज पेवर रोड बन गयी । यह पेवर रोड कहां बनी ? एक तरफ तो म्यूनिसिपैलिटीज में रहने वाले हजारों आदमियों के लिए, स्लम्स में रहने वालों के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं, नाली की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, वहीं मैसिव इन्वैस्टमैण्ट हम कर रहे हैं केवल शहर के अन्दर फ्लड लाइट के लिए और पेवर रोड्स के लिए क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास जो सोर्स जनरेट होती हैं वह जे. डी. ए. का हो रहा है, यू. आई. टी. का हो रहा है । जे. डी. ए. और यू आई. टी. का क्यों हो रहा है ? क्यों नहीं छोटी म्यूनिसिपैलिटीज का हो रहा है ? यदि इस सम्बन्ध में हम ने कोई व्यवस्था नहीं की तो हम ठीक ढग से हमारी किसी भी कल्पना को इम्प्लीमैण्ट नहीं कर पायेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, आप घड़ी देख रहे हैं, मुझे मालूम है कि मुझे कम बोलना है पर मैं दो तीन चीजें इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । जे. डी. ए. या यू. आई. टी. के माध्यम से जो लोग नये मकान बनाना चाहते हैं उन की एक्टिविटीज को चैक करके लोकल सैल्फ की आप की व्यवस्था है उस के आधार पर आप मकान दें, ऐसी व्यवस्था नहीं है । माननीय सभापति महोदय, आप जान कर आश्चर्य करेंगे कि एक साल में राजस्थान में जितने म्यूनिसिपल टाउंस हैं, जितनी भी यू. आई. टी. सिटी हैं उन में कितने लोगों के लिए आप प्लाट की व्यवस्था करते हैं ? राजस्थान की तीन करोड़ की जनसंख्या है और हम एक साल में 15 हजार आदमियों को भी प्लाट देने की व्यवस्था नहीं करते, राजस्थान में हम ने उन को छोड़ दिया कि वह कोआॅपरेटिव सोसाइटीज में जा कर अपने पैसे का इन्वैस्टमैण्ट करें । यह व्यवस्था खुद हमने जनरेट की है । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करुंगा कि जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी का वर्ष है यह, लोग आपको याद करेंगे, आप सीनियर मिनिस्टर हैं आप व्यवस्था करिये

(श्री सी. पी. जोशी)

ब्लैंकेट कि एक साल में राजस्थान में कम से कम दो लाख आदमियों को म्यूनिसिपैलिटीज में रहने के लिए प्लाट की व्यवस्था हम करेंगे। यदि आप यह व्यवस्था नहीं कर पायेंगे, माननीय सभापति महोदय, तो आप कोआपरेटिव सोसाइटीज के नाम पर इसका क्या करना चाहते हैं। जो आदमी कलैक्टिव बार्गेनिंग कर रहा है, रूल्स को फ्लाउट कर रहा है उसके लिए तो हम आर्डिनेंस लाते हैं, अमैण्डमैण्ट लाते हैं। गंगानगर के लिए आर्डिनेंस लाये, मैं बार-बार इसका जिक्र करता हूं कि आठ हजार अलाटीज ने दूसरों की जमीन ले ली, उनको खातेदारी राइट देने के लिए आप नियम बना रहे हैं कि 50 हजार रुपए में एक मुरब्बा जमीन रैगुलराइज कर देंगे। यह व्यवस्था तो हमने कर दी पर शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राईब और ओ. बी. सी. का आदमी सरकार की जमीन पर, म्यूनिसिपैलिटी की चरनोट की जमीन पर बैठा हुआ है उस जमीन को रैगुलराइज करने की व्यवस्था नहीं करेंगे। हम किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं ? वेस्टेड इण्टरेस्ट के आदमी रूल्स फ्लाउट कर रहे हैं पर कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर आपकी परमिशन नहीं लेकर मकान बना लें तो उसको रैगुलराइज करने के लिए कैबेनेट कमेटी बनी हुई है कि हम कैबिनेट कमेटी बना कर रैगुलराइज करेंगे कि किस किस की जमीन को छोड़ा जाय, किस किस की जमीन का यह किया जाय। क्या हमारे पास यह व्यवस्था है कि पिछले 10 सालों में हमने जितनी लैण्ड को को एक्वायर किया है....हमने लैण्ड एक्वायर करके डी-एक्वायर करने की एक नयी व्यवस्था पैदा कर दी है जिसमें गांव-गांव, शहर-शहर में ऐसे आदमी पैदा हो गये हैं जो केवल मात्र धन्धा करते हैं कि लैण्ड एक्वायर करने का नोटिस दिलवा दो, जमीन खरीद लो, लोगों को बेच दो और गवर्नमेंट प्रभाव से डी-एक्वायर करवा दो। यह व्यवस्था हम खुद पैदा कर रहे हैं। इसलिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, लैन्ड एक्वायर तब करने की आवश्यकता है जब आप लैण्ड के अलाटमेंट की व्यवस्था भी साथ ही करना चाहते हैं तो इस व्यवस्था के आधार पर कुछ व्यवस्था यदि आप नहीं कर पायेंगे। तो इस व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड एक्टिविटीज कर कर रहा है, बड़े एम्बीशंस और मैसिव प्लान हैं। माननीय सभापति महोदय, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस समय उसकी जो प्राइस होती है और जब पजेशन मिलता है उस समय की प्राइस में बहुत बड़ा अन्तर आ जाता है। तो हम क्या करना चाहते हैं उस उपभोक्ता के साथ में माननीय सभापति महोदय, हम उनको बिफूल करना चाहते हैं। 1980 में आप किसी शहर में मकान रजिस्टर्ड करवायें, उसको जो आज का डिजाइन है, उस डिजाइन में आप परिवर्तन कर देते हैं उसका कास्ट्रेक्टिव एरिया कितना होगा, ओपन एरिया कितना होगा और उसके बाद में उसको पजेशन मिलेगा 1990 में, 1980 का 1990 के पहले तो सम्भावना ही नहीं है, 1995 में मिलेगा, माननीय सभापति महोदय, तो 1995 में उस आदमी को जो मकान मिलेगा उस समय 1980 में जो रजिस्ट्रेशन करवाया उससे उसको डेढ़ी या

(श्री सी. पी. जोशी)

दुगुनी रेट उसको देनी पड़ेगी। हमने इसका मतलब एक धन्धा खोल लिया कि लोगों की पूंजी को हम एक्ट्रेक्ट कर लें एम्बीशंस प्लान बनाकर कि एक कलाकार नगर बनेगा, एक टीचर्स कालोनी बनेगी, एक डाक्टर्स कालोनी बनेगी, उन सब लोगों की पूंजी को उसमें एक्ट्रेक्ट करके उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लोगों को मकान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिये लोगों का हाउसिंग बोर्ड में कान्फिडेन्स कम होगा। आपकी निश्चित नीति बनानी पड़ेगी कि आप 4 साल में मकान नहीं देंगे तो आपकी प्राइस कितनी होगी? इस सम्बन्ध में उपभोक्ता की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर हाउसिंग बोर्ड की एक्टीविटीज को करना चाहें, माननीय सभापति महोदय, यह एक्टीविटी ठीक ढग से जनरेट नहीं हो पायेगी।

माननीय सभापति महोदय, आप बार-बार घड़ी की ओर देख रहे हैं। मैं अन्त में एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज हर छोटे गांवो में, माननीय सभापति महोदय देखा होगा कि डिस्क लग गयी, टी. वी. के अन्दर डिस्क लग गयी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी में आपने सोचा नहीं, उस डिस्क से इन्डिजुअल आदमी के घर पर कनेक्शन जाता है वह वायर वहां की म्यूनिसिपैलिटी के खम्भे से होकर जा रहा है। हमने यह प्रोविजन नहीं किया आज दिन तक कि उस डिस्क के आधार पर लोग कन्जूमर्स को एक्सप्लाइट कर रहे हैं। क्या म्यूनिसिपैलिटी के लॉ में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्या हम यह प्रोविजन नहीं कर सकते कि 20-25 हजार रुपये की म्यूनिसिपैलिटी खुद खरीदेगी और वहां के लोगों को जहां कवर नहीं होती है, उन लोगों की टी. वी. का काम वह करेगी। यह काम हम नहीं कर सकते हैं, माननीय सभापति महोदय। हमको जिस तरह की व्यवस्था पैदा हो रही हैं उस व्यवस्था से एन्टिसिपेट करके अपने नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम तो उल्टे नियम बनाकर लोगों को रिहैबिलेट करने से रोकते है।

अन्त में एक ही बात कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आज जितने आदमी मर्डर के कैस में इन्वाल्व होते हैं, किसी भी शहर में किसी टाउन में वह सब आदमी लैण्ड पजेशन के काम को कर रहे हैं। मतलब हमारी व्यवस्था इस तरह की हो गयी कि लैण्ड को आज की एनक्रोचमैण्ट जो है वह नान बायेलेबल क्रिमिनल आफेन्स नहीं है इसलिए वह सजा याफ्ता आदमी जो शहर में घूमता है, सजा नहीं मिलने के पहले के बीच में उस आदमी का धन्धा हो गया यह। आप कच्ची बस्ती में चले जायं कच्ची बस्ती में 70 से 80 पर्सेन्ट आपको क्रिमिनल बैंक ग्राउण्ड के आदमी आपको मिलेंगे इसलिए हम ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय,।

इसलिये, माननीय सभापति महोदय, प्रधान मन्त्री जी की जो मन्शा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमैण्ट के गवर्नेंस के सम्बन्ध में हमें हमारा जो एडिमिस्ट्रेटिव कन्सेप्ट है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और जब हम आमूल चूल परिवर्तन करने की बात करते हैं, माननीय

(श्री. सी. पी. जोशी)

सभापति महोदय, तो हमारे फाइनेन्शियल पावर्स का भी डिवोल्युशन करना पड़ेगा आपको, एडमिस्ट्रेटिव पावर्स को भी आपको यूनिट माननी पडेगी आप चाहे म्यूनिसिपैलिटी के एस. डी, एम. को आधार मान लें चाहे आप सीनियर आर. ए. एस. आफिसर को आधार मान लें लेकिन आपको 194 जगह पर, आज आपने 96 एस. डी. एम. क्रियेट कर रखें हैं -why don,t you create an-Executive Officer at the level of every municipalcity. एक आर. ए. एस. लेवल का आदमी जिम्मेदार आदमी; हो जायेगा और आपका एक आर. ए. एस. लेवल का आदमी गवर्नस करना सीख लेगा उसके नीचे आप ए ई एन, पी. डब्ल्यू. डी. इर्रिगेशन के पावर को डेलिगेट कर दें तो मैं समझता हूं कि जनता की समस्या का ठीक ढंग से निराकरण हो पायेगा।

एक बात और अन्त में कहना चाहता हूं मैं कि जिन शहरों में आपने आई यू डी पी की स्कीम लगा रखी है माननीय मन्त्री महोदय, उन आई यू डी पी की स्कीम वाले जितने भी टाउन्स हैं उनमें प्रोरेटा चार्ज वसूल करते हैं पी एचईडी, आर एस ई बी और पी डब्ल्यू डी वाले। आखिर हम तो खुद तो लोन लेते हैं आई यू डी पी के लिये गवर्नमेंण्ट आफ इण्डिया लोन देती है, स्टेट गवर्नमैण्ट लोन देती है हमको री -पे करना पड़ता है और उसको एक्जीक्यूशन करने का काम, पी डब्ल्यू डी करेगी, आर. एस ई बी करेगी और वह वसूल करते हैं 20 पर्सेन्ट प्रो - रेटा चार्ज। इसलिये आप कम से कम सरकारी लेवल पर फैसला कर लें कि जो आई यू डी पी टाउन्स 10 हैं राजस्थान में उनके डवलपमैण्ट के लिये हमने लोन लिया हैं, कम से कम उन टाउन्स के अन्दर 10 पर्सेन्ट जो हमारा प्रोरेटा चार्ज हैं इस चार्ज को हम वेव करते है। यदि यह व्यवस्था नहीं करेंगे, माननीय सभापति महोदय, तो सारी आई यू डी पी स्कीम में जितना पैसा इन्वेस्टमैण्ट कर रहे है उस पैसे का बहुत बड़ा अमाउण्ट हमको वापस इन्वेस्टमैण्ट करना पड़ेगा, वह डवल पैसा मिल रहा है; वह रेगुलर ए ईएन आर एस. ई. बी. का है उसे तनख्वाह भी बराबर मिल रही है और प्रोरेटा चार्ज का बैनिफिट भी मिल रहा है। इसका मतलब हम एक नयी व्यवस्था पैदा कर रहे हैं। उस व्यवस्था में भी हमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

आपने समय दिया उसके लिये बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव कई वर्षों से नहीं हुये। जयपुर नगर परिषद के चुनाव पिछली बार 1971 में हुये थे, आज 18 वर्ष हो गये जयपुर नगर परिषद के चुनाव नहीं हुये और नगर परिषद में 18 वर्षो से सरकारी अधिकारी प्रशासक के रुप में कार्य कर रहे है।

सदन में और सदन के बाहर राज्य सरकार 19 बार प्रदेश में चुनाव कराने की घोषणा कर चुकी हैं परन्तु कभी वह

(श्री कालीचरण सराफ)

मुखर्जी रिपोर्ट बहाना बनाकर, कमी वोटर-लिस्ट का बहाना बनाकर लगातार उनके चुनाव टालती जा रही है । माननीय सभापति महोदय, जयपुर में कई वर्ष से नगर निगम बनाने की मांग की जा रही है । सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि मुखर्जी रिपोर्ट आने के बाद नगर निगम बनाने पर विचार किया जायेगा । पर आज तक न तो जयपुर में नगर निगम बनाने की घोषणा की गयी और न चुनावों की घोषणा हुई पिछले दिनों मुख्य मन्त्रीजी ने एक वक्तव्य दिया था कि जन प्रतिनिधियों को नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में प्रशासक के रुप में नियुक्त किया जायेगा । इससे मुख्य मन्त्री जी की नीयत साफ हो जाती है कि वह नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में चोर दरवाजे से कांग्रेस का शासन चलाना चाहते हैं वह चुनाव करवाने में कतई इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं, चुनाव वह करवाना नहीं चाहते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, आज चुनाव नहीं होने के कारण प्रदेश की शहरों की स्थिति क्या है, बाकी के शहरों स्थिति तो मैं नहीं बताना चाहूंगा पर जयपुर शहर की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा कि आज 18 वर्षो से प्रशासक नियुक्त हैं, सारी व्यवस्था सरकारी अधिकारियों के हाथ में है, जयपुर की सफाई व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था, सड़को की व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्था परन्तु आज जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था की स्थिति क्या है जगह जगह कूडे के ढ़ेर पड़े हुये हैं जगह जगह सड़के टूटी हुई हैं, जगह जगह नालियां भरी हुई है, गट्टर लाइन टूटी हुई है, चौक हो रही हैं परन्तु आज किसी भी प्रकार की सफाई व्यवस्था के बारे में जब हम अधिकारियों से सम्पर्क करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है कि साहब हम कितना भी प्रयास करें मगर यह थैंक लैंस जोब है और सफाई माकूल नहीं हो सकती है ।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर की व्यवस्था माकूल नहीं होने के कारण और भी हैं और उनमें से एक कारण यह भी है कि आज यहां 6 हजार सफाई कर्मचारी हैं परन्तु कभी फिजिकल वैरीफिकेशन किया जाय तो 1 हजार सफाई कर्मचारी भी आपको ड्यूटी पर नहीं मिलेंगे इसका कारण क्या है ? माननीय सभापति महोदय, सफाई कर्मचारियों के ऊपर जो स्वास्थ्य अधिकारी यहां पर लगे हुये है उनका महीना बन्धा हुआ हैं, आधी तनख्वाह वह लेते हैं और आधी तनख्वाह जो सफाई कर्मचारी हैं उनको देते हैं और उनकी केवल हाजरी हो जाती है । माननीय सभापति महोदय, डा. दिनेश भण्डारी जो जयपुर में पिछले 9 साल से स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर लगे हुये हैं उनकी कारगुजारियों को की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय, डा. दिनेश भण्डारी पूर्व में अजमेर नगर परिषद में स्वास्थ्य अधिकारी थे तो इनके खिलाफ अजमेर नगर परिषद् ने 10-6-1982 को पुलिस में एक एफ. आई. आर. दर्ज करवायी और उस एफ आई आर में लिखा गया कि 40 हजार लीटर पैट्रोल का गबन इन्होंने किया है । इनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारेण्ट निकले,

(श्री कालीचरण सराफ)

यह वहां से सीधे भागकर जयपुर आये और इनके पिता उस समय टोंक कलेक्टर थे, आई. ए. एस. आफिसर थे उन्होंने एन्टीसीपेटरी बेल करवायी ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ऐसे व्यक्तिगत आरोप ....

श्री कालीचरण सराफ : यह एलिगेशन नहीं है, यह फेक्ट है साहब ।

श्री सभापति : उसके नियम बने हुये हैं । यू हैव टू गिव नोटिस ।

श्री कालीचरण सराफ : एफ. आई. आर दर्ज है तो नाम में फिर क्या है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य नाम से अगर एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिये तो नियम बने हुये है ।

श्री कालीचरण सराफ : एफ. आई. आर. दर्ज हुई है, माननीय सभापति महोदय ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज हुई है फिर यहां नाम लेने में क्या आपत्ति है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुये हैं वह नगर परिषद् जयपुर में बैठे हुये हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्या नियम बने हुये हैं इसके लिये । आप उनके पद का नाम बोल दें ।

श्री कालीचरण सराफ : इतना ही नहीं सभापति महोदय, इन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करके उस केस में एफ, आर लगवा दी । 30–40 वर्षों से कई उपकरण जेमैथिक मशीनें दवा रखने के पीतल के उपकरण मात्र 80 पैसे किलो में उन्होंने बेच दिये और 10 लाख रुपये का सामान इन्होंने कुछ हजार रुपये में बेचकर लाखों रुपयों का गबन यहां पर किया । इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, इसी 11 मई को इनका ट्रांसफर हो गया था परन्तु इनका भाग्य अच्छा था । अब जो नगर परिषद् में जयपुर प्रशासक के पद पर कोई भण्डारी, आई. ए. एस. अधिकारी को लगाया गया हैं, तो 11 मई को इनका स्थानान्तरण हुआ 9 साल बाद और इन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग किया । और 23 मई को वह स्थानान्तरण रद्द हो गया और वह वापस यहां पर स्वास्थ्य अधिकारी बने हुए हैं । 6 हजार स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनमें से एक हजार कर्मचारी काम पर नहीं आते हैं । 5 हजार कर्मचारियों की आधी तनख्वाह वसूल करते हैं । भ्रष्टाचार के इतने गबन के आरोप हैं । मैं पूछना चाहूंगा स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से कि वे अपना जबाव दें तब यह बतायें कि ऐसा क्या इस डाक्टर भण्डारी के मीठा लगा हुआ है कि आप उसको बार–बार यहां पर रखते हैं और 9 साल से यहां पर रखा हुआ है । जबकि आपके नियम यह हैं कि तीन वर्ष से अधिक किसी भी अधिकारी को एक जगह पर नहीं रख सकते । 9 वर्ष से यहां क्यों लगे हुए हैं ? यह कृपया स्पष्ट करें ।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर के विकस की जिम्मेदारी पांच विभागों के

(2.9)

(श्री कालीकरण सराफ)

ऊपर हैं। नम्बर एक नगरपरिषद, दूसरा जयपुर विकास प्राधिकरण, तीसरा आवासन मण्डल, चौथा पुनर्वास विभाग और पांचवा सार्वजनिक निर्माण विभाग। इन विभागों का तालमेल ऐसा है कि हम किसी भी सड़क के बारे में नगरपरिषद में जायं तो वे कहेंगे कि यह जयपुर विकास प्राधिकरण के जुरिडिक्शन में आता है जयपुर विकास प्राधिकरण के पास जायं तो वे कहेंगे कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाता है। उनके पास जायं तो वे कहेंगे कि आवासन मण्डल की कालोनी है।

मालवीय नगर की सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। नगरपरिषद के पास गये तो उन्होंने कहा यह आवासन मण्डल की कालोनी है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने पूछा कि आप हाऊस टैक्स क्यों लेते हो तो कहा कि हाऊस टैक्स लेना तो हमारा अधिकार है पर सफाई हम नहीं करेंगे। मालवीय नगर के सैक्टर 5,6,7,8,9,10,11,12,13 कहीं पर भी सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई हरिजन लगा हुआ नहीं है और जब हाऊस टैक्स की बात आती है तो नगरपरिषद के लोग आगे आ जाते हैं जवाहर नगर जब से बना है आज तक वहां की सड़के नहीं बनी हमने नगरपरिषद के अधिकारियों सम्पर्क किया कि साहब सड़के बनाओ उन्होंने कहा कि आवासन मण्डल ने बनायीं हैं हम सड़के कैसे बनायें। आवासन मण्डल वालों के पास गये उन्होंने कहा हमने 15 लाख नगर–परिषद को दे दिये हैं, नगरपरिषद यहां पर और सड़कें बनायेगी परन्तु आज तक जवाहर नगर में सड़के नहीं बन रही हैं हमें यह पता नहीं कि सड़कों का निर्माण कौन करेगा। बापू नगर की सड़कों के बारे में जे. डी. ए. के पास गये उन्होंने कहा कि नगरपरिषद बनायेगी, नगरपरिषद के पास गये तो उन्होंने कहा कि पी. डब्ल्यू. डी. बनायेगी। समझ में नहीं आता कि यहां जुरिडिक्शन सरकार ने किस प्रकार से इनका तय कर रखा है। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने 16 जुलाई, 1982 को जयपुर विकास प्राधिकरण को यहां पर स्थापित की थी और उसमें बड़े जोर शोर से यह कहा गया था कि अब जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन हो गया है। सब विभागों में तालमेल करके और इस प्रकार की व्यवस्था करायी जायेगी कि पूरे जयपुर शहर का समुचित विकास होगा। परन्तु आज सात साल हो गये आज जयपुर विकास प्राधिकार को यदि जयपुर विनास प्राधिकरण कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थिति यह है कि नक्शे पास करने के नाम पर अनाधिकृत निर्माण न तोड़ जाने के नाम पर, कच्ची बस्तियों को नियमित रुप से बसाने के नाम पर जे. डी. ए. के लोग, अधिकारी एक लाख रुपये प्रति दिन रिश्वत के रूप में जनता से वसूल करते हैं, जनता का शोषण करते हैं। माननीय सभापति महोदय, 20 अगस्त, 1981 को गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा जिन लोगों ने भूखण्ड खरीदे थे, मन्त्री मण्डल ने निर्णय लिया था और बड़े बड़े एडवरटाईजमेंट किये थे कि जिसने भी कृषि भूमि पर अपना मकान बना रखा है वह भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा करवा दे उन सब को नियमितिकरण कर दिया जायेगा

(श्री कालीचरण सराफ)

परन्तु आज स्थिति क्या है। 28 करोड़ रुपया कृषि भूमि के रूपान्तरण शुल्क के नाम पर जनता से इकट्ठा कर लिया। 25 हजार रुपये नक्शे पास करने के नाम पर जे. डी. ए. ने जमा कर लिये और आज स्थिति यह है कि दो लाख लोग कृषि भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं। एक लाख ऐसे होंगे जिन्होंने भूखण्ड ले रखे हैं परन्तु मकान नहीं बनाये। परन्तु जे. डी. ए. के पास जब नक्शे पास कराने के लिये लोग जाते है तो कहते हैं कि यह भूमि अवाप्ति में है यह सीलिंग में है, अल्सर भूमि है, मास्टर प्लान में लैण्ड यूज दूसरा हैं आदि कहकर के इनके नक्शे पास नहीं किये जाते। पिछले सात साल में कुल आठ हजार नक्शे जे. डी. ए. ने पास किये हैं। क्या जयपुर शहर में पिछले सात सालों में केवल आठ हजार मकान ही बने हैं? परन्तु माननीय सभापति महोदय, यह नियम केवल गरीब लोगों के लिये है। जो पैसे वाला है जो रिश्वत दे दे या जो बड़ी पहुंच वाला है उनके लिए यह नियम नहीं है। क्या हमारी सरकार यह बता सकती है कि प्रजातन्त्र में दो लाख मकान जो बने हुए हैं उनको तोड़ा जा सकता है यदि उनको तोड़ा नहीं जा सकता तो आज इन्सपेक्टर्स के माध्यम से उनको लूटा क्यों जा रहा है। पिछली बार भी यह बात आयी थी कि कृषि भूमि पर बने हुए मकानों को नियमित किया जायेगा परन्तु आज तक कोई इस बारे में निर्णय नहीं लिया गया। पिछली बार आश्वासन दिया गया कि हमने तीन जनों की एक कमेटी बनायी है और यह तीन जनों की कमेटी तय करेगी कि किस प्रकार से इनका नियमितिकरण किया जाय परन्तु यह कमेटियां तो तीन बार बन गयी और उन्होंने निर्णय क्या लिया। पहले जे. डी. ए. के सदस्य, माननीय सदस्य भी होते थे विधान सभा के सदस्य, जनप्रतिनिधि उन्होंने निर्णय क्या लिया कि अब वे सदस्य नहीं करेंगे। अमेण्डमेंट भी यहां आने वाला है। जे. डी. ए. के भूमि अवाप्ति के कोई निश्चित नियम नहीं हैं, प्रक्रिया नहीं है। एक ही योजना में कई गृह निर्माण समितियों एवं व्यक्तियों की भूमि तो अवाप्त कर ली गई और कइयों की भूमि अवाप्ति से मुक्त कर दी गयी। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा जे. डी. ए. में टोंक फाटक, जवाहर लाल नेहरू रोड़, मालवीय नगर एरिया में भूमि 1969-73 में अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी परन्तु कुछ प्रभावशाली लोगों की जमीनें इससे मुक्त कर दी। जय जवान गृह निर्माण सोसाइटी इनकम टैक्स आफिसरों की सोसायटी इसलिए इसको भूमि अवाप्ति से मुक्त रखा गया। ज्योति जगजीवन गृह निमाण सोसायटी, मोदी हाउसिंग सोसायटी, जे. डी. ए. के एक्स कमिश्नर थे सतीस कुमार जी उनकी श्रीमती एस. कुमार के नाम पर यह सोसायटी थी। उसकी वह चेयरमैन थी इसलिए उसको भूमि अवाप्ति से मुक्त रखा गया। विद्युत अभियंता कालोनी, किसान गृह निर्माण सोसायटी, एन. के. पटेल और एम. एल. शर्मा इनको जब भूमि अवाप्ति से मुक्त रखा गया तो बाकी को भूमि अवाप्ति में क्यों लिया गया। माननीय मन्त्री जी अपने जवाब में इसके बारे में भी बतायें। इसी प्रकार सोडाला, सुशीलपुरा, सीतापुरा, गोपालपुरा, रामपुरा-रूपा, करतारपुरा, दुर्गापुरा आदि की जमीन के 10 अक्टूबर,

(श्री कालीचरण सराफ)

1979 को नोफिकेशन के जरिये यू. आई. टी एक्ट 1959 की धारा 52 [2] के तहत अवाप्ति के आदेश निकाले गये। जिसको कानूनन परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। जो यह कानून बताते हैं परन्तु यहां पक्षपात किया गया। कई प्रभावशाली लोगों की जमीनें अवाप्ति से मुक्त कर दी गयी। इसका भी उदाहरण बताना चाहूंगा। बिड़ला जी जो हिन्दुस्तान के बहुत बड़े सेठ हैं दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के पश्चिम में लगभग दो सौ बीघा जमीन जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपये होगी, त्रिवेणी नगर स्कीम के के पास है। जे. डी. ए. ने अवाप्त करली थी और कब्जा भी ले लिया था, बिड़ला को देदी गयी और वहां आज मकान बनाने की छूट दे दी गयी। विद्युत नगर योजना में क्योंकि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी का मकान है, भूमि अवाप्ति में था उसको मुक्त कर दिया मकान बनाने के लिए नक्शे पास कर दिये गये, मकान बनाने की परमीशन दे दी गयी। जब इनको परमीशन दे दी तो गरीब लोगों ने क्या गुनाह किया है कि उनको परमीशन नहीं दी गयी परन्तु यह एक बहाना बना दें कि मास्टर प्लान में लैण्ड यूज दूसरा है। बिड़ला प्लेनेटेरियम स्टेच्यू सर्किल के एक कोने पर बना हुआ है। मास्टर प्लान देख लीजिये उसमें इसका लैण्ड यूज सरकारी या अर्ध-सरकारी बिल्डिंग का दिया हुआ है कि वहां अर्ध-सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग बनेगी और जयपुर महाराज भवानीसिंह जी जब यह जमीन ले ली थी तो यह कहा कि इसलिए ली गयी थी कि यहां पर सरकारी भवन बनाया जायेगा। परन्तु यह 10 बीघा जमीन 99 साल की लीज पर बिड़ला जी को केवल एक रुपया प्रति माह के हिसाब से दे दी गयी। इसी प्रकार से मास्टर प्लान में जो भूमि ग्रीन बेल्ट में आती है, वहां आवासन मण्डल मकान बना रहा है। आज कोई साधारण जनता का व्यक्ति यदि मकान बनाये तो

(समय-समाप्ति सूचक-घन्टी)

सभापति महोदय अभी मैंने बोलना चालू नहीं किया। लोग तो आधा घन्टे बोलते हैं और आपने 5 मिनिट में घन्टी बजा दी है। बोलने दीजिये प्लीज़। आज ग्रीन बैल्ट में कोई साधारण व्यक्ति मकान बनाता है तो उसको मकान बनाने की इजाजत नहीं मिलती, परन्तु आवासन मन्डल जो राजस्थान सरकार द्वारा गठित है उसने ग्राम सांगानेर बंबाला, श्योरपुर, खोखावास, सांगानेर योजना के नाम पर मकान बनाये। मैं पूछना चाहता हूं कि आवासन मण्डल वहां किस अथोरिटी से मकान बना रहा है। जब मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट है तो वहां मकान क्यों बन रहे हैं। आवासन मण्डल ने कृषि भूमि पर मकान बिना रूपान्तरण शुल्क जमा कराये बनायें हैं। मालवीयनगर, मानसरोवर में कृषि भूमि पर मकान बन रहे हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1986 की धारा 19ए. के विपरीत है। परन्तु उनके लिए कोई नियम नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार जयपुर में टोंक रोड, अजमेर रोड, सीकर रोड, आमेर रोड, राजपार्क, आदर्श नगर में कम से कम 25 हजार दुकानें बनी हुई हैं। उनके जब नक्शे पास कराने जाते हैं तो कहते हैं रेजिडेन्शिल एरिया में बनी हुई हैं।.... यह 25 दुकानें प्रजातन्त्र में कोई तोड़ सकता है ?

(श्री कालीचरण सराफ)

राजपार्क में इतना बड़ा मार्केट है, रेजिडेन्शियल एरिया में। एक का भी नक्शा पास नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तोड़ने का सवाल ही नहीं है और जगह-जगह मकान बनते दिखाई दे रहे हैं, बन कैसे रहे हैं। यह समझ में नहीं आ रहा। इन्सपेक्टर भी हैं वह भी देखते हैं, मकान तो बन रहे हैं सब जगह।

श्री कालीचरण सराफ : घड़ाधड़ बन रहे हैं, यहां भी पक्षपात है। माननीय सभापति महोदय, जहां प्राइवेट लोगों ने कामर्शियल काम्पलेक्स बनाने की इजाजत चाही, उनको बिना नियमों को देखे रेजिडेन्शियल एरिया में कामर्शियल काम्पलेक्स बनाने की इजाजत दे दी गई है। बलदेव प्लाजा केन्द्रीय मन्त्री रामनिवासजी मिर्धा के पुत्र हैं इसलिए इनको वहां पर बलदेव प्लाजा बनाने की इजाजत दे दी गई है। रेजिडेन्शियल एरिया है, भूमि-अवाप्ति में है उसके बाद भी इजाजत दे दी गई। इसी प्रकार जे. के. अटल . . .

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसको तुड़वा देंगे।

श्री कालीचरण सराफ : इसी प्रकार से जे. के. अटल, जो अपने आपको प्रधान मन्त्री का रिश्तेदार बताते हैं, मुझे पता नहीं पर वह अपने आपको रिश्तेदार बताते हैं। एक अरब रुपये की 24 हजार मीटर जमीन स्टेशन रोड पर जो अटल वन के नाम से विख्यात है आज के दिन, कामर्शियल काम्पलेक्स बनाने की छूट दे दी गई। जबकि अर्बन सीलिंग एक्ट 1976 के अन्तर्गत करोड़ों रुपयों की जमीन को छूट देने का प्रावधान नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गुलाबसिंहजी नोट तो करो, कमाई की कमाई है। काम मत करना, कमाई तो है वह।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह कमाई आपके लिए रखी है।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार एम. आई. रोड पर सरावगी मेन्शन, नाक के नीचे, व्यस्ततम एम. आई. रोड, यहां पर अर्बन सीलिंग एक्ट की अवहेलना करके और सरावगी मेन्शन के लिये इजाजत दी गई और धड़ल्ले से दुकानें बन रही हैं, कुछ दुकानें तो नीलाम भी हो गई। आज तक उनको कोई रोकने नहीं आया। (व्यवधान) आज कल कई दिनों से एक सनक जे. डी. ए. अधिकारियों के दिमाग में आई हुई है। अखबारों में घोषणा हो रही है, पृथ्वीराजनगर योजना, गरीब लोगों को मकान देने के लिए बनाई जायेगी। 11 हजार बीघा जमीन अधिग्रस्त करने का उल्लेख है। पर माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि जो हजारों मकान पृथ्वीराजनगर योजना में जो आने वाली जमीन हैं, पक्के बने हुए हैं, 13 योजनायें तो ऐसी हैं गृह निर्माण समितियों की जिनकी करीब 700 बीघा जमीन है। प्राधिकरण ने इन योजनाओं का विकास शुल्क ले लिया। लीज डीड जारी कर दी, नक्शे पास कर दिये और कई भूखण्डधारी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने निर्णय लेकर मकान बना लिए। तो पृथ्वीराजनगर

(श्री कालीचरण सराफ)

योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के जो लोग हैं क्या सरकार उनके मकान तोड़ देगी। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, इस प्रकार जिनके नक्शे पास कर दिये, लीज डीड जारी कर दी इस प्रकार के भूखण्डधारियों को यदि छेड़ा गया तो उसके गम्भीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं हीरापुरा ग्रिड सब-स्टेशन भी इसी पृथ्वीराजनगर योजना में आया है। दो तीन करोड़ की लागत से बना हुआ यह सब-ग्रिड स्टेशन है, क्या इसको आप तोड़ेंगे। कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र है, यह भी पृथ्वीराजनगर योजना का क्षेत्र है, क्या वहां करोड़ों की लागत से बनी हुई फेक्टिरियों को उजाड़ दिया जायेगा। पूरा मिलेट्री एरिया, यह भी इसमें आता है। क्या वहां से मिलेट्री एरिया को शिफ्ट कर दिया जायेगा। ग्रिड स्टेशन के सामने जो आवासीय बस्तियां हैं उनका क्या होगा। भूखण्डधारियों की चार हजार बीघा से भी अधिक भूमि इस योजना में जे. डी. ए. के समझदार अधिकारियों ने शामिल कर ली।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 22 गांव और हैं जिनमें लोग रहते हैं और बसे हुये हैं। उनको कहा फेंक दोगे ले जाकर, नाले में फेंकोगे या समुद्र में फेंकोगे।

श्री कालीचरण सराफ : मुझे तो ऐसा लगता है कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के सेक्शन 4 (1) का नोटिस देने से पूर्व, माननीय सभापति महोदय, इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण ही नहीं किया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, जे. डी. ए. रोज नयी-नयी घोषणा करता है, नई कालोनियां बनाने की। कभी वैशाली नगर, कभी अयोध्या नगर, कभी विद्याधर नगर, पर कभी जे. डी. ए. ने यह भी सोचा है कि जो कालोनी जयपुर में बनी हुई हैं उनकी स्थिति क्या है। जनता कालोनी, सेठी कालोनी, बर्मीज कालोनी, 22-22 साल से जनता कालोनी में आज तक सड़कें नहीं बनी, उसके बारे में ध्यान नहीं देते। वैशाली नगर बनाया जायेगा, अयोध्या नगरी बसाई जायेगी, कभी पृथ्वीराज नगर बसायेंगे, कभी विद्याधर नगर बसायेंगे, आज क्या जे. डी. ए. के अधिकारियों को यह भी पता है कि बापूनगर, तिलक नगर, राजा पार्क, आदर्श नगर, बनीपार्क—

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : शोर्ट में।

श्री कालीचरण सराफ : यहां सीवर लाईन नहीं है। परन्तु उसके बारे में कोई तय नहीं करते। जयपुर शहर में चार लाख लोग कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं। मेरे से पूर्व नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के ऊपर पाबन्दी लगा देनी चाहिए। कच्ची बस्तियों के लोग धन्धा करते हैं। माननीय सभापति जी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कच्ची बस्तियों में यदि पांच प्रतिशत लोग धन्धा करते हैं उनके कारण 95 प्रतिशत लोगों को आप मकानों से महरूम नहीं कर सकते। आज कच्ची बस्तियों में गरीब लोग रहते हैं और शहरों में रोजी रोटी कमाने के लिए....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री कालीचरण सराफ)

गांव से आने वाले कच्ची बस्तियों में रहते हैं। परन्तु आज स्थिति क्या है। 1971 में सर्वे हुआ, 1981 में सर्वे हुआ परन्तु आज तक उनका नियमितिकरण नहीं हुआ कच्ची बस्तियों में पानी की सुविधा नहीं है, सड़कों की सुविधा नहीं है, रोशनी की सुविधा नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की कच्ची बस्तियां जहां अभी तक नियमन नहीं हुआ है--

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री कालिचरण सराफ : उनका नियमितिकरण किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, तत्कालीन मुख्यमन्त्री हरिदेवजी जोशी ने घोषणा की थी एक सम्मेलन में कि 1985 की वोटर लिस्ट के आधार पर इस प्रकार के लोग जिनका सर्वे नहीं हुआ है, उनका सर्वे करा दिया जायेगा। मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय घोषणा की थी उस समय 1985 की वोटर लिस्ट ही बनी हुई थी परन्तु अब 1989 की वोटर लिस्ट भी बन गई है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यदि वास्तव में यह सरकार प्रगतिशील होने का दावा करती है तो आज अपने जवाब में यह घोषणा करे कि 1989 की वोटर लिस्ट के आधार पर गैर सर्वेधारियों का सर्वे सरकार करेगी।

मैं दो मिनट आवासन मण्डल के ऊपर लेना चाहूंगा। आवासन मण्डल में हमारे चेयरमैन भूतपूर्व विधायक और मन्त्री श्री-राम गोटेवाला हैं कभी घोषणा करेंगे विधि नगर बनाया जायेगा, कभी घोषणा करेंगे पत्रकारों को मकान आवंटित किये जायेंगे। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि जो आवासन मण्डल ने कालोनियां बनाई हैं, मालवीयनगर, जवाहरनगर, शास्त्रीनगर, हाउसिंग बोर्ड की कोलोनी, वन विहार उनकी स्थिति क्या है। आज मालवीय नगर में सड़कें सब टूटी हुई हैं, नालियां साफ नहीं होती। सड़कों पर दो दो फीट मिट्टी है। वहां कोई पैट्रोल पम्प नहीं है, वहां कोई स्कूल नहीं है, पार्क के लिए जगह छोड़ी गई है, पार्कों का डवलपमेंट नहीं। यहां तक कि 1973 में जिन्होंने आवेदन किया था मकान के लिए, उनको आज तक मकान नहीं दिया गया। श्रीराम जी गोटेवाला मालवीयनगर में गये थे, स्वागत करवाया, माला पहनी। वहां चार सौ के करीब ठेला और व्यापार करने वाले लोग हैं। वह घोषणा करके आये कि सबको विकसित कर दिया जायेगा। दूसरे ही दिन जे. डी. ए. वाले रात को ढाई बजे अपने दल-बल के साथ पहुंचे और 5-7 थड़ियों को तोड़ दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

हम भी गये। हमने कहा कि यह क्या, आवासन मण्डल के चेयरमैन साहब माला पहनकर कहते हैं कि हम इन सबको बसा देंगे और आप कहते हो तोड़ देंगे। टूटेगी तो नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है, इसलिये टूटेगी नहीं। इसलिए माननीय सभापति महोदय,

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ : मैं यह कहना चाहूंगा कि आवासन मण्डल की जितनी भी

(श्री कालीचरण सराफ)

कोलोनियों का निर्माण किया गया है जयपुर शहर में, चाहे मालवीयनगर हो, चाहे जवाहरनगर हो, चाहे शास्त्रीनगर की कालोनी हो, चाहे और कोई कालोनी हो, वहां पर जन सुविधायें उपलब्ध कराई जावें। शहर से दूर कालोनी बसा दी, यातायात की सुविधा वहां मुहैय्या कराई जावे, सड़कें जो टूटी हुई हैं - -

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उन सड़कों को ठीक कराया जाय। मकानों में छतों से पानी टपकता है उसके बारे में भी कुछ कराया जाय तब तो इनकी वाह-वाही है नहीं तो कोई मतलब नहीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, अनआथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन आप लोग ही कराते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : एक मिनट और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां मन्त्री रामकिशनजी वर्मा - - (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, 14 सितम्बर को, एक मोडर्न पब्लिक स्कूल "सी" स्कीम में चलता है। उसको 4875 वर्गगज का एक भूखण्ड प्राधिकरण ने अलोट किया। शिक्षा विभाग ने भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए अभिशाला भी भेज दी। स्कूल के प्रबन्धकों की ओर से पेश किये गये आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद मानसरोवर योजना के सेक्टर नं. 27 में इसको भूखण्ड भी अलोट कर दिया गया। स्कूल ने नजराना राशि 3,97,100.78 निर्धारित समय में जमा भी करा दिये। इसके बाद जे.डी.ए. ने कहा कि चार दीवारी का 56 हजार रुपया लेना हम भूल गये तो उन्होंने 56 हजार रुपये भी जमा करा दिये। जब भूखण्ड का नियमितिकरण, आवंटन व कब्जापत्र ही जारी करना ही शेष था तो मन्त्रीजी ने फाइल अपने पास मंगवाली। अब क्यों मंगाई, यह मैं नहीं कहना चाहता, यह आप सब समझ गये होंगे कि क्यों मंगवाई। तीन महीने तक उस फाइल को अपने पास। जे.डी. ए. के अधिकारियों ने बार-बार कहा कि जो फाइल रोक रखी है उनको भिजवावें। (व्यवधान) मैं रामकिशनजी की बात कर रहा हूं, भूतपूर्व बोल रहा हूं पहले ही। फिर रामकिशनजी ने क्या किया कि उस फाइल को इस निर्देश के साथ कि इसका दुबारा निरीक्षण करके मुझे रिपोर्ट दी जाय और जे. डी. ए. में भेज दी। जे. डी. ए. के आयुक्त और दूसरे अधिकारी निरीक्षण करने गये, निरीक्षण करने के बाद कहा कि आवंटन सही हुआ है और वह रिपोर्ट वापिस मन्त्रीजी को भेज दी मन्त्रीजी ने आयुक्त की रिपोर्ट के बाद क्योंकि उन्होंने इस भूमि के आवंटन के लिये +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह बिलकुल गलत है....

श्री रघुनाथ परिहार : सभापति महोदय, ऐसे निराधार आरोप बिना नोटिस के लगाते हैं, कोई आधार नहीं है इस बात का अखबार में उठी बातों के आधार पर लगाते हैं....

श्री सभापति : एक्सपंज कर दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ : ... मैं मुख्य मन्त्री के आधार पर बात कर रहा हूं ....

+++अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रघुनाथ परिहार : आप उस सौदे में शामिल थे क्या ? गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं आप....

श्री कालीचरण सराफ : यह बात नहीं थी तो मन्त्रीजी अपने जबाव में बता दें कि माडर्न पब्लिक स्कूल को जब यह भूमि आवंटित कर दी गई सारी शर्तें पूरी थी ...

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं ....

श्री रघुनाथ परिहार : माननीय सदस्य सदन में नहीं है बिना नोटिस के अगर यह आरोप लगाते हैं... यह नियमों में प्रावधान है ...

श्री दिग्विजय सिंह : आप सुनो तो सही। सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है और मैं आपसे व्यवस्था भी चाहूंगा। मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष ने कहा कि साहब वह सदन में नहीं है, वह सदन के मेम्बर हैं। उनको सब राइट है, जो कोई आरोप लगे उनका वह जबाव दे दें। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फटाफट आप एक्सपंज करते हो, फटाफट डिस्पोज ऑफ करते हो, वह तो आप मुझे बता दो। हम पर आरोप लगे हैं हमको भी राइट होता है एक्सप्लेनेशन देने का। जिस पर आरोप लगा, वह सदन में आकर स्पष्टीकरण दे दें। इसमें एक्सपंज कर दिया, कौन सा अनपार्लियामेंट्री है, कौन सी ऐसी बात है और आप भी मुख्य सचेतक जी बड़े जोर से उठकर पैरवी कर रहे हो। आरोप लगा है वह जबाव दे देगें, आप काहे को + + + बता रहे हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप जो कह रहे हैं वह सही है ...

श्री रघुनाथ परिहार : सभापति महोदय,

श्री मानिक चन्द सुराना आप दूसरों की भी सुनें। पहले मैं उठा हूं आप बैठिये आप कृपया स्थान ग्रहण करें आप जो रूल कोट कर रहे है हमको जानकारी है आप एक मिनट बैठिये। सभापति जी से निवेदन करिये।

श्री रघुनाथ परिहार : मैं उनसे निवेदन यही कर रहा हूं। नियम 273 साफ है। अगर आप कोई भी आरोप लगायें तो उसके लिये नोटिस देने की व्यवस्था है और आप स्वयं जानते है कि माननीय सदस्य जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं वह सदन में उपस्थित ही नहीं हैं इसी लिये मैं निवेदन कर रहा हूं .... आप व्यवस्था दें।

श्री दिग्विजय सिंह : आप सी. पी. जोशी को तो नियम बता देते वह जब सुबह आरोप लगा रहे थे, सी. पी. जोशी को तो कह देते। बड़े उठ रहे हैं आप ....

श्रीमती उजला अरोडा : बरामदा प्रकरण भूल गये, 24 घन्टे में हम बरामदे साफ करा देगें, आज तक वह काम कर रही हैं कुछ नहीं हुआ सारे कोर्ट के आदेश आपकी जेब में रखे है कर क्या रहे हो. + + +

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, माननीय सचेतक महोदय ने अभी जो कहा है वह नियमों से आधार पर

+ + + अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(260)

(श्री मानिकचन्द सुराना)

अपनी जगह वैलिडीटी भी रखता है, मैं उनसे यह जानकारी चाहता हूं क्या आप यह चाहते है कि क्या यह आरोप जो अभी इन्होंने लगाया है यह बाकायदा रिकार्ड पर आये और बाकायदा इसका नोटिस दिया जाय। यदि आपकी यह मन्शा है तो यह भी किया जायेगा और जब ऐसा किया जायेगा तो आपके मन्त्रीजी की बड़ी मुश्किल हो जायेगी। जल्दबाजी न कीजिये, जरा रुकिये। यह जो कुछ भी बातें आ रही हैं एक मन्त्री एक फाईल को तीन महीने मंगाकर अपने पास रखता है आखिर यह जो कुछ कह रहे हैं यह शत प्रतिशत मान लीजिये गलत भी है आखिर मंत्रियों के कोई फाईल रखने का कोई कायदे कानून है कोई रूल्स आफ बिजिनेस हैं। आप किसी फाईल को रखते है जिसमें एक स्कूल को अलाटमेंट हो चुका है। आप पब्लिक मैन हैं आपके ऊपर पब्लिक कोई न कोई तो अन्दाजा लगायेगी कुछ प्रिमोनिशन्ज करेगी कुछ अन्देशे करेंगे आपका कन्डक्ट बोर्ड होना चाहिए। यह भी तो मानिये आप पब्लिक मैन है। आप का प्रत्येक व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिस पर कोई टीका टिप्पणी न हो मैं सभापति महोदय, यह निवेदन और करना चाहता हूं कि यह जो भी आरोप जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने लगाया है आज सुबह अमरूदों के बाग के ऊपर जब मैंने उनसे कहा कि जिस भूमि को हरिदेवजी जोशी ने मुख्य मंत्री की हैसियत से विपक्ष के नेता महोदय को लिख कर दिया था कि 4 बीघा दो बिस्वा भूमि अमरुदों के बाग की सरकारी भूमि है उस पर कोई आवासीय योजना स्वीकृत नहीं की जायेगी उस पर भी उन्ही माननीय मंत्री जी ने बाउन्ड्रीवाल बनाने की परमिशन कोटा की एक सहकारी समिति को दी है क्या हम यह मानें ...

श्री मदन महाराजा : सहकारी मंत्री का नाम बता दें।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या आवश्यक है, जरुरी है ? मैं जितना बोलूंगा उतना ही बोलूंगा उससे आगे नहीं बोलूंगा उससे आगे चुनौती देंगे तो रिकार्ड पर लाऊंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आखिर एक मुख्य मंत्री जो भूतपूर्व है, इस सदन के विपक्ष के नेता को एक पत्र दिया और आपका एक मंत्री उसी अमरुदों के बाग की भूमि 48 बीघा भूमि जिस भूमि का बाजार मूल्य सभापति महोदय, आज तीन हजार रुपये प्रति गज से कम नहीं है जिसमें एक बीघा में दो हजार वर्ग गज का एरिया निकलेगा और उस दो हजार वर्ग गज की कीमत 4 हजार रुपये से 80 लाख रुपये होगी। आप 48 बी. ा दो बिस्वा जमीन पर एक सहकारी समिति को बाउण्डरी वाल बनाने की परमिशन दे रहे हैं, सरकारी भूमि पर और आप यह चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई अरोप न लगे। लोग आपको ईमानदार समझें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मंत्रियों का यह व्यवहार रहेगा तो चाहे आप इस सदन में किसी बात को एक्सपंज कर दें, राजस्थान की जनता अपने आप इन बातों का निष्कर्ष निकालेगी। माननीय नगर विकास मंत्री जी नये आये हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि 48 बीघा दो बिस्वा भूमि में जो उन्होंने बाउंडरीवाल

(श्री मानिकचन्द सुराना)

बनाने की परमीशन दी है गृह निर्माण सहकारी समिति को, इस परीमिशन को आप रोकें, और, राज्य की बहुमूल्य करोड़ों रुपये की जमीन को जो अमरुदों के बाग की हैं, और जो नहर बोर्ड के बिल्कुल सामने है, आप ऐसी जमीनों की राजकीय कोष को खर्दबुर्द होने से रोके यह आपका दायित्व हैं और संविधान के तहत आपने संवैधानिक कार्य करने की जो आपने शपथ खाई है यह उसका एक आवश्यक अंग है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सचेतक महोदय से कि छोटी-छोटी बातों में अगर आप चाहते हैं कि बात लम्बी हो और उसके लम्बे निष्कर्ष निकले तो आप यह रूल 273 उठाकर हमको पढ़वा दीजिये हमें मालूम है 2730 और यदि आप इसको एक्सपंज करें तो माननीय सभापति महोदय फिर यह नोटिस के द्वारा यही मुद्दा उठाया जायेगा।

श्री रघुनाथ परिहार : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से लूणकरनसर से आने वाले माननीय सदस्य, जो वरिष्ठ सदस्य है और मंत्री भी रह चुके हैं मैं केवल इस बात के लिये याद दिलाना चाहूंगा कि जब माननीय सदस्य कालीचरण जी ने यह बात कही कि स्कूल की परीमिशन नहीं देकर के फाइल रोकी और +++ माननीय सदस्य सुराना जी इस बात से सहमत होंगे क्या माननीय सदस्य कालीचरण जी उसमें स्वयं पार्टी थे, +++ इस वजह से कह रहा हूं आप कयास को आरोप नहीं बनायें, आपका ख्याल हो सकता है आपका अन्दाजा हो सकता है, उसको आरोप का आधार बनायेंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास उसके प्रमाण हैं होने चाहिये अगर +++ प्रमाण हैं आप जरूर आरोप लगाइये (व्यवधान) माननीय सुराना जी मैंने इस लिये स्पेशल उनको कहा है जब यह बात कही है मैं केवल इसीलिये कह रहा हूं आपका ख्याल हो सकता है। आपका अन्दाजा आपका कयास, कयास को आप रिश्वत के आरोप का आधार मानते हैं तो उसके लिए आपकी बात हो सकती है, मैंने केवल इसी पाइण्ट के लिए अगर माननीय कालीचरण जी उसमें पार्टी है कि पूर्व आवासन मंत्री ने इजाजत देने के लिये +++ तो इसके लिये वह स्पैसेफिक एलीगेशन लगायें कि मैंने स्वयं ने देखा है मैं उसमें पार्टी हूं तो उसके लिये कोई आधार की बात होगी अन्यथा मैंने जो बात कही है कि नियमों में आपका अधिकार बनता है आप जो भी बात कहें, आधार के बिना पर कहें, यह मेरा आपसे निवेदन था, आप इस बात को समझें। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : विपक्ष के नेता ने कई चार्ज लगाये तब तो आपका कोई कानून 273 का नहीं था....

श्री रघुनाथ परिहार : कयास नहीं, आरोप लगाइये, परन्तु आधार होना चाहिये....

श्री दिग्विजय सिंह : .... क्योंकि आज वह मुख्य मन्त्री नहीं हैं, हरिदेव जी चले गये इस वजह से....

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मानिकचन्द सुराना : विपक्ष के नेता महोदय ने जब मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी को जब लिखित में यह लिखा पत्र में कि मुझे यह जानकारी मिली है कि अमरुदों के बाग में 30 लाख रुपये में सौदा हुआ है, उस चार्ज के ऊपर हरिदेवजी जोशी ने यह लिखा था कि यह भूमि राजकीय भूमि है इस पर किसी सहकारी समिति को आवासीय निर्माण हेतु परमिट नहीं दिया जायेगा। यह विपक्ष के नेता ने मुख्य मन्त्री को अपने पत्र में लिखा है और जब वह चार्ज था....

श्री रघुनाथ परिहार : यह उस कालोनी के स्कूल की परमीशन की बात है....

श्री मानिकचन्द सुराना : 50 हजार की बात को छोड़ो, इस तीस लाख पर आओ, 8-10 करोड़ रुपये के अमरूदों के बाग पर बाऊंडरी वाल की परमिशन आपके भूतपूर्व नगरीय विकास मन्त्री ने दी उस पर आप आइये।....

श्री रघुनाथ परिहार :.... आप माननीय सराफ जी से पूछिए वह क्या कह रहे थे....

श्री मानिकचन्द सुराना : आप 50 हजार से कन्फ्यूज्ड न होइये 10 करोड़ रुपये की जमीन की भी हमको रक्षा करनी है। आपने भी संविधान की शपथ ली है आपके भी वह भूतपूर्व मुख्य मन्त्री थे उन्होंने खुद ने इस 30 लाख के चार्ज पर जवाब दिया है और आपके भूतपूर्व मन्त्री जी ने बाऊंडरी वाल की परमिशन दी है आपका दिमाग क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है।

श्री रघुनाथ परिहार : मैंने इसके लिये नहीं कहा था। माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उसके लिये कहा है।

श्री मानिकचन्द सुराना : इसलिये निवेदन करना है कि आप किस को डिफेन्ड कर रहे हैं। जरा सोच समझ कर करो। क्या उनके दूसरे एक्शन भी अनडिफेन्सेबुल तो नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने एक बात कही और उसको एक्सपंज कर दिया। इस सदन में माननीय रामनिवास जी मिर्धा माननीय रामकिशोर जी व्यास द्वारा दी हुई कई व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको कई उदाहरण देता हूं जिसमें बिना किसी नोटिस दिये चार्ज लगे और इसी सदन में उनको स्तीफा देना पड़ा। माननीय रामनिवासजी मिर्धा ने व्यवस्था दी थी कि चार्ज लगाने के लिए लिखित में नोटिस दिया जाना चाहिये। उन्होंने यह व्यवस्था भी दी कि पासिंग रेफरेन्स दिया जा सकता है। इसके लिये कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है। उस समय भीलवाड़ा की एक जमीन का चार्ज श्री शिवचरणजी माथुर, जो आज मुख्य मंत्री हैं, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने लगाया था और इस बिना नोटिस दिये हुए चार्ज के कारण उन्हें इसी विधान सभा में स्तीफा देना पड़ा था। यहां पर इस सदन में बहुत से चार्ज इस प्रकार के लगाये गये हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारा किसी का चरित्र हनन का काम नहीं है। यह लगते हैं, क्योंकि जनता की यह जमीन है, चाहे वह अमरूदों का बाग है, चाहे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बलदेव प्लाजा की जमीन हो, ये जमीनें जो जनता की पब्लिक मनी है उसको आप अपने घर का माल समझकर लुटायेंगे तो उस समय चार्ज लगेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। चार्ज नहीं लगायेंगे तो उसको लूटने भी नहीं देंगे। आपको एक्सपंज भी नहीं करने देंगे। आप एक्सपंज करेंगे तो हम हमारी जिम्मेदारी समझ कर चार्ज लगायेंगे कि चार-चार, पांच-पांच, छः-छः महिने तक जे. डी. ए. की एक-एक फाइल पर कुन्डली बन कर बैठ जायें। मैं चाहता हूं कि इस बात की जांच हो कि श्री राम किशन जी वर्मा ने जब तक वे मिनिस्टर रहे, उनके पास कितनी पत्रावलियां जे. डी. ए. की गई, कितनी फाइलों पर उन्होंने कब्जा कर रखा और कितनी बार पार्टियो को घर-घर से बुलाया। अगर नोटिस देना पड़ा तो देंगे। इससे आपके मिनिस्टर सेम्सर होंगे और स्तीफा देकर घर जाना पड़ेगा। पिछली बार 12 मंत्रियों पर नोटिस देकर चार्ज लगाया था। उन सब की टिकिट कट गई थी। इन श्री राम किशन जी का टिकट कटवाना चाहते हैं तो चार्ज लगवाओ। हम नोटिस देकर चार्ज लगायेंगे तो टिकिट कट जायेगी। श्री प्रद्युम्न सिंह श्री राम गोटेवाला, श्री देवेन्द्र सिंह, आपकी जगह पर बैठे श्री खेतसिंह जी राठौड़ पर हमने नोटिस देकर चार्ज लगाया था तो उनका पत्ता साफ हो गया। किन मंत्रियों का पत्ता सफा करवाना चाहने हो नाम बता दो, लिस्ट भेज दो। नोटिस देकर चार्ज लगा देंगे। अरे छालना बोले सो बोले चलनी भी बोलने लग गई जिसके सौ-सौ छेद होते हैं। तुम्हारा तो पिन्डा ही फूटा हुआ है। फिर कहते हो नोटिस दो।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय मैंने जो यह आरोप लगाया है +++ वह बिना आधार के नहीं लगाया है। जब प्रबन्धक ने नजराना राशि जमा करा दी...

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ : इतना ही नहीं सभापति महोदय मंत्री जी के भूखण्ड आवंटन रद्द करने के आदेश के बाद जे. डी. ए. के सेक्रेटरी श्रीमती पाण्डे ने नगरीय विकास आयुक्त श्री भण्डारी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि अब इसे पढ़ने से सिद्ध हो जायेगा कि उन्होंने पैसे मांगे या नहीं। उन्होंने लिखा कि भूखण्ड आवंटन राजस्थान भूमि निस्तारण नियम...

श्री सभापति : आप इसे न पढ़ें।

श्री कालीचरण सराफ :...1974 के अन्तर्गत अनुमोदित हुआ है। इन नियमों के अनुसार किया गया आवंटन रद्द किया जाना तभी सम्भव हो सकता है जब आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो आवंटित भूखण्ड का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिये आवंटन की तिथि से दो साल में आवंटी द्वारा नहीं किया गया हो। सेक्रेटरी साहब ने लिखा है आयुक्त महोदय को यह आवंटन रद्द नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने किस आधार पर इस भूखण्ड को रद्द करने के आदेश दिये। यदि उनका दामन पाक है तो

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री कालीचरण सराफ)

मंत्रीजी जवाब दें कि किस प्रकार से इस भूखण्ड आवंटन को रद्द करने के आदेश दिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : सभापति महोदय, मकराना की हालत का बयान करने से पहले मेरी यह गुजारिश है कि सफाई का काम जो हम देखते थे पहले के समय में एक पद्धति थी कि कोई आदमी पूजा का काम करता है, कोई सुरक्षा का काम करता है, कोई तिजारत का काम करता है, इस तरह से समाज का बंटवारा था। आज हमने आजादी के 40 साल बाद भी हरिजन को केवल सफाई का काम दे रखा है। एक समाज बनाकर छोड़ दिया जिसका दायित्व यह है कि वह सफाई का काम करें। इसलिए मैं पूरे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। यह जो हमारे देश में तरीका है कि पर्टीकूलर कम्यूनिटी को क्रियेट करके उससे यह काम लिया जाये। मैं विदेशों में गया हूं। वहां सफाई का काम क्वालिफाइड लोग करते हैं, उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है। उनका एक पेटर्न है, एक स्टेण्डर्ड है। वहां सफाई की मशीन है। एक तरीका है। सारी बाते हैं। परन्तु यहां जो आपने यह कन्वेन्शन बना दिया, कस्टम बना दिया कि सफाई का काम हरिजन करेंगे। कब तक इस देश से हम इस दाग को धोयेंगे। बाइज्जत तरीके से सफाई के कर्मचारी देश में नहीं बन जायें इसके लिए हमारे पास क्या योजना है। क्या हम इस ओर ध्यान देंगे या इस तबके को इस गिरावट से उठा कर लायेंगे जो सफाई कर्मचारी के नाम से जाने जायेंगे? यह न हो कि वे शिड्यूल्ड् कास्ट और कमजोर तबके के नाम से जाने जायें। इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हर जगह हम यह चीज महसूस करते हैं।

सभापति महोदय, मकराना तकरीबन 70 हजार की आबादी का शहर है। तिजारत वहां संगमरमर की है जिससे राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को 10 लाख रु. की आमदनी है लेकिन आप जब शहर में दाखिल होते है, तो मैं वहां का नुमाइन्दा होने के नाते मुझे शर्म सी आती है। मैं वहां से चुना गया। बार-बार चुना गया। ठीक है वहां के लोगों की आमदनी अच्छी है परन्तु सरकार का दायित्व है, कम से कम जो लोगों के सिविल राइटस् हैं, अधिकार हैं ठीक से सांस लेने का, स्वस्थ जीने का, उसमें सरकार बराये मेहरबानी गौर करे। इतना इण्डस्ट्रियली बढ़ता हुआ शहर है उससे सरकार को आमदनी होती है माइन्स से तो इस शहर की तरफ निगाहें करम रखें। इसके लिये कुछ पैसा मुकर्रर करें। वहां के मजदूर और रहने वाले लोगों के लिये सड़क ठीक से बने। मैं बयान करूं तो मेरे को शोभा नहीं देता कि सरकार की कोई बात कहूं। लेकिन मुझे अहसास है। आप भी इस बात को महसूस करें। मैं यह चाहता हूं कि वह अच्छा स्वच्छ नगर बने। जो अनऑथोराइज्ड मकान बना लेते हैं काश्त की जमीन पर, उसका कुछ भी सिस्टम नहीं है और माइन्स करीब-करीब शहर और इण्डस्ट्री के बीच में है। कोई उसका दायित्व नहीं लेता है और मकान ठीक माइन्स के ऊपर बना लेते हैं। आज खनिज विभाग से सम्बन्धित एक प्रश्न का उत्तर मिला जिसमें यह बताया

(श्री अब्दुल अजीज)

है कि यह काम सरकार ने नगरपालिका को दे दिया है कि वह अनआँथोराइज्ड पजेशन तोड़ दे। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो माइनिंग बेल्ट है वह नगरपालिका के अधिकार में है तो तत्काल ऐसे पजेशन को तोड़ दें। एक तो वे अनसेफ हैं मकान का बन जाना, दूसरा जो हमारी खनिज धरोधर है उसको लोग दबा कर बैठ जायेंगे तो रॉमिटेरियल नहीं मिलेगा तो आगे हमारा फ्यूचर डार्क हो जायेगा। इसलिए इस अनआँथोराइज्ड पजेशन को देखा जाये। आदमी दुकान बनाने के लालच में, चंद मकान बनाने के लालच में, इस तरह के माईन्स बेल्ट को दबा कर बैठ जायें इसको नगरपालिका देखें।

मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि 50,000 लोगों के बैठने के लिए नगरपालिका ने एक स्टेडियम हमारे यहां बनाया है परन्तु वह पूरा नहीं बना है। मकराना के लोगों ने 5 लाख का मार्बल उसमें लगाया है। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि उसके मुकम्मिल होने के लिये कई काम बाकी है मैं निवेदन करता हूं अगर ट्यूब वैल हो जाय तो वे अपने आराम के समय में इनडोर गेम्स के लिये निकल सकेंगे। कुछ न कुछ लेबर जो वहां की है वह आराम कर सकेगी अपने फारिग वक्त पर और यह महसूस करेगी कि यह इनडोर गेम्स वगैरह का है। इसी तरह से आपने कब्रिस्तान से होता हुआ एक नाला बनाया है। आधा वह मुकम्मिल करीब हो चुका है। उसको पूरा कराया जाय और शहर से कम से कम एक किलोमीटर दूर रखा जाय अदरवाइज क्या होगा कि वह अगर परकूलेट हो करके कहीं पानी जमा हो गया तो सभापति महोदय, वह पानी हमारी माइन्स में परकूलेट करके आयेगा तो फिर वह पानी की भी एक समस्या बनती है। इसलिये उसको काफी दूर तक छोड़ा जाय और इसमें जो खर्चा आये चाहे हमें उसका एडीशनल भुगतान करना पड़े या खनिज विभाग से सम्पर्क करके कुछ राशि बढ़ाये। यह सब काम कोऑर्डिनेशन का है।

मैं माननीय सी. पी. जोशी साहब के उस विचारों से सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि बिजली, सड़क विभाग है और उनके ए. इ एन. हैं वे अपने दायित्व को नहीं संभालते हैं। यह बिल्कुल हकीकत है। कई बार मैंने इस बात को देखा है कि वह लाइन स्टाप लोकल बाडीज वालों को देते हैं वे अपना दायित्व ठीक से नहीं निभाते और वे पेरेन्टियल डिपार्टमेंट अपना आर. एस. ई. बी को समझते हैं, तो कम से कम सभापति महोदय, वह अपनी जिम्मेदारियों को तो निभायें और कम से कम यह बाइन्डिंग तो हो कि नगरपालिका स्तर पर जो प्रशासक होगा वह इनकी मीटिंग हफ्तेवार या 15 रोज या एक महीने में एक बार बुलाये और उनको बाइन्डिंग होगी मीटिंग करना तमाम कामों के लिये चाहे पी. डब्ल्यू. डी. का हो या ....

(समय समाप्ति सूचक-घन्टी)

सभापति महोदय, मैं तो कम समय लेता हूं। आप घन्टी बजाकर क्यों मुझे .... सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन यह है कि वहां जमीनों पर मकान बनाये हैं, काश्त की जमीनों पर लोगों ने अनआँथोराइज्ड तो उसका निराकरण इसलिये करना जरूरी है कि सारे मकराने के लोग मालदार नहीं

(श्री अब्दुल अजीज)

हैं उसमें गरीब तबका भी बहुत है। उन्होंने जैसे तैसे करके मकान बनाये है तो वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और आपका विभाग मिल करके रेट निर्धारित करके इनको भी मुकम्मिल कराये ताकि लोगों को पट्टा मिले क्योंकि उनको बिजली और पानी की व्यवस्था देने से वंचित कर रखा हैं। मेरा अनुरोध है और सुझाव है कि इस सम्बन्ध में नगरपालिका और रेवेन्यू बोर्ड मिल करके उसको पट्टा देने का काम पूरा करे। वह टाइटिल होल्डर हो और बिजली पानी की जो जरुरी व्यवस्था है, उसमें भागीदार बने। मेरा एक और निवेदन है यहां मुख्य सड़क शहर की स्टेशन रोड़ से बाजार तक जाती है और यह दो मस्जिदों के बीच से होती हुई गुजरती है। वह एक बहुत अहम रोड है। उसको आप बराये मेहरबानी अपने अधिकारियों को कहे कि वह तत्तकाल बने। तो मैं समझता हूं शहर की जो कच्ची पक्की सड़के हैं उनकी मरम्मत भी हो और वह काम भी पूरा हो। वैसे नगरपालिका की आमदनी हमारी मारवल पर तो है नहीं और जो कुछ होनी है वह बहुत कम है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस पर विशेष कोई राशि .... (व्यवधान) सभापति महोदय, एक मेरा अन्तिम निवेदन है कि सीवरेज के लिये कम से कम 50 लाख रुपये की राशि आप मुकर्रर नहीं करेंगे तो गटर लाइन नहीं बन पायेगी। क्योंकि पुरानी 20 साल पहले की नालियां बनी हुई हैं और अब आबादी बढ़ गई। पानी की उपयोगिता बिना वह पानी बाहर बहता है। इसलिये उस पर भी पुनर्विचार करें।

श्री सभापति : स्वायत शासन एवं नगर आयोजना मन्त्री श्री गुलाब सिंह शक्तावत।

श्री अमर चन्द : दो मिनिट बोलूंगा।

श्री सभापति : नहीं। सूची में आपका नाम नहीं। आई विल नाट अलाऊ। आपका नाम नहीं है (व्यवधान) .... सचेतक महोदय से बात करें नगर आयोजना मन्त्री जी।

श्री अमर चन्द : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 20 और 29 . .

श्री सभापति : नहीं, आपका नाम नहीं है सूची में। नहीं है। अलाऊ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं करें।

श्री अमर चन्द : × × ×

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है माननीय सदस्य बैठें। अंकित नहीं करें।

श्री अमर चन्द : × × ×

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (नगर-आयोजनामन्त्री) : सभापति जी आज सदन में मांग सं. 20 एवं मांग संख्या 29 के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार का ध्यान विभिन्न समस्याओं की ओर आकर्षित किया और कई माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये वह इस सदन में तो अपने विचार नहीं रख पाये। जिन्होंने अपने विचार रखे और उन्होंने जो मुद्दे उठाये उसके सम्बन्ध

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

में मैं निवेदन करना चाहूंगा .... (व्यवधान) बात यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे को कह दिया चोर सीधा ही।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने नहीं कहा। ऐसी कहावत है कि हम पहले ही ऐसी शंका करके बैठ जाते है तो ऐसी शंका करने की आवश्यकता क्या है।

श्री यदुनाथ सिंह : भारत के किसी शहर में मेरी तो जमीन भी नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपको मकान भी नहीं चाहिये, जमीन भी नहीं चाहिये तो फिर क्या। सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूंगा विशेषकर शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी आवास नीति के सम्बन्ध में। लूणकरनसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जब वे अपने विचार रख रहे थे तो उन्होंने कहा सरकार की आवास नीति क्या है। हमारी आवास नीति स्पष्ट है कि समाज में जो कमजोर तबके के लोग है, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर व्यक्ति है, जो मिड्ल इन्कम ग्रुप के लोग है उनको हम मकान बना करके उनको सुविधायें उपलब्ध करायें। इस दृष्टि से राजस्थान में आवासन मण्डल का गठन किया गया और आवासन मण्डल ने अपने कार्यकाल में जो 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहर है उसमें रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। वर्ष 1988–89 तक मण्डल के सामने एक लाख 59 हजार 670 आवेदकों ने अपने आवेदन किये। इसमें से 37 शहरों में आवासन मण्डल ने 96 हजार 221 मकानों का निर्माण कार्य हाथ में लिया और उसमें 83 हजार 20 मकान विभिन्न श्रेणी के आवेदकों को हम आवंटित कर चुके है। आवंटित मकानों में 69.85 पर्सेन्ट मकान आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग को आवंटित किये गये है। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि कमजोर वर्ग के मकानों को कम आवंटित किया है। मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि 69.88 पर्सेन्ट आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लोगों को हमने मकान आवंटित किये हैं। शेष जो हमारे 13232 मकान हैं, यह मकान शीघ्र ही पूरे हो जायेंगे जिनको हम आवंटित कर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कम आय वर्ग है या कमजोर वर्ग है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इकानामिकल वीकर सेक्शन। ई. एस. डब्ल्यू.। मिडिल इन्कम ग्रुप और ई. एस. डब्ल्यू.। यहां इस बात का भी उल्लेख किया गया कि 1973 तक जो रजिस्ट्रेशन शुदा लोग हैं उनको मकानों का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है। मैंने जानकारी की है और मुझे जानकारी मिली है कि 1973 तक के रजिस्ट्रेशन के सभी व्यक्तियों को मकान आवंटित कर दिये गये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह गलत है, मैंने आपको आंकड़े दिये हैं उनको आवंटन नहीं हुआ है।

श्री कालीचरण सराफ : चुनौती देता हूं, मिडल इन्कम ग्रुप के लोग है, 983 लोग आज भी बाकी हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य सुनें। कृपया सुनें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं, सभापति महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय सदस्यों को अगर कोई मेरे उत्तर में शंका है तो उन्हें अधिकार हैं वे बाद में मुझ से पूछ लें, बीच बीच में कह पूछते रहेंगे तो लम्बा समय भी लगेगा और उसका सही मायने में समाधान भी नहीं हो सकेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मांग पास करो और घर चले जायेंगे आप। फिर कब पूछ सकेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया सुनें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज तक नहीं हुआ 1973 तक के लोगों को।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने जैसा निवेदन किया 1973 तक के रजिस्ट्रेशन के सभी लोगों को मकान आवंटित कर दिये गये हैं, यदि आप ऐसी कोई सूची मुझे देगें कि 1973 तक के रजिस्ट्रेशन के व्यक्ति को मकान का आवंटन पत्र नहीं मिला है या कब्जा नहीं मिला है तो मैं उसकी जांच करा लूंगा और मुझे सूचना मिली है अगर गलत सूचना दी गई है। तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकूंगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बीच में खड़े हो रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : यह जवाब में स्वीकार किया है सुजानसिंहजी ने जो पिछली बार मन्त्री थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कृपया बोले। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर कोई कैटेगिरी चेंज करता है ई. एस. डब्ल्यु. से एम. आई. डब्ल्यू., एम. आई. डब्ल्यू. से एच. आई. डब्ल्यू, उसकी वजह से कोई नहीं मिल सके तो यह एक दूसरा प्रश्न है लेकिन जिस तरह से रजिस्ट्रेशन जिस कैटेगिरी में कराये गये हैं उन सबको मकान आवंटित कर दिये गये हैं। मैंने तो जो प्रश्न उठा था उसका जवाब आपको निवेदन किया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : वह भी गलत है जवाब।

श्री सभापति : सुनें आप। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दरअसल मैं तो आपने तो ना करने का एक पाठ पढ़ लिया है तो ना ना करते रहेंगे और ना करने के सिवाय आप कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं तो ना करते रहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : और आप हां करते रहिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं तो हां नहीं करता, जो तथ्य है वह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, अगर कोई जिद्द पर आ जाय तो दूध को काला कहने लगे शंका रखने की तरह दूध काला ही कहेगा ना, सफेद नहीं मानेगा। क्या करें, मजबूरी है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं यह मानता हूं कि जिस गति से मकान बनाये

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

जाने का कार्यक्रम आवासन मण्डल ने हाथ में लिया है वह निश्चित रूप से हमारी गति धीमी रही है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अब हमने प्रयास किये हैं कि हम इस गति को आगे बढ़ायें और जैसा कई माननीय सदस्यों ने शंका व्यक्त की है कि इस वर्ष हम 40 हजार मकान बना कर देना चाहते हैं, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने शंका व्यक्त की है 40 हजार मकान के लिये जो धन राशि की आवश्यकता होगी वह कहां से होगी, इसके लिये जो भूमि की आवश्यकता होगी वह कहां से होगी। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष 40 हजार मकान के लिये पूंजी की व्यवस्था और भूमि की व्यवस्था कर ली गई है और यह मकान समय पर बना कर देने के कार्यक्रम को निश्चित रूप से समय पर पूरा कर सकेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस साल में 40 हजार मकान भी बन जायेंगे, मैंने तो आपके सामने वह तथ्य प्रस्तुत किये हैं जो पैसा आपको कहीं से मिल नहीं सकता। हुडको देता नहीं, बैंकों से आपको इतना मिलेगा नहीं और आप उसी गलत बात को फिर से दोहरा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य सुनें। आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : कुछ आपके पास भी रहने दो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या रहने दो, गलत बात है।

श्री सी. पी. जोशी : आपको विश्वास नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कायका विश्वास, रटे रटाये कागज पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जमीन का कोई सतूना नहीं और 40 हजार मकान दे देंगे। कहां से दे देंगे। आदमी को शंका नहीं होती ?

श्री रामलाल सोलंकी : आप शंका कर रहे हो, शंका मत करो। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : न मक्खन की जरूरत है और न मक्खन खाता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या खाते हो वह बताओ आप। यह आपके बदन का क्या रहस्य है, यह मुझे बताओ आप ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह तो दाऊदयाल जी से पूछ लीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो च्यवनप्राश खाते हैं।

श्री प्रभूलाल मीणा : खाते हैं, पर लगाते हैं मक्खन।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। मंत्री महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यहां इस बात का जिक्र किया गया कि आवासन मंडल द्वारा जो कालोनी विकसित की जाती

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

हैं या बनाई जाती हैं उसमें सिविक एमेनिटीज है उसकी कमी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, सफ़ाई की व्यवस्था नहीं है, पार्क नहीं बने हैं या बने हैं तो उनको ठीक ढंग से मेनटेन नहीं किया जा रहा है। कालीचरण जी साहब आप ही को बोलना है तो आप बोलते रहिये, फिर मुझे थोड़ी इजाजत दीजिये, मैं बैठ जाता हूं।

श्री कालीचरण सराफ : मैं तो बोला ही नहीं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सुनने का कष्ट करें तकलीफ तो आपको होगी लेकिन सुनिये तो सही।

जो कालोनियां आवासन मंडल द्वारा बनायी जाती हैं और जब तक कोई नगरपालिका को स्थानान्तरित नहीं की जाती है उसमें सारी की सारी सिविक एनेमिटीज देने का काम आवासन मंडल का है और आवासन मंडल इस काम को कर रहा है चाहे वह मालवीया नगर हो या चाहे और कोई स्थान हो जिसका कि उल्लेख आपने अभी किया। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी है तो मैं निश्चित रूप से इस बात की व्यवस्था करूंगा, जब तक यह कालोनियां विधिवत् तरीके से नगरपरिषद् को स्थानान्तरित न कर दी जायं तब तक उसकी व्यवस्था आवासन मंडल करता रहेगा।

आपने यहां इस बात का भी उल्लेख किया कि हाउस टैक्स नगर परिषद् वसूल करती है। जब हाउस टैक्स नगर परिषद् वसूल करती है तो उनको सिविक एनेमिटीज देने की जिम्मेदारी भी नगर परिषद् की होनी चाहिये। मैं मानता हूं, अगर नगर परिषद् हाउस टैक्स वसूल करती है तो हमारा दायित्व हो जाता है कि उस क्षेत्र के लोगों को सारी की सारी सिविक एनेमिटीज समय पर उपलब्ध करायें। यह हमारा निश्चित रूप से मत हैं और इसको हम पूरा करेंगे। यहां पर यह कहा गया कि...

श्री सम्पत सिंह : अब दो टप्पे में खतम करो, हम देखेंगे, हमें देखना है।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : देखेंगे और देखने की बात मैं नहीं करता। मकानों के आवंटन के लिये यह कहा गया, मंत्री इच्छा के आधार पर आवंटन कर दिये जाते हैं। आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि एक परसेन्ट कोटा मिनिस्टर के डिस्पोजल पर है...

श्री सी. पी. जोशी : आपने जनता पार्टी के राज में लिया और अब बंद करो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कानूनन अधिकार है मंत्री को एक प्रतिशत मकान कोटे में आउट आफ टर्न...

श्री दाऊदयाल जोशी : 15 लाख का 5 लाख में कैसे दे दिया वह भी सचिव को क्या इसकी जांच करेंगे आप? कम से कम 250 मकान दिये गये हैं। प्रतिशत के आधार पर...(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं समझता हूं कानून संगत किसी अधिकार का प्रयोग

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

कोई मंत्री करता है तो गुनाह नहीं करता। अपने अधिकारों के प्रयोग के तहत, एक पर्सेण्ट कोटे के तहत जो आवंटन करने का अधिकार है, उसके तहत किया गया है।... (व्यवधान) मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा इसका विवेचन करने का अधिकार जब अगली असेंबली आएगी तब आपको मिल जाएगा। आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं। इसमें घबराने की आवश्यकता क्या है।....(व्यवधान) आप बीच-बीच में बोलते रहते हैं, सुनना चाहते नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो जम कर बोलो, साहब।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जम कर बोलें कैसे। यहां पर सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि जो मेलेन्ट्री अवार्ड्स हैं उनके लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में उनको प्रायोरिटी पर आवंटन नहीं किया जाता है। मुझे नियमों में जानकारी दी गई है कि ऐसे लोग जिनको मेलेन्ट्री अवार्ड प्राप्त हुआ है उनका आधा प्रतिशत कोटा रिजर्व है जिसके अन्तर्गत उनको मकान निश्चित रूप से दिये जा सकेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक सैनिक जगह है उसको निरस्त कर दिया गया उन्होंने मुझे नियमों की कापी दी, मैं आपको दे दूंगी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यहां सीड मनी के बारे में भी जिक्र किया गया कि सीड मनी ले ली जाती है। अभी जो आवासन मण्डल को धनराशि मिलती है मकान बनाने की यह हम हुडको से प्राप्त करते हैं उसका नियम यह है कि ई. डब्लू. एस. के लिए 90 प्रतिशत, एल. आई. जी. के लिए, 85 प्रतिशत और एम. आई. जी. के लिए 75 प्रतिशत और एच. आई. जी. के लिए 60 प्रतिशत मिलती है।...विधायकों के लिए भी अभी निवेदन कर रहा हूं। बाकी मनी की आवासन मण्डल को अपनी तरफ से व्यवस्था करनी पड़ती है इसलिए सीड मनी के रूप में हम रुपया लेते हैं ताकि इन मकानों को हम समय पर बना करके पूरा कर सके। अभी आपने विधायकों के लिए कहा। विधायको के लिये भी मकान बना रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष के अन्त तक जिन विधायकों के प्रार्थना पत्र हमारे पास विचाराधीन हैं उन सब को हम आवंटित कर देंगे।

श्री प्रणवीर व्यास : विधायकों के लिये आपने कहा। मैं आपसे एक जानकारी चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर अर्जुन अवार्ड और ओलम्पिक गये हुए राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिये आवासन मण्डल की तरफ से मकान अलोट करने का या उनकी स्पेशल तौर पर देने का कोई प्रावधान है? और अगर नहीं हैं तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे?

श्री प्रभुलाल मीणा : मंत्री महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के विधायकों को सब्सिडी देंगे या नहीं?

श्री यदुनाथ सिंह : विधायक चुन कर आ जायेंगे तो सरकारी मकान मिल जायगा नहीं आएंगे तो अपने घर रहो। विधायकों के लिए आपने कर क्यों रखा है।

श्री सम्पत सिंह : विधायक से बढ़िया कौन खिलाड़ी माना जा रहा है, आज की दुनिया में सबसे बढ़िया खिलाड़ी तो विधायक ही है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मकानों का जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तब एक कीमत आंकी जाती है और उसके बाद जब मकान आवंटित किये जाते हैं तो उनकी कीमत दूसरी हो जाती है, उसमें फर्क पड़ जाता है। यह बात सही है जब रजिस्ट्रेशन करते है तो बाजार भाव के आधार पर कीमत आंकी जाती है लेकिन धीरे धीरे प्राइस एस्कलेशन हो जाने की वजह से प्राइस में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है।

श्री सी. पी. जोशी : जब सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नियम बना दिया तो आपकी ड्यूटी है कि उपभोक्ता संरक्षण के नाते जिस कीमत में मकान का रजिस्ट्रेशन किया उसी कीमत में मकान दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपका प्रश्न वाजिब है लेकिन...

श्री सम्पत सिंह : चीट मी इन प्राइस, नाट इन क्वालिटी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : साइज कम कर रहे हैं और मकान की कीमत बढ़ा रहे है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसमें कंडीशन डाली हुई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अभी यह कण्डिशन डाली हुई नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें सही बात यह है कि जब ठेकेदार को ठेका देते हैं तो 1.50 लाख के मकान का उतना ही देते हैं, उसको आप ज्यादा देते नहीं हो और उपभोक्ता से कीमत ज्यादा लेते हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह आप रटा रटाया प्रगति विवरण पढ़ रहे हो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं प्रगति विवरण नहीं पढ़ रहा हूं। मैं तो जो आपने जो तथ्य रखे है उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्री जी, कोई बात आप जमा नही पाये। हाउसिंग बोर्ड की जो आप मदद कर रहे हो यह कह करके, यह बात सारी गलत है (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आवासन मण्डल द्वारा बनाये गये मकानों की परिधि और कोटा में आवंटन नही होने के बारे में भी जिक्र किया गया। ...

श्री दिग्विजय सिंह : आवासन मण्डल द्वारा जो मकान बनाये जाते हैं उनका कुन्दा हाथ में आ जाता है। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय शिवचरण जी माथुर ने, जो बातें हाउसिंग बोर्ड की हमने कही हैं उनसे ज्यादा तो उन्होंने खुद ने कही है

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आवासन मण्डल में मकानों के बनाने की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शिव चरण जी माथुर ने बैंक को किराये पर दे, दिया, जो गैर कानूनी है। खाली कराओ आप उनसे, जो मकान मानसरोवर में है।

श्री नवरंग सिंह : एक तो मंत्री महोदय विधायकों को 10 प्रतिशत देने का जो कोटा हैं उस कोटे को समाप्त कर दें।... (व्यवधान)

श्री अमरचन्द : माननीय सदस्य विधान सभा के लम्बे समय से सदस्य रहते हुए आये हैं उनको कम से कम इतना, तो धैर्य रखना चाहिए कि कम से कम जवाब सुन लें सुनने के बाद नोट करलें कि यह-यह प्रश्न मुझे पूछना है। तब तो कोई बात आ सकती है और यह अगर सुनना ही नहीं चाहते तो फिर किसको सुनायें, आप तो मांगें पास करा दो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं आवासन मण्डल के बाद अब दूसरे विषय पर आता हूं। नगरपालिका के चुनाव के बारे में यहां जोरों से चर्चा की गई। कहीं 15 साल से, कहीं 17 साल से चुनाव नहीं होने का आपने जिक्र किया और यह मांग की कि नगरपालिकाओं के चुनाव होने चाहिए। राज्य सरकार की मन्शा चुनाव कराने की थी और आज भी है लेकिन मतदाता की आयु सीमा में कमी कर जो 21 साल से 18 साल कर दी गई उसकी वजह से हमें मतदाता सूची में संशोधन करना पड़ा जिसकी वजह से उसमें समय लग गया और उस वक्त यह चुनाव नहीं हो सके। इसी प्रकार जो नगरपालिकाओं में उस वक्त वार्ड का विभाजन किया गया था। वहां मतदाता कहीं ज्यादा जुड़े, कहीं कम जुड़े इसकी वजह से वार्डों में भी मतदाता सूची में बैलेंस नहीं रहा। इस दृष्टि से इसमें समय लग गया। अभी भी राज्य सरकार का इरादा है कि चुनाव करवाये जायं। लेकिन जैसा आपको मालूम है हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में पूरे देश में एक वातावरण बना करके अधिकारियों से लेकर के, जनप्रतिनिधियों से लेकर के एक संविधान संशोधन पेश किया।

श्री नवरंग सिंह : वातावरण तो वोट लेने के लिए बना रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : खैर, आप उसको वोट की बात कहिये लेकिन मैं वास्तविकता कहना चाहता हूं जिसको आप सुनियेगा। इसी तरह से आज देश में चर्चा चल रही है कि नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाय, नगर पालिकाओं के चुनाव समय पर कैसे कराये जाय, नगर पालिकाओं में महिलाओं को क्या प्रतिनिधित्व दिया जाय, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों का कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिये साथ ही चुनाव, चुनाव आयोग द्वारा कराये जाने चाहिये या राजस्थान में जो चुनाव की मशीनरी है उसके माध्यम से कराये जाने चाहिये। यह विचार चल रहा है और नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दृष्टि से एक कमीशन बैठाने की बात का भी जिक्र किया गया। यह चर्चा पहले अलग-अलग स्थानों पर हुई फिर सारे देश के नगर विकास के मंत्रियों के साथ चर्चा हुई, अभी 7 तारीख को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ उसमें विचार चला। जो प्रारूप है

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

हमारे सामने उसके हिसाब से नगर पालिकाओं में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं की रिजर्व करने की है, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की सीटें रिजर्व करने की है।

चुनाव जो हमारे राजस्थान का कानून है उसमें तीन साल की अवधि है उसको पांच साल करने की अवधि उसमें निश्चित की जा रही है और ऐसा निश्चित मत बना है कि यह अमेण्डमेण्ट जो लोकसभा का अगला अधिवेशन 18 जुलाई से शुरू होने वाला है उसमें पास किया जायेगा। यदि कुछ कारणों से, यदि कोई दिक्कतें पैदा हो गई या और कोई कानूनी अड़चने पैदा हो गयी तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में हमको विचार करना होगा और विचार करके ही निर्णय लेना होगा कि हम पंचायत के चुनाव कब कराये और कब नहीं कराये।....

श्रीमती उजला अरोड़ा : पंचायतों के तो हो गये, पांच साल कोई नहीं करा सकता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप यह कहियेगा कि हम पंचायतों के चुनाव नहीं करायेंगे। यह बहाने आप कांहे को ले रहे हैं। आप तो कहिये कि चुनाव करायेंगे ही नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : इसलिए नहीं करायेंगे कि जहां जहां नगरपालिकाओं के चुनाव हुए वहां आपको....

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये पंचायत के चुनाव कैसे करायेंगे, पांच साल तो कर ही नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कहां पर हम आ जायेंगे। जहां-जहां पर आपने चुनाव करायें हैं वहां हम आये हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : जहां-जहां चुनाव हुए हैं आप बुरी तरह से हारे हैं इसलिए नहीं करा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चुन कर आ गये हैं। कैसे नहीं करायेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा नगर परिषद के चुनाव भी आप अगस्त में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं करायेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय दाऊदयालजी आप बैठें। हमारा दल चुनाव से घबराता नहीं है। हमने पंचायतों के चुनाव करवाये और यह साबित कर दिया कि जनता का विश्वास हमारे साथ है। हमने चार नगर परिषदों के चुनाव करवायें, ब्यावर, चूरू, गंगानगर, और पाली। जनता ने बहुमत हमारे साथ रखा और हमें बहुमत से बैठा करके सत्ता सौंपी। (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : ब्यावर में तो हमने टिकट दिये हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आप पार्टी के चुनाव चिन्ह से नहीं लड़े थे, आपका कोई चुनाव चिन्ह नहीं था। चुनाव चिन्ह से लड़ते आप।

श्री माणक डाणी : हीरासिंहजी ब्यावर में टिकट दिये हैं।... (व्यवधान) लाखों

(श्री माणक डाणी)

रुपये खर्च करने के बावजूद भी... (व्यवधान) लाखों रुपये खर्च किये आपने फिर भी हमने इनको हरा दिया। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्रीजी आप अपने स्टेटमेण्ट को ठीक कर लो। गंगानगर में आपका नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : गंगानगर में आपका नहीं मगर जनता दल का है या किसी का हो परन्तु आपका नहीं है।

श्री नवरंग सिंह : सभापति महोदय, गंगानगर में तो जनता दल का है।

श्री मानिक चन्द सुराना . गंगानगर में तो चेयरमैन जनता पार्टी का है।

श्री माणक डाणी : गंगानगर नहीं लेकिन राजस्थान में तीन स्थानों पर तो है। 75 प्रतिशत तो बहुमत मानते हो। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने हरिमोहनजी की बात सुनी कि नहीं सुनी। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि जहां जहां चुनाव करा रहे हैं वहां आप हार रहे हो इसलिए हम चुनाव नहीं करा रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नगर-पालिकाओं के चुनाव करवाने में जैसा मैंने निवेदन किया कि हमारे सामने एक समस्या और भी है कि हमारे प्रान्त में कुछ ऐसी नगरपालिकाएं हैं जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न नहीं है जहां कर्मचारियों को वेतन भी समय पर नहीं चुक सकता। ऐसी नगर-पालिकाओं के बारे में एक कमेटी का गठन किया था मुकर्जी की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने सिफारिशें की कि इतनी नगर-पालिकाओं को पंचायतों में बदल दी जाय। उस पर एक केबिनेट सब कमेटी का गठन किया और उन्होंने माना कि 51 नगर-पालिकाओं को पंचायत में कन्वर्ट कर दी जानी चाहिये। यह मामला अभी मंत्रिमण्डल के समक्ष विचाराधीन है। उस पर अभी निर्णय लेना बाकी है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभा-पति महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। छोटी छोटी नगरपालिकाएं चल रही है। मेरे रायपुर में छह महीने से बारह महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है कर्मचारियों को और आप लगातार उसको टालते जा रहे है। क्यों नहीं इनको भंग कर दें। आपकी केबिनेट कमेटी ने इस की सिफारिश कर दी अब केवल निर्णय करके घोषणा कीजिये। विधान सभा में आज ही फैसला करो।

श्री माणक डाणी : पहले तो आप कहते थे कि नगरपालिका बनाओ, नगर-पालिका बनाओ। अब कीजिये प्रयास, चुकाइये तनख्वाह, यह हमारे ऊपर है क्या?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसे कस्बे जो नगरपालिका में परिवर्तित हो गये लेकिन आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न नहीं होने से वहां विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। वहां आज भी सफाई की व्यवस्था, निर्माण कार्य की व्यवस्था और किसी तरह के विकास कार्य नहीं हो रहे हैं इसलिए राज्य सरकार

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

ने कमेटी बैठायी और उस कमेटी में शीघ्र राजस्थान सरकार अगली बैठक में निर्णय...

श्री हीरासिंह चौहान : घोषणा करो कब तक कर देंगे। यह गम्भीर सवाल है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पंचायत बनने से एक फायदा होने वाला है...

श्री मानिक चन्द सुराना : अब आप साफ साफ यह क्यों नहीं कहते कि हम जब तक यह आम चुनाव नहीं होंगे तब तक हम चुनाव नहीं करायेंगे। आप साफ कहिये ना। 18 साल आपने चुनाव नहीं कराये और अब लगता है कि...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हमारा इरादा निश्चित रुप से चुनाव करवाने का है।

श्री मानिक चन्द सुराना : विशेष कर प्रधानमंत्रीजी की आड़ में आप जो कुछ कह रहे हैं। आप साफ कहिये कि आम चुनाव के बाद नगरपालिका के चुनाव कराये जायेंगे। आप क्यों मुगालता दे रहे हैं सारे राजस्थान को और आपके राजेन्द्र चौधरी जी ने कहा था कि...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आम चुनाव के बाद तो हम करायेंगे, आप थोड़े ही करायेंगे

श्री मानिक चन्द सुराना : साफ कहिये कि चुनाव सम्भव नहीं है, आप आम चुनाव के बाद चुनाव करायेंगे, यह कहिये ना।

श्री हीरासिंह चौहान : मानिकजी हम करायेंगे ये क्या करायेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यहां पर नगरपालिकाओं में अलग-अलग चुंगी दरें कायम है। कहीं क़ीमत पर है, कहीं तौल पर है।....

श्री लालचन्द डूडी : इसके लिए राजीव जी से पूछ लेना कि क्या करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दूसरा यह भी माननीय सदस्यों में से सुझाव आया था कि चुंगी कर को समाप्त करके इसके बजाय कोई दूसरा कर लगाया जाना चाहिये। यह विचार अभी इस सदन में उपस्थित है। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : चुंगी माफ कर दो और छुट्टी करके जाओ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : चुंगी की दरें राजस्थान में कीमत पर हो या तौल पर हों। एक कस्बे और दूसरे कस्बे में चूंकि कीमत और वजन पर होने की वजह से जो व्यापार पर असर पड़ता है और इस स्थिति से जो नुकसान है उसको समाप्त करने के लिए चुंगी में एक रूपता लाने के लिए हम निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे और इसका फैसला जल्दी से जल्दी करेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : हर बार यही कहते हो। मुख्य मंत्रीजी जब गये थे तो यह कह करके आये थे कि दो महीने में कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उधर बैठेंगे तो सुनना ही पड़ेगा, आप सुनते ही रहो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं निश्चित रूप से आपसे यह कह सकता हूं कि जो विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं वह सोच समझकर के रख रहा हूं और उसको लागू करने के इरादे से रख रहा हूं इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं। यह बात सही है कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से जो हमारा सफाई का काम, सड़कों का, विकास का काम और दूसरे काम जितने जिस ढंग से होने चाहिये वह नहीं हो रहे हैं। माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। नगर परिषद्, जयपुर के बारे में भी कई विचार प्रकट किये गये, यहां 12 कमिश्नर्स हैं, ये हैं, इतने कर्मचारी हैं, इन सब के बावजूद भी जो सफाई का काम होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। यह निश्चित रूप से वास्तव में हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। हम इसमें इम्प्रूवमेण्ट करने की दृष्टि से विचार कर रहे हैं और एक सुझाव यह भी आया कि आर. ए. एस. आफिसर के बजाय नगरपालिका सर्विसेज के अधिकारियों को लगाया जाय क्योंकि वे उस काम में ज्यादा अनुभवी हैं और उस काम को ज्यादा ठीक ढंग से कर सकते हैं। एक सुझाव आया है मैंने उनका जिक्र किया है, मैंने कोई अपनी बात नहीं कही है। इन सब सुझावों पर विचार करके यहां की व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है उस पर निर्णय करके हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि नागरिकों को जो गन्दगी और कचरा और उस तरीके के जीवनयापन करने में मजबूर होना पड़ रहा है उसमें सुधार ला सकें उसके लिए हम अपनी ओर से पूरा-पूरा प्रयत्न करेंगे। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यहां पर नगर निगम बनायेंगे क्या, जैसा मुखर्जी कमेटी ने जयपुर शहर में नगर निगम बनाने का प्रस्ताव किया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय भार्गव, साहब, मैं कह चुका हूं कि मुखर्जी कमेटी की सिफारिशें मंत्रिमण्डल के समक्ष विचाराधीन है और उस पर निर्णय होना शेष है।

श्री माणक डाणी : पहले तो जे. डी. ए. बनवाया और अब नगर निगम बनवाओगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नगर निगम बनेगा कि नहीं बनेगा ?

श्री दिग्विजय सिंह : हमारे माननीय मुखर्जी साहब तो खुद ही चले गये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नगर निगम बनाने की सिफारिश मुखर्जी कमेटी ने की, जयपुर में।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने आपसे निवेदन किया कि यह सिफारिशें मंत्रिमण्डल के सामने विचाराधीन हैं और उस पर निर्णय होना शेष है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कब तक विचाराधीन रहेगी, विचार करते आप चले जाते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय भार्गव साहब, आप लोक सभा और विधान सभा

(श्री सी. पी. जोशी)

के चुनाव होने दो, फिर देख लेंगे और इस हिसाब से व्यवस्था करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लेकिन मंत्री जी कम से कम आप जयपुर शहर में आगामी जब कभी चुनाव, दो साल, तीन साल बाद होगा, इसकी स्थापना कर रहे हैं, यह बात तो मानिये।

श्री सी. पी. जोशी : एम. एल. ए. और नगर निगम का टिकट हम बंटवा लेंगे, यह तो अभी घोषणा करो आप।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं, मैं तो घोषणा नहीं कर रहा हूं। कहां कर रहा हूं। राजस्थान में एक भी नगर निगम नहीं है, उत्तर प्रदेश में दो दो लाख की आबादी पर नगर निगम हैं, मगर यहां बीस लाख की आबादी हो जाये जयपुर में फिर भी नगर निगम नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। जवाब सुनें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : नगर निगम बनाने से क्या फर्क पड़ता है, यह तो बता दो आप।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बहुत फर्क पड़ता है। पानी, बिजली और रोड़वेज सारी व्यवस्था उनके पास रहती है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें,। कृपया समाप्त करें, सुनें माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा आपने मुखर्जी कमेटी के बारे में बार-बार उल्लेख कर दिया। उसकी रिपोर्ट की कापी यहां सदन की मेज पर रख दो आप।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अभी तो है नहीं, रख दूंगा जयपुर विकास के बारे में... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : जयपुर विकास प्राधिकरण नहीं, जयपुर विनास प्राधिकरण कहो। (व्यवधान) क्या करेंगे इस जयपुर विकास प्राधिकरण से ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जयपुर शहर में वह सब काम किये जायेंगे, जिससे कांग्रेस की नीति का सही रूप में पालन हो सके।...(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्री महोदय, मैं आपसे एक जानकारी चाहूंगा...

श्री कालीचरण सराफ : मंत्री जी, आप भाग जाना चोर दरवाजे से। जयपुर की जनता आपको नहीं चाहती है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने मुखर्जी कमेटी के बारे में दो दो, तीन तीन दफा उल्लेख कर दिया, उसकी एक रिपोर्ट की कापी आप हाउस में तो रख दो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अभी तो नहीं है मेरे पास, मैं रख दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, वह बात तो आप बोल दो कि आ जायेगी, यहां थोड़े ही है कि आप जेब में से निकाल कर रख दोगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, रख देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, उससे क्या है।... यहां जयपुर विकास प्राधिकरण के बारे में...(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, मुझे तो मेरे ही शब्द बोलने पड़ेंगे।...

श्री यदुनाथ सिंह : आपका कान्शस अलाऊ नहीं कर रहा है, आप मत बोलें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यहां तीन चार बातें बड़े जोरों से कही गयीं एक अमरूद के बाग का किस्सा चलाया गया।..

श्री मानिकचन्द सुराना : वह किसके हिस्से में है?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मुझे सुन तो लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सेक्रेटेरियट में, जहां आप बैठते हो, बिल्कुल उसके सामने है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं। कि...

श्री मानिकचन्द सुराना : गिल्टी जो हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं कोई गिल्टी कांशस नहीं हूं, आप सुन लें तो सुना देता हूं। अभी जिक्र किया गया था कि अमरूदों के बाग की जमीन के बारे में विपक्षी नेता महोदय ने एक पत्र लिखा तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी को और मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि यह जमीन सरकार की है। आज भी हम इस स्थिति को मान कर चल रहे हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इस जमीन को जिलाधीश, जयपुर ने एक्वायर कर लिया था और अपने पजेशन में ले ली थी। जयपुर के महाराजा इसके विपरीत उच्च न्यायालय में गये और उच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह कलक्टर के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसलिये कम्पनसेशन कमिश्नर के यहां इस मामले को लाया जाना चाहिये, और आज भी यह मामला, एक जो रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य कम्पनसेशन कमिश्नर का काम करते हैं, उनके यहां विचाराधीन है। यह कहना कि अमरूदों के बाग की जमीन को राजस्थान सरकार ने महाराजा की मान करके, उनके बिकाऊनामे को मान करके या सेल टू एग्रीमेंट को मान करके अरबों रुपये की सम्पत्ति को अपने हाथ से निकाल दिया यह तथ्य नहीं है। सरकार इस मामले को बराबर देख रही है और इस जमीन पर अपना अधिकार बराबर...

श्री दिग्विजय सिंह : आपने कहा मंत्री जी कि यह जमीन सरकार की है, तो फिर आप यह बताइये कि आपने गृह निर्माण सहकारी समिति को यह बाउण्ड्रीवाल बनाने की स्वीकृति कैसे दी? जब आप कह रहे हो कि आप सारी स्थिति मानते हो और आपके पास है, सब्जुडिस है, कम्पनसेशन कमिश्नर के पास है, तो इस सहकारी समिति को, आपके पूर्व मन्त्री जी ने कहा कि वहां अतिक्रमण हो रहा है, कठपुतली कालोनी के पास वाली जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिये सहकारी समिति को स्वीकृति दी जाती है कि कम्पाउण्ड वाल

(श्री दिग्विजय सिंह)

खींच ले । यह आपने कैसे दी ?...(व्यवधान) नहीं, आप जे. डी. ए. को कहते न, वह खींच देती कम्पाउण्ड वाल । वह तो आप की प्रॉपर्टी है ।

श्री सी. पी. जोशी : एक तरफ तो आप मांग करते हैं कि नाली नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है, उससे 25 लाख रुपये सेव किये गये, और आप मोटिव एट्रीब्यूट कर रहे हैं । Not that way.

श्री यदुनाथ सिंह : Why ?

श्री सी. पी. जोशी : It is a trick that we have played. 25 लाख रुपया हमने बाउण्ड्री वाल बना करके बचाया है । इस कंडीशन पर कि जब भी वह फैसला मानेगा । उसके बाद डेड इन्वेस्टमेंट करवा देगा।

श्री दिग्विजय सिंह : आपकी यह ट्रिक है न, तो जे. डी. ए. की कई जमीनें पड़ी हैं, मुझे आप इजाजत दे दो मैं कम्पाउण्ड वाल बना लेता हूं ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरी पूरी बात सुन लें तो शायद आगे आपको शंका नहीं होगी ।

श्री सम्पत सिंह : फिर तो मानक चौक थाने को आप सहकारी समिति को दे दो । इससे बढ़िया कोई काम नहीं है ।

श्री सी. पी. जोशी : हां, दे देंगे न, थाने में तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो बाउण्ड्री वाल देने की परमिशन का जिक्र आप करते हैं, उसमें भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि समिति का अभी भी स्वामित्व नहीं है और यह विवादास्पद है । लेकिन चूंकि...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समिति का विवादास्पद किस बात का है समिति कहां से आ गयी । इसका मतलब यहां पर आपने देने का षड्यन्त्र किया है । समिति का विवादास्पद मान कर आपने देने का साफ-साफ षडयन्त्र किया है । यहां पर समिति का कहां विवाद है ? सरकार की जमीन है और आप समिति का विवादास्पद बता रहे हैं ।

श्री दिग्विजय सिंह : आपसे मैं कहना चाहता हूं, यह जो दूसरी सहकारी समिति है एक सहकारी समिति ने तो अपना क्लेम ही वापस ले लिया कि यह तो डिस्प्यूटेड लैण्ड है, हम तो नहीं रहना चाहते और फिर यह सहकारी समिति बीच में कैसे आ गयी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अभी सहकारी समिति के बीच में आने का और उसके रिकोग्नाइजेशन का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह मामला...

श्री कालीचरण सराफ : बाउण्ड्रीवाल बनी है, इसमें लाखों रुपये का घपला हुआ है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसको कैंसिल कीजिये ।

श्री कालीचरण सराफ : परमिशन दी है बाउण्ड्रीवाल बनाने की, मन्त्री महोदय ने इजाजत दी है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सदन को गुमराह करने के लिये इतने गलत फैक्ट्स दे रहे हैं। कहां बाउण्ड्रीवाल बनी है।

श्री मानिकचन्द सुराना : सभापति महोदय, अभी आपने कहा सदन में... (व्यवधान) नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, यदि आप यह समझें कि मुद्दा बहुत छोटा है...

श्री सी. पी. जोशी : As C. P. Joshi, I have spoken. आप जो पूछना हो, बाद में रख लेना।

श्री मानिकचन्द सुराना : बाद में क्यों? कभी कभी आप बीच में इण्टरवीन कर सकते हैं..

श्री सी. पी. जोशी : आप कर रहे हैं...

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं भी करूंगा। आप अपने राइट से करिये तो कीजिये।

श्री सी पी. जोशी : यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं सभापतिजी, अभी सदन में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सहकारी समिति के स्वामित्व को हमने नहीं माना है, हमने केवल स्वामित्व को लो मानते हुए उनको बाउण्ड्रीवाल की परमिशन दी है। माननीय सभापति जी आप भी अधिवक्ता हैं, यह जो कंपनसेशन कमिश्नर को मामला गया है, माननीय मन्त्री महोदय, यह लैण्ड ग्रोनर्स स्टेट एक्ट के तहत है क्या? सुनिए...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, और उसी के तहत कलक्टर ने यह अक्वायर की है।

श्री मानिकचन्द सुराना : उसके बाद सन् 1976 में अरबन लैण्ड सीलिंग अरलसर एक्ट आ गया। अरलसर एक्ट में एग्रीकल्चरल लैण्ड के लिए भी यह लिखा है, मास्टर प्लान में जो भी एग्रीकल्चरल लैण्ड है वह आबादी भूमि मानी जावेगी और सैन्ट्रल एक्ट जिस चीज को आबादी भूमि मान रहा है वह आबादी भूमि अरलसर एक्ट के तहत पन्द्रह सौ वर्ग मीटर से अधिक महाराजा, जयपुर हो च हे श्री गुलाबसिंह शक्तावत हो, चाहे भैरोंसिंह शेखावत हो, चाहे मानिकचन्द सुराना हो कोई भी रखने का अधिकारी नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ठीक है।

श्री मानिकचन्द सुराना : पन्द्रह सौ वर्ग मीटर यह बगीचों का बाग यदि जयपुर की कृषि सम्पत्ति है, पहले के लैण्ड ग्रॉनर्स स्टेट एक्ट में कवर्ड भी है और उस वक्त बोर्ड ग्राफ रेवेन्यू ने यदि उसको कम्पन्सेशन कमिश्नर के सामने उसका मुआवजा तय करने के लिये भी भेजा है तो भी 1976 का एक्ट आने के बाद में उसका स्वामित्व अरलसर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार महाराजा, जयपुर का समाप्त हो गया। पन्द्रह सौ वर्ग मीटर भूमि, महाराजा जयपुर की, निर्मित मकान, इतने हैं कि एक इंच जमीन भी अरलसर एक्ट के तहत महाराजा, जयपुर रखने के अधिकारी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो जॉन्सन का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, ए. आई. आर. 1987 में जो रिपोर्टेड है उसके आधार पर

(श्री मानिकचन्द सुराना)

वह एक इंच जमीन नहीं रख सकते। इसलिए यह जो बाउण्ड्री वाल की परमिशन दी है आपके भूतपूर्व मन्त्री ने, इसको आप निरस्त करें। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस भूमि के एक वर्ग गज की कीमत दो हजार रुपये है, एक बीघे की कीमत चालीस लाख रुपये है। यह भूमि राज्य सरकार में निहित है। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी का यह कथन है और उनके कथन के बावजूद एक केबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के आर्डर्स के बावजूद, यदि इस तरह का कृत्य करता है, मैं निवेदन करूंगा कि राजीव गांधीजी ने आपको यह नया विभाग इसीलिए दिया है और यह अविश्वास जो उन्होंने विभागों के फेरबदल के साथ में परोक्ष अपरोक्ष रूप से जाहिर किया है, माननीय मंत्री महोदय...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप मेरी बात तो पूरी सुन लें।

श्री मानिकचन्द सुराना : आप मुझे ख़त्म करने दें, पहले। एक बीघा जमीन की कीमत चालीस लाख रुपये, 48 बीघा की कीमत 19 करोड़ रुपये से ऊपर। मैं चाहूंगा कि आप उस 19 करोड़ रुपये को खुर्द-बुर्द न होने दें। आप वहां बाउण्ड्री वाल की परमिशन को तत्काल निरस्त करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राज्य सरकार कोई ऐसा काम नहीं होने देगी जो राज्य को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम होगा।

श्री मानिकचन्द सुराना : इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसका मतलब क्या हुआ ?

श्री मानिकचन्द सुराना : वह बाउण्ड्री वाल बनेगी या नहीं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, बाउण्ड्री वाल की परमिशन निरस्त करिये। we will go to the High Court. (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सरकार किसी तरह का नुकसान नहीं होने देगी... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बाउण्ड्री वॉल की परमिशन निरस्त करिये...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कोई आपका उत्तर ही नहीं जम रहा...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एक बोल लीजिये कोई..

श्री दिग्विजय सिंह : सदन से वाक आउट करो...

श्री कालीचरण सराफ : बाउण्ड्री वाल बनेगी...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मन्त्री जी, यह कोई आपका उत्तर ही नहीं है, मैं देख लूंगा...

श्री मानिकचन्द सुराना : आप इसको रि-एग्जामिन कराइये, इसको रोकिये। हम राज्य के हित में बोल रहे हैं...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब मैं यह कह रहा हूं कि राज्य सरकार ऐसा कोई काम नहीं होने देगी जिससे....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : परमिशन निरस्त करिये और इसको पजेशन में लीजिये..

श्री दिग्विजय सिंह : अब आप कैसे रोकोगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और जे. डी. ए. की तरह से उसके ऊपर बाउण्ड्री वाल बनाइये ।

श्री सी. पी. जोशी : आप गलत काम कर रहे हो, यह तो चाहते हैं कि आप इस जमीन को खुर्द-बुर्द होने दो, आप काहे को रोक रहे हो ? यह तो कह रहे हैं । आप क्या बात कर रहे हो, समझ में ही नहीं आती .. (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सी. पी. जोशी जी आप बोल रहे हो, जोशीजी आप बोल दो शक्तावत साहब की तरह हो जाते...

श्री सी. पी. जोशी : परमिशन निरस्त करने का सवाल कहां उठता है, जब कह दिया इन्होंने कि बाउण्ड्री वाल नहीं बनेगी

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, स्पष्ट कराइये कि बाउण्ड्री वाल उसको यही बनाने दी जायेगी और जे. डी. ए. बनायेगी, आप स्पष्ट कहिये ।.(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने यह बात कही है कि बाउन्ड्री वाल नहीं बनी है.

श्री लालचन्द डूडी : सभापतिजी, एक सवाल पूछना चाहता हूं...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सुन लीजिए पहले । बाउन्ड्री वॉल नही बनी है ।

श्री लालचन्द डूडी : क्या आपको मालूम है कि उसके अन्दर बिल्डिंग, मकान भी बन गये हैं, इस अमरूदों के बाग में ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं, कोई मकान नहीं बना । इसमें न तो कोई मकान बना है, न कोई बाउन्ड्री वॉल बनी है ।...

श्री यदुनाथ सिंह : न बनेगी, यह भी कह दो ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं बनेगी । (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त कर दीजिए । कृपया समाप्त करें ।

श्री यदुनाथ सिंह : मन्त्री महोदय, स्वयं अशान्ति फैला रहे हैं, पहले ही कह देते कि नहीं बनेगी तो काहे को अशान्ति होती ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बाउन्ड्री वॉल बनी नहीं, आप स्वयं उत्तेजित हो रहे हो जबरदस्ती से । (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : बाउन्ड्री वॉल बनी नहीं और लोग नाजायज कब्जा करते रहे और फिर रेगुलर चलती रहे ताकि जमीन खुर्द-बुर्द हो जाये, यह चाहते ही नहीं है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ताकि जमीन खुर्द-बुर्द न हो ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें । समाप्त करें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मकानों के नियमन वाली बात कहकर आप समाप्त करें...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं आ रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कहिये, आप।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस सदन में माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि शहरी क्षेत्र में सोसाइटियों ने या दूसरे लोगों ने जमीन के टुकड़े काटकर उनको मकान बनाने के लिए दे दिया, उनकी समस्या हमारे सामने खड़ी है। कुछ जगह मकान बन गये और कुछ नहीं भी बने हैं और यह समस्या खास तौर से जयपुर में गम्भीर तौर से चल रही है...(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। सुनें। सुनें कृपया।

श्री कालीचरण सराफ : दो लाख मकान बन गये...

श्री यदुनाथ सिंह : आपके राज्य मंत्री जवाब देंगे।

श्री सी. पी. जोशी : जयपुर के एम. एल. ए. सब बी. जे. पी. के हैं और मकान बने तो जिम्मेदारी किसकी ? किसको दोष दे रहे हैं, खुद मकान बनवा रहे हैं....(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यदि मकान बन गये तो उसमें कई आपके अधिकारी और कई मन्त्री हैं...

श्री कालीचरण सराफ : हम कह रहे हैं उन मकानों को नियमित करो (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह खड़े रहकर कब्जा करवा लेते हैं...

श्री कालीचरण सराफ : उन मकानों को रेगुलराइज करो, यह कह रहे हैं हम...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर में जो भी मकान बने, ऑफिसर्स के बने...

श्री विजय सिंह : जयपुर में आर. एस. एस. के लोग डंडा लेकर तोड़ देते हैं सवेरे-सवेरे जाकर...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसलिए आप मानवीय दृष्टिकोण से...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अब आप बोलते रहोगे तो मैं जवाब कैसे देऊं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बैठ रहा हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसमें मानवीय दृष्टिकोण की बात आप कह रहे हैं, वह मानवीय दृष्टिकोण यह है, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि जो जमीन सोसाइटी के खाते में ही नहीं है, सोसाइटी ने कभी अपना राइट ही एक्वायर नहीं किया और वह दूसरों को पट्टे काटकर दे तो उसकी कानूनी स्थिति क्या बन सकती है ? जो जमीन अल्सर एक्ट से प्रभावित होती है, उसकी कानूनी स्थिति क्या हो सकती है? इन सब बातों को देखने के बाद भी और जो लैण्ड किसी स्कीम के तहत एक्वीजिशन के

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

प्रोसिडिंग में है और जिसका अवार्ड इश्यू हो गया है, यह तीन-चार मसले हैं जिनके आधार पर, गुणावगुण के आधार पर इसका विश्लेषण करना पड़ेगा और विश्लेषण करने के बाद हम नहीं चाहते हैं कि जयपुर के ऐसे व्यक्तियों ने जो मकान के लिए अपने प्लॉट ले लिये हैं उनको किसी कानून के बहाने से या किसी कानून की कमियों की वजह से कानून की खामियों की वजह से उनको बिल्कुल ही वेकेट करवा दें या उनको डिसपजेज कर दें, हम इस सारे प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करके इस बात का फैसला करेंगे कि जयपुर के ऐसे लोगों को, जिनको कि मकान बनाने के लिए प्लॉट आवंटित किये हैं, उनका रास्ता निकाल कर उनके साथ सही सलूक किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नौ साल से डकैती करके बैठे है और नौ साल से लटका रखा है। अभी तक भी नहीं सोचा, कब सोचेंगे ? नौ साल हो गये, नौ साल। 1981-82 में पैसा लिया है....

श्री सभापति . माननीय सदस्य। कृपया समाप्त करें। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सही बात है कि पिछली बार एक कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी के गठन की रिपोर्ट न आने तक की वजह से इस पर आगे जो प्रक्रिया होनी थी वह नहीं हो पाई। लेकिन मैं किसी कमेटी के गठन के बारे में नहीं कह रहा हूं। इस सम्बन्ध में हम अपने स्तर पर बैठ कर सारे कानून का अध्ययन करके गुणावगुण के आधार पर जो लिमिटेशन्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम इसका हल निकालेंगे ताकि लोगों को असुविधा न हो सके....

श्रीमती उजला अरोड़ा : तारीख बता दो जिससे लोगों पर जो तलवार लटकी हुई है वह खत्म हो जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने लोगों को इन बातों की छूट देते हुए, मान्यवर, आपने विज्ञप्ति जारी की थी और 28 करोड़ रूपये जमा हुए। अब आप सीलिंग और बेसीलिंग वाली जो बात ला रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने तो सबको रेगुलराइज कर दिया है, केन्द्रीय सरकार ने सबको रेगुलराइज कर दिया है, माननीय मंत्रीजी जिन लोगों के मकान बन गये, जिन लोगों ने कृषि भूमि स्थानान्तरण की रकम जमा करा दी है इन सबको आपको नियमन करना चाहिए....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जिन माननीय सदस्यों के कट-मोशन्स आये हैं और जो स्पेसिफिक क्वेश्चन्स आये हैं, उनका उत्तर मैं उनको निश्चित रूप से भिजवा दूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मूल्यवान सुझाव दिये और मेरी बात को सुना। (व्यवधान)

मांग संख्या 20 एवं 29 का पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 15, 16, 93,000 (पन्द्रह

(श्री सभापति)

करोड़ सोलह लाख तिरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, जे. डी. ए. का ना-आपत्ति प्रमाण-पत्र बताइये....(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, यह क्या तरीका हुआ । आप लोगों के पैसे भी खा गये, मकान का नियमन भी नहीं करें....(व्यवधान) नो, बिल्कुल नो । मैं समझता हूं इन लोगों को सबको....

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक पैसा ही नहीं देते आपको....(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : We claim division.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : We claim division.

श्री यदुनाथ सिंह : We claim division.

श्री मानिकचन्द सुराना : We claim division. (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह क्या तरीका लगाया है आपने....

श्री दिग्विजय सिंह : ऐसे ही थोड़े पास हो जायेगा....

श्री मानिकचन्द सुराना : ऐसे ही थोड़े ही पास हो जायेगा....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप बाद में सवाल पूछ लेना... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : डिवीजन क्लेम करते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29– नगर आयोजन एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,48,63,000 (सत्रह करोड़ अड़तालीस लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावें ।

स्वीकृत

मांग स्वीकार की गयी ।

सदन की कार्यवाही दिनांक 12 जुलाई, 1989 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.05 बजे बुधवार, दिनांक 12 जुलाई, 1989 के मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 185 की सूची

परिशिष्ट "क"

कार्यक्रम	वित्तीय प्रावधान	वास्तविक व्यय
(1) सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें	रुपये 44.00– लाख	रुपये 69.00 लाख
(2) सोलर कुकर	रुपये 12.00– लाख	रुपये 10.51 लाख
(3) सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम	(भारत सरकार से ही 30 से 60 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है व बाकी की राशि संबंधित विभाग अथवा लाभार्थी को वहन करनी होती है)	
कुल	रुपये 56.00 लाख	रुपये 79.51 लाख

इस तरह उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए कुल निर्धारित राशि 56 लाख रुपये के प्रावधान की तुलना में रुपये 79.51 लाख व्यय किये गये व लक्ष्यों से अधिक भौतिक उपलब्धि प्राप्त की गई।

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 187 की सूची

Govt. of Rajasthan
Ministry of Tourism

C–I Hutments,
Dalhousie Road,
New Delhi–110011.

No. 4–TL (21)/83

Dated 7-2-1989.

To

The Director General,
Department of Tourism,
New Delhi.

Sub :—Floodlighting of Chittorgarh Fort (Rajasthan) Sanction therefor

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President to the incurring of an expenditure not exceeding Rs. 15,05,680/– (Rupees fifteen lakhs five thousand, six hundred and eighty) only for meeting the expenditure on floodlighting of Chittorgarh Fort in Rajasthan. The above payment will be made as under :—

(i) Rs. 7.49 lakhs (Rupees seven lakhs and forty nine thousand) only will be released immediately in favour of the Director of Tourism, Art & Culture, Deptt. of Tourism, Art & Culture, Govt. of Rajasthan, Jaipur (Rajasthan).

(ii) The balance amount of Rs. 7,56,680/– (Rupees seven lakhs fifty six thousand, six hundred and eighty) only will be released on receipt of utilisation certificate and detailed accounts of the expenditure incurred.

(iii) Payment will be arranged by the Drawing and Disbursing Officer (DDO) of the Department of Tourism for issue of cheque in favour of Director of Tourism, Art & Culture,

Deptt. of Tourism, Art & Culture, Govt. of Rajasthan, Jaipur (Rajasthan).

(iv) The State Government of Rajasthan will meet the expenditure in connection with power supply, drawing of power lines for power load etc. and any other extra expenditure involved for the completion of this project.

(v) The State Government of Rajasthan will also meet the recurring expenditure after energising the project.

(vi) The floodlighting project will be maintained and run by the State Government of Rajasthan.

(vii) The funds will be utilised by the State Govt. of Rajasthan only for the purpose for which they have been allocated The State Govt. would keep a detailed account of the expenditure incurred out of the money released to them and send the Department of Tourism, Govt. of India quarterly progress roport on the project.

2. The expenditure involved is debitable to Demand No. 73-Tourism–Major Head '5452'–AA-Capital Outlay on Tourism–AA. I–Tourism Infrastructure–AA–I (4)–Other Expenditure (Plan).

3. This issues with the concurrence of the Integrated Finance vide their U. O. No. 79–F–II (T)/89 dated 3-2-89.

Yours faithfully,

Sd/–

(R. N. Gupta)

Under Secretary to the Govt. of India

परिशिष्ट "अ"

स्थान	प्रस्तावित कार्य	राशि (लाख रू. में)
1. हल्दी घाटी:—		19.82
(1) रक्त तलाई	पार्किंग एरिया चार दीवारी लैण्ड स्केपिंग एवं ट्यूब वैल आदि	6.19
(2) चेतक समाधि	लैण्ड स्केपिंग कैफेटेरिया में 2 कमरों तथा हाल की वृद्धि, ट्यूब वैल व वर्तमान गेस्ट हाऊस का विकास कार्य	8.31
(3) बादशाही बाग	चार दीवारी, लैण्ड स्केपिंग, फव्वारे, पिकनिक सेन्टर, ट्यूब वैल आदि	5 32
2. कुम्भलगढ़	20 शैयाओं युक्त पर्यटक विश्राम गृह, लैण्ड स्केपिंग, पार्किंग सुविधा, किले पर फ्लड लाईटिंग आदि	34.70
3. गोगुन्दा	विशेष लैण्ड स्केपिंग, कैफेटेरिया का निर्माण, ओवर हैड टेंक, पार्किंग क्षेत्र, सार्वजनिक टायलेट्स एवं ट्यूब वैल आदि	6.51
4. चावण्ड	विशेष लैण्ड स्केपिंग एक कमरे-युक्त कैफेटेरिया का निर्माण, सार्वजनिक टायलेट्स एवं पार्किंग क्षेत्र आदि	7.42
5. मैनाल	कैफेटेरिया का निर्माण	4.96
6. चित्तौड़गढ़	किले पर फ्लड लाईटिंग कार्य (स्वीकृति प्राप्त)	15.05

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

सायपुरा–भानपुर कलां सड़क

189. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कृषि उपज मण्डी के द्वारा तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में बनाई जा रही सड़क सायपुरा साइवाड़ भानपुर कलां के लिये दो वर्ष पूर्व डामर की मंजूरी हो जाने पर उक्त सड़क का डामरीकरण न किये जाने के क्या कारण रहे?

(2) अब उक्त सड़क का डामरीकरण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जयपुर जिले की अधूरी शेष सड़कों को कब तक पूरा किये जाने की योजना है? यदि नहीं, को क्यों ?

उत्तर

(1) सम्पर्क सड़क भानपुर कलां से साइवाड़ का कार्य ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरे छोड़े जाने के कारण 'नहीं' कराया जा सका। दिनांक 27-3-89 को कार्य आदेश हो चुके है, सम्भवतः दिनांक 29-10-89 तक सड़क पूर्ण हो जावेगी।

(2) सड़क पर डब्लू. बी. एम. का कार्य प्रगति है। डामर करने का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना सम्भावित है।

(3) जयपुर जिले के अन्तर्गत अधूरी सड़कों को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही प्रगति पर हैं।

चूरू जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

190. श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) एवं श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू जिले में वर्ष 1988-89 में कितने ग्राम विद्युतीकृत घोषित किये गये ? तहसीलवार ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त सभी ग्रामों के 31 मई, 1989 तक घोषित सभी कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं? यदि नहीं तो क्यों तथा अब कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे?

(3) क्या तहसील राजगढ़ (चूरू) में 1988-89 में घोषित सभी ग्रामों को विद्युतीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितने ग्राम शेष हैं तथा क्यों ? पूर्ण नहीं किये जाने के क्या कारण है ? अब कब तक शेष ग्रामों को विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ?

(4) क्या तहसील राजगढ़ (चूरू) में वर्ष 1987-88 में विद्युतीकृत घोषित सभी ग्रामों में एल. टी लाइन डाल दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक लाइन डाल दी जायेगी ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में वर्ष 1988-89 में कुल 44 ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया।

(ऊर्जा मन्त्री)

तहसीलवार ग्रामों की संख्या सूची निम्नानुसार है:–

क्रमांक	तहसील का नाम	वर्ष 1988-89 के दौरान विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या
1.	तारानगर	5
2.	राजगढ़	4
3.	सरदारशहर	10
4.	चूरू	7
5.	डूंगरगढ़	6
6.	रतनगढ़	5
7.	सुजानगढ़	7
	कुल	44

(2) वर्ष 1988-89 में विद्युतीकृत घोषित सभी 44 ग्रामों में 11 के. वी. लाइन डाल कर ट्रान्सफार्मर स्थापित किये जा चूके हैं।

(3) चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में वर्ष 1988-89 में कुल 14 ग्रामों को विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम था। उसके सापेक्ष 4 ग्राम विद्युतीकृत किये गये। शेष 10 ग्रामों का कार्य आवश्यक सामान उपलब्ध न होने व अन्य वरियता वाले कार्य करने के कारण नहीं किया जा सका। उक्त 10 ग्रामों का विद्युतिकरण वर्ष 1989-90 में प्रस्तावित है तथा इसी वर्ष यह कार्य पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) तहसील राजगढ़ (चूरू) में वर्ष 1987-88 में कुल 7 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया गया था। उसमें से 5 ग्रामों में एल. टी. लाइन खेंची जा चुकी हैं तथा शेष 2 ग्रामों में एल. टी लाइन का कार्य प्रगति पर है जिसको शीघ्र ही पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पुस्तकों की छपाई

191. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) एवं **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी–बाजार) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा छपाई गई पुस्तकों में से वर्ष 1987 की विज्ञान तथा 1988 के संस्करण व कक्षा 10 विज्ञान में पाई गई सैकड़ों अशुद्धियों के बारे में बोर्ड ने मुद्रकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1988 में बोर्ड के प्रकाशन विभाग की गलती से बोर्ड के लाखों रुपयों के कागज का नुकसान, किताब का साइज बदले बिना ही कम्पोजिंग एरिया छोटा कर देने से हुआ ? यदि हां तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है व इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1987 के विज्ञान तथा 1988 के संस्करण कक्षा 10 विज्ञान में मुद्रण के समय प्रूफ रीडिंग में कोई अशुद्धि ध्यान में नहीं आई और न ही बोर्ड कार्यालय अभिलेखानुसार इन पुस्तकों में त्रुटियों की कोई सूचना लेखकों, अध्यापकों व छात्रों से भुगतान के समय प्राप्त हुई।

(शिक्षा राज्य मन्त्री)

(2) वर्ष 1988 में बोर्ड में किताब का साइज बदले बिना कम्पोजिंग एरिया कम करने के फलस्वरूप लाखों रुपये के कागज के नुकसान की बात सही नहीं है। शेष कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

अनूपगढ़ में बस डिपो

192. श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर में पथ परिवहन निगम डिपो चालू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या वहां बसों की पूर्ति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। डिपो दिनांक 10-12-88 से चालू कर दिया गया है।

(2) जी हां। बसों की पूर्ति कर दी गई है।

पर्यटन विकास योजनाएं

193. श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में पर्यटन विकास हेतु कौन-कौन से नये पर्यटन स्थलों के विकास की योजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं ?

(2) क्या हाडौती क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु कोई योजना तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो क्या तथा अब तक क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किये जा रहे नये पर्यटन स्थलों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। हाड़ौती क्षेत्र के विकास की एक विस्तृत योजना तैयार, कर केन्द्रीय सहायता हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है तथा साथ ही राज्य योजनान्तर्गत भी इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित केन्द्रीय योजनान्तर्गत बून्दी में एक पर्यटक परिसर का निर्माण, बरौली एवं चन्द्रभागा में कियोस्क का निर्माण, अलानियां में केफेटेरिया तथा झालावाड़ में एक पर्यटक बंगले के निर्माण के प्रस्ताव हैं। इसके अतिरिक्त राज्य योजनान्तर्गत जिला कारागृह, बून्दी के समीप स्थित कुण्ड में विकास कार्य, झालावाड़ स्थित गागरोन किले और कोलवी की गुफाओं तक सम्पर्क पथ का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है। योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त होनी शेष है तथा ज्योंही स्वीकृति प्राप्त होगी, कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

परिशिष्ट "अ"

नये विकसित किए जा रहे पर्यटक स्थलों की सूची—

1– मेवाड़ परिपथ:–

(1) हल्दी घाटी-रक्त तलाई, बादशाही बाग और चेतक रा. मा. वि. का विकास
(2) कुम्भलगढ़
(3) गोगुन्दा
(4) चावण्ड
(5) जयसमंद में आइलैण्ड
(6) यात्री निवास, उदयपुर
(7) देवगढ़ मिडवे
(8) मेनाल में पर्यटक परिसर

2– शेखावाटी परिपथ:–

(1) झुन्झुनूं (केफेटेरिया)
(2) सीकर (केफेटेरिया)
(3) लक्ष्मणगढ़, रामगढ सामोद एवं बिसाऊ में कियोस्क
(4) मधनसर में केफेटेरिया
(5) मण्डावा में कियोस्क
(7) लोहार्गल और किरोड़ी (झुन्झुनू) में विकास कार्य
(7) गणेश्वर एवं बालेश्वर (सीकर)

3– हाड़ौती परिपथ

(1) बून्दी में पर्यटक परिसर
(2) बारोली (कियोस्क)
(3) चन्द्रभागा (कियोस्क)
(4) अलानिया (केफेटेरिया)
(5) झालावाड़ में पर्यटक बंगला
(6) भवानी नाट्यशाला, झालावाड़
(7) जिला काराग़ृह के समीप स्थित कुण्ड
(?) गागरोन किले तक सम्पर्क पथ
(9) कोलवी की गुफाओं तक सम्पर्क पथ

4– अलवर–भरतपुर परिपथ

(1) सरिस्का में 10 हट्स का निर्माण
(2) पर्यटक परिसर, डीग
(3) मानगढ एवं अजबगढ तक सम्पर्क पथ
(4) पाण्डुपोल की सीढ़ियों की मरम्मत एवं संधारण
(5) बहरोड़ मिड़वे में पर्यटक परिसर का निर्माण

5– जयपुर-टोंक-सवाई माधोपुर

(1) आमेर में हाथी ग्राम
(2) केसर क्यारी, आमेर
(3) आमेर किला
(4) आमेर कस्बे का सौन्दर्यीकरण, विद्युतिकरण तथा सम्पर्क सड़क
(5) जयपुर के सात दरवाजों में रेलिंग लगाना
(6) चौपड़ों का सौन्दर्यीकरण
(7) जयपुर शहर के विभिन्न स्थलों का सौन्दर्यीकरण
(8) टोंक में केफेटेरिया
(9) देवली में मिडवे

6– जोधपुर-जैसलमेर-बीकानेर परिपथ

(1) जैसलमेर किले में फ्लड लाईटिंग
(2) जूनागढ किले में फ्लड लाइटिंग
(3) ओसियां में केफेटेटिया
(4) केलाना में विकास
(5) जैसलमेर किले में ड्रेनेज कार्य का सर्वेक्षण

(6) उष्ट प्रजनन केन्द्र (बीकानेर) तक सम्पर्क पथ
(7) यात्री निवास, जोधपुर

7– माउण्ट ग्राबू परिपथ

(1) यात्री निवास, माउण्ट ग्राबू
(2) पर्यटक परिसर, माउण्ट ग्राबू
(3) चन्द्रभागा में पर्यटक परिसर
(4) वशिष्ठ मुनि ग्राश्रम, गौमुख, गुरू शिखर, सनसेट पाइन्ट ग्रौर हनीमून पाइन्ट, माउन्ट ग्राबू
(5) मीरा मन्दिर, ग्राम कूरकी जैतारण (पाली)

8– ग्रन्य

(1) पुष्कर घाटों का विकास
(2) पुष्कर में पर्यटक ग्राम का निर्माण

कोटा नगर क्षेत्र में वक्फ सम्पत्ति

194. **श्री दाऊदयाल जोशी**(दीगोद): क्या वक्फ राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) कोटा नगर परिषद् क्षेत्र में स्थित वक्फ संपत्तियों के तहत कितने-कितने कब्रिस्तान व वक्फ संपत्तियों राजस्थान राज पत्र भाग 4–2 दिनांक 8-9-1966 के तहत कितनी-कितनी भूमि पर स्थित हैं ? गजट की प्रति सहित मान चित्रों को शामिल करते हुये विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कब्रिस्तानों के ग्रलावा भी बढ़ती ग्राबादी को मध्य नजर रखते हुये क्या नये स्थानों पर कोई कब्रिस्तान घोषित किये गये ? यदि हां तो कहां-कहां किनके द्वारा, कितनी-कितनी भूमि पर कब कब किन नियमों के तहत उक्त कब्रिस्तान बनाये व घोषित किये गये ? नये कब्रिस्तान बनाने व वक्फ संपत्ति में इजाफा करने की घोषणा क्या गजट में शाया कर दी गई ?

(3) क्या घोषणा के पूर्व ग्रौर कोई ग्रापत्तियां वगैरा ग्राबादी क्षेत्र के लोगों से मांगी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा नगर परिषद् क्षेत्र में वक्फ की 194 सम्पतियां व कब्रिस्तान हैं। राजपत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। मानचित्र की प्रतियां उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

(2) जी हां। नगर विकास न्यास कोटा द्वारा रंगबाडी रोड पर ग्राम गणेशपुरा में 50 बीघा भूमि कब्रिस्तान हेतु दिनांक 17.12.88. को ग्रारक्षित की गई है । इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुग्रा है ।

(3) उक्त कब्रिस्तान हेतु भूमि सुरक्षित करने से पूर्व न्यास द्वारा ग्राबादी क्षेत्र के लोगों से ग्रापत्तियां नहीं मांगी गई । यह भूमि तलखण्डी सेक्टर ए. बी. सी. महावीर नगर प्रथम, द्वितीय सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर केशोपुरा ग्रादि योजनाग्रों के निवासियों की मांग पर विचार कर उक्त कब्रिस्तान हेतु ग्रारक्षित की गई है।
(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

फलासिया क्षेत्र में खाद बीज वितरण

195. **श्री कुबेरसिंह**: (फलासिया) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री कुबेर सिंह)

(1) क्या निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1988-89 में विभाग द्वारा किसानों को खाद, बीज, हल एव अन्य कृषि उपकरण रियायती दर पर उपलब्ध करवाये गये ? यदि हां, तो किस किस किसान को कब कब किस किस वस्तु पर कितनी कितनी राशि प्रदान की गई ? कृपया किसान का नाम, उसके पिता का नाम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं उनको दी गई रियायती वस्तु का नाम, कुल वस्तु की राशि, उस वस्तु में दी गई रियायती राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस बारे में अनियमिततायें होने के संबंध में कोई शिकायतें विभाग को जनता या जन प्रतितिधियों से प्राप्त हुई ? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही विवरण व शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फलासिया निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1988–89 में निःशुल्क या आंशिक कीमत पर बीज, बीज खाद, खाद, औषधियां व उन्नत कृषि यन्त्र जो वितरित किये गये वे इस प्रकार हैं:—

योजना	लाभान्वित कृषकों की संख्या	वितरित किये गये किट की संख्या	प्रति किट आदान	अनुदान स्तर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1–अकाल सहायता योजना एवं विशिष्ठ खाद्यान्न	16654	16654	संलग्न सूची के अनुसार	निःशुल्क	सूची लेम्पवार संलग्न है।
2–राष्ट्रीय तिलहन योजना के सरसों मिनिकिट	440	440	800 ग्राम सरसों बीज	3/-रु. प्रतिकिट लिया गया	काश्तकार वार सूची संलग्न है।
3–सैन्ट्रल सैक्टर योजना गेहूं मिनिकिट्स	55	55	5 कि.ग्राम गेहूं	3/-रु. प्रतिकिट	काश्तकारों की सूची संलग्न है।
4–कृषि यन्त्र	482	871	यन्त्रवार कीमत अलग-अलग है।	जो राशि चार्ज की गई वह सूची में है।	विधान सभा क्षेत्र की सूची संलग्न है।

(कृषि मन्त्री)

1	2	3	4	5	6
5–गेहूं बीज मिनिकिट	450	450	20 किलो गेहूं बीज	42/रु. प्रतिकिट लिया गया।	विधानसभा क्षेत्र की सूची संलग्न है।

अल्प अवधि में कृषक वार सूची कुछ कार्यक्रमों के अन्तर्गत निःशुल्क/आंशिक अनुदान पर दिये गये आदानों की संलग्न करना संभव नहीं है।

(2) अनुदान में खाद, बीज, कृषि उपकरण आदि के वितरण में जन प्रतिनिधियों या जनता से किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मंदिरों की जमीन

196. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बहुत लम्बे अर्से से किसान मंदिरों की जमीन के खातेदार हैं और उन जमीनों पर अपने सारे साधन लगा रखे हैं और उसी पर उनकी जीविका निर्भर है, परन्तु उनकी जमीनों के वापस मंदिर के नाम होने से उनको भविष्य में साधन बढ़ाने या सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में भारी कठिनाई हो गई है तथा किसान घबरा रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या उन्हे पहले की तरह पूर्ण खातेदारी अधिकार देने का सरकार का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि कुछ मामलों में मंदिरों की जमीन पर काश्त करने वाले व्यक्ति खातेदार दर्ज कर दिये गये हैं और उन्होंने उन जमीनों पर अपने साधन लगा रखे हैं तथा उसी पर उनकी जीविका निर्भर है। परन्तु मंदिरों की जमीनों पर कानूनी तौर पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अतः जिन मामलों में अवैध रूप से खातेदारी अधिकार दिए गए हैं उनमें भूमि वापिस मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज किये जाने हेतु राजस्व मण्डल को रिफरेंस करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। यह स्वाभाविक है कि भूमि मंदिर के नाम होने से भविष्य में काश्तकारों को साधन बढ़ाने या सरकारी सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई होगी परन्तु वर्तमान कानूनी स्थिति के अनुसार मंदिर की जमीने पर काश्तकारों को अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं।

(2) मंदिर की जमीन पर काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चूरू जिले का भू-जल सर्वेक्षण

197. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू जिले का 1976 से लेकर अब तक कितनी बार भू-जल सर्वेक्षण किया गया ?

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

(2) क्या इसकी रिपोर्ट आशाजनक रही ? इस सर्वेक्षण के अनुसार सुजानगढ़ तहसील के जिन गावों का सर्वे किया गया उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) चूरू जिले का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण 1976 से 1981 में पूरा किया गया ।

(2) विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण काफी आशाजनक रही एवं इसके आधार पर तहसीलवार भू-जल की मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुरूप विभिन्न पोटेन्शियल जोन्स का निर्धारण किया गया । इन जोन्स में उन ग्रामों को सम्मिलित किया गया जहां पानी पीने योग्य तथा सिंचाई योग्य हैं एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । सुजानगढ़ तहसील के राजस्व ग्रामों एवं ढाणियों का सर्वेक्षण किया गया है तथा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिन ग्रामों में भू-जल पीने अथवा सिंचाई के उपयोग हेतु उपलब्ध पाया गया उन्हें सलंग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है ।

परिशिष्ट

क. सं.	जोन नं.	कोड नं.	ग्राम का नाम
1.	सी–3	10	अमरसर
2.	,, ,,	13	बाडसर
3.	,, ,,	2	गिरवरसर
4.	,, ,,	12	कान्धलसर
5.	,, ,,	65	कल्याणसर
6.	,, ,,	1	कातर बड़ी
7.	,, ,,	9	कातर छोटी
8.	,, ,,	40	लालगढ़
9.	,, ,,	11	मालासर
10.	,, ,,	16	नोडिया
11.	,, ,,	4	रैडा
12.	,, ,,	18	सूड छोटी
13.	,, ,,	19	सूड बड़ी
14.	,, ,,	3	साजनसर
15.	डी-3	20	असरासर
16.	,, ,,	81	भसीना
17.	,, ,,	24	बम्बू
18.	,, ,,	23	इन्यारा
19.	,, ,,	15	जुगलसर

1	2	3	4
20.	डी-3	71	कानोसा
21.	,, ,,	62	करेजड़ा
22.	,, ,,	74	मून्दड़ा
23.	,, ,,	67	लाबासर
24.	,, ,,	56	परेवड़ा
25.	,, ,,	26	साण्डवा
26.	,, ,,	7	लेहनदेसर
27.	,, ,,	21	उन्टलाड
28.	ई–3	75	लखमासर
29.	डी-2		छडेरू

सिकन्दरा में सहायक अभियन्ता कार्यालय

198. **श्री प्रभूदयाल मीणा (सिकराय):** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की पंचायत समिति सिकराय के विद्युत उपभोक्ताओं को सुविधा देने हेतु प्रशासनिक आधार पर सहायक अभियन्ता कार्यालय सिकन्दरा खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि नया सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्यालय सिकन्दरा स्थापित किये जाने में विलम्ब हो रहा है ?

(3) यदि हां, तो वित्तीय स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी और वहां कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर जिले की पंचायत समिति सिकराय के विद्युत उपभोक्ताओं हेतु सिकन्दरा में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले जाने के बारे में सूचनाएं/आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। पूर्ण आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर सिकन्दरा में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) नया कार्यालय खोलते समय मण्डल द्वारा प्रशासनिक कारणों के अतिरिक्त वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। इस मामले में प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जायेगा।

(3) इस बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(288)

एकलिंगजी मन्दिर की सम्पत्ति

199. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में स्थित एकलिंगजी महादेव के ऐतिहासिक मन्दिर की सम्पत्ति हीरे मोती तथा आभूषणों को ट्रस्टी द्वारा बेच देने एवं सम्पत्ति का दुरुपयोग करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इस मन्दिर के ट्रस्टी कौन-कौन हैं तथा क्या इस पर कोई जांच की गई ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ? जांच रपट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग द्वारा कब-कब मन्दिर का हिसाब मांगा गया या हिसाब दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गयी ? मन्दिर की गोलख (दानपात्र) को कौन खोलता है तथा वह कितने दिनों में खोली जाती है और उसका हिसाब कौन रखता है ?

(3) उक्त ऐतिहासिक हिन्दुओं के श्रद्धा केन्द्र एकलिंगजी के मन्दिर की सम्पत्ति, आभूषणों, तथा चढ़ावा की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(4) मन्दिर की सम्पत्ति का गबन करने वाले दोषी कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री बलवन्तसिंह मेहता द्वारा दिनांक 3.5.76 को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर को शिकायत प्रस्तुत की गई। मन्दिर श्री एकलिंगजी के प्रन्यासी निम्नलिखित थे:–

1. श्री महाराजा भगवतसिंहजी, शंभु निवास, उदयपुर।

2. श्री कुंवर श्री नरेन्द्रसिंह, भोपालगढ़

3. महाराजा करणसिंह, करजालीवाले

4. श्री सुरेशचन्द्र चटर्जी

5. पाण्डे चन्द्रनाथ

श्री मेहता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर सहायक आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 38 के तहत दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 8.10.76 को उक्त ट्रस्ट की व्यवस्था सक्षम न्यायालय में एक माह में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

(2) ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्ट के आय, व्यय, बजट तथा आडिट रिपोर्ट निम्नानुसार विभाग को प्रस्तुत किये गये:––

1. दिनांक 4.10.76 को वर्ष 1970-71 से 1973-74 तक।

2. दिनांक 16.4.77 को वर्ष 1961-62 से 1969-70 तक की बैलेन्स शीट।

3. दिनांक 9.5.77 को वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा वर्ष 1977-78 के बजट।

4. दिनांक 3.12.77 को वर्ष 1976-77 की बैलेन्सशीट। सहायक आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर के निर्णय दिनांक 4.4.78 एवं आयुक्त, देवस्थान के निर्णय दिनांक 4.10.78 के विरुद्ध जिला जज, उदयपुर में प्रन्यासियों द्वारा वाद प्रस्तुत

(राज्य मन्त्री देवस्थान)

होने के बाद से आय व्यय के लेखा विभाग को प्राप्त नहीं हुए। उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.5.85 को डिस्ट्रिक्ट जज, उदयपुर को इस प्रन्यास की रिसीवर नियुक्त कर रखा है, उन्हीं के द्वारा आय-व्यय की व्यवस्था की जाती है।

3. समस्त व्यवस्था रिसीवर द्वारा की जाती है।

4. मामला न्यायलय में विचाराधीन होने से अभी कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

बस्सी क्षेत्र में सड़कें

200. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर के कार्य क्षेत्र में कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र सम्मिलित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस मण्डी क्षेत्र में अब तक सड़कों के विकास पर जो राशि व्यय की गई है उसमें विधान सभा क्षेत्र बस्सी की उपेक्षा हुई है। यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो विधान सभा वार अब तक स्वीकृत सड़कों की सूची व उन पर अब तक हुये कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्वीकृत सड़क बस्सी–मनोहरपुरा का कार्य गत 4 वर्षों से अपूर्ण है जबकि दूसरे क्षेत्रों में इसी वर्ष स्वीकृत सड़कों का कार्य तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या मण्डी क्षेत्र में सड़कों के विकास में भेदभाव बरतने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कब और इस पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) वर्तमान में मण्डी क्षेत्र में किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन-सी कितनी लम्बाई व लागत की सड़कें स्वीकृत व चालू हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर के क्षेत्र में आमेर, जयपुर ग्रामीण, बनीपार्क, सांगानेर, बस्सी, जमवा रामगढ़, बैराठ, हवामहल, जौहरी बाजार किशनपोल विधान सभा क्षेत्र सम्मिलित हैं।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत सड़कें व उन पर हुए व्यय की सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु असमर्थता जाहिर करने पर निविदा शर्तों के अनुरूप कार्यवाही जारी है एवं कार्य पूर्ण कराने हेतु निविदा पुनः आमंत्रित करली गई हैं।

(4) जी हां। जनवरी, 1989 में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संदर्भ में माननीय तत्कालीन कृषि मंत्री महोदय द्वारा विधायक महोदय को उत्तर प्रेषित कर दिया गया था, जिस पर विधायक महोदय द्वारा पुनः यह लिखा गया कि उनके क्षेत्र में सड़कों

(कृषि मन्त्री)

के विकास में भेदभाव किया है। मण्डी समितियां यथा सम्भव अपने क्षेत्र में उपलब्ध धनराशि को पंचायत समिति क्षेत्रवार सामंजस्य रखकर खर्च करती हैं।

(5) विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दिया गया हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तारांकित प्रश्न संख्या 201

(स्थगित)

बयाना क्षेत्र का ऊर्जीकरण

202. **श्री बृजेन्द्र सिंह** (बयाना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बयाना की डीग की पंचायतों में बिजली पहुंचाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या गांव तरसूमा पर 33 के. वी. का जी. एस. एस. बनाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों एवं आवंटित वित्त के अनुरूप आगामी वर्षों में इन ग्रामों में बिजली पहुंचाई जा सकेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

(2) जी हां। कार्य कब तक पूरा होगा, इसके बारे में निश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में ड्राफ्ट की चोरी

203. **श्री नाथूसिंह** : (टोड़ारायसिंह): क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में 1986-89 के मध्य विद्यार्थियों की फीस के ड्राफ्ट गायब हो गये थे ? यदि हां, तो कब व कितनी राशि के ?

(2) क्या उक्त संबंध में कोई जांच की गयी अथवा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, 1988-89 में परीक्षा शुल्क के लगभग 10 लाख रुपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट माह सितम्बर-अक्टूबर, 1988 में उपलब्ध नहीं हुये।

(2) बोर्ड कार्यालय द्वारा विद्यालयों से पत्र प्राप्त होने पर आन्तरिक जांच कराई गई। तत्पश्चात सम्बन्धित विद्यालयों से पत्र-व्यवहार द्वारा लगभग सभी के डुप्लीकेट ड्राफ्ट प्राप्त कर लिये गये हैं। इसीलिये पुलिस में रिपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

हिन्डोन आगार को घाटा

204. **श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पथ परिवहन निगम का हिन्डोन आगार घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल)

(2) क्या हिन्डोन–गंगापुर, हिन्डोन–करौली सड़क मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर प्राईवेट बसें किस प्रकार चलती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि परिवहन निगम की बसें खाली जाती हैं तथा उनके आगे-आगे प्राईवेट बसों की छतों पर सवारियां बैठ कर जाती हैं ?

(4) यदि हां, तो सरकार निगम को घाटे से बचाने के लिए इस दिशा में कब तक क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । घाटे में चलने के आन्तरिक एवं बाह्य कारण हैं ।

(2) जी हां । इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है । इन मार्गों पर किसी प्राईवेट बस का परमिट स्वीकृत नहीं है । अतः अगर कोई प्राईवेट बस चलती है तो यह अवैध है । ऐसी अवैध बसों के संचालन की रोकथाम हेतु पुलिस व परिवहन विभाग के संयुक्त चैकिंग दलों का गठन किया हुआ है जो समय-समय पर चेकिंग कर अवैध वाहनों का चालान करते हैं ।

(3) जैसा कि प्रश्न के भाग-2 के उत्तर में कहा गया है कि यदि अवैध वाहनें चलती हैं तो उनके चालान बनाये जाते हैं ।

(4) जहां तक सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने का प्रश्न है निगम को अवैध वाहन संचालन के फलस्वरूप होने वाले संभावित घाटे से बचाने हेतु कठोरता से चैकिंग किए जाने हेतु पुलिस एवं परिवहन विभाग को निर्देश प्रदान किए गए हैं ।

पीपल्दा तहसील क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य

205. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा तहसील सभी ओर नदियों और नालों से घिरे होने की वजह से भूमि का कटाव बढ़ रहा है तथा कृषि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि भूमि को कटाव से रोकने हेतु भूतपूर्व महाराजाओं ने समूचे क्षेत्र में चेक डेम्स बनवाये थे जो अब स्थान-स्थान पर टूट गये हैं ?

(3) यदि हां, तो कृषि भूमि को कटाव से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं, तथा इन पर कुल कितनी राशि खर्च की जा रही है और क्या वह उचित व पर्याप्त है ?

(4) क्या सरकार जनहित में भूमि कटाव को रोकने हेतु शीघ्र कारगर कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। कुछ क्षेत्र में चेक डेम्स बने हुये थे, जो कई स्थानों पर टूट गये हैं।

(3) कन्दरा के फैलाव से कृषि भूमि को बचाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से कन्दरा सुधार योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। इस पर इस क्षेत्र में 35.14 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

(4) राज्य सरकार वार्षिक योजना बनाकर भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार लोगों के लाभ के लिये कन्दरा सुधार कार्य कर रही है।

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट–4

अ. प्र. संख्या 324 की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रकार	क्षमता (मे. वा.)	स्वीकृति माह	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	अनुमानित व्यय मार्च, 1990 तक (लाख रु. में)	प्रतिस्थापित क्षमता (मे. वा.)	प्रतिस्थापित माह	लक्ष्य क्षमता (मे. वा.)	लक्ष्य माह
1.	माही परियोजना	पन	2×25 2×45	12/77	17479	18720.00	2×25 1×45	2/86 2/79	1×45	अग./सित. 1889
2.	कोटा तापीय परियोजना	थर्मल	2×210	10/87	43957	39955.80	1×210 1×210	9/88 5/89		
3.	अनूपगढ़	पन	6× 1.5	6 /80	1461	1258.61	9	1977-88		
4.	सूरतगढ़	पन	2×2	8 /80	988	751.77			2×2	मार्च, 1990
5.	मांगरोल	पन	3×2	8 /84	1252	1003.82			2×2	मार्च, 1990
6.	आर. एम. सी. माही–I एवं आर. एम. सी. माही–II	पन पन	2×0.40 1×0.165	9 /87	153 34	208.13			2×.4 1×.165	दिसम्बर, 89 जून, 1989

परिशिष्ट–5

परिशिष्ट "क"

अ. प्र. संख्या 325 की सूची

नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों द्वारा जमा कराई गई राशि का विवरण :–

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	राशि	वर्तमान स्थिति
1.	श्री सीताराम	500.00	लौटा दी गई
2.	,, रमेशचन्द शर्मा	,,	जमा है
3.	,, नरेशचन्द	,,	लौटा दी गई
4.	,, ओ. पी. शुक्ला	,,	जमा है
5.	,, पृथ्वीसिंह	,,	लौटा दी गई
6.	,, यतेन्द्रसिंह	,,	,,
7.	,, गिरधारीलाल पुत्र श्री डी. के.	,,	,,
8.	,, रामनारायण	,,	,,
9.	,, महेशकुमार	,,	,,
10.	,, भारमल पुत्र श्री जे. एम.	,,	जमा है
11.	,, दिनेशकुमार पुत्र श्री एस. के.	,,	लौटा दी गई
12.	,, जगदीशप्रसाद सैनी	,,	जमा है
13.	,, कुशालाराम अनवारीलाल	,,	,,
14.	,, सागरमल माखनलाल	,,	,,
15.	,, ओमप्रकाश घासीराम	,,	लौटा दी गई
16.	,, महावीरप्रसाद कन्हैयालाल	,,	जमा है
17.	,, कन्हैयालाल सैनी	,,	,,
18.	,, अरुण कुमार	,,	लौटा दी गई
19.	,, रमेश दधीच	,,	,,
20.	,, कैलाशचन्द सिंघानिया	,,	जमा है
21.	,, राजेन्द्र प्रसाद	,,	लौटा दी गई
22.	,, बृजमोहन पुत्र श्री जे. आर.	,,	जमा है
23.	,, गोपीराम	,,	लौटा दी गई
24.	,, विद्या दुर्गाप्रसाद	,,	जमा है
25.	,, संतोषकुमार अग्रवाल	,,	,,
26.	,, महावीरप्रसाद अग्रवाल	,,	,,
27.	,, रणजीतसिंह	,,	लौटा दी गई
28.	,, भंवरसिंह	,,	,,
29.	,, प्रेमप्रकाश पुत्र श्री बी. आर.	,,	,,
30.	,, वासुदेव	,,	,,
31.	,, भंवर शर्मा	,,	,,

1	2	3	4
32.	श्री राजेशकुमार शाह	500.00	जमा है
33.	,, हीरालाल वर्मा	,,	लौटा दी गई
34.	,, अनिलकुमार शाह	,,	जमा है
35.	,, जोशी आँयल मिल	,,	,,
36.	,, विजयप्रसाद	,,	लौटा दी गई
37.	,, विनोदकुमार मामिनियाँ	,,	जमा है
38.	,, शंकरलाल	,,	लौटा दी गई
39.	,, दिनेश कुमार	,,	जमा है
40.	,, राम शाह	,,	,,
41.	,, प्रहलाद राज	,,	लौटा दी गई
42.	,, बेनी प्रसाद	,,	,,
43.	,, मोहम्मद हुसैन	,,	,,
44.	,, असगर अली	,,	,,
45.	,, कैलाशचन्द्र पोद्दार	,,	,,
46.	,, शिवरतन मुरारका	,,	जमा है
47.	,, महेशकुमार द्वारा अजन्ता स्टोर	,,	,,
48.	,, उपेन्द्र चन्द	,,	लौटा दी गई
49.	,, बनारसीलाल क्लोथ मर्चेन्ट	,,	जमा है
50.	,, सुलेमान	,,	लौटा दी गई
51.	,, जनार्दन बगड़िया	,,	जमा है
52.	,, हाजी अहमद	,,	,,
53.	,, माधोप्रसाद शर्मा	,,	लौटा दी गई
54.	,, कैलाश चन्द	,,	जमा है
55.	,, उस्मान गनी	,,	लौटा दी गई
56.	,, हाजी मोहम्मद अली	,,	,,
57.	,, खत्री एण्ड कम्पनी	,,	,,
58.	,, बी. एल. शर्मा	,,	जमा है
59.	,, मोहम्मद हुसैन	,,	,,
60.	,, इदका सोहा बागर	,,	,,
61.	,, आर. एफ. इण्ड.	,,	लौटा दी गई
62.	,, रामाकान्त	,,	,,
63.	,, बी. एल. पारीक	,,	,,
64.	,, कुशम बोगना	,,	,,
65.	,, बुधकुमार सौगानी	,,	जमा है
66.	,, ललित कुमार जोगानी	,,	,,

परिशिष्ट "ख"

मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों द्वारा जमा कराई गई राशि का विवरण :—

क. सं.	व्यक्ति का नाम	राशि	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	श्री बनवारी लाल रामवतार	500.00	जमा है
2.	श्री ओम प्रकाश प्रसाद बंशीमल	"	जमा है
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह गोमाराम	"	जमा है
4.	श्री श्याम सुन्दर देपड़ा	"	लौटा दी गई
5.	श्री माधो प्रसाद शाह	"	लौटा दी गई
6.	श्रीमती अर्चना देवी शाह	"	लौटा दी गई
7.	श्री सुरेन्द्र कुमार शाह	"	लौटा दी गई
8.	श्री भंवर सिंह शेखावत	"	लौटा दी गई
9.	श्रीनिवास	"	जमा है
10.	श्री नागर मल	"	जमा है
11.	श्री कस्तूरी मल	"	जमा है
12.	श्री मेघराज शर्मा	"	लौटा दी गई
13.	श्री रामस्वरूप	"	लौटा दी गई
14.	श्री चमगामल जालान	"	लौटा दी गई
15.	श्री नारायण खण्डेलवाल	"	जमा है
16.	श्री गोविन्द राम प्रमोद कुमार	"	जमा है
17.	श्री सोहन लाल	"	जमा है
18.	श्री भागीरथ मल कटारिया	"	लौटा दी गई
19.	श्री किन्नी राम हरिजन	"	लौटा दी गई
20.	श्री झाबर मल	"	लौटा दी गई
21.	श्री सतीश कुमार	"	लौटा दी गई
22.	श्री बजरंग लाल	"	जमा है
23.	श्री बिमल कुमार	"	जमा है
24.	श्री प्रदीप कुमार	"	जमा है
25.	श्री ओम प्रकाश ताराचन्द	"	जमा है
26.	श्री खेम सिंह	"	जमा है
27.	श्रीमती ललिता अग्रवाल	"	लौटा दी गई

1	2	3	4
28.	श्री जुगल किशोर	500.00	जमा है
29.	श्री रामवतार पोरवाल	"	जमा है
30.	श्री मोटा राम बेगाराम	"	लौटा दी गई
31.	श्री बिशन राम	"	लौटा दी गई
32.	श्रीमती बिमल जोशी	"	लौटा दी गई
33.	श्री महेश कुमार अग्रवाल	"	लौटा दी गई
34.	श्री सिद्धार्थ	"	लौटा दी गई
35.	श्री मुरलीधर	"	लौटा दी गई
36.	श्री आनन्दीलाल अग्रवाल	"	जमा है
37.	श्री श्रीकान्त मुरारका	"	जमा है
38.	श्री देवी लाल	"	लौटा दी गई
39.	श्रीमती विमला देवी	"	लौटा दी गई
40.	श्री विजय मोहन	"	लौटा दी गई
41.	श्री रामकुमार	"	लौटा दी गई
42.	श्री केशर देव	"	लौटा दी गई
43.	श्री आर. के. केजरीवाल	"	जमा है

परिशिष्ठ–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 326 की सूची

कोटा, बून्दी एवं झालावाड़ में स्थापित संयन्त्रों की संख्या

I कोटा

क्र. सं.	पंचायत समिति	संयन्त्रों की संख्या	31 मार्च, 89 तक
1	2	3	
1.	लाडपुरा	159	
2.	सुल्तानपुरा	119	
3.	इटावा	88	
4.	अन्ता	89	

1	2	3	
5.	बारां	42	
6.	अटरू	56	
7.	छबड़ा	65	
8.	छीपा बड़ोदा	26	
9.	किशन गंज	113	
10.	शाहबाद	31	
11.	सांगोद	156	
12.	खेराबाद	37	
		981	
		II बून्दी	31 मार्च, 1989 तक
1.	तालेड़ा	182	
2.	केशोराव पाटन	59	
3.	नैनवां	89	
4.	हिन्डोनी	308	
		638	
		III झालावाड़	31 मार्च, 1989 तक
1.	झालरापाटन	319	
2.	मनोहर थाना	1	
3.	खानपुर	36	
4.	डुंग	30	
5.	बकानी	149	
6.	पिड़ावा	115	
		650	

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना अन्तर्गत बायोगैस संयन्त्रों पर उपलब्ध अनुदान राशि प्रति संयन्त्र (वर्ष 1988-89)

संयन्त्र की क्षमता	(राशि रुपयों में)	
	अनुसूचित जाति/जनजाति एवं घोषित रेगिस्तानी क्षेत्र के लाभार्थी	अन्य
1	2	3
1. घन मीटर	1250	1000
2. ,,	2350	1560
3. ,,	2860	1900
4. ,,	2860	2140
5. ,,	2860	2610
6. ,,	2860	2610
7. ,,	2860	2610

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 330 की सूची

सूची मण्डावा जिला झुंझुनू स्थित मन्दिरान जिनको भोगराग की राशि का नियमित भुगतान हो रहा है।

क्र, सं.	नाम मन्दिर	नाम पुजारी	वार्षिक राशि	वि.वि.
1.	2	3	4	5
1.	श्री माजादास जी मण्डावा	श्री श्यामलाल	30.00	
2.	श्री काननाथजी, मण्डावा	श्री लीलाधर	96 00	
3.	श्री गंगाजी, मण्डावा	श्री लादूराम	148.00	
4.	श्रीं रघुनाथजी, मण्डावा	श्री परमानन्द	48.00	
5.	श्री बिहारीजी, मण्डावा	श्री नथमल	30.00	

(300)

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 345 की सूची

समर्पित अवकाश के आवेदन पत्र प्राप्ति एवं स्वीकृति का विवरण

क्र. सं.	नाम अध्यापिका	विद्यालय का नाम	प्राप्ति तिथि	स्वीकृति तिथि	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती डेकलावती	नान्दशमा	17-2-88	18-11-88	16-1-89
2.	कमला दरक	नाथ	23-2-88	18-3-88	18-1288
3.	बाबूसिंह	बांहर	3-4-88	16-8-88	19-8-88
4.	मदन लाल	जगदीश	20-4-88	22-6-88	4-7-88
5.	सुलेखा श्रीवास्तव	सुन्दर	21-4-88	1-8-88	20-8-88
6.	मधु महेश्वरी	अगतालि	28-4-88	4-7-88	8-7-88
7.	अनुसूया	खमनोर	28-4-88	16-7-88	9-8-88
8.	सुशीला	फतहन	2-5-88	23-9-88	11-1-89
9.	राजकुमारी	फतह	2-5-88	8-10-88	29-11-88
10.	राधाकिशन	कलवाडा	7-5-88	28-6-88	16-5-89
11.	कमला शर्मा	पलाना	10-5-88	27-9-88	—
12.	जतन	करादी	16-5-88	19-9-88	17-11-88
13.	कृष्णा	" "	16-5-88	19-9-88	17-11-88
14.	प्रेमलता	डबोक	9-8-88	11-8-88	17-8-88
15.	निर्मला	भीण्डर	13-6-88	11-8-88	18-8-88
16.	चन्द्रप्रभा	कुराबड़	2-7-88	23-9-88	"
17.	सुशीला	पापम	4-7-88	22-10-88	2-11-88
18.	शांति गुप्ता	खेरादी	22-7-88	22-10-88	7-11-88
19.	प्रेम देवी	डबोक	6-7-88	22-10-88	31-10-88
20.	जयवन्ती	खेरोदा	18-7-88	22-12-88	13-3-89
21.	शकुन्तला लोढ़	राज	22-7-88	8-12-88	7-3-89
22.	सुशीला चौधरी	भीण्डर	1-8-88	23-9-88	11-1-89
23.	कानन बाला	माण्डचस	8-8-88	6-12-88	7-3-89
24.	राधागुप्ता	खेरोदा	11-8-88	17-8-88	28-8-89
25.	फातमा बानो	नाथ	19-8-88	19-9-88	29-11-89
26.	विमला शर्मा	खेरोदा	29-8.88	26-11-88	23-12-88

1	2	3	4	5	6
27.	चन्द्रकला	नाथे	20-9-88	13-12-88	2-5-89
28.	चन्द्रकला यादव	खेरोदा	24-9-88	22-12-88	13-3-89
29.	सुशीला	केलवाड़ा	22-10-88	26-10-88	24-11-88
30.	कृष्णा कान्ता	हाथो	25-10-88	25-10-88	21-11-88
31.	सरला शर्मा	"	24-10-88	24-10-88	21-11-88
32.	प्रेमलता	नाथद्वारा	18-11-88	18-11-88	29-11-88
33.	प्रमीला जैन	रिछेड	2-12-88	12-12-88	27-12-88
34.	रजनी	मेनार	2-12-88	2-12-88	20-12-88
35.	मांगीदेवी	भावगुडा	1-12-88	19-12-88	11-3-88
36.	प्रेमलता	सूरज	11-8-88	3-10-88	19-12-88
37.	पुष्पा जैन	शको	3-10-88	3-10-88	17-12-88
38.	कैलाश अराड़िया	सूरज	13-7-88	31-10-87	3-12-88
39.	चन्द्रकान्ता	सोइ	20-5-88	22-6-88	23-6-88
40.	यशोदा	माइशेना	8-12-88	8-12-88	15-3-89
41.	कमला सारस्वत	साई	20-5-88	22-6-88	29-6-88
42.	गीता जैन	जगते	3-11-88	3-11-88	9-12-88
43.	कृष्णा	हाथी	24-10-88	24-10-88	9-12-88
44.	प्रेमलता	खेरोदा	6-11-88	6-11-88	21-12-88
45.	पुष्पा शक्तावत	3,4,5	3-11-88	3-11-88	21-12-88
46.	मीना	थांद	17-12-88	17-12-88	14-3-89
47.	जसकंवर	फतह	19-11-88	19-12-88	11-189
48.	राधा	सोई	19-11-88	19-11-88	4-1-89
49.	शान्ता शर्मा	फतह	19-11-88	19-11-88	4-1-89
50.	उमा सनाढ्य	बानी	21-12-88	21-11-88	4-1-89
51.	अकीलला	बानी	21-11-88	21-11-88	23-1-89
52.	फूलकंवर	जगदीश	22-11-88	22-11-88	17-3-89
53.	कमलेश	जगदीश	22-11-88	12-11-88	17-3-89
54.	अजब बानो	बोहर	22-11-88	22-11-88	5-12-88
55.	मधुधर	सनबाड़	24-11-88	24-11-88	5-12-88
56.	सविता	भिण्डर	24-11-88	24-11-88	5-12-88
57.	लीला यादव	बम्बोरा	24-11-88	24-11-88	24-3-89
58.	कमला चांष्टा	पलाना	24-11-88	24-11-88	24-3-89
59.	कृष्णा	पंचवटी	26-11-88	26-11-88	24-3-89
60.	सत्यवती	वाई	26-11-88	26-11-88	27-3-89

1	2	3	4	5	6
61.	लक्ष्मी	घासा	28-11-88	28-11-88	27-3-89
62.	सुशीला	थाना	28-11-88	28-11-88	15-12-88
63.	सीता शर्मा	थाना	28-11-88	28-11-88	15-12-88
64.	विजय लक्ष्मी	3,4,5,	6-12-88	6-12-88	17-12-88
65.	आजाद तलक	जगदीश	28-11-88	28-11-88	17-3-88
66.	क्तूल हबीक	फतह	9-12-88	9-12-88	15-1-88
67.	कृष्णा राठौ	चान्दा	9-12-88	9-12-88	15-1-89
68.	शकुन्तला	जगत	13-12-88	13-12-88	11-1-89
69.	पुष्पा बंसल	डेबारी	19-12-88	19-12-88	30-1-89
70.	राजेन्द्र भंसाली	बेदला	23-12-88	23-12-88	30-1-89
71.	लक्ष्मी शर्मा	कुराबड़	24-12-88	24-12-88	30-1-89
72.	इन्द्र जैन	शको	21-12-88	21-12-88	28-1-89
73.	सुशीला	भपाल	27-12-88	27-12-88	15-1-89
74.	कंचन	मोण्डर	2-1-89	2-1-89	15-3-89
75.	सुमित्रा शर्मा	नाती	2-1-89	2-1-89	15-3-89
76.	मानू जैन	जामा	2-1-89	2-1-89	15-3-89
77.	सुशीला जोशी	जामा	2-1-89	2-1-89	15-3-89
78.	सुनिता	शको	2-1-89	2-1-89	16-1-89
79.	चन्द्रा	मोण्डर	4-1-89	4-1-89	8-1-89
80.	सावित्री	3,4,5,	4-1-89	4-1-89	8-1-89
81.	विजय लक्ष्मी	राहा	4-1-89	4-1-89	15-3-89
82.	ज्योती	राहा	4-1-89	4-1-89	15-3-89
83.	सावित्री अरोड़ा	राहा	4-1-89	4-1-89	13-1-89
84.	प्रेमलता	अशोक	4-1-89	4-1-89	14-3-89
85.	आशा	गरीब	4-1-89	4-1-89	14-3-89
86.	मोहन देवी	गरीब	4-1-89	4-1-89	14-3-89
87.	प्रेमलता	जगदीश	4-1-89	4-1-89	15-3-89
88.	कमल कान्ता	थुर	7-1-89	7-1-89	15-3-89
89.	प्रेमलता	थुर	6-1-89	6-1-89	22-3-89
90.	विष्णु	सुरज	7-1-89	7-1-89	15-1-89
91.	उमा भटनागर	सुरज	7-1-79	7-1-89	15-1-89
92.	प्रेम पानोरी	सुरज	7-1-89	7-1-89	15-1-89
93.	मलका	चांद	7-1-89	7-1-89	30-3-89
94.	रामसुखी	नानी	7-1-89	7-1-89	28-3-89

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 355 की सूची

प्रपत्र 'अ'

पंचायत समिति निवाई की ग्राम पंचायतों के अधीन ग्रामों की सूची जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति की बस्तियों में विद्युत वितरण हेतु लाईन खींची गई है:—

क्रम.संख्या	ग्राम पंचायत	ग्राम
1.	झिलाय	1. झिलाय 2. जीवली
2.	सिरोही	1. सिरोही
3.	नोहटा	1. नोहटा
4.	खिडगी	1. खिडगी, किवाडा
5.	भरथली	1. भरथली
6.	बेहड	1. बहड 2. खेडा 3. बस्सी
7.	जामडोली	1. जामडोली
8.	दहलोद	1. दहलोद
9.	खण्देवत	1. जुझारपुरा 2. हिंगोरिया 3. चिकाना
10.	बनस्थली	1. वनस्थली 2. श्रीरामपुरा 3. सरसडी रामपुरा
11.	डांगरथल	1. डांगरथल 2. रम्भा
12.	पहाड़ी	1. पहाड़ी
13.	सोदड़ा	1. सोदडा, 2. गोविन्दपुरा
14.	रजवास	1. गुढा, 2. रजवास
15.	चैनपुरा	1. कैरोद
16.	दतवास	1. दतवास
17.	पलई	1. दौलतपुरा 2. राधाकिशनपुरा 3. जगमोहनपुरा
18.	सुवारा	1. आकोडिया 2. पथराज
19.	चनानी	1. चनानी
20.	चतुर्भुजपुरा	1. जोधपुरा
21.	दहलोद	1. नांगल नरूहेर
22.	लुहारा	1. भुरटिया

(304)

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 360 की सूची

तहसील मुख्यालयों की सूची जहां राजकीय सीनियर बालिका उ. मा. वि. नहीं है

जिला	तहसील मुख्यालयों के नाम जहां रासीबाउमावि नहीं हे
1	2
अजमेर	1. केकड़ी 2. सरवाड़
अलवर	1. रामगढ़ 2. तिजारा 3. बहरोड़ 4. रामगढ़ 5. बानसूर 6. लक्ष्मणग 7. थानागार्जा 8. किशनगढ़ बास 9. मुण्डावर
भरतपुर	1. नदबई 2. बैर 3. कामां 4. नगर 5. कुम्हेर 6. रूपवास
धौलपुर	1. बाड़ी 2, राजाखेड़ा 3. बसेड़ी
जयपुर	1. बस्सी 2. आमेर 3. बसवा 4. लालसोट 5. चाकसू 6. फुलेरा 7. सिकर 8. जमवारामगढ़ 9. दूदू 10. फागी
बीकानेर	1. नोखा 2. लूणकरणसर 3. कोलायत
चुरू	1. राजगढ 2. रतनगढ 3. सरदारशहर 4. तारानगर 5. सुजानगढ
गंगानगर	1. हनुमानगढ 2. सूरतगढ 3. शादुलशहर 4. पदमपुर 5. अनूपगढ़ 6. रा सर 7. पीलीबंगा 8. विजयनगर 9. टीबी 10. घड़साना
झुन्झुनूं	1. खेतड़ी 2. नवलगढ 3. चिड़ावा 4. उदयपुर वाटी
सीकर	1. फतेहपुर 2. नीमकाथाना 3. लक्ष्मणगढ 4. दातारामगढ़
बाड़मेर	1. सिवाना 2. चोहटन 3. शिव 4. पचपदरा 5. गुड़ा मालानी
जैसलमेर	1. पोकरण
जोधपुर	1. फलौदी 2. बिलाड़ा 3. शेरगढ 4. ओसिया 5 भोपालगढ
नागौर	1. डीडवाना 2. मेड़तासिटी 3. परबतसर 4. लाडनूं 5. नावां 6. र 7. डेगाणा
पाली	1, बाली 2. जैतारण 3. सोजत सीटी 4. रायपुर 5. देसूरी 6. मारवा
सिरोही	1. आबूरोड़ 2. पिण्डवाड़ा 3. रेवदर
बून्दी	1. नेनवा 2. केशवरायपाटन 3. हिण्डोली

1	2
झालावाड़	1. अकलेरा 2. झालरापाटन 3. पिडावा 4. सुनेल 5. पंचपहाड़ 6. गंगरार 7. खानपुर
टोंक	1. उणियारा 2. टोडारायसिंह 3. निवाई
सवाई माधोपुर	1. हिण्डोन 2. टोडाभीम 3. बोली 4. खण्डार 5. बामनवास 6. नादोती 7. सपोटरा
कोटा	1. छबड़ा 2. मांगरोल 3. छीपाबड़ोद 4. सांगोद 5. बीगोद 6. लाडपुरा 7. पीपलदा 8. किशनगंज 9. शाहबाद 10. अटरू
बांसवाड़ा	1. गढी 2. घाटोल 3. बागीदोरा
भीलवाड़ा	1. मांडल 2. आसिन्द 3. जहाजपुर 4. मांडलगढ़ 5. सहाड़ा 6. बनेड़ा 7. रायपुर 8. हुरड़ा 9. कोटड़ी
डूंगरपुर	1. सागवाड़ा 2. आसपुर 3. सीमलवाड़ा
चितौडगढ	1. कपासन 2. निम्बाहेड़ा 3. बड़ीसादड़ी 4. गंगरार 5. राश्मी 6. भदेसर 7. डुंगला 8. अरनोद
उदयपुर	1. राजसमन्द 2. आमेट 3. भीम 4. झाड़ोल 5. लालमनगर 6. गोगुन्दा 7. कोटड़ा 8. कुम्भलगढ़ 9. रेलमगरा 10. खेरवाड़ा 11. सराड़ा 12. घरियावद 13. मावली

परिशिष्ट–11

अ. ता. प्रश्न संख्या 362 की सूची

जिला नागौर में मिडिल, सैकण्डरी तथा सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद			रिक्त पद			कब से रिक्त है
		I	II	III	I	II	III	
1	1	3	4	5	6	7	8	9
शहरी								
1.	रासीउमावि नागौर	31	28	07	01	—	—	4/89, 2/89
2.	,, मुण्डवा	09	06	02	02	—	—	3/89, 7/89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	रासीउमावि डीडवाना	24	23	—	05	01	—	2/89, 1/89 9/88, 12/88
4.	,, परबतसर	15	09	10	02	—	—	12/88 से
5.	,, मकराना	18	10	13	03	—	01	2/89 से
6.	,, कुचामनसिटी	21	17	01	02	—	—	12/88, 4/89
7.	,, नावां सिटी	13	07	07	02	—	—	12/88, 5/89
ग्रामीण								
8.	,, चावण्डीया	09	08	04	04	02	—	12/88, 4/89
9.	,, खींवसर	10	05	04	03	—	—	8/89, 2/88
10.	,, जायल	13	07	06	02	—	—	,, ,,
11.	,, साजू	08	04	04	02	—	—	2/89, 12/88
12.	,, निम्बीजोधा	08	05	05	01	—	—	4/89
13.	,, मारोठ	11	04	05	02	—	—	5/89, 7/89
24.	,, जावला	09	06	05	02	—	—	10/88, 4/89
15.	,, गुडा साल्ट	06	07	03	01	03	—	3/89
16.	,, कुकनवाली	08	06	05	01	—	—	11/88
17.	,, रियांबड़ी	11	05	05	01	—	—	1/89
18.	,, डेगाना	13	06	05	—	01	—	5/89
19.	,, छोटीखाटू	14	07	03	01	—	—	7/89
20.	,, मेड़तारोड	16	11	07	—	01	01	5/89
21.	,, रिड़	09	05	03	—	01	—	12/88
22.	,, जसवन्तगढ़	09	09	06	—	01	—	7/89
23.	रामावि बिरनियाकलां	—	06	05	—	01	—	9/88
24.	,, रसाल	—	06	04	—	01	—	12/88
25.	,, ईडबा	—	08	04	—	01	01	7/89
26.	,, करकेड़ी	—	06	05	—	04	—	7/89, 4/89
27.	,, तरनाऊ	—	06	05	—	02	—	2/89, 7/89
28.	,, गुडसू	—	06	05	—	01	—	11/88
29.	,, ऊंटवालिया	—	06	04	—	02	01	7/89, 1/89
30.	,, जॉलसूनानक	—	07	05	—	01	—	7/89
31.	,, गुड़ाभगवानदास	—	06	05	—	01	01	9/88, 1/89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	रामावि रूग्ण	—	06	05	—	02	—	3/89, 12/88
33.	,, बैरवां कला	—	06	04	—	01	—	12/88
34.	,, खियाला	—	06	04	—	02	—	4/89
35.	,, गगराना	—	06	05	—	01	—	12/88
36.	,, लाम्बोलाई	—	06	04	—	02	—	7/89
37.	,, बरडू	—	08	04	—	01	01	4/89
38.	,, रोडू	—	06	05	—	02	—	9/88, 7/89
39.	,, अजवाना	—	06	04	—	01	—	7/89
40.	,, हरसोलाव	—	06	06	—	01	—	7/89
41.	,, गूलर	—	06	05	—	01	—	7/89
42.	,, जोखेड़ा	—	07	05	—	01	—	5/89
43.	,, सिरासना	—	06	05	—	01	—	12/88
44.	,, लांगावास	—	07	04	—	01	01	7/89
45.	,, रेण	—	07	05	—	01	—	4/89
46.	,, खुड़ीकला	—	06	05	—	01	—	4/89
47.	,, आलनियावास	—	07	05	—	01	—	7/89
48.	,, भांकरोद	—	06	04	—	01	01	10/88, 7/89
49.	,, बेरीजनतपुरा	—	06	06	—	—	01	4/89
50.	,, रताऊ	—	06	05	—	01	01	4/89, 10/88
51.	,, पांचला सिद्धा	—	08	04	—	01	01	1/89, 10/88
52.	,, अड़कसर	—	07	05	—	01	—	4/89
53.	,, क्यामसर	—	06	05	—	—	01	7/89
54.	,, पादूकला	—	07	04	—	—	01	4/89
55.	,, बगड़	—	06	04	—	—	01	4/89
56.	,, रोल	—	08	04	—	—	01	4/89
57.	,, जोधीयासी	—	06	04	—	—	01	10/88
58.	राउप्रावि बरणगांव	—	01	05	—	—	01	3/89
59.	,, चाऊ	—	01	06	—	—	01	8/88
60.	,, करनु नं. 2	—	01	06	—	01	02	12/88, 1/89
61.	,, करनु नं. 1	—	01	06	—	—	02	6/88, 9/88
62.	,, निम्बोला मुन्देल	—	01	08	—	01	02	10/86, 9/88
63.	,, साडोकण	—	01	06	—	01	—	12/88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.	राप्रावि देऊं	—	01	06	—	—	01	10/88
65.	,, सिपोद	—	01	06	—	01	01	4/89, 7/89
66.	,, गुड़ा भगवानदास	—	01	05	—	—	01	8/88
67.	,, जूंटीसरा	—	01	11	—	—	01	8/88
68.	,, सेवड़ी	—	01	07	—	—	01	12/88
69.	,, रायधनु	—	01	05	—	—	01	10/88
70.	,, छिला	—	01	06	—	—	01	12/88
71.	,, तांतवास	—	01	04	—	—	02	10/88, 8/88
72.	,, रोहिणी	—	01	04	—	—	01	9/88
73.	,, बिरलोका	—	01	07	—	—	01	8/88, 12/88
74.	,, माड़पुरा	—	01	05	—	—	01	9/88
75.	,, इनाणा	—	01	05	—	—	02	10/88, 4/88
76.	,, फिड़ोद	—	01	06	—	—	01	8/88
77.	,, गोवाबड़ी	—	01	07	—	—	01	9/88
78.	,, कड़लू	—	01	06	—	—	01	9/88
79.	,, कूड़छी	—	01	07	—	—	02	10/88, 11/88
80.	,, पांचोड़ी	—	01	09	—	01	01	10/88, 12/88
81.	,, बलसा	—	01	08	—	—	02	9/88
82.	,, नामड़ी	—	01	05	—	—	01	9/88
83.	,, पून्यावड़ी	—	01	04	—	—	02	9/88, 12/88
84.	,, खटोड़ा	—	01	05	—	—	02	9/88
85.	,, नारवाकला	—	01	07	—	—	01	10/88
86.	,, गोराऊ	—	01	08	—	—	02	5/88, 11/88
87.	,, सोभंणा	—	01	07	—	—	01	12/88
88.	,, सुरपालिया	—	01	06	—	—	01	7/88
89.	,, दूगोली	—	01	07	—	—	02	11/88
90.	,, छापड़ा	—	01	12	—	—	01	9/88
91.	,, कोड़िया	—	01	08	—	—	01	6/88
92.	,, गुगरियाली	—	01	05	—	—	01	12/88, 10/88
93.	,, सांडिला	—	01	04	—	—	01	7/88
94.	,, धोलिया	—	01	08	—	—	01	9/87
95.	,, रावड़ी	—	01	06	—	—	01	10/88

1	2		3	4	5	6	7	8	9
96.	राउप्रावि	हुडास	—	01	06	—	—	01	10–88
97.	,,	सिलमबाद	—	01	07	—	—	01	11/89
98.	,,	मंगलपुरा	—	01	05	—	—	01	12/88
99.	,,	मल्लगांव	—	01	03	—	—	01	6/89
100.	,,	मामडोदा	—	01	07	—	—	01	6/88
101.	,,	ऑडिट	—	01	07	—	—	01	1/89
102.	,,	वेहरू	—	01	06	—	01	—	10/88
103.	,,	भावन्डा	—	01	07	—	01	01	10/88.12/88
104.	,,	सोनेली	—	01	—	—	01	—	नव क्रमोन्नत वि.
105.	,,	आंचिरणा	—	01	—	—	01	—	,,
106.	,,	सांटिका खुर्द	—	01	—	—	01	—	,,
107.	,,	पायली	—	01	—	—	01	—	,,
108.	,,	काशीपुरा	—	01	—	—	01	—	,,
109.	,,	डुबार	—	01	—	—	01	—	,,
110.	,,	सिलारिया	—	01	—	—	01	—	नव क्रमोन्नत वि.
111.	,,	बडबेरी	—	01	—	—	01	—	,, ,,
112.	,,	डाकवेपुरा	—	01	07	—	01	—	12/88
113.	,,	दोलतपुरा	—	01	11	—	01	—	4/89
114.	,,	सूवारी	—	01	07	—	01	—	4/89
115.	,,	भासरवा	—	01	06	—	01	—	6/89
116.	,,	सिघारवा	—	01	07	—	01	—	7/89
117.	,,	मोरण्डी	—	01	07	—	—	01	6/89
118.	,,	मालोट	—	01	07	—	—	01	9/88
119.	,,	चावण्डीया	—	01	07	—	—	01	4/88
120.	,,	खारोवा	—	01	07	—	—	01	6/88
121.	,,	चिताई	—	01	06	—	—	02	9/88,1/89
122.	,,	सियाकला	—	01	06	—	—	02	9/88
123.	,,	मेलासर	—	01	08	—	—	01	9/88
124.	,,	बेतियास	—	01	05	—	—	01	6/89
125.	,,	धाधभिउया(मक.)	—	01	06	—	—	02	4/89
126.	,,	खाखड़की	—	01	08	—	—	01	9/88
127.	,,	बासनी सेजा	—	01	09	—	—	01	8/88
128.	,,	बड़गांव	—	01	06	—	—	02	1/89,4/89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129.	राउप्रावि इन्दावड	—	01	08	—	—	02	4/89
130.	,, लाम्बा जाटान	—	01	10	—	—	01	4/89
131.	,, डाणीपुरा	—	01	09	—	—	02	6/89,1/89
132.	,, डेगाणा जं.	01	02	21	01	—	—	4/89
शहरी								
133.	,, नं.2नागौर	01	02	21	—	—	01	7/89
134.	,, नं 3नागौर	—	01	08	—	—	01	4/89
135.	,, परबतसर	—	01	07	—	—	01	4/89

परिशिष्ट—12

अतां. प्र. : की सूची

अलवर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का वितरण 1988–89

राज्य सरकार	कहां कहां	जिले
	(1) कठूमर	106
	(2) रामगढ़	90
	(3) थानागाजी	100
	(4) अलवर शहर	4
केन्द्र सरकार	(5) तिजारा	100
	(6) मुंडावर	100
	(7) बानसूर	100
नेहरु युवा केन्द्र	(8) लक्ष्मणगढ़	100
	योग	700

अलवर जिले में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की क्षेत्रवार सूची

क्षेत्र	वर्तमान सत्र में किस तिथि से चल रहे है
1. कठूमर	15-4-1989
2. रामगढ	15-4-89
3. थानागाजी	15-4-89
4. पं०सं० तिजारा	1-3-89
5. पं0सं० मुंडावर	1-3-89
6. पं०सं० बानसुर	1-3-89
7. पं०सं० लक्ष्मणगढ़	1-12-89

परिशिष्ट—13

अता. प्र. सं. 366 की सूची

जयपुर जिले की बस्सी तहसील में मरम्मत योग्य भवनों की सूची:—

1–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दयालपुरा
2–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मूंडली
3–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुरा
4–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पालावाला जाटान
5–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खेड़ी मानसर
6–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पाटन
7–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, फालियावास
8–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भटेरी
9–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रोजवाड़ी

परिशिष्ट—14

अता. प्र. सं. 369 की सूची

राजस्थान वित्त निगम

जिलानुसार प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का विवरण (गत चार वर्षों का)

क्र. सं.	जिले का नाम	1985-86 संख्या	1986-87 संख्या	1987-88 संख्या	1988-89 संख्या
1.	अजमेर	221	141	123	138
2.	अलवर	286	253	363	325
3.	बांसवाड़ा	68	80	89	169
4.	भीलवाड़ा	443	508	774	340
5.	भरतपुर	172	85	112	81
6.	बीकानेर	120	105	154	225
7.	बूंदी	45	78	53	100
8.	बाड़मेर	54	57	90	195
9.	चित्तौड़गढ़	216	200	127	47
10.	चूरू	57	110	167	153
11.	धौलपुर	77	91	74	131
12.	डूंगरपुर	71	40	31	58
13.	जयपुर	635	737	872	656
14.	जैसलमेर	30	20	48	45
15.	जालौर	25	45	84	216
16.	झालावाड़	48	62	91	129
17.	झुंझुनूं	148	209	262	127
18.	जोधपुर	272	221	426	206
19.	कोटा	177	127	190	257
20.	पाली	292	230	188	191

1	2	3	4	5	6
21.	नागौर	362	212	485	585
22.	सीकर	155	163	183	442
23.	सवाई माधोपुर	172	124	178	149
24.	सिरोही	207	157	143	142
25.	श्रीगंगानगर	296	294	199	139
26.	टोंक	107	205	121	95
27.	उदयपुर	177	241	224	429
	मुख्यालय स्तर पर	48	50	249	226
	योग—	5008	4845	6100	5996

सूची "ख"

राजस्थान वित्त निगम

विधानसभा/आवश्यक

क. सं.	अधिकारी का नाम	शिकायत	विभागीय कार्यवाही
1.	श्री एस. एस. जैन उप महाप्रबन्धक	मै. श्रीनाथ टूरिस्ट होटल, उदयपुर	आदेश दिनांक 27.1.86 के द्वारा चेतावनी दी गई।
2.	श्री आर. एस. बैरवा, उप प्रबन्धक	मै. शक्तावत बेसन उद्योग भीलवाड़ा	आदेश दिनांक 29.4.89 के द्वारा चेतावनी दी गई।
3.	श्री ए. के. बम्ब, उप प्रबन्धक	मैं. साहनी कैमिकल्स, भिवाड़ी	आदेश दिनांक 27.4.87 के द्वारा चेतावनी दी गई।
4.	श्री आर. डी. मालपानी, उप प्रबन्धक	मै. श्री रामचरण (परिवहन ऋण)	आदेश दिनांक 5.11.85 के द्वारा चेतावनी दी गई।

315

परिशिष्ट—15

अता. प्र. सं. 10 की सूची

गंगानगर जिले के भूमिहीनों के विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की सूची "क"

क्रम सं.	नाम भूतपूर्व उपनिवेशन तहसील	तादाद विचाराधीन प्रार्थना पत्र
1–	हनुमानगढ़—	54
2–	रावतसर—	98
3–	सूरतगढ़ नं. 2—	94
4–	रायसिंहनगर—	539
5–	अनूपगढ़—	10
6–	घड़साना—	13423
	योग	14218
	वर्तमान उपनिवेशन तहसील	
7–	छतरगढ़ नं. 1—	4810
8–	छतरगढ़ नं. 2—	437
	योग:—	5247
	कुल योग:—	19465

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	40	19	(नेता प्रति)	(नेता प्रतिपक्ष)
2.	46	15	मुंडावर	मंडावर
3.	96	1	बरितयों	बस्तियों
4.	117	15	मिढा	मिढ़ा
5.	147	1	(श्री दाऊदयल)	(श्री दाऊदयाल)
6.	177	1	(श्री हंसराज मिढा)	(श्री हंसराज मिढ़ा)
7.	196	8	विषायी	विधायी
8.	231	14	श्री फलचन्द गुर्जर	श्री फूलचन्द गुर्जर
9.	239	फोलियो	20 एव 29	20 एवं 29
10.	167	1	(श्री भैरोसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
11.	285	फोलियो	20 एव 29	20 एवं 29
12.	339	फोलियो	जुाई	जुलाई
13.	341	फोलियो	व्यवस्था	व्यवस्था
14.	346	फोलियो	चर्चार	चर्चा
15.	379	30	श्री मदन महाराज	श्री मदन महाराजा
16.	423	फुटनोट	की	के
17.	479	1	(श्री कालीकरण सराफ)	(श्री कालीचरण सराफ)
18.	512	14	श्री गुलाबसिंह शत्तावत	श्री गुलाबसिंह शक्तावत